

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

UNIVERSITY-SILVER-JUBILEE-GRANTHAMĀLĀ

[Vol. 9]

VAIDIKA SAMHITĀOM MEM NĀRĪ

Written & Edited

By

DR MĀLATĪ ŚARMĀ

M A, P.H. D



VARANASI

1990

Research Publication Supervisor—
Director, Research Institute
Sampurnanand Sanskrit University
Varanasi



Published by—
Dr Harish Chandra Mani Tripathi
Publication Officer
Sampurnanand Sanskrit University
Varanasi—221 002



Available at—
Sales Department,
Sampurnanand Sanskrit University
Varanasi—221 002



First Edition—1000 Copies
Price—Rs 96 00



Printed at —
Tara Printing Works
Kamaccha, Varanasi

विश्वविद्यालय-रजतजयन्तो-ग्रन्थमाला

[नवम पुष्प]

वैदिक-संहिताओं में नारी

लेखिका तथा सम्पादिका

डॉ० मालती शर्मा

एम्०ए०, पो-एच्०डी०



वाराणसी

२०४७ वैक्रमाब्द

१९१२ शकाब्द

१९९० ख्रिस्ताब्द

अनुसन्धानप्रकाशनपर्यवेक्षक—
निदेशक. अनुसन्धान-स्थान,
सम्पूर्णानन्द सस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी-२२१ ००२



प्रकाशक —
डॉ० हरिश्चन्द्रमणि त्रिपाठी
प्रकाशनाधिकारी,
सम्पूर्णानन्द सस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी-२२१ ००२



प्राप्ति-स्थान—
विक्रय-विभाग,
सम्पूर्णानन्द सस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी—२२१ ००२



प्रथम संस्करण—१००० प्रतियां
मूल्य—१६ = ०० रूपये



मुद्रक—
तारा प्रिंटिंग वर्क्स,
कमन्स, वाराणसी

प्ररोचना

“वैदिक-सहिताओ मे नारी” शोध-प्रबन्ध नारी की प्रतिष्ठा के विषय मे वैदिक सन्दर्भों का अच्छा सकलन है। वेदो मे नारी का स्थान बहुत महनीय और स्फूर्तिमान् है। यद्यपि मातृदेवताओं की सख्या वहाँ बहुत अधिक नहीं है, तब भी ‘उषा’, ‘वाक्’, ‘अरण्यानी’ और ‘अदिति’ ऐसी देवियों का स्थान वैदिक वाङ्मय मे बहुत महत्त्वपूर्ण है। इनसे सम्बद्ध सूक्तो मे न केवल प्रचुर काव्यतत्त्व है, अपितु उदात्त सृष्टिसंयोजनभाव और चरम रहस्य का उद्भेदन किया गया है।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध एक बहु-आयामी अध्ययन है। वैदिक परिशीलन के क्षेत्र मे निश्चय ही यह उपादेय है। तत्कालीन सामाजिक परिवेश और उस परिवेश के असह्य विभागो के प्रवर्तन और सञ्चालन मे वैदिक-नारी के योगदान की अभिव्यक्ति इस प्रबन्ध के द्वारा स्पष्ट हुई है। मैं इस प्रबन्ध की लेखिका आयुष्मती डॉ० मालती शर्मा को एतदर्थं धन्यवाद देता हूँ।

वाराणसी
गुरुपूणिमा,
वि० सं० २०४८

विद्यानिवास मिश्र
कुलपति,
सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालय

भूमिका

प्रस्तुत ग्रन्थ 'वेदिक-संहिताओ मे नारी' की भूमिका का लेखन स्वयं मे इस विषय के ग्रन्थ के लेखन की भूमिका बन जाता है, अर्थात् समूचा ग्रन्थ ही इस विषय की भूमिका हो जाता है और समूची भूमिका इस विषय का ग्रन्थ बन जाती है। इस तथ्य को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हमे आर्यों की भाषा, वाङ्मय, साहित्य तथा संस्कृति को पृष्ठभूमि का रेखांकन करना पडेगा। आर्यादत्त के आर्यों का साहित्य वेद था। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद का बडा अंश कवितामय है। उसमे जो एक-एक पद्य होते है, उन्हें 'ऋच्' या 'ऋचा' कहा जाता है। जो ऋचाएँ गय होती है, उन्हें 'साम' कहा जाता है। इसीलिये भगवान् कृष्ण ने गीता मे कहा है 'वेदाना सामवेदोऽस्मि'। वेद का कुछ अंश गद्यमय भी है। उस गद्य के एक-एक सन्दर्भ को 'यजुष्' कहा जाता है। ऋचाओ, सामो और यजुषो को 'मन्त्र' भी कहते हैं।

आर्य लोग निरे योद्धा ही नही थे। उनमे अपने चारो तरफ की दस्तुवो को ध्यान से देखने और उनके विषय मे चिन्तन-मनन करने की अपार शक्ति थी। अपने विचारो को उन्होने तेजस्विनी, किन्तु ललित भाषा मे अभिव्यक्ति दी। ऋचाएँ, साम और यजुष् पहले फुटकर रूप मे थे। भिन्न-भिन्न ऋषियो के परिवारो तथा शिष्य-परम्पराओ मे उनका सग्रह होता गया। इस प्रकार उनकी संहिताएँ बनी। 'संहिता' का अर्थ है 'सकलन' या 'सग्रह'। आर्यावर्त की भाषा के सभी प्रकार के उच्चारणो का वर्गीकरण और विश्लेषण करके भारतीय वर्णमाला का प्रणयन हुआ। इस 'ब्राह्मी' वर्णमाला का आविष्कार ससार के सबसे पूर्ण आविष्कारो मे से एक था।

वर्णमाला निश्चित होमे और लिखना प्रारम्भ होने से साहित्य के सकलन की प्रवृत्ति और बढी तथा सभी प्रकार के ज्ञान को पुष्टि मिली। महर्षि कृष्णद्वैपायन महाभारत युद्ध के समकालीन थे। उन्होने अन्तिम बार अपने काल तक के 'वेद' अर्थात् 'ज्ञान' की संहिताएँ बना दी, जो आज तक चली आ रहो है। उन्होने ऋचाओ की एक संहिता बनायी, जिसमे ऋचाओ को छांटकर ऋषि क्रम तथा विषय क्रम मे बाँट दिया। इसी प्रकार सामो और यजुषो की अलग-अलग संहिताएँ बनायी। ये तीनों 'ऋक्संहिता', 'सामसंहिता' और 'यजु.संहिता' मिलकर त्रयो बहलायी। त्रयो हमारे साहित्य का सबसे पुराना सग्रह है। दूसरे प्रकार के कुछ भिन्न-भिन्न मन्त्रो को महर्षि कृष्णद्वैपायन ने त्रयो से अलग 'अथर्वसंहिता' के रूप मे संगृहीत किया और फिर उसी तरह उन्होने ऐतिहासिक आख्यानो को भी एक संहिता बनायी, जो

‘पुराणसंहिता’ के नाम से प्रथित हुई। इस प्रकार ‘त्रयो’ के साथ ‘अथर्ववेद’ एवं ‘पुराणवेद’ को मिलाकर पाँच वेद कहे गये। ‘वेद’ अर्थात् ‘ज्ञानकोश’ का इस प्रकार बँटवारा करने के कारण महर्षि कृष्णद्वैपायन ‘वेदव्यास’ अर्थात् वेद-विभाजक कहलाए।

आर्यों के धर्म-कर्म प्रारम्भ में बहुत सरल थे। बाद में वे उत्तरोत्तर जटिल होते गए। ‘देव-पूजा’ और ‘पितृ-पूजा’ उनकी मुख्य पहचान थी। वह पूजा यज्ञ में आहुति देने से प्रारम्भ होती थी। यज्ञों के लिए प्रत्येक गृहस्थ के घर में सदा अग्नि प्रज्वलित रहती थी। इन्द्र को मुख्य देवता का स्थान प्राप्त था। प्रकृति की बड़ी-बड़ी शक्तियों में आर्य लोग देवी अभिव्यक्ति देखते थे और उन्हीं शक्तियों की उन्होंने भिन्न-भिन्न देवताओं के रूप में कल्पना की थी। उदाहरण के लिए ‘द्यौः’ अर्थात् आकाश एक देवता हुए, उसी तरह ‘पृथिवी’ भी। ‘द्यावा-पृथिवी’ का जोड़ा प्रायः युगनद्ध माना गया। ‘वरुण’ भी ‘द्यौः’ के एक रूप माने गये। वे ‘द्यौ’ की ज्योति के सूचक के रूप में प्रसिद्ध हुए।

इसी प्रकार ‘सूर्य’ के भिन्न-भिन्न गुणों से कई अन्य देवताओं की कल्पना हुई। प्रभात वेला ‘उषा’ सुन्दरी के रूप में प्रकट होती है। उसका प्रेमी सूर्य उसके पीछे-पीछे चलता है। उदय होता हुआ सूर्य ही ‘मित्र’ है। वह मैत्रीपूर्ण देवता मनुष्यों को नींद से उठाता और कर्तव्य में अभिप्रेरित करता है। यही सूर्य पूर्णरूप से उदित होकर अपनी किरणों से सारे जगत् को जीवनदान देता है, तब वह ‘सविता’ कहलाता है। इस तथ्य का बड़ा मनोहारी निरूपण मैत्रायणीय-आरण्यक में किया गया है—“तत्सवितुर्वरेण्यमित्यसौ वाऽऽदित्यः सविता स वा एव प्रवरणीय आत्म-कामेनेत्याहुर्ब्रह्मवादिनोऽथ भर्गो देवस्य धीमहीति सविता वै देवस्ततो योऽस्य भर्गाह्यस्त चिन्तयामीत्याहुर्ब्रह्मवादिनोऽथ धियो न. प्रचोदयादिति बुद्धयो वै धियस्ता योऽस्माक भर्ग इति यो ह वाऽमुस्मिन्नादित्ये निहितस्तारकोऽक्षिणि वेप भर्गाह्यो भाभिर्गतिरस्य हीति “शश्वत्सूयमानात् सूर्यः, सवनात् सविता, आदानात् आदित्यः, पवनात् पावन”। इन प्रतीकात्मक वर्णनों के विश्लेषण से हम पाते हैं कि आर्यों की देव-कल्पना मधुर और सौम्य थी। घिनौने, डरावने तथा अश्लील देवताओं के लिए वहाँ स्थान नहीं था^१। उसमें कवि के स्निग्ध तथा उर्बर हृदय और अन्तर्दृष्टि की जलक

१. मै० आ० ६।७।

२. महर्षि अरविन्द ने वैदिक देव-सत्ता की शक्ति का विवेचन करते हुए लिखा है कि—‘वे देव कौन से हैं, जिनका यजन करना है? वे कौन हैं, जिनका यज्ञ में आवाहन करना है? जिसे यह वर्धनशील देवत्व मानवसत्ता के अन्दर अभिव्यक्त हो सके और रक्षित रह सके? सबसे पहला (देव) है ‘अग्नि’; क्योंकि उसके बिना यज्ञोप-ज्वाला आत्मा की बेदी पर प्रदीप्त ही नहीं हो सकती। अग्नि की वह ज्वाला है सकल्प की सप्तजिह्व शक्ति,

दृष्टिगोचर होती है। बाद में यज्ञों का आयोजन आडम्बरपूर्ण हो होने लगा, किन्तु साधारण आर्य अग्नि में अपनी दैनिक आहुति स्वयं दे लेता था। देवों के अतिरिक्त वह पितरा का तर्पण भी स्वयं कर लेता था। आर्यों के चिन्तन में 'देव-पूजा' के साथ ही साथ 'पितृ-पूजा' का सह अस्तित्व मानवजाति की महायात्रा में दैमिसाल माना गया।

आर्यों का सामाजिक जीवन भी उनके जीवन की अन्य बातों की तरह सरल था। समाज में ऊँच नीच की भावना कुछ कुछ जरूर थी, पर विशेष भेद न थे। 'आर्य' और 'दास' में बड़ा भेद था, पर आर्यों और दासों में भी परस्पर सम्बन्ध हो

परमेश्वर की एक ज्ञान प्रेरित शक्ति। यह सच्चतन (जागृत) तथा बलशाली सकल्प हमारी मत्स्यसत्ता के अन्दर अमत्य अतिथि है, एक पवित्र पुरोहित और दिव्य कार्यकर्ता है, 'पृथिवी' और 'द्यौ' के बीच मध्यस्थता करने वाला है। जो कुछ हम 'हवि' प्रदान करते हैं, उसे यह उच्चतर शक्तियों तक ल जाता है और बदले में उनकी शक्ति, प्रकाश तथा आनन्द हमारी मानवता के अन्दर ले आता है।

दूसरा देव है शक्तिशाली इन्द्र। वह शुद्ध 'सत्' की शक्ति है, जो 'भागवत-मन' के रूप में स्वयं अभिव्यक्त है। जिस अग्नि एक ध्रुव है, ज्ञान से आविष्ट शक्ति का ध्रुव, जो अपनी धारा का ऊपर 'पृथिवी' से द्यौ की तरफ भजता है। वैसे ही 'इन्द्र' दूसरा ध्रुव है, शक्ति से आविष्ट प्रकाश का ध्रुव, जो 'द्यौ' से 'पृथिवी' पर उतरता है। वह हमारे इस जगत में एक पराक्रमी वीर योद्धा के रूप में अपने खमकीले घोड़ों के साथ उतरता है और अपनी बिद्युत् तथा 'वज्र' के द्वारा अधकार एवं विभाजन का विनाश करता है और जीवन दायक दिव्य जल की वर्षा करता है। 'सुनी (अतर्जान) की खोज के द्वारा क्षीयो या छिपी हुई ज्योतियों का दूध निकालता है। हमारी मनोमय सत्ता के सुलोक में सत्य के सूर्य की ऊँचा चढा देता है।

तीसरा देव है 'सूर्य-देवता', उस परम सत्य का स्वामी—सत्ता के सत्य, ज्ञान के सत्य, क्रिया और प्रक्रिया के सत्य, गति और व्यापार के सत्य का स्वामी। इसलिए सूर्य हम सभी वस्तुओं का स्रष्टा, बालक अभिव्यञ्जक और यह हमारी आत्मा का पिता, पोषक तथा प्रकाशदाता है। जिन ज्योतियों की हम चाहते हैं, व इसी सूर्य के 'गोमूत्र' है, गोएँ हैं। यह सूर्य हमारे पास दिव्य उपाधों के पथ से आता है और हमारे अन्दर रात्रि में छिपे पड जगत् को एक के बाद एक खोलता तथा प्रकाशित करता जाता है, जब तक कि यह हमारे लिए सर्वोच्च परम आनन्द का नहीं खोल देता।

इस आनन्द का प्रतिनिधिभूत देवता है 'सोम'। उसके आनन्द का रस (सुरा) छिपा हुआ है पृथिवी के प्ररोहों में, पौधा में और सत्ता के जल में। यहाँ हमारी भौतिक सत्ता तक में उसके अमरतादायक रस है और उन्हें निकालना है, उनका 'सवन' करना है और उन्हें सब देवताओं को हविरूप में प्रदान करना है, क्योंकि 'सोमरस' के बल से ही ये देव बढेंगे और विजयशाली होंगे (यद-रहस्य, द्वितीय संस्करण, उत्तराच, पृष्ठ-२० २१)।

ही जाते थे। राजा भरत के काल में दीर्घतमा नाम के ऋषि थे। कहते हैं कि उनसे पहले 'विवाह-संस्था' प्रायः नहीं थी। उन्होंने विवाह संस्था की स्थापना की। तबसे विवाह पवित्र और स्थायी सम्बन्ध माना जाने लगा। युवक युवती को अपना साथी चुनने की स्वतन्त्रता थी। विनोद के कार्यों और स्थानों में उन्हें 'अभ्ययन' (परस्पर मिलने) और 'अभिमानन' (मानने) के विशेष अवसर मिलते थे। राज पुत्रियों के स्वयंवर होते थे। विधवाएँ पुनः विवाह कर सकती थीं। स्त्रियाँ हर काम में पुरुषों का साथ देती थीं। वैदिक-ऋषियों में भी अनेक स्त्रियों की गणना होती थी। 'रोमशा',^१ 'लोपामद्रा',^२ 'विश्ववारा',^३ 'शश्वती',^४ 'अपाला',^५ 'यमी',^६ 'घोषा',^७ 'सूर्या',^८ "इन्द्राणी",^९ 'उर्वशी',^{१०} 'दक्षिणा',^{११} 'सरमा',^{१२} 'जूहू',^{१३} 'वाक्',^{१४} 'रात्रि',^{१५} 'गोषा',^{१६} 'श्रद्धा',^{१७} 'इन्द्रमातर',^{१८} 'यमी',^{१९} 'शची',^{२०} एवं 'सार्पराज्ञी',^{२१} आदि ब्रह्मवादिनी ऋषिकाया की यशोगाथा से सम्पूर्ण वैदिक-वाङ्मय देदीप्यमान है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्यों का वैदिक समाज ऐसे ताने बाने से बुना गया था, जिसमें जीवन रथ को स्फूर्ति एवं प्रेरणा देने वाले स्रोत, चाहे वे विद्या केन्द्र हो, चाहे यज्ञशालाएँ हो, चाहे तत्त्व साक्षात्कारी वाद सभाएँ हो, चाहे विनोदोत्सव के प्रसंग हो हमेशा नर-नारी को केन्द्र में रखकर गतिमान् रहे। ऋग्वेद के अध्ययन से प्रगट होता है कि वैदिक समाज के अनुसार नारी के बिना गृह की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। वैदिक पत्नी कठोर सयम एवं त्याग से आदर्शों का निर्वाह करती, शीलपूर्वक गृहकार्य करती तथा घर में ही रहा करती थी। वह सन्तति तथा पति की सेवा में ही अपनी चरितार्थता मानती थी। वस्तुतः वैदिक-कालीन नारी परिवार में प्रेयसी, रक्षिका, सम्बन्ध विस्तार का कारण तथा धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था के उत्कर्ष का आधार थी, क्योंकि इन सबकी समष्टि के भीतर वह समाज उत्कर्ष की कोटि को प्राप्त करता था, जिसके द्वारा आर्य लोग विद्या संस्था, विवाह-संस्था, यज्ञ संस्था, देव-पितृ संस्था तथा समाज संस्था को गति प्रदान करते थे।

वैदिक-काल में पुरुषों के समान स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर गृह से अभिन्नरूप में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। बुद्धिमती कन्या माता-पिता

१ ऋ० सं० १।१२६।७	२ वही-१।१७९।१,	३ वही-५।२८।१-६।
४ वही-८।१।३४,	५ वही-८।९।१।१,	६ वही-१०।१०।१।१।
७ वही-१०।३९।४०,	८ वही-१०।८५।१,	९ वही-१०।८६।१।
१० वही-१०।९५।२,	११ वही-१०।१०७।१,	१२ वही-१०।१०८।२।
१३ वही-१०।१०९।१,	१४ वही-१०।१२५।१,	१५ वही-१०।१२७।१।
१६ वही-१०।१३४।७,	१७ वही-१०।१४५।१,	१८ वही-१०।१५१।१।
१९ वही-१०।१५३।१,	२० वही-१०।१५४।१,	२१. वही-१०।१५९।१।

के लिये आदर्श कन्या मानी जाती थी। ऋग्वेद में 'घोषा'^१ एवं 'वध्रिमती'^२ को प्रभूत बुद्धिशालिनी कहा गया है। पुत्र के अभाव में विवाहित कन्याएँ भी अपने पिता के साथ रहा करती थी तथा उन्हें पुत्रोचित सभी अधिकार प्राप्त थे। पिता की अन्त्येष्टि-क्रिया भी वे कर सकती थी।

वैदिक कालीन कन्याओं का बालको को भौति ही उपनयन-संस्कार भी होता था। यजुर्वेद में कहा गया है कि कन्याओं का उपनयन संस्कार होता था, तथा वे सन्ध्योपासन की विधि भी पूरी करती थी^३। युवती कन्या का, जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, ऐसे वर के साथ विवाह किया जाता था, जो स्वयं ब्रह्मचारी हो। उस समय बाल-विवाह की प्रथा नहीं थी। अतः युवावस्था से पूर्व उन्हें विद्याध्ययन के लिये पर्याप्त समय मिलता था। कन्याएँ वेदाध्ययन करती, कविताएँ बनाती तथा वैदिक मन्त्रों की रचना करती थी। वैदिक-वाङ्मय में उनके मन्त्र भी सम्मिलित किये गये हैं। वे अपना तपस्या से ऋषियों का स्थान प्राप्त कर लेती थी। कन्याएँ विदुषी बनकर अध्यापिकाएँ तथा ऋषिकाएँ भी हुआ करती थी। ऋग्वेद से लडकियों के वीणा आदि वाद्य यन्त्रों के साथ गाने तथा नृत्य करने का ज्ञान प्राप्त होता है।

ऋग्वेद के अनेक सूक्तों का आविष्कार नारियो द्वारा भी हुआ है। ब्रह्मवादिनी 'घोषा' ने दशम-मण्डल के ३९वें एवं ४०वें सूक्तों का साक्षात्कार किया था। अपने पति अगस्त्य के साथ 'लोषामुद्रा' ने ऋग्वेद के प्रथम-मण्डल के १७९वें सूक्त का दर्शन किया^४। 'अपाला'^५ एवं 'रौमशा' के साथ सूर्य पुत्री 'सूर्या'^६ ने भी मन्त्रों की रचना की थी। इन्द्रदेव की पत्नी 'इन्द्राणी' ने ऋग्वेद के दशम-मण्डल के सूक्त की रचना की थी^७। इसी प्रकार ऋग्वेद के १५९वें सूक्त की ऋषिका पुलोमपुत्री 'शची' कही गयी है। इसके अतिरिक्त 'वागम्भृणी',^८ 'रात्रि',^९ 'भारद्वाजी',^{१०} 'श्रद्धा',^{११} 'कामायनी'^{१२} आदि वैदिक युग की मन्त्र द्रष्ट्री विदुषियाँ थी, जिन्होंने कन्याओं के बुद्धि वैभव के आदर्श को उच्चतम शिखर पर प्रतिष्ठित किया।

विवाहोपरान्त पत्नी पति के साथ धार्मिक-कृत्यों में भाग लेना ही अपना आदर्श नहीं मानती थी, अपितु वह स्वयं स्वतन्त्ररूप से धार्मिक कृत्यों को भी सम्पन्न करती थी। पत्निया कभी अपनी रूग्णावस्था दूर करने के लिये, कभी पुत्र-प्राप्ति के लिये, कभी पति एवं परिवार पर अपने शासन के लिये तपस्या, यज्ञ तथा देवस्तुतियाँ

- | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| १ ऋ० सं० १।११७।१९, | २ वही-१।११६।१३, | ३ यजुर्वेद-८।१। |
| ४ ऋग्वेद-१।१७९, | ५ वही-१०।९१, | ६ वही-१०।८५। |
| ७ वही-१०।१४५, | ८ वही-१०।१२५; | ९ वही-१०।१२७। |
| १० वही-१०।१५१, | ११ वही-१०।१६५, | १२ वही-१०।१६८। |

किया करती थी। उदाहरणस्वरूप 'घोषा' ने अपने रोग की निवृत्ति के लिये,^१ 'वधिमती' ने पुत्र प्राप्ति के लिये,^२ 'शची पौलीमी' ने सपत्नियों को पराभूत एव पति को वश में करने के लिये यज्ञानुष्ठान किये थे^३।

उन दिनों आर्य लोग आर्मावर्त में अपने अधिकारों का विस्तार कर रहे थे। पुरुष प्रायः युद्ध-कार्यों में व्यस्त रहा करते थे। इसलिये स्त्रियाँ पारिवारिक एव सामाजिक जीवन में बहुत क्रियाशील रहा करती थीं। वे कृषि एव पशुपालन का कार्य भी किया करती थीं। वस्त्र बुनती और दैनिक आवश्यकता की वस्तुएँ बनाती थीं। वे धनुष बाण आदि अस्त्र शस्त्र भी बनाती थीं। स्त्रियाँ सोने-चाँदी के आभूषण धारण करती थीं। उन दिनों पदों की प्रथा नहीं थी। स्त्रियों को सार्वजनिक समारोहों से अलग नहीं रखा जाता था। स्त्रियों के प्रति समाज का दृष्टिकोण उदार एवं स्नेहपूर्ण था। ऋग्वेद में स्त्रियों के प्रति आशंसा एव सद्भावना पायी जाती है^४। ऋग्वेद का ऋषि अग्नि देवता और उषा-देवी की तुलना गृहपत्नी से करता है, जो गृह के लोगों की सुख-शान्ति का उत्तरदायित्व निभाती है^५।

आर्यों में युवकों युवतियों का मिलना जुलना जैसा स्वस्थ और खुला होता था, वैसा ही उनका विवाह का आदर्श उज्ज्वल और ऊँचा था। वेद में 'सूर्या' के विवाह का वर्णन अत्यन्त मनोरञ्जक और हृदयग्राही है^६। विवाह एक पवित्र और स्याधो सम्बन्ध माना जाता था, पर वह आज कल के हिन्दू विवाह की तरह जड़, अन्धा और निर्जीव गंठजोड़ न था। विधवाएँ देर तक विधवा नहीं रहती थीं। उन्हें फिर से अपना प्रेमी खोजने और विवाह करने 'पुनर्म्नू' होने में कोई रुकावट न थी। प्रायः वे अपने देवर से भी विवाह कर लेती थीं^७। दहेज की प्रथा भी थी^८ और झुल्क लेकर लडकी देने की भी^९।

प्रस्तुत अनुसन्धान-कार्य "वैदिक महिलाओं में नारी" आर्य-नारी की पूर्व वर्णित यशोगाथाओं से ओत प्रोत है। इस प्रबन्ध को आठ अध्यायों में बाँटा गया है। सभी अध्यायों के प्रतिपाद्य विषय सभी अध्यायों के विषयों से अन्योन्याश्रित होकर ओत-प्रोत हैं। इसीलिये प्रारम्भ में ही निवेदन किया जा चुका है कि इस अनुसन्धान-प्रबन्ध का शीर्षक तथा इसकी भूमिका एक-दूसरे का स्थान ले सकते हैं। विद्वज्जन स्वयं देखेंगे कि इस प्रबन्ध के प्रथम-अध्याय में वैदिक-वाङ्मय की शाखा-प्रशाखाओं का रेखाङ्कन किया गया है। द्वितीय-अध्याय में नारा-वाचक शब्दों की व्युत्पत्तियाँ तथा उनके अर्थों के आरोह-अवरोहों को दर्शाया गया है। तृतीय-अध्याय का प्रतिपाद्य

१ ऋग्वेद—१।११७।७,

२ वही—१।११६।१३,

३ वही—८।१५९।१।

४ अ० वे० २।३०।१,

५ ऋग्वेद—१।६६।३,

६ अ० वे० १।१४।१।

७ ऋ० वे० १०।४०।२,

८ अ० वे० १४।१।६,

९ निरुक्त—३।४।

विषय षोडश सस्कारो की विवेचना और उनके केन्द्र में नारी का घुरी होना निरूपित है। चतुर्थ अध्याय आर्य-नारियो की शिक्षा और उसके द्वारा उनके ऋषित्व-प्राप्ति के विस्तार का दिग्दर्शन कराता है। पचम-अध्याय आर्य-नारियो द्वारा साक्षात् किये गये मन्त्रो एव तद्युगोन समाज-व्यवस्थाओ की ओर इंगित करता है। षष्ठ-अध्याय नारियो के अधिकारो एव उनके प्रति सामाजिक अनुशंसाओ की ओर उँगली उठाता है। सप्तम अध्याय में नारी के शैक्षिक, सामाजिक, पारिवारिक एव सांस्कृतिक भवदानो की विवेचना हुई है। अष्टम-अध्याय नारियो के उत्सव से प्राप्त सम्बन्धगत समादर को प्रतिबिम्बित करता है।

पाठकवृन्द से विनम्र निवेदन है कि यह प्रबन्ध मुख्यरूप से वैदिक वाङ्मय को केन्द्र में रखकर लिखा गया है, अतः समुद्रोपम श्रुति-वाङ्मय से कितने मौक्तिक पकड़ में आ सके हैं, इसका निर्णय मैं कृपालु पाठको पर ही छोड़ती हुई विराम लेती हूँ। मुख्यरूप से यहाँ ज्ञाताज्ञात ऋषियो, महर्षियो, मुनियो, तत्त्व चिन्तको, विद्वानो के प्रति सप्रणति आभार मानती हूँ, जिनके चिन्तन के बीज अनादिकाल से आर्यावर्त्त को ओजस्वी बनाये हुए हैं। इस ग्रन्थ में मुद्रण-जन्य, प्रमाद-जन्य एव असामर्थ्य-जन्य जो भी त्रुटियाँ रह गयी हैं, उनके लिये विद्वज्जन से विनम्रतापूर्वक क्षमा-प्रार्थना के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं।

वाराणसी
वसन्त पञ्चमी,
वि० सं० २०४७
(१२।२।१९९१)

विद्वज्जन कृपाभिलाषिणी
मालती शर्मा

कृतज्ञता-प्रकाश

इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजैभ्यः पूर्वैभ्यः पयिकृद्भ्यः ॥ (ऋक् संहिता-१०।१४।१५)

वैदिक वाङ्मय, विशेष रूप से वैदिक-संहिताओं के अध्ययन की ओर मेरी प्रवृत्ति बाल्यावस्था से ही रही है। वैदिक-संहिता के प्रति मेरी इस स्वाभाविक अभिरुचि को सदा तीव्र बनाये रखने में परमपूज्य मेरे तातपाद पण्डितप्रवर श्रीविश्वनाथ भारद्वाज वानप्रस्थी तथा पितृकल्प तन्त्रसम्पाद पण्डित अक्षयधर पाण्डेय महाराज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पतिपरायणता में “श्रुतेरिवाथं स्मृतिरन्व-गच्छत्” की उक्ति को चरितार्थ करने वाली परमसाध्वी मेरी माता विमला देवी मुझे बाल्यकाल में ही छोड़कर सदा-सर्वदा के लिए चली गयी, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि जाने से पूर्व उन्होंने अपना मातृहृदय मेरे पूज्य पिता जी को अर्पित कर दिया था। अपनी घुन के पक्के मेरे पिता ने मुझे संस्कृत पढ़ने हेतु पाँच वर्ष की अवस्था में साङ्गवेद विद्यालय, रामघाट, वाराणसी में भर्ती करा दिया। अपनी छः बहनों में सबसे छोटी होने के कारण मैं अपनी बड़ी बहनों से प्यार एवं प्रोत्साहन पाती रही और विशेषरूप से अपनी सबसे बड़ी बहन विद्यारूपा विद्या देवी की प्रेरणा से धीरे-धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगी। मेरे पूज्यपाद पिता की दृढ-प्रतिज्ञा थी कि वे मेरा विवाह किसी संस्कृतज्ञ से ही करेंगे। मेरे पूर्वजन्म के पुण्य एवं मेरे माता-पिता के संस्कारों के कारण मेरा विवाह डॉ० रामरङ्ग शर्मा, एम० ए०, पी-एच०डी० वर्तमान संस्कृत-विभागाध्यक्ष, दयानन्द महाविद्यालय, वाराणसी के साथ २७ नवम्बर १९६४ ई० को सम्पन्न हुआ।

मैंने १९७६ ई० में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से एम० ए० (संस्कृत, वैदिक-ग्रुप) की उपाधि प्राप्त की। परोक्षाफल ज्ञात होते ही मेरे हृदय में “वैदिक-संहिताओं में नारी” इस विषय पर शोधकार्य करने की भावना बलवती हो उठी। विषय की गुरुता तथा कार्य की दुःसाध्यता का भान मुझे उस समय होने लगा, जब मैं प्रस्तुत विषय पर अनुसन्धान हेतु किसी ऐसे विद्वान् की खोज करने लगी, जो पौरस्त्य एवं पाश्चात्य, दोनों की अभिनव-शोधप्रणाली में दक्ष हो। मेरे सौभाग्य से मेरे पतिदेव के भो गुरु डॉ० चौरेंद्र वर्मा, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्कृत-पालि-विभाग में प्रोफेसर तथा अध्यक्ष नियुक्त हो गये। डॉ० वर्मा का नाम सुनते ही मेरे पतिदेव ने कहा—“अद्वैतवादिनीं सिद्धिं विगणयात्मनः”। आशा एवं विश्वास का सम्बल लिये मैंने डॉ० साहब से प्रार्थना की कि अपनी शिष्य-परम्परा का यह प्रसाद आप मुझे भी दें। मेरी प्रार्थना पर अपने व्यस्त कार्यक्रमों के होते हुए

भी मेरे शोध-निर्देशन की अनुमति श्रद्धेय गुरुदेव ने दे दी। इस वास्तव्यपूर्ण उदारता ने मेरे हृदय में आशा का संचार किया, जिसके लिये मैं परमपिता परमात्मा की सदा कृतज्ञ रहूँगा। उसी सहृदयता का ही फल है कि आज मैं यह शोध-प्रबन्ध भारत के मूर्धन्य विद्वान् शिक्षा जगत् के विख्यात मनीषी आचार्यप्रवर डॉ० वीरेन्द्र वर्मा के मार्गनिर्देशन में प्रस्तुत करने में सफल हो सका हूँ। इस अवसर पर मैं वेद-वेदाङ्गों के मूर्धन्य विद्वान् याज्ञिक-सम्राट्, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के भूतपूर्व वेद-विभागाध्यक्ष स्वर्गीय पण्डित गोपालचन्द्र मिश्र की अतीव कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने इस शोध प्रबन्ध की रूपरेखा प्रस्तुत करने में मेरा सहयोग किया।

नारी की आध्यात्मिक अन्तश्चेतना को जागृत कर उसे आधुनिक समाज के परिवेश में समुपस्थित करना ही मेरे इस अनुसन्धान-प्रयास की नवीन उपलब्धि है। इस शोध-प्रबन्ध को प्रस्तुत करने में मुझे ख्यातिलब्ध विद्वानों तथा उनकी कृतियों से बहुमूल्य सहयोग मिला है, एतदर्थ मैं उनके प्रति विनम्र-भाव से अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ।

मैं ग्रन्थ की पाण्डुलिपि को पूरी तत्परता से टिङ्कित करने वाले पुत्रकल्प चि० विनोद कुमार त्रिपाठी की भी आभारी हूँ, जिन्होंने अपेक्षित अवधि में ही अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किया है। इसी प्रसङ्ग में मैं अपने पुत्र (ज्ञानप्रकाश, आनन्द-प्रकाश, वेदप्रकाश) और पुत्री (गीता, साधना, सुधा) की भी कृतज्ञ हूँ। विशेष रूप से, ज्येष्ठ-पुत्री श्रीमती गीता शर्मा, एम० ए० (संस्कृत) बी० ए० की सराहना करना चाहती हूँ, जिसने मुझे गार्हस्थ्य-सम्बन्धी विन्ताओं में मुक्त रखा। उसी का सुफल है कि आज मेरी 'गीता' हरिद्वार में 'विद्यार्थी' के करकमलों में सुरक्षित है।

माँ सरस्वती के बरदपुत्र, हिन्दी की भारत-माँ के भाल की सौभाग्य-बिन्दी एव सुर-भारती को अपना सर्वस्व स्वोकार करने वाले, ललित निबन्धकारों के ललाम-भूत, परम श्रद्धेय, निर्भीक लेखक तथा वक्ता, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति माननीय डॉ० विद्यानिवास मिश्र की मैं आभारी हूँ, जिन्होंने अपने अत्यन्त व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकालकर इस शोध-प्रबन्ध पर अपनी शुभाशंसा लिखकर मेरा गौरव बढ़ाया है।

मैं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्वकुलपति मनीषिप्रवर प्रो० वि० बेंकटाचलम् जी के उपकार को किन शब्दों में स्मरण करूँ? जिन्होंने इस अनुसन्धान-प्रबन्ध के प्रकाशन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की। एतदर्थ मैं उनके प्रति सप्रणति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के सतत-प्रयत्नशील प्रकाशनाधिकारी, कर्मठ विद्वान् डॉ० हरिश्चन्द्रमणि त्रिपाठी की सहृदयता के प्रति मैं आभार किन

शब्दों में व्यक्त करूँ, यह मेरी पहुँच के बाहर की वस्तु है, क्योंकि उन्होंने अपने सहयोगियों श्रीहरिवंश कुमार पाण्डेय तथा श्रीकन्हई सिंह कुशवाहा के साथ इस शोध-ग्रन्थ को अलङ्कृत करने में अपना बहुमूल्य समय दिया है।

सुविख्यात मुद्रक तारा प्रिन्टिंग प्रेस, वाराणसी के व्यवस्थापक श्रीरमाशङ्कर पण्ड्या जी की भी मैं कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने बड़ी लगन एवं तत्परता के साथ इस ग्रन्थ का मुद्रण सम्पन्न किया।

अन्त में मैं सुयोग्य विद्वान् पाठकों से निवेदन करती हूँ कि वे मेरी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष होने वाली भूलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर मेरा उस ओर ध्यान आकृष्ट करें, जिससे भूल-सुधार का मार्ग प्रशस्त हो सके, क्योंकि भूल होना अस्वाभाविक नहीं है—

गच्छत स्तलनं ववापि भवत्येव प्रमादत ।

हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जना ॥

वाराणसी
विजय दशमी
वि० सं० २०४७
(२९।९।१९९०)

}

सुलती शर्मा

समर्पण



कीर्तियंस्य स जीवति

जीवन-पर्यन्त शिक्षा एव समाज-सेवा के
प्रति समर्पित स्व० शिवप्रवेश चौबे
की पुण्य-स्मृति को यह कृति
सादर समर्पित

जन्म—१०-५-१९४०

मौलोकवास—२५-१-१९८७

विषयानुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ-संख्या
भूमिका	१-८
कृतशता-प्रकाश	क-ग
प्रथम अध्याय— मुख्य-विषय का उपक्रम	१-३१
(अ) वेद-शब्द की उत्पत्ति एवं व्युत्पत्ति	१
(आ) वैदिक-शाखा-विस्तार	३
(क) ऋग्वेदीय शाखाएँ	४
(ख) यजुर्वेदीय शाखाएँ	५
(ग) सामवेदीय शाखाएँ	५
(घ) अथर्ववेदीय शाखाएँ	६
(इ) शाखा-वाङ्मय में सहिता-ग्रन्थों का महत्त्व	६
उपलब्ध वैदिक-शाखाओं का परिचय	८
सहिता-ग्रन्थों की प्राचीनता तथा रचनाकाल	१५
सहिताओं में पुरुष और नारी	२२
नारी के सहज प्राकृतिक गुण	२६
समाज की नारी की देन	२६-३१
द्वितीय अध्याय— नारी के विविध रूप	३२-६०
शब्दार्थ-सम्बन्ध	३२
नारी-सम्बन्धी कतिपय शब्दों की उत्पत्ति	३३
नारी-नारि-विभेदकारण	३४
नारी-शब्द की प्रवृत्ति-अवस्था	४०
नारी के विविध रूप	४०
(क) कन्या	४०
(ख) वधू	४४
(ग) माता	४६
(घ) सती	५५
नारी-सम्बन्धवाची अन्य शब्द	५५
परिशीलन	५९-६०

तृतीय अध्याय—	षोडश संस्कार और नारी	६१-१११
	संस्कार-शब्द का प्रादुर्भाव	६१
	संस्कार-शब्द का द्विभिन्नार्थों में प्रयोग	६२
	संस्कार भेद और उनकी सख्या	६३
	षोडश संस्कार—	६४
	(१) गर्भाधान	६५
	(२) पुसवन	६८
	(३) मीमन्तोन्नयन	७०
	(४) जातकर्म	७४
	(५) नामकरण	७७
	(६) निष्क्रमण	७९
	(७) अन्नप्राशन	८०
	(८) चूडाकर्म	८२
	(९) कर्णवेध	८३
	(१०) उपनयन	८४
	(११) वेदारम्भ	८९
	(१२) समावर्तन	९१
	(१३) विवाह	९३
	(१४) वानप्रस्थ	१०४
	(१५) सन्यास	१०६
	(१६) अन्त्येष्टि	१०७
	परिशीलन	११०-१११
चतुर्थ अध्याय—	नारी एवं मन्त्र-दर्शन	११२-१५२
	मन्त्रद्वयी नारियाँ	११३
	(१) अदिति	११५
	(२) अपाला	१२२
	(३) घोषा	१२४
	(४) जुहू	१२८
	(५) दक्षिणा	१३०
	(६) रोमशा	१३२
	(७) लोपामुद्रा	१३३
	(८) वागाम्भृणी	१३६
	(९) विश्ववारा	१३७
	(१०) द्यौश्चक्षु	१३८

(११) सूर्या	१३९
(१२) इन्द्राणी	१४१
(१३) इन्द्रमातरः	१४२
(१४) इन्द्रस्तुपा	१४२
(१५) रात्रि	१४२
(१६) गोधा	१४३
(१७) यमी	१४३
(१८) यमी वैवस्वती	१४३
(१९) शची	१४४
(२०) श्रद्धा	१४४
(२१) सार्वराज्ञी	१४५
(२२) सिकता	१४५

कतिपय वैदिक-संवादसूक्त— १४५

(क) उर्वशी-भुस्वरवा-संवाद १४५

(ख) यम-यमी सवाद १४६

(ग) सरमा-पणि-सवाद १४६

परवर्ती नारियो पर प्रभाव १४९-१५२

पंचम अध्याय— नारी-दृष्ट मन्त्र एव व्यवस्थाएँ १५३-१८४

सहिताओ का सन्देश १५३

सामाजिक-व्यवस्था १५५

राजनैतिक-व्यवस्था १६८

धार्मिक-व्यवस्था १७४

आर्थिक-व्यवस्था १७८

सांस्कृतिक-व्यवस्था १८१-१८४

षष्ठ अध्याय— नारी-अधिकार एवं शुभ-कामनाएँ १८५-२१०

यज्ञ १८५

प्रशासन १९०

अन्य अधिकार १९५

नारी के प्रति शुभ-कामनाएँ १९६

दाम्पत्य-दिव्यजीवन २०२

गार्हस्थ्य-जीवन को पृष्ठभूमि २०४

परिशोद्धन २०९-२१०

सप्तम अध्याय—	संहिताओ मे नारी के कर्तव्य	२११-२३९
	माता एवं उसके कर्तव्य	२११
	पृथिवी का मातृत्व	२१२
	गौ का मातृत्व	२१३
	अदिति का मातृत्व	२१४
	उषा का मातृत्व	२१६
	रात्रि का मातृत्व	२१७
	कन्या एवं उसके कर्तव्य	२१८
	पत्नी एवं उसके कर्तव्य	२२०
	विधवा और उनके कर्तव्य	२२८
	ब्रह्मवादिनी के कर्तव्य	२२९
	दासी (उपपत्नी)	२३२
	साधारणी (गणिका)	२३३
	नारी-कृत्यापरिहार	२३४
	परिशीलन	२३५-२३९
अष्टम अध्याय—	नारी का सम्बन्धगत समादर	२४०-२५५
	नारी और परिवार	२४०
	समीक्षण	२४१
	समञ्जन	२४१
	वर की वैवाहिक-प्रतिज्ञाएँ	२४१
	पति-द्वारा आदर	२४२
	नारी का साम्राज्यत्व	२४३
	सात मर्यादाएँ	२४५
	नारी अनादर का परिणाम	२४५
	पुत्र द्वारा समादर	२५०
	पिता-द्वारा आदर	२५२
	सामाजिक-समादर	२५३
	परिशीलन	२५४-२५५
	उपसंहार	२५६-२५८
	संहिता स्तवन	२५९
	सहायक-ग्रन्थ-सूची	२६०-२६२

वैदिक-संहिताओं में नारी

प्रथम अध्याय

मुख्य-विषय का उपक्रम—

विश्व के प्राचीनतम वाङ्मय में वेदों का स्थान नि सन्देह महत्त्वपूर्ण है। हमारी सम्पूर्ण सस्कृति, सभ्यता और सस्कारों के स्रोत वेद ही है। भारतीय साहित्यिक क्षितिज के ये ऐसे उन्मेष हैं, जिनमें समस्त ज्ञान का भण्डार भासित होता है और निखिल विद्याओं के मूलभूत सिद्धान्तों का साक्षात्कार। तप पूत विश्ववन्द्य महर्षियों की इस पुण्य-भारतभूमि ने भारतीय-सस्कृति के रूप में मानव-सस्कृति का जो अमर सन्देश दिया, उसके असीम सौरभ ने नि सन्देह विश्व के कण-कण को सुरभित किया है। यद्यपि कालचक्र के अव्याहत प्रभाव ने मानव-जाति की सांस्कृतिक परम्पराओं को भौतिक जगत् के परिवर्तन की विविधतापूर्ण रेखाओं में भर दिया है, तथापि भारतीय-चिन्तन के मूल-तत्त्व महाकाल के वक्ष स्थल पर आज भी अमरता के अमिट निशान बनाये हुए हैं। वेदों के रूप में गूँजने वाली ऋषियों की वाणी का मञ्जुलमय स्वर चाहे इस धरती के साधारण-जनो के लिये बोधगम्य न हो, परन्तु वैदिक-सस्कृति के सस्कारों ने उन पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। यही कारण है कि भारतीय जन-जीवन अतीत से भविष्य तक, स्थूत्र से सूक्ष्म तक एव अनादि से अनन्त तक दृष्टि रखकर ही अपनी व्यवस्था में प्रवृत्त होता है। फलतः वैदिक उदात्त भद्र भावनाओं के भरोसे भोला भूलोकवासी अपने उज्ज्वल सदाचार से स्वर्ग को धरती से इस प्रकार जोड़ लेता है, कि उसे अनायास ही देवत्व की प्राप्ति सम्भव हो जाती है।

(अ) वेद-शब्द की उत्पत्ति एवं व्युत्पत्ति—

आनन्दवन्द-सच्चिदानन्द विभु ने अपने सदश से कर्मकाण्ड, चिदश से ज्ञान-काण्ड एव आनन्दाश से उपसनाकाण्ड के रूप में वेदत्रयी ऋक् (पद्यात्मक), यजुः (गद्यात्मक) तथा साम (गीतात्मक) को अभिव्यक्त किया। वेदत्रयी से तात्पर्य है कि वेदमन्त्रों के तीन प्रकार थे—पद्य, गद्य तथा गीति। अथर्ववेद के मन्त्रों का अन्तर्भाव इन्हीं तीन प्रकारों में ही हो जाता है। इस प्रकार “वेदत्रयी” एवं “वेद-चतुष्टय” में कोई भेद नहीं, केवल विषय-भेद प्रतीत होता है। कुछ भारतीय एव पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि वेदत्रयी का सम्बन्ध श्रौतयज्ञों से है और अथर्ववेद का सम्बन्ध श्रौतयज्ञों से नहीं है। ऐसा लगता है कि उपर्युक्त तीन वैदिक-संहिताओं के पश्चात्

ही अथर्वसंहिता का प्रचार प्रसार हुआ हो। इस सम्बन्ध में आगे सहिताओं के महत्त्व प्रतिपादन के समय विस्तार से वर्णन किया गया है।

“वेद” शब्द की व्यापकता के कारण विद्वानों ने इसकी व्युत्पत्ति के विविध प्रकारों पर प्रकाश डाला है। प्राचीन ग्रन्थों में प्रयुक्त “वेद” शब्द अपने आद्युदात्त एव अन्तोदात्त स्वराङ्कन के कारण भो व्युत्पत्ति-भेद का कारण है। आद्युदात्त “वेद” शब्द ऋग्वेदसंहिता में प्रथमा विभक्ति के एकवचन में पन्द्रह बार प्रयुक्त हुआ है और तृतीया विभक्ति के एकवचन में एक बार। ऋग्वेद में अन्तोदात्त “वेद” शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ। यजुसंहिता एव अथर्व-संहिता में “वेद” शब्द अन्तोदात्त मिलता है। “वेद” शब्द के इसी स्वर भेद के कारण महर्षि पाणिनि ने उञ्छादि (६।१।१६०) तथा वृषादि (६।१।२०३) गणों में पृथक्-पृथक् रूप में पाठ किया है। करण-कारक में घञ् प्रत्यय करने पर घञन्त “वेद” शब्द अन्तोदात्त होगा और भाव या अधिकरण में प्रत्यय होने पर आद्युदात्त होगा। स्वराङ्कन के आधार पर ही वैदिक मन्त्रों का अर्थ कराने हेतु ही सम्भवतः निरुक्तकार महर्षि यास्क ने अपनी रचना (निरुक्त १।१८) में अर्थ-बोध पर बल देते हुए कहा—वेद को पढ़कर उसके अर्थ को न जानने वाला स्थाणु के समान है। विना अर्थ बोध के पढ़ा गया मन्त्र उसी तरह फलहीन है, जिस प्रकार अग्नि-संयोग के विना सूखा इन्धन। अथज्ञान के विना वेद-मन्त्रों का केवल पाठ-मात्र करने वालों के सम्बन्ध (ऋक्संहिता १०।७।१।५) में कहा गया है—फलरूपी अर्थ के विना वेद-मन्त्र-रूपी वाणी को पढ़ने वाले की तुलना दूध न देने वाले कृत्रिम गौ की सेवा करने वाले के साथ की गयी है।

पवित्र ज्ञान, पवित्र विद्या के स्रोतक “वेद” शब्द की व्युत्पत्ति “विद्” जानना, “विद्”-होना, “विद्”-प्राप्त करना, “विद्”-मनन करना धातुओं से प्रदर्शित की गयी है। “वेद” शब्द के अनेक पर्याय हैं, जिनमें प्रमुख हैं—श्रुति, वेद, छन्दस्, ब्रह्म, निगमागम, आम्नाय मन्त्र। “श्रूयते इति श्रुतिः”, “इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहार-योरलौकिकमुपाय यो ग्रन्थो वेदपति स वेद. (तैत्तिरीयसंहिता-भाष्य भूमिका)। “मननात् मन्त्रा”।

आगतं पञ्चवक्त्रात् गतं च गिरिजानने।

मतं च वामुदेवस्य तस्मादागममुच्यते ॥ इत्यादि।

“वेद” शब्द विद्, विद्, धातुओं के करण व अधिकरण-कारकों में घञ् प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है। “वेद” शब्द वैदिक वाङ्मय में सर्वाधिक लोकप्रिय होने के कारण प्रयुक्त हुआ है। काठक, मैत्रायणीय और तैत्तिरीय-संहिताओं में “वेद”

शब्द की व्युत्पत्ति बताई गयी है। (ते० म० १।४।२०), (तैत्तिरीय-ब्राह्मण ३।३।१।६९)। आनन्दतीर्थ ने अपने विष्णुतत्त्वनिर्णय मे "वेद" शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध मे कहा है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'सुश्रुत' के सूत्रस्थान (१।१४) मे वेद शब्द के बारे मे कहा गया है। आचार्य भरत के नाट्यशास्त्र (१।१) की व्याख्या करते हुए अभिनव-गुप्त ने 'अभिनवभारती' मे वेद शब्द के सम्बन्ध मे लिखा है। अमरकोष (१।५।३) की टीका मे क्षीरस्वामी ने लिखा है। "वेद" की उत्पत्ति के बारे मे और जैनाचार्य हेमचन्द्र ने 'अभिधान चिन्तामणि' (पृ० १०६) मे "वेद" शब्द की व्युत्पत्ति की है। महर्षि स्वामी-दयानन्द-सरस्वती ने भी ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका मे लिखा है।

(आ) वैदिक-शाखा-विस्तार—

वेद और वैदिक साहित्य दो विभिन्न अर्थों के द्योतक है, क्योंकि वेद शब्द जहाँ केवल चार मन्त्र-सहिताओ का ज्ञान कराता है, वही वैदिक शब्द सम्पूर्ण वैदिक-ब्राह्मण का, जिसके अन्तर्गत सहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्, एव च वेदाङ्ग आते हैं। यहाँ एक जिज्ञासा का होना स्वाभाविक है कि ये शाखाएँ क्या है? क्या वैदिक-सहिताओ का समुदाय वेदों का अवयव है या वेदों का व्याख्यान? यदि शाखाओ को वेदों का अवयव माना जाये तो उनसे सम्बन्धित सूनादि ग्रन्थ भी वेद मानने होंगे, जो कि मिद्वान्तत वैदिक-विचारधारा के विपरीत है। बृहज्जाबालोप-निषद् के आठवें ब्राह्मण के पाँचवें काण्ड मे वर्णित विषय से प्रतीत होता है कि वेद और उसकी शाखाएँ पृथक् है। विश्वरूप बालक्रीडा (१।७) मे भी स्पष्ट संकेत है कि वैदिक शाखाओ मे भी अन्तर है। द्वितीय मत कि शाखाएँ वेदों का व्याख्यान है, यह युक्तिसंगत प्रतीत होता है। इस विचार की पुष्टि मे वायुपु० (अध्याय ६१) मे भी कहा गया है। पाणिनीय सूत्र "तेन प्रोक्तम्" (४।३।१०१) पर टीका करते हुए महा-भाष्यकार महर्षि पतञ्जलि ने एव जिनेन्द्रबुद्धि ने भी वेद और शाखाओ का अन्तर स्पष्ट किया है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने माध्यन्दिन शतपथ (१।४।३।३५) मे दोनों के अन्तर को स्पष्ट किया है।

वैदिक-सहिताओ को अक्षुण्ण बनाये रखने की दृष्टि से महर्षि वेदव्यास ने अपने पुत्र-सहित चार शिष्यों को इन्हे पढाया। इन शिष्यों का नाम था—पैल, वैशम्पायन, जैमिनि और सुमन्तु। जिन्हें सूत्राचार्य, भाष्याचार्य, भारताचार्य एवं महाभारताचार्य के नाम से भी जाना जाता है। क्रमश पैल को विशेषरूप से ऋग्वेद, वैशम्पायन को यजुर्वेद, जैमिनि को सामवेद और सुमन्तु मुनि को अथर्ववेद पढाया। भगवान् वेदव्यास की इस शिष्य मण्डली ने गुरुमुख से अधीत सहिताओ का पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया। फलतः सहिता-स्मरिता अपने अनेक स्मृतो के रूप मे

प्रवाहित हो उठी एव वेद-कल्पतरु अपनी विभिन्न शाखा-प्रशाखाओ के साथ फैल गया। शाखा शब्द के साथ "चरण" शब्द का भी प्रयोग होता है। कुछ लोग "शाखा" और "चरण" शब्द मे अन्तर मानते है, (किन्तु आजकल दोनो का प्रयोग समानार्थक हो गया है)। वैदिक शाखाओ का विस्तार बव हुआ, इस पर विस्तृत प्रकाश पुराणो तथा चरणव्यूह मे डाला गया है। विशेषरूप से महाभारत के आदिपर्व (९९।१४-१२) मे शाखा-विस्तार के काल का संकेत मिलता है। पाश्चात्य विद्वान् कीथ, मैकडानल आदि व्यास को ऐतिहासिक व्यक्ति ही नहीं मानते। अत इस विषय मे, या तो वे मौन है, नहीं तो जो कुछ कहा भी है, वह हमारी भारतीय मान्यताओ के विरुद्ध है। वैदिक शाखाओ को इस प्रकार समझा जा सकता है—

(क) ऋग्वेदीय शाखाएँ—

प्राचीन युग मे वैदिक विचारधारा की अत्यधिक मान्यता का ही परिणाम था कि शाखाओ की संख्या मे वृद्धि होती गई। महामुनि शौनक ने अपने चरणव्यूह मे ऋग्वेद की पाँच, यजुर्वेद की छियासी, सामवेद की एक हजार एवं अथर्ववेद की नौ शाखाओ का प्रतिपादन किया है। दूसरी ओर महाभाष्यकार भगवान् पतञ्जलि ने महाभाष्य मे ऋग्वेद की २१, यजुर्वेद की १०१, सामवेद की १००० और अथर्ववेद की ९ शाखाओ का वर्णन किया है। इस प्रकार पूर्वोक्त ११३१ शाखाओ मे से अब कुछ ही शाखाएँ अवशिष्ट रह गयी हैं, शेष अध्ययन-अध्यापन के अभाव मे विस्मृति के गर्भ मे समा गयी है—ऐसा प्रतीत होता है।

ऋग्वेदीय २१ शाखाओ को मुख्यतया इन पाँच भागो मे विभक्त किया गया है—(१) शाकला, (२) वाष्कला, (३) आश्वलायना, (४) शाख्यायना, (५) माण्डूकेया। इसके अनन्तर शाकल-वाष्कल आदि इन पाँच भागो के भी उप-विभाग हैं, जिनका वर्णन शिष्य-परम्परा के अनुसार इस प्रकार है—(१) शाकल शाखा के पाँच भेद—१-मुद्गल, २-गालव, ३-शालीय, ४-वात्स्य, ५-शैशिर। (२) वाष्कल-शाखा के चार भेद—१-घौघ्य, २-अग्निमाठर, ३-पराशर, ४-जातू-कर्ण्य। (३) आश्वलायन-शाखा, (४) शाख्यायन शाखा के चार भेद—१-शाख्यायन, २-कौपीती, ३-महाकौपीतिक, ४-शाम्बव्य। (५) माण्डूक्य-शाखा के दस भेद—१-ब्रह्मवृक्ष, २-पेङ्ग्य, ३-उद्दालक, ४-शतेब्राल, ५-गज, ६-वाष्कलि, ७-ऐतरेय, ८-वासिष्ठ, ९-सुलभ, १०-शौनक। ऋग्वेदीय शाखाओ मे एक-मात्र शैशिरीय शाखा ही इस समय उपलब्ध है। इस शाखा को शाकल्य भी मानते हैं। इस पर सायणाचार्य का भाष्य भी है। शाकल्य-महिता मे पदो की संख्या १५३८२६ है।

आथर्वण परिशिष्ट चरणव्यूह में ऋग्वेद की सात शाखाओं का वर्णन है। स्कन्दपुराण में २४ शाखाओं का प्रतिपादन है। पाश्चात्य विद्वान् मैक्समूलर ने इन वैदिक शाखाओं के बारे में विचार व्यक्त करते हुए स्पष्ट कहा है, कि कुछ शाखाओं को हमने खो दिया है। शैशिरीय शाखा को मान्यता देने हुए मैक्समूलर ने कहा है।

(ब) यजुर्वेदीय शाखाएँ—

वेदों के गद्य भाग को यजुप कहा गया है। जिस प्रकार सामवेद में “उद्गाता” की प्रधानता है, उसी प्रकार यजुर्वेद में ‘अध्वर्यु’ का प्राधान्य है। यही कारण है कि महर्षि पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य में “एकशतमध्वर्युशाखा” का प्रतिपादन कर यजुर्वेद की १०१ शाखाओं की गणना की है। ये शाखाएँ यजुर्वेद के दो भागों— (शुक्ल और कृष्णयजु) में विभक्त हैं। इन शाखाओं में ८६ शाखाएँ कृष्णयजुर्वेद की हैं और शेष १५ शाखाएँ शुक्लयजुर्वेद की मानी गयी हैं। चरणव्यूह के अनुसार यजुर्वेद को कुल ८६ ही शाखाएँ हैं। शाखाओं से तात्पर्य वेद के किसी भाग-विशेष से नहीं है, अपितु उनके पाठ भेद से है। कृष्णयजुर्वेद की चार शाखाएँ उपलब्ध हैं— (१) कठशाखा, (२) कठकापिष्ठल शाखा, (३) मैत्रायणी शाखा, (४) तैत्तिरीय शाखा। शुक्लयजुर्वेद की दो शाखाएँ प्राप्त हैं—(१) काण्वशाखा और (२) माध्यन्दिनीय। काण्व शाखा का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में एवं माध्यन्दिनीय शाखा का सर्वाधिक प्रचार उत्तर भारत में है। काण्व शाखा में ४० अध्याय, ३२८ अनुवाक एवं २०८६ मन्त्र हैं। माध्यन्दिनीय शाखा में ४० अध्याय, ३०३ अनुवाक एवं १९७५ मन्त्र हैं।

(ग) सामवेदीय शाखाएँ—

सामवेद का संगीत से घनिष्ठ सम्बन्ध है। पतञ्जलि के मत से साम के छन्दस् और देवता होते हैं, परन्तु गौतम के विचार से साम में छन्दस् और देवता का अभाव है। महाभाष्य, चरणव्यूह एवं इतिहास-पुराणादि के अनुसार सामवेद की १००० शाखाएँ हैं। समय की क्रूरता का परिणाम ही माना जायगा कि आज एक हजार शाखाओं में केवल तीन ही शाखाएँ मिलनी हैं, जो इस प्रकार हैं—

(१) कौथुमी शाखा—

इस शाखा का प्रचार अधिकतर गुजरात में है।

(२) राणायनीय शाखा

इस शाखा की मान्यता विशप-रूप स महाराष्ट्र में है।

(३) जैमिनीय शाखा

इस शाखा का प्रचलन कर्णाटक प्रदेश में है, परन्तु वहाँ भी इसका पर्याप्त प्रचार नहीं है।

(घ) अथर्ववेदीय शाखा—

व्यास जी ने अथर्ववेद का सम्पादन किया और उसे अपने चतुर्थ-शिष्य सुमन्तु को पढ़ाया। चरणव्यूह के अनुसार अथर्ववेद की नौ शाखाएँ हैं—(१) पैप्पलाद, (२) स्तौदा (३) मौदा, (४) शौनकीया, (५) जात्रला, (६) जलदा, (७) ब्रह्मवदा, (८) देवदर्शा, (९) चारणवेद्या। इस समय अथर्ववेद की उपर्युक्त नौ शाखाओं में से केवल पैप्पलाद तथा शौनक शाखाएँ ही उपलब्ध हैं। पिप्पलाद शाखा का प्रचलन अब बहुत ही न्यून हो गया है, परन्तु महाभाष्यकार पतञ्जलि के समय इस शाखा का प्रचलन पर्याप्त था। शौनक शाखा—यह एक ऐसी शाखा है जिसे सम्भवतः सभी अथर्ववेदों स्वीकार करते हैं। इसकी शौनक-संहिता पर सायणाचार्य का भाष्य है, जो बम्बई से ४ जिल्दों में प्रकाशित हुआ है। पैप्पलाद और शौनक शाखाओं में अन्तर स्पष्ट है। जर्मन के प्रसिद्ध विद्वान् राथ के अनुसार इसमें ब्राह्मण-पाठ (गद्य) और आभिचारिक कार्यों की बहुलता है। शौनक शाखा का प्रथम मन्त्र “ये त्रिपत्ता परियन्ति विश्वा रूपाणि विभ्रत” माना जाता है, परन्तु गोपथ-ब्राह्मण और महाभाष्य पस्पशाह्निक के मत से अथर्ववेद का प्रथम मन्त्र “शन्नो देवीरभिष्टये” है। पिप्पलाद-शाखा अवश्य ही शौनक-शाखा से प्राचीन प्रतीत होती है।

(ङ) शाखा-वाङ्मय में संहिता ग्रन्थों का महत्त्व—

वैदिक-शाखाओं का विषय अत्यन्त कठिन है। विशेषकर इन शाखाओं की जटिलता एवं दुरुहता और अधिक हो जाती है, जब इनके अधिकांश भाग आजकल दृष्टिगोचर नहीं होते। सत्य तो यह है कि जब तक वैदिक-संहिताओं की सभी या अधिकांश शाखाएँ उपलब्ध न हों, तब तक इनमें संहिता-ग्रन्थों का महत्त्वपूर्णरूप से प्रतिपादित नहीं किया जा सकता। जैसा कि ऊपर “वैदिक शाखा-विस्तार” में स्पष्ट किया गया है कि ऋग्वेद की २१ शाखाओं में इस समय केवल एकमात्र शैशि-रोय शाखा (शाकल्या) ही उपलब्ध है। यजुर्वेद-संहिता की १०१ शाखाओं में केवल ६ शाखाएँ ही मिलती हैं—चार कृष्णयजुर्वेद की और दो शुक्लयजुर्वेद की। इसी प्रकार साम-संहिता की १००० शाखाओं में सम्प्रति केवल ३ शाखाएँ ही उपलब्ध हैं और अथर्व-संहिता की ९ शाखाओं में केवल २ शाखाएँ ही मिलती हैं।

यह संहिता-ग्रन्थों का ही प्रभाव है कि बोज-रूप में स्थित रहकर उन्होंने अपनी शाखा-प्रशाखाओं से ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषदादि ग्रन्थों को एक सुपुष्पित तथा फलित वृक्ष के रूप में सजा दिया है। इसी संहिता-रूपी वृक्ष के चारों ओर भारतीय अनेक सांस्कृतिक विचारधाराएँ प्रवाहित होती हैं। सभ्यता का सम्पूर्ण सौरभ सतत गतिशील संहिता-सरिता के साथ जनमानस को आह्लादित करता है।

धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक, बौद्धिक, नैतिक एवं काव्यात्मक किसी भी दृष्टि से इस विश्वकोश पर दृष्टिपात किया जाये, तो यह कल्पवृक्ष सद्य-फलदाता के रूप में उपस्थित होता है। हमारा सम्पूर्ण परवर्ती साहित्य-जगत् इसी धुरी पर घूमता है। हमारे काव्य-महाकाव्यों की ये सहिताएँ ही कामधेनु हैं। हमारे नाटकों के सूत्रधार ये ही सहिता-ग्रन्थ हैं। हमारे दर्शनो को प्रेरक दृष्टि इन्हीं सहिताओं से मिलती है।

नि सन्देह भारतीय विचारधाराओं के यथार्थ ज्ञान हेतु सहिताओं का स्वा-ध्याय अपरिहार्य एवं अनिवार्य है। सहिताओं की अपरिमाजित भाषा तथा उनमें वर्णित रहस्यों, नवीन गवेषणाओं को अपरिपक्व मानकर कुछ आलोचक भले ही सन्तोष कर ले, परन्तु इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि ये ही सहिताएँ सम्पूर्ण भारतीय-वाङ्मय की आधारशिलाएँ हैं। मानवीय उतार-चढ़ाव की सरणी को विना सहिताओं के समझना दुःसाध्य ही नहीं, अपितु निराधार भी है। सहिताओं के विकास-क्रम में एक सरल-सरस जागृति दृष्टिगोचर होती है। वसन्त के सुरभित समीर की तरह उद्वेलित एवं उत्कण्ठित करने वाली मादकता इन सहिताओं की ऋचाओं, सूक्तों तथा गीतों में है और पुष्प-पराग सा माधुर्य परिलक्षित होता है। यदि ये वैदिक-सहिताएँ न होती तो विश्व की जटिल समस्याएँ आज तक समस्याएँ ही बनी रहती। वैदिक सहिताओं की व्यापकता एवं परवर्ती वाङ्मय पर उनके प्रभाव का अवलोकन निम्नलिखित चित्रण से किया जा सकता है—

ऋक्संहिता—

सहिताएँ—शाकल, बाष्कल, आश्वलायन, शाख्यायन एवं माण्डूक्यायन।

शाखाएँ—महाभाष्य में २१ शाखाएँ हैं, किन्तु उपलब्ध केवल पाँच हैं।

ब्राह्मण—ऐतरेय तथा कौपीतक।

आरण्यक—ऐतरेय एवं कौपीतक।

उपनिषद्—ऐतरेय एवं कौपीतक।

यजुःसंहिता—

सहिताएँ—(क) शुक्ल-यजुर्वेद की वाजसनेयि तथा काण्व-संहिता।

(ख) कृष्ण-यजुर्वेद की तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक, कठकपिष्टल।

(१) शाखाएँ—माध्यन्दिन एवं काण्व।

ब्राह्मण—शतपथ।

आरण्यक—बृहदारण्यक।

उपनिषद्—ईशोपनिषद् और बृहदारण्यकोपनिषद्।

(२) शाखाएँ—पतञ्जलि के अनुसार १०१, शौनक के अनुसार ८६, उपलब्ध केवल चार हैं।

ब्राह्मण—तैत्तिरीय।

आरण्यक—तैत्तिरीय।

उपनिषद्—कठोपनिषद्, तैत्तिरीय तथा मैत्रायणी।

सूत्रग्रन्थ—आपस्तम्ब कल्पसूत्र, बोधायन-श्रौतसूत्र, हिरण्यकेशी-कल्पसूत्र, भारद्वाज श्रौतसूत्र, मानव-श्रौतसूत्र, मानव-गृह्यसूत्र, वाराह-गृह्यसूत्र, काठक-गृह्य-सूत्र—ये आठ सूत्र उपलब्ध हैं।

सामसंहिता—

सहिताएँ—कौथुम, राणायनोय तथा जैमिनीय।

शाखाएँ—महाभाष्य के अनुसार १००० शाखाएँ हैं।

ब्राह्मण—ताण्ड्य, पर्व्विश, सामविधान तथा जैमिनीय।

आरण्यक—छान्दोग्य और जैमिनीय।

उपनिषद्—छान्दोग्य, जैमिनीय एव केन।

सूत्रग्रन्थ—मशक-कल्पसूत्र, लाट्यायन-श्रौतसूत्र, गोभिल-गृह्यसूत्र, द्राह्यायण-श्रौतसूत्र, खादिर-गृह्यसूत्र, जैमिनीय-श्रौतसूत्र, जैमिनीय-गृह्यसूत्र।

अथर्वसंहिता—

सहिताएँ—पिप्पलाद तथा शौनक।

शाखाएँ—महाभाष्य के अनुसार ९, परन्तु उपलब्ध केवल पिप्पलाद और शौनक।

ब्राह्मण—गोपथ।

आरण्यक—गोपथ।

उपनिषद्—प्रश्नोपनिषद्, मुण्डक, माण्डूक्य।

सूत्रग्रन्थ—वैतान-श्रौतसूत्र तथा कौशिक-गृह्यसूत्र।

उपलब्ध वैदिक-शाखाओं का परिचय

ऋग्वेदीय शाकल-शाखा—

ऋग्वेद की एकमात्र उपलब्ध "शाकल" शाखा तथा उसके पाँच भेदों (मुद्गल, मालव, शालीय, वात्स्य, शैशिरि) के सम्बन्ध में जयचन्द्र विद्यालंकार की मान्यता है कि एक समय राजा जनक की सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य के साथ पाचाल के कुरु, ब्राह्मणों का शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें ब्राह्मण पराजित हो गये। ब्राह्मणों की पराजय के बाद विद्वान् शाकल्य, जिसका वास्तविक नाम देवमित्र था, उसने अपने

तर्कों से याज्ञवल्क्य को प्रभावित किया। शाकल्य पंजाब के उत्तरी भाग में भद्र-प्रदेश की राजधानी (आधुनिक स्यालकोट) शाकल्य के रहने वाले थे और उन्हें अपने पाण्डित्य का गर्व था। उन्होंने ऋग्वेद-संहिता का सम्पादन किया और उनके द्वारा या उनके शिष्यों द्वारा सम्पादित शाखाएँ "शाकल्य" कहलाई।

शाकल्य-संहिता के तीन भाग—मण्डल, अनुवाक और वर्ग बने, जिन्हे क्रमशः अष्टक, अध्याय और सूक्त भी कहा जाता है। ऋग्वेदीय इस शाखा के मन्त्रों की ठीक सख्या के सम्बन्ध में विद्वानों के अनेक मत प्रचलित हैं। "शतपथब्राह्मण" में १२ हजार मन्त्रों का जहाँ वर्णन है, वही शौनक ने १०५८० ऋचाओं का वर्णन किया है। लौगाक्षिस्मृति के अनुसार कुल ऋक्-सख्या १०५८० है, जबकि अनुवाकानुक्रमणी के अनुसार ऋग्वेदीय शैशिरि शाखा में ऋग्वेद के कुल मन्त्रों की गणना १०४१७ मानी गयी है। इस अन्तर का कारण स्पष्ट है कि ऋक्-संज्ञानुक्रमणी में दो-दो ऋचाओं को अध्ययन-काल में एक-एक करके पढ़ने का विधान है। महर्षि शौनक ने बृहद्देवता में ऋग्वेद संहिता के मन्त्रों की कुल सख्या १०५८०, शब्दों की सख्या १५३८२६ और अक्षरों की सख्या ४३२००० स्वीकार की है। इतिहासकार विभिन्न वेदज्ञ पाश्चात्य विद्वानों में ऋग्वेद के मन्त्रों की सख्या १०४६७ से लेकर १०५८९ स्वीकार की है। महर्षि दयानन्द-सरस्वती की इस सम्बन्ध में अन्तिम गणना है, जिसके अनुसार १०५८९ मन्त्र होने चाहिए, परन्तु प्रति मण्डल के अनुसार सख्या निम्नलिखित होती है—

$$१९७६ + ४२९ + ६१७ + ५८९ + ७२७ + ७६५ + ८४१ + १७२६ + १०९७ + १७५४ = १०५१२।$$

शाकल्य-संहिता की मन्त्र-सख्या का सामान्य परिचय इस प्रकार है—

मण्डल	सूक्त	मन्त्र
प्रथम	१९१	२००६
द्वितीय	४३	४२९
तृतीय	६२	६१७
चतुर्थ	५८	५८९
पञ्चम	८७	७२७
षष्ठ	७५	७६५
सप्तम	१०४	८४१
अष्टम	९२	१६३६
नवम	११४	११०८
दशम	१९१	१७५४
कुल	१०१७	कुल १०४७२

शुक्लयजुर्वेदीय वाजसनेयी शाखा—

यजुर्वेद के “कृष्ण” और “शुक्ल” दो प्रकार बताये गये हैं। शुक्ल-यजुर्वेद को ही वाजसनेयी या माध्यन्दिन-सहिता भी कहा जाता है। विशुद्ध मन्त्रात्मक भाग होने के कारण इसमें व्याख्यात्मक, विवरणात्मक तथा विनियोगात्मक अंश नहीं है। इस शाखा को शुक्ल-यजुर्वेद मानने का यह भी एक हेतु है। इस शाखा में ४० अध्याय, ३०३ अनुवाक एवं १९७५ मन्त्र हैं। पुराणों में वैशम्पायन को याज्ञवल्क्य का मातुल कहा गया है। याज्ञवल्क्य की माता का नाम “वाजसनी” था, इस नाम के कारण ये वाजसनेय कहलाये। इसी वाजसनेय याज्ञवल्क्य के साथ विदेहराज-जनक के अनेक सवाद हुए, जिनका पता “वृहदारण्यक उपनिषद्” आदि ग्रन्थों से चलता है। वेदाध्ययन करने वालों में इस शाखा का बड़ा सम्मान एवं प्रचार है। अध्याय-क्रम से इस शाखा के विषयों का परिशीलन कर लेने पर सम्पूर्ण यजुर्वेद-सहिता का परिचय हो जाता है।

प्रथम और द्वितीय अध्याय में दर्श एवं पीर्णमास-यज्ञों से सम्बद्ध मन्त्रों का वर्णन है। तृतीय अध्याय में अग्निहोत्र तथा चातुर्मास्य-यज्ञों से आने वाले मन्त्रों का विवरण है। चतुर्थ अध्याय से अष्टम अध्याय तक सोम सम्बन्धी यज्ञों का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। नवम अध्याय में वाजपेय तथा राजसूय यज्ञों का मन्त्र-विधान उपलब्ध है। दशम अध्याय में सौत्रायणी यज्ञों की चर्चा है। इसके अनन्तर ११ से १८ वें अध्याय तक “अग्निचयन” का विस्तृत वर्णन है। १०८००० ईटों से बनी वेदी को आकृति पक्ष फैलाये पक्षी के सदृश कही गयी है। ब्राह्मण-ग्रन्थों में इस वेदी में लगी ईंटों की आध्यात्मिकता का बड़ा ही हृदयस्पर्शी वर्णन पाया जाता है। १६वा अध्याय रुद्राध्याय कहलाता है, जिसमें भगवान् रुद्र की साङ्गोपाङ्ग कल्पना की गई है। १८वें अध्याय में “वसोर्धारा” के मन्त्रों की चर्चा है। १९, २० और २१ अध्यायों में सौत्रायणी-यज्ञ का विधान है। कहा जाता है कि अधिक सोमपान करने से इन्द्र रोगी हो गये और अन्त में अश्विनी-कुमारों ने इसी यज्ञ के माध्यम से चिकित्सा कर उन्हें नीरोग कर दिया। २२ से २५वें अध्याय तक अश्वमेध-यज्ञ और २६ से २९ तक खिल मन्त्रों का विधान है, जिनमें अनेक प्रकीर्ण-विधान पाए जाते हैं। ३०वें अध्याय में पुरुषमेध-यज्ञ तथा ३१वें अध्याय में पुरुषसूक्त, ३२ और ३३वें अध्यायों में शिवसकल्प मन्त्रों का विधान है। ३४वें अध्याय के आरम्भ के ६ मन्त्रों में भी शिवसकल्प की प्रार्थना की गई है। (यजु० ३४/६)। ३५वें अध्याय में पितृ-मेध-सम्बन्धी मन्त्रों का वर्णन है। ३६ से ३९ अध्यायों में प्रवर्ग्ययागों का वर्णन है। अन्तिम ४०वें अध्याय का सम्बन्ध ईशावास्योपनिषद् से है। उपनिषदों में इस लघुकाय उपनिषद् का बड़ा महत्व है। उत्तर-भारत में इस शाखा का प्रचार-प्रसार अधिक है।

शुक्लयजुर्वेदीय काण्व-शाखा—

काण्व शाखा को मान्यता आजकल महाराष्ट्र में अधिक है, किन्तु किसी समय इसका उत्तर-भारत में बड़ा सम्मान था। मन्त्रों में “कुह” और “पाञ्चाल” देशों के राजाओं का नामोल्लेख है (एष व कुरवो राजा, एष पाञ्चालो राजा) इत्यादि मन्त्रों से पता चलता है कि काण्व-शाखा का सम्बन्ध उत्तर-भारत से रहा है। शकुन्तला के धर्मपिता कण्व का आश्रम “मालिनी” के तट पर था। यह मालिनी नदी आज भी उत्तरप्रदेश में विजनौर जिले की “मालन” नदी के रूप में प्रवाहित है। इस शाखा में ४० अध्याय, ३२८ अनुवाक तथा कुल २०८६ मन्त्र हैं। इस प्रकार इस शाखा में वाजसनेयी शाखा से १११ मन्त्र अधिक उपलब्ध होते हैं।

कृष्ण-यजुर्वेद की तैत्तिरीय-शाखा—

तैत्तिरीय शाखा का प्रचार दक्षिण-भारत में अधिक है। विशेष रूप से महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश में इसके अनुयायी सबसे अधिक हैं। पूरी शाखा ७ काण्डों में, ४४ प्रपाठकों एवं ६३१ अनुवाकों में विभक्त है। विषय शुक्ल-यजुर्वेद की वाजसनेयी शाखा के तुल्य है। इस शाखा के सम्बन्ध में विष्णुपुराण में एक कथा है। इस कथा के अनुसार गुरु वैशम्पायन ने एक बार अपने शिष्य याज्ञवल्क्य से क्रुद्ध होकर कहा कि—“मैंने तुम्हें जो भी वेद विद्या दी है, उसे वापस करो”। शिष्य ने तत्काल गुरु की आज्ञा का पालन किया और सम्पूर्ण ज्ञान को वमन के रूप में निकाल दिया, जिसे अन्य छात्रों ने तित्तिर वनकर चुन लिया। इसी कारण इसका नाम “तैत्तिरीय-शाखा” पड़ गया। आचार्य सायण का ग्रामाणिक भाष्य इस पर है। वालकृष्ण दीक्षित एवं भास्कर मिश्र ने भी इस पर सक्षिप्त भाष्य किया है। पाश्चात्य विद्वान् वेबर उपर्युक्त तित्तिर-सम्बन्धी घटना को काल्पनिक मानते हैं। तित्तिर नामक ऋषि वैशम्पायन का प्रधान-शिष्य था। उसके द्वारा प्रोक्त होने के कारण तैत्तिरीय-शाखा का नाम युक्तिसंगत प्रतीत होता है। इस संहिता में मन्त्र और ब्राह्मणों का मिश्रण है।

कृष्ण-यजुर्वेदीय काठक-शाखा—

यजुर्वेद की कठ शाखा के महत्त्व के सम्बन्ध में महाभाष्यकार पतञ्जलि ने लिखा है। महाभाष्य (४।३।१०१) में कहा गया है—“ग्रामे ग्रामे काठकं कालापकं च प्रोच्यते”। परन्तु आजकल इस शाखा के पाठकों की संख्या नगण्य-सी हो गयी है। सामान्यतः यजुर्वेद की चारों शाखाओं का विषय एक सा है। इसका कारण स्पष्ट है, क्योंकि भिन्न भिन्न शाखाओं का मूलभूत वेद एक ही है। मन्त्र और ब्राह्मणों के मिश्रित-रूप का दर्शन यहाँ जैसा होता है, वैसा अन्यत्र नहीं। जर्मन के प्रसिद्ध

वैदिक विद्वान् धेंडर ने इस संहिता में ५ खण्ड, १८ भाग, ८४३ अनुवाक एवं ३०६१ मन्त्रों की मान्यता स्वीकार की है। इस शाखा के प्राचीन ४० ग्रन्थ थे, किन्तु आजकल केवल कठोपनिषद् ही उपलब्ध है। कठ सम्भवतः उदीच्य (उत्तरी) जनपद के रहने वाले थे। सम्भवतः यह जनपद पंजाब में था। महाभारत-सम्बन्धी अनेक ऐतिहासिक घटनाओं तथा महाभारत कालीन वैचित्र्यवीर्य, धृतराष्ट्र आदि व्यक्तियों के नामोल्लेख से भी उपर्युक्त कथन की पुष्टि होती है।

कृष्ण-यजुर्वेद की मैत्रायणी-शाखा—

इस शाखा का सम्बन्ध कृष्ण-यजुर्वेद से है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि इसके मन्त्र तैत्तिरीय तथा काठक-शाखा में भी मिलते हैं। गद्यात्मक एवं पद्यात्मक इस संहिता का बड़ा महत्त्व है। इस संहिता में चार काण्ड, ५४ प्रपाठक और कुल १४४ मन्त्रों का निर्देश है। ब्राह्मण-ग्रन्थों का विस्तार यहाँ दृष्टिगोचर होता है। गाय, वाराह, कुन्दुभि, वादरायण आदि सप्त ऋषियों ने इस शाखा का प्रचार-प्रसार कर अपने अपने चरणों का विस्तार किया।

कपिष्ठल कठ-शाखा—

इस शाखा की शैली काठक-शाखा जैसी ही है। कपिष्ठल ऋषि के नाम से प्रसिद्ध यह शाखा है। इस ऋषि का नामोल्लेख पाणिनि ने अष्टाध्यायी के “कपिष्ठलो गोत्रे” (८।३।११) सूत्र में किया है। निरुक्त की टीका में (निरुक्त ४।४) दुर्गाचार्य ने भी अपने को “अहं च कपिष्ठलो वासिष्ठः” कहा है। सम्भवतः पंजाब (इस समय हरियाणा) के कुश्क्षेत्र में सरस्वती नदी के आस पास कपिष्ठल किसी ग्राम का नाम था, जहाँ के रहने वाले कपिष्ठल कहलाने लगे। लोगों का अनुमान है कि यह स्थान आज के करनाल जिले में स्थित “कैयल” हो सकता है। इस ग्राम का उल्लेख वराहमिहिर ने बृहत्संहिता (१।४।४) में भी किया है। यजुर्वेदीय इस शाखा की यह विशेषता है कि यह मूल-ग्रन्थ में काठक-संहिता के समान होने पर भी अपने स्वराकन में ऋग्वेद से मिलती-जुलती है। इस शाखा की खण्डित एवं अपूर्ण एक प्रति सम्पूर्ण-नन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालय के सरस्वती-भवन में उपलब्ध है। इसमें ऋग्वेदीय शैली के अष्टक एवं अध्याय ही दृष्टिगोचर होते हैं। ८ अष्टक, ६४ अध्यायों वाली इस शाखा की अपूर्णता भी अन्य संहिताओं के साथ तुलना करने हेतु अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई है।

सामवेदीय राणायनीय-शाखा—

राणायन शाखा के ब्राह्मण-ग्रन्थ तो मिलते हैं, परन्तु राणायन-शाखा ग्रन्थ अभी तक दृष्टिगोचर नहीं हुआ। जब तक ग्रन्थ उपलब्ध न हो, उसके सम्बन्ध में

कुछ कहना तर्कमगत प्रतीत नहीं होता । विण्टरनिस्स के मतानुसार स्टीवेन्सन ने सन् १८४२ में प्रथम बार एव वैनकेने ने सन् १८४८ ई० में सामवेद की जिस संहिता का सम्पादन किया, वही राणायनीय शाखा है । राणायनीय खिलो का एक पाठ शाङ्कर-वेदान्तभाष्य (३/३/२३) में मिलता है । हेमाद्रिरचित श्राद्धकल्प के १०७९ पृष्ठ पर राणायनीय-शाखा-सम्बन्धी विवरण मिलता है । सत्यव्रत-सामश्रमी का एक आलोचनात्मक संस्करण प्रकाशित हुआ है, जिसमें इस शाखा पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है । राणायनीय-शाखा में कुल १५४९ मन्त्र हैं । सामगान में कुल चार प्रकार के गान होते हैं, जिनका विवरण राणायनीय-शाखा के साथ तुलनात्मक रूप में हम इस प्रकार से कर सकते हैं—

गान	कोयुनी, राणायनीय शाखा	जैमिनीय-शाखा
ग्राम गेयगान	११९७	१२३२
आरण्यक गेयगान	२९४	२९१
ऊह्यगान	१०२६	१८०२
ऊह्यगान	२०५	३५६
कुल योग—	२७२२ मन्त्र	३६८१ मन्त्र

गानों के उक्त चार प्रकार पूर्वार्चिक के अनुसार किये गये हैं । इनमें प्रथम ग्राम-गान सार्वजनिक स्थानों पर गाये जाते थे । आरण्यक गान पवित्र मन्दिर आदि स्थानों पर, ऊह्यगान सोमयाग के समय तथा ऊह्यगानों का प्रयोग रहुस्यमय अवसरों पर होता था ।

अथर्ववेदीय शौनक-शाखा—

आजकाल उरुलब्ध अथर्ववेद, शौनकीय शाखा के नाम से ही जाना जाता है । इसमें २० काण्ड, ७३० सूक्त एवं ५९८७ मन्त्र पाये जाते हैं । इसमें आये मन्त्रों में लगभग १२०० मन्त्र अथर्ववेद और ऋग्वेद के तुल्य हैं । इस समानता का कारण यही है कि प्रारम्भ में वेद एक ही था, जिसका विभाजन बाद में यज्ञों के विविध उपयोग के कारण किया गया । इस शाखा के मन्त्र द्रष्टा शौनक ऋषि हैं । शौनक गोत्रीय अनेक ऋषियों के होने के कारण इस शाखा के ऋषि का यथाथ नाम अज्ञात है । इस शाखा के सबसे बड़े २०वें काण्ड में ९५८ मन्त्र हैं, ६ठें काण्ड में ४५४ मन्त्र, १९वें काण्ड में ४५३ मन्त्र हैं । १७वां काण्ड इस शाखा का सबसे छोटा काण्ड है, जिसमें केवल ३० मन्त्र हैं ।

अथर्ववेदीय पैपलाद-शाखा—

इस शाखा के प्रवर्तक पिप्लाद मुनि बहुत बड़े अध्यात्मवादी थे। काश्मीर मे उपलब्ध शारदा पाण्डुलिपि के आधार पर 'ब्लूमफील्ड' ने सन् १९०१ ई० मे अग्रजी अनुवाद के साथ इस शाखा-ग्रन्थ को प्रकाशित कराया। बाद मे डॉ० रघुवीर ने भी इसका एक सस्करण प्रकाशित कराया। प्राचीनकाल मे इस शाखा का बड़ा महत्व था। इस शाखा के "प्रपञ्च हृदय" के कथनानुसार इस शाखा मे २० काण्ड थे। इस शाखा को एक पाण्डुलिपि काश्मीर मे उपलब्ध हुई थी, जिसे काश्मीर महाराज ने १८७५ ई० मे जर्मन विद्वान् डॉ० राथ को उपहार मे दिया था। महामाध्य के अनुसार "शत्रो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। श यौरभिस्रवन्तु नः" मन्त्र अथर्ववेद का प्रथम मन्त्र है, परन्तु प्रचलित शौनक-सहिता के पष्ठसूक्त के प्रथम मन्त्र के रूप मे पाया जाता है। सर्वसुलभ न होने के कारण इस शाखा का विस्तृत परिचय देना कठिन है। शौनक एव पैपलाद शाखाओ मे अन्तर होते हुए भी इतना तो स्पष्ट है कि पैपलाद शाखा, शौनक शाखा से प्राचीन है।

कौथुमीय-शाखा—

कौथुमीय शाखा के दो विभाग हैं—पूर्वाचिक एवं उत्तराचिक। इन्हे निम्न लिखित प्रकार से जाना जा सकता है—

पूर्वाचिक—

इसमे ६ प्रपाठक, ६५० मन्त्र एव चार पर्व हैं—(१) आग्नेय, (२) ऐन्द्र, (३) पावमान, (४) आरण्य, जिनमे क्रमशः अग्निदेवता, इन्द्रदेवता, पवमान तथा अन्य देवताओ का स्तुतिगान किया गया है। सत्यव्रत सामाथमी के मत से पर्वों के नाम—अर्क, इन्द्र, व्रत और शुक्रिय हैं।

उत्तराचिक—

इसमे ९ प्रपाठक, २१ अध्याय, १२२५ मन्त्र हैं। यज्ञो को दृष्टि से इस उत्तराचिक को पुनः सात भागो मे बाटा गया है—दशरान, सवत्सर, एकाह, अहीन, सत्र, प्रयाश्चित्त एव गूद्र। इस समय कौथुमीय-शाखा का सर्वाचिक सम्मान है। इस पर सायणाचार्य ने भाष्य लिखा है एव सातबलेकर जैसे उद्धृत वैदिक-विद्वानो ने टिप्पणिया भी लिखी है।

जैमिनीय-शाखा—

जैमिनीय-शाखा अभी तक हस्तलिखित रूप मे ही उपलब्ध है। अर्थात् इसका प्रकाशन नहीं हुआ। वडोदा तथा लाहौर मे भी इसकी हस्तलिखित पाण्डुलिपि मिली है। विद्वानो ने अनुसन्धान के पश्चात् इसके चार पर्वों की मन्त्र-संख्या इस प्रकार

निश्चित की है—आग्नेय पर्व में ११६ मन्त्र, ऐन्द्रपर्व में ३५२ मन्त्र, पावमानपर्व में ११९ एव आरण्य पर्व में ५५ मन्त्रों का वर्णन है। इस शाखा में कौशुमीय शाखा से ९५७ मन्त्र अधिक हैं। जैमिनीय शाखा का प्रचार-प्रसार दक्षिण-भारत के कर्णाटक आदि प्रान्तों में अधिक है। जैमिनीय शाखा के ब्राह्मण, श्रौत एव गृह्यसूत्र सभी मिलते हैं। कालेण्डा के अनुसार जैमिनीय शाखा की मन्त्र सख्या १६८७ है। जैमिनीय शाखा को तलवकार शाखा के नाम से जाना जाता है। सम्भव है—जैमिनीयों को यह भी एक अवान्तर शाखा रही हो। जैमिनीय-शाखा के ब्राह्मण आज भी पर्याप्त सख्या मद्रास के तिन्नेवल्ली जिले में पाये जाते हैं।

सहिता-ग्रन्थों की प्राचीनता तथा रचनाकाल—

111642

आर्यों के मानसिक मन्त्र-उद्योगरूपी सहिताओं के रचनाकाल की ठीक अवधि जानने के लिये प्रत्येक विचारवान् व्यक्ति आतुर रहा है, किन्तु आज तक किसी एक मत का समर्थक नहीं बन सका। सम्भवतः भविष्य में भा इस विषय पर मतैक्य होना यदि असम्भव नहीं, तो श्रम-साध्य अवश्य है। इस शका की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं, जिनके आधार पर ऐसा कहा गया है—

- (१) काल निर्धारण में सहिताओं के अन्त साक्ष्यों एव बहि साक्ष्यों की प्रामाणिकता का अभाव।
- (२) सहिता ग्रन्थों में निश्चित तिथि तथा सवत्सरो की अनिश्चितता।
- (३) परवर्ती वैदिक वाङ्मय में तिथियों का व्यतिक्रम।
- (४) भौगोलिक एव ज्योतिष सम्बन्धी विचारों की अस्पष्टता।
- (५) वेदों की मान्यता में अपोद्येय सम्बन्धी आस्था।
- (६) भारतीय एव पाश्चात्य विद्वानों के मतों की विविधता।

इतना तो पूर्णतया सत्य प्रतीत होता है कि आज तक सहिताओं के आविर्भाव या रचनाकाल के सम्बन्ध में जो भी मत व्यक्त किये गये हैं वे अनुमान एव कल्पना के धरातल पर ही आधारित हैं। सहिताओं की प्राचीनता सिद्ध करने हेतु व्यक्त किये गये विभिन्न मतों को दो भागों में बाटा जा सकता है—

- (क) भारतीय विद्वानों का मत।
- (ख) पाश्चात्य विद्वानों का मत।

भारतीय-मतदाशिका सूची

भारतीय विद्वान्	समय	आधार
१—सायण	ईश्वरकृत	ऋग्वेदभाष्य-भूमिका की उपक्रमणी
२—उब्बट	"	शुक्ल-यजुर्वेद-भाष्य
३—महोदर	"	"
४—महर्षि दयानन्द सरस्वती	सृष्टि का प्रारम्भ	
५—गौतम	अब से ४ लाख वर्ष पूर्व	
६—दीनानाथ आस्त्री चुलेट	अब से ३ लाख वर्ष पूर्व	
७—रघुनन्दन शर्मा	८८ हजार वर्ष पूर्व	
८—अमलेकर	८६ हजार वर्ष पूर्व	
९—अविनाशचन्द्र दास	ई० पूर्व २५ हजार वर्ष	
१०—बाल गङ्गाधर तिलक	ई० पूर्व ८ हजार से ६ हजार वर्ष	
११—नारायण भवनराव पावगी	ई० पूर्व ७ हजार वर्ष	
१२—बालकृष्ण दीक्षित	ई० पूर्व ६ हजार वर्ष	
१३—भण्डारकर पाडुरग	ई० पूर्व ३ हजार वर्ष	
१४—विद्यालकार	" "	
१५—डॉ० सम्पूर्णानन्द	" "	

पश्चात्य-मतदाशिका सूची

पश्चात्य-विद्वान्	समय	आधार
१—जैकोबी	ई० पू० ४ हजार वर्ष	ज्योतिष
२—विन्टरनिस्स	ई० पू० २ हजार ५ सौ वर्ष	मितानी शिलालेख
३—हॉग	ई० पू० २ हजार वर्ष	भाषाविज्ञान
४—प्राट	ई० पू० २ हजार वर्ष	
५—मैक्समूलर	ई० पू० १२ सौ वर्ष	बौद्ध-साहित्य
६—श्रेडर	ई० पू० १५ सौ वर्ष	
७—कोथ	"	
८—मैक्डानल	"	
९—ग्रूलर	ई० पू० २ हजार वर्ष	
१०—डॉ० वेबर	"	

रचनाकाल का परिशीलन

वैदिक-संहिताओं के रचनाकाल के सम्बन्ध में व्यक्त किये गये विभिन्न मतों, विश्वासों तथा मान्यताओं का पर्यालोचन निम्नलिखित है—

(१) प्राचीन भारतीय मत—

प्राचीन भारतीय विद्वान् तो वैदिक-संहिताओं को अनादि तथा अपौरुषेय मानते हैं, उनके मत से संहिताओं को किसी काल की परिधि में बाँधना युक्तिसंगत नहीं है। सोमासक-मतावलम्बी वैदिक-संहिताओं के मन्त्रों के द्रष्टाओं को द्रष्टा-मात्र मानते हैं, रचयिता नहीं। दर्शनशास्त्र में विश्वास रखने वाले नैयायिक संहिता को ईश्वर को सृष्टि मानते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि वेद जगत्त्रियन्ता के निश्वास-मात्र हैं। प्राचीन मान्यता है कि ब्रह्मा के चार मुखों से चार वैदिक-संहिताओं का आविर्भाव हुआ। संहिताओं को ऋचाओं का साक्षात्कार ऋषियों ने एक समय में नहीं किया, अपितु जब कभी कोई ऋषि समाधिस्थ हुआ और उसे सत्य का जो प्रकाश मिला उसका नाम मन्त्र हो गया। श्रीमद्भगवद्गीता में आनन्दकन्द-रसिक-विहारो भगवान् कृष्ण ने वेद की उत्पत्ति ब्रह्मान् से स्वीकार की है। भारतीय दर्शन-वेत्ताओं ने तो वेदों की स्वतः प्रामाणिकता स्वीकार की है। वैदिक-संहिताओं की प्राचीनता एवं उनकी उपयोगिता निर्घन्त है। यदि कही सन्देह है तो वैदिक मन्त्रों के आविर्भाव के समय में ही सम्भव है। इसके साथ ही साथ यह भी पूर्णतया सत्य है कि वैदिककाल का निरूपण कर उनके काल-सम्बन्धी किसी अन्तिम निष्कर्ष पर पहुँचना यदि पूर्णरूप से असम्भव नहीं, तो कठिन अवश्य है। अपनी तार्किक-बुद्धि से आलोचक कुछ भी कहते रहे, परन्तु “वेदोऽखिलो धर्ममूलम्” में पूर्ण आस्था रखने वाले आस्तिक भारतीय मनीषी तो वेदों को “अपौरुषेय” मानकर नतमस्तक हैं और भगवान् की तरह उसकी इस अमरवाणी को भी काल की सीमाओं में सकुचित करने को किसी भी प्रकार से तैयार नहीं हैं। आर्यसमाज के प्रवर्तक, वैदिक-वाङ्मय के उद्भट विद्वान् ऋषि दयानन्द-सरस्वती वेदों को अपौरुषेय मानने वाली परम्परा के ही एक महात् पक्षधर एवं पोषक हैं।

(२) अर्वाचीन भारतीय मत—

अर्वाचीन भारतीय विद्वानों में लोकमान्य बालगङ्गाधर तिलक एक ऐसे विद्वान् हैं, जिन्होंने वैदिक-साहित्य का गम्भीरता से मन्थन किया है। वेदों की रचना-तिथि निर्धारण करने में आपने ज्योतिष-शास्त्र को आधार माना है। विद्वान् विचारक ने कृत्तिका-नक्षत्र के आधार पर ब्राह्मण-ग्रन्थों के निर्माणकाल को तरह मुषशिरस् नक्षत्र के आधार पर मन्त्रसंहिताओं के काल-निर्माण को भी

स्वीकार किया है। आपकी मान्यता है कि मन्त्र-संहिताओं के समय में मृगशिरा नक्षत्र से रात्रि-दिन का समानान्तर निर्दिष्ट किया जाता था। खगोल-विद्या एवं ज्योतिषशास्त्र के अनुसार मृगशिरा नक्षत्र का योग ६५०० वर्ष ई० पूर्वं बैठता है। अतः वैदिक-संहिताओं के मन्त्रों का रचनाकाल ६५०० वर्ष ई० पूर्वं मानना ही उचित है। इस प्रकार यदि मन्त्रसंहिताओं के निर्माण से पूर्व २००० वर्षों की अवधि को ही वैदिक-मन्त्रों का रचनाकाल माना जाये, तो अवश्य ही ८५०० वर्ष पूर्व कुछ वैदिक-मन्त्रों की रचना हो चुकी होगी। लोकमान्य-तिलक ने वैदिक-मन्त्रों की रचना को चार कालों में इस प्रकार विभक्त किया है—

(अ) अदिति-युग—

वेद-मन्त्रों में कहीं-कहीं छ मास के दिन और छः मास की रात्रि का भी वर्णन है। इसी को आधार मानकर तिलक ने भारतीयों के मूल स्थान को उत्तरोद्गुह माना है और यूरोप एशिया से होते हुए उनके भारत-प्रवेश को स्वीकार किया है। अपनी इस धारणा को पुष्टि विद्वान् ने अपनी रचना “आर्कैटिक होम इन दो वेदाङ्ग” में की है। अपनी सुप्रसिद्ध रचना “ओरायन (मृगशीर्ष)” में आर्य-सभ्यता के विकास को अदिति-युग कहा है। इसी समय योग-सम्बन्धी कुछ विधिवाक्यों का भी शुभारम्भ किया गया, जिनमें देवताओं के नाम, गुण, चरित्र आदि का वर्णन भी मिलता है। यह समय तिलक के अनुसार ६००० से ४००० वर्ष ई० पूर्वं था।

(आ) मृगशीर्ष-युग—

मृगशीर्ष या मृगशिरा कहलाने वाला यह युग वस्तुतः भारतीय सस्कृति एवं सभ्यता का महत्त्वपूर्ण युग था। इसी युग में ऋग्वेद के अधिकांश मन्त्रों की रचना हुई। रचना को दृष्टि से इस युग की क्रियाशीलता का पता चलता है। यह समय ४००० से २५०० वर्ष विक्रम-पूर्व माना गया है।

(इ) कृत्तिका-युग—

गणित के आधार पर तिलक ने इस युग की अवधि २५०० से १४०० विक्रम-पूर्व स्वीकार की है। तैत्तिरीयसंहिता, तथा कुछ ब्राह्मण-ग्रन्थों की रचना इसी युग में हुई और वेदाङ्ग में ज्योतिषशास्त्र भी इसी समय रचा गया।

(ई) अन्तिम-युग—

विद्वान् लेखक ने इस युग में वैदिक-धर्म के प्रतीकार में बौद्ध-धर्म के उदय को भी माना है। गृह्यसूत्रों और दर्शनशास्त्रों के अभ्युदय एवं विकास को भी इसी युग की देन माना है। इसका समय आपके मत के अनुसार १४०० से ५०० विक्रम-वर्ष पूर्व रहा है।

लोकमान्य बालगङ्गाधर तिलक का उपर्युक्त वैदिक रचनाकाल विवादास्पद है। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार भी वसन्त-सम्पात एव कृत्तिका-नक्षत्र के सम्बन्ध में भी अनेक मान्यताएँ हैं। अपने मत के प्रतिपादन में तिलक का उद्देश्य पाश्चात्य एव भारतीय विद्वानों में सामञ्जस्य स्थापित करना प्रतीत होता है। यही कारण है कि वैदिक मन्त्रों की रचना-सम्बन्धी तिलक की मान्यता को अत्रिनाथ पश्चिमी वैदिक-विद्वानों ने स्वीकार किया और लोकमान्य के मत को सर्वोपरि मान लिया। वैदिककाल की मर्यादा के सम्बन्ध में प० शंकर बालकृष्ण दीक्षित और लोकमान्य बालगङ्गाधर तिलक की गणना का आधार एक ही है। दीक्षित जो अपनी शताब्दी के प्रकाण्ड वैदिक विद्वान् थे, जिनके तर्कों और निष्कर्षों को लोकमान्य तिलक ने भी बड़े आदर से देखा है। इनकी धारणा है कि वेद-मन्त्रों का रचनाकाल शक-पूर्व ६००० वर्ष से प्राचीन है, नवीन नहीं। शकपूर्व ६००० वर्ष पहले वेदमन्त्रों की रचना कैसे हुई, यह नहीं बताया जा सकता। इस प्रकार यह काल अनादि, अनन्त है। दीक्षित जो ने "शतपथब्राह्मण" के एक उद्धरण से यह स्पष्ट किया है कि 'शतपथ' की रचना के समय कृत्तिकाएँ ठाक पूर्वोत्तरे सिन्धु पर उदोद्यमान थीं। 'शतपथब्राह्मण' काल में अनन्त-सम्पात हुआ होगा। शतपथ की रचना २५०० वर्ष ई० पू० मानकर, वैदिक-महिताओं का १००० वर्ष का समय मानकर वैदिक-वाङ्मय के सुमेल्य ऋग्वेद की रचना का समय ३५०० वर्ष ई० पू० माना है।

भूगर्भ-सम्बन्धी वैदिक रचनाकाल—

वैदिक-महिताओं में भूगोल एव भूगर्भ-सम्बन्धी ऐसे अनेक तथ्यों का चित्रण किया गया है, जिनके आधार पर वैदिक मन्त्रों का रचनाकाल निर्धारित किया जा सकता है। श्री नारायण भवनराव पावगा, श्री दोनानाथ-शास्त्री चुलेट, श्री अविनाशचन्द्र दास एव डॉ० सम्पूर्णानन्द आदि विद्वानों ने अपने-अपने मत के समर्थन में भूगर्भ-शास्त्रों के प्रमाणों से वैदिककाल को लाखों वर्ष पुराना सिद्ध किया है। राजपूताना में सागर अपनी तरल-तरङ्गों से निनादित था, जिसमें सरस्वती नदी आकर मिलती थी। सिन्धु नदी के तट पर आर्यों के यज्ञ विधानों का उल्लेख है। काल के अव्याहत प्रभाव से राजपूताना के सागर के गर्भ से एक भयंकर तूफान और भूकम्प उठा और वहाँ का सागर सरस्वती नदी के साथ बालू के टीले में परिवर्तित हो गया। ऋक्संहिता में 'सप्तसिन्धु' और "चतुःसमुद्रम्" का वर्णन है। भौगोलिक एव भूगर्भ-विषयक वृत्तान्तों से वैदिक-मन्त्रों का रचना-काल पच्चीस हजार वर्ष ई० पू० तक स्वीकार किया गया है। इस मत के सम्बन्ध में पाश्चात्य विद्वानों की धारणा है कि अनुसन्धान की कसौटी पर यह मत मान्य

ऋषियों की कल्पनामय सिद्ध होता है। अतः पण्डित दीननाथ शास्त्री चुलेट के ज्योतिष-सम्बन्धी मत के समान इस मत की भी आलोचनाएँ हुई हैं। आचार्य भगवद्दत्त का मत वैदिक-मन्त्रों की रचना के सम्बन्ध में स्पष्ट है कि ब्रह्मा से लेकर वेदव्यास कृष्णद्वैपायन तक सभी ऋषिगण वेदों के निष्णात विद्वान् थे। ब्रह्मा का समय १६००० वर्ष पूर्व, सतयुग का समय ४८००, त्रेतायुग का ३६००, द्वापर का २४००—इस प्रकार पूरी सख्या १०८०० वर्ष होती है। इसके पश्चात् कलियुग के ५००० वर्ष जोड़ने से लगभग १६००० वर्ष होते हैं। भगवद्दत्त जी के मत का समर्थन एशिया-माइनर से प्राप्त शिलालेख से भी होता है, जो १४०० वर्ष ई० पूर्व से प्राचीन लगता है। इस लेख में सन्धि-पत्र का वर्णन किया गया है, जिसमें इन्द्र, मित्र, अश्विनो, वरुण आदि देवताओं का वर्णन है। इस नामावली से सिद्ध होता है कि वैदिक-मन्त्रों का रचनाकाल अतीव प्राचीन है।

पाश्चात्य विद्वानों के मत—

डॉ० मैक्समूलर सम्भवतः पहले विदेशी विद्वान् थे, जिन्होंने वैदिक-सहिताओं पर विशेषकर ऋक्सहिता के निर्माणकाल के निर्णय हेतु जीवन-पर्यन्त श्लाघनीय प्रयास किया। वैदिक मन्त्रों के रचना-काल के निर्धारण में आपका आधार वृद्ध-काल है। आपने ऋग्वेद का रचनाकाल १२०० वर्ष विक्रम-पूर्व स्वीकार किया है। ४७७ वर्ष ई० पूर्व भगवान् बुद्ध का निर्वाण हुआ। अनुमानतः १०० वर्ष पूर्व वृद्ध-धर्म का प्रादुर्भाव हुआ होगा। वृद्ध-धर्म के उदय से पूर्व सम्पूर्ण वैदिक-ग्रन्थों की रचना सम्पन्न हो चुकी थी। अपनी सुविधानुसार वैदिक-युग को मैक्समूलर ने चार भागों में विभाजित किया है—छन्दस्काल, मन्त्रकाल, ब्राह्मण और सूत्रकाल। इन चारों विभागों के विकास में २०० वर्षों का अन्तर माना गया है। इस प्रकार सूत्रकाल का समय ६०० वर्ष विक्रम-पूर्व, ब्राह्मणकाल ८०० वर्ष विक्रम-पूर्व, मन्त्रकाल १००० वर्ष विक्रम-पूर्व तथा छन्दस्-काल को १२०० वर्ष विक्रम-पूर्व माना है। मैक्समूलर के अनुसार यही युग मौलिक प्रतिभा का युग था, जब तब-नवोन्मेष-शालिनी कल्पनाएँ भारतीय मनापिया के मानसरोवर में उद्वेलित हुई थी। यद्यपि भाषागत विकास हेतु दो सौ वर्षों को अवधि माँगना पूर्णतया अवेज्ञानिक एवं अस्वाभाविक है, परन्तु 'गतानुगतिको लोकः परमार्थिकः' इस उक्ति के अनुसार अधिकांश लोगों ने मैक्समूलर के इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया कि वैदिक-मन्त्रों की रचना आज से ३२०० वर्ष ई० पूर्व हुई थी।

प्रो० मैक्समूलर के उपर्युक्त सिद्धान्त और मान्यता का अनेक विद्वानों ने विरोध एवं खण्डन किया है। वैदिक विद्वान् न्यायाधीश स्व० के० टी० तैलंग ने तो

डॉ० मैक्समूलर, प्रो० ब्लूम फील्ड आदि यूरोपीय विद्वानों की वैदिक सम्बन्धी अर्वाचीन धारणाओं को निर्मूल बताते हुए पक्षपातपूर्ण कहा है, जो मान्य-कोटि में नहीं लायी जा सकती।

जर्मन विद्वान् विटरनिट्स ने वैदिक मन्त्रों के निर्माण-सम्बन्धी विभिन्न मतों की आलोचना के बाद अपना समन्वयात्मक मत देते हुए वैदिक-काल को २५०० वर्ष ई० पूर्व से ५०० वर्ष ई० पूर्व माना है। आश्चर्य यह है कि विद्वान् स्वयं ही अपने मत-निर्धारण के प्रति सशक्त है कि इस अवधि से पूर्व वैदिककाल मानने पर उनकी भाषा फारसी शिलालेखों जैसी लगती है जिनका काल ६ठी शती ई० पूर्व है।

ज्योतिर्विद् जर्मन विद्वान् याकोबी ने वेदों के रचनाकाल को ६५०० वर्ष ई० पूर्व निश्चित किया है। इनकी इस मान्यता का आधार कल्पसूत्र का विवाह-प्रकरण है। “ध्रुव इव स्थिरा भव” विवाह के समय कही गयी इस उपमा से “ध्रुव” शब्द की ज्योतिर्विज्ञान के आधार पर गणना की गयी और २७०० वर्ष ई० पूर्व इस ध्रुव की स्थिति को आका गया। इसी गणना के अनुसार कल्पसूत्रों का रचनाकाल ४७०० वर्ष निर्धारित किया और इस सिद्धान्त के पर्यालोचन के पश्चात् ६५०० वर्ष ई० पूर्व को वैदिक रचनाकाल माना गया।

निष्कर्ष—

वैदिक-संहिताओं के रचना-सम्बन्धी विभिन्न मतों के अवलोकन के पश्चात् यही निष्कर्ष निकलता है कि सभी समोक्षकों या समालोचकों ने कल्पनाओं एवं अनुमान का ही आश्रय लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन वैदिक-संहिताओं की सत्ता सनातन है और उनकी स्थिति इतनी प्राचीन है जितनी स्वयं जगन्निघन्ता की।

प्रो० मैक्समूलर के मत की विस्तृत चर्चा ऊपर की गयी है, परन्तु एशिया माइनर के “बोगाज कुई” नामक स्थान की सन् १८९३ ई० में खुदाई हुई, जिसमें कुछ कीलाक्षर-लेख प्राप्त हुए। खुदाई का कार्य सन् १९०५ ई० से सन् १९०७ ई० तक भी हुआ और कीलाक्षरों के अतिरिक्त चित्रलिपि आदि के रूप में पर्याप्त सामग्री मिली। प्राप्त लेखों से “हिती” भाषा का पता चला, जो २००० वर्ष ई० पूर्व मानी गयी। इस भाषा के सम्बन्ध में अनेक विवाद हुए, किन्तु जेक विद्वान् बो० ह्याजनी ने सन् १९१७ ई० में इस भाषा का सम्बन्ध भारतीय परिवार से स्थापित किया। पश्चिमी एशिया खण्ड की दो प्राचीन “हिती” और “मितानि” जातियों का पता कीलाक्षर-लेख से लगता है। इस लेख से यह स्पष्ट है कि परस्पर विरोधी इन दोनों जातियों ने सन्धिपत्र लिखा था, जिसमें मित्र, वरुण, इन्द्र और नासत्यो (अश्विनौ) जैसे नामों का उल्लेख है। लेख में मितानि जाति के इन देवताओं

के नामों को देखकर प्रो० मैक्समूलर आदि पाश्चात्य-विद्वानों की अटकल-वाजियाँ एव कल्पनाएँ कपोलकल्पित प्रतीत होने लगी, जो वैदिक-संहिताओं को अर्वाचीन मानने का दावा कर रहे थे। क्रीथ और मैक्डानल ने भी इसकी पुष्टि की है। प्रो० विन्टरनिट्स एक समन्वयवादी विचारक है। इन्होंने १४०० वर्ष ई० पूर्व के सिद्धान्त में १००० वर्षों के ऊपर की अवधि जोड़कर वैदिक-मन्त्रों की रचना को २५०० वर्ष ई० पूर्व माना है। इनके मत से सम्पूर्ण वैदिक-साहित्य की रचना भगवान् महावीर और वृद्ध से ७५० ई० पूर्व से ५०० ई० पूर्व के बीच में हुई है। अपनी अनेक विसंगतियों के बीच यह मत २५००० ई० पूर्व वैदिक-संहिताओं के रचना-सम्बन्धी किसी ठोस प्रमाण के अभाव में निष्क्रिय सा रहा है।

भारतीय वैदिक-विद्वान् लोकमान्य बालगङ्गाधर तिलक, श्रीबालकृष्ण दीक्षित, आदि के मत प्रायः समान आधार पर हैं। वैदिक-मन्त्रों की तिथियाँ भी प्रायः इन विद्वानों की मिलती-जुलती हैं। इनकी युक्तियाँ तथ्यों पर आधारित हैं। इन्हें भगवन्त मानना उचित प्रतीत नहीं होता। यद्यपि उपर्युक्त विभिन्न मतों के महान् अन्तराल के कारण किसी एक निष्कर्ष पर पहुँचना असम्भव है, तथापि बहुचर्चित मत के आधार पर वैदिक-संहिताओं के रचनाकाल को ४००० वर्ष ई० पूर्व से १००० वर्ष ई० पूर्व तक रखना उचित प्रतीत होता है।

संहिताओं में पुरुष और नारी—

संहिता-साहित्य में समाज के अभ्युत्थान, उत्कर्ष, प्रेयस् एव निःश्रेयस् में पुरुष वर्ग तथा नारी-वर्ग का योगदान समान रूप से रहा है। समानता के इस अधिकार को देखते हुए सहज में ही यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वैदिक-संहिताओं के समय विना भेद-भाव के समाज में पुरुष और नारी को आगे बढ़ने का अधिकार प्राप्त था। नारी को शक्तियों को पूर्णरूप से विकसित होने की सुविधा प्रदान करने वाला उस समय का पुरुषवर्ग निःसन्देह स्त्रीवर्ग के लिए श्रद्धा एव आदर का भाजन है। इस बीसवीं शताब्दी का समाज कल्पना भी नहीं कर सकता कि वैदिक-युग में नारी का कितना अधिक सम्मान था। उदाहरण के रूप में कहा जा सकता है कि समाज में उस समय नारी का वही स्थान था, जो शरीर में नाड़ी का होता है। शरीर में नाड़ी की तीव्र-गति या मन्दगति दोनों ही गतियाँ अस्वस्थता की द्योतक हैं। अतः चिकित्साशास्त्र के अनुसार शरीर की नाड़ी का समभाव में चलना श्रेयस्कर माना जाता है। समाज में यही स्थिति नारी की भी है। नारी भी सामाजिक बन्धनों को तोड़कर यदि तीव्र गति से चलती है या अपने विचारों को कुण्ठित कर मन्दगति का अनुसरण करती है, तो निःसन्देह वश, समाज एव राष्ट्र के भी पतन का

कारण बन सकती है। प्रत्येक भारतीय को इस बात पर गर्व होता है कि वैदिक-सहिताओं में समाज के उत्थान की ऊँचाई नारी के उत्कर्षरूपी मानदण्ड से आँकी एवं जाँची जाती थी। विश्वास के प्रतीक पुरुष ने श्रद्धा की प्रतीकरूपा नारी को इतनी सुविधाएँ दी कि नारी-समाज ने पुरुष-समाज के साथ कन्धे में कन्धा मिलाकर सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं बौद्धिक विकास में प्रगति के प्रतीक-भूत प्रमाणों को भरमार कर दी है। सहिता-समाजरूपी रथ के दो समान चक्रों की तरह चलने वाले पुरुष और नारीसमाज के कुछ पुरुष रत्नों तथा नारी-रत्नों की नामावली प्रस्तुत है, जिससे उपर्युक्त कथन की सत्यता प्रमाणित की जा सकती है।

वैदिक पुरुष-रत्न—

वैदिक-सहिताओं में वर्णित पुरुष ऋषियों के पाँच भेदों का वर्णन मिलता है, जिन्हें क्रमशः ऋषि, महर्षि, ऋषीक, ऋषिपुत्रक और श्रुतर्षि कहा गया है। चरक-तन्त्र सूत्रस्थान १/७ की व्याख्या करते हुए हरिचन्द्र-भट्टारक ने इनके निम्नलिखित भेद स्वीकार किये हैं—

महर्षि—

भृगु, भरोच, अत्रि, अङ्गिरस, पुलस्त्य, ऋतु, मनु, दक्ष, वासिष्ठ, पुलहत्य ।

ऋषि—

उशनस् काव्य, बृहस्पति, कश्यप, च्यवन, उत्थय, वामदेव, अगस्त्य, उशिक, कदम्, विश्ववा, शक्ति, वालखिल्य, अवन्त इत्यादि ।

ऋषिपुत्रक—

भृगु १९, आङ्गिरस ३३, काश्यप ६, आत्रेय ६, वासिष्ठ ७, कौशिक १३, आगस्त्य ३ ।

उपर्युक्त ब्राह्मण-पुरुषरत्नों के अतिरिक्त क्षत्रिय एवं वैश्य पुरुषरत्नों का भी उल्लेख है, जिनमें प्रमुख हैं—

क्षत्रिय—

क्षत्रिय-वशोत्पन्न दो ऋषियों का नाम वैदिक-सहिताओं में बड़े आदर से लिया जाता है, जिन्हें वैवस्वत तथा ऐलराजा पुरुषरत्न कहा जाता है।

वैश्य—

वैश्य-वशोत्पन्न भलन्दन, वत्स एवं सकील नामक वैदिक मन्त्रद्रष्टा ऋषियों का उल्लेख वैदिक-सहिताओं में है।

(२०) लोपामुद्रा । (२१) वाक् (आम्भुषी) । (२२) विश्ववारा (विश्वावरा) । (२३) शची (पोलोमी) । (२४) थ्रद्धा (कामायनी) । (२५) शाश्वती (अङ्गिरसी) । (२६) सरमा । (२७) सूर्या (सावित्री) । (२८) सार्वराज्ञी । (२९) सिक्ता (निवावरी या नीवावरी) । (३०) कटु । (३१) जरिता । (३२) देवानो । (३३) मेधा । (३४) रात्रि । (३५) शार्गा । (३६) थी ।

ऋषिकाएँ—

अट्टट-भावा, गोपायता, गोधा (तोधा), सिक्ता (निवावरी) । आश्वलायन एव शास्यायन गृह्यसूत्रों के अनुसार ऋषिकाएँ जिनकी वन्दना की गयी है—बडवा, प्रातियेयी, सुडभा, मैत्रेयी, गर्गी (वाचकनवी) ।

नारी के सहज प्राकृतिक-गुण—

सृष्टि का श्रीगणेश नारी एव पुरुष दोनों के पारस्परिक गुणों के आधार पर ही माना गया है । बिना एक के दूसरे के स्वतन्त्र अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती । समूचा वैदिक-सहिता साहित्य नारी के विविध रंगों से रंगा पड़ा है । नारी सदा पुरुष की सफरता में सहायिका रही है । जीवन की ज्योति, शक्ति एव प्रेरणा की स्रोत नारी ने अपने सहज गुणों से सर्वदा पुरुष की सहज-चेतना को प्रदीप्त किया है । समाज में नारी को जो सम्मान मिला है, वह उसकी साधना, सत्यता, सहन-शीलता, मौम्यता, सौष्ठवता आदि सहजगुणों का ही सुफल है। वैदिक-सहिताओ में पावनता की आगार नारी की अपने पति (पुरुष) के प्रति अटल भक्ति परिलक्षित होती है । शुद्धता एव नैतिकता की नींव बनो नारी विपत्तियों में महाक्रान्ति का रूप धारण कर महाशक्ति में अवतरित होती रही । धन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी के रूप में, वलदायिनी दुर्गा के रूप में तथा ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के रूप में नारी का समाज में सदा स्वागत एव सम्मान रहा है । आगे चलकर भी अपने इन्ही सहज गुणों के कारण नारी सहनशीलता के लिये बसुन्दरा से अपनी समता पाती रही है । भरण-पोषण की प्रतीक सर्वसहा पृथिवी ने जनकनन्दिनी सीता के रूप में, रत्नाकर ने सागरतनया लक्ष्मी के रूप में तथा पर्वतराज हिमालय ने पार्वती के रूप में नारी-समाज के महत्त्व को सर्वोपरि माना है ।

समाज को नारी की देन—

वैदिक-सहिता की नारी ने अपने व्यक्तित्व से समाज में आद्याशक्ति के स्वरूप को बनाये रखा है । नारी को अबला कहने वालों के सामने वैदिक-नारी सदा सबला रही है । महिला-शब्द का वास्तविक अर्थ ही है महान् शक्तिशाली । इसी का प्रत्यक्ष

प्रमाण है कि समाज में शक्तिरूप में नारी-मूर्ति को ही मान्यता मिली है। सृष्टि के उत्पत्ति-प्रसंग में नारी प्रकृति के स्पन्दन का आधार बनती है, पुष्प-ब्रह्म तो सदा प्रकृतिस्थ होकर प्रकृतिजन्य गुणों का उपभोग करता है। धार्मिक दृष्टि से साध्वी एवं राज्यनीतिज्ञ के रूप में वैदिक-नारी सदा युगद्रष्टा रही है। व्यक्तिगत नैतिकता को नारी ने सदा सार्वजनिक-रूप से सिद्ध करने की साधना की है। राजनीति को आध्यात्मिक रूप देने का श्रेय नारी को ही रहा है। सामाजिक संगठन की दृष्टि से नारी समाजवादी तथा समता हेतु सदा साम्यवादी रही है। कार्यनिधारण में यह सदा व्यक्तिवादो, परन्तु विरोधी तत्वों के सफाये के लिये नारी सदा उप्रवादी रही है। नारी-इस शब्द में स्नेह, वात्सल्य, ममता, त्याग, अनुराग आदि कितने भाव निहित हैं, जिनका सही रूप से मूल्यांकन कर पाना भाषा के सामर्थ्य के बाहर प्रतीत होता है। पारिवारिक रिश्तों के लिये अतीतकाल में जब सजाओं का सृजन हुआ होगा, तब शायद "माँ" शब्द ही सर्वप्रथम निकला होगा। उसी का प्रत्यक्ष-प्रमाण है कि जब कोई शिशु या प्रौढ़ अपने मुख से "माँ" या "अम्मा" कहता है, तो माँ निहाल हो उठती है। मातृत्व स्वयं में एक महान् देन है। मातृत्वहीन नारी का जीवन अधूरा है। यह सच है कि नारी के शरीर, गुण, रूप एवं स्वभाव आदि का सही विकास मातृत्व के बिना कठिन ही नहीं असम्भव भी है। यही कारण है कि नारी में मातृत्व की सहज-भावना उसके अन्तःस्तर में छपी रहती है। सम्पूर्ण सभ्य-समाज की सस्कृतियों में गुड्डे-गुड्डियों से खेलने, उनका विवाह रचाने के संस्कार नारी-जाति के जन्मजात गुण माने जाते हैं। वैदिक वाङ्मय की नारी ने विश्व को कुछ देन दी है, जिन्हें इस प्रकार समझा जा सकता है।

(१) तेजस्विता—

स्त्रीत्व की मर्यादा बनाये रखने के लिए संहिता-काल की नारी ने नर के सामने सदा अपना ललाट ऊँचा रखा है। इस कथन की पुष्टि हेतु महर्षि अत्रि की पुत्री अपाला का चरित्र उस समय के नारी-समाज का प्रतीक माना जा सकता है। तेजस्विता को मूर्ति अपाला का जीवनवृत्त इस प्रकार है।

अपाला का जन्म मन्त्रद्रष्टा महर्षि अत्रि के घर में हुआ। निःसन्तान महर्षि का घर इस बालिका के जन्म के साथ ही साथ जगमगा उठा। सुसंस्कारों से परिपूत महर्षि का आश्रम और अधिक पवित्र हो गया। दुर्भाग्यवशात् अपाला के सुन्दर शरीर पर कुछ श्वेत-कुष्ठ के चिह्न दृष्टिगोचर हुए, जिन्हें देखकर महर्षि का सम्पूर्ण हृष्य विषाद में परिणत हो उठा। अचूक अनुलेपो तथा औषधियों का प्रयोग भी निरर्थक सिद्ध हुआ। अपनी पुत्री को इस शारीरिक दशा से महर्षि अत्रि विचलित

हो उठे और उन्होंने अपनी पुत्री की शिक्षा-दीक्षा की ओर विशेष रुचि लेना आरम्भ कर दिया। फलतः अपाला शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रतिभा के रूप में निखर उठी। ब्रह्मवादिनी अपाला की यौवनावस्था की देखकर ज्ञानी पिता ने अपनी पुत्री का हाथ ऋषिकुमार कृशाश्व को सौंप दिया। अपाला को अपने पति के घर सभी प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त थी, एक पति-प्रेम को छोड़कर। विदुषी अपाला को अपने पति की इस उदासीनता को समझने में देर नहीं लगी और उसके अन्तस्तल में छुपा भारतीय नारीत्व जाग उठा। अपाला ने अपने पतिदेव से एक दिन पूछा—श्रीमन् ! मेरे प्रति आपका यह उपेक्षाभाव कब तक बना रहेगा ? रोष एव तेज भरे इस प्रश्न ने कृशाश्व के हृदय को झकझोर दिया और उसने गौन स्विकृति देते हुए कहा— “मेरे मानस को प्रेम और वासना ने आलौडित कर दिया है। प्रेम के कारण मैं आपके अलौकिक प्रभाव से नतमस्तक हूँ, परन्तु मेरी रूप-वासना आपके त्वग्दोष से मुझे आपके प्रति उदासीन सा बनाती जा रही है”।

अपने पति का उत्तर सुनकर अपाला पैरो-तले रौंदी गयी सापिनी की तरह क्रोधित हो उठी और उसने नारी की सच्ची तेजस्विता दिखाने का निश्चय किया। अपाला का दृढ़ विश्वास था कि मानसिक दुर्बलता को दूर करने का सर्वोत्तम साधन तपश्चर्या है। तपस्या-रूपी अग्नि में तपाया गया मानव हृदय, तपाये गये काञ्चन की तरह निखर उठता है। वृत्रहन्ता इन्द्र को प्रसन्न करने हेतु अपाला ने निर्णय किया और अन्त में अपनी तपश्चर्या से उन्हें प्रसन्न कर लिया। सोमरसपायी इन्द्र ने प्रसन्न होकर वर मागने का आदेश दिया। अपाला ने प्रथम वरदान में अपने पिता के खल्वाट सिर पर बालों के उगने की याचना की। द्वितीय वरदान में पिता के ऊसर खेतों में कृषि की उपज तथा तीसरे वरदान में अपने शरीर के त्वग्दोष-निवारण की प्रार्थना की। इन्द्र ने प्रसन्न होकर ‘एवमस्तु’ कहकर साधिका के मनोरथ पूरे कर दिए। सबला नारी की तेजस्विता को देखकर समार स्तब्ध हो गया। अपाला के पति महर्षि कृशाश्व भी नारी-शक्ति के आगे नतमस्तक हो गये और उन्होंने अपाला को सराहना की।

(२) भद्र-भावना—

वैदिक-संहिताओं में अनेक भद्र-भावनाओं के आख्यान भरे पड़े हैं। वैदिक-काल की नारी में सदा अन्तरात्मा की पुकार को अपनी अन्तश्चेतना से सुना है। ऋग्वेद ५/६१ में वर्णित कहानी में ऋषि की गौरव-गाथा का सजीव चित्रण, प्रेम की प्रखर महिमा तथा साधक की भगलमयी भद्र-भावनाओं का प्रतिपादन किया गया है। इस सूक्त की ऋचाओं में राजर्षि रथवीति दालभ्य की धर्मपत्नी ने जिस विवेक

का परिचय दिया है, वह स्वयमेव वैदिक-महिताओं की नारी को भद्र-भावनाओं का जीता-जागता उदाहरण है ।

कथानक इस प्रकार है कि एक बार राजर्षि रथवीति ने अपनी राजधानी में यज्ञ का विधान किया । राजा के विशेष आग्रह पर महर्षि अर्चनाना ने होता का गुस्तर-भार ग्रहण किया । अर्चनाना, महर्षि अत्रि के पुत्र और अपने समय के ब्रह्मवेत्ता माने जाते थे । ऋग्वेद के पंचममण्डल के अनेक सूक्तों के वे ऋषि हैं । महर्षि अर्चनाना अपने साथ अपने ज्येष्ठ युवा-पुत्र श्यावाश्व को भी राजा रथवीति की राजधानी में ले आए । यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि की दृष्टि राजा का पुत्रो मनोरमा पर पड़ी और उन्होंने विचार किया “बड़ा अच्छा होता अगर मनोरमा मेरी पुत्रवधू बनती” । इस विचार के साथ ही महर्षि ने राजा से प्रस्ताव किया कि “आपको अपनी रूपवती राजकुमारी मनोरमा का विवाह मेरे गुणवान् पुत्र श्यावाश्व से करना होगा” । राजा ने प्रस्ताव का तत्काल अनुमोदन करते हुए कहा—“महर्षे ! मेरा सकल्प गुणवान् व्यक्ति को अपनी कन्या देने का है । भला कौन ऐसा पिता होगा जो अपनी कन्या का पाणिग्रहण गुणों के मनोरम आगार आपके पुत्र से करने को उदसुक नहीं होगा ? मुझे तो आपका प्रस्ताव स्वीकार है, किन्तु इसका लिए महारानी की स्वीकृति का महत्त्व मेरी स्वीकृति से अधिक महत्त्वशाली है” ।

महर्षि की आज्ञा पाकर राजा रथवीति अपने अन्त-पुर में गये और उन्होंने महारानी को महर्षि के प्रस्ताव से अवगत करा दिया । महारानी ने एक ही शब्द में राजा को सचेत कर दिया कि “मन्त्रवत्ता और मन्त्रद्रष्टा म महान् अन्तर है” । मेरे कुल में आज तक ऋषि को छोड़कर अन्य किसी को कन्या नहीं दी गयी । इसलिये मैं तो अपनी कन्या किसी ऋषि को देना चाहती हूँ, जिससे वह वेद-माता बन सके, क्योंकि ऋषि को वेद-पिता माना गया है । नि सन्देह श्यावाश्व सर्वगुण-सम्पन्न है, परन्तु ऋषित्व के अभाव के कारण मेरी पुत्री मनोरमा का विवाह उनसे नहीं हो सकता ।

महारानी की अस्वीकृति ने महर्षि अर्चनाना तथा उनके गुणवान् पुत्र श्यावाश्व को कामना-कमलिनी पर तुषारपात कर दिया । भग्न मनोरथ श्यावाश्व ने ऋषित्व-प्राप्ति हेतु तपश्चर्या का अवलम्बन लिया, क्योंकि तपश्चर्या का फल भी धर्म के फल के समान सुखद एवं मधुर होता है । ब्राह्मण-युवक ने अपने सभी सुखों को तपस्या की वेदी पर चढ़ा दिया, जिसका उन्हें सद्य फल मिला । मस्तो न प्रमत्त होकर श्यावाश्व के अन्तस्तल से अन्धकार-पटल को दूर कर दिया । परमतत्त्व की अनुभूति के साथ ही ऋषियुत्र को ऋषित्व की प्राप्ति हो गयी और उन्होंने अपने इष्टदेव मस्तो का यशोगान इस प्रकार आरम्भ कर दिया—

हे भगवन् ! आप लोग जिसे भी मत्कर्मों से प्रेरित करते हैं, उसकी सर्वत्र विजय होती है। ऐसे व्यक्ति को न कोई जीत सकता है न कोई मार सकता है, न उसको कोई हानि अथवा बाधा ही पहुँचा सकता है। ऐसे व्यक्ति की सम्पत्ति को सदा रक्षा होती है। “हे मरुद्गण ! आपकी दया से लोग स्पृहणीय पुत्रों के माय धन को प्राप्त करते हैं। सामगायन करने वाले ऋषि की रक्षा तथा आपको हविष्य देने वाले को अश्व आदि की प्राप्ति होती है। आपकी दया-दृष्टि की महिमा असीम है”। इतना ही नहीं “हे मरुत लोग ! आपकी महिमा स्तुत्य है और सूर्य के समान दर्शनीय है। हम आपके उपासक हैं, अतः हमें अमृतत्व प्रदान कीजिए। शुभ स्थान को जाने की इच्छा करने वालों के रथ आपका अनुसरण करते हैं”।

अपने तपोबल से ऋषित्व पद की उपलब्धि के पश्चात् श्यावाश्व अपने पिता से आज्ञा लेकर राजर्षि रथवीति से मिलने गये। राजा और रानी ने ब्रह्मर्षि श्यावाश्व का हार्दिक स्वागत किया और पुत्री मनोरमा का पाणिग्रहण उनके साथ कर दिया। इस प्रकार अपने कुल की परम्परा का पालन करने वाली महारानी ने अपनी भद्रभावना से नारीसमाज का मस्तिष्क ऊँचा कर दिया। यह नारी की दृढता और सूझ बूझ का ही फल था कि ब्रह्मतेज का क्षात्रबल के साथ मगलमय सम्बन्ध स्थापित हो सका। आज भी भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर-भाग में गोमती नदी कलकल करती हुई रथवीति के आश्रम से होकर बहती है और आदर्श नरपति के खौरत्न की भद्रभावना की कमनीय कथा लोगों को सुनाती हुई सिन्धु में प्रविष्ट होती है।

(३) पातिव्रतत्व—

वैदिक सहिताओ में नारी के पातिव्रत-धर्म-परिपालन की अनेक कथाएँ हैं, जिनसे पता चलता है कि भारतीय नारी कभी भी बाह्य चाकचिक्य या ऊपरी आडम्बर पर मुग्ध नहीं होनी थी। पति-सेवा उनका सर्वोपरि धर्म था। परिणय ही पति-पत्नी को एक साथ रखने का सम्बल था। पति की अवस्था या रूप-लावण्य वैदिक-नारी के लिए कभी भी आकर्षण-केन्द्र नहीं रहा है। इस सम्बन्ध में पश्चिम आर्यावर्त के एकच्छत्र सम्राट् शर्याति की पुत्री सुकन्या का चरित्र प्रस्तुत है।

एक बार राजा शर्याति मृगया की कामना से अपनी कमनीय गात्रवाली तरुणी कन्या “सुकन्या” के साथ महर्षि च्यवन के पुण्ड्र-मण्डल में पहुँच गये। राजा के निषेध करने के बाद भी कुछ चंचल स्वभाववाले बालको ने तपश्चर्या में लगे हुए वृद्ध च्यवन ऋषि को अपमानित किया। ऋषि के अपमान-स्वरूप राजा की सेना आपस में ही सघर्ष करने लगी। राजा महर्षि च्यवन की कठोर तपस्या के प्रभाव से परिचित थे, अतः तत्काल उनके पास पहुँच कर अपराध हेतु क्षमा याचना

को । महर्षि का सद्य हृदय द्रवित हो गया, किन्तु प्रायश्चित्त-स्वरूप राजा को अपनी युवती पुत्री का पाणिग्रहण च्यवन से करना पडा । राजकन्या "सुकन्या" वृद्ध महर्षि की जगल मे रहकर सेवा करने लगी और अभ्यागत अतिथियो की सुसेवा हो उसके जीवन का लक्ष्य हो गया । एक वार पातिव्रत धर्म की परीक्षा हेतु अश्विनी-कुमारो ने पुष्कर सरोवर से स्नान कर निकलती हुई सुकन्या से पूछा—“तुम कौन हो ? देवी या मानवी ? तुम वन मे अकेले क्यों रहती हो ? क्या तुम्हारा शरीर आश्रम के योग्य है ? कमल की साथकता किसी राजा के गले का हार बनने मे है, वन का कांटा बनने मे कभी नहीं” ।

सुकन्या ने उत्तर दिया—वह सम्राट् शर्याति की एकमात्र राजकुमारी है तथा महर्षि च्यवन की पाणिगृहीती पत्नी । पति की सेवा करना ही मेरा एकमात्र धर्म है, इसीलिये मैं इस निजन वन मे रहती हूँ । सुकन्या का उत्तर सुन अश्विनीकुमारो ने परखने हेतु कहा—“राजकुमारी, च्यवन के जीवन की तपोमयी सन्ध्या और तुम्हारे जीवन के प्रभात का अभी अरुणोदय है । अतः इस वृद्ध का परित्याग करो” । अश्विनीकुमारो का यह सुझाव सुकन्या के शान्त रमणीय जीवन पर वज्रपात की तरह गिरा और उसने उत्तर दिया—“दाम्पत्य स्नेह, प्रेमपाश मे बाधने वाला एक अच्छेद्य बन्धन है, जिसे मृत्यु भी नहीं तोड सकती” । इस प्रकार “सुकन्या” को अपने पातिव्रत मे अटल पाकर अश्विनीकुमारो ने च्यवन के साथ पुष्कर सरोवर मे गोता लगाया और महर्षि च्यवन को एक मनोरम युवक बना दिया । सारा ससार सुकन्या के इस पातिव्रत धर्म की गाथा गाकर आज भी अपने को धन्य मानता है ।



द्वितीय अध्याय

शब्दार्थ-सम्बन्ध—

शब्द और अर्थ का एक दूसरे से अविभाज्य एव अनिवार्य सम्बन्ध है, अर्थात् पहिले के बिना दूसरे की स्थिति असम्भव और दूसरे के बिना पहिले की स्थिति व्यर्थ होती है। भारतीय सस्कृति के परमोपासक कविवर कालिदास ने रघुवश-महाकाव्य के मङ्गलाचरण^१ में शब्द और अर्थ को पार्वती-परमेश्वर की भांति अभिन्न माना है। वैदिक-परम्परा के सबल पक्षधर महात्मा तुलसीदास ने भी सीता और राम को शब्दार्थ की तरह एक ही मानते हुए कहा है—“गिरा अर्थ जलवीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न”। गिरा शब्द से उनका अभिप्राय शब्द से है। शब्द और अर्थ वस्तुतः जल और लहर के सदृश एक ही हैं। निश्चय ही शब्द और अर्थ सदैव अभिन्न रहे हें और रहेंगे।

शब्द कर्णेन्द्रिय का विषय है और अर्थ उसको अभिव्यक्ति का। इसलिये शब्द अर्थ से कुछ बाह्य जान पड़ता है। शब्द और अर्थ ने यह अभिन्नता किस समय प्राप्त की? यद्यपि इसका कोई व्यवस्थित इतिहास उपलब्ध नहीं, तथापि विचार करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शब्दार्थ का सम्बन्ध उतना ही प्राचीन है, जितना कि संहिताकाल। संहिताओं का सकेत ही शब्दार्थबोध का प्रमुख कारण है। जब शब्द, साक्षात् सकेतित अर्थ या प्रसिद्ध अर्थ से भिन्न, परन्तु मुख्य अर्थ से सम्बन्धित अर्थ अथवा प्रसिद्ध अर्थ से नितान्त भिन्न अर्थ का बोध कराने वाली—अभिधा, लक्षणा, व्यञ्जना का स्वरूप ग्रहण करता है, तो अर्थ भी वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्ग्य कहलाने लगता है।

व्युत्पत्ति को उपयोगिता—

निर् + वच् + क्तिन् से निष्पन्न शब्द “निरक्ति” किसी शब्द के सम्पूर्ण अर्थ को व्यक्त करने का नाम है। निर् + पद् + क्तिन् से बना निष्पत्ति, वि + उद् + पद् + क्तिन् से निर्मित “व्युत्पत्ति” शब्द अर्थबोध में सहायक होते हैं। तिजोरो का ताला खोलने के लिए जिस प्रकार ताली की अनिवार्यता सुतरा सिद्ध है, ठीक उसी प्रकार किसी शब्द के सम्यक् बोध के लिये उस शब्द की निष्पत्ति आवश्यक ही नहीं, अपितु परमावश्यक है।

१ वाग्यार्थविव सम्पुक्तो वागर्थप्रतिपत्तये ।

जगत पितरो बन्दे पार्वतीपरमेश्वरो ॥ रघुवश-१।१ ॥

प्रत्येक शब्द का अपना एक निराला इतिहास है। शब्द समय समय पर सकोच-विस्तार को परिक्रमा करता हुआ कभी कभी अपने मूल अर्थ से बहुत दूर चला जाता है, परन्तु परिवर्तन की यह परिक्रमा उसके मूल अर्थ को नष्ट करने का सामर्थ्य नहीं जुटा पाती। वस्तुतः शब्दों के विकास के साथ-साथ मानव-सभ्यता का इतिहास जुड़ा हुआ है। यदि हम किसी भी देश, जाति के उत्थान-पतन, विकास-सकोच को जानना चाहे, तो हमें उस समय में प्रयुक्त शब्दों के भावगाम्भीर्य को समझना होगा, जिसके लिये शब्द-व्युत्पत्ति ही एकमात्र शरण है।

(उदाहरण रूप में हम "नारी" शब्द को ही देखें, जिसके साथ "नर" का शारीरिक, रागात्मक, आर्थिक एवं धार्मिक सम्बन्ध होने के कारण अनेक स्वरूप बदले हैं और उनको सूचित करने के लिये विभिन्न शब्दों का निर्माण हुआ है। यह सच है कि केवल शब्द-व्युत्पत्ति के सहारे "नारी" की महिमा का गान नहीं किया जा सकता, हाँ, एक चावल के दाने को स्पर्श करने की भाँति जिस तरह चूहे पर चढ़ाये गये अन्य चावलों की स्थिति का परिज्ञान कर लिया जाता है, उसी तरह "नारी" शब्द से भले ही पूरी अभिव्यक्ति न हो, परन्तु उसके गुण, क्रियाओं का भान तो अवश्य ही हो जाता है।

नारी-सम्बन्धी कतिपय शब्दों की व्युत्पत्ति—

सहिता-काल में नारी-समाज की सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक तथा सांस्कृतिक स्थिति को जानने हेतु "नारी" के लिये प्रयुक्त कतिपय शब्दों का दिग्दर्शन यहाँ कराया गया है।

नारी—

"नृ" अथवा "नर" से बना नारी-शब्द नि सन्देह यजुसंहिता में बहुत ही कम प्रयुक्त हुआ है। साम-संहिता में तो इसका प्रयोग हुआ ही नहीं। जहाँ तक अथर्व-संहिता का सम्बन्ध है, उसमें "नारी" और "नारि" दोनों पदों का सात सात बार प्रयोग हुआ है। ऋक्संहिता में नारी शब्द का प्रयोग बहुतायत रूप में हुआ, जिसका फल है कि सहिताकाल के परवर्ती वाङ्मय में "नारी" शब्द चर्चा का मुख्य विषय बन गया।

नृ + अन् + डीप् = नारी अथवा नर + डीप् = नारी इन दोनों व्युत्पत्तियों को महाभाष्यकार महर्षि पतञ्जलि ने ठीक मग्नते हुए "नुर्धर्म्या नारी, नरस्यापि नारी" (महाभाष्य ४/४/९) का महत्त्व प्रतिपादित किया है।

नृत्त्व, नरत्त्व जाति-विशिष्ट स्त्री, नारी मानी गयी है। नृ अथवा नरशब्द से "नृनरयोर्वृद्धिश्च" तथा "शाङ्गैरवादि०" सूत्र से डीप् होकर नारी शब्द बनता है।

महर्षि यास्क ने "नारी" के मूलभूत शब्द "नर" की व्युत्पत्ति नृत् (नाचना) धातु से करते हुए अपनी अमर-रचना निरुक्त (५।१।३) में "नराः मनुष्याः नृत्यन्ति वर्मसु" कहा है। इस व्युत्पत्ति से स्पष्ट है कि नर अपने कार्यों के सम्पादन में अपने अंगों का सञ्चालन करता था, इसीलिये उसे "नर" कहा गया है। "नारी" शब्द भी अपने मूलभूत शब्द "नर" के कारण उपर्युक्त विशेषणों से अलङ्कृत था और वह भी नर की तरह समाज में अपने सभी अधिकारों का प्रयोग करके अर्द्धनारीश्वरत्व की परिकल्पना को सार्थक करता था।

ऋक्-सहिता ७।२०।५, ७।५५।८, ८।७७।८, १०।१८।७, १०।८६।१०-११ में "नृ" से बने नर और नारी का प्रयोग वीरता का कार्य करने, दान देने एवं नेतृत्व करने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। सहिताओ में नर के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर घर का कार्य करने, यज्ञ करने, दान देने, अतिथियों, साधुओं, मिश्रुओं का स्वागत-सत्कार करने तथा युद्ध में अपने पति के साथ जाने के वृत्तान्त उपलब्ध हैं, जिससे उस समय की वस्तुस्थिति का परिज्ञान हो जाता है।

विवाहकाल में कन्यादान और पाणिग्रहण के बाद "लाजा-होम" के अवसर पर कन्या के लिये सर्वप्रथम "नारी" शब्द का प्रयोग हुआ है (पाराशर-गृह्यसूत्र १।६।२, अ० १४।२।६३), क्योंकि इससे पूर्व उसका नर के साथ सम्बन्ध नहीं था। "नारीत्व" की भावना आते ही उसके मुख से निकल पड़ता है—"आयुष्यमानस्तु मे पति", "एधन्ता ज्ञातयो मम"। नारी होने के बाद ही वस्तुतः उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है।

नारि—

अथर्व-सहिता (काण्ड ३।१२।८, ३।२३।५, १।१।१।३-१४, १।१।१।२३, १।४।२।२०, १।४।२।३२, १।८।३।२) में ह्रस्व इकारान्त "नारि" शब्द का प्रयोग हुआ है। सायण के मत से "नारि" का भाव नरों का उपकार करने से है। यही कारण है कि आपने "नृणां महावीरार्थिनाम् उपकारित्वात् नारि" कहा है। "न अरिः=नारिः" का प्रतिपादन सायण ने (तै० ब्रा० ४।२।१) किया है। ब्राह्मणग्रन्थों में भी "नारि" शब्द का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है।

नारी-नारि-विभेद-कारण—

पुरुष-पूरुष शब्द की तरह नारी के भी दो रूप वैदिक-सहिताओ में उपलब्ध होते हैं। व्याकरण की दृष्टि से निरुक्तकार ने इसे जहाँ क्रिया का पुरुष माना है, वही ऋक्-सहिता के पुरुष-सूक्त में इसे सहस्र सिरो, आँखों तथा चरणों वाला स्वीकार करते हुए परमपिता परमात्मा की सजा दी है।

पुरुष पुरुष की तरह सहिताओ में नारी-नारि के भी दो रूप मिलते हैं। क्या युगल रहने की उक्ति-युक्ति यहाँ भी चरितार्थ होती है कि दीर्घ-ऋकारादि पुरुषशब्द के लिये दीर्घ ईकारान्त नारी तथा ह्रस्व-उकारादि पुरुष के लिये ह्रस्व-इकारान्त नारि शब्द का साक्षात्कार हमारे मन्त्रद्रष्टा पुरुषों तथा नारीसमाज ने किया था ?

दोनों (नारी-नारि) शब्दों पर दृष्टिपात करने पर सामान्यरूप में कोई विशेष अन्तर इनमें दृष्टिगोचर नहीं होता, परन्तु अथर्वसंहिता को छोड़कर अन्य ऋक्-यजु साम में 'नारि' शब्द का प्रयुक्त न होना अवश्य ही मन में एक सन्देह उत्पन्न करता है कि क्या कारण है कि विश्व की सभ्यता के आदिम-ग्रन्थ ऋक्-संहिता में, जहाँ नारीशब्द का तो बहुतायत में प्रयोग हुआ है, वही "नारि" शब्द का एक बार भी प्रयोग क्यों नहीं हुआ ?

लगता है कि सर्वतोभावेन अपने नर के प्रति आत्मसमर्पण करने वाली ऋक्-संहिता की स्त्री, अथर्वसंहिता में आकर कुछ बदल गयी और उसके मन में पुरुषवग के प्रति क्षोभ की भावनाओं ने जन्म ले लिया। यही कारण है कि वैदिक संहिताओं के श्रेष्ठ भाष्यकार सायण को 'नारि' शब्द की व्युत्पत्ति में न+अरि = नारि अथवा "नृणा महावीरार्थिनाम् उपकारित्वात् नारि" कहना पड़ा है।

अथर्वसंहिता (७।३।४) में एक स्वाभिमानिनी नारी अपने पति से कहती है—'अहं वदामि नेत त्व सभायामह त्व वद'। इसके अतिरिक्त मैत्रायणी-संहिता भी इसका प्रमाण है कि अब नारी-समाज पर सभाओं में जाने और बोलने पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। "पुमास सभा यान्ति न स्त्रिय" (मै० स० ४।७।४)।

कन्यारत्न, एक पतिव्रता नारी, यज्ञाधिकार आदि सुविधाओं से सुसज्जित ऋक्कालीन नारी, "स्त्रिय पुंसोऽतिरिच्यन्त" (मै० स०) में प्रतिपादित नारी की प्रतिष्ठा जब बहु विवाह के व्यवहार से धूमिल होने लगी, तो 'नारी' शब्द ने अपना दीर्घाकार ईकार वाला घूंघट ऊपर उठाकर उसे ह्रस्व इकार में परिवर्तित कर दिया और नारी के साथ ही नारि का भी प्रयोग होने लगा।

अन्तर स्पष्ट है कि ऋक्कालीन नारी जहाँ अपने पाणिग्रहणसंस्कार के बाद नर के सम्पर्क के कारण अपने लिए सर्वप्रथम नारी शब्द का प्रयोग करती है, वही अथर्वसंहिता की "नारि" अपनी सपत्नी से इतनी भयभीत रहती है कि वह अपने पति को नपुंसक बनाने में जादू, टोना आदि का प्रयोग करने में भी सकोच नहीं करती (अथर्वस० ६।१३।२)।

मेना—

ऋक्-संहिता (मण्डल १।६२।७, १।९५।६, २।३९।२) में "मेना" शब्द का प्रयोग नारी के लिए किया गया है। महर्षि यास्क ने "मेना" पद की व्युत्पत्ति करते

हुए—“मानयन्ति एनाः (पुरुषाः)” (निरुक्त ३।२।१२) में कहा, जिसका अर्थ है—पुरुषों द्वारा आदर पानेवाली नारी। लगता है परवर्ती साहित्य में “मेना” शब्द ही लौकिक संस्कृत में “मान्या” शब्द के रूप में परिवर्तित हो गया।

योपा—

यु धातु (जुटाना) से निष्पन्न-योपत्, योपा, योपणा, योषित् शब्द समानार्थक हैं, जो युवती, नारी अर्थ के वाचक हैं। वैदिकवाङ्मय में “योपा” शब्द का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है। योपन्-शब्द ऋक्-संहिता मण्डल (४।५।५) में, योपणा—(३।५।२।३, ३।५।५, ३।६।२।८, ७।९।५।३) में, योपा—(१।४।८।५, १।९।२।११, ३।३।३।१०, ३।३।८।८) में, योषित्—(९।२।८।४) में प्रयुक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त अथर्वसंहिता (१।२।३।२९, १।४।१।५६, ६।१०।१।१) में भी योपा, योषित् का प्रयोग हुआ है।

निरुक्त (३।१।५।१) में “योपा” की व्युत्पत्ति करते हुए यास्क ने लिखा है—“योपा यीते मिथ्यणार्यस्य, सा हि मिथ्ययति आत्मानं पुरुषेण साकम्”। अर्थात् नारी को योपा इसलिये कहा जाता है, क्योंकि वह सर्वात्मना अपने को पुरुष के साथ मिला देती है।

युप्-परितर्कणे से “नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः” सूत्र से कर्ता में अच्, गुण, स्त्रीत्वविदक्षा में टाप् प्रत्यय होकर योपा शब्द निष्पन्न होता है। “युप्. सौत्र सेवाम्याम्” योपति सेवते इति योपा, अर्थात् सेवा करने वाली नारी।

जाया—

“जाया” की महिमा ऋक्संहिता (३।५।३।६) में गायी गयी है। उस घर को सर्वोत्तम माना गया है, जिसमें दिव्य गुणों से मण्डित, “जाया” निवास करती है। ऋक्-संहिता (३।५।३।४) में नारी के सम्मानित स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है—“हे इन्द्र! जाया ही घर है, यही पुरुष का विश्राम-स्थल है”।

ऐतरेयब्राह्मण में जाया की प्रशंसा में कहा गया है—“आभूतिरेपा भूतिः” अर्थात् यही शोभा है, यही ऐश्वर्य है। व्युत्पत्ति करते हुए ऐतरेय-ब्राह्मण में स्पष्ट कहा गया है—(तदेव जायाया जायात्व यदस्या जायते पुनः)। “तज्जाया जाया भवति यदस्या जायते पुनः”। अर्थात् जाया को जाया इसलिये कहा जाता है, क्योंकि पुरुष स्वयं उसमें पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करता है। जायते अस्याम् अर्थात् गर्भ के आधार को जाया कहते हैं। “जनेयम्” सूत्र से यक्-प्रत्यय होने पर जाया-शब्द निष्पन्न होता है।

ग्ना—

ऋक्-संहिता (१।१।५।३, १।२।२।१०, ५।४।३।६) में “ग्ना” शब्द का प्रयोग सामान्य नारी के अर्थ में आया है, जैसा कि आगे चल कर ब्राह्मण-ग्रन्थों में भी इसका

प्रयोग हुआ है। “ग्ना” शब्द का विशेष रूप से ऋग्वेद में देवपत्नी के अर्थ में प्रयोग है—“ग्ना देवपत्नी”। ऋक्-संहिता (५।४६।८), तु० (१।६१।८ में) “ग्ना” शब्द का प्रयोग देवपत्नी के लिये द्रष्टव्य है।

यास्क ने—“ग्ना गच्छन्ति एना.” (निरुक्त ३।२।१२) कहकर “ग्ना” शब्द की व्युत्पत्ति बतायी है, जिसका अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि नारी को “ग्ना” इसलिये कहते हैं, क्योंकि पुरुषससर्ग की अभिलाषा से इसके पास गमन करता है। लौकिक-संस्कृत का गम्या शब्द “ग्ना” का ही विकसित रूप लगता है। परवर्ती वाङ्मय में “घेना”, “मेना” शब्द मिलते हैं, जिन्हें “ग्ना” का ही परिवर्तित रूप कहा जा सकता है।

छो—

ऋक्-संहिता (१।१६४।१६, ५।६१।६) में “स्त्री” शब्द का पुमास (मनुष्य) और एक बार “वृषन्” (पुरुष) के विपरीत प्रयोग हुआ है। ऋक्-संहिता दशम मण्डल में उर्वशी द्वारा पुरूरवा को सम्बोधित करते हुए कहा गया है कि ‘स्त्रियो का हृदय वृक् (भेडिया) के हृदय के समान होता है, इनकी मित्रता कभी अटूट नहीं होती’^१।

ऋक्-संहिता (८।३३।१७) में “स्त्रिया अशास्य मन.” भी स्त्री शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसमें स्त्री को वश में रखना असाध्य माना गया है।

मैत्रायणी-संहिता^२, काठक-संहिता^३ में निरुक्तकार^४ ने स्त्रीशब्द का प्रयोग किया है।

“स्त्री” शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए—“स्त्यायाति गर्भो यस्यामिति” ऐसा कहा गया है। स्त्यै—स्त्यायते से डट् प्रत्यय, डीप् होने से “स्त्री” रूप बनता है। क्षीर-स्वामी ने भी कहा है कि नारी को स्त्री इसलिये कहा जाता है, क्योंकि गर्भ की स्थिति उसके भीतर रहती है। भाष्यकार पतञ्जलि ने—“शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्धाना गुणानां स्त्यान स्त्री”। अर्थात् शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध के विकास का नाम ही स्त्री

१ पुरूरवा मा मृधा मा प्र पतो मा त्वः वृक्षासो अशिवास उक्षन् ।

न वै स्त्रैणानि सरुदानि सन्ति सालावृक्षाणा हृदयान्येता ॥ (ऋ० १०।९५।१६)

२ यत्स्थाली सिञ्चन्ति न दारुमय तस्मात्पुमान्दायाद स्त्र्यदायादय यत्स्थाली परास्यन्ति न दारुमय तस्मात्स्त्रिय जाता परास्यन्ति न पुमासमय स्त्रिय एवातिरिच्यन्ते ।

(मै० स० ४।६।४, ६।१०।१०)

३ परा स्थालीमस्यन्ति न बायव्य तस्मात्स्त्रिय जात परास्यन्ति न पुमासम् । (का० स० २७।९)

४ तस्मात्पुमान्दायादो दायादा स्त्रीति विज्ञायते तस्मात्स्त्रिय जाता परास्यन्ति न पुमासमिति च । (निरुक्त ३।१।४)

है, क्योंकि स्त्री इन्हे वहन करती है। “स्त्ये शब्दसंघातयो.” यहाँ शब्द तथा संघात अर्थ में “स्त्ये” धातु का प्रयोग हुआ है। “अधिकरणसाधना लोके स्त्री, स्तायत्यस्या गर्भ इति।” अर्थात् लोक में अधिकरण साधना स्त्री है, जिसमें गर्भ संघात-रूप में प्राप्त होता है।

यास्क ने “स्त्रियः एव एता. शब्दस्पर्शरूपरसगन्धहारिण्य.” (निरुक्त अध्याय १४ खण्ड २०) कहकर पतञ्जलि के सिद्धान्त के विपरीत वहन के स्थान पर अपहरण को प्रमुखता दी है।

सुन्दरी (सूनरी)—

ऋक्सहिता में उपादेवी के लिये सूनरी शब्द का प्रयोग हुआ है। सूनरी का शाब्दिक अर्थ है शोभा को बढ़ाने वाली। वस्तुतः “सुन्दरी” शब्द, वैदिक-सहिताओ में प्रयुक्त “सूनरी” शब्द का ही विकसित रूप जान पड़ता है।

“सुष्ठु उन्नति आर्द्रीकरोति चित्तम्” व्युत्पत्ति के अनुसार सुन्दर+डोप् से निष्पन्न सुन्दरी (सूनरी) का अर्थ है—अपनी शोभा से देखने वाले के हृदय को द्रवित करनेवाली नारी। अमरकोश के टोकाकार क्षीरस्वामी ने “सुष्ठु नन्दयति इति नैरुक्ता” (अमरकोश ३।१।५२) कहा है।

वधू—

“वधू” शब्द नवविवाहिता नारी के लिये (ऋ० ८।२६।१३, १०।२७।१२, १०।८५।३३ आदि स्थानों में) प्रयुक्त हुआ है। “वहति श्वसुरगृहभार या सा” अर्थात् जो श्वसुर-घर के सम्पूर्ण भार का वहन करनेवाली है अथवा “उह्यते पितृगोहात् पतिगृहम् = वधूः” इस पद की निष्पत्ति “वह्-वहो धश्च्” के ऊ प्रत्यय से होती है, जिसका सामान्य अर्थ है सहचरी-गृहिणी।

पुरन्धि—

पुरन्धि (नगर-नेत्री) शब्द का प्रयोग नारी के लिये ऋक्सहिता (१०।८०।१) में “अग्निनारी वीरकुक्षी पुरन्धिम्” के रूप में हुआ है। “स्वजनसहित पुर धारयतीति = पुरन्धि” शब्द धृन् + खच् + डोप् से निष्पन्न होता है, जिसका सामान्य अर्थ है—पति-पुत्र-दुहितृयुक्त कुटुम्ब वाली नारी। “पुरन्धिर्योषा”-(यजु० २२।२२) में

१ आद्या योषेव सूनर्युषा याति प्रभुञ्जती।

अरयन्ती वृजन यद्दीयत उत्पातयति पक्षिण ॥ ऋ० १।४८।५।

विद्वस्य हि प्राणन जीवन स्वे वि यदुच्छसि सूनरि।

सा नो रथेन वृहता विभावरि श्रुधि चित्रामधे हवम् ॥ ऋ० १।४८।१०।

प्रयोग हुआ है, जिसमें ईश्वर से प्रार्थना की गयी है कि हमारे राष्ट्र में सर्वगुण-सम्पन्ना नारियाँ उत्पन्न हों ?

ऋक्-संहिता (१।११६।१३) में भी "पुरन्धि." शब्द प्रयुक्त है जिसमें अश्विनी-कुमारों द्वारा पुत्रोपलब्धि की बात कही गयी है।

दम्पती—

पति पत्नी के सामूहिक नाम दम्पति का उल्लेख (ऋ० ५।३।८, ८।३।५।५, १०।१०।५, १०।६।८।२, १०।८।५।३२, एव अथर्वसंहिता—६।१२३।३, ११।३।१४, १४।२।९ में) हुआ है।

जाया च पतिश्च इस द्वन्द्वसमास से सम्पन्न होने वाले शब्द में "जाया" शब्द के स्थान पर दमादेश हो जाता है।

पत्नी—

ऋक्-संहिता (१०।८।५।३९), अथर्वसंहिता (९।३।७), तैत्तिरीय-संहिता (६।५।१।४) तथा मैत्रायणी-संहिता (१।५।८) में पत्नी शब्द का प्रयोग मिलता है।

पाति रक्षति पा + इ ति से निष्पन्न रूप में डीप् और नुक् आगम लगाने से बना "पत्नी" शब्द सहधर्मिणी का बोधक है।

जनि, जनी—

पत्नी के अर्थबोधन में दोनों शब्दों का प्रयोग संहिताओं में हुआ है। ऋक्-संहिता (४।५।२।१) में "जनी" शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋक्-संहिता (१।८।५।१, ४।५।५, ७।१।८।२, ९।८।६।३२) तथा वाजसनेयि-संहिता (१२।३।५, २०।४०।४३) में इन शब्दों के प्रयोग मिलते हैं।

जन् + इन् = जनि तथा जनि + डीप् से जनी शब्द निष्पन्न होते हैं।

विधवा—

विधवा (पतिविहीना) शब्द का प्रयोग (ऋ० ४।१।८।१२, १०।४०।२) और ८ में हुआ है। ऋक्-संहिता (१०।१।८।७) में अविधवा नारियों का वर्णन है, जिससे विधवा नारियों के अस्तित्व का भान होता है।

विगतो धवो भर्ता यस्या सा = विधवा। इस व्युत्पत्ति से भी पतिरहिता नारी का ज्ञान होता है।

सती—

सती शब्द का प्रयोग अथर्वसंहिता (१।८।३।१) में मिलता है। सत् + डीप् से निष्पन्न इस शब्द का अर्थ है साध्वी नारी, जो मनसा, वाचा, कर्मणा पतिपरायणा रहती है।

नारी शब्द की प्रवृत्ति-अवस्था—

पाणिग्रहण-संस्कार के बाद ही “नारी” शब्द का प्रयोग उपलब्ध है। इससे पूर्व कन्या अपने लिये कहीं भी नारी शब्द का प्रयोग नहीं करती और न समाज के लोग ही ऐसा करते हैं। सहिता-साहित्य के उपजीव्य सूत्रग्रन्थों में (पराशर गृह्य० १।६।२) सर्वप्रथम लाजाहोम के समय कन्या अपनी पूर्वावस्था का परित्याग कर अपने को नारी की अवस्था में ढालती हुई अपने लिये नारी शब्द का प्रयोग करती है।

मैं नारी हूँ, मैं अपने नर की अर्द्धाङ्गिनी हूँ, मेरे सहयोग के बिना नर अपने जीवन के माङ्गलिक कार्यों में सुचारुरूप से नहीं नाच सकता, अद्धनारीश्वरत्व की कल्पना मेरे सहयोग के बिना अधूरी है, इत्यादि उच्च वादशों के धरातल पर खड़ी होकर नारी उद्घोष करती है—“आयुष्मानस्तु मे पति.—एधन्ता ज्ञातयो मम”।

वैदिक-सहिताकाल को नारी का ललाट नारीत्व के संरक्षण हेतु सदा उन्नत रहता था। ऋक्-सहिता के सूक्त (८।१९।१) का साक्षात्कार करनेवाले ब्रह्मवादिनी “अपाला” की तरह नारी-समाज अपने प्रवृत्तिकाल से लेकर जीवन के अन्तिम क्षण तक स्वाभिमान की भावनाओं से भरा रहता था। वासनाओं की कुण्ठा से कभी भी कुण्ठित न होने वाली कन्या अपनी कमनीय, कल्याणकारी कामनाओं के साथ स्वेच्छा से नर का साथ देने हेतु वामाङ्गी बनती थी।

नारी के विविध रूप

कन्या—

“कन्या” शब्द का प्रयोग वैदिक-सहिताओं में प्रायः हुआ है। ऋक्-सहिता (१।१२३।१०, १।१६१।५, ३।३३।१०^१) में एव अथर्वसहिता (१।१४।२, १।१।१।२८, १।२।१।२५) में कन्या शब्द का प्रयोग हुआ है।

कन्या के समानार्थी शब्द “कना” का प्रयोग (ऋ० १०।६।१।५ में), “कनी” का प्रयोग (ऋ० १।६६।८४ में), “कन्यना” का (ऋ० ८।३।५।५ में), “कनीनक” का (ऋ० १०।४०।९ में), जबकि अथर्वसहिता (५।५।३, १।४।२।५२) में “कन्यला” का प्रयोग मिलता है। (कानीन कन्यकाज्जातः, अमरकोष)।

१ कन्येव तन्वा साधदाना एषि देवि देवमियक्षमाणम्।

सस्मयमाना युवति पुरस्तादाद्विब्रह्मासि वृणुषे विभक्ति ॥ (ऋ० १।१२३।१०)

२ वा ते कारो शृणुयामा वचासि ययाय दूरादनसा रथेन।

नि ते नसै पीक्षयानेव योषा मयायेव कन्या शश्वदेते ॥ (ऋ० ३।३३।१०)

कन् + दोमो + अघ्न्यादित्वाद् यक् + टाप् प्रत्यय से निष्पन्न "कन्या" को "स्वतन्त्रा-वरवर्णिनी" के अतिरिक्त महाभारत में "कन्यातीर्थमनुत्तमम्" कहते हुए यहाँ तक कहा है कि कन्या-तीर्थ में स्नान करने वाले को हजार गो-दान का फल मिलता है।

दुहिता—

यास्क ने इसको व्युत्पत्ति निरूक्त (३।४।४) में दो प्रकार से की है—(१) दुहिता दुहिता, दूरेहिता। दुर्गाचार्य ने यास्क के भाव को स्पष्ट करते हुए कहा है— "सा हि यत्रैव दीयते, तत्रैव दुहिता भवति" अर्थात् उसे जहाँ दिया जाता है, वहाँ उसका आदर नहीं होता। अथवा "दूरे हिता दुहिता" अर्थात् उसके दूर रहने में ही पिता का हित है। (२) "दोग्धेर्वा दुहिता" इसकी व्याख्या करते हुए दुर्गाचार्य ने कहा है— "सा हि नित्यमेव पितु सकाशात् द्रव्य दोग्धि, प्राथंतापरत्वात्"। अर्थात् वह पिता से सदा द्रव्य का दोहन करती है।

"कन्या" का एक पर्याय दुहितृ (दुहिता) भी है। "दुहिता" शब्द का प्रयोग (ऋ० ८।१०।११५, १०।१७।१, १०।४०।५, १०।६१।५, ७) में हुआ है। अथर्व-संहिता (२।१५।२, ६।१००।३, ७।१२।१, १०।१।२५) में भी यह शब्द उपलब्ध होता है।

गौरी—

कन्या को गौरी के नाम से भी वैदिक-संहिताओं में जाना जाता था। ऋक्-संहिता (९।१२।३) में "सोमो गौरी अधिश्रित" कहा गया है, जिससे स्पष्ट है कि उस समय विवाह के पूर्व कौमार अवस्था में सोम का पचन गौरी (कन्या) के शरीर में होता था।

अमाजुर (अमाजू) —

"अमाजुर" ऐसी कन्याओं की उपाधि थी, जो जीवन भर बिना विवाह किये माता पिता के घर में ही रहती थी। पिता के घर में ही अविवाहित जीवन-न्यापन करने वाली पितृपद भी कह जाती थी। ऐसी कन्याओं में एक "घोषा" नामक मन्त्र-द्रष्टा कन्या थी, जिसने ऋक्-संहिता के प्रथम मण्डल के ११७वें सूक्त का साक्षात्कार किया था।

कन्या का जन्म—

वैदिक-संहिताकाल में पुत्र की तुलना में कन्या का उत्पन्न होना श्रेयस्कर नहीं माना जाता था। यद्यपि ऋक्-संहिता में उक्त भावना की पुष्टि प्रत्यक्ष रूप से

१ इमा त्वमिन्द्र मोदव सुपुत्रा सुभगा कृणु।

दशास्या पुत्रानावेहि षट्तिभेकादश कृषि ॥ (ऋ० १०।८५।४५)

उपर्युक्त विवरणों से पता चलता है कि वैदिक-संहिताकाल में कन्याएँ बालकों की तरह ही अपना और परा-विद्या-निष्णात होती थी एवं उनके वैदिक तथा आध्यात्मिक विकास में कोई बाधक नहीं था। इसी का प्रभाव था कि उस समय पुरुषों की तरह नारियाँ भी अध्यापन-कार्य करते हुए अध्यापिका, उपाध्याया, उपाध्यायी एवं आचार्या कहलाती थी। पाणिनि के वार्तिककार कात्यायन और महाभाष्यकार पतञ्जलि ने भी अपनी रचनाओं में इस बात की पुष्टि की है कि कन्याओं की शिक्षा-जगत् में पूर्ण स्वतन्त्रता थी।

वधू—

“उह्यते पितृगृहात् पतिगृह (वह + ऊद्युक्) = वधू (विवाहिता स्त्री) शब्द का प्रयोग वैदिक संहिताओं में यत्र-तत्र हुआ है। ऋक्संहिता (५।३७।३, ५।४७।६, ७।६९।३, ८।२६।१३, १०।२७।१२, १०।८५।३०, १०।१०७।९) के अतिरिक्त अथर्व-संहिता (१।४२।२, ४।२०।३, १०।१।१, १।४।२।९) में “वधू” शब्द आया है।

विवाहेच्छु व्यक्ति के लिए ऋक्संहिता (१०।८५।९, ३।५२।८, ९।६९।३, १०।२७।१२) में तथा अथर्वसंहिता (१।४।२।४२) में “वधूयु” पद का प्रयोग आया है।

वैदिक-आदर्श—

संहिताकाल में विवाह एक पवित्र धार्मिक-संस्कार माना जाता था। कन्या का पिता इस संस्कार द्वारा वर को अधिकार नहीं, अपितु कर्तव्य सौंपता था। कन्या का पिता वर से प्रार्थना करता था कि आप इसे स्वीकार करें। वर इस कन्यादान को सहर्ष स्वीकार करता था, क्योंकि उसे वह दान नहीं, अपितु समर्पण मानता था। परन्तु यह समर्पण केवल वर की सेवा के लिये ही नहीं था, क्योंकि उसके पीछे शाश्वत-सनातन समाज की सेवा का समुक्त गुह्यतर भार रहता था, क्योंकि विवाह का अर्थ होता है—“विशिष्टो वाह- = विवाह-”, जिसको आदर्श-जीवन की मज्जा दी जाती थी। यही कारण है कि विवाह के बाद वर प्रार्थना करता है—‘ह विश्वदेव ! हम दोनों के हृदयों को सब प्रकार से प्रकाशयुक्त करें। मातरिश्वा, धाता और देष्ट्री (सरस्वती) हम दोनों (वर-वधू) की बुद्धियों को परस्पर अनुकूल बनायें’। “सखे सप्तपदो भव” की भद्रमयी भावना का आज भारत में भले ही दर्शन न होता हो, किन्तु संहिताकाल उस समय का साक्षी है और साक्षी हैं अग्निदेव, जिनकी उपाधि ही “व्रत-पति” है। व्रत-पति (अग्निदेव) के समक्ष

१ समञ्जन्तु विश्वदेवा. समापो हृदयानि नो।

स मातरिश्वा स धाता समु देष्ट्री दधानु नो ॥ (ऋ० १०।८५।४७)

पाणि-गृहण करने के पश्चात् वर उपस्थित लोगो से प्रार्थना करता है—“यह वधू सुमङ्गली है, मङ्गलमयी है इसको सब लोग एक साथ देखें और इसे अखण्ड सौभाग्य का आशीर्वाद देकर ही अपने अपने घर लीटें ।

“ओ सौभाग्यमस्तु, शुभ भवतु” इस आशीर्वचन के पश्चात् वर वधू से कहता है—“हे सुमङ्गली ! तुम सन्तति-वृद्धि के साथ उन्नतशील इस घर में स्वामिनी बने रहने के लिये सदा सजग रहना, जिससे हम अपने ससर्ग सम्पर्क से वृद्धावस्था तक गृहस्थाश्रम धर्म का पालन कर सकें” ।

अथर्वसंहिता में स्पष्ट कहा गया है—“हे राजन् ! यह कन्या तुम्हारी वधू बने, यह तुम्हारे कुल की रक्षा करने वाली है, हम इसे तुम्हें प्रदान करते हैं” । पति-प्राप्ति की कामना की समत्कृष्ठा का वर्णन भी अथर्वसंहिता में मिलता है, जिसमें “वधू” बनने की अभिलाषा है ।

स्तुषा—

‘स्तुषा’ शब्द का प्रयोग (ऋ० १०।८६।१३, अथर्व० ८।६।३४), मैत्रायिणी-संहिता तथा काठक-संहिता में हुआ है । “स्तुषा” शब्द प्रमुखरूप से ससुर के सन्दर्भ में आता है, इसके साथ ही साथ सास के सम्बन्ध में भी इसका प्रयोग मिलता है, पुत्र वधू के अर्थ-बोधन में । शसुर के प्रति पुत्रवधू के आदरभाव का इससे भान होता है ।

स्तु + सक् + टाप् के संयोग से ‘स्तुषा’ शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है पुत्रवधू ।

पत्नी—

“पत्नी” शब्द का प्रयोग (ऋ० १०।८५।३९), अथर्वसंहिता (५।३।७), तै० स० (६।५।१।४), मे० स० (१।५।८) में मिलता है । ऋक्संहिता में वीर-पत्नी के रूप में एक नदी का वर्णन है ।

- १ सुमङ्गलीरिय वधूरिमा समेत पश्यत ।
सौभाग्यमस्यै इत्वा याथास्त विपरतन ॥ (ऋ० १०।८५।३३)
- २ ओ इह श्रिय प्रजया ते समुष्यतानस्मिन् गृह गाहपत्याय जागृहि । एन पत्या त्व्व ससृज-
स्वाधाजिब्री विदथमऽवदाय । (ऋ० १०।८५।३८)
- ३ एषा त राजकन्या वधूतिवृषता यम ।
एषा त कुलया राजन् तामु त परिददमसि ॥ (अ० स० १।१४।२, ३)
- ४ इयमगन्वतिकामा । (अ० स० २।३०।५)
- ५ तस्माज्ज्यायश्च स्तुषा च श्वसुरश्च सुरा पीत्वा विलालपत आसते । (मे० स० २।४।२)
- ६ यथैवाद् स्तुशु श्वसुरात्त्वज्जमाना विलीयमानेति । (काठकस० ३।१।१)
- ७ अजसो कुलिशो वीर पत्नी पयोहिन्वाना उद्भिर्भरन्ते । (ऋ० १।१०।४।४)

“पत्नीना सदनम्” का उल्लेख अथर्वसहिता (९।३।७) मे हुआ है, जिससे पता चलता है कि उस समय नारियो के रहने की व्यवस्था घर मे भी पृथक् होती थी ।

“पत्यु यज्ञे सयोगो यया” अर्थात् यज्ञ मे पति के साथ जिसको बैठने का अधिकार प्राप्त था, वह पत्नी कहलाती थी । पतिशब्द से “पत्युर्नो यज्ञसयोगे” सूत्र से डीप्, नकारागम होने पर पत्नी शब्द बनता है ।

सपत्नी—

ऋक्सहिता मे “सपत्नी” शब्द पति पत्नी के अर्थ मे आया है । सपत्नी-शब्द ऋक्सहिता (१।१०५।८, १०।१४५।१-५ ऋचा २) मे “पति मे केवल कुरु” अर्थात् मेरे पति को केवल मेरा ही बनायें—इससे ध्वनित होता है कि उस समय सपत्नी-शब्द प्रतिद्विन्द्वी के पर्याय का स्वरूप धारण कर चुका था ।

सपत्नी-डाह से अपने पति को वश मे रखने हेतु अथर्वसहिता मे वायु, अग्निदेव आदि देवो से प्रार्थना की गयी है । अपनी सपत्नी के प्रति एक नारी तीव्र भावना व्यक्त करती हुई अथर्वसहिता मे^३ कहती है—“मैंने इस (अपनी प्रतिद्विन्द्वी) के मंगल, सौभाग्य एव तज को अपने लिये ग्रहण कर लिया है” ।

अपनी सपत्नी के लिये एक चण्डिका का विकराल स्वरूप देखते बनता है, जब वह यम से प्रार्थना करती है कि वह मेरो वैरिणो को अपनी पुत्रवधू बना ले । अथर्व-सहिता (७।३५) मे एक स्त्री अपनी सपत्नी के बांझपन की प्रार्थना करती है ।

माता—

ममता, महनीयता और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति “माता” को शब्दो की सीमा मे बांधना आदि असम्भव नही तो कठिन अवश्य है । हमारे वैयाकरणो ने मातृ-शब्द को मान् + तृच् प्रत्यय से निष्पन्न करने का प्रयास किया है, जिसका सीधा अर्थ है “आदरणीया” । ऋक्सहिता मे आया मातृशब्द केवल जन्म देने वाली नारी तक ही सीमित नही है, क्योंकि वह नदी, अन्तरिक्ष, जल एव पृथिवी की व्यापकता को भी सूचित करनेवाला बन गया है । इस व्यापकता की परिधि मे परिक्रमा करता हुआ “मातृ” शब्द निःसन्देह पवित्रता की पराकाष्ठा को छू लेता है ।

१ क-वृष्ण सपत्नी शुचये सवन्धु उभे अस्मि मनुष्ये नि पाहि । (ऋ० ३।१।१०)

ख-आस्के सपत्नी अजरे अमृन्ते सबर्दुषे उरगायस्य धेनु । (ऋ० ३।६।४)

२. उन्मादयत मरुत उदन्तरिक्षमादय ।

अप्य उन्मादया त्वमसौ मामनुशोचतु ॥ (अ० ६।१३०।४)

३. गर्भमस्या वर्च आदिर्यधि वृक्षादिव सजम् । (अ० १।१४)

महर्षि यास्क ने अपने निर्वचन में मातृ शब्द को निर्मातृ के रूप में देखा है, जो वस्तुतः सही है, क्योंकि अपनी सन्तति के निर्माण के माध्यम से माता पूरे देश, जाति तथा समाज का निर्माण करती है। अपनी इस निर्मातृ-शक्ति के कारण ही माता—मान्या, पूज्या, आराध्या का पर्यायवाची बन गयी है। यह सच है कि माता की मुस्कान के समक्ष “मोक्ष” नगण्य है। मातृ-शक्ति ही सृष्टि का सृजन करती है, इसके प्यार में पृथिवी पलती है और इसका पराभव ही प्रलय का सूचक है।

ध्वनि-अनुकरण के आधार पर “मा” से बने इस माता शब्द में एक चुम्बकीय शक्ति है, जो जीवनमात्र को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। यही कारण है कि कोई मनीषी “मा माने”, “माडू माने” अथवा “मान पूजायाम्” के आगे तृच् प्रत्यय लगाकर “मातृ” शब्द के निर्माण में आस्था रखता है, तो दूसरा विद्वान् “माति गर्भो अस्यामिति माता या मान्यते पूज्यते जनै = माता” कहकर अपनी भक्ति-भावना को व्यक्त करता है। माडू माने से “नमूनेष्टु०” सूत्र से तृच् अथवा तृच् होने पर नकार-लोप होकर “माता” शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ—“मीमास्यते पूज्यते या सा माता” अर्थात् पूजनीया है।

ऋक्-संहिता में माता के दर्शन की आकुलता का स्पष्ट उल्लेख है, जिससे उसके सर्वाधिक घनिष्ठ और प्रिय-सम्बन्ध का पता चलता है। परमात्मा को “पिता” कहने की अपेक्षा “माता” कहने में भक्त को अधिक सन्तोष मिलता है, इस कथन की पुष्टि ऋक्-संहिता में^१ की गयी है। ऋक्-संहिता (४१२।१-२) में स्पष्ट किया गया है कि उस समय बालक को जन्म देने वाली माता उसका लालन, पालन, पोषण स्वयं करती थी, जिससे शिशु को कोई कष्ट नहीं होता था। पुत्र को जन्म देने वाली रानी को महिषी कहा जाता था। ऋक्-संहिता (७।८।१।४) में उषा को सम्बोधित करते हुए कहा गया—‘ह उषे’ जैसे माता के लिये पुत्र प्रिय होता है, वैसे ही हम तुम्हारे लिये प्रिय हों’।

अथर्वसंहिता में^२ कहा गया है कि उस समय पुत्र सदा माता की इच्छाओं के अनुकूल आचरण करता था, क्योंकि संहिता सन्देश उसे सुनाया जाता था। माता अपने अमृत तुल्य दूध से पुत्र का पोषण करती थी, इस बात का अथर्वसंहिता

१ क—कस्य नून क्तमस्यामृताना मनामह चारु देवस्य नाम ।

को भो मह्या अदितय पुनर्वात्पितर च दूशेय मातर च ॥ (ऋ० १।२।४।१)

ख—पितु पय प्रतिगृम्णाति माता पिता वरत तेन पुत्र ॥ (ऋ० ७।१०।१।३)

२ त्व हि न पितावमो त्व माता वतक्रतो बभूविय । (ऋ० ९।९।८।१।१)

३ अनुव्रत पितु पुत्रो मात्रा भवतु समना । (ऋ० १।८।३।५०)

मे' स्पष्ट उल्लेख है। दुर्भाग्यवश पाश्चात्य-सभ्यता का अन्धाधुन्ध अनुकरण करने वाली कतिपय हमारी बहनें आज अपनी सन्तति को अपना दूध न पिलाने मे ही अपना गौरव समझती हैं और अपने शिशु को बाहरी दूध पिलाने को श्रेयस्कर मान बैठी है। वस्तुतः सन्तान के लिये माँ के दूध से बढ़कर कोई अन्य पुष्टिकारक एव स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ नहीं है।

पुत्रो को जन्म देने के कारण माता का स्थान समाज मे श्रेष्ठ था और राजगृहो मे पुत्रो को जन्म देने वाली रानो को महिषो के पद पर सुशोभित किया जाता था^२।

यजु सहिता मे^३ माता की तुलना जल से करते हुए कहा है—“माता के समान पालन करने वाले जल हमे पवित्र करें”। यजु सहिता मे^४ माता की आज्ञा एव सोमकृपणी को सम्बोधित करते हुए कहा है कि “आपके दर्शन के फलस्वरूप हमे श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हो”^५।

माता के पर्याय—

अम्बा—(ऋ० २।४।११६, १०।८६।७), वा० स० (६।३६)।

अम्बि—(ऋ० १।२३।१६), (१।४।१)।

अम्बालिका—(वा० स० २३।१८), मै० स० (३।१२।२०)।

अम्बी—(ऋ० ८।७।५)।

अम्बिका—(वा० स० ३।५७), तै० स० (१।८।६।१)।

नना—(ऋ० ९।११।३)।

प्रसू—(अथर्ववे० ३।२३।४), वा० स० (१।८।७)।

जनि—(यजु० १।१६।१)।

जनित्री—(ऋ० ३।४।२, ३।५।११)।

माता की प्रतिष्ठा—

वैदिक-सहिताकाल मे माता की प्रतिष्ठा अपनी पराकाष्ठा पर थी। कन्या के विवाह मे माता का निर्णय ही अन्तिम होता था। दाम्नी की कन्या के साथ श्यावासव

१. माता पुत्र यथा सिचाम्येन भूम ऊर्णुहि । (अ० १।८।३।५०)

२ क—पुमास पुत्र जनयत पुमान् नु जायताम् ।

भवासि पुत्राणा माता जाताना जनयाश्च यान् ॥ (अ० ३।२३।३)

ख—सुवामा पुत्रान्महिषो भवति । (अ० २।३६।३)

३. आपो अस्मान् मातर शुन्धयन्तु । (यजु० ४।२)

४. अनु त्वा माता मग्यतामनु । (यजु० ४।२०)

५. वीर विदय तव देवि सन्दृशि ॥ (यजु० ४।२३)

का विवाह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि विवाह-संस्कार तब तक नहीं हुआ, जब तक माता ने आज्ञा नहीं दी ।

माता-पिता के समास में भी माता को प्रथम स्थान पर रखना इस बात को सिद्ध करता है कि सहिताकाल में माता की प्रधानता थी—“मातरापितरा” (ऋ० ४।६।७) और ऋक्संहिता (१।२४।१) में रोगी द्वारा अत्यन्त विपन्नावस्था में भी माता के दर्शन की आकांक्षा करना यह सिद्ध करता है कि माता का स्थान पुरुष-वर्ग की तुलना में कितना अधिक हृदयग्राही था ।

माता को अपनी सन्तति (पुत्र पुत्री) पर गर्व है, क्योंकि वे शत्रु हनन में समर्थ हैं । अपनी प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में वह स्वयं कहती है कि सब पर शासन करती है और उसके पति भी उसका नाम आदर के साथ लेते हैं^१ ।

अपनी सन्तान के लिए प्राणों की बाजी लगाने की क्षमता रखने वाली माता का महत्त्व सहिता-साहित्य में सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है । इन्द्र द्वारा क्षत-विक्षत शरीर वाला वृत्रासुर भूमि पर गिर पड़ता है, जिसे देखकर उसकी रक्षा में आतुर उसकी माता दानु उसके शरीर पर लेट जाती है, जिसमें पुत्र की रक्षा हो सके^२ । ऋक्संहिता^३ में माता की प्रतिष्ठा में उपा के ब्याज से माता-पिता की उपयोगिता वर्णित करते हुए कहा गया है कि—“वह उपा पृथिवी, आकाशरूपी माता-पिता को गोद में भरती हुई सर्वत्र फैलती है” । ऋक्संहिता (६।५।१५) में रात्रि को मातृ-शब्द से व्यवहृत किया गया है, क्योंकि वह माता की गोद के समान विश्रामस्थली है ।

अथर्वसंहिता^४ में वेदमाता को सम्बोधित करते हुए कहा गया है—“हे मात । मेरी स्तुति से प्रसन्न होकर आप मुझे आयु, प्राण, सन्तान, पशु, कीर्ति, धन, ज्ञान, बल के साथ ब्रह्मलोक की प्राप्ति करायें ।

ऋक्संहिता^५ में सिन्धु, सरस्वती और सरयू नदियों को जीवन-दायिनी मानकर कहा गया है ।

१ मम पुत्रा शत्रुहरणो यो मे दुहित्वा विराट् ।

उताहमस्मि सञ्जया पत्यो मे श्लोक उत्तम ॥ (ऋ० ८।१५९।३)

२ नीचावया अभवद् वृत्रपुत्रेन्द्रो अस्या अत्र बधजंभार ।

उत्तरा सरवर पुत्र आसीद्दानु शये सह वरसा न धेनु ॥ (ऋ० १।३२।९)

३ व्यु प्रयते वितर वरीय ओमा पृणन्ती पित्रोरूपस्या । (ऋ० १।१२४।५)

४ स्तुता माया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमानो द्विजानाम् ।

आयु प्राण प्रजा पशु कीर्ति द्रविण ब्रह्मवर्चस महा दत्वा ब्रह्मलोकम् ॥ (अथर्व० १९।७।१।१)

५ देवीरायो मातर मूदयित्त्वो घृतवलयो मधुमन्त्रो अर्चत । (ऋ० १०।६४।१)



सामवेदमहिता मे परमात्मा को माता-पिता की सजा दी गयी है और उनसे सुख की याचना की गयी है^१ ।

भगिनी (स्वसा)—

भाग्यशालिनी वहन को भगिनी कहा गया है । ऋक्सहिता (३।३।१२) के माध्य मे निरुक्तकार ने (३।६) "न जामये भगिन्यै" का प्रतिपादन किया है ।

सहिताकाल से ही "स्वमृ" शब्द का प्रयोग भगिनी (वहन) के लिये हो रहा है । ऋक्सहिता^२ मे अन्धकारयुक्त रात्रि को देवताओ की स्वसा कहा गया है । रात्रि को उषा की छोटी वहन के रूप मे वर्णित किया गया है^३ कि रात्रि, उषा के लिये स्थान खाली करती है । पणि लोग देवदूती सरमा को अपनी स्वसा मानते हुए कहते हैं—"हे सरमा । भयभीत देवताओ द्वारा प्रेषित तुम हमारे पास आयी हो, तुम्हे हम गोधनरूपी सम्पत्ति का हिस्सा देते हैं, अब यही रहो"^४ ।

रूपक के अन्तर्गत अगुलियों को "स्वसा" कहा गया है^५ । इस रूपक में अगुलियाँ-वहनो को एक साथ रहने वाली तथा गृहस्थ-पत्नियों के समान गतिशील कहा गया है । काम्यपत्नियों को प्राप्त करने वाली नारियों के साथ सादृश्य स्थापन का यह रूपक अत्यन्त ही हृदयग्राह्य है, जो सहिताकाल की स्वसा (वहन) की सामाजिक स्थिति को स्पष्ट करता है ।

'सुष्टु अस्यति' अर्थात् अपने मातृ-पितृ कुल मे अच्छी तरह से स्वत्वभाव छोड़ने वाली । सु उपसर्ग एव असु क्षेपणे के आगे "सावसे " सूत्र से ऋन् प्रत्यय द्वारा यह शब्द बनता है ।

"स्वसा" का भाई के साथ पवित्र एव घनिष्ठ सम्बन्ध था । पिता की मृत्यु या असहाय्य अवस्था मे अपनी वहन को सम्पूर्ण व्यवस्था भाई करता था । अपने पालक

१ त्व हि नः पिता वसो त्व माता शसक्रतो बभूविय । अयाते मुम्ननीमहे । (साम० ३०।४।२।११)

२ सिनीवाल्लि पृषुण्डुके या देवानामसि स्वसा । (ऋ० २।३।२।६)

३ स्वसा स्वस्ते ज्यायस्यै यानिमार्गपेत्यस्था प्रतिचश्येव ।

ध्युच्छन्ती रश्मिभिः भूयस्याञ्ज्यवत समनगा इव वा ॥ (ऋ० १।१२।४।८)

४ एवा च त्व सरम आजगन्थ प्रवाविता स ह सा दैव्येन ।

स्वसार तव वृणवै मा पुनर्गा अत त गवा सुभगे भजाम् ॥ (ऋ० १०।१०।८।९)

५ (क) सनात्सनीला अवनोरवाता व्रता रक्षन्ते अमृता सहाभिः ।

पुरू सहसा जनयो न पत्नी दुवस्यन्ति स्वसारो अह्वयाणम् ॥ (ऋ० १।६।२।१०)

(ख) उष प्रतिन्वन्नु शशीर्यग्त पति न नित्य जनय मनीला ।

स्वसार स्याबोमर्योमजुपुश्चिमुच्छन्तीमुपम न गाव ॥ (ऋ० १।७।१।१)

भाई से द्वेष करने वाली बहन को अत्यन्त हीन दृष्टि से देखा जाता था। ऋक्संहिता^१ में भाई से द्वेष करने वाली बहन की तुलना अपने पति से अनुराग न करने वाली पत्नी एव यज्ञाग्नि से घृणा करने वाले अधम अपराधी व्यक्ति के पतन के साथ की गयी है।

बिना भाई वाली बहन का विवाह बड़ी कठिनाई से होता था, क्योंकि उनके चरित्र पर सन्देह बना रहता था। इस बात को स्पष्ट करते हुए ऋक्संहिता^२ में बिना भाई वाली बहन की तुलना पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर होने वाली उपा से की गयी है। यहाँ पश्चिम को हेय दृष्टि से देखा गया है, क्योंकि वहाँ उदीयमान पूर्वदिशा का भास्कर भी पराभूत होकर हूब जाता है। निम्नगा (नदी) की तरह सरित्स्वसा भी अपनी स्वच्छन्द प्रवृत्ति के कारण भोक्षगामिनो हो सकती है, क्योंकि कहा गया है—“याद्गुणेन भर्त्रा स्त्री सयुज्यते साद्गुणा सा अपि भवति समुद्रेणैव निम्नगा”।

ऋक्संहिता^३ में सरस्वती को सप्तस्वसा (सात बहनो वाली) कहा गया है।

स्वसा-जार—

इस प्रकार “स्वसा” शब्द का प्रयोग संहिता के अनेक स्थलो में हम पाते हैं। ऋ० २।३२।६—“देवतामसि स्वसा”, ६।५५।४—“स्वसुर्यो जार”, ६।५५।५—“स्वसुर्जार”, १०।१०।८।९—“स्वसार त्वा”।

“स्वसुर्जार”, “स्वसुर्यो जार” आदि संहितामन्त्रों में “स्वसृ” शब्द के साथ आये “जार” शब्द के कारण उस काल पर आपत्ति करते हैं। लगता है उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि “जार” शब्द उस समय बुरे अर्थ में प्रयुक्त नहीं था। ऋक्संहिता १।६६।८, १।११।७।१८, १।१३।४।३, १।१५।२।४, ९।३२।५ आदि को देखने से इस बात की पुष्टि होती है कि “जार” शब्द उस समय किसी भी प्रेमी के लिये प्रयुक्त था, जैसे—“अबोधि जार-उपसाम्” (ऋ० ७।१।१), (ऋ० ७।१०।१) से स्पष्ट है कि यहाँ जार-शब्द अग्निदेव के लिये प्रयुक्त है, जो शास्त्रीय प्रयोग माना जाता है। इसके अतिरिक्त ऋक्संहिता (६।५५।४ ५) में प्रयुक्त जार-शब्द क्रमशः उपा के स्वामी पूषा (सूर्य) तथा रात्रि के स्वामी पूषा के अर्थ में आया है।

१ अत्रातरो न योपणो व्यन्त पठिरियो न जनयो दुरे वा.।

पापास सन्तो अनृता असत्या इव पदमजनता गभीरम् ॥ (ऋ० ४।५।५)

२ अत्रातेव पुम एति प्रतोची गर्तास्त्रिगिव सनये घनानाम्।

जायेव पत्य उशतो सुवासा उपा हस्येव रिणोति अस् ॥ (ऋ० १।१२।४।७)

३ उत न. प्रिया प्रियामु सप्तस्वसा सुदुष्टा। (ऋ० ६।६१।१०)

जामि—

“जामो” या “जामि” शब्द का प्रयोग सहिता-काल में वहन (स्वसा) के लिये होता था, जिसका मौखिक अर्थ है—रक्त से सम्बन्ध रखने वाली। जामि शब्द कभी कभी स्वम् का विशेषण बनकर भी प्रयुक्त हुआ है और कभी भीवे वहन के लिये भी इसका प्रयोग किया गया है।

ऋक् सहिता (१६५।४)—“जामि मिन्धूना भ्रातेव”, (१।३१।२)—“यत्र जामय वृष्वन्नजामि” आदि उद्धरणों से स्पष्ट है कि उस समय “जामि” शब्द वहन के अर्थ में प्रयुक्त होता था।

भाई वहन के सम्बन्ध में ऋक् सहिता (१०।१०) का एक पूरा सूक्त ही है, जिसमें यम यमी नामक भाई वहन पाणिग्रहण पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। वस्तुतः यह सवाद सृष्टि विषयक पौराणिक वृत्तान्त है, जिसका गूढार्थ न समझने के कारण कुछ लोग उस समय के भाई-वहन के यौन-सम्बन्ध पर अपनी सम्मति व्यक्त करते हैं। यदि ध्यान दिया जाये तो इस सूक्त में भाई वहन के अनुचित सम्बन्ध की घोर निन्दा की गयी है।

यमी जब अपने भाई से विवाह-सम्बन्धी चर्चा करती है, तो यम ऋक् सहिता में स्पष्ट कहता है—“हे यमी। तू मेरी सहोदरा हो, हमारा अभीष्ट यह नहीं है। स्वर्गलोक के रक्षक देवगण सब देखते हुए विचरण करते हैं”। अन्त में क्रुद्ध होकर यम अपनी वहन को अपने पास से चले जाने का आदेश देता है।

श्वश्रू (सास)—

वैदिक सहिताओं में “श्वश्रू” शब्द का प्रयोग, विशेष रूप से ऋग्वेद के कई स्थानों पर हुआ है। “श्वश्रू” शब्द की तुलना में “श्वसुर” शब्द की उस समय व्यापकता कम थी। इस कथन की पुष्टि ऋक् सहिता (१०।८५।४६) तथा अथर्व सहिता (१।४।२।२६) के इस प्रकरण से हाती है, जिसमें पति की माता एवं पत्नी की माता के लिये “श्वश्रू” शब्द का समानार्थक प्रयोग किया गया है। रही बात “श्वसुर” शब्द की, इसका प्रयोग पति के पिता के अर्थ में तो होता था, परन्तु पत्नी के पिता के अर्थ में

१ न ते सखा सख्य वष्टयेत्सः श्रमा यद्विपत्त्या भवति ।

महस्पृशसो अमुरस्य चरा दिवा घर्षार उत्रिवा परिश्वन् ॥ (ऋ० १०।२)

२ न वा उ ते क्वा तत्र स पपुच्या यावमाह्वय स्वसार निगध्वन् ।

अन्धेन मश्रमुद वलयस्व न ते भ्राता मुभगे वष्टय तन् ॥ (ऋ० १०।१२)

श्वसुर शब्द का प्रयोग नहीं मिलता, ऋक्संहिता (१०।२।११, १०।८।४६, १०।९।४३), अथर्वसंहिता (८।६।२४), मैत्रायणीसंहिता (२।४।२), काठकसंहिता (१२।१२)।

“श्वसुर” शब्द का बहुवचनान्त प्रयोग ऋक्संहिता^१, अथर्वसंहिता^२, काठकसंहिता में मिलता है, जिसका भाव श्वश्रू और श्वसुर दोनों के अर्थबोध के लिए है, न कि बहुपतित्व को व्यक्त करने के लिये। श्वसुर-शब्द के बहुवचनान्त प्रयोग को सम्मान सूचक माना जा सकता है। घर में “श्वश्रू” की प्रधानता एवं सम्मान था। नियन्त्रण के अभाव में ही वधू (पुत्र-वधु) को घर का सम्पूर्ण कार्य चलाने का आशीर्वाद प्राप्त था (ऋ० १०।८।५।४६)। सब कुछ होते हुए भी सास का सम्मान था और वह अपने अधिकार कर्तव्य का पूर्णतया कुशलता के साथ संचालन करती थी। अथर्वसंहिता^३ में स्पष्ट संकेत करते हुए वधु से कहा गया है—“घर का कार्य चलाने वाले श्वशुर-सास के लिये सुखकारी होती हुई घर में प्रवेश करो”।

सास के साथ वधुओं के विनम्र व्यवहार की चर्चा काठकसंहिता (३।१।१) में की गयी है। अथर्वसंहिता (८।६।२४) में सास ससुर के प्रति व्यक्त किया गया सम्मान बड़ा ही हृदयग्राही और शिक्षाप्रद है।

ऋक्संहिता^४ में एक जूए (झूत-क्रीडा) के व्यसनियों की भावनाओं से स्पष्ट होता है कि उस समय समाज में श्वश्रू (सास) का कितना महत्त्वपूर्ण स्थान था। जुआरी अपने कार्य पर असन्तोष प्रकट करता हुआ कहता है कि “इस अक्ष-क्रीडा (जूए) के कारण मेरी सास भी मुझे कोसती है, मुझे अब कोई एक फूटी कौड़ी भी उधार नहीं देता”। कितना पश्चात्ताप है इस जुआरी को अपने कुकृत्य पर और कितना भय है उसे अपनी सास का, क्योंकि इस जुआरी को अपने पास कोई बैठने की अनुमति नहीं देता।

ननद (ननान्दु)—

संहिताओं में ऋक्संहिता^५ में केवल एक बार ही “ननान्दु” शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसमें सास, ससुर, देवर आदि के साथ ननद को भी अपने प्रेम-बन्धनों में

१ विश्वो ह्यन्यो अरिप्राज्ञगाम ममेदह श्वसुरो न जगाम । (ऋ० १०।२।११)

२ सा वमु दधती श्वसुराय वय उपो यदि बष्टचन्ति गृहात् । (ऋ० १०।९।४३)

३ को दम्पती समनया वि युयोदध यदग्नि श्वशुरेषु दौदयत् । (ऋ० १०।९।४२)

४ स्योना भव श्वशुरेभ्य स्योना पत्ये गृहेभ्य । (अ० १।४।२।२७)

५ सुमङ्गली प्रतरणी गृहाणा सशेवा पत्ये श्वसुराय शभू ।

स्योना श्वश्रू प्रगृहान् विशेषान् ॥ (अ० १।४।२।२६)

६ द्वेषि श्वश्रूष जाया रुणद्धि न नापितो विन्दते मडितारम् ।

अम्बस्वैव जरतो वस्यस्य नाह विन्दामि किं तवस्य भोगम् ॥ (ऋ० १०।३।४।३१)

७ ननान्दिरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अघि देवेषु । (ऋ० १०।८।५।४६)

बांधने की बात कही गयी है। सायण के अनुसार “ननान्दृ” शब्द का प्रयोग पति की बहन के अर्थ में हुआ है, जिस पर नियन्त्रण (शासन) करने की बात कही गयी है। परवर्ती ब्राह्मण-ग्रन्थ (ऐतरेय ८।२२) से भी इस बात की पुष्टि होती है कि पति की अविवाहिता बहन को “ननान्दृ” कहा जाता था।

वैदिक-सहिताओं में ननान्दृ (ननद) शब्द का इतना कम प्रयोग अवश्य ही आश्चर्यजनक है। लगता है कि उस समय ननद का व्यवहार घर में आनेवाली नवीन वधू के प्रति उदार नहीं था। यही कारण है कि ननद का प्रेमाधिकार के माध्यम से शासन करने का आशीर्वाद वधू को दिया जाता था।

अमरकोशकार ने द्वितीयकाण्ड नृ-वर्ग में “ननन्दृ” या “ननान्दृ” शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा है—“न नन्दति सेवयापि न तुष्यति = ननान्दृ”। न + नन्द + ऋन् से निष्पन्न ननन्दृ (ननद) शब्द का प्रयोग “ननन्दा तु स्वसा पत्युः” के अर्थ में आज भी होता है।

भ्रातृजाया (भाभी)—

ऋक्संहिता^१ में देवर (पति का छोटा भाई) के अन्य कार्यों के अतिरिक्त एक ऐसे कार्य का उल्लेख है, जिसे प्रायः देवर ही करता था। अपने बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात् एक शोकसन्तप्ता भ्रातृजाया (भाभी) को सान्त्वना देता हुआ देवर कहता है—“तुम्हारा यह पति अब मृत्यु को प्राप्त कर चुका है, यहाँ अब बैठना निरर्थक है। अपनी सन्तति (पुत्र-पुत्रियों) की अब घर की स्थिति का विचार करती हुई उठो। स्त्री-कर्तव्यों का पालन आप इसके साथ कर चुकी हैं और अब यह भी जान चुकी हो कि तुम्हारे मृत-पति लौटने वाले नहीं हैं, उठो और घर चलो”।

पति की मृत्यु के पश्चात् द्वितीय विवाह (पुनर्विवाह) की ध्वनि भी मिलती है। अथर्वसंहिता^२ में पुनर्विवाह करनेवाले दम्पति को पञ्चोदन अज (अपरिमित यज्ञ) का भागी माना गया है। अथर्वसंहिता^३ में पञ्चोदन-अज के बारे में कहा गया है।

१ उदीर्ष्व नार्यभि जीवलोक गतामुमेतमुष शेष एहि ।

हस्ताग्रामस्य दिधिपोस्तवद पत्युर्जनित्यमभि स बभूव ॥ (ऋ० १०।१८।८)

२ या पूर्वं पति वित्त्वाधान्य विन्दते परम् ।

पञ्चोदन च तावप ददातो न वि योषत ॥ (अ० १।५।२७)

३ अजो वा इदमग्रे व्यक्रमत तस्योर इयमभवद् धो पृष्ठम् ।

अन्तरिक्ष मध्य दिश पार्श्वे समुद्रो कुक्षी ॥ (अ० १।५।२०)

सत्य च ऋत चक्षुषो विश्व सत्य श्रद्धा प्राणो विराट् सिरः ।

एष वा अपरिमितो यज्ञो यदजः पञ्चोदन ॥ (अ० १।५।२१)

मन्त्र (अथर्वसंहिता १।५।२७) में आये “अन्य” तथा “अपर” शब्द पति-बोधक हैं, जिनका सङ्केत किसी अन्य से नहीं देवर से ही है। सम्भवतः इसी कारण “देवरो द्वितीयो वरः” की बात प्रचलित हुई होगी।

सती—

विधवा (पतिहीना) नारी का उल्लेख ऋक्संहिता (४।१।८।१, १०।४०।२, १०।४०।८) में हुआ है। पति की मृत्यु के पश्चात् कभी-कभी विधवा स्त्री स्वयं अग्नि में जल जाती थी, ऐसा अथर्वसंहिता (१।८।३।१) से प्रतिभासित होता है। दूसरी ओर ऋक्संहिता में इस सती-प्रथा का कहीं उल्लेख नहीं, अपितु ऋक्संहिता (१०।१।८।७-८) से प्रत्यक्षतः पति के छोटे भाई से विवाह करने का सङ्केत मिलता है। जो भी हो, वैदिक-संहिताओं में सती प्रथा का अपरिहार्य रूप कहीं न था, इस कथन को दावे से कहा जा सकता है।

नारी के सम्बन्धवाची अन्य शब्द—

मातृष्वसा (मासी या मौसी), पितृष्वसा (फूआ या बुआ), पितृव्य-पत्नी (चाची), मातुली मातुलानी (मामो), साली, साले की पत्नी आदि शब्दों का वैदिक-संहिताओं में प्रत्यक्षरूप में प्रयोग दृष्टिगोचर नहीं होता।

पुरुषवाची मातुर्-भ्रात्र (मामा) शब्द बड़ा ही आह्लादित करने वाला हो जाता है, विशेष रूप से जब आजकल का पुरुषवर्ग आपसी परिहास में साले, साला या सार के रूप में इसका प्रयोग करता है।

मैनायिणोसंहिता (१।६।१२) में केवल एक बार “मातुर् भ्रात्र” शब्द मामा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसी से मामो (मातुली) भी गतार्थ हो जायेगी, क्योंकि संहिताकाल में नारी के बिना नर पूरा नारायण नहीं बन सकता था।

“स्याल” शब्द से साले की पत्नी का भी अनुमान किया जा सकता है। यद्यपि स्याल-शब्द ऋक्संहिता (१।१०९।२) में एक बार ही प्रयुक्त हुआ है, जब वह अपनी बहन के विवाह का उत्तरदायित्व वहन करने की बात करता है।

नारी के लिये प्रयुक्त कतिपय विशेषण

यमसू—

एक साथ दो (जुडवा) बच्चों को जन्म देने वाली नारी को “यमसू” कहा जाता था। “यम” शब्द यमजो (जुडवो) का द्योतक है, जिसका उल्लेख ऋक्संहिता (१।६।६।४, २।३९।२, ३।९।३।३, ५।५।७।४, ६।४९।२, १०।१३।२ आदि) में है। “यमो मियुनौ” (काठकसंहिता १।३।४) का तात्पर्य सम्भवतः विषम-लैङ्गिक सन्तति से है। अथर्वसंहिता (३।२।८) में यमज-सन्तति को अशुभ माना गया है।

अमानुषी—

अप्सरा (देवाङ्गना) के अयंबोध में अमानुषी विशेषण का प्रयोग (ऋ० १०।१५।८) हुआ है। यहाँ पुरुषवा मनुष्य होकर देवाङ्गनाओं को ओर गया और उर्वशी (पूर्वपत्नी) से अनुनय-विनय भी करता है कि वह (उर्वशी) पुनः घर लौट चले।

नर्तकी—

उषा की तुलना कार्यव्यस्त नर्तकी के साथ करते हुए ऋक्सहिता (१।१२।४) में कहा गया है कि “उषा नर्तकी के समान विविधरूपों को धारण करती है”। भारतीय सभ्यता में विविध रूपों से परपुरुष को आकृष्ट करने वाली नारी को नीची दृष्टि से देखा जाता है। समाज वराङ्गना (वेश्या) आदि की सजा ऐसी नारियों को देता है।

गुहाचरन्ती—

मरुद्गण की चमकती हुई स्वर्णिम कटार की तुलना गुप्तरूप से मिलने वाली नारी से ऋक्सहिता (१।१६।३) में की गयी है।

पुश्चली—

कामातुरा होकर परपुरुषों के पीछे दौड़ने वाली नारी को पुश्चली कहा गया है। अथर्वसहिता (१।५।२१) तथा वाजसनेयिसहिता (३।०।२२) में ऐसी नारी का उल्लेख हुआ है। समाज में स्वतन्त्र जीवन पर कोई आपत्ति नहीं थी, परन्तु उच्छृङ्खलता को हेय माना जाता था।

हस्ता—

हँसने वाली नारी की तुलना “उषा” से करते हुए ऋक्सहिता (१।१२।७) में “हस्ता” शब्द का प्रयोग किया गया है। परपुरुष को आकृष्ट करने हेतु हँसना अपराध-कोटि में आता था।

सुवासा—

सुन्दर वस्त्र पहन कर धनसंग्रह हेतु अभिसरण करने वाली नारी की ओर सुवासा (ऋ० १।१२।७) विशेषण का सकेत है। अपने पति-हेतु अच्छे वस्त्रों को धारण करने वाली नारियाँ तो समाज में श्रद्धा-भाजन मानी जाती थी।

ऋक्सहिता (१।०।३।४) में भी “सुवासा” शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसमें वाग्देवी सरस्वती (वाणी) की तुलना सुवासा (जाया) के साथ की गयी है।

साधारणी—

ऋक्सहिता (१।१६।४) में नारी के लिये साधारणी शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसकी तुलना विद्युत् से की गयी है। तडित् के समान तड़क-भड़क में अपने

स्वरूप को दिखाने वाली नारी, पर-पुरुष का ऐसे आलिङ्गन कर लेती है, जैसे विद्युत् मरुद्गण (देवगण) का वरण करती है।

समनगा—

ऋक्संहिता (१।१२४।८) में “समनगा” शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका सामान्य अर्थ है—मनोनुकूल चलने वाली।

वधिमती—

ऋक्संहिता (१।१६।१३, १।१७।२४, ६।६२।७, १०।३५।७, १०।६५।१२) के अनुसार नपुंसक पति वाली एक स्त्री का वर्णन है, जो अश्विनोकुमारो की दया से पति के लिये पुरुषत्व प्राप्त करती है और उसे हिरण्यहस्त पुत्र की प्राप्ति भी होती है।

प्रवीणा—

गर्भधारण करने वाली (गर्भिणी) के लिये प्रवीणा शब्द का प्रयोग ऋक्संहिता (३।२५।३, ३।५५।५), वाजसनेयि-संहिता (३।४।१४) तथा काठकसंहिता (३।३।१, ३।३।८) में हुआ है।

अतित्वरी (अतोतवरी)—

अतिक्रुलटा अर्थ का बोध कराने हेतु वाजसनेयिसंहिता (३।०।१५) में अतित्वरी शब्द प्रयुक्त हुआ है।

अतिष्कट्वरी—

वाजसनेयिसंहिता (३।०।१५) में अतिष्कट्वरी शब्द गर्भस्त्राव करने वाली नारी के अर्थ में आया है।

महानगनी—

आचार-भ्रष्टा नारी के लिये अथर्वसंहिता (१।४।१।३६, २।०।१३।५) में महानगनी शब्द का प्रयोग है। परवर्ती वाङ्मय में महानगनी शब्द वेश्या का पर्याय बन गया।

प्रफर्वी—

संहिताओं में स्थूल-विलासिनी नारी के लिये “प्रफर्वी” शब्द का प्रयोग मिलता है। ऋक्संहिता (१।०।८।५।२२), अथर्वसंहिता (५।२२।७), तैत्तिरीयसंहिता (४।२।५।६), मैत्रायणीसंहिता (२।७।१२), काठकसंहिता (१।६।१२), वाजसनेयि-संहिता (१।२।७।१) में ‘प्रफर्वी’ शब्द आया है, जिसका अर्थ विलासी जीवन व्यतीत करने वाली स्त्री है।

प्रफर्वी-शब्द व्यभिचारिणी कन्या के लिए भी ऋक्सहिता (१०।८५।२२) में प्रयुक्त हुआ है।

रजयित्रो—

रति-कार्य में निपुण नारी के लिए यजुसहिता में रजयित्रो या रजयित्रोम् शब्द का उल्लेख है। रजयिनो शब्द का अर्थ कपड़ा को रगने वाली स्त्री भी है।

दास-पत्नी—

ऋक्सहिता में (४।२८।४)—“विशोदासी”, (४।३२।१०)—“पुरोदासी” रूप मिलते हैं। “अपो अजयत दास-पत्नी” का प्रयोग विशेषणरूप में (ऋ० ५।३०।५) आया है। दास-पत्नी शब्द सजा के रूप में (ऋ० १।३२।११) आया है, वृत्रासुर की पत्नियों के अर्थ बोध के लिये। अथर्वसहिता (१।२।३।१३, १।२।४।९) में घरेलू काम करने वाली लड़की के लिये इस शब्द का प्रयोग उपलब्ध है। तैत्तिरीयसहिता (७।५।१०।१) में “गवा सत्र” में पैर पटककर नाचने वाली कन्याओं को दासी कहा गया है।

विदलकारी—

दास चीरने वाली तथा टोकरी बनाने वाली नारियों के लिये “विदलकारी” शब्द का प्रयोग वाजसनेयिसहिता (३।०।८) में हुआ है।

सु-शिल्पा—

ऋक्सहिता (९।५।६) में “सुशिल्पा” का प्रयोग हुआ है।

सूपस्था—

ऋक्सहिता (९।६।२१) में “सूपस्था” का प्रयोग मिलता है।

संबयन्ती—

यजुसहिता (२०।४१) में बताया गया है कि उपा रूपी नारी अपने पति के लिये सुन्दर रङ्गो वाला कपड़ा बुनती है। इस रूपक का उद्देश्य है कि जिस प्रकार उपा अपने पतिदेव के लिए विविध किरणों के ताना-बाना से आकाश में कपड़ा बुनती है, उसी प्रकार पतिव्रता नारी भी अपने पतिदेव के लिए सुन्दर रङ्गो वाले कपड़ों का निर्माण कर उन्हें अपने पति को अर्पित करे। उपर्युक्त उल्लिखित मन्त्र के—“पेशसा तत तन्तु सबयन्ती” अश से स्पष्ट ध्वनित होता है कि कपड़ा बुनना उस समय गृहस्थ-नारी का एक कर्तव्य था।

वयन्ती शब्द ऋक्सहिता (५।४७।६) में—“वक्षा पुत्राय मातरो वयन्ती” के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ स्पष्ट है कि माताएँ अपने पुत्र के लिए कपड़ा बुनती हैं।

सुवासा—

ऋक्संहिता (१।१२४।७) में—“जायेव पत्य उशती सुवासा” कहा गया है, जिसका अर्थ है—उत्तम वस्त्र पहनने वाली नारी ।

पेशस्करी—

यजु संहिता (३०।९) में पेशस्करी शब्द आया है, जिसका अर्थ है कपड़े पर नवकाशी का काम करने वाली नारी । पेशस् शब्द का संहिताओं (ऋ० २।३।६, ४।३।६।७, ७।४।२।१ तथा यजु० १९।८२, ८९, २०।४०) में प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ नवकाशी किया हुआ वस्त्र है ।

तुस (झालर, गोट, किनारी) का प्रयोग तैत्तिरीय-संहिता (१।८।१।१, २।४।९।१, ४।१।१।३) तथा काठक-संहिता (१३।१) में आया है ।

उपलप्रक्षिणी—

ऋक्संहिता (९।११२।३) में “उपलप्रक्षिणी” शब्द आया है, जिसका अर्थ यास्क ने सत् बनाने वाली नारी (नि० ६।५) किया है । धान्य कूटने वाली ओखली में धान्य भरने वाली नारी भी गतार्थ है ।

चतुष्कपर्दा—

ऋक्संहिता (१०।११४।३) में एक युवती को चतुष्कपर्दा कहा गया है—
“चतुष्कपर्दा युवति सुपेशा” ।

गृहपत्नी—

गृह-स्वामिनी के अर्थबोध के लिए ऋक्संहिता (१०।८५।२६), अथर्वसंहिता (२।२।४।६) में गृहपत्नी शब्द का प्रयोग हुआ है ।

भ्रूण-हृत्नि—

“भ्रूण हृत्नमेनो नात्येति” मैत्रायिणी-संहिता (४।१।९) में कहा गया है । भ्रूण-हृत्या को महापाप माना जाता था । शिशुओं को फेंके जाने वाले के अतिरिक्त भ्रूण-हृत्या (गर्भपात या बाल-हृत्या) के सकृत् ऋक्संहिता (२।२९।१), अथर्वसंहिता (६।११२।३, ६।११३।२) में उपलब्ध हैं ।

परिशीलन—

वैदिक संहिताओं में प्रयुक्त नारी, नारि शब्दों की व्युत्पत्ति, नारी-नारि विभेद-कारण, नारी के पर्यायवाची मेना, योपा, जाया, ग्ना आदि शब्दों की व्युत्पत्ति एवं रूप-सिद्धि, नारी शब्द की प्रवृत्ति अवस्था, नारी के कन्या, दुहिता, गौरी आदि विविध रूप, कन्या का जन्म एवं शिक्षा, वधू—पत्नी, सपत्नी, माता—माता के पर्याय, माता

संस्कार-शब्द का विभिन्नार्थों में प्रयोग—

जन्म से मृत्युपर्यन्त चलने वाले, पृथ्वी को स्वर्ग से जोड़ने वाले इन संस्कारों पर ही भारतीय जन जीवन की आधारशिला स्थित है। संस्कार और संस्कृति का घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण संस्कारों की उपादेयता स्वयमेव सिद्ध है। “संस्कार” हमारे दाम्पत्य-जीवन के उत्तरदायित्व के प्रतीक है। संस्कारविहीन दाम्पत्य-जीवन अपने सदाचार से च्युत होने के कारण परमपद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता। भारतीय जनो की मान्यता है कि मानव अपने जीवन काल में जो कर्म करता है, उसकी अमिट छाप उसके चित्त पर अंकित रहती है और उसी के आधार पर वह जन्मान्तर में सुख सुविधाओं का उपभोग करता है। मीमांसादर्शन का तो सिद्धान्त ही है—“कर्मबीज संस्कारा”, अर्थात् संस्कार ही कर्म के बीज हैं और इन्हीं के कारण सृष्टि का सृजन होता है। कहा भी गया है—“तन्निमित्ता सृष्टिः”। मीमांसकों की मान्यता है कि यज्ञ के अंग पुरोडाश की शुद्धि (संस्कार) से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है।

न्यायशास्त्र के मर्मज्ञ नेयायिक भावों को अभिव्यक्त करने वाली आत्म-व्यञ्जक शक्ति को ही संस्कार कहकर पुकारते हैं। वैशेषिक-दर्शन के चौबीस गुणों की गणना के प्रसंग में “संस्कार” को अन्तिम गुण माना गया है^१। संस्कार के वेग, भावना तथा स्थितिस्थापक तीन भेदों की विवेचना करते हुए अन्तिम भेद में स्पष्ट कहा गया है—“वस्तु को पुनः पूर्वावस्था में लाने का नाम ही स्थितिस्थापक संस्कार है^२”। संस्कारमात्र से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को स्मरण कहा गया है^३। मनुस्मृति (२।२६) में धार्मिक विधि-विधान को संस्कार कहा गया है, जिसके कारण मानव लोक एवं परलोक में पवित्र जीवन यापन करने में सक्षम होता है^४। इसके अतिरिक्त परवर्ती संस्कृत साहित्य में “संस्कार” शब्द का प्रयोग हमारे कवियों ने विभिन्नार्थक भावों के लिए किया है। कविकुलगुरु कालिदास ने तो अपने महाकाव्य रघुवश (३।३५) में “निसर्गसंस्कारविनीत”, रघुवश (३।१८) में “प्रयुक्तसंस्कार इवाधिक बर्भी” एवं कुमारसम्भव महाकाव्य (१।२८) में “संस्कारदत्त्येव गिरा मनीषी तथा च पूतश्च विभूषितश्च” कहकर संस्कार शब्द में सौष्ठव ही ला दिया है। वस्तुतः संस्कार शब्द शुद्धि, संस्करण, परिष्करण आदि पवित्र भावनाओं का प्रतीक है।

१. संस्काराश्चतुर्विंशतिगुणाः ।—तर्कसंग्रह ।

२. अन्यथाकृतस्य पुनस्तदवस्थापादक स्थितिस्थापक —तर्कसंग्रह ।

३. संस्कारमानजन्य ज्ञान स्मृति —तर्कसंग्रह ।

४. कार्यं शरीरसंस्कार पावन. प्रेत्य चेह च—मनु० २।२६ ।

आर्षग्रन्थो म सस्कारो की बड़ी महिमा प्रतिपादित की गई है। विना कारण के कार्य की उत्पत्ति न मानने वाले वैदिक ऋषियों को मान्यता है कि मानव इन सस्कारों की सहायता से अपने जीवन को उसी प्रकार अच्छे से अच्छा बना सकता है, जिस प्रकार कुशल शिल्पी अपनी कला के माध्यम से उत्तम से उत्तम चित्र बना लेता है। सस्काररूपी इन वैदिक क्रियाओं में यह अद्भुत शक्ति है कि वे स्त्री या पुरुष किसी को दिव्य गुणों से सम्पन्न बनाने में समर्थ हैं।

संस्कारभेद और उनकी सख्या—

सस्कारों के भेद एवं उनकी सख्या के सम्बन्ध में गृह्यसूत्रों में भी मतभेद नहीं है। सस्कारों की सख्या ११ से लेकर ४० तक गिनाई गई है—

आश्वलायन-गृह्यसूत्र	पारस्कर-गृह्यसूत्र	बौधायन-गृह्यसूत्र
१—विवाह	१—विवाह	१—विवाह
२—गर्भाधान	२—गर्भाधान	२—गर्भाधान
३—पुसवन	३—पुसवन	३—पुसवन
४—सीमन्तोन्नयन	४—सीमन्तोन्नयन	४—सीमन्तोन्नयन
५—जातकर्म	५—जातकर्म	५—जातकर्म
६—नामकरण	६—नामकरण	६—नामकरण
७—चूडाकर्म	७—निष्क्रमण	७—उपनिष्क्रमण
८—अन्नप्राशन	८—अन्नप्राशन	८—अन्नप्राशन
९—उपनयन	९—चूडाकर्म	९—चूडाकर्म
१०—समावर्तन	१०—उपनयन	१०—व्रणवेध
११—अन्त्येष्टि	११—केशान्त	११—उपनयन
	१२—समावर्तन	१२—समावर्तन
	१३—अन्त्येष्टि	१३—पितृमेघ

धाराह-गृह्यसूत्र

१—जातकर्म	८—गोदान
२—नामकरण	९—समावर्तन
३—दन्तोद्गमन	१०—विवाह
४—अन्नप्राशन	११—गर्भाधान
५—चूडाकर्म	१२—पुसवन
६—उपनयन	१३—सीमन्तोन्नयन
७—वेद-व्रतानि	

वैखानस-गृह्यसूत्र

१—ऋतु सङ्गमन	१०—पिण्डवर्धन
२—गर्भाधान	११—चौलकर्म
३—सीमन्त	१२—उपनयन
४—विष्णुबलि	१३—पारायण
५—जातकर्म	१४—व्रतबन्धविसर्ग
६—उत्थान	१५—उपाकर्म
७—नामकरण	१६—उत्सर्जन
८—अन्नप्राशन	१७—समावर्तन
९—प्रवसागमन	१८—पाणिग्रहण

गौतम-धर्मसूत्र

१—गर्भाधान	२०-२६—अष्टक, पार्वण, ध्याद, ध्यावणो, अग्रहायणी, मैत्री, आश्वयुजी इति सप्त पाकयज्ञसंस्कारा ।
२—पुसवन	
३—सीमन्तोन्नयन	
४—जातकर्म	
५—नामकरण	२७-३३—अग्न्याधेय, अग्निहोत्र, दशपौर्ण- मास, चातुर्मास्य, आग्रहायणेष्टि, निरूढ पशुबन्ध, सौत्रामणि इति सप्त हविर्यज्ञाः ।
६—अन्नप्राशन	
७—चौल	
८—उपनयन	
९-१२—चार-वेदव्रत	३४-४०—अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आशौर्याम इति सप्त सोमयज्ञ-सत्या ।
१३—स्नान	
१४—सहधर्मचारिणी-सयोग	
१५-१९—पच महायज्ञ	

षोडश-संस्कार—

संस्कारो को सख्या के सम्बन्ध मे गृह्यसूत्रो की तरह स्मृतियो मे भी भेद स्पष्ट है । भगवान् मनु ने गर्भाधान से मृत्युपर्यन्त केवल १३ ही संस्कार माने है । याज्ञवल्क्य ने केशान्त को अमान्य करते हुए मनुस्मृति का ही समर्थन किया है । महर्षि अङ्गिरा ने अपनी स्मृति मे २५ संस्कारो का भा उल्लेख किया है । इस प्रकार संस्कारो की सख्या के विषय मे विभिन्नता होते हुए भी इस समय भारतीय समाज मे व्याप्त स्मृति द्वारा प्रतिपादित सोलह संस्कारो का ही प्रचलन है । मीमांसादर्शन ने भी इन्ही १६ संस्कारो को स्वीकार करते हुए उन्हें दो भागो मे विभक्त कर दिया है । गणनाक्रम से प्रारम्भिक ८ संस्कार प्रवृत्ति-मार्ग की ओर अग्रसर करने वाले एव शेष आठ निवृत्ति-

बोधक माने गये हैं। इन संस्कारों का लक्ष्य षोडश-कलापुष्ट चन्द्रदेव की तरह मानव को बनाना प्रतीत होता है, क्योंकि इसके बिना जीव ब्रह्मतत्त्व की प्राप्ति नहीं कर सकता। संस्कारों का लक्ष्य निर्धारित करते हुए भगवान् मनु ने कहा है—“ब्राह्मीय क्रियते तनु” अर्थात् संस्कारों का लक्ष्य जीव-शरीर को ब्रह्मत्वलाभ के योग्य बनाना है। ब्रह्मत्वप्राप्ति तभी सम्भव है जब जीव निवृत्ति मार्ग की पराकाष्ठा में पहुँच कर “त्यागेनैकेऽमृतत्वमानशु” को चरितार्थ करने में सक्षम होता है।

आर्यसमाज के संस्थापक, वैदिक संहिताओं के समर्थक महर्षि दयानन्द सरस्वती ने भी अपनी “संस्कारविधि” में सोलह संस्कारों का समावेश किया है। इन्हीं “सोलह संस्कारों” को स्वीकृति प्रदान करते हुए पण्डित भीमसेन शर्मा ने भी अपनी रचना “षोडश संस्कारविधि” को सम्पन्न किया है।

भारतीय समाज में इस समय मान्यताप्राप्त सोलह संस्कारों की गणना निम्न-लिखित प्रकार से की जा सकती है—

जन्म के पूर्व के तीन संस्कार—

१-गर्भाधान, २-पुसवन, ३-सोमन्तोन्नयन।

बाल्यावस्था के छ. संस्कार—

१-जातकर्म, २-नामकरण, ३-निष्क्रमण, ४-अन्नप्राशन, ५-बूडाकर्म, ६-कर्णवेध।

विद्याध्ययन से सम्बद्ध तीन संस्कार—

१-उपनयन, २-वेदारम्भ, ३-समावर्तन।

आश्रमों में प्रवेश-हेतु तीन संस्कार—

१-विवाह, २-यानप्रस्थ, ३-सन्यास।

मृत्यु के उपरान्त एक संस्कार—

१-अन्त्येष्टि।

संस्कारों का संक्षिप्त परिचय

जन्म के पूर्व के संस्कार—

(१) गर्भाधान—

वेदोक्त पुण्यकर्मों द्वारा शरीर का संस्कार इन संस्कारों द्वारा होना चाहिए, इसका प्रतिपादन भगवान् मनु ने स्मृति में किया है^१। गर्भाधान-संस्कार से बीज

१ वैदिक कर्मणि पुण्यैर्निष्कारिर्द्विज्जन्मनाम्।

काय शरीरसंस्कार पावन प्रत्य चेह च ॥ (मनु० २।२६)

तथा गर्भसम्बन्धी सभी दोष नष्ट हो जाते हैं और क्षेत्ररूपी स्त्री का संस्कार करना ही इसका मुख्य फल होता है। अन्य सभी संस्कार प्रजननरूपी इस गर्भाधान-संस्कार पर ही निर्भर हैं, इसलिये इस संस्कार की नियमितता का बड़ा ही महत्व है। पूर्वमीमांसा^१ में गर्भाधान संस्कार पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है-- "जिस कार्य द्वारा पुरुष स्त्री के गर्भ में अपना बीज स्थापित करता है, उसे गर्भाधान कहा गया है"। आचार्य शौनक ने स्त्री का प्राधान्य व्यक्त करते हुए कहा है-- "स्त्री अपने पति द्वारा प्रदत्त शुक को जिस कार्य में धारण करती है, उसे गर्भालम्बन (गर्भाधान) कहा जाता है।" इस संस्कार को सम्पन्न करने हेतु सुश्रुत-संहिता में बन्धा की अवस्था तेरह एव पुरुष की अवस्था कम से कम पच्चीस वर्ष निर्धारित की गयी है। शास्त्रानुसार गर्भाधान-संस्कार सम्पन्न करते समय शुभ-मूर्त के नक्षत्र और तिथि का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि इसका प्रभाव सन्तति पर पड़ता है। यही कारण है कि मनुस्मृति में अष्टमी, चतुर्दशी, अमावास्या, पूर्णिमा और रिक्ता तिथि को छोड़ने के लिए कहा गया है, अर्थात् इन तिथियों वाले दिनों में यह संस्कार नहीं करना चाहिए।

संहिता-काल—

यद्यपि वैदिक-संहिताओं में कहीं भी संस्कारों का विधि-पूर्वक वर्णन उपलब्ध नहीं होता, तथापि उस समय के क्रियमाण गृह-कर्मों से प्रमुख संस्कारों पर प्रकाश पड़ता है। वैदिक-संहिताओं के ऋषियों की स्पष्ट मान्यता है कि सन्तानोत्पत्ति (गर्भाधान) के समय स्त्री और पुरुष के चित्त में जिस प्रकार के भावों का उदय होगा, सन्तान भी उन्हीं भावों के अनुरूप होगी। बहने का तात्पर्य है कि यदि माता-पिता उस समय काम-वासना के बशीभूत होंगे, तो सन्तति भी कामुक होगी और वीर-पुरुषों या वीरता की अधिष्ठात्री किसी देवी का स्मरण करने पर वीर सन्तति एव धार्मिक भाव रखने से धार्मिक पुत्र या पुत्री हाने। गर्भाधान करते समय जो पुरुष अपने को प्रजापति का अग्र तथा स्त्री अपने को साक्षात् वसुमती का रूप समझते हैं, उनकी सन्तान निःसन्देह दिव्य गुणों वाली होती है। इसी आशय को पुष्टि ऋग्वेद-संहिता (अध्याय ८, २ एव ४२) से भी होती है, जिसमें कहा गया है-- "पोषणकारी सूर्य और रश्मि योनियों की कल्पना करें। शक्तिशाली विष्णु गर्भग्रहण करने का स्थान प्रदान

१. गर्भं. सधायंते येन कर्मणा तद् गर्भाधानमित्यनुगतायं कर्मनामधेयम् । (पूर्वमीमांसा-१।४।२)

२. निषिको यत्रयोगेण गर्भं सधायंते म्त्रियाः । (आचार्य शौनक)

कर, देवशिरपी त्वष्टा (विश्वकर्मा) रूप का मिश्रण करें, प्रजापति सिंचन एवं सृष्टि-कर्ता गर्भ का संगठन करें ।

इस प्रकार की देव-भावनावाली अनेक भावनाएँ ऋग्वेद-संहिता की ऋचाओ में हैं, जिनमें कहा गया है—“चन्द्रकला की देवो गर्भाधान करें, सरस्वती देवो गर्भाधान करें एव अश्विनो कुमार गर्भाधान करें, जिनके प्रभाव से सन्तति दीर्घायुष्य, विनयशील तथा सर्वगुण सम्पन्न होती है” । सन्ततिहेतु स्त्री-पुरुष द्वारा की गयी प्रार्थनाओ (ऋ० ८।३५।१० तथा १।८९।९) से गर्भाधान सस्कार की अभिव्यक्ति होती है^१ । वैदिकसंहिताओ में पुत्र को “ऋणच्युत” कहा जाता था । ऋणमुक्ति में आर्थिक ऋणमुक्ति की तरह ही पैतृक-ऋणमुक्ति भी अनिवार्य थी । इस पितृ-ऋण से मुक्ति पाने के लिए सन्तानोत्पत्ति आवश्यक मानो गयी थी, जिसकी पूर्ति गर्भाधान-सस्कार के बिना असम्भव थी । इस तरह वैदिकसंहिता काल को हम इन सस्कारों की विकास अवस्था कह सकते हैं ।

ऋषिऋण, देवऋण और पितृऋण का सिद्धान्त वैदिक-संहिता-काल में विकसित था । इस सम्बन्ध में तैत्तिरीय-संहिता (६।३।१०।५) में कहा गया है^२ । वैदिक प्राक्सूत्र साहित्य में स्त्री-पुरुष के सहवास के भी स्पष्ट उल्लेख है, जिनसे पता चलता है कि उस समय पुरुष अपनी पत्नी के पास जाता था, गर्भाधान-हेतु उसे आमन्त्रित करता था और देवताओ से प्रार्थना करता था कि उसकी पत्नी के गर्भ में भ्रूण स्थापित हो^३ ।

भाष्यकार सायण ने अथर्ववेद के चौदहवें काण्ड की भूमिका में गर्भाधान-नामक इस सस्कार को चतुर्थी कर्मणि कहा है । इस सस्कार के विषय में विवाह-काण्ड में

१ आ पूषा भग नविता म ददातु ह्य कल्पयतु लग्नमगुम् । ओ विष्णुर्वीति कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिशतु । आसिञ्चतु प्रजापतिर्वाता गर्भं ददातु ते ॥ (ऋक्संहिता)

२ गर्भं धेहि सिनीवालि गर्भं धेहि सरस्वति ।

गर्भं ते अश्विनो देवावाधता पुष्करस्रजा ॥ (ऋ० १०।१८४।२)

३ “प्रजा च घत्त द्रविण च धत्तम्” । (ऋ० ८।३५।११)

“पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति” ॥ (ऋ० १।८९।९)

४ “जायमानो वै ब्राह्मणास्त्रिमर्हणवान् जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः । एष वा अतृणो य पुत्रो यज्वा ब्रह्मचारी वा स्यादिति” ।

(तैत्तिरीयसंहिता—६।३।१०।५)

५ ता पूषन् शिवतमामेरयस्व यस्या बीज मनुष्या वपन्ति ।

या न ऊरु उशती विश्रयाते यस्यामुद्य त प्रहराम शेषम् ॥ (ऋ० १०।८५।३७)

अनेक मन्त्र दिये गये हैं, जिनसे ज्ञान होता है कि यह सस्कार पाणिग्रहण के बाद शीघ्र ही सम्पन्न होता था। एक मन्त्र तो स्पष्ट सकेत करता है कि इस सस्कार हेतु नववधू धर द्वारा शयनकक्ष में ले जायी जाती थी, जहाँ दोनों परस्पर नेत्रानन्द का लाम उठाते थे^१। अथर्ववेद (७३७१) में वधू द्वारा अपने पति को गर्भाधान-सस्कार के पूर्व मनु-जात वस्त्र पहनाने का वर्णन है। वस्त्र-धारण करने के पश्चात् पुरुष अपनी नववधू को पलंग पर आरूढ़ होने के लिये कहता है—“इस शय्या पर बैठो, पति के लिये सन्तान उत्पन्न करो, इन्द्राणी की तरह सुखपूर्वक प्रातः जागते समय उपा की प्रतीक्षा करो। प्राचीनकाल में देवों ने भी अपनी देवागनाओं के साथ आलिंगन किया था, इसलिए तुम भी मेरा आलिंगन करो”। अथर्वसंहिता (१४२१७१) में पति अपनी पत्नी को सम्बोधित करते हुए कहता है—“मैं पुरुष हूँ, तुम स्त्री हो, मैं साम हूँ, तुम ऋचा हो, मैं आकाश हूँ, तुम पृथिवी हो, हम दोनों इस तरह मिलकर जीवन-यापन करेंगे, अभीष्ट सन्तति उत्पन्न करेंगे”^२। अथर्वसंहिता (५१२५१२) तथा (६१७१) में पुरुष अपनी पत्नी को कहता है—“तुम उसी प्रकार गर्भ-धारण करो, जिस प्रकार पृथिवी मनुष्यों को धारण करती है”^३। पति को सब प्रकार से आश्रय देनेवाला एव पत्नी को मर्यादा में रहनेवाली बताते हुए अथर्ववेद (६१८१२) में कहा गया है।

उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट होता है कि वैदिकसंहिता-काल में गर्भाधान-सस्कार सम्पन्न होता था।

(२) पुसन्न—

वैदिक-संहिताओं में “पुसन्न” नामक इस द्वितीय सस्कार को “प्राजापत्य-सस्कार” कहा गया है^४। यह सस्कार पुत्र-प्राप्ति की अभिलाषा का द्योतक है, अर्थात् इसे पुत्र उपलब्धि हेतु विशेषरूप से करने का विधान है^५। गर्भावस्था के तीसरे या

१ अद्यो नो मधु सक्वाशे अतीक नो समञ्जनम् ।

अन्त कृणुष्व मा हृदि मन इन्नो सहासति ॥ (अथर्वसंहिता)

२ अमोऽष्टमस्मि सा त्व सामाहमस्म्युक्त्व धीरह पृथिवी त्वम् । ताविह स भवाव प्रजामा जनयावहै । (अथर्व० १४२१७१)

३ यथेय पृथिवी मही भूताना गर्भमादधे ।

एवा ते ध्रियता गर्भो अनुसूतु सयितव ॥ (अथर्व० ५१२५१२ तथा ६१७१)

४ कृणोमि ते प्राजापत्यमा धानि गर्भ एतु ते । (अथर्व० ३२३५)

५ य परिहस्तमविमरशितिः पुत्रकाम्या ।

त्वष्टा तमस्या धादघ्नाद्यया पुन जनादिति ॥ (अथर्व० ६१८१३)

चौथे मास के भीतर ही यह सस्कार करना उचित माना गया है। इस सस्कार का मुख्य उद्देश्य गर्भस्थ शिशु की रक्षा करना है।

मानवी गर्भ के विनष्ट होने के दो समय अतीव प्रबल होते हैं। पहला समय तो गर्भधारण के अनन्तर तीसरे मास और चौथे मास के बीच की अवधि है। दूसरा समय छठा मास और आठवें मास के बीच का माना गया है। यही मुख्य कारण है कि "पुसवन" नामक सस्कार प्रथम अवधि में एवं "सोमन्तोन्नयन" सस्कार गर्भ-रक्षा हेतु दूसरी अवधि में करने का विधान है। ये दोनों सस्कार गर्भावस्था में ही किये जाते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से गर्भस्थ शिशु की रक्षा हेतु प्रार्थना की जाती है।

गर्भाशय में स्थित गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री, इसका निश्चय चार मास से पूर्व करना सम्भव नहीं है, क्योंकि तीन मास के गर्भस्थ पिण्ड में स्त्री या पुरुष-सम्बन्धी चिह्न दृष्टिगोचर नहीं होते। समाज में साधारणतया देखा जाता है कि लोग कन्या की तुलना में पुत्र की प्राप्ति को श्रेयस्कर मानते हैं। वैदिक-प्रार्थना के बाद पति अपनी पत्नी से कहता है—“मित्र वरुण नामक दोनो देवता पुरुष हैं, अश्विनीकुमार नामक दोनो देवता पुरुष हैं एवं अग्नि तथा वायु नामक दोनो देवता भी पुरुष हैं। तुम्हारे गर्भ में भी पुरुष का आविर्भाव हुआ है”। स्त्री अपने पुरुष के मुख से पुत्रोत्पत्ति के लक्षणों को स्मरण कर आनन्द-विभोर हो जाती है और वमन (उलटी) आदि की अनिवार्यता से अपने आलस्य एवं विषाद को दूर कर गर्भ-पोषण का सम्बल जुटाने लगती है।

“पुसवन” शब्द का अर्थ—

पु=पुमान् (नर) का जन्म हो इस उद्देश्य से जो क्रिया की जाती है, उसे “पुसवन” सस्कार कहा गया है। इस कथन की पुष्टि में शौनक द्वारा रचित वीर-मित्रोदय-सस्कार-प्रकाश, भाग १, पृ० १६६ में कहा गया है^१। अथर्ववेद में पुमान् सन्तति को उत्पन्न करने की अभिलाषाओं को व्यक्त किया गया है^२। इस मन्त्र में “अनु” पद बड़ा ही महत्त्व रखता है, जिसका अर्थ है—“हे स्त्री! तुम पुमान्वाची पुत्र को पैदा करो और उसके अनु (पश्चात्) भी वीरपुत्र उत्पन्न हो। यहाँ वाद में भी वीर-पुत्रों की उत्पत्ति से सात्पर्य है कि तुम्हारे पुत्रों के भी पुत्र वीर हो। इस

१ यन्तासि यच्छमे हस्तावण रक्षामि मेधसि ।

प्रजा धन च गृह्णान परिहस्यो अभूदयम् ॥ (अथर्व० ६।८१।१)

२ पुमान् प्रमूयते येन कर्मणा तन पुसवनभोरितम् । (वीरमित्रोदय)

३ पुमास पुत्र जनयत पुमाननु जायताम् ।

भवांसि पुत्राणा माता जाताना जनयाश्च यान् ॥ (अथर्व० १।२३।३)

शब्द की सार्थकता हेतु संकेत भी है कि अगर पुरुष चाहता है कि मेरे घर वीर पुत्र उत्पन्न हो, जो अनुकूल, अनुस्क एवं मातृ-पितृ भक्ति से सम्पन्न हो, तो उसे अपनी पत्नी की गर्भस्थि में सद्गुणों का आधान करना चाहिए। पुमान्-गर्भाधान की उत्कट अभिलाषा से प्रेरित हो पुरुष स्त्री से कहता है—“इस मास की अवधि पूर्ण होने पर तुम्हारे गर्भ में वीर-सन्तति उत्पन्न हो, एतदर्थं धनुष पर बाणसन्धान को तरह अपने गर्भाशय में पुमान् सन्तति के बीज को धारण करो”।

गर्भरक्षा के उपचार—

“पुमान्” वीर-सन्तति गर्भावस्था में सुरक्षित रहे, इसके लिए अनेक प्रकार के उपचारों का वर्णन है। अग्नि-प्रदक्षिणा, दधिप्राप्तन, नासावेध, उदरस्पर्श, फट्टनान आदि विभिन्न क्रियाएँ “पुसवन-सस्कार” की अङ्गभूत हैं, जिनके माध्यम से वीर-पुत्र की कामना की जाती है। गर्भस्थ बालक की रक्षा हेतु वैदिक-सहिताओं में अनेक विधान हैं, जिनके करने से गभस्त्राव या पतन का भय नहीं रहता। रक्षा के ये उपचार दो प्रकार में किये जाते थे—(१) मागलिक सूत्र एवं (२) औपधि-प्रयोग में।

“पुसवन” संस्कार करते समय स्त्री की बलाई में रक्षा हेतु एक मागलिक सूत्र बाँधा जाता था। इस रक्षा-बन्धन से प्रार्थना करते हुए अथर्ववेद (६।८।१।१) में कहा गया है—“तुम रक्षा करने वाले हो, दोनो हाथों से धारण करते हो, राक्षसों को भगाते हो”। अथर्ववेद-महिता (६।८।१।३) में पुनेच्छा वाला पुरुष स्वष्ट से प्रार्थना करते हुए कहता है—“हे देव ! पुत्र की कामना से जिस रक्षा-बन्धन की अदिति ने धारण किया था, उसी रक्षा-बन्धन को मेरी स्त्री के हाथ में भी बाँध दो, जिससे यह भी पुत्रवती बन सके”।

रक्षा-बन्धन के अतिरिक्त गर्भस्थ बालक को उत्पत्ति एवं रक्षा हेतु अनेक प्रकार की औपधियों के प्रयोग का वर्णन भी वैदिक सहिताओं में उपलब्ध होता है। प्राजापत्य नामक इस पुसवन-संस्कार के समय गर्भ की पुष्टि हेतु औपधि प्रदान की जाती थी, जिनके सम्बन्ध में अथर्ववेद^१ में कहा गया है—“जिन पौधों का दूध पीटा है, पृथिवी माता तथा जिनका समुद्र मूत्र है, वे दिव्य गुणों वाली औपधियाँ पुत्रोत्पत्ति में तुम्हारी सहायता करें”। गर्भपातादि दोषों से त्राण पाने के लिये

^१ आ वे यानि गभम् एतु पुमान् बाण इवेपुधिम् ।

आ वीरोञ्ज जायताम् पुत्रस्त्वे दशमासस्य ॥ (अथर्ववेद-महिता)

^२ यासा दूध पीटा पृथिवी माता समुद्रो मूल वीदथा बभूव ।

वास्त्वा पुत्र विद्याय देवी प्रावत्योपदध ॥ (अथर्ववेद ३।२।१६)

अथर्वसंहिता^१ में ऋषभ आदि औषधियों के सेवन का वर्णन मिलता है जिससे स्पष्ट होता है कि ये औषधियाँ पुनोत्पत्ति हेतु स्त्री को खिलाई या मिलाई जाती थी।

पुंसवन-संस्कार का सीधा सम्बन्ध स्त्री समाज से है। इस संस्कार के सम्पादन से पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। यह संस्कार करने से पुत्र अश्वत्थ (पिप्पल-वृक्ष) की तरह विशाल और सुदृढ होता है और शमी (जण्डी) रूपी शान्त-स्वभाव वाली स्त्री की तेजस्विता रूपी अग्नि को प्राप्त करता है। इसी बात की पुष्टि अथर्ववेद संहिता^२ में की गयी है कि यह पुसवन संस्कार स्त्रियों के लिये अच्छी तरह से किया जाना चाहिए।

पारस्कर-गृह्यसूत्र के अनुसार इस संस्कार के अवसर पर गर्भवती की प्रसन्नता के लिये आन-दोत्सव का भी आयोजन किया जाता था। गर्भस्थ वीर्य की पुष्टि के लिये गर्भिणी स्त्री को बटवृक्ष की जटा या उसकी पत्ती लेकर दक्षिण नासिका-पुट से सुंधाने का विधान है। स्त्री की मानसिक स्थिति को ठीक रखने हेतु गिलोय, ब्राह्मी औषधि और सुठी को दूध के साथ खिलाने की बात भी की गयी है, जिससे पुमान्-गर्भ की रक्षा और पुष्टि हो सके।

आचार्य शौनक के मतानुसार पुसवन-संस्कार गर्भावान् होने के दूसरे या तीसरे महीने में किया जाता था^३। आश्वलायन-गृह्यसूत्र के अनुसार पति अपनी गर्भिणी स्त्री को दिन भर उपवास कराने के बाद गाय के दही में एक यव (जौ) की बाल और दो माष (उरद) के दाने मिलाकर तीन बार पीने को दे। पीते समय पति अपनी पत्नी से पूछे "तुम क्या पी रही हो" ? पत्नी को प्रत्येक बार श्रद्धाभाव से कहना चाहिये "पुसवने, पुसवने"।

आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रन्थ सुश्रुत (सूत्रस्थान-अध्याय ३८) में कहा गया है कि बटवृक्ष में ऐसे गुण हैं, जिनसे गर्भकालीन समस्त विकारों का उपचार हो जाता है। तिल्ली की रोकथाम तथा दाहकता आदि की शान्ति के लिये स्त्री को बटवृक्ष के मूल का सेवन करना चाहिए। सुश्रुत ने स्पष्ट कहा है—“पुत्र-प्राप्ति की अभिलाषा

१. यानि भद्राणि बीजान्यपभा जनयन्ति च ।
तैस्त्व पुत्र विन्दस्व सा प्रसूयन्तुका भव ॥ (अथर्व० ३।२३।४)
२. शमीमश्वत्य आरूढस्तत्र पुसवन कृतम् ।
तद्वै पुत्रस्य वदन तत्त्रोष्वाभरामसि ॥ (अथर्व० ६।१२।१)
३. व्यक्ते गर्भे द्वितीये तु मासे पुसवन भवेत् ।
गर्भे व्यक्ते तृतीये चतुर्थे मामि वा भवेत् ॥ (आचार्य-शौनक)
४. लवंगगर्भायाश्चैतष्वह मु लक्ष्मणा-वटशुक्ल-सहदेवी-विश्वदेवानामन्यतम क्षीरेणाभिपुटय
श्रीश्रुतुरो वा विन्दून् दद्याद्दक्षिण नासापुट पुत्रकामार्यं न च तत्रिणीवेत् ।

से सुलक्ष्मणा, वटशुद्धा, सहदेवी एवं विश्वदेवी मे से किसी एक जीवधि को दूध में घोटकर उसके रस को तीन या चार बूँदें गर्भिणी के दायें नासापुट में छोड़नी चाहिए"। ऐसा करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए, वही स्त्री उसे धूक कर देकार तो नहीं कर रही है। "सुपर्णांसि" इत्यादि वैदिक ऋचाओ द्वारा पुंसवन-संस्कार करते समय स्वस्थ एव सुन्दर शिशु के जन्म की मंगल कामनाएँ की जाती थी।

उपर्युक्त विवरणो से स्पष्ट है कि "पुसवन" संस्कार के बीज वैदिक-सहिताओ मे उपलब्ध है, विशेषरूप से अथर्ववेद-सहिता मे।

(३) सोमन्तोन्नयन—

सन्तति के जन्म से पूर्व सम्पन्न किये जाने वाले तीन प्रमुख संस्कारो में "सोमन्तोन्नयन" नामक अन्तिम संस्कार है। अर्थात् "गर्भाधान" और "पुसवन" संस्कार के बाद यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार का भी मुरप उद्देश्य "पुसवन" संस्कार की तरह गर्भ की रक्षा करना है। दोनो संस्कारो में कालावधि की दृष्टि से अन्तर है। प्रथम (पुसवन) संस्कार जहाँ गर्भावस्था के तीसरे या चौथे मास के भीतर ही करने का विधान है, वही "सोमन्तोन्नयन" संस्कार गर्भावस्था के छठे या आठवें मास में करने को कहा गया है। सोमन्तोन्नयन को "मातृनामावि" (कौ० सू० ८।२४) भी कहा जाता था।

गर्भावस्था की दृष्टि से आठवाँ महीना बड़े ही महत्व का होता है, क्योंकि इस समय तक शिशु अपनी परिपक्वावस्था को लगभग प्राप्त कर लेता है। इस समय अमङ्गलकारो भूत, प्रेत, पिशाच आदि की बाधाओ की कल्पना सहजभाव से उत्पन्न होने लगती है। इस बात को दृष्टिगत करते हुए आश्वलायनाचार्य ने अपनी रचना "वीरमित्रोदय संस्कार" मे कहा है—"संधिरपान मे समुत्सुक कुछ देत्व प्रवृत्तियां गर्भस्य बालक के वध की ओर प्रवृत्त होती है। इसलिए ऐसे समय में पति को चाहिए कि वह "धो" का आह्वान करे, क्योंकि "धो" से रक्षित गर्भ की दुष्प्रवृत्तियां बाधा नहीं पहुँचा सकती।

उत्तम एव स्वस्थ सन्तति की प्राप्ति हेतु इस संस्कार के सम्पन्न करने का संकेत ऋग्वेद सहिता^१ मे मिलता है, जिसमे कहा गया है कि—"भे (पति) दान-

१ पत्न्या. प्रथमज गर्भमत्तुकाम सुदुर्भगा ।

आयान्ति कारिचद्राक्षस्यो रुधिराशुनतस्वरा ॥

तासा निरसनार्थाय यियमावाहयेत सुधी ।

सोमन्तकरणी लक्ष्मीस्तामावहति मन्त्रत ॥ (वीरमित्रोदय)

२ राकामह सुहृवां शुण्ठुती हृवे शृणोतु न. सुभगा बोधनुत्तमा ।

सीव्यत्सप. सूच्याच्छिद्रमानया ददातु वीर एतदानमुत्स्यम् ॥ (ऋ० १।३।४)

शीला, आह्वान वे योग्य, सौभाग्यवती पत्नी को मधुर वचनों से बुलाता हूँ। वह मेरे आह्वान को सुने और समझे तथा न टूटने वाले प्रजनन कार्य से मुझे प्रशसनीय वीर-सन्तान प्रदान करे'।

सीमन्तोन्नयन शब्द का अर्थ—

गर्भिणी स्त्री के सीमन्तभाग के केशों का कुश गुच्छ द्वारा उन्नयन अर्थात् ऊपर की ओर उठाने का कार्य सम्पन्न किया जाता है, इसलिये इस सस्कार को "वीरमित्रोदय-सस्कारप्रकाश" में इसकी व्युत्पत्ति बतते हुए कहा गया है^१। इस सस्कार द्वारा स्त्री को प्रसन्नचित्त रखने की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी आरम्भ हो जाती है। पुरुष अपने हाथों से अपनी पत्नी के केशों को सँवारता हुआ उसके लिये अनेक प्रशंसात्मक राका (पूर्णचन्द्र वाली रात्रि), सुपेशा (सुन्दर आकार वाली) इत्यादि विशेषणों का प्रयोग कर उसे प्रसन्नचित्त रखता था। इस गर्भविस्था की प्रसन्नता का प्रभाव भावी शिशु पर पड़ता था और वह स्वस्थ एवं हृष्टपुष्ट होता था। उदरस्थ शिशु पर किसी प्रकार का आघात न पहुँचे, एतदर्थ इसमें सावधानी रखने के भी अनेक निर्देश वैदिक-सहिताओं में उपलब्ध होते हैं।

गर्भरक्षा के उपाय—

सीमान्तोन्नयन करते समय पति अपनी स्त्री को सम्बोधित करते समय वैदिक-काल में कहता था—'जिस प्रकार प्रजापति ने देवमाता अदिति को सौभाग्यवर्धन हेतु उसका सीमन्तोन्नयन किया था ठीक उसी प्रकार मैं भी तुम्हारा सीमन्तोन्नयन करके सन्तति के दीर्घायुष्य की कामना करता हूँ'^२।

अथर्ववेद संहिता में गर्भ रक्षण के लिये प्रार्थना की जाती थी। इस सम्बन्ध में २६ मन्त्रों का पूरा एक सूक्त उपलब्ध है^३। गर्भ-धारण के अनन्तर गर्भ में उत्पन्न होने वाले रोगों की शान्ति के लिये औषधियों का प्रयोग किया जाता था। अथर्ववेद (८।६।२०) में गर्भवती स्त्री को सावधान करत हुए कहा गया है—
"तुमने जिस गर्भ को धारण किया है, वह स्थिर रहे और तुम्हारे अघावस्त्र में बधी यह औषधि उसकी रक्षा कर"^४।

१ सीमन्त उन्नयते यस्मिन् वमणि तत सीमन्तोन्नयनमिति वमनामधेयम् (वारमित्रोदय)

२. ओम्। यनादित सीमान नयति प्रजापतिमहत् सौभाग्यम्।

तेनाहमस्य सीमान नृयामि प्रजामस्य जरदष्टि कुणोमि ॥

३. अथर्वसंहिता सम्पूर्ण सूक्त।

४. परिसृष्ट धारणतु ददित मावपादि तत्।

गर्भं त उग्रो रक्षता भयञ्जी नीविभार्या ॥ (अथर्व० ८।६।२०)

गर्भ की रक्षा हेतु प्रयुक्त औषधियों में "वच" (वच) औषधि सर्वाधिक प्रचलित थी और गर्भरक्षक देवताओं में "इन्द्र" की स्तुतियाँ सर्वाधिक हैं^१। गर्भ की रक्षा एवं पुत्रोत्पत्ति हेतु इस मस्कार के समय श्वेत-पीत सरसो का प्रयोग होता था। तात्कालिक ममाज का विद्वान् था कि सरसो का प्रयोग गर्भ की रक्षा करता है।

वालयावस्था के छ संस्कार

(४) जातकर्म—

"जातकर्म-संस्कार" मसार में नवागत सन्तति के स्वागत का प्रतीक है। शिशु की उत्पत्ति के समय विविध क्लेशों की चर्चा ग्रन्थों में उपलब्ध होती है। यही कारण है कि ज्यो-ज्यो प्रसव का दिन निकटस्थ आता जाता है, गर्भवती को सुरक्षा की व्यवस्थाएँ भी तेज हो जाती हैं। प्रसूति-गृह की चर्चा में स्पष्ट रूप से नैऋत्य दिशा को श्रेष्ठ माना गया है। प्रसूति-गृह का निर्माण समतल भूमि में होना चाहिए। अलकृत एवं सुमज्जित म्यान का प्रभाव भावी सन्तति पर भी पड़ता है, इसलिये आसन्न-प्रमत्ता को प्रसन्न रखने के लिये प्रसूति-गृह को खूब सजाया जाता था। सद्य प्रसूता तथा नवजात शिशु की सुरक्षा हेतु अनेक प्रकार की सावधानी के साथ ही साथ प्रार्थनाएँ भी की जाती थी।

यद्यपि वैदिक सहिताओं में "जातकर्म" संस्कार का कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद-सहिता (२।१२।१) में "जात" शब्द का प्रयोग अवश्य हुआ है, जिसमें इन्द्र की जन्मजात शक्तियों का वर्णन किया गया है। मानव-समुदाय के लिये इस मन्त्र में दिया गया "जनास" मन्त्रोद्यत भी अवश्य विचारणीय है। "जन्मन्" शब्द का प्रयोग भी ऋग्वेद-सहिता में आया है^२, जिसका अर्थ जन्यमान-सन्तति से है। अस्तु, चाहे जिस अर्थ में भी "जन्मन्" शब्द का प्रयोग हुआ हो, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि ये ही शब्द आगे चलकर जातकर्म-संस्कार के सूत्र बन गये।

ऋग्वेद सहिता (५।७।५, ७, ८, ९) में शिशु की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रार्थना करत हुए कहा गया है—"प्रसवकाल में जननी का अंग तदनुकूल हो जाता है। वायु जिस प्रकार सरोवर आदि के जल को चलाता है, वैसे ही शी को गर्भस्थ

१ स्त्रीणां प्राणिप्रसोदिन इन्द्र रक्षासि नाद्यम् ॥ (अथर्वसहिता)

२ यो जात एव प्रथमा मनस्वान्देवो दवाग्भुना पर्यभूयन् ।

यस्य गुप्ताद्रादग्नी अम्यसता नृम्मणस्य मत्ता स जनास इन्द्र ॥ (ऋ० २।१२।१)

३. स इज्जनेन स विद्या स जन्मना स पुत्रैर्वाज भरते घना नृभि ।

देवाना य त्रिवरमाविवासति यद्दामना हविषा ब्रह्मणस्पतिम् ॥ (ऋ० २।२६।३)

शिशु गतिमान् होते हुए दश मासों की पूर्णाधि के पश्चात् ही बाहर आये। वायु, वन और समुद्र की तरह कम्पायमान शिशु जरायु में लिपटा हुआ सुरक्षित बाहर आये”।

ऋग्वेद-सहिता के उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि उस समय सन्तति की उत्पत्ति हेतु देवों की स्तुति की जाती थी—“दश मासों की अधिपर्यन्त माता के गर्भ में रहता हुआ सुकुमार, सजीव माता के गर्भ से निरोगावस्था में बाहर आये”।

अथर्ववेद-सहिता (१।१।११) से स्पष्ट होता है कि यह सम्पूर्ण सूक्त नवजात शिशु एव उसकी माता की सुरक्षा हेतु गाया गया है। इस सूक्त में जातकर्म-संस्कार के संकेत उपलब्ध होते हैं। पूषन् देव को लक्ष्य करके कहा गया है—“हे देव! इस प्रसव के समय विद्वान् और श्रेष्ठ होता तो तेरा पूजन करे, नारी सुखपूर्वक प्रजनन करे और उत्पत्ति के समय उसका सन्धिस्थान यथोचित शिथिल हो जाये”। इस सूक्त के मन्त्रों में गर्भवती नारी के लिये प्रयुक्त सूषणे (सुखपूर्वक प्रसव करने वाली), विष्कले (गर्भ को नीचे की ओर शिथिल करने वाली) आदि विगोपण सार्थक हैं। वस्तुतः जब तक स्नायुसंस्थान ढीला नहीं होता, तब तक शिशु के बाहर होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही कारण है कि पुरुष अपनी पत्नी की प्रसव-वेदना से विचलित होकर देवताओं से प्रार्थना करता है कि वे शीघ्र ही इस अकथनीय कष्ट से मुक्ति दिलाने हेतु दश मासों तक माता के गर्भ में पोषित होने वाले नव-शिशु को बाहर करे।

अशुभ-मुहूर्त में उत्पन्न होने वाली सन्तति के विघ्नों की शान्ति हेतु उपचार का विधान अथर्ववेद-सहिता^३ में उपलब्ध होता है। ज्येष्ठघ्नी नक्षत्र में सन्तति का होना अशुभ माना जाता था, क्योंकि इस नक्षत्र में उत्पन्न बालक अपने बड़ों का विनाश करता था। यही कारण है कि मन्त्रों द्वारा इस अशुभ घड़ी को टालने की प्रार्थना की गयी है। ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र अशुभ माने जाते थे। इन अशुभ मुहूर्तों की शान्ति के लिए कृत्यों का वर्णन अथर्ववेद-सहिता में^४ उपलब्ध है, जिससे पता चलता है कि इन उपचारों का लक्ष्य था कि नवजात शिशु माता-पिता एव अपने

१. दश मासाञ्छयान कुमारो अधि मातरि ।

निरंतु जीवो अक्षतो जीवो जीवन्त्या अधि ॥ (ऋ० ५।७।८।९)

२. वषट् ते पूषन्नस्मिन् सूतावर्यमा होता कृणोतु वेवा ।

सिन्नवा नायंत प्रजातां वि पर्वाणि जिहता सूतवा ७ ॥ (अथर्व० १।१।११)

३. ज्येष्ठघ्न्या जातो विचृतोयमस्य मूलबहणात्परिपाह्येनम् ।

अत्येन नेषद्दुरितानि विश्वा दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥ (अथर्व० ६।१।१०।२)

४. व्याघ्रे ह्यजनिष्ट वीरो नक्षत्रजा जायमान सुवीर ।

स मा वधोत्सिठर वर्धमानो मा मातर प्रमिनोऽजनिथोम् ॥ (अथर्व० ६।१।१०।३)

बहो का मंगलकारी एव आज्ञाकारी बन सके। आचार्य सायम ने अपने भाष्य में इस मूल नक्षत्र की व्याख्या करते हुए कहा है—“मूलनक्षत्रं हि मूलोन्मूलकम्”। इसी कथन की पुष्टि तैत्तिरीयब्राह्मण (१।५।२।८) से भी होती है, जिसमें कहा गया है—“मूलम् एषाम् अवक्षामूर्तिं तन्मूलबर्हण”। अर्थात् जो वश के मूल को ही नष्ट कर दे उसे मूल नक्षत्र कहा गया है।

उद्देश्य एवं महत्व—

जातकर्म-मस्कार द्वारा माता-पिता अपनी सन्तति को मेधावी, दीर्घायुष्य वाली एव बलिष्ठ बनाने की कामना करते थे। अपनी इन मनोकामनाओं की सिद्धि के लिये पिता सर्वप्रथम मद्योजात सन्तान को जिह्वा में धब और चावल का चूर्ण लगाता था और इसके पश्चात् सुवर्ण द्वारा घिसे हुए मधु और घृत को लगाते हुए वैदिक-ऋचा कहता था—“यह वर हो प्रजा है, यही आयु है, यही अमृत है, ये सब तुम्हें प्राप्त हों। मित्रावरण, अश्विनोक्तुमार एव वृहस्पति तुमको मेधावी बनायें”। इस मन्त्र में अन्न की एक बार प्रार्थना की गयी है—अन्न ही शरीर-रक्षा का साधन है। मेधा के लिये अनेक देवताओं से प्रार्थना की गयी है, क्योंकि इसी के द्वारा जीव-जीवन में उन्नति करता है। महामाया के प्रभाव से भूमिक शिशु की स्मृति लुप्त हो जाती है, उसी को पुनः स्मृतिपथ पर लाने के लिये ही मेधाजनन यह कार्य किया जाता था।

सुवर्ण से घिसे हुए मधु और घृत को नवजात को जिह्वा में लगाने के पीछे अनेक मंगलकारी स्वास्थ्यवर्द्धक भावनाएँ छिपी हुई हैं। सुवर्ण वायुदोष को नाश करता है रक्त की उर्ध्वगति के दोषों को शान्त करता है एव घृत शरीर में ताप को बढ़ाता है। निःसन्देह सस्कार की इस विधि से वायुदोष को शान्ति, उदर और आँतों की सफाई, मल-मूत्र के निष्कासन की सुगमता आदि अनेक लाभ हैं।

परवर्ती गृह्यसूत्रों में विशेष रूप से पाराशर-गृह्यसूत्र (१।१६।६) में नवजात को दीर्घजीवी होने के आशीर्वाद दिये गये हैं। मुश्रुत के शरीरस्थान अध्याय ४५ में घृत के अनेक गुणों का वर्णन करते हुए कहा गया है—“घृत सौन्दर्यवर्धक, शिरोवेदना, ज्वर, अपच आदि दोषों को दूर करता है। मधुर-ध्वनि, वीर्य एव आयु को बढ़ाने वाला है”। इसके अनन्तर आशाओं के केन्द्रबिन्दु पुत्र को जन्म देने वाली माता की स्तुति की जाती थी, जिसे पति स्वयं करता हुआ कहता था—“तुम इडा हो, तुम मित्रावरण की पुत्री हो, तुम वीरमाता हो, क्योंकि तुमने वीर-पुत्र को जन्म दिया है। वीर पुत्र पैदा करने वाली वीरवती हो”^१।

१ इडार्थित मित्रावरणो वीरं वीरमजीवतया ।

सा त्व वीरवती भव या स्मात् वीरवती करदिति ॥

गर्भाधान, पुसवन, सोमन्तोन्नयन, जातकर्म-सस्कारो का सीधा सम्बन्ध स्त्री से है, क्योंकि बिना स्त्री के ये सभी सस्कार कभी भी सम्पन्न नहीं हो सकते। यही मुख्य कारण है कि उपर्युक्त मन्त्र में माता के रूप में स्त्री का यशोगान किया गया है। नारी क्षेत्ररूपा होने के कारण धैर्यादि गुणों की स्तान है। यदि ठीक से दाम्पत्य जीवन का निर्वाह होता रहे, तो इसमें लेखनात्र सन्देह नहीं, कि अभ्युदय और निश्चयस सदा प्रस्तुत रहते हैं। नारी के ह्री, श्री, मधुवचन, पवित्रता, स्वार्थरहित पातिव्रत्य, वात्सल्यभाव, सेवापरायणता आदि ऐसे गुण हैं, जिनकी तुलना अन्यत्र यदि असम्भव नहीं तो दुर्लभ अवश्य कही जा सकती है।

(५) नामकरण—

अनादिकाल से ही जगत् के व्यवहार हेतु नाम (सज्ञा) करण को उपयोगिता चली आ रही है। बिना व्यक्ति विशय की मज्ञा के व्यवहार का सचालन यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य रहा होगा। ऐसा लगता है भाषाविज्ञान के साथ ही साथ सज्ञाआ क सम्बन्ध में सामाजिक चेतना भी परिस्फुरित हुई होगी। आचार्य बृहस्पति ने नामकरण के महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए कहा है—“सज्ञा सम्पूर्ण व्यवहार की हेतु ह, शुभ कर्मा में भाग्य-विधान का कारण ह। बिना नाम (सज्ञा) के कार्ति का उपलब्धि असम्भव है, इसलिये नामकरण को उपयोगिता स्वतः प्रशस्त है”।

वैदिक-सहिताओं में “नाम पद का प्रयोग उपलब्ध होता है। ऋग्वेद के दशम-मण्डल के ५५व सूक्त के द्वितीय मन्त्र में^१ तथा ७१वें सूक्त के प्रथम मन्त्र में^२ ‘नाम’ शब्द आया है। इसी सूक्त में विज्ञानों को वाणी को मंगलकारिणी बताया गया है और यहाँ तक कहा गया है कि इसी वाणी के प्रभाव से कुछ विद्वान् इतना ख्याति प्राप्त कर लेंगे ह कि उनके बिना कोई भी कार्य सम्पन्न नहीं होता।

यह सस्कार सन्तानोत्पत्ति के दस दिन व्यतीत होने पर करने का विधान है। दस दिन छोड़ने का कारण यह बताया जाता है कि प्रसूतिगृह या इस अवस्था में मरने वाले बच्चे प्रायः इसी अवधि में मर जाते हैं। हिन्दू सस्कृति में इस सस्कार का बड़ा ही महत्त्व है। पारस्कर-बृहसूत्र में कहा गया है कि “दशम्यामुत्थाप्य नाम

१ नामाखिलस्य व्यवहारहेतु शुभावह कर्मनु भाग्यहेतु ।

नामैव कार्ति लभते मनुष्यस्ततः प्रशस्त खण्डु नाम कम ॥ (दा० मि० स० भा०)

२ दूरे तन्नाम गुह्य पराचैर्वत्वा भोते अह्युयेजा वयोर्षे ।

उदस्तम्या पृथिवी चामभीके भ्रातु पुत्रान्मघवन्ठित्विषाण. ॥ (ऋ० १०।५५।२)

३ बृहस्पते प्रथम वाचो अथ यश्चैरत नामधेय दधाना । (ऋ० १०।७१।१)

करोति" अर्थात् पिता ग्यारहवें दिन नवजात शिशु का नामकरण करे। भगवान् मनु ने इस मस्कार के सम्पादन हेतु दसवें या बारहवें दिन किसी शुभ-नक्षत्र या किसी पुण्यदायिनी तिथि पर करने का आदेश दिया है। नामकरण के समय शिशु के दो नाम रखने की प्रथा थी। प्रथम नाम माता-पिता की परिधि तक ही सीमित रहता था, परन्तु दूसरा नाम प्रत्यक्ष होता था, जिसे सभी जान जाते थे; क्योंकि उस नाम की घोषणा कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति करता था।

यजुर्वेद-संहिता (७।२९) में आत्मा का अमृतत्व प्रतिपादन करके सन्तान के लिए पिता द्वारा नामकरण करते समय यह जिज्ञासा करने को कहा गया है—“तुम कौन हो, अनेका में से तुम कौन हो। तुम किसके हो, तेरा क्या नाम है जिसे हम सब जान सकें” ? इस प्रकार की प्रार्थना द्वारा पिता परमपिता से प्रार्थना करता था कि वह उनकी कृपा से अनेक श्रेष्ठ सन्तानों से युक्त होकर सवत्सरो से गुजरता हुआ शतवर्षीय आयुसीमा तक सुगमता से पहुँच सके।

नाम के साथ अमृत-ब्रह्म के साथ सम्बन्ध स्थापित करते हुए शतायु होने की प्रार्थना करना निःसन्देह अन्तःकरण को वलिष्ठ तथा भावी जीवन को प्रशस्त करने का साधन माना गया है। अथर्ववेद-संहिता (८।२।१) में नामकरण-संस्कार के संकेतों का आचार्य कौशिक ने वर्णन करते हुए कहा है—“हाथ में पवित्र जल लेकर यह संस्कार प्रारम्भ करना चाहिए”। आचार्य सायण का मत है कि इस सूक्त के मन्त्र नामकरण हेतु नहीं; अपितु “निष्क्रमण” के लिये कहे गये हैं। अपने इस कथन की पुष्टि में आचार्य-सायण ने अथर्वसंहिता (८।२।१६) के मन्त्र को प्रस्तुत किया है^१।

सज्ञा-विधान—

इस संस्कार द्वारा सज्ञा (नाम) करण की विधि परवर्ती गृह्यसूत्रों में विस्तार-पूर्वक बताई गयी है। पारस्कर-गृह्यसूत्र के अनुसार “नाम” दो या चार अक्षरों का होना चाहिए। नाम का प्रथम अक्षर व्यञ्जन एव अन्तिम अक्षर दीर्घ-स्वरान्त अथवा विसर्गान्त श्रेष्ठ कहा गया है। कृत्प्रत्ययान्त नामों की प्रमुखता दी गयी है एव सिद्धान्ततः प्रत्ययों को गौण माना गया है।

१ ऋषि वतमासि कस्यासि को तामासि ।

यस्य ते नाममग्महि यत्वा सोमेनातीतृपाम् ।

भूर्भुव स्व सुप्रजा प्रजाभि स्या सुवक् सुषोय पोषे ॥ (यजु० ७।२९)

२. आरभस्वैमामृतस्य । (अथर्व० ८।२।१)

३. यत्ते वास-परिधान या नीवि कृणुषे स्वम् ।

शिव ते तन्वे तत्कृण्व सस्पर्शं दक्ष्णमस्तु ते ॥ (अथर्व० ८।२।१६)

बालिका के नाम में विषम अक्षरों वाली सजा को श्रेष्ठ माना गया है। आकारान्त या ईगारान्त सजा कन्याओं के लिए विहित मानी गयी है। मनुस्मृति (२।३३) में स्त्रियों के नामकरण पर विशद विचार किया गया है^१।

(६) निष्क्रमण—

निष्क्रमण-संस्कार की चर्चा वैदिक संहिताओं में कहीं भी प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होती। संकेत के आधार पर इस संस्कार की नींव अवश्य पड़ती है, जिसको आधार मानकर परवर्ती साहित्यकारों ने निष्क्रमण संस्कार को प्रचलित किया। अथर्ववेद-संहिता मण्डल ८ सूक्त २ के कई मन्त्र हैं, जिनको निष्क्रमण-संस्कार का स्रोत कहा जा सकता है। उदाहरणस्वरूप इस सूक्त का १४वाँ मन्त्र द्रष्टव्य है, जिसमें बालक को प्रसूतिगृह से बाहर निकालते समय उसके लिए मंगलकारी आशीर्वाचनों का प्रयोग किया गया है—“स्वर्ग और पृथ्वी तुम्हारे लिए कल्याणकारी हों, सूर्य अपने प्रकाश से, वायु अपने प्रवहण से एवं दिव्य जल अपने गुणों से तुमका पोषित कर”^२। इसी सूक्त के पन्द्रहवें मन्त्र में बालक को खुले मैदान में लाकर उसके लिए सम्पूर्ण प्राकृतिक शक्तियों से प्रार्थना की गयी है कि वे सूर्य-चन्द्र एवं वनस्पतियाँ इस नवागन्तुक को सुखी कर”^३।

निष्क्रमण-संस्कार के समय-निर्धारण में परवर्ती आचार्य एवं विद्वानों में भी भिन्नता नहीं है। मनुस्मृति द्वितीय अध्याय के १४वें श्लोक में जन्म के बारहवें दिन लेकर चतुर्थ मास तक विभिन्न सुविधाएँ दी हैं। भविष्यपुराण और बृहस्पति स्मृति में इस संस्कार के लिए जन्म से बारहवाँ दिन निर्धारित है। यमस्मृतिकार ने तृतीय एवं चतुर्थ मास में क्रमशः सूर्य चन्द्रदर्शन के साथ इस संस्कार को सम्पादित करने का आदेश दिया है^४।

गृह्यसूत्रों के अनुसार इस संस्कार को सम्पन्न कराने का एकमात्र अधिकार माता-पिता को था, परन्तु पुराणों (सुहृत् सग्रह) के अनुसार इस विशेष अधिकार का

१ स्त्रीणां च सुखमरुतं विस्पष्टाय मनाहरम् ।

माङ्गल्यं दीधन्यान्तमाशोर्वादाभिधानवत् ॥ (मनु० २।३३)

२ शिवा अमिषरन्तु त्वापा दिव्या पयस्वती । (अथर्व० ८।२।१४)

३ शिवास्त सन्वोपधय उत्वाहावमधरस्या उत्तरा पृथिवीमभि ।

तत्र त्वादित्यो रक्षता सूर्याचन्द्रमवावुभौ ॥ (अथर्व० ८।२।१५)

४ ततस्तृतीयं कतव्यं मासि सूर्यस्य दर्शनम् ।

चतुथमासि कतव्यं शिशो चन्द्रस्य दर्शनम् ॥ (यमस्मृति)

साथ ही साथ बालक के हृदय में ब्रह्मभाव को जागृत करने का पुनीत उद्देश्य भी इस संस्कार में निहित है।

(८) चूडाकर्म—

गर्भावस्था-सम्बन्धी शिशु के केशों का कर्तन ही इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य बताया गया है। इस संस्कार के साथ ही बालक शिक्षा आदि का पात्र हो जाता है। शिखा छोड़कर सिर के शेष सम्पूर्ण बाल काट दिये जाते हैं। “शिखा” रखने से आयु, तेज, बल, ओज आदि की प्राप्ति होती है। इस कथन की पुष्टि “दीर्घायुषुष्ट्वाय बलाय वचसे”, “शक्यै शिखायै वपट्” इत्यादि वैदिक-संहिताओं के मन्त्रों से होती है। सिर पर शिखा (चोटी) रखने की प्रथा न केवल आर्य-ग्रन्थों में वर्णित है, अपितु अन्यान्य देश-वासियों के ग्रन्थों में भी शिखा रखने की प्रशंसा एवं शिखाहीन लोगों की निन्दा की गयी है। इस सम्बन्ध में हिन्दू-जाति के ‘तल्मड्’ नामक धर्मग्रन्थ से पता चलता है कि उस समय हिन्दू-जाति के लोग भी शिखा रखते थे। ईसाई धर्म के अनुयायियों में भी शिखा रखने का महत्त्व प्रतिपादित था। “वाइविल” में सामसन एगोन सटिस के विषय में लिखा है कि उसको शिखा के कारण ही उसके विरोधों भयभीत रहते थे। निद्रावस्था में जब सामसन की शिखा उसके विरोधियों ने काट दी, तो वह निस्तेज होकर दूसरे ही दिन पराजित हो गया।

हरिवंशपुराण में भी एक घटना का वर्णन है, जिससे पता चलता है कि उस समय शिखा काट लेना मृत्युदण्ड के समान माना जाता था। कथा का सारांश यह है कि एक बार एक तजस्वी आर्य वीर ने पितृहन्ता अनेक राजाओं को पराजित कर दिया। पराजित लोग गुरु वशिष्ठ की शरण में आये और उन्होंने अपनी रक्षा की याचना की। दयालु आचार्य को दया आ गयी और उन्होंने अपने शिष्य को आज्ञा दी कि इन पराजित लोगों के प्राण-हनन के स्थान पर इनके सिर की शिखा काट दो, ये अपने आप निस्तेज हो जायेंगे।

वैदिक-संहिता-काल—

संहिता-काल में “केश” शब्द पर्याप्त रूप से प्रचलित हो चुका था। केशों की सुरक्षा का इस काल में बड़ा ध्यान रखा जाता था। अथर्ववेद-संहिता (सूक्त ५३६ और ५३७) में सघन बालों के लिए प्रार्थना की गयी है। केशों के मुण्डन-प्रसंग के सम्बन्ध में अथर्ववेद-संहिता (८।२।१७) में स्पष्ट उल्लेख है। शतपथब्राह्मण (५।१, २, १४) में लम्बे बाल रखने वाले पुरुष की निन्दा करते हुए उसे “स्त्रैण”

अर्थात् स्त्री के अधीन रहने वाला कहा गया है। मुण्डन करने में पूर्व सिर के बालों को भिगोने का वर्णन अथर्ववेद-संहिता (६।६।८।१) में स्पष्ट रूप से पाया गया है। एक मन्त्र में सविता से क्षुर (उस्तग) लाने एवं वायुदेवता से गर्म जल लाने की प्रार्थना की गयी है। अथर्ववेद (६।६।८।२) में सवितृदेव के प्रतिनिधिरूप नापित के स्वागत की भी चर्चा है। इन वैदिक मन्त्रों से पता चलता है कि नापित के बाल काटने से पूर्व ब्राह्मण (पुरोहित) भी मुण्डन हेतु उत्तरा चलाता था।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि वैदिक-संहिताकाल में चूडाकर्म (चूणाकरण) संस्कार सम्पन्न होता था, जिसमें बालक के दीर्घायुष्य, सुख-समृद्धि, विकास एवं सुखमय जीवन हेतु प्रार्थनाएँ की जाती थी।

संस्कार का समय—

चूडाकरण संस्कार सम्पन्न करने के सम्बन्ध में वैदिक परवर्ती आचार्यों में मतैक्य नहीं है। पारस्कर-गृह्यसूत्र (२।१।१-२) के अनुसार यह संस्कार जन्म के प्रथम वर्ष में या तृतीय वर्ष की समाप्ति पर करना बंध है। मनुस्मृति (२।३५) के अनुसार समस्त द्विजातियों का यह संस्कार प्रथम वर्ष या तृतीय वर्ष में होना चाहिए। आश्वलायन ने तो इस संस्कार को तृतीय या पञ्चम वर्ष में करने की श्रेष्ठता बताई है। यदि इस अवधि में किसी कारण संस्कार करने में कठिनाई हो, तो इसे सातवें वर्ष या फिर यज्ञोपवीत-संस्कार के साथ भी किया जा सकता है।

बालक की माता यदि गर्भवती होती थी, तो यह संस्कार नहीं होता था, क्योंकि गर्भालस्य के कारण स्त्री भाग नहीं ले सकती थी। रजस्वला होने पर भी शुद्धिपर्यन्त यह संस्कार स्थगित रहता था। चूडाकरण के पूर्ववर्ती सात संस्कारों में यह प्रश्न ही नहीं उठना था, क्योंकि स्त्री सन्तान को जन्म देकर शुद्ध रहती है।

इस संस्कार की उपयोगिता एवं लाभ स्पष्ट है, क्योंकि इस संस्कार के करने से दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। मुण्डन-संस्कार के बाद पुरुषों की तरह स्त्रियों को केशकर्तन की सुविधा नहीं थी। स्त्रियों द्वारा बार-बार बाल काटने से मातृ-अभाव होने का भय होता है। इस सम्बन्ध में हमारे आचार्यों की तरह अमेरिकी विद्वान्—डाक्टर गिज़ार्ड टामस्, इज्जलैण्ड क डाक्टर स्टनले हाल ने भी स्त्रियों के बाल काटने का विरोध किया है। इस संस्कार के करने से और शिला रखने से सुश्रुत के शारीर-स्थान (६।८३) के अनुसार शिरा तथा सन्वियुक्त मर्मस्थल की रक्षा होती है।

(९) कर्णवेध—

कर्णवेध-संस्कार का वर्णन वैदिक-संहिताओं में प्रायः अनुपलब्ध है। अथर्ववेद-संहिता (६।१।४।१२) में यही एक सूक्त है, जिसके द्वितीय मन्त्र में कर्णवेध का प्रयोग

आया है। इस मन्त्र में कहा गया है—“चिकित्सक या माता-पिता में से कोई एक लोहे से अथवा किसी अन्य धातु से बने यन्त्र से शिशु के दोनों कानों का छेदन करे। इस कार्य से सन्तति को स्वास्थ्यसम्बन्धी अनेक लाभ होते हैं”। कर्णवेध नामक इस संस्कार से स्वास्थ्यसम्बन्धी कौन से लाभ होते हैं, इसका वर्णन परवर्ती ग्रन्थों में विशेषतः गृह्यसूत्रों में भी उपलब्ध नहीं है।

आचार्य सुश्रुत ने अपनी रचना के शारीर-स्थान (१६।१) में लिखा है कि “रोगों की रोकथाम के लिये एव बालक को अलकृत करने के उद्देश्य से कानों का छेदन आवश्यक है”। कर्णवेध की उपयोगिता पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए सुश्रुत के शारीर-स्थान (१९।२१) में कहा गया है—“आन्त्रवृद्धि तथा अण्डकोशवृद्धि को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से भी कर्णवेध-संस्कार करना चाहिए”। ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्कार को सम्पादित करने के पीछे परम-पवित्र यह उद्देश्य छिपा हुआ है कि बालक को आरम्भिक अवस्था में ही रोगों की सम्भावनाओं पर अकुशल लगा दिया जाये।

संस्कार का समय—

कर्णवेध-संस्कार के समय के सम्बन्ध में भी अनेक मत प्रचलित हैं। आचार्य बृहस्पति के मत से यह संस्कार बालक या बालिका के जन्म से दसवें, बारहवें या सोलहवें दिन कर देना चाहिए*। सम्भवतः इस मान्यता के पीछे यह धारणा रही हो कि इस अवस्था में कान का मांस नर्म होता है और बिना कष्टानुभूति के इसे अबोध बालक सहन कर सकता है। अस्तु, गगंधश्रोपति आदि सातवें, आठवें मास या दाँत निकलने के पूर्व इस संस्कार को करना उचित मानते हैं। सुश्रुत के सूत्र-स्थान (१६।१) में इस संस्कार का उचित समय छठा या सातवाँ मास माना गया है।

विद्याध्ययनसम्बन्धी तीन संस्कार

(१०) उपनयन—

उपनयन संस्कार हमारी सभ्यता, संस्कृति एवं गुरु-शिष्य की पवित्र परम्परा का प्रतीक है। इस संस्कार में ब्रह्मचर्य, सत्यज्ञान, सदाचार, सद्-शिक्षा आदि के गूढ

- १ लोहितं स्ववित्तिना निधुन कर्णया. कृधि ।
अकर्ताप्रशिवना लयम तवस्तु प्रजया बहु ॥ (अथर्व० ६।१४।१२)
- २ रक्षाभूषणनिमित्त बालस्य कर्णा विध्यत् । (सुश्रुत शारीरस्थान—१६।१)
- ३ दाह्णोपरि च कर्णान्तं तपवत्वा यत्नेन सेवनीम् ।
व्यत्यासाद्वा शिरा विध्यदन्त्रवृद्धिनिवृत्तये ॥ (सुश्रुत-शारीरस्थान—१९।२१)
४. जन्मतो दशमे वाह्निं द्वावरी वाऽप्य पाठशे । (आचार्य-बृहस्पति)

रहस्य निहित हैं। उपनयन (यज्ञोपवीत) निर्माण में तो तन्तु एवं तीन दण्ड (गुण) रखने में भी रहस्य है। नौ तन्तुओं में नौ देवताओं के अधिष्ठान की चर्चा की गयी है। यज्ञोपवीत का परिमाण ९६ अंगुल का होना चाहिए। इसके पीछे भी एक रहस्य है क्योंकि मानव का मान ८४ अंगुल है और देव मान ९६ अंगुल माना गया है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे आचार्यों ने मानव में देवत्व लाने के लिए ही यज्ञोपवीत का परिमाण ९६ अंगुल रखा होगा। आर्यों की विश्वास परम्परा रही है कि यज्ञोपवीत धारण के अनन्तर ही बालक या बालिका वेदव्रत, ब्रह्मव्रत आदि के अनुष्ठान से देवत्व प्राप्ति के पश्चात् ब्रह्मत्व प्राप्त करते थे। तीन दण्ड का रहस्य भी कायिक, वाचिक एवं मानसिक सयम द्वारा विषयों से मन का हटाना रहा है।

इस संस्कार की प्राचीनता के सम्बन्ध में भी उसी तरह निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता जिस प्रकार स्वयं वैदिक संहिताओं की कालावधि के विषय में। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि हमारे इस उपनयन संस्कार का प्रभाव ईरानो, पारसी लोगों पर अवश्य पड़ा है, क्योंकि पारसी लोग आज भी अपने बालक या बालिका का तबजात (नया जन्म) संस्कार सन्तति के जन्म से ६ वर्ष बाद करते हैं।

उपनयन शब्द का अर्थ—

उपनयन शब्द की व्युत्पत्ति उप' उपमग के योग से नी + ल्युट प्रत्यय से हुई है जिसका अर्थ है—पास ले जाया गया। यहाँ हमारे आर्य-ग्रन्थों के अनुसार शिक्षा हेतु बालिका या बालक अपने गुरु के पास ले जाया जाता था। अपने छात्र या छात्रा को अपने निकट पाकर गुरु पंचदेवा (अग्नि, वायु, सूर्य चंद्र इन्द्र) से प्रार्थना करता था—'हे देवकृन्द ! इस माणवक का मसमे मिलाओ। हम दोनों बिना किसी विघ्न-बाधा के मिल'। वस्तुतः इस प्रकार का गुरु शिष्य मिलन ही शिक्षा का प्रथम या प्रधान अनुष्ठान होता था। गुरु की देव प्रार्थना के पश्चात् छात्र या छात्रा भी बड़े विनम्रभाव से अपने आचार्य से कहता था—'मम उपनीत एव उपवीत कीजिए'। इसके अनन्तर गुरु और शिष्य दोनों अपने हाथों में जलज्जलि भरकर एक साथ एक ही स्थान पर छोड़ते थे जिसका तात्पर्य होता था कि हम दोनों इस जलधारा की

१ ओंकार प्रथमे तन्तौ द्वितीयाग्निस्तपैव च ।

तृतीय नागदैवत्य चतुर्थ सोमद्रवता ॥

पञ्चम पितृदैवत्य षष्ठ चैव प्रजापति ।

सप्तमे मास्तश्चैव अष्टम सूर्य एव च ॥

सर्वे देवास्तु नवम इत्यतास्तु तुदेवता ।

(वी० ए० आस्टे, सोशल एण्ड रिजिबल लाइफ इन गृहसूत्रात् ५० २०२) ।

तरह सदा मिश्रकर रहे। इस तरह गुरु के घर में या आश्रम में रहने का वर्णन अथर्ववेद-संहिता (७।१०९।७) में उपलब्ध है।

उपवीत शब्द का प्रयोग तैत्तिरीयसंहिता (२।५।११।१) तथा परवर्ती साहित्य में उपलब्ध होता है। उपनयन-संस्कार की उस समय एक प्रमुख विशेषता मानी जाती थी। उपनयन (यज्ञोपवीत) पहनने की तीन विधियाँ प्रचलित थी—(१) उपवीत—इस विधि में यज्ञोपवीत बायें कन्धे के ऊपर से और दायें कन्धे के नीचे की ओर पहना जाता था, (२) प्राचीनावीत—इस विधि में दायें कन्धे के ऊपर से और बायें कन्धे के नीचे की ओर यज्ञोपवीत रहता था, (३) निवीत या मवीत—इस विधि में यज्ञोपवीत दोनों कन्धों से गले की ओर रहता था। सम्भवतः इन विधियों का प्रयोजन क्रमशः देवतृप्ति, पितरतृप्ति एवं मनुष्य (गृहजन) तृप्ति रहा होगा।

ब्रह्मचर्याश्रम और उपनयन-संस्कार—

उपनयन-संस्कार और ब्रह्मचर्याश्रम का अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। वैदिक-संहिताकाल में ब्रह्मचारी या ब्रह्मचर्य का बड़ा ही विस्तृत विवरण उपलब्ध होता है। उपनयन संस्कार की संपन्नता के साथ ही आचार्य छात्र या छात्रा की अपना अन्तेवासी बनाता था। उस प्रकार ब्रह्मचारीवेश में मेलला, वृष्णमृग का चर्म, दण्ड धारण के साथ ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी को यज्ञादि कृत्यों के लिये दीक्षित किया जाता था। इसी ब्रह्मचर्य के तप से राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करता था, कन्या युवा पति को प्राप्त करती थी और यह स्वीकार किया जाता था कि इसी ब्रह्मचर्य के कारण देवताओं ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी^१।

अथर्ववेद संहिता के उपर्युक्त वर्णन के अतिरिक्त ऋग्वेद-संहिता (१०।१०९।५) में ब्रह्मचारी के महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए यहाँ तक कहा गया है कि वह देवताओं का एक अंग होता है^२। ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक संहिताकाल में ब्रह्मचर्याश्रम की अनिवार्यता सभी बालक-बालिकाओं के लिए थी। वैदिक-संहिताओं के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय के समाज में सुव्यवस्थित शिक्षा-संस्थाएँ थीं। इन संस्थाओं में समानरूप से छात्र व छात्राएँ प्रविष्ट होती थी, जिन्हें क्रमशः ब्रह्मचारी एवं ब्रह्मचारिणी नाम से पुकारा जाता था। ज्ञानार्जन के पिपासु ये लोग अनुशासित जीवन-यापन करते हुए आत्म-विकास करते थे।

१ अथर्व० ११।५।१९।

२. ब्रह्मचारी वरति वैविषद्विष स देवाना भवत्येकमङ्गम्।

तेन आयामभ्विन्दुद्वृहस्पति सोमेन नीता बुद्ध न देवा ॥ (ऋ० १०।१०९।५)

नारी और उपनयन—

वैदिक-संहिता-काल में पुरुषवर्ग की तरह नारी-समाज के लिये भी शिक्षा का द्वार खुला था । यही कारण है कि ज्ञानार्जन हेतु ऋषिकुलो व गुरुकुलो में बालिकाओं के प्रवेश तथा उनके ब्रह्मचर्य का वर्णन अथर्ववेद-महिता (११।५।१८) में स्पष्ट रूप से है^१ । यह स्वतन्त्र एव उन्नत विभा का ही प्रभाव था । वैदिक-काल में अपाला, बाजेयी, घोषा आदि अनेक मन्त्रद्रष्टी विद्वियों का जीवन-परिचय एव उनके द्वारा दृष्ट मन्त्रों का सप्रमाण विवरण प्रस्तुत ग्रन्थ के चतुर्थ अध्याय में दिया गया है ।

महिताकाल में वेदाध्ययन के लिये बालक या बालिका के लिए उपनयन-संस्कार आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी था । इस कथन की पुष्टि करते हुए भारतीय विद्वान् अल्तेकर ने अपनी रचना “एजूकेशन इन एन्टियाण्ट इण्डिया” में कहा है कि उस समय नारी समाज भी वेदाध्ययन हेतु ब्रह्मचर्य की प्रतीक मौञ्जी को धारण करता था^२ । मेखला का महत्त्व उपनयन संस्कार में विशेष रूप से स्वीकार किया जाता था । मेखला के प्रभाव से वेदाध्यायी के शत्रुओं का नाश होता था । प्रही कारण है कि अथर्ववेद (६।१३३।२) में मेखला को ऋषियों का गस्तास्त्र कहा गया है^३ । मेखला में “त्रिवृत्”—ब्रह्म, तप और श्रम के सूचक माने गये हैं^४ । मेखला के तिहरे सूत्र से ऋक्, यजुष, सामन्तों वदनयो में ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी आवृत्त हैं, इसकी सूचना मिलती है । वेदाध्यायी द्विज स्वयं ऐसा अनुभव करता था, जैसा कि आश्वलायन ने कहा है^५ । अथर्ववेद-महिता (६।१३३।४) में मेखला बाँधने का उद्देश्य स्वयं स्पष्ट है कि वह (मेखला) ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी के व्रत की रक्षा तथा ब्राह्म या आन्तरिक दुष्प्रवृत्तियों से उसका त्राण में सक्षम है ।

यज्ञोपवीता नारी के ग्णों को विस्तृत चर्चा ऋग्वेद संहिता (१०।१०९।४) में की गयी है^६ । इस विवरण में स्पष्ट है कि उपनाता नारी यज्ञोपवीत धारण करने के

१ ब्रह्मचर्येण ब्रह्मा युवान् विन्दते पतिम् ॥ (ऋ० ११।५।१८)

२ पुरात्रये तु नारीणा मौञ्जीवन्धनमिष्यते ।
अध्ययनं च वेदानां भावित्रावधनं तथा ॥ (एजूकेशन इन एन्टियाण्ट इण्डिया)

३ आहुतास्याभिहृतं ऋषीणामयुषम् ।
पूर्वा व्रतस्य प्राश्नती धीरघ्नी भव मेखला ॥ (अथर्व० ६।१३३।२)

४ वेदयमेणावृत्तोऽङ्गमिति मन्यते न द्विज । (आश्वलायन)

५ अथवा दुहिता तपसोऽधिवाता स्वसा ऋषिणा भूतकृता बभूव ।
सा नो मेखले मतिमावेहि मेवामयो नो घेहि तप इन्द्रियं च ॥ (अथर्व० ६।१३३।४)

६ देवा एतस्याभवदन्त पूर्वं सप्त ऋषयस्तपसे ये निषेदु ।
भीमा जाया ब्राह्मणस्योपवीता दुर्धा दधाति परमे व्योमन् ॥ (ऋ० १०।१०९।४)

पश्चात् इतनी सबल हो जाती थी कि वह अत्यन्त दुष्ट एवं पथभ्रष्ट पति को भी सन्मार्ग पर लाकर खड़ा कर लेती थी। बात अक्षरसः सही है कि अशिक्षित नारी बल्ह का कारण होती है, चाहे पति कितना भी सुशिक्षित क्यों न हो। दूसरी ओर यदि पत्नी शिक्षित है, तो वह मूढ़ से मूढ़ नर को भी सुव्यवस्थित करने का सामर्थ्य रखती है।

स्त्रियो को यदि उपनयन-संस्कार का अधिकार न होता तो परवर्ती साहित्य में इसका निषेध क्यों किया जाता? ऐसा लगता है कि ईसा पूर्व ४०० के लगभग कन्याओं के उपनयन-संस्कार में लोगो ने आपत्ति करनी आरम्भ कर दी थी। यदि ऐसा न होता तो वैदिक-संहिताकाल की तरह यह संस्कार स्त्रियो के लिये प्रचलित रहता। हम देखते हैं कि ईसा-पूर्व ३०० के लगभग मनु आदि स्मृतिकारो ने व्यवस्था दी कि कन्याओं का उपनयन-संस्कार वैदिक मन्त्रों के बिना होना चाहिए। याज्ञवल्क्य एवं उनके परवर्ती स्मृतिकारो ने तो कन्याओं के उपनयन-संस्कार को ही निषिद्ध ठहरा दिया और एक नये सिद्धान्त का प्रतिपादन कर दिया कि कन्याओं का विवाह ही उनका उपनयन-संस्कार है।

उपनयन के अभाव में हानियाँ—

इस प्रकार वैदिक परम्परा की महनीयता पर मर्यान्तक प्रतिबन्ध लगाने वाले मनु आदि ने नारी को प्रतिभा पर परोक्षरूप से प्रहार किया। उपनयन के अभाव में नारी समाज के लिए वैदिक शिक्षा का द्वार सदा के लिए बन्द हो गया। शिक्षा के अभाव में कन्याएँ द्विजपद से वञ्चित हो गयीं और उनकी गणना समाज में शूद्रों की तरह समझी जाने लगी। पुरुष की तुलना में नारी को हेय-दृष्टि से देखने का कार्य आरम्भ हो गया। कर्तव्य वैदिकसंहिता की सहचरी नारी बाद में दासी समझी गयी और क्रमशः उसकी स्थिति समाज में अत्यन्त ही क्षीण होती गयी।

उपनयन-संस्कार के निषेध का कुप्रभाव यह हुआ कि नारी समाज अपने जन्मसिद्ध अधिकार "यज्ञ" से भी वञ्चित हो गया। अब तक स्वतन्त्रतापूर्वक यज्ञ-नुष्ठान करने वाली नारी अब "लघन-यज्ञ", जिसको करने या कराने का एकमात्र अधिकार केवल उसे ही था, उससे भी वञ्चित कर दी गयी। इतना ही नहीं ऐतिहासिक आदि स्मृतिकारो ने तो स्त्री को यज्ञ-मण्डप में बैठने के अधिकार से भी वञ्चित कर दिया, जिसका बाद में जैमिनि ने विरोध किया और स्त्री को अपने पुरुष के साथ यज्ञ में बैठने की सन्तुति की। नारी के गौरव को आघात पहुँचाने वाले इन सभी कार्यों का दुष्परिणाम आज समाज को भोगना पड़ रहा है।

नारी समाज के उपनयन-संस्कार को समाप्त करने के पक्षधर लोग ही बता सकते हैं कि उनके इस कार्य से उनको क्या लाभ पहुँचा है? या भविष्य में पहुँच सकता

है? नारी को यज्ञाधिकार से वञ्चित कर, वेदमन्त्रों के मनन पर मनमाने ढंग से मन्त्रणा करने वाले ने निमन्देह नारी-समाज के साथ ही साथ सम्पूर्ण समाज को गर्त में पहुँचाने का कार्य किया है।

अथर्ववेद संहिता (६।१२२।५) आज भी स्त्री समाज को यज्ञाधिकार के साथ यज्ञोपवीत एवं वेदाध्ययन का अधिकार प्रदान करती है। इस मन्त्र में “योपित” पद के लिए “यज्ञिया” विशेषण आया है, जिसका अर्थ है—यज्ञ करने और कराने में निपुण नारी।

(११) वेदारम्भ—

उपनयन सस्कार के अनन्तर अपने आचार्य के साथ इस सस्कार को ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी ऋषिकुल में सम्पन्न करते थे। इस सस्कार को विभिन्न नामों से पुकारा गया है, यथा—वेदारम्भ, ब्रह्मव्रत, वेदव्रत, व्रतादेश सावित्री स्स्कार आदि। गायत्री मन्त्र की दीक्षा लेकर किसी वेद की शाखाविशेष या बंदों के साङ्गोपाङ्ग अध्ययन हेतु जो व्रत छात्र या छात्रा लेते थे, उस वेदारम्भ कहा जाता था।

गौतम-धर्मसूत्र (८।२४) के अनुसार वेदारम्भ नामक सस्कार प्राचीन सस्कार नहीं है। वस्तुतः वैदिक-संहिताकाल में उपनयन सस्कार के समय ही वेदारम्भ हो जाता था, सम्भवतः इसीलिये इस वेदारम्भ सस्कार के स्थान पर चत्वारि वेद-व्रतानि का प्रतिपादन होता था। इन चार वेदव्रतों का आश्रयाने ने वणन करत हुए कहा है कि वे व्रत थे—महानाम्नी, महाव्रत, उपनिषद् और गोदान^१। ऐसा प्रतीत होता है कि जब उपनयन-सस्कार के साथ ही साथ वेदाध्ययन क्रम में बाधा आने लगी तो परवर्ती साहित्य में सुविधा हेतु इस सस्कार का उद्भव हुआ। वैदिक स्वाध्याय से पूर्व ही यज्ञोपवीत धारण के पश्चात् छात्र या छात्रा लौकिक संस्कृत पढ़ने लगते थे। अतः उपनयन एवं समावर्तन सस्कार के बीच वेदारम्भ सस्कार का सृजन किया गया, क्योंकि इस सस्कार का उद्देश्य पूरण से वेदों का स्वाध्याय होता था।

महर्षि बसिष्ठ ने कुलपरम्परागत वैदिक शाखा के स्वाध्याय पर बल देते हुए कहा है^२। महर्षि पाराशर ने, वेद एवं धर्मशास्त्रों का अध्ययन अर्थसहित करना

१ शुद्धा पूता योपितो यज्ञिया इमा ब्रह्मणा हस्तेषु प्र पृथक् साधयामि।

यत्काम इदमभिधिञ्चामि बोऽहमिन्द्रो मरत्वात्म ददातु तम ॥ (अथर्व० ६।१२२।५)

२ प्रथम स्यामहानाम्नी द्वितीय स्यामहाव्रतम्।

तृतीय स्यादुपनिषद् गोदानाख्यन्तत परम् ॥ (गौतम धर्मसूत्र—८।२४)

३ पारम्पर्यागतो येषां वेद उपरिवृहणः।

यच्छास्त्राकर्म कुर्वीत तच्छास्त्राध्ययन तथा ॥ (महर्षि बसिष्ठ)

चाहिए, इस पर बल दिया है, क्योंकि वेबल पाठमात्र करना भूसी काटने के समान निष्फल होता है' । वेदाध्ययन एव अर्थसहित वेदाभ्यास की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी है । महर्षि याज्ञवल्क्य ने तो वेदाभ्यास को द्विजातियों के लिए मुक्तिदायक कहा है^१ । स्मृतिसारसमुच्चय मे वेदाध्यायी की प्रशंसा करते हुए उसे वेदात्मा कहा है और उसके द्वारा उच्चरित प्रत्येक अक्षर को भगवत्सकीर्तन के समान माना है^२ ।

वेदोक्त विधि से सम्पन्न किया गया वेदारम्भ-संस्कार छात्र या छात्रा को अखिल शास्त्र पारगत बनाकर इहलोक तथा परलोक का परम अधिकारी बना देता है । इस परमगति का अधिकारी बनने के लिए ही वेदाध्यायी को निम्नलिखित चार व्यूहों को पार करना पडता था—

(१) प्रथम व्यूह के अनुसार छात्र या छात्रा को अपने आचार्य के वचनों को वेदवाक्य मानकर उनका पालन करना तथा भगवान् और गुरु मे अमेद बुद्धि रखते हुए सेवार्त रहना पडता था ।

(२) शिष्य या शिष्या की अबाध, अगाव भक्ति से प्रमन्न होकर आचार्य जब हृदयालम्भन द्वारा उसे अध्यात्म, अधिदैव एव अधिभूत रूपी त्रिविध शक्ति प्रदान करता था, तो छात्र या छात्रा को दूसर व्यूह का सामना करना पडता था ।

(३) तृतीय व्यूह के माध्यम से जीव अभ्युदय एव निश्चय की अनुभूति करने लगता था, जिसे ब्रह्मणी विद्यादेवी की कृपा मानकर वेदाध्यायी नतमस्तक हो जाता था ।

(४) मृत्युपर्यन्त वेदाध्ययन का पवित्र संस्कार बना रहे, त्रिविध गुण (सतो गुण, रजोगुण, तमोगुण) तथा त्रिविध वाक्, मन और क्रिया मे समन्वय बना रहे एवं आचार्य ऋण, देव-ऋण, पितृ-ऋण का ध्यान रहे, एतदर्थ उपनयन रूपी चतुर्थ व्यूह आवश्यक था ।

१ वेदस्याध्ययन सर्वं धर्मशास्त्रस्य चैव हि ।

अज्ञानतोऽर्थं तद् व्यर्थं तुषाणा कण्ठन यथा ॥ (महर्षि पाराशर)

२ वेद एव द्विजातीना निश्चयस्कर पर ।

य य क्रतुमधीयोत तस्य तस्याऽऽप्नुयात् फलम् ॥ (महर्षि-याज्ञवल्क्य)

३ बहो यस्य शरीरस्थो न स पापेन लिप्यते ।

वेदात्मा स तु विज्ञेय शरीरै किं प्रयोजनम् ॥

वेदाक्षराणि यावन्ति पठितानि द्विजातिभि ।

तावन्ति हरिनामानि कीर्तितानि न शय ॥ (स्मृतिसार-समुच्चय)

वेदारम्भ और नारो—

वेद को अपौरुषेय मानते हुए अथर्ववेद महिता (१०।८।३२) में कहा गया है—
 “प्रभु का यह काव्य, रमय उपदेश मदा अजर और अमर है” । ऋग्वेदमहिता
 (६।४।५।६) में प्रजा अपने राजा की प्रशंसा करते हुए कहती है—“हे नृप !
 आपको लोग वीर कहते हैं, क्योंकि आप अपने प्रभाव से शत्रुओं को भी वेदभक्त
 बनाते हैं और उन्हें सन्मार्ग पर आर्ण्ट करते हैं” । यजुर्वेदमहिता (३।४।५।८) में ईश्वर
 से प्रार्थना की गयी है कि—“हे प्रभो ! आप वेद के नियामक हैं । आप हमारो मन्तति
 (पुत्र और पुत्री) को इस वेद ज्ञान से तृप्त करें, जिमसे वह सम्पूर्ण ससार को इस ज्ञान
 का अधिकारी बना सके” ।

विचारणीय विषय यह है कि जिस वद का भगवान् की वाणी कहा गया है,
 उस पर केवल कुछ लोगो का ही अधिकार क्यों और किसने मान लिया ? भगवान्
 को प्रदत्त वस्तुएँ—चन्द्र, सूर्य, अग्नि, धूप, छाया, वायु आदि पर जब सभी को समान
 अधिकार है, तो फिर भगवान् को वाणी के मनन का अधिकार सभी को क्यों नहीं ?
 क्या सम्पूर्ण विश्व को आर्य (श्रष्ट) बनाने वाला वेद भगवान् अपनी हा सन्तति स्त्री-
 समाज को सहिताओ के सम्बर पाठ से कभी बञ्चित कर सकता है ? हमार विचार
 से कभी नहीं, क्योंकि ऋग्वेद में स्वयं भगवान् का आदेश है कि बिना किसी भेदभाव
 के सभी को वेद-ज्ञान से आर्ण्टावित कर आय बनाना चाहिए ।

(१२) समावर्तन-संस्कार—

ऋषिकुल या गुरुकुल में ब्रह्मचर्यव्रत के अनुपालन के साथ विद्याप्राप्ति के
 अनन्तर छात्र या छात्रा जब अपने आचार्य की अनुमति लेकर घर वापस लौटते थे,
 तो उस समय यह संस्कार सम्पन्न होता था । वस्तुतः ‘समावर्तन’ शब्द का अर्थ
 ही है “प्रत्यावर्तन”, जैसा कि वीरमित्रोदय में कहा भी गया है” ।

१ अन्तिमन्त न जहात्यन्तिसन्त न पश्यति ।

देवस्य पश्य काव्य न समार न जीयति ॥ (अथर्व० १०।८।३२)

२ नयसीदति द्विप कृणोप्युक्थशसिन ।

नृभि सुवीर उच्यमे ॥ (ऋ० ६।४।५।६)

३ ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्त्रा सूक्तस्य बोधि तनय न जिन्व ।

विश्व तद्भद्र यद्बर्दति दवा वृहदवधेम विदधे सुवीरा ॥ (यजु० ३।४।५।८)

४ इन्द्र वर्धन्तो अमुर कृण्वन्ता विश्वमाध्यम् । (ऋ० ९।६।३।५)

५ तत्र समावर्तन नाम वदाध्ययनानन्तर गुरुकुलात् स्वगृहागमनम् । (वीरमित्रोदय)

“समावर्तन सस्कार” का दूसरा नाम “स्नान सस्कार” भी है। स्नान-संस्कार की पुष्टि अथर्ववेद-सहिता (११।५।२६) के उस मन्त्र से होती है, जिसमें ब्रह्मचारी की जाज्वल्यमान तपोमूर्ति को सागर के तट पर खड़ा हुआ वर्णित किया गया है। स्नान किये हुए भूरे एव लाल रंग के स्नातक को अतीव प्रभावशाली कहा गया है^१। ज्ञानार्णव को पार करने वाले व्यक्ति को पारगत कहा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु के सान्निध्य में वैदिक सहिताओं के साथ समस्त ज्ञान जलधि को आलोकित करने वाला व्यक्ति स्नातक की उपाधि प्राप्त करता था। ज्ञान-सागर की तरल तरङ्गों से स्नात होने के कारण ही ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी दीक्षा के अधिकारी माने जाते थे। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने से पूर्व यथाशक्ति तथा यथा-भक्ति गुरुदक्षिणा भी देनी पड़ती थी। दीक्षान्त समारोह में गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का गुरु का स्पष्ट आदेश होता था^२।

समावर्तन का समय २४वाँ या २५वाँ वर्ष होता था। इस समय तक स्नातक समाहित चित्त होकर वेदाध्ययन समाप्त कर लेता था। कूर्मपुराण में समावर्तन-काल का निर्देश करते हुए ऐसा ही कहा गया है^३। महर्षि याज्ञवल्क्य ने उपर्युक्त कथन की पुष्टि करते हुए कहा है—“समग्र वेदो का अध्ययन करके अथवा अपनी वक्षपरम्परा के अनुसार दो या एक वेद का ही सम्यक् अध्ययन करने के पश्चात् ही अस्खलित ब्रह्मचारी स्नातक सुलक्षणा श्रौ से पाणिग्रहण करे”^४।

समावर्तन सस्कार वैदिक काल में केवल उसी का होता था, जो सम्पूर्ण सहिताओं का एव ब्रह्मचर्यसम्बन्धी सभी नियमों का पालन करता था। किन्तु इस नियम में शैथिल्य आता गया और लोगों को छूट मिलती गयी, जैसा कि पारस्कर-गृह्यसूत्र से स्पष्ट होता है कि बाद में स्नातकों के तीन भेद हो गये^५। इन तीन स्नातक-भेदों में प्रथम व्रत-स्नातक होते थे, जो ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का तो पालन करने में समर्थ होते थे, परन्तु उनकी विद्या अधूरी रहती थी। दूसरा भेद—विद्या-

१ तानि कल्पद् ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे तपोत्ततिष्ठन् सप्यमान समुद्रे ।

स स्नातो बभ्रुपिङ्गल पृथिव्या बहु रोचते ॥ (अथर्व० ११।५।२६)

२ आचापस्य प्रिय धनमाहृत्य प्रजावन्तु मा व्यवच्छेत्सी ।

३ वेदान् वेदास्तथा वेदो वेद वाऽपि समाहितः ।

अपोत्य चाविगम्यार्थं तत स्नायाद द्विजोत्तम ॥ (कूर्मपुराण)

४ वेद-व्रतानि वा पार नीत्वा ह्युभयमेव वा ।

अविप्लुतब्रह्मचर्यो लक्षण्या स्त्रियमुद्वहेत् ॥ (याज्ञवल्क्य-स्मृति)

५ त्रय स्नातका भवन्ति—विद्यास्नातको व्रतस्नातको विद्याव्रतस्नातकश्च । (पारस्कर-गृह्यसूत्र)

स्नातको का होता था जिसमें विद्याध्ययन तो पूरा हो जाता था परन्तु व्रत-पालन में न्यूनता रह जाती थी। अंतिम तृतीय भद्र—उभयस्नातको का था, जो व्रत और विद्या दोनों का पालन करते हुए परीक्षा में सफल होकर स्नातक उपाधि प्राप्त करते थे।

संहिता-काल—

ऋग्वेद-संहिता (३।८।४) में समावर्तन-संस्कार के समय गुरु द्वारा दीक्षित स्नातक को समाज में उच्च दृष्टि से देखा जाता था^१। इस मात्र में स्पष्ट है कि उस समय यज्ञोपवीतधारी सभी विद्याओं में निष्णात सुन्दरवस्त्रधारी युवक स्नातक को गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के बाद लोग समादरपूर्वक देवते थे। इसी कथन की पुष्टि अथर्ववेद संहिता (११।५।६) के मात्र से होती है जिसमें कहा गया है—दिव्य गुणों वाला स्नातक पूर्वाश्रम (ब्रह्मचर्याश्रम) से समुद्र (गृहस्थाश्रम) को आता है^२।

नारी और समावर्तन—

वेदाध्ययन के पश्चात् संहिताकाल में नारी को भी पुरुष की तरह सुविधा थी, चाहे वह गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे या नैष्ठिक जीवन व्यतीत करते हुए ब्रह्मवादिनी बनी रहे। महर्षि हारीत कृत् मित्रोदय-संस्कारप्रकाश में इसी कथन की पुष्टि करते हुए स्त्रियाँ के दो भद्र—ब्रह्मवादिनी एवं सद्योबाह का वर्णन किया गया है^३। इस विषय पर प्रस्तुत ग्रंथ के चतुर्थ अध्याय में वर्णित 'मन्त्रद्रष्ट्री नारियो का जीवन' द्वारा पर्याप्त प्रकाश डाला गया है।

साश्रम में प्रवेश हेतु तीन संस्कार

(१३) विवाह—

वैदिक-संहिताकाल में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता था। ऋग्वेदीय विवाहसूक्त तथा अथर्ववेद (१४।१।१३) में पता चलता है कि उस समय विवाह प्रथा का पूर्ण विकास हो चुका था और उस समय वैवाहिक जीवन सत्य

१ युवा मुत्रासा परिवीत आगा म उ ध्रम्यत भवति जायमान ।

त धीरास क्वय उ मर्षित स्वाध्या मनसा दवयत ॥ (ऋ० ३।८।४)

२ ब्रह्मवावति ममिमा समिद्ध काण्य वसानो दीक्षितो दीपमनु ।

स सद्य एति पूर्वन्माद्रुतर समुद्र लोहान् समुह्य महुराचारिकत ॥ (अथर्व० ११।५।६)

३ द्विविधा स्त्रियो ब्रह्मवादिन्य सद्योबाहश्च ।

तत्र ब्रह्मवादिनी नामप्राप्यत वदाध्ययन स्वगृहं च भगवद्वेति ॥ (मित्रोदय संस्कारप्रकाश)

और कर्तव्य का प्रतीक माना जाता था^१। ऋग्वेद-संहिता (१०।८५।२४) में स्पष्ट कहा गया है कि विवाह-संस्कार मृत्यु और कर्तव्य पर प्रतिष्ठित था^२। विवाह दम्पति के आत्मा, मन, प्राण, शरीर को आध्यात्मिक सम्बन्ध द्वारा सुदृढ़ करने का एक चिरस्थायी प्रयत्न था।

स्नातक उपाधि से विभूषित बालक-बालिका अपने आचार्य के आदेशानुसार अपने को एकसूत्र में बाँधते थे। भारतीय विवाह विज्ञान में पति-पत्नी के सम्बन्ध को जन्म जन्मान्तर तक स्थायी बनाने के उद्देश्य से ही जल और अग्नि को साक्षी मानकर सकल्प किया जाता है। बर बधू का हाथ मिलाकर राहू से अविच्छिन्न जल धारा को प्रवाहित करने का विधान विवाह-पद्धति में मिलता है। इस विधि के पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक महत्त्व छिपा हुआ है। बिछुड़ी दो वस्तुओं का सुदृढ़ सम्बन्ध जल और अग्नि के अभाव में यदि असम्भव नहीं, तो कठिन अवश्य है। मिट्टी के घड़े को ही लीजिए, यदि मिट्टी के कणों को जल से न भिगाया जाय, तो वे कण कभी भी घट का आकार नहीं बना सकते। घट का आकार बन जाने पर भी जब तक घट अग्नि में तपाया नहीं जायेगा, वह कभी भी सुदृढ़ नहीं होगा। घट को सुदृढ़ता की तरह ही दाम्पत्य-जीवन का परिपक्वता के लिए भी हमारे वैदिक ऋषि-महर्षियों ने जल और अग्नि का साक्ष्य आवश्यक माना था। जीवन को रलगाड़ी चलाने के लिए, उसमें गति लाने के लिए एव अन्तिम लक्ष्य (माक्ष) तक पहुँचने के लिए विद्युत् या वायु (भाप) की आवश्यकता होती है, जो बिना प्रेम-जलधारा और तपस्वी अग्नि के उपलब्ध नहीं हो सकती।

भारतीय-वाङ्मय में "घट" शब्द शरीर का भी पर्याय माना गया है। ऐसा लगता है छात्र या छात्रा के इस घट का सौन्दर्यपूर्ण आकार देने के लिए ही कुलाधि-पतिरूपी कुलाल अपने चरित्ररूपी चाक पर चढ़ाकर अनेक बार उसे घुमाता था, ताकि वह घट गृहस्थाश्रम में पहुँचकर पिपासु लोगों को प्यास अपने निर्मल एव शीतल जल से बुझा सके।

विवाह की यह महनीयता केवल हमारी ही धरोहर है। यदि हम अपनी इस परम्परा का तुलना अन्य दशवासिया की परम्परा से करेंगे, तो हम अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्ति तथा दूसरों की भागविलासमयी भौतिक प्रवृत्ति का अन्तर स्वतः दिखाई देने लगेगा। उदाहरणरूप में चीन-जापान के लोगों का लीजिए, जो एक फुट को दो भागों में बाँटकर पति-पत्नी द्वारा एक दूसरे को खिलाने की ही विवाह पद्धति मानते

१. अथर्व० १४।१।१३।

२. ऋतव्य योनी सुदृढस्य लोके। (ऋ० १०।८५।२४)

हैं। इसी प्रकार जहाँ ईसाई धर्मावलम्बी लोग पुरोहित के सामने पति-पत्नी के आपसी मुख चुम्बन को ही विवाह मान बैठने हैं, वही दूसरे ओर मुसलमान भाई एक ही आसन पर बैठकर एक ही पात्र में पति-पत्नी द्वारा भोजन करने को ही विवाह की पूर्णाहुति कहते हैं।

गृहस्थाश्रम की श्रेष्ठता—

धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के साधक गृहस्थाश्रम का महत्त्व वैदिककाल में उदात्तरूप के साथ वर्णित है। ब्रह्मचर्याश्रम, वानप्रस्थाश्रम एवं सन्यासाश्रम तो केवल धर्म की साधना के ही साधनमात्र समझे जाते थे। एकमात्र गृहस्थाश्रम ही एक ऐसा स्रोत रहा है जिसने शेष तीन आश्रमवासियों का सदा भरण-पोषण किया है। ऋग्वेद-महिम्ना (३।५३।७) में सोमपायी इन्द्र की स्तुति करते हुए कहा गया है— 'तुम अब अपने घर जाओ, जहाँ तुम्हारी कल्याणकारी पत्नी है'। गृहस्थाश्रम के नियमों का पालन करने वाले गृहस्थ की सुख सुविधाओं का वर्णन ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में आया है। पति का आज्ञाओं का पालन करने वाली पत्नी (ऋग्वेद-१।१२२।२), सन्तान का प्रेमपूर्वक पोषण करने वाली गृहिणी (ऋग्वेद ७।८।१।४), पति के साथ आहुतियाँ देने वाली सहधर्मिणी (ऋग्वेद ८।४३।१५, ८।१३।१३) का विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है। इसी प्रकार गृहस्थाश्रम के कर्तव्यों की ओर उन्मुख करते हुए नववधू में ऋग्वेद-सहिता (१०।८५।२-२७) में कहा गया है^१।

वैवाहिक-प्रतिज्ञाएँ—

पति-पत्नी के सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के लिये उनसे कुछ प्रतिज्ञाएँ करायी जाती थी। इन प्रतिज्ञाओं के पोछे यह रहस्य अन्तर्निहित था कि इस समाजरूपी रथ को चलाने में आप दाना का समान अधिकार है। विवाह-मण्डप में कन्या ज्यों ही वर के सम्मुख आती थी, त्यों ही कन्या का पिता बड़े हाँ वित्तभाव से कहता था—“परस्पर समञ्जेषाम्”। इस वचन को सुनने के बाद वर और कन्या दोनों ऋग्वेद (१०।८५।४७) की ऋचा का पाठ करते हुए विभिन्न देवों से मंगल अभिलाषा करते थे^२। इसके अनन्तर पापनाशिनी, यज्ञादि साध्य का साधनरूपिणी गामाता

१ अथा माममस्तमिन्द्र प्रयाहि कल्याणार्जया सुख गृह त । (ऋ० ३।५३।७)

२. गृहानाञ्च गृहपत्या यथासा वसिनी त्व विदध मा वदसि इह प्रिय प्रजया त समुष्यताम-
मिमंगृहे गाहपत्याय जागृहि ॥ (ऋ० १०।८५।२६)

३ समञ्जन्तु विश्वदेवा समापा हृदयानि नो ।

समातरिश्वा सधाता समुदेष्टो दवानु नो ॥ (ऋ० १०।८५।४७)

का दान होता था। राजाहृति की समाप्ति पर सप्तपदी की प्रथा के समय वर अपनी पत्नी से कहता था और वह एक-एक पद निक्षेप करती थी। इस पदनिक्षेप में वर और वधू की प्रतिज्ञाएँ निहित थी, जिनका मक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

घन, धान्य, मिष्ठान्न, व्यञ्जनादि जो कुछ भी घर में है, वह सब मेरे अधीन रहेगा। मैं मधुरभाषिणी, कुटुम्ब की रक्षिका, पति-परायणा होकर सदा आपके सुख-दुःख में समिती रहूँगी। यज्ञादि धार्मिक क्रियाओं में मुझे आपको अपने साथ रखना होगा। हमारी इन प्रतिज्ञाओं के साक्षी स्वयं देवगण हैं। वधू को इन प्रतिज्ञाओं को स्वीकृति देता हुआ वर वधू को ध्रुवदर्शन कराता हुआ, उसके दाहिने कन्धे पर हाथ रखते हुए कहता था^१ कि हम दोनों पति-पत्नी स्वरूप, स्वभाव एवं बुद्धि से एक हो जायें, जिस प्रकार दो पानी की जलधाराएँ मिलकर एक हो जाती हैं।

साधिकार पत्नी की प्रतिज्ञाओं को स्वीकार करने के पश्चात् वर कन्या का हाथ पकड़ता था और ऋग्वेद-संहिता (१०।८५।३६) में वर्णित विषय को दुहराता था^२। इसी स्त्री-मुख्य के समान अधिकार की पुष्टि करते हुए परवर्ती साहित्य (पारस्वर-गृह्यसूत्र—१।६।३) में कहा गया है—“हे वरानने! जैसे मैं तुझे ग्रहण करता हूँ, वैसे तू भी मुझं ग्रहण करने की अधिकारी हो। मैं सामवेद हूँ, तो तू ऋग्वेद है। तुम यदि पृथ्वी हो, तो मैं सूर्य हूँ। आओ हम दोनों मिलकर रह, सन्तति उत्पन्न करें और एक-दूसरे में रक्षि रखते हुए सौ वर्ष तक सुखमय जीवन-यापन करें”।

विवाह के प्रकार—

वैदिक-संहिता के परवर्ती साहित्य मनुस्मृति (३।२१) में विवाह के ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, असुर, गान्धर्व, राक्षस और पिशाच आठ भेद बताये गए हैं, जिनमें प्रथम चार भेदों की प्रशंसा एवं दोष चार प्रकारों की निन्दा की गयी है^३। प्रशसनीय भेदों में (१) ब्राह्मविवाह में वस्त्रालंकारादि से विभूषित कन्या का विवाह वैदिक-रीति से सुयोग्य वर के साथ किया जाता था, (२) दैवविवाह में कन्या ऋत्विक् को उपहाररूप में दान दी जाती थी, (३) आर्षविवाह में वरपक्ष से दो गायें लेकर कन्या का पिता कन्यादान करता था, (४) प्राजापत्य-विवाह में वर-

१ मम व्रते ते हृदय दधामि, मम चित्तमनुचित्त तेऽस्तु ।

मम वाचमेकमना जुष्यन्व प्रजापतिप्रा नियन्क्तु मह्यम् ॥

२. गुण्णामि त सोमगत्वाय हस्त, मया पत्या जग्दष्टिर्यथासुः ।

मगो व्ययमा सविशा पुग्न्धिर्मह्य त्वा दुर्गाहं पत्याय देवाः ॥ (ऋ० १०।८५।३६)

३ ब्राह्म्य दैवस्तर्षेत्तार्षं. प्राजापत्यन्तथासुरः ।

गान्धर्वो राक्षसदत्तं च पिशाचश्चाष्टमोऽयम् ॥ (मनु० ३।२१)

वधू को "तुम दोनों मिलकर गृहस्थाश्रम का पालन करो" इस सम्बोधन के साथ कन्या वर को दी जाती थी ।

(५) आसुरविवाह में कन्यापक्ष, वरपक्ष से धन लेकर कन्या देता था, (६) गान्धर्व-विवाह में स्त्री-पुरुष की सम्मति ही विधि-विधान था, (७) राक्षस-विवाह में कन्याग्रहण के लिए युद्ध, हत्या, आघात प्रतिघात होता था, (८) पेशाच-विवाह में कन्या के साथ बलात्कार करने के पश्चात् विवाह होता था ।

वैदिक संहिताओं में विवाह-भेद—

ऋग्वेद-संहिता (१०।८५) के विवाहसूक्त में ब्राह्मविवाह का संकेत है^१ । गान्धर्व विवाह का संकेत ऋग्वेद (१०।२७।१२, १।११५।५) में पाया जाता है । इसके अतिरिक्त तैत्तिरीय-संहिता (६।१।६।५) में "स्त्री कामा वै गन्धर्वा" कहा गया है, जिससे पता चलता है कि गन्धर्व जाति अपनी कामुकता के लिये प्रसिद्ध रही है । वहाँ विवाहों का विवरण भी उपलब्ध होता है^२ ।

वैदिक-संहिताओं के मनन से पता चलता है कि उस समय विवाह तस्कार युवावस्था में ही होता था । बाल-विवाह की प्रथा विलकुल न थी । ब्रह्मचर्य का पालन बालक-बालिकाओं के लिए अनिवार्य था, जिसकी अवधि पन्चीस वर्ष थी । परिपक्वावस्था से पूर्व लड़की का विवाह पूर्णतया निषिद्ध था । अपना जीवन सगी चुनने की पूरी छूट थी । सगोत्र विवाह की आज्ञा थी या नहीं, इस सम्बन्ध में वैदिक-संहिताओं में कोई स्पष्ट संकेत प्राप्त नहीं है ।

ऋग्वेद (१०।२७।१२) से पता चलता है उस समय विवाह-योग्य किसी भी युवती को अपने मनोनुकूल वर चुनने की स्वतन्त्रता थी^३ । युवक और युवतियों में पारस्परिक प्रेमालाप को अनेक घटनाएँ ऋग्वेद-संहिता (७।६।२।१, ९।५।६।३, १०।३।०।६) है । ऋग्वेद-संहिता (१।१।१५।२, १।१।७।१८, ९।३२।५) में राक्षस एवं पिशाच आदि जातियाँ मिलती हैं, जिनसे पता चलता है कि उस समय वैवाहिक स्वतन्त्रता थी । राजा पुरुमित्र की कन्या कमरु ने विमद ऋषि को स्वयंवरसभा में पति के रूप में चुना था । स्वयंवर में आये अन्य लोगों ने विमद पर आक्रमण किया, जिसमें अश्विनोक्तुमारो

१. रेभ्यासीद्नुदेवो नाराशसी न्योचनी ।

सूर्याया भद्रभिद्रासो गाययैति परिष्कृतम् ॥ (ऋ० १०।८५।६)

२. (क) सूर्यो देवोमुपस रोचमाना मर्यो न योयामभ्येति पश्चात् । (ऋ० १।१।५।२)

(ख) जार कनीन इव चक्षदान ऋष्यासवः शतमेक च मेपात् । (ऋ० १।१।७।१८)

३. कियती योयामयतो बभ्यो प्ररिप्रीता पन्यसा वायेण ।

भद्रा वधूर्भर्वाति मत्सुपेसा स्वय सा मित्र वनुते जने चित् ॥ (ऋ० १०।२७।१२)

की सहायता से दम्पति के घर पहुँचने की कथा ऋग्वेद (१०।३९।७ तथा १।११६) सूक्त में मिलती है ।

विवाह का प्रयोजन—

वैदिक सहिताकाल मे यज्ञ की प्रधानता थी । प्रकृति के विभिन्न स्वरूपो मे देवत्व की कल्पना कर हमारे महर्षियो ने वैदिक ऋचाओ द्वारा अग्नि मे आहुति देकर देवताओ की प्रमन्न करने का प्रयास किया । यज्ञो की पूर्णता के लिये पुरुष के साथ उसकी प्रणीता स्त्री का रहना अनिवार्य था । इस कथन की पुष्टि शतपथ-ब्राह्मण (५।६।१०) मे की गयी है^१ । पत्नी की व्युत्पत्ति करत हुए महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी (४।१।१३३) मे स्पष्ट कहा है—“पत्युनो यज्ञसयोगे” अर्थात् जो अपने पति के साथ यज्ञ मे उपस्थित रहे, उसे पत्नी कहा जाता है । इस प्रकार विवाह का प्रथम प्रयोजन था कि पुरुष अपने को इस संस्कार के वाद यज्ञ करने का अधिकारी मानता था ।

विवाह का दूसरा महत्वपूर्ण प्रयोजन पुत्रप्राप्ति माना गया है । मनु ने तो अपनी रचना ‘मनुस्मृति’ (९।२८) म पुत्रप्राप्ति को विवाह का सर्वोत्तम प्रयोजन स्वीकार किया है^२ । वैदिक सहिताओ मे कहा गया है कि सन्तति विहीन स्त्री और पुरुष दानो अपूर्ण हैं । ऋग्वेद-सहिता (१।९०।२०, ३।१।२३, १०।८५।४५) मे विभिन्न देवताओ से बहुपुत्रवान् होने की प्रार्थनाएँ की गयी है^३ । ऋग्वेद के अतिरिक्त अथर्ववेद-सहिता (१।४।१९४, १३।१।१९, १८।३।१७, १९।७।११, ७।३३।१, ७।८।१।५) म भी पुत्रोत्पत्ति की कामनाएँ की गयी है । पुत्र का इच्छा वा होना स्वामाविक भी था, क्योंकि पिता के दाह संस्कार एवं वंश-परम्परा को सुरक्षित रखने हेतु पुत्र की आवश्यकता होती है ।

“रति” को विवाह का तृतीय एवं अन्तिम प्रयोजन स्वीकार किया गया है । वस्तुतः कामवृत्ति मनुष्य का प्रमुख नैसर्गिक प्रवृत्ति है । ऋग्वेद सहिता (१०।१७९-१४) मे अगस्त्य-लोपामुद्रा के संवाद स पता चलता है कि विवाह का “रति” प्रमुख प्रयोजन है, क्योंकि इसके बिना सन्तति हो ही नहीं सकती^४ ।

१ (क) युव रथन विमदाय मुन्धुषु न्यूहथु पुहमित्रस्य मोपणाम् ॥ (ऋ० १०।३९।७)

(ख) यावभगाय निमदाय जाया सेना जुवा म्यूहतू रथेन । (ऋ० १।११६।१)

२ अयमिया वा एष याश्चतीकः । (शतपथ ब्राह्मण-५।१।६।१०)

३ अतस्य घमरायाणि शुश्रवा रतिस्तमा ।

दाराधीनस्तथा स्वर्गं पितृणामाश्मनश्च ह ॥ (मनु० ९।२८)

४ इमा त्वमिन्द्र मोहवा सुपुत्रा सुभगा कृणु ।

दशास्या पुत्राना धहि पतिमकादश कृषि ॥ (ऋ० १०।८५।४५)

५ ऋ० १०।१७९।१-४ ।

निष्कर्ष यह है कि वैदिक-संहिताकाल में स्त्री-पुरुष की सभी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं बौद्धिक वैवाहिक-क्रियाएँ धर्मप्रवृत्ति से नियन्त्रित थीं। दम्पति अपने मधुर समन्वय एवं सामञ्जस्य से पृथिवी को स्वर्ग बनाने में सचेष्ट रहते थे। गृहस्थाश्रम में किया गया यज्ञ प्राणिमात्र की भलाई के लिये होता था। पुत्रोत्पत्ति की अभिलाषा “पुनाति पित्रादीन्” या “पुम् नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः” अथवा “पुत्रः त्रायते इति पुत्रः” के भाव को सार्थक करती थी। “पुत्र” शब्द यहाँ नरक या मनुष्य की नपुंसकता, निर्बलता, अक्षमता का द्योतक है, जिससे सन्तानोत्पत्ति के बाद ही मनुष्य त्राण पा सकता है^१। मनुस्मृति (१।१६) में तो यहाँ तक कहा है कि स्त्री-पुरुष की सृष्टि ही माता पिता बनने हेतु हुई है^२। अतः कामवामनाओं पर नियन्त्रण रखते हुए पुत्रोत्पत्ति हेतु रति में प्रवृत्त होना ही श्रेयस्कर माना जाता था। कामसूत्र (१।५।१) में सवर्णा-पत्नी के प्रति जागृत “रति” को “पुत्रोत्पत्ति” कहा गया है^३। रतिपरक विवाह के उद्देश्यों में स्पष्ट कहा गया है कि—स्वविवाहिता स्त्री के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्त्री से यौन-सम्बन्ध पाप है। बात पूर्णतया सत्य है, क्योंकि रतिजन्य सन्तति सामाजिक प्रतिष्ठा का कारण कही गयी है—“अपत्य नाम लोकेषु प्रतिष्ठा धर्मसंहिता”।

नियोग—

नियोग शब्द का अर्थ है किसी निःसन्तान पत्नी का या विधवा स्त्री का पूर्वनिर्धारित पुरुष के साथ सभोगसम्बन्धी सम्पर्क। पुराणों में वर्णित वृत्तान्तों से सिद्ध होता है कि महर्षि दीर्घतमस्, कश्यपात् आदि नियोग द्वारा उत्पन्न हुए थे। ऋग्वेद संहिता (१।१६।७।५-६) में भी नियोग सम्बन्धी संकेत मिलते हैं^४। नियोग द्वारा उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज्ञ कहलाता था। लगता है वैदिककाल के बाद इस प्रथा का धीरे-धीरे परवर्ती काल में अन्त हो गया।

१. वृद्धिं नरकस्याख्या दुःखं च नरकं विदुः ।

पुत्रि त्राणात् ततः पुत्रमिहेच्छन्ति परत्र च ।

तस्मात् पुत्रमनुशिष्टं लोक्यमाहुः इति ॥ (व्यासस्मृति - ४।४३)

२. प्रजनार्थं स्त्रियं सृष्टां सन्तानार्थं च मानवः ।

तस्माद् साधारणो धमः श्रुती पत्न्या सहोदितः । (मनु० १।१६)

३. प्रयुज्यमानः पुत्रीयो यशस्यो लौकिकश्च भवति । (कामसूत्र)

४. (क) जायद्यदोमसुर्यां सचर्ष्यं विपितस्तुका रोदसी नृणां ।

आसुर्येव विवतो रथ गत्वेवप्रतीका नभसो मेत्या ॥ (ऋ० १।१६।५)

(ख) आस्थापयन्त्युवति युवानः शुभे नमिञ्चला विदयेषु प्रजाम् ॥ (ऋ० १।१६।६)

महर्षि दयानन्द सरस्वती ने सत्यार्थप्रकाश के चतुर्थ समुल्यास मे नियोग प्रथा का समर्थन करते हुए अनेक ऋग्वेदीय मन्त्रो को उद्धृत किया है। पाश्चात्य विद्वान् मैकडानल एव कीथ ने भी ऋग्वेद-सहिता (१०४०१२) को आधार मानकर नियोग प्रथा का समर्थन किया है। आपस्तम्ब धर्मसूत्र (२।१०।२७।२) मे तो नियोग प्रथा का खुलकर समर्थन करते हुए कहा गया है—“स्त्री कुल के लिये दी जाती थी, अत यदि किसी कारणवश सन्तति उत्पन्न करने मे परिवार का सदस्य सक्षम नहीं होता था, तो स्त्री को अधिकार था कि वह सन्ततिलाभ हेतु परपुरुष से संयोग कर सकती थी”।

नियोग प्रथा के उपर्युक्त समर्थन के पश्चात् भी आपस्तम्ब धर्मसूत्र (२।६।१३।५, २।६।१३।७-८, २।१०।२७।७) मे नियोग की निन्दा की गयी है। इसकी पुष्टि करते हुए डॉ० उपाध्याय ने अपनी रचना ‘वोमेन इन ऋग्वेद’ (पृ० ९८-१००) मे नियोग-प्रथा के विरोध मे दो तर्क दिये हे—(१) आर्य जाति के लोग इतने सक्षम थे कि उन्हें सन्तानोत्पत्ति के लिये परपुरुष की अपेक्षा नहीं थी, (२) वैदिककाल मे विधवा-विवाह की प्रथा प्रचलित थी, अत पुनर्हीन विधवा को नियोग द्वारा सन्तानोत्पत्ति की बाध्यता नहीं थी।

विधवा विवाह—

वैदिक-सहिताओ मे प्राय युवा विवाह का ही प्रचलन था, इसलिये विधवा-विवाह या पुनर्विवाह का प्रश्न महत्वहीन समझा जाता था; तथापि यह नहीं कहा जा सकता है कि वैदिककाल मे विधवा विवाह या पुनर्विवाह नहीं होते थे। ऋग्वेद-सहिता (१०।८५।४१) से स्पष्ट है कि उस समय पुनर्विवाह प्रचलित था। ऋग्वेद-सहिता (१०।९३।१४) मे राजा वेन का उल्लेख है, जिसे ऋग्वेद-सहिता (१।१६।२।१५) मे पृथी या पृथु भी कहा गया है। यह वह वेन राजा है, जिसके बारे मे मनु ने स्पष्ट लिखा है कि उसने विधवाओ का जबरदस्ती पुनर्विवाह करवाया था। ऋग्वेद-सहिता (१०।१८।८) मे एक विधवा स्त्री को सम्बोधित करते हुए कहा गया है कि तुम मृत पति को छोडकर भावी पति को प्राप्त करो^१। महर्षि यास्क ने तो निरुक्त (१।३।१५) मे देवर शब्द का अर्थ द्वितीय वर किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रथम पति के

१ कुह स्विद्दोपा कुह वस्तोरश्विना कुहामिपित्व करत कुहोपतु ।

को वा दायुशा विषवैव देवर मर्यं न योपा कुगुत सघस्य वा ॥ (ऋ० १०।४०।२)

२ कुलाय हि स्त्री प्रदीयत इत्युपदिशन्ति । (आपस्तम्ब-धर्मसूत्र-२।१०।२७।३)

३ उदोष्य नामिनि जीबलेक गतामुमेतमुप दोष एहि ।

हस्तग्रामस्य दिविपास्तवद पत्युत्रमित्त्वमिनि सबभूव ॥ (ऋ० १०।१८।८)

कालप्रस्त हो जाने पर द्वितीय विवाह की प्रथा थी। अथर्ववेद-संहिता (१।५।२७-२८) से भी विधवा विवाह या पुनर्विवाह की पुष्टि होती है^१।

विवाह विच्छेद—

वैदिक संहिताओं में कहीं भी विवाह-विच्छेद के सकेत उपलब्ध नहीं हैं। इससे यह पूर्णतया स्पष्ट है कि उस समय पति पत्नी एक बार प्रणयसूत्र में बँध जाने के बाद अलग नहीं होते थे। दाम्पत्य-सम्बन्ध को विच्छेद करने में स्वेच्छाचारिता, नैतिकता-ह्रास एवं व्यभिचार आदि दुर्गुण ही प्रधान कारण होते हैं, जिनको वैदिक-संहिताओं में कड़े रूप से निन्दा की गयी है। विवाह-संस्कार की धार्मिकता का स्वरूप भी पारस्परिक अलगाव में बाधक था, क्योंकि अपत्नीक व्यक्ति को यज्ञ करने के अधिकार से वंचित समझा जाता था और पति से द्वेष रखने वाली स्त्री को “कुलटा” कहकर समाज बहिष्कृत कर देता था।

मनुस्मृति (८।३७१) में तो विवाह-विच्छेद करने वाली स्त्री को जनसमूह के सामने व्यभिचारिणी समझकर कुत्तो से कटवाने का विधान किया गया है। इसी प्रकार पुरुष को स्वेच्छाचारिता के लिये उसे नाक, कान में रहित कर देश निष्कासन अथवा जलती हुई लोहे की खाट पर लिटाकर मार डालने का आदेश मनु भगवान् ने अपनी रचना मनुस्मृति (८।३५२, ८।३७२) में दिया है। स्मृतियों, सूत्रग्रन्थों एवं नाटक तथा काव्यों में भी विवाह विच्छेद की चर्चा नहीं है। कौटिल्य-अर्थशास्त्र (३।२।१७-१९) में विवाह विच्छेद की चर्चा अवश्य है, जिसमें कहा गया है कि जब दोनो स्त्री-पुरुष द्वेष करते हों तो उन्हें अलग किया जा सकता है।

बहुविवाह प्रथा

बहुपतित्व—

वैदिक-संहिताओं में बहुपतित्व अर्थात् एक स्त्री के एक से अधिक पति होने का कहीं भी स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। वेबर आदि कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने ऋग्वेद संहिता (१।०।८।५।३७, ३८) में अथवा अथर्ववेद संहिता (१।४।१।४४, ५२, ६१, १।४।२।१४, २७) में एक स्त्री के प्रथम में पति के लिए बहुवचनान्त शब्द देखकर यह कल्पना कर ली है कि उस समय एक स्त्री एक ही समय अनेक पतियों को पति के

१ विधवे देवर देवर तस्माद्द्वितीयो वर उच्यते ॥ (निरुक्त-१।१।३।१५)

२ या पूर्वं पतिं वित्वापान्य विन्दनेऽपरम् ।

पञ्चीदन च तावज ददाती न वि यापत ॥

समानलोको भवति पुनर्भुवाऽपर पति ।

योऽत्र पञ्चीदन दक्षिणाऽप्योतिष ददाति ॥ (अथर्व० १।५।२७-२८)

रूप में रखती थी। वस्तुतः उपर्युक्त प्रसंगो मे आया बहुवचनान्त पद, पति के प्रति आदरसूचक होने के कारण प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद-संहिता (१।१६७ ४, ५, ६) मे कहा गया है कि एक स्त्री के साथ दो पति रहते थे। हो सकता है वह स्त्री वारागना हो। इसलिये ऐसे प्रसंगो को यदि सत्य भी मान लिया जाये, तो उसे प्रमाणकोटि मे नही रखा जा सकता।

एक काल मे एक पति और एक ही पत्नी होने की पुष्टि ऋग्वेद-सहिता (१०।८५।४२) से होती है, जिसमे स्पष्ट रूप से कहा गया है—“तुम दोनो पति-पत्नी इस घर मे रहो और एक दूसरे से पृथक् मत होवो। पुत्र-पौत्रो के साथ घर मे आनन्द लेते हुए आप दोनो पूर्ण आयु (सौ वर्ष) को प्राप्त कर^१। इस मन्त्र मे “स्तं, योष्टं, अश्नुत, क्रीडन्तो, मोदमानी” सभी विशेषण द्विवचनान्त है, जो यह सिद्ध करते हैं कि उस समय तक बहुपतित्व की या बहुपत्नीत्व की प्रथा प्रचलित नही थी।

उपर्युक्त कथन की पुष्टि अथर्ववेद-सहिता (१।४।२।६४) से भी होती है, जिसमे इन्द्र से प्रार्थना करते हुए कहा गया है—“हे देवराज इन्द्र! इस जीवन मे इस दम्पति को अच्छी प्रेरणा दो और ये दोनो चक्रवा-चक्री की तरह प्रेम करते हुए सुसन्तति के साथ पूर्ण आयु वा उपभोग करें^२”।

बहुपत्नीत्व-प्रथा—

यद्यपि वैदिक सहिताकाल मे प्रायः एकपत्नी विवाह को आदर्श विवाह की सजा दी गयी है, फिर भी बहुपत्नी की प्रथा से इन्कार नही किया जा सकता। ऋग्वेद सहिता (१।६२।११, १।१०४।३, १।१०५।८, १।१८६।७) इत्यादि के स्थलो पर एक से अधिक स्त्रियो का एक पुरुष के साथ वैवाहिक सम्बन्ध उल्लिखित है। तैत्तिरीय-सहिता (६।५।१।४) मे तथा मैत्रेयी-सहिता (१।५।८) के अनुसार मनु की दस स्त्रियो की बात प्रमाणित होती है।

बहुपत्नीत्व की प्रथा बहुधा सम्पन्न घरों मे ही सीमित थी। सपत्नियो का पारस्परिक द्वेष ही कुल या परिवार के कलह का कारण बनता था। एक स्त्री अपनी सपत्नी के विनाश के लिये अभिचार प्रयोग करने मे भी सकोच नही करती

१ इहैव स्त मा वि योष्ट विश्वमायुर्व्यश्नुतम् ।

क्रोडती पुत्रैर्मपुत्रभिर्मोदमानी स्वे गृहे ॥ (ऋ० १०।८५।४२)

२. इहेमाविन्द्र स नुद चक्रवाकेव दम्पती ।

प्रजयैनी स्वस्तकी विश्वमायुर्व्यश्नुताम् ॥ (अथर्व० १।४।२।६४)

थी। ऋग्वेद संहिता (१०।१४५।१-६) के इस सम्पूर्ण सूक्त में सपत्नी (सौत) को अधीनस्थ करने, उसे क्लेश पहुँचाने एवं उसे निर्बल करने की प्रार्थना लतारूपिणी औषधि से की गयी है। इस सूक्त के अन्तिम मन्त्र में एक स्त्री अपने पति के तकिये के नीचे औषधि रखने हुए कहती है—“हे स्वामिन् । यह शक्तिशाली औषधि मैंने तुम्हारे सिरहाने के नीचे रखी, ताकि तुम्हारा मन मेरी ओर उसी तरह उन्मुख हो, जिस प्रकार गी अपने बछ्छे की ओर तथा जल नीचे की ओर प्रवृत्त होता है”^१। इसी प्रकार ऋग्वेद-संहिता (१०।१५९।१-६) के इस सम्पूर्ण सूक्त में एक स्त्री बड़े गर्व से कहती है कि उसने अपनी सभी सपत्नियों को पराभूत कर दिया है एवं अपने पति को वश में कर लिया है। इसी सूक्त के पाचव और छठें मन्त्र में तो उसकी स्पष्ट घोषणा है कि ‘वह अन्य सपत्नियों के गव को उसी तरह चूर्णित करती है, जिस प्रकार निर्बल व्यक्ति के घन को शत्रु नष्ट-भ्रष्ट कर देते हैं। सपत्नियों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने तथा सम्पूर्ण परिवार को अपने वश में रखने की बात भी बड़े गर्व से कही गयी है^२।

इसी प्रकार के विवरण अथर्ववेद-संहिता (३।१८।१-६) तथा तैत्तिरीय संहिता (६।५।१।४ ६।५।४।३) में भी उल्लेख है जिनसे बहुपत्नीत्व को पुष्टि स्वतः सिद्ध हो जाती है।

उपसहार—

वैदिक संहिताकालिक विवाह की आचारशिला सत्य एवं सतीत्व पर प्रतिष्ठित थी। इस वैवाहिक आधारशिला को सुदृढ़ करने हेतु वाग्दान, कन्यादान, अग्निसाख्य, पाणिग्रहण अग्नि-प्रदक्षिणा, लाजाहोम एवं सप्तपदी आदि प्रमुख क्रियाएँ सम्पन्न की जाती थी। विवाह प्रायः ब्रह्मचर्याश्रम की समाप्ति पर ही बालक-बालिकाओं का होता था। बाल्यविवाह का पूर्णतया निषेध था। अनुलोम (उच्च-वर्ण के युवक द्वारा निम्न वर्ण की कन्या से) विवाह एवं प्रतिलोम—(उच्च वर्ण की कन्या द्वारा निम्न वर्ण के युवक से) विवाहों का प्रचलन वैदिक-संहिताकाल में मर्यादित ढंग से था। इसके अतिरिक्त वैदिककाल में पचचोस वर्षीय युवक एवं षोडश वर्षीय युवती के अतर्जातीय विवाह के संकेत भी मिलते हैं। वस्तुतः वैदिक-संहिता कालीन समाज, वैवाहिक पद्धति हेतु व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों पहलुओं पर विचार को प्रश्रय देता था।

१ उप त वा सहमानामसि त्वाधा सहोयसा ।

मामनु प्रते मनो बलम गौरिव धावतु तथा वारिव धावो तु ॥ (ऋ० १०।१४५।६)

२ समजैपमिमा अह मपत्नीरभिभूवरी ।

यथाहमस्य वीरस्य विराजानि जनस्य च ॥ (ऋ० १०।१५९।६)

वैदिक कालीन विवाहपद्धति की प्रशंसा करते हुए भारत के मनीषी विद्वान् डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने ठीक ही कहा है—“स्त्री और पुरुष, इन दोनों के मिलन की सन्ना हो विवाह है; क्योंकि उस विवाह मण्डप में वर-वधू के रूप में पितृत्व एवं मातृत्व दोनों रूप उपस्थित होते हैं”। वस्तुतः वैदिक संहिताकाल में नारी-समाज को अत्यधिक आदर देने की भावना थी। उसी सम्मान का ही प्रभाव था कि ऋग्वेद में उमेश्वर की रानी और साम्राज्ञी कहा गया है।

वैदिक-कालीन विवाह की पवित्रता, उदारता, अविच्छेद्यता की प्रशंसा करते हुए पाश्चात्य विद्वान् फ्रेडरिक पिनकोट ने ठीक ही कहा है—‘हिन्दुओं का विवाह-बन्धन टूटने के लिये नहीं, अपितु वैदिक-सहिता के मन्त्रों द्वारा लोक-परलोक को बाँधने के लिये होता था’। पाश्चात्य जगत् के सम्मानित विद्वान् रथफील्ड ने भी वैदिक विवाहपद्धति की सराहना करते हुए कहा है—“हिन्दुओं की विवाह-प्रथा सुखद है, क्योंकि इसमें स्वार्थ कम और सार्वभौमिकता के भाव अधिक हैं। हिन्दू-नारियों की इस पवित्रता की तुलना विश्व के किसी भी समाज की स्त्री से नहीं की जा सकती”।

नारीचरित्र की उपर्युक्त उदारता, शालीनता, तन्मयता के पीछे निःसन्देह आदर्श विवाहपद्धति को ही कारण माना जा सकता है, जिसके कारण आज भी भारत भारत बना हुआ है।

(१४) वानप्रस्थ-संस्कार—

वैदिक संहिताओं में यद्यपि वानप्रस्थ-संस्कार के स्पष्ट संकेत दृष्टिगोचर नहीं होते, तथापि कुछ ऐसे लक्षण हैं, जिनसे पता चलता है कि गृहस्थाश्रम के बाद मानव तृतीय-आश्रम में प्रवेश करता था। इसी तृतीय आश्रम को ही वानप्रस्थाश्रम कहा जाता था, जिसका आभास अथर्ववेद-संहिता (१।५।१) से मिलता है, जिसमें कहा गया है—“हे भद्र! इस तृतीय आश्रम की ओर अपने को ले आओ। पुण्यात्माओं द्वारा देखने योग्य इस आश्रम को आरम्भ करो और अपने कर्तव्यों का भली प्रकार ज्ञान करते हुए इस आश्रम को स्वीकार करो। विभिन्न प्रकार के दुःखादि सन्तापों वाले गृहस्थाश्रम को पार कर इस गतिशील, आनन्ददायक, त्यागशील तृतीय आश्रम को अपनाओ”।

जीवन की इस तृतीयावस्था में पदार्पण करने से पूर्व स्त्री या पुरुष को दारोपणा, वित्तपणा आदि का परित्याग करना पड़ता था। इस जीवन में मनुष्य अपने

१ वा नयेतमा रभस्व सुकृता लोकमपि गच्छतु प्रजानन् ।

तैत्तिरीय तर्मासि बहुषा महान्त्यजो नाकमा क्रमता तृतीयम् ॥ (अथर्व० १।५।१)

अनुभवों के आधार पर जीवन की रहस्यमय गुणधियों को सुलझाने के उपायों का पता लगाता था। अपने तप, त्याग से दूसरे लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करता था, जिससे नि श्रेयस् (मोक्ष) की उपलब्धि होती थी।

मनु संहिता में वानप्रस्थ में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के लिये कहा गया है कि—“स्नातक गृहस्थाश्रम का विधिपूर्वक पालन करने के बाद जितेन्द्रिय होकर वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करे। वार्द्धक्य के लक्षण देखते ही मनुष्य वानप्रस्थ हो जाये। गृहस्थाश्रम का परित्याग कर, अपनी धर्मपत्नी को साथ लेकर वानप्रस्थी वन में निवास करे”।

भिक्षावृत्ति का आश्रय लेते हुए जो शान्त स्वभाव वाले लोग वन में निवास करते हुए तपश्चर्या का जीवन यापन करते हैं, वे अन्त में उत्तरायण पथ से ब्रह्मलोक में प्रवेश करते हैं^१।

वैदिक-संहिताओं में यति मुनि-वर्णन—

ऋग्वेद संहिता (१०।१३६।१-२) में केशी नामक मुनि का वृत्तान्त उपलब्ध है और उनके साथ अन्य मुनियों के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा गया है— ये वातरसन वशज ऋषि पीतवस्त्र धारणकर देवत्व को प्राप्त करते थे^२। इस सूक्त में भागे मुनि स्वयं कहते हैं कि उन्होंने सभी गृहस्थ सम्बन्धी लौकिक व्यवहारों का परित्याग कर दिया है। सूक्त के अन्त में इन मुनियों को सबका मित्र और सुख देने वाला कहा गया है।

ऋग्वेद-संहिता (७।५६।८) में मुनि पद का उल्लेख है और ऋग्वेद संहिता के (८।७।१४) सूक्त में इन्द्र को मुनियों का सखा (मित्र) कहा गया है^३। तैत्तिरीयसंहिता (६।२।७।५) में यतिरूपी वानप्रस्थियों का वर्णन उपलब्ध है।

१ सत्त्वज्य ग्राम्यमाहार सर्वं च त्र परिच्छदम।

पुत्रेषु भार्या निधिष्य वन गच्छतु सहैव वा ॥ (मनु०)

२ तप धृष्टे ये ह्युपवसन्त्यरभ्ये,

शान्ता विद्वानो भैरवचर्या चरन्तः ।

सूयद्वारण ते विरजा प्रयान्ति,

यत्रामृतं स पुह्यो ह्यन्ययात्मा ॥

३ मुनयो वातरशना पिशङ्गा वसत मला।

वातस्यानु ध्राजि यन्ति यददेवासो अविशत ॥ (ऋ० १०।१३६।२)

४ वास्तोष्पने ध्रुवा स्थूणा सत्र सोम्यानाम् ।

द्रप्सो भेत्ता पुरा शश्वतीनामिन्द्रो मुनीना सखा ॥ (ऋ० ८।१७।१४)

अथर्ववेद सहिता (८।६।१७) मे "जटाभिस्तापस." कहकर एव इसी सहिता के (१९।४।११) अनुसार ऋषियो की तपश्चर्या की पुष्टि होती है^१।

उपर्युक्त वैदिक सहिताओ के वेशी नामक मुनि तथा अन्य पीतवस्त्रधारी वातरसन वश के मुनियो के नामोल्लेख से स्पष्ट है कि लोग गृहस्थाश्रम के पश्चात् वनो मे जाकर तपस्या करते थे। उत्तर-वैदिक साहित्य मे इन्ही वैदिक सकेतो को आधार मानकर वानप्रस्थाश्रम को विशेष व्यवस्थाएँ की गयी। वानप्रस्थाश्रम को निवृत्ति मार्ग का द्वार मानकर ही सन्यास-आश्रम का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। ऐसा लगता है हमारे वैदिक महर्षियो ने जीवन के अन्तिम आश्रम मे प्रवेश करने की तैयारी हेतु वानप्रस्थ-आश्रम को उसी प्रकार प्रमुखता दी होगी, जिस तरह गृहस्थाश्रम के प्रवेश से पूर्व ब्रह्मचर्याश्रम को। यही वह आश्रम है जिसमे मानव प्रकृति और ब्रह्म का सम्बन्ध स्थापित करता था। ऋग्वेद-सहिता (१०।१२९।४) से इसी कथन की पुष्टि होती है^२।

(१५) सन्यास संस्कार—

वैदिक सहिताओ मे सन्यास-संस्कार का कही भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अवस्था विशेष द्वारा प्राप्त वैदिक सकेतो के आधार पर ही "सन्यास"-आश्रम की चर्चा परवर्ती साहित्य मे प्राप्त होती है। यजुर्वेद-सहिता (२०।२४) मे सन्यस्त व्यक्ति के अग्निहोत्रादि कर्मपरित्याग एव श्रद्धाव्रतादिपरिपालन के सकेत है, जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उस समय ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के पश्चात् चतुर्थाश्रम किसी न किसी रूप मे प्रचलित था, जहाँ मनुष्य-जीवन का अन्तिम लक्ष्य (मोक्ष) प्राप्त करता था^३।

आधिभौतिक, आधिदैविक एव आध्यात्मिक ये तीन भाव ब्रह्म के हैं, जो ससार की प्रत्येक वस्तु मे और जीव मे दृष्टिगोचर होते हैं। इन तीनों भावों की शुद्धि साधक क्रमशः निष्काम कर्म द्वारा, उपासना एव ज्ञान द्वारा करता है। वस्तुतः यही भाव शुद्धि निवृत्ति की पूर्ण चरितार्थता है। निवृत्तिरूपी साध्य की प्राप्ति के साधन निष्काम-कर्म, उपासना एव ज्ञान का अनुष्ठान माने गये हैं। इन्हीं साधनों का साधक संन्यासी एव उसका विश्रामस्थल सन्यास-आश्रम माना गया है, क्योंकि यही पर

१ भद्रमिच्छन्त ऋषयस्त्विदस्तपोदोशामुपनिषेदुरग्रे । (अथर्व० १९।४।११)

२. सव. बन्धुमसति निरविन्दन् ।

हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥ (ऋ० १०।१२९।४)

३ अस्यादधामि समिधमग्ने व्रतपते त्वयि ।

व्रत च श्रद्धा चोषेमीन्धे त्वा दोक्षितो अहम् ॥ (यजु० २०।२४)

स्थित होकर सन्यासी अपनी सत्ता का विराटस्वरूप उस परमसत्ता में विलीन करता है। जिस योग साधन एव वैराग्य का वानप्रस्थ में आरम्भ होता है, उसकी परिणति सन्यास आश्रम में होती है। अथर्ववेद-संहिता (१०।२।२६) में इसी धात्म परमात्म तत्त्व के मौलिक योग का वर्णन करते हुए कहा गया है^१।

वैदिक-परम्परा के अनुसार मानव अपने जीवन की चतुर्थांशस्था में मोक्षपद पाने हेतु सम्पूर्ण ससार को भगवान् का रूप मानकर निष्काम भाव से जगत् की सेवा में प्रवृत्त होता था। सन्यास आश्रम में मुक्ति पाने का प्रथम सोपान निष्काम-सेवा को माना गया है, जो परमात्मा का “सत्” स्वरूप है। इसी प्रकार उपासना को द्वितीय सोपान कहा गया है, जो परमात्मा का आनन्दस्वरूप है एव ज्ञान को प्रभु का “चित्” स्वरूप माना गया है, जो मुक्ति का अन्तिम एव तृतीय सोपान है।

(१६) अन्त्येष्टि-संस्कार—

वैदिक संहिताओं में मानव-जीवन के पार्थिव शरीर के इस अन्तिम संस्कार का विशद वर्णन उपलब्ध होता है। मरणासन्न व्यक्ति का उद्बोध करते हुए यजुर्वेद-संहिता (४०।१५) में बड़े ही मार्मिक स्वर में कहा गया है—‘हे कर्मशैल जीव! अब ईश्वर का स्मरण करो, अपने किये कर्मों को स्मरण करो। यह शरीर अब भस्मान्त होने वाला है^२’। इसी भस्मान्त होने वाले कथन की पुष्टि में अथर्ववेद संहिता (११।८।३१) में कहा गया है कि “इस स्थूल शरीरधारी जीव की नेत्र शक्ति को सूर्य एव प्राण को वायु पृथक् कर देते हैं। इसके पश्चात् स्थूल शरीर को लाग जला देते हैं^३।

अन्त्येष्टि संस्कारसम्बन्धी क्रिया कलापो का उल्लेख ऋग्वेद-संहिता और अथर्ववेद संहिता में विशेषरूप से मिलता है। अथर्ववेद-संहिता में तो एक पूरा काण्ड ही इस विषय पर प्रकाश डालता है। इस काण्ड के अनुसार मृतक व्यक्ति का शव नगर या गाव के बाहर उसके सम्बन्धी लोग लाते थे। शव के साथ मिर के बाल बिखरायी हुई, रुदन करती हुई स्त्रियाँ भी जाती थी। शवदाह के पश्चात् अस्त व्यस्त

१ मूर्धानमस्य सतीव्याघर्वा हृदय च यत् ।

मस्तिष्काद्भ्रुव प्रैरयत पबमानोधि शोषत ॥ (अथर्व० १०।२।२६)

२ वायुरनिलप्रभृतमधेद भस्मान्त शरीरम् ।

ओम् क्रतो स्मर न्निवे स्मर कृत स्मर ॥ (यजु० ४०।१५)

३ सूर्यश्चभुवति प्राण पुत्पस्य विभेजिरे ।

अघास्येतरमात्मान देवा प्रायच्छन्नमन्ये ॥ (अथर्व० ११।८।३१)

अथर्ववेद संहिता (१८।३।५७) के अनुसार मृतात्मा के घर की स्त्रियों के लिये प्रार्थना की जाती थी कि वे वैधव्यशून्य होकर अच्छी सन्तान को उत्पन्न करने वाली हों^१।

समाधि-पद्धति—

इस पद्धति से मृतक को गाव या नगर के समीपस्थ बाहर एक गड्ढे में, जिसकी लम्बाई चार पग, चौड़ाई तीन पग एवं गहराई नाभि पर्यन्त होती थी, गाड़ दिया जाता था। समाधिस्थ करने से पहले अथर्ववेद-संहिता (१८।२।१९) के अनुसार शव के संरक्षण हेतु भूमि से प्रार्थना की जाती थी कि—“हे भूमि ! तुम प्रसन्न चित्त से इस शव को निवाम हेतु अपनी गोद में शरण दो”। गुजरात प्रान्त के लोथल स्थान पर हुए उत्खनन से ऐसी समाधियाँ मिली हैं, जिनमें दो दो शवों के अस्थि पञ्जर भी मिले हैं। इससे यह अनुमान लगाना युक्तिसंगत प्रतीत होता है कि उस समय पुरुष के साथ स्त्री या स्त्री के शव के साथ पुरुष भी समाधिस्थ होता रहा होगा।

समाधिस्थ मृतक के साथ भोज्य सामग्री भी रखने का विधान मिलता है। शव को गड्ढे में रखने के बाद गड्ढा पाट दिया जाता था। मिट्टी से पाटत समय पृथिवी से प्रार्थना की जाती थी, जैसा कि अथर्ववेद-संहिता (१८।२।५०, १८।२।५१) के मन्त्रों से स्पष्ट है^२।

अस्थिनिष्कात पद्धति—

इस पद्धति में शव को पहले खुले मैदान में रख दिया जाता था, ताकि उसके मांस आदि स कौवे आदि जीव अपनी भूख मिटा सकें। कुछ दिन के बाद मृतक का अस्थि-संग्रह किया जाता था। इस कार्य को मृतक का ज्येष्ठपुत्र ही करता था। अस्थि सचय में सावधानी का बर्णन करते हुए अथर्ववेद-संहिता (१८।३।९) में कहा गया है^३। अस्थिपजर को निष्कात (समाधिस्थ) करने से पूर्व सैकड़ा छिद्र वाले घों के घड़े में महलाये जाने की चर्चा भी अथर्ववेद-संहिता (१८।४।३६) में की गयी है^४।

१ इमा नारोरविधवा मुरस्तीराङ्गनेन सपिपा स स्पृतान्ताम् ।

अनध्रवा अनमीवा सुरला आ र हन्तु जनयो योनिमध्रे ॥ (अथर्व० १८।३।५७)

२ (क) माता पुत्र यथा सिचाम्भेन भू उर्णुहि ॥

(ख) जाया पतिमिव वाससाम्भेन भूम उर्णुहि ॥ (अथर्व० १८।२।५०-५१)

३ प्रच्यवस्व तन्व म भरस्व मा त मात्रा विहायि मो शरीरम् । (अथर्व० १८।३।९)

४ सहस्रधार शतपारमुषितम् ॥ (अथर्व० १८।४।३६)

अस्थिकलश पद्धति—

इम पद्धति से शव के अस्थि समुदाय को एक कलश मे रखकर गाड़ने का संकेत अथर्ववेद-सहिता (१८।४।६४) से प्राप्त होता है, जिसमे कहा गया है कि “हे पितृगण ! आपके जिस अंग (अस्थि) को अग्नि ने छोड़ दिया है, उसो को मैं पुन. आप्यायित करता हूँ, आप अपने सम्पूर्ण अंगो के साथ अमरलोक में मुदित हो” । इस अस्थि-सन्वयन को परवर्ती साहित्यकारो ने “पिण्डपितृयज्ञ” भी कहा है । अथर्ववेद सहिता (१८।३।१३) मे इस कार्य को “प्राजापत्यमेध्य” कहा गया है, जिसको आचार्य सायण ने “पितृमेधाश्च” के रूप मे व्याख्या की है ।

उपर्युक्त तथ्यो के आधार पर कहा जा सकता है कि वैदिक-सहिताकाल में अन्त्येष्टि-संस्कार अपनी विभिन्न विधियो के साथ प्रचलित था ।

परिशोदन—

वैदिक वाङ्मय मे षोडश-संस्कारो की बड़ी महिमा बताई गयी है । आकस्मिकता किसी भी विचार का आधार नहीं हो सकती । प्रकृति के राज्य मे आकस्मिकता (चान्स) का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ज्ञान और आकस्मिकता एक साथ रह ही नहीं सकते । बिना कारण के कार्य नहीं होता, इतना ही नहीं; अपितु उत्तम का आश्रय लेन पर उत्तम कार्य होने की पूर्ण आशा रहती है । शिल्प-कला की सहायता से जिस प्रकार अत्युत्तम सामग्री तैयार होती है, ठीक उसी प्रकार उत्तम संस्कारो द्वारा उत्तम-विभूतिसम्पन्न नर-नारो तैयार हो सकते हैं, ऐसा सहिताकालीन समाज का विश्वास रहा है । षोडश-संस्कारो से सम्पन्न व्यक्ति षोडश-कलापूर्ण चन्द्र की तरह आह्लादकारो बनकर अन्त मे ब्रह्मत्व प्राप्त करने में सक्षम हाता है^१ । वेदोक्त शरीर का संस्कार करना चाहिए, क्योंकि यह संस्कार इहलोक तथा परलोक मे भी हितकारी है^२ ।

वेद-सम्मत इन संस्कारो से दोषमार्जन, अतिशयाधान और हीनाङ्गपूर्ति उसी प्रकार हाती है, जिस प्रकार मलिन प्राकृतिक वस्तु (लोहादि) की । तलवार बनाने

१ यद् वा अग्नि रजहादेकमङ्ग पितृलोक गमय जातवेदशः ।

तद् एतस्मिन् राप्यायामि साङ्गा स्वर्गे पितरो मादयध्वम् ॥ (अथर्व० १८।४।६४)

२ चित्र क्रमाद् यथानैकरङ्गैश्चामीत्यतै शनै ।

ब्राह्मण्यमपि तद्वत्स्यात् संस्कारा विविधैर्बुधैः ॥

३ वैदिकैः क्रमात् । पुर्यैनिपेकादिद्विजन्मनाम् ।

कार्यं शरीरसंस्कार पावन प्रेत्य चेह च ॥ (मनु० अध्याय-२)

हेतु मलिन लोहे की सफाई "दोपमार्जन" होता है, उसे आग में तपाकर इस्पात बनाना "अतिशयाधान" है और अन्त में उसे जड़ना या उसकी मूँठ आदि बनाना "हीनाङ्गपूर्ति" है।

नारी के लिये इन सस्कारों की इसलिये भी विशेष आवश्यकता है, क्योंकि नारी उस खान के समान है, जो सुसंस्कृत (शुद्ध) होने पर अपनी उदरस्थ सम्पूर्ण सन्तति को सस्वारयुक्त बनाने की क्षमता रखती है।

भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक आदि अनेक उपयोगिताओं से अलङ्कृत इन सस्कारों को न करने से व्यक्ति सस्कारहीन होकर देश, जाति एवं समाज को हानि पहुँचाने लगता है।



१ सकृच्च सस्कृता नारी सर्वगर्भेषु सस्कृता ।

य य गर्भं प्रमूयेत् स सब सस्कृतो भवेत् ॥ (निवाकरा-१।११)

चतुर्थ अध्याय

नारी एवं मन्त्र-दर्शन—

भारतीय सभ्यता का सर्वोत्कृष्ट प्राचीनतम काल वैदिक-संहिताकाल माना गया है। इस काल को यदि सम्पूर्ण ससार की सभ्यता का श्रेष्ठतम युग कहा जाये, तो अत्युक्ति न होगी। इस युग में हमारे पूर्वजों ने जीवन के उच्च आदर्शों तथा परमात्मा एवं समाज विषयक अनेक महान् कल्पनाओं को जन्म दिया। हमारे पूर्वजों की मान्यता रही है कि जिस प्रकार प्रकृति के बिना पुरुष (परमात्मा) का कार्य अपूर्ण रहता है, ठीक उसी प्रकार नारी के बिना नर का जीवन भी अधूरा है। संहिता काल में इसी तथ्य को अच्छी तरह समझकर सामाजिक व्यवस्था की गयी थी। हमारे ऋषि महर्षियों को इसका पूरा ध्यान था कि जीवन-रूपी गाड़ी के दो चक्र हैं—एक नारी और दूसरा नर। इन दोनों चक्रों की बराबरी ही जीवन-रूपी गाड़ी को सतत् गतिशील रख सकती है। इसलिए वैदिक-संहिताकाल में नारी को पुरुष की अर्द्धाङ्गिनी कहा गया है (शतपथ ब्राह्मण में तो यहाँ तक कहा गया है कि “नारी नर की आत्मा का आधा भाग है”) नारी को उपलब्धि के बिना नर का जीवन अधूरा है। इस अधूरेपन को दूर करने के लिए सन्तति की आवश्यकता पड़ती है, जिसका एकमात्र साधन पत्नी है”। इस कथन के गर्भ में समाजशास्त्र का मूलभूत सिद्धान्त निहित है कि नर एवं नारी का पारस्परिक आकर्षण ही सन्तति-जनन द्वारा परिवार का सूत्रपात करता है। यही परिवार आगे चलकर समाज की इकाई बन जाता है।

वैदिक-संहिताओं के साहित्य का आलोचन एवं आलोचन करने से पता चलता है कि उस समय समाज में नारी का एक महत्त्वपूर्ण स्थान था। अपने इस महत्त्वपूर्ण पद के निर्वाह हेतु नारी को तीन प्रमुख पारिवारिक कार्य करने पड़ते थे, जो मातृ एवं सहचरी के रूप में सम्पन्न होत थे। इन कार्यों के अतिरिक्त नारी को पूण अधिकार था कि वह आत्म-विकास के पथ में अग्रसर होकर सांस्कृतिक विकास के माध्यम से समाज की सेवा में अपना सहयोग प्रदान करे।

नारी को नर की अर्द्धाङ्गिनी स्वीकार करने में वैदिक समाज-शास्त्रियों का बड़ा ही पवित्र उद्देश्य रहा होगा कि वही पुरुष अपने को नारी से श्रेष्ठ न मान ले। पुरुष को जब तक इस समता और ममता का ध्यान बना रहा, तब तक उसने कभी भी नारी को हीनभावना से नहीं देखा। पुरुष और स्त्री में जिस अधिकृता एवं अधिकृत भाव का आज के समाज में दर्शन होता है, उसकी कल्पना भी वैदिक-

सहिताओं के युग में किसी ने कभी नहीं की होगी। उस समय का समाज तो पुरुष और स्त्री को पारिवारिक जीवन के दो पहलू मानता था। इन दोनों में यदि कोई भी पहलू कमजोर होता था, तो जीवन दुःखमय हो जाता था। आन्तरिक एव बाह्य जीवन की रेखाएँ सहिताकाल में पुरुष और नारी के लिये बाधक न होकर एक दूसरे की साधक रही हैं। यही मुख्य कारण है कि उस समय नारी भी नर के समान जीवन के हर क्षेत्र में अपनी ज्येष्ठता एव श्रेष्ठता सिद्ध करने में सफल रही है।

नारी-समाज को वेदमन्त्रों के अध्ययन से विरत रखने वाला आज का पण्डित चाहे जो तर्क दे, परन्तु वैदिक-युग पुकार-पुकार कर कह रहा है—“वेद पढ़ने का स्त्री को समान अधिकार है”। वेद के अध्ययन हेतु उपनयन (यज्ञोपवीत) के अधिकार से भी नारी वंचित नहीं थी। नारी को यज्ञोपवीत के अधिकार के साथ ही साथ यज्ञ करने और कराने का भी अधिकार रहा है^१। इस मन्त्र में “योपितः” शब्द का विशेषण “यज्ञिया” है, जिसका सीधा अर्थ है—यज्ञ की सभी विधियों का ज्ञाता यज्ञाधिकारी। क्या वेद के मन्त्रों के सम्यक् अध्ययन के बिना कोई भी पुरुष या स्त्री वैदिक कर्मकाण्ड कराने में निष्णात हो सकता है? उत्तर स्पष्ट है कि कभी नहीं। इस प्रकार यह सुतरा सिद्ध है कि वैदिक-सहिताओं के अध्ययन-अध्यापन का द्वार सभी के लिये खुला था। सम्पूर्ण विश्व को आर्य बनाने की कल्पना^२ करने वालों के हृदय में सकीर्णता एव भेदभाव की भावना की कल्पना करना सचमुच उन वैदिक नर-नारी (मन्त्र-द्रष्टाओं) समाज का तिरस्कार करना है।

मन्त्रद्रष्टृ नारियाँ^३—(अकारादि क्रम से)

नाम	वृष्ट मन्त्र और संख्या		मन्त्रों में नाम
१—अगस्त्य-स्वसा	ऋग्वेद १०।६०।६	एक	×
२—अदिति	,, १०।७२।१-२	दो	४, ५, ८, ९

१ देवा एतस्यामवदन्त पूर्वे मत्तऋषयस्तगसे ये निपेदुः ।

भीमा जाया ब्राह्मणस्वोपनीता दुर्गा ददाति परमे व्योमन् ॥ (ऋ० १०।१०९।४)

२ शुद्ध पूता योपितो यज्ञिया इमा ब्रह्मणा हस्तेषु प्र पृथक् सादयामि ।

यत्काम इदमभिधिचामि वाऽह्मिन्द्रो मरुत्वान्त्स ददातु तन्मे ॥ (अथर्व० ६।१२२।५)

३ इन्द्र वर्धन्तो अमुर कृण्वन्तो विश्वमाप्यन् ॥

अपघ्नन्तो रावण ॥ (ऋ० ९।६३।५)

४ ऋग्वेद, मण्डल—१, सूक्त १२६ और १७९ । ऋ० मं० ५, सू० २८, ऋ० मं० ८, सू० १ और ९१, ऋ० मं० ९, सू० ८६, ऋ० मं० १०, सू० १०, २८, ३९, ४०, ६०, ७२, ८५, ८६, ९५, १०८, १०९, १२५, १२७, १३४, १४५, १५१, १५३, १५४, १५९, १८९ ।

३—अपाला	ऋग्वेद ८।९।११-७	सात	७
४—इन्द्राणी	" १०।१४।१-६	छ	×
"	" १०।८६।१-२३	तेईस	११, १२
५—इन्द्र मातर	" १०।१५३।१-५	पाँच	×
६—इन्द्र-स्तुपा	" १०।२८।१	एक	×
७—उर्वशी	" १०।९५।२, ४ ५, ७, ११, १३, १५, १६, १८	नौ	१०, १७
८—कुशिका-रात्रिः	" १०।१२७।१-८	आठ	१, ८
९—गोघा	" १०।१३४।६-७	दो	×
१०—घोषा-काक्षीवती	" १०।३९।१-१४	चौदह	
"	" १०।४०।१-१४	चौदह	५
११—जूहू	" १०।१०८।१-७	सात	५
१२—दक्षिणा-प्रजापत्या	" १०।१०७।१-११	ग्यारह	१
१३—यमौ	" १०।१५४।१-५	पाँच	×
१४—यमौ-वैवस्वती	" १०।१०।१, ३, ६, ७ ७, ११, १३	छ	७, ९, १४
१५—रोमशा कक्षीवान् (ब्रह्मवादिनी)	" १।१२६।१-७	सात	७
१६—लोपामुद्रा	" १।१७९।१-६	छ.	४
१७—वाक्-आम्भृणी	" १०।२२५।१-८	आठ	×
१८—विश्वामारात्रेयो	" ५।२८।१-६	छ	१
१९—शची-पौलोमी	" १०।१५९।१-६	छ.	×
२०—श्रद्धा कामायनी	" १०।१५१।१-५	पाँच	१, २, ३, ४, ५
२१—शश्वती आगिरसी	" ८।१।१-३४	चौतीस	३४
२२—सरमा-देवशुतो	" १०।१०८।२, ४, ६, ८, १०, ११	छ.	१, ५, ७, ९
२३—सूर्या-सावित्री	" १०।८५।१-४७	सैंतालीस	६, ७, ८, ९, १०, १२, १३, १४, १५, १७, ३४, ३५
२४—सार्पराज्ञी	" १०।१८९।१-३	तीन	
२५—सिकता-निवावरी	" ९।८६।११-२०	दस	×

प्रमुख मन्त्रद्रष्टा नारियो का जीवनवृत्त

(१) अदिति

मन्त्र-दर्शन—

ऋग्वेद-सहिता में “अदिति” की सर्वाधिक चर्चा है। मन्त्रदर्शी नारियो में अदिति ही एक ऐसी नारी है, जिसका लगभग ऋग्वेद में ८० बार नामोल्लेख हुआ है। ऋग्वेद चतुर्थ-मण्डल के अठारहवें सूक्त की पाँचवी, छठी एवं सातवी ऋचाएँ अदिति द्वारा साक्षात्कृत हैं। यह अदिति इन्द्र की माता के रूप में भी विख्यात है। अदिति एक मन्त्रद्रष्टा नारी है, जिसने अपनी तपश्चर्या के प्रभाव से ऋग्वेद के दशम मण्डल के बृहत्तरवे सूक्त के सम्पूर्ण नौ मन्त्रों का साक्षात्कार किया। इस सूक्त के चतुर्थ, पंचम, अष्टम तथा नवम मन्त्र में “अदिति” नाम का भी उल्लेख है^१। इस सूक्त की ऋषि होने के कारण इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं कि इस सूक्त के मन्त्रों की द्रष्टा “अदिति” स्वयं है।

अदिति द्वारा दृष्ट ऋग्वेद के चतुर्थ मण्डल के १८वें सूक्त के मन्त्रों से इन्द्र द्वारा बद्ध किये गये वृत्तासुर की अवाञ्छनीय गतिविधियों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इन्द्र ने जन-कल्याण हेतु वृत्र-नामक दैत्य द्वारा रोकी गयी नदियों को प्रवाहित किया और जन-द्वेषी वृत्रासुर को सदा के लिए समाप्त कर दिया। दशम मण्डल के बृहत्तरवे सूक्त में देवताओं की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है और अदिति द्वारा सात पुत्रों के साथ द्युलोकगमन की चर्चा है। आठवें पुत्र सूर्य को आकाश में ही स्थिर रखने का औचित्य प्रतिपादित है।

जीवन-वृत्त—

“अदिति” महर्षि कश्यप की धर्मपत्नी तथा देवताओं की माता है। महर्षि कश्यप ने तत्कालीन सामाजिक प्रथा के अनुसार दो विवाह किये थे। द्वितीय पत्नी का नाम “दिति” था। अदिति की इस सौत (दिति) के गर्भ से दैत्यों का जन्म हुआ, जो आगे चलकर समाज के लिए बड़े ही सन्तापी सिद्ध हुए। यहाँ तक वे आगे बढ़ गये कि उन्होंने (प्रह्लाद के पौत्र एवं विरोचन के पुत्र राजा बलि ने) अपने पीरूप से देवताओं को स्वर्ग से निकालकर अमरावती पर भी अधिकार कर लिया। अपने पुत्र की इस दुर्दशा ने “अदिति” को शोकाकुल कर दिया। अपने मन-क्लेश को

१ एता अप-स्थललाभवन्तीऋतावरोरिव सङ्कीशमाना ।

एता वि पूच्छि किमिदं भवन्ति कमापो अत्रि परिधि रजन्ति ॥ (ऋ० ४।१८।६)

२. सप्तभिः पुत्रैरदितिरुप प्रैत्पूष्यं मुग्धम् ।

प्रजायै मृत्युव त्वत्पुमर्मातिण्डमाभरत् ॥ (ऋ० १०।७२।९)

समाप्ति हेतु अदिति ने अपने पति कश्यप का स्मरण किया और इस दुःख-विमोचन का कारण जानने की अभिलाषा व्यक्त की। भगवान् कश्यप ने देवमाता अदिति को पयोव्रत का उद्यापन कर विष्णु की उपासना करने का आदेश दिया। अदिति की तपस्या से विष्णु भगवान् प्रसन्न हो गये और उन्होंने दैत्यों के दर्प-दलन हेतु “अदिति” के गर्भ में प्रवेश किया।

वामनावतारी विष्णु ने अपने यज्ञोपवीत-संस्कार के समय दैत्यराज बलि से भिक्षा की याचना की। दानी बलि ने वामन-रूपधारी भगवान् विष्णु को स्वेच्छा-पूर्वक मागो गयो तीन कदम भूमि देने की स्वीकृति दे दी। स्वीकृति मिलते ही भगवान् वामन से विशाल हो गये और अपने प्रथम चरण से सम्पूर्ण भूमि को आत्मसात् कर लिया और द्वितीय चरण से सूर्य-चन्द्र-नक्षत्रों सहित नभ को नाप लिया। बलि समझ गया कि भगवान् ने मुझे छल लिया है, अतः उसने तृतीय चरण को अपने सिर पर रखवा लिया और स्वयं पाताल चला गया। सच्चे दानी ने अपने वचन का पालन किया और इधर भगवान् ने भी “अदिति” माता के वचन का संरक्षण करते हुए देवताओं को स्वर्ग का राज्य वापस दिला दिया।

कहा गया है कि एक बार वामदेव ऋषि ने अपनी माता का अपमान कर दिया, फलतः वह अदिति और इन्द्र के पास चली आयी। नारी के अपमान को न सह सकने वाली अदिति ने ऋग्वेद के चतुर्थ मण्डल के १८वें सूक्त के छठें मन्त्र के माध्यम से वामदेव को फटकारते हुए कहा—“हे विज्ञ ! ये जलवती नदियाँ हर्ष-सूचक कल-कल शब्द करती हुई चली जाती हैं। हे ऋषि ! उनसे पूछो ये क्या कहती हैं ?” अदिति का आशय स्पष्ट है कि समाज में उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति वृनासुर की तरह दण्डनीय है। वृनासुर ने नदियों का मार्ग अवरोध करके पाप किया था और तुम भी अपनी पूजनीया माता को कष्ट पहुँचाकर समाज के सन्मार्ग को दूषित कर रहे हो।

अदिति की अनेक व्याख्याएँ—

अदिति की वैदिक-सहिताओं में अनेक व्याख्याएँ की गयी हैं। ऋग्वेद के दसवें मण्डल के १०० सूक्त के प्रथम मन्त्र में अदिति को “सर्वंतातिम्”^१ अर्थात् सर्व-ग्राहिणी कहा गया है। अदिति शब्द का वास्तविक अर्थ ही है—सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र, बन्धनमुक्त अर्थात् स्वाधीन। ऋग्वेद के सप्तम मण्डल के दसवें सूक्त के चौथे मन्त्र में

१. ऋ० ४।१।८।६।

२ इन्द्र दृष्ट मद्यवन्त्वावदिदमुज इह स्तुत सुतया वोषि नो वृषे।

देवेभिर्नः सविता प्रावतु श्रुतमा सर्वंतातिमदिति वृणीमहे ॥ (ऋ० १०।१००।१)

अदिति को "विश्वजन्या"^१ अर्थात् विश्वहितैषिणो के नाम से पुकारा गया है। ऋग्वेद के पञ्चम मण्डल के चौथे सूक्त के ६वें मन्त्र में अदिति को "उरुव्यचा" अर्थात् अतिविस्तीर्णा माना गया है। ऋग्वेद के मण्डल १, सूक्त १३६, मन्त्र ३ में अदिति को "ज्योतिष्मतो"^२ अर्थात् प्रकाशमती स्वीकार किया गया है। ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल के २७वें सूक्त के ७वें मन्त्र में अदिति को "राजपुत्रा"^३ अर्थात् ऐसी माता के रूप में प्रतिपादित किया गया है, जिसके सभी पुत्र राजा ही हों। अदिति को आकाश, अन्तरिक्ष, माता, पिता, पुत्र और समस्त देवभय माना गया है। ऋग्वेद (१।८९।१०) में अदिति को जन्म और जन्म का कारण माना गया है। पापो से बचाने वाली देवी के रूप में अदिति का वर्णन वैदिक संहिताओं में बहुधा उपलब्ध है। ऋग्वेद के १०वें मण्डल के ३६वें सूक्त के तीसरे मन्त्र में प्रार्थना की गयी है कि हमें मित्र और वरुण की माता अदिति पापो से सुरक्षित करें। दक्ष की पुत्री (ऋ० १०।७२।५) के रूप में भी अदिति का वर्णन किया गया है। अदिति को (ऋ० ७।८२।१०) "यज्ञवद्विका"^४ के रूप में भी वर्णित किया गया है।

शतपथब्राह्मण (१०।६।५।५) में "सर्वं वा अस्तीति तददितेरदितित्वम्" कहकर सर्वभक्षी अर्थात् अग्नि के रूप में अदिति का प्रतिपादन किया गया है। अदिति को पृथ्वी के रूप में (श० ब्रा० १।१।४।५, २।२।१।२९) वर्णित किया गया है। गौ के रूप में (श० ब्रा० २।३।४।३।४), एव वाग् (वाणी) के रूप में (श० ब्रा० ६।५।२।२०) दिखाया गया है।

अदिति की व्यापकता—

अदिति की व्यापकता के सम्बन्ध में ऋग्वेद की ऋचा (१।८९।१०) में कहा गया है कि 'अदिति वैदिक-दर्शन के सम्पूर्ण सत्त्वों का एक पर्याय है'। वैदिक दर्शन में सात सप्तक हैं, जो सभी "अदिति" के नाम से जाने जाते हैं। इससे स्पष्ट

१ इन्द्र नो अग्ने वसुभि सजोषा रुद्र रडेभिरा बहा बृहन्तम् ।

अदित्येभिरदिति विश्वजन्या बृहस्पतिमृन्वभिर्विश्ववारम् ॥ (ऋ० ७।१०।४)

२ ज्योतिष्मतोमदिति धारयत्किंति स्ववतीमासचेते दिव दिवे जागृवामा दिवे दिवे ।

ज्योतिष्मत्क्षत्रमाशाते आदित्या दानुनस्पती मित्रस्तयोर्वरुणो दास्यञ्जनोयमा यातयञ्जन ॥

(ऋ० १।१३६।३)

३ पिपतुं नो अदिति राजपुत्राणि द्वेषास्ययमा सुगभि ।

बृहन्मित्रस्य वरुणस्य शर्मोप स्याम पुरुवीरा अनिष्ठा- ॥ (ऋ० २।२७।७)

४ अस्मे इन्द्रो वरुणे मित्रो अयंमा चुम्न यच्छन्तु महि शर्म सप्रथ ।

अवघ्न ज्योतिरदितेऋतावृधो देवस्य श्लोक सधितुमनामहे ॥ (ऋ० ७।८२।१०)

है कि अदिति प्रत्येक वैदिक सप्तक का नाम है। प्रत्येक सप्तक मे विकसित होने वाला सत्त्व "अदितेभंवः आदित्य-" कहा जाता है। अदिति की अपनी इस महनीयता के कारण ही उसे अखण्डनीया, अदीना आदि विशेषणो से विभूषित किया गया है। ऋग्वेद (१।८९।१०) मे अदिति के महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है^१ कि "आकाश, अन्तरिक्ष, माता, पिता, पुत्र, सम्पूर्ण देवता, सभी जातियां अर्थात् जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है और भविष्य मे उत्पन्न होगा, वह सभी अदिति का ही रूप है"। इस मन्त्र मे "द्यौ" ब्रह्म का सूचक है और इसके अतिरिक्त अन्तरिक्ष को प्रथम, माता को द्वितीय, पिता को तृतीय, पुत्र को चतुर्थ, सम्पूर्ण देवताओ को पंचम, उत्पन्न प्राणियों को षष्ठ तथा जनिष्यमाण जीवाश को सप्तम सप्तक मानकर सर्वत्र "अदिति" के प्रभुत्व की स्थापना की गयी है।

गो-रूप अदिति का सम्बन्ध आदिरयो से स्थापित करते हुए ऋग्वेद मे ८वें मण्डल के १०१वें सूक्त के १५वें मन्त्र^२ मे बड़ी ही मनोरमता का परिचय दिया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि "अदिति" का कितना बड़ा परिवार है। गो (पृश्निः) की तरह अदिति भी अनागा एव कल्याणकारिणी मानी गयी है। इसलिये वैदिक-सहिताओ मे अदितिरूपी गो को बन्धन, बध, सयमन एव दमन आदि से मुक्त रखने की कामना की गयी है। आगे चलकर अथर्ववेद (८।९।२१) मे^३ अष्ट-पुत्रा अदिति का वर्णन किया गया है। आठ सन्तति मे अन्तिम रात्रि है।

"अदिति" की व्यापकता, उदारता एव महानता से प्रभावित होकर महर्षि अजीगर्त के पुत्र शुन शेष ऋषि, अदिति के दर्शनार्थ ऋग्वेद (१।२४।१) मे^४ अपनी व्यग्रता व्यक्त करते हैं। अदिति से उत्पन्न होने के कारण सभी देवताओ को बन्दनीय एवं नमस्करणीय माना गया है। ऋग्वेद (१०।६३।२) मे ऋषि ग्लान ने कहा है^५ कि अदिति सभी के लिये मधुर रस प्रवाहित करती है और सभी के लिये मंगलमय

१ अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्र ।

विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनिष्वम् ॥ (ऋ० १।८९।१०)

२ माता द्यावा दुहिता वसूता स्वसादित्यानाममृतस्य नाभि ।

प्र नु बोच चिक्वितुपे जनाय मा गामनागामदिति वषिष्ठ ॥ (ऋ० ८।१०।१।१५)

३ अष्ट जाता भूता प्रथमजर्तस्याष्टेन्द्रत्वजो दिव्या ये ।

अष्टयोनिरदितिरष्टपुत्राष्टमी रात्रिमभि ह्वयमति ॥ (अथर्व० ८।९।२१)

४ कस्य नून कठमस्यामृताना मनामहे चारु देवस्य नाम ।

को नो मह्या अदितये पुनर्दात् पितर च द्वाय मातर च ॥ (ऋ० १।२४।१)

५ विश्वा हि वो नमस्यानि बन्धा नामानि देवा उत यज्ञियानि च ।

ये स्य जाता अदितेरदम्यस्परि ये पृथिव्यास्ते म इह श्रुता हवम् ॥ (ऋ० १०।६३।२)

मार्ग का सृजन करती है। देवताओं को व्यापक सम्राज तत्त्व अदिति के कारण ही उपलब्ध है, जिनके कारण देवता अजर और अमर बने हुए हैं^१। ऋग्वेद के दशम मण्डल के इस ६३ वे सूक्त के १० वे मन्त्र में अदिति को एक सुन्दर नौका का नाम दिया गया है। मगलमयी, सुखदायिनी, सुप्रणीत इस नौका को दुखों से बचाने वाली कहा गया है। इस नौका की यह विशेषता है कि इसकी पतवारे इसी नौका में लगी हुई हैं। यह अदितिरूपी नौका बड़ी ही निरपद मानी गयी है, क्योंकि इसमें कभी भी छिद्र होने की आशंका नहीं है। छिद्राभाव में इस नौका में कभी बाहरी जल नहीं भर सकता, जिसके कारण उसके डूबने का भय ही। यही कारण है कि महर्षि ने कत्याण चाहने वालों को इस नौका में आरूढ होने का आह्वान करते हुए कहा है—“हम सब आकाशरूपवाली मङ्गलमयी नौका पर सवार होकर देवत्व को प्राप्त करें। इस नाव पर बैठने से किसी प्रकार की अरक्षा की शंका नहीं हो सकती। इस नौका की यात्रा बड़ी आनन्दवधक है। न नष्ट होने वाली यह नौका बड़ी ही विशाल है, सुदृढ़ है एवं श्रेष्ठकर्म की प्रतिपादिका है। निर्दोष यह नौका अपनी निष्कलकता के कारण आरूढ होने वालों को निर्बाध गति से उम परम लक्ष्य तक पहुँचाने में सक्षम है। इस नौका के रूपक से भव सागरतारिणी “अदिति” का यशोगान किया गया है^२।

अदिति-विश्वेदेवता के रूप में—

“अदिति” अपने अत्यधिक महत्त्व के कारण सर्वदेवता तथा विश्वेदेवता का स्थान ले लेती है। यही कारण है विश्वेदेवताओं के बड़े बड़े सूक्तों में प्रायः कुछ न कुछ अदिति का वर्णन अवश्य पाया जाता है। अथर्ववेद (७।२।६४) में^३ अदिति के गुणों का प्रतिपादन करते हुए उसे ऋत् की पत्नी और सूक्तों की माता कहा गया है। सोम की उत्पत्ति अदिति के उपस्य (गोद) से ही मानी गयी है। इस अदिति को “दक्ष” की माता भी कहा गया है। दक्ष की माता होने के कारण ही अदिति को “दाक्षायणी”

१ सम्राजो ये सुब्रुवो यज्ञमग्ययुरपरिह्वृता दधिर दिवि क्षयम् ।

ता आ विवाव नभसा सुवृन्निभिमहो आदित्या अदिति स्वस्त्य ॥ (ऋ० १०।६।३)

२ सुत्रामाण पृथिवी चामनेहस सुशर्माणमदिति सुप्रणीतिम् ।

दैवी नाव स्वरिजामनागसो अस्ववन्तीमारुहमा स्वस्त्य ॥ (ऋ० १०।६३।१०)

३ महीमूषु मातर सुत्रतानामृतस्य पत्नीमवसे हवामह ।

तुविक्षत्रामजरन्तोमुर्क्षी सुशर्माणमदिति सुप्रणीतिम् ॥

वाजस्य तु प्रसव मातर महीमदिति नाम वचसा करामहे ।

यस्या उपस्य उवन्तरिक्ष सा न क्षम त्रिवरुच्य नियच्छात ॥ (अथर्व० ७।२।६४)

अर्थात् दक्ष की जननी कहा गया है। दक्ष द्वादशादित्यो में पञ्चम आदित्य माने गये हैं; दक्ष के जन्म के सम्बन्ध में अनेक कथाएँ प्रचलित हैं। ऋग्वेद (१०।७२।४) के अनुसार "अदितेर्दक्षो अजायत्" अर्थात् अदिति से दक्ष की उत्पत्ति हुई। देवजन्म के विषय में अनेक भ्रान्तियाँ भी कभी कभी वैदिक साहित्य में दृष्टिगोचर होती हैं। यही कारण है कि वही-वही 'दक्षाददितिः परि' अर्थात् दक्ष से अदिति का भी जन्म माना है। अस्तु, समयानुसार जन्य-जनकभाव देवधर्म में बदलता भी रहता है। अर्थात् आज का जनक किसी दूसरे काल में जन्य भी हो सकता है। हमारे विचार से यह बात अदिति के सम्बन्ध में चरितार्थ नहीं होती, क्योंकि अदिति को सभी वैदिक-दर्शनों की आधारशिला माना गया है। अदिति की गोद से दक्ष के जन्म के विषय में ऋग्वेद (१०।५।७) में स्पष्ट घोषणा की गयी है^१।

अदिति के दो स्वरूपों का वर्णन ऋग्वेद (८।१।८।६) में किया गया है। प्रथम स्वरूप को दिन (पूर्वाह्न) एवं द्वितीय स्वरूप को रात्रि (उत्तराह्न) माना गया है। उत्तराह्न वाली अदिति को पशुमति अर्थात् भौतिकी कहा गया है। अदिति से दिन और रात में अपने पशुओं की रक्षा हेतु प्रार्थना की गयी है और साधक को अपने विस्तृत साधनों से पापमुक्त करने की प्रार्थना की गयी है^२।

अदिति और दिति—

"अदिति" और "दिति" दोनों को कश्यप की पुत्रियाँ भी कहा गया है। अदिति को देवताओं की एवं दिति को दैत्यों की माता माना गया है। अदिति को पूर्ण वैदिक-दर्शन स्वीकार किया गया है। वैदिक दर्शन के दो भाग हैं—(१) उत्तरायण (पूर्वाह्न), (२) दक्षिणायन (उत्तराह्न)। यद्यपि दोनों भागों में अदिति को अदीना, अक्षण्डनीया तथा व्यापिका माना गया है, तथापि उत्तराह्न भौतिकी प्रभाव के कारण दिति का सूचक है, जिसे क्षण्डित एवं सीमित भी माना गया है। ऋग्वेद में अदिति का नाम जहाँ लगभग ८० बार आया है, वही दिति के नाम की चर्चा ३ से अधिक बार नहीं हुई है। यदि इसी को कारण मान लिया जाय, तो दिति का वैदिक-वाङ्मय में स्थान-निर्धारण बड़ी ही सरलता एवं संशयहीनता से किया जा सकता है। ऋग्वेद (४।२।११) में कहा गया है^३—“जैसे अश्व-पालक अपने घोड़े के बसे हुए साज

१. असृच्च सृच्च परमे व्योमन् दक्षस्य जन्मनदितेः पश्ये । (ऋ० १०।५।७)

२. अदितिर्नो दिवा पशुमदितिर्नक्तमद्रया ।

अदिति पात्यहस्य सदावृषा ॥ (ऋ० ८।१।८।६)

३. चित्तिमर्चिति चिनवद्धि विद्वान्पृष्टेव वीता वृजिना च मर्तान् ।

रापे च न. स्वपत्याय देव दिति च रास्वादितिर्मुह्ये ॥ (ऋ० ४।२।११)

को अलग कर देता है, वैसे ही अग्निदेव पाप-पुण्य को अलग कर देते हैं। हे देव ! हमको सुन्दर पुत्र से युक्त धन प्रदान करो और दिति, अदिति को धन देकर उनका पालन करो” । ऋग्वेद (५।६२।८) में कहा गया है—“हे मित्र वरुण ! आप प्रातः उप-काल में सूर्योदय के समय यज्ञ में आगमन करते समय सुवर्णमय रथ पर आरूढ़ होकर अखण्ड भूमि एवं गतं, अदिति एवं दिति को देखो” । ऋग्वेद (७।१५।१२) में कहा गया है कि—‘ हे अग्ने ! पुत्र पौत्रादि से युक्त धन हमें प्रदान करें । इसके साथ ही साथ सविता एवं अदिति भी हमें धन दे’ ।

विमर्श—

ऋग्वेद (५।६२।८) में गतं, अदिति और दिति, तीनों शब्दों का एक साथ प्रयोग किया गया है। यहाँ गतं से तात्पर्य एक ऐसी उच्च स्थली से है, जहाँ से पूर्वार्द्ध (अदिति) एवं उत्तरार्द्ध (दिति) दोनों तत्वों का अन्तर स्पष्ट प्रतीत होता है। “गतं” आध्यात्मिकता का सर्वोत्तम विकास है। इस विकासस्थल से उत्तरार्द्ध की ओर अर्थात् “दिति” की ओर बढ़ने से पतन का आरम्भ हो जाता है।

ऋग्वेद (४।२।११) में प्रार्थना की गयी है—“हे देव ! हमारी सन्तति की रक्षा तथा ब्रह्मप्राप्ति हेतु ‘दिति’ (भौतिकता) को हमसे दूर करे और उसके स्थान पर हमारे कल्याण हेतु “अदिति” (आध्यात्मिकता) को स्वीकार कोजिए।

ऋग्वेद (७।१५।१२) में दिति के दानकर्म की प्रशंसा की गयी है कि हे अग्नि-देव ! तुम सविता और मन देवता सर्वशक्तिशाली यशस्वी बीज को देते हो, परन्तु दिति उस बीज को पनपाने हेतु जल देकर सम्पूर्ण विश्व को आवृत्त कर लेती है।

अथर्ववेद (७।७।१) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दिति के पुत्रों की रचना भी अदिति से ही हुई है, जिनका जन्मस्थान आसुरी सागर या भौतिकी समुद्र है, जो चतुर्थ सप्तक माना गया है। इनके आगे झुके बिना कोई नहीं रह सकता^१। अदिति का वास्तविक स्वरूप शब्दब्रह्म का है। इस सम्बन्ध में बृहदारण्यक-उपनिषद् में^४ कहा

१ हिरण्यरूपमुघसो व्युष्टावय स्थुणमुदिता सूर्यस्य ।

आरोहियो वरुण मित्र गर्तमतश्चक्ष्माथे अदिति दिति च ॥ (ऋ० ५।६२।८)

२. त्वमग्ने वीरवक्षसो देवश्च सविता भग ।

दितिश्च दाति वायम् ॥ (ऋ० ७।१५।१२)

३ दिते. पुषाणामदितेरेकारिषमव देवाना बृहतामनर्गणाम् ।

तेषा हि धाम गभिषक्समुद्रिय नैनान् नभसा परा अस्ति नश्चन ॥ (ऋ० ७।७।१)

४ स ऐक्षत यदि वा इममभिर्मरये कनीयोऽन्नं वरिष्य इति । स तथा वाचा तेनात्मनेद सर्वम-सृजत यदिद रिश्च ऋचो यजूषि क्षामानि ऋग्दासि यज्ञान् प्रजा पशून्तम यद्यदशेवासृजत, उत्तदत्तुमधियत । सर्वं वा अत्तोति तददितेरदितित्व वेद । (बृहदारण्यक-३० १।२।५)

गया है कि वाग्रूपिणी अदिति की कृपा से ही सम्पूर्ण शब्दमयी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, इसमें लेशमात्र सन्देह नहीं है। अदिति ही निखिल सृष्टि का मूल कारण है, जिससे अन्य सभी देवता प्रकाश पाते हैं।

अदिति को चाहे जिस रूप में भी याद किया जाये, उसका नारोत्व सर्वत्र अपनी कवितामयी कमनीयता से विश्व का मगल करता हुआ दृष्टिगोचर होता है। अदिति द्वारा साक्षात्कार किये गये मन्त्र नि सन्देह यज्ञवद्विना अदिति के पाण्डित्य का परिचय देते हैं। अदिति के लिये प्रयुक्त विशेषण बन्धनमुक्त, स्वाधीन वैदिक-समय की नारी की स्वतन्त्रता के सूचक है। अदिति का व्यापक प्रचार-प्रसार सहिता-युग के नारी समाज के प्रभुत्व का प्रतिपादक है।

(२) अपाला

मन्त्र दर्शन—

“अपाला” का नाम ब्रह्मवादिनी के नाम से प्रसिद्ध है। आपने अपनी तपश्चर्या के प्रभाव से ऋग्वेद के आठवें मण्डल के ९१वें सूक्त की सम्पूर्ण ७ ऋचाओं को दृष्टिगोचर किया था। इस सूक्त के ७वें मन्त्र में “अपाला” के नाम का भी उल्लेख है^१। इससे यह बात निर्विवाद सिद्ध होती है कि उपर्युक्त सम्पूर्ण सूक्त को ऋषि अपाला ही है। हमारे इस कथन की पुष्टि बृहद्देवता (६।९९।१६०), सायण-भाष्य (८।९१) और नीतिमञ्जरी (पृ० २७८-८१) से भी होती है। ऋग्वेदीय इस सूक्त में अपाला के वैदुष्य का पता चलता है, जिसके कारण वैदिक-साहित्य में उसकी ख्याति है। इन्द्र को स्तुतिपरक प्रार्थना, जिसे अपाला ने सूक्त की ऋचाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है, उसका सारांश है—

हे देव ! हम ऋषिकन्याएँ आपका साक्षात्कार करना चाहती हैं, परन्तु आपको जानने में असमर्थ हैं। आपको असोम, महिमामयी माया है, जिसके कारण आपको अज्ञेय माना गया है। हे सोम ! इन्द्र को प्रसन्न करने के एक मात्र तुम्हीं साधन हो। अतः तुम इन्द्र के लिये धीरे-धीरे प्रवाहित होकर हमारी स्तुतियों को चरितार्थ करो। हम तुम्हें सामर्थ्यवान् इन्द्र के लिये निष्पन्न करती हैं, जिससे प्रसन्न होकर इन्द्र भगवान् हमें अपाला से सुपाला बना दें।

जीवन-वृत्त—

सायणाचार्य ने अपाला के जीवन-वृत्त पर विस्तृत प्रकाश डाला है। महर्षि अत्रि की कुटिया सन्तति के अभाव में सदा सूनी-सी रहती थी। महर्षि-दम्पति की

१ खे रथस्य खेजस खे युगस्य धतक्रतो ।

अपालामिन्द्रत्रिभूत्ववृणो सूर्यत्वचम् ॥ (ऋ० ८।९१।७)

प्रबल इच्छा थी कि उनका घर पुत्र या पुत्री के जन्म से सनाथ हो जाये। प्रभु की कृपा से अत्रि के घर अपाला का आविर्भाव हुआ। आश्रम का कोना-कोना इस कन्या की किलकारियों से मुखरित हो उठा। ऋषि बाल मण्डली के साथ खेलते हुए अपाला ने अपनी बाल्यावस्था पार की।

अकस्मात् एक दिन पिता अत्रि की दृष्टि अपाला के सौन्दर्यपूर्ण शरीर पर पड़ी, जहाँ उन्हें कुष्ठ (श्वित्र) के छोटे छोटे चिह्न दृष्टि गोचर हुए। ऋषि की सम्पूर्ण प्रसन्नता विपाद में परिणत हो गयी। ऋषि ने अपनी शक्ति-भर उन कुष्ठचिह्नों को दूर करने का प्रयास किया, किन्तु कोई लाभ नहीं हुआ। अन्ततोगत्वा महर्षि ने सोचा कि वे अपनी पुत्री के बाह्य-शरीर को निर्दोष करने में असमर्थ एव अक्षम रहे हैं। इसलिए अब अपाला के आन्तरिक बोध से उसे अलौकिक बनाने का निर्णय लिया।

महर्षि अत्रि की विलक्षण शिक्षण-पद्धति ने अल्पकाल में ही अपाला को एक विदुषी के रूप में तैयार कर दिया। वेद वेदागो की विविधता सप्त सिन्धु की तरह अपाला के वशवर्ती हो गयी। इस सुकन्या के कल-कण्ठ से वेद-मन्त्रों का उच्चारण तपोवन को पवित्र करने लगा। मुनिजन इसके प्रगाढ वैदुष्य के सामने नतमस्तक होकर अपाला को सरस्वती का अवतार मानने लगे।

अपाला को विवाह के योग्य समझकर महर्षि ने एक सुपात्र वर का अन्वेषण किया। अपाला का पाणिग्रहण ऋषि कृशाश्व से वैदिक विधि-विधान से सम्पन्न हुआ। अपाला के लिये नया घर (पतिदेव का घर) भी स्वातन्त्र्य और प्रसन्नता का आगार था। सब कुछ था, परन्तु अपने पतिदेव का वह स्नेह और समादर प्राप्त न था, जिसके लिये प्रत्येक नारी लालायित रहती है। विदुषी अपाला को समझने में देरी नहीं लगी कि क्यों उसके पतिदेव उससे उदासीन रहते हैं? स्त्रीत्व की मर्यादा को बनाये रखने के लिये अपाला का सहज स्वभाव विद्रोह कर उठा। सहन-शीलता की भी सीमा होती है। एक दिन अपाला ने अपने पति से पूछा “क्या आप मेरे त्वग्दोष के कारण मुझे अपरिचित समझते हैं?”

कृशाश्व ने दुःखभरे शब्दों में उत्तर दिया—“मेरा अन्तःकरण इस समय एक अन्तर्द्वन्द्व में फँस गया है। प्रेम की पवित्रता मुझे पतिपरायणा ब्रह्मवादिनी अपाला के गुणों का जहाँ एक ओर प्रशंसक बनाती है, वही उसके शरीर की कुरूपता मुझे उससे कोसों दूर रहने को बाध्य करती है”। प्रेमपाश में बँधी पत्नी के इस घोर अपमान ने अपाला के हृदय को झकझोर दिया। स्त्री-जाति की इतनी भर्त्सना, सर्वस्व दान करने वाले अर्द्धांग की इतनी बड़ी धर्षणा नर द्वारा।

वेद-वेदागो की विपुल ज्ञानराशि भी शरीर के बाह्यदोष के कारण अपाला को अपने पति का प्रेमपात्र नहीं बना सकी। यही सोचकर अपाला ने अपने को तपस्या

की लक्ष्णता में तपाने का निर्णय किया; क्योंकि तपस्या के अनल में तप्त होकर मानव निखर उठता है। यह सोचकर वे वृद्धता (इन्द्र) के आराधन में लग गयीं। देवेन्द्र को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा साधन सोम-रस है। अपाला ने सोम को सम्बोधित करते हुए कहा—“हे सोम! जाप धीरे-धीरे प्रवाहित हो, जिससे पान करने में इन्द्र को कष्ट न हो”। इन्द्र ने सोमपान किया और प्रसन्न होकर अपाला को वर मांगने को कहा। अपाला ने वर मांगते समय सर्वप्रथम अपने पिता के खल्वाट सिर पर बाल उग जाने की बात की। इसके बाद पिता के ऊसर खेतों को उपजाऊ बनाने की याचना की और अन्त में अपने शरीर के कुष्ठ को दूर करने का आग्रह किया^१। इन्द्र ने ‘एवमस्तु’ कहकर अपनी उपासिका की चिर-साधना को सार्थक कर दिया।

विमर्श—

अपाला ने अपनी इस स्वतन्त्र साधना से यह सिद्ध कर दिया कि वैदिक-सहिताकाल की नारिणी पुरुष के पौरुष को भी चुनौती देने में कभी पीछे नहीं रही। यही कारण है अन्त में ऋषि कुशाश्व ने अपाला को अन्त में समझने की जो भूल की थी, उसके लिए उन्हें पश्चात्ताप करना पड़ा। परित्यक्ता अपाला ने अपने तप के प्रभाव से अपने शरीर को तप्त सुवर्ण की भाँति दिखाकर अपने पति को भी आश्चर्य-चकित कर दिया। मन्वला नारी ने सिद्ध कर दिया कि वह अपने तप, त्याग और बलिदान से नर क्या नारायण को भी झुका सकता है।

अपाला द्वारा दृष्ट ऋग्वेद (८।९।११-७) साहित्यिक सौन्दर्य से भी अनुपम है। इन्द्र को प्रसन्न करने में पति एव अनुष्टुप् छन्द का निर्वाह भली-भाँति किया गया है। भाषा-सौन्दर्य एव सौष्ठव भी ऋचाओं को बोधगम्य करने में सहायक सिद्ध होता है।

(३) घोषा

मन्त्र-दर्शन—

वैदिक-मन्त्रों का साक्षात्कार करने वाली “घोषा” को ज्ञान की प्राप्ति अपनी पेतृक परम्परा से ही मिली थी। घोषा-शब्द अर्थविशेष का सूचक है, जिसे सर्व-सामान्य नारी या नर चरितार्थ नहीं कर सकता। वैदिक-सहिता के युग में वेद प्रचारिका ब्रह्मचारिणी कन्या ही “घोषा” इस नाम की अधिचारिणी थी।

१. कन्या वारवायती सोममपि सुताविश्वत् ।

वस्तु भरन्त्यब्रवीदिन्द्राय सुनवे त्वा शक्राय सुनवे त्वा ॥ (ऋ० ८।९।११)

२ इमानि श्रीणि विष्टपा दानोन्द्र वि रोहय ।

द्विरस्तस्योत्तर्वरामादिद म उषोद्विरे ॥ (ऋ० ८।९।१५)

ऋग्वेद के दशम मण्डल के सूक्त ३९ और ४० की सभी ऋचाओं को अपने तपोबल से देखने का श्रेय घोषा को मिला है। दोनों सूक्तों के कुल २८ मन्त्र हैं, जिनमें कुमारी कन्याओं के लिये वेदाध्ययन से लेकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने तक के समस्त कार्य सुचारु रूप से प्रतिपादित हैं। अपने द्वारा दृष्ट इन सूक्तों में घोषा ने अश्विनीकुमारों से विविध प्रकार की प्रार्थनाएँ की हैं। कुछ मन्त्रों में सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखकर कहा गया है—“हे देव ! आप दोनों हमें मधुर बोलने की प्रेरणा दें और हमारी मनोकामनाएँ पूर्ण करें। हम आपकी उपासिकाएँ आपसे मुख्य रूप से तीन बातों की कामना करती हैं—(१) सच्चे और मधुर वचन की, (२) कर्म की पूर्णता तथा (३) विविध प्रकार की बुद्धि की”। अश्विनीकुमारों के विगत प्रशंसनीय कार्यों का प्रतिपादन करती हुई घोषा ऋग्वेद (१७।३९) के पाचवें मन्त्र में कहती है—
 “हे अश्विनीकुमारों ! मैं आपकी पुरानी वीरगाथाओं को समाज के सामने प्रस्तुत करती हूँ। आप अत्यन्त ही सुयोग्य चिकित्सक हैं और सभी को सुख पहुँचाने वाले हैं। हे सत्यस्वरूप ! हमें ऐसे उपाय बताइये जिससे हमारे विरोधी भी हमारे प्रति श्रद्धावान हो जायें”। इसी के आगे वाले छठे मन्त्र में कहा गया है—“हे देवद्वय ! आप हमारी प्रार्थना सुन और हमें उसी प्रकार शिक्षा दें, जिस प्रकार माता-पिता अपनी सन्तान को शिक्षा देते हैं। हम बुद्धिरहित, बन्धुररहित, असहाय हैं, अतः यदि हममें कोई विकृति उत्पन्न हो, तो उसे आप पहले ही नष्ट कर दें”। इसी सूक्त में कहा गया है कि “समय की गति को पहचानने वाला व्यक्ति नीची अवस्था में ऊँची अवस्था को प्राप्त हो जाता है”।

ऋग्वेद के इस सूक्त के अन्त में कहा गया है—“हे अश्विनीकुमारों ! जिस प्रकार कुशल कारोबार रथ बनाता है, उसी प्रकार हम आपके लिये सुन्दर सस्कारयुक्त स्तुति की रचना करती हैं। वस्त्राभूषणों से अलंकृत कन्या जिस प्रकार वर के पास प्रेषित की जाती है, वैसे ही हम अलंकारादि से विभूषित कमनीय कविता को आपके पास प्रस्तुत करती हैं। शुभ कर्म करने वाला पुत्र जिस प्रकार

१ चोदयत मनुता पिन्वत धिय उत्पुण्डीरीरयत तदुर्मसि ।

यशम भाग कृणुत नो अश्विना सोम न चार मधवस्तुनस्कृतम् ॥ (ऋ० १०।३९।२)

२ पुराणा वा वीर्या प्र ब्रवा जनेभ्यो हाशुभियजा मयाभुवा ।

ता वा नु नव्याववमे करामहेभ्य नासत्या श्रदग्दिथया दधन ॥ (ऋ० १०।३९।५)

३ इय वामह्वे शृणुत मे अश्विना पुत्रायव पितरा मह्य शिषतम् ।

अनापि रक्षा अतजात्यामति पुरा तम्या अभिशस्तेरव स्पृतम् ॥ (ऋ० १०।३९।६)

४ एत वा स्तोममश्विभावकमतिशाम भृगवो न रदम् ।

न्यमूक्षाम् योषणा न मयें नित्य न सूनू तनय दधाना ॥ (ऋ० १०।३९।१४)

माता पिता द्वारा आगे बढ़ाया जाता है, उसी तरह हमारा यह स्तुति-गान भी आगे बढ़ता रहे" ।

ऋग्वेद के मण्डल १०।४० सूक्त के मन्त्रों में ब्रह्मचारिणी कन्याओं के लिये प्रार्थना की गयी है और एक सदगृह की मनोकामना का सजीव चित्र प्रस्तुत करते हुए मन्त्र ४ और ५ में कहा गया है^१—“हे नायक अश्विनीकुमारो ! जिस प्रकार शिकारी बड़े-बड़े सिंहों का मृगया में पता लगाते हैं, वैसे ही हम ब्रह्मचारिणी कन्याएँ भी रात-दिन प्रेम-पूरित हृषिष्य द्वारा आपका आह्वान करती हैं” । इसके अनन्तर घोषा स्वयमेव घोषणा करती हुई कहती है^२—

“मैं राजकन्या घोषा सर्वत्र वेद की घोषणा करने वाली, वेद का सन्देश सर्वत्र पहुँचाने वाली स्तुति पाठिका हूँ । हे देव ! मैं सर्वत्र आपका ही यशोगान करती हूँ और विद्वानों से आपको चर्चा करती हूँ । आप सदा मेरे पास रहकर मेरे इन इन्द्रियरूपी अश्वों से युक्त शरीर-रूपी रथ के साथ मेरे मनरूपी अश्व का दमन करें” ।

अश्विनीकुमारों से प्रार्थना करते हुए घोषा ने कहा है—“जब भी कभी कोई ब्रह्मवादिनी ब्रह्मचारिणी नारोलक्षणों से सम्पन्न होकर कमनीय वर की इच्छा करे, उसे उसकी मनादशा के अनुकूल वर मिष्टे । पति के घर वधू को जीवन के सभी साधन सुलभ रहें और सदा उस गृह में दया, परापकार, उदारता और शालीनता आदि गुण नदी के प्रवाह की तरह गतिशील बने रहें” ।

नारी (पत्नी) के गुणों का चर्चा के पश्चात् नर (वर) के आवश्यक गुणों की चर्चा भी इस सूक्त में की गयी है । श्रेष्ठ नर वही है जो अपनी पत्नी की रक्षा करने में सक्षम होता है । सदा पत्नी को यज्ञ-कार्यों में लगाने वाला, सुन्दर सन्तति को उत्पन्न करने वाला वर ही सर्वोत्तम है । इसलिये हे अश्विनीदेव ! आप सर्वज्ञ हैं, आप ऐसे गुणवान् पति को ही ब्रह्मचारिणी कन्या को प्रदान करें । आपकी कृपा से पतिप्रिया बनकर ही कन्याएँ अपने पतिगृह की ओर प्रस्थान करें । घोषा ने इस सूक्त के १० मन्त्र में बड़ा ही सुन्दर वर्णन करत हुए कहा है कि किस पुरुष के घर में नारी सानन्द जीवन यापन करती है^३—“जो पुरुष अपनी स्त्री के सुख और आनन्द

१ युवा मृगत्र वारणा मृगण्यवो दापावस्तोर्हविषा निह्वाषामह ।

युवम् हानाम् तथा जुह्वते नरस जनाय बहवः शुमस्पती ॥ (ऋ० १०।४०।४)

२ भुवा ह घोषा पर्षस्विना यता राज ऊच कुहिता पृच्छे वा नरा ।

भूत म बहन् उत भूतमज्ज्वे स्वापते रथिने शक्तमवन्ते ॥ (ऋ० १०।४०।५)

३ जीव रुदन्ति वि मन्यन्त अध्वरे दोर्धामनु प्रतिति दोधिपुनरः ।

वाप पितृभ्यो म इद समेरिरे मय पतिभ्यो जनम परिष्वजे ॥ (ऋ० १०।४०।१०)

के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है, अपनी अर्द्धांगिनी को पुण्य कार्यों में प्रेरित करता है तथा सन्तानोत्पत्ति द्वारा पितृ-ऋण से मुक्ति पाने का मार्ग प्रशस्त करता है, उसके घर उसकी पत्नी सुख से रहती है” ।

जीवन-वृत्त—

आचार्य सायण के अनुसार “घोषा” का जन्म महर्षि कुक्षिवान् के घर हुआ था । कुक्षिवान् के द्वितीय भाई का नाम दीर्घश्रवा था । घोषा का बाल्यकाल अपने समुक्त परिवार में बड़ी ही धूम-धाम से व्यतीत हुआ । पिता और चाचा की देख-रेख में घोषा की जन्मजात प्रतिभा निखर उठी और उसने अपने बाल्यकाल में ही अच्छी-अच्छी विद्वद्-गोष्ठियों में सम्मान अर्जित किया । योग्य पिता की पुत्री घोषा ने अपने पाण्डित्य से पिता को भी पीछे छोड़ दिया । पिता को अपनी इस होनहार पुत्री पर गर्व था और वे निरन्तर उस वैदिक संहिताओं के अध्ययन में प्रोत्साहित करते थे । पिता और गुरु की तो सदिच्छा ही रहती है कि “वे अपनी सन्तति और शिष्य से पराभूत हों, क्योंकि इसमें उनका विशय गौरव होता है” ।

गुलाब के फूल में काटों के समान एवं आह्लादकारी चन्द्रमा में कलक के समान उस नारोत्व के शरीर में कुष्ठ के चिह्न थे । इन्हीं कतिपय कुष्ठ-चिह्नों के कारण घोषा का पाणिग्रहण कहीं सम्पन्न नहीं हुआ । इस विपाद से कुक्षिवान् का सम्पूर्ण परिवार दुःखी रहता था । अपने पिता की विपाद-रेखाओं को हटाने का ब्रह्मवादिनी घोषा ने मन ही मन सकल्प कर लिया । अपनी साधना से अन्त में घोषा ने देवताओं के चिकित्सक अश्विनीकुमारों को प्रसन्न कर लिया । अश्विनीकुमारों की कृपा से कुष्ठकाया कचनमयी हो गयी और घोषा का पाणिग्रहण सम्पन्न हो गया ।

विमर्श—

अपने द्वारा दृष्ट सूक्तों की ऋचाओं में घोषा ने जिस सुन्दर शैली से सत्य-वाणी, श्रेष्ठ कर्म एवं प्रखर बुद्धि का प्रतिपादन किया है, उसकी समता अन्यत्र यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है । सोम की तरह पतिप्रम की कल्पना नि सन्देह घोषा के पाण्डित्य की सूचक है । यज्ञ में सोमपान के सभी इच्छुक रहते हैं, क्योंकि उसका निरादर कर पाना बड़े बड़े वीतराग महात्माओं की भी शक्ति के बाहर है । यहाँ विदुषी घोषा ने देव से प्रार्थना की है कि हम नारियाँ भी अपने-अपने पति को सोम की तरह प्रिय हों । जिस प्रकार सोमपान करने के बाद मनुष्य की इच्छा अन्यत्र नहीं होती, ठीक उसी प्रकार विवाहोत्सव सम्पन्न होने के बाद पुरुष की भी अपनी सह-धर्मिणी छोड़कर किसी अन्य स्त्री में रुचि न हो ।

ऋग्वेद के १०।३९ और ४० सूक्त के अतिरिक्त मण्डल १।१२७ में सूक्त के ७वें मन्त्र में भी अश्विनीकुमारों की कृपापात्र घोषा का वर्णन मिलता है ।

ऋग्वेद के मण्डल १ के १२२ सूक्त के ५व मन्त्र में पादचात्य विद्वान् ओल्डेन बर्ग ने घोषा को एक अर्जुन नामक व्यक्ति की पत्नी के रूप में कहा है। ओल्डेन बर्ग महोदय का आधार क्या है, यह पता नहीं चलता, अतः इस मत को विद्वान् नहीं मानते। सायणाचार्य ने परवर्ती बृहद्देवता (७।४१-४८) के विवरण के अनुसार घोषा को अपने कुष्ठ-रोग के कारण चिरकाल तक अविवाहित जीवन-यापन करने वाली माना है। सायण यह मानते हैं कि ऋग्वेद के मण्डल १ के १२० सूक्त की ५वी ऋचा में उल्लिखित "सुहस्त्य" घोषा का पुत्र था। इस विषय में पादचात्य विद्वान् पिशेल, लुडविग, मैकडानल आदि का मतैक्य नहीं है।

(४) जुहू

मन्त्र-दर्शन—

वैदिक-संहिताओं के सूक्त-मन्त्रों का दर्शन और मनन करने वाली नारियों में "जुहू" का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। ऋग्वेद के दशम मण्डल के १०९वें सूक्त के सभी सात मन्त्रों की ऋषिका जुहू ही है। इस सूक्त की पाँचवी ऋचा में जुहू के नाम का भी उल्लेख है, जिसमें कहा गया है—“छी के अभाव में बृहस्पति ने ब्रह्मर्ष्य का पालन किया। सब देवताओं के साथ रहकर वे भी उनके अवयवरूप हो गये। सोम की पत्नी की तरह बृहस्पति ने "जुहू" नामक छी को भी अपनी पत्नी के रूप में अङ्गीकार किया”।

एक ब्रह्मज्ञानी की पत्नी होने के कारण "जुहू" की प्रतिष्ठा ब्रह्मजाया के रूप में रही है। सम्भवतः नर-नारियों में वैदिक प्रचार करने के कारण ही "जुहू" इस उपाधि से इस नारी को अलंकृत किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी जिह्वा की प्रखरता के कारण ही "जुहू" वाद में ऋग्वेद (८।४।५, तथा १०।२।१२) के अनुसार एव अथर्ववेद के मण्डल १८।४ के ५-६ मन्त्रों में जिह्वा (शुक) के नाम से विख्यात हो गयी। परवर्ती वैदिक-वाङ्मय में भी "जुहू" शब्द जिह्वा के समान आकार वाले स्तुक् का ही नाम पड़ गया, जिससे देवों को हवि दी जाती है।

“असो वै जुहू.” (तै० ब्राह्मण), “तस्यासावेव द्यौर्युहूः” (शत० ब्राह्मण-१, ३, २, ४),
“आग्नेयी वै जुहू.” (तै० ब्राह्मण-३, ३, ७, ६)।

“जुहू” द्वारा दृष्ट ऋग्वेदीय दशम मण्डलीय १०९वें सूक्त का सारांशित सन्देश इस प्रकार है—“यह मनुष्य-जाति महान् कौतुकशालिनी है और ईश्वर की

१ ब्रह्मचारी चरति वै विपद्भिः स देवाना भवत्येकमगम् ।

तेन ज्ञायामन्वविन्दद् बृहस्पति सोमेन नीता जुहू न देवा ॥ (ऋ० १०।१०९।५)

महिमा प्रकट करने वाली है। ईश्वर की सत्ता को मानने वाली यह मानव जाति जब कभी भौतिकवाद की चकाचौंध में चक्कर खा जाती है, तो ईश्वर को भुला बैठती है। धर्म-कर्म को भूलने वाली इस मानव जाति की जब कभी ऐसी दशा हो जाये, उस समय सभी विद्वानों को एक स्थान पर एकत्रित होकर सत्य का अन्वेषण करना चाहिए।

जीवनवृत्त—

वैदिक-कर्मकाण्ड-प्रचारिका "जूहू" एक ब्रह्मादिनी महिला है, जिसने अपने बाल्यकाल में ही अपने अन्त करण को निमल एवं स्वच्छ कर लिया था। जूहू द्वारा दृष्ट इन मन्त्रों के आधार पर कहा जा सकता है कि जूहू का जीवनवृत्त तपश्चर्यामय रहा है। किसी कारणवश बृहस्पति ने अपने प्रमाद से अपनी जाया "जूहू" का परित्याग कर दिया। जूहू ने वैदिक महिमाओं के अध्ययन-अध्यापन से अपने को व्यस्त रखकर नारी के गौरव को बनाये रखा। जूहू के धर्म और साहस का ही फल हुआ कि पूरे देव समाज ने बृहस्पति को अपनी पत्नी के परित्याग हेतु प्रायश्चित्त करने का आदेश दिया^१। प्रायश्चित्त की समाप्ति पर बृहस्पति ने अपनी ब्रह्मजाया को ग्रहण किया और सभी देवों ने एक स्वर से समर्थन किया कि यह विधिवत् विवाहित है और इसका सतीत्व सुरक्षित है^२।

विमर्श—

इस सूक्त में वैदिक क्रियाओं के नष्ट होने पर राजा को क्या-क्या करना चाहिए, इसका बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। अलंकारपूर्ण भाषा में "जूहू" ने कर्म त्याग करने वाले व्यक्ति से प्रायश्चित्त कराने हेतु कैसे लोगों की आवश्यकता है, इस पर विस्तृत प्रकाश डाला है। निर्णायक-मण्डल में नर और नारी दोनों की आवश्यकता पर बल दिया गया है, जिससे निर्णय निष्पक्ष हो सके। ठीक ही कहा गया है—निर्णायक विद्या में निष्णात, विवेकशील, काल पात्र के जानकार

१ पुनर्वै धेवा अददु पुनमनुष्या उत ।

राजान मत्य कृष्वाना ब्रह्मजाया पुनददु ॥

पुनर्धाय ब्रह्मजाया कृत्वा देवैर्निकृत्विवम् ।

ऊर्जं पुष्यिभ्या भक्त्वाभोग्गापमुपासत ॥ (ऋ० १०।१०९।६-७)

२ ते वदप्रथमा ब्रह्मकृत्विवप कूपार सलिलो मातरिह्वरा ।

बीलुहरास्तप उग्रो मयाभूराया दधी प्रथमजा ऋतन ॥ (ऋ० १०।१०९।१)

३ हस्तेनैव ग्राह्य आविरस्या ब्रह्मजायेयमिनि चदवाचन् ।

न दूताय प्रह्य तस्य एषा तथा राष्ट्र गुपित सन्निपस्य ॥ (ऋ० १०।१०९।३)

होने चाहिए। दूरदृष्टि, दृढ निश्चय, विस्तृत और व्यापक दृष्टि, धर्मपरायणता, आस्तिकता आदि से सही निर्णय लिया जा सकता है। पक्षपाती कूप मण्डूक, चाटुकार, अन्याय के आगे सिर झुकाने वाले व्यक्ति कभी सही निर्णय नहीं ले सकते।

“जूहू” द्वारा दृष्ट इस सूक्त के मन्त्र आज के लोगो के लिये भी उतने ही प्रेरणादायक एवं निर्णायक-मण्डल चुनने में सहायक हैं, जितना वैदिक काल में थे।

(५) दक्षिणा

मन्त्र दर्शन—

दान-प्रतिपादिका ब्रह्मवादिनी “दक्षिणा” का दृष्ट सूक्त १०७ है, जो ऋग्वेद के दशम मण्डल में पाया जाता है। इस सूक्त में ११ ऋचाएँ हैं, जिनकी द्रष्टा “दक्षिणा” ही है। प्रजापत्या इस नारी के नाम का उल्लेख भी इस सूक्त के मन्त्रों में दृष्टिगोचर होता है। दान हेतु अत्यधिक प्रचार करने के लिये इस ब्रह्मवादिनी का नाम भी “दक्षिणा” ही पड़ गया। परवर्ती साहित्य में तो यह नाम यज्ञादि कराने के बाद पुरोहित को भेंट-स्वरूप दिये जाने वाले पदार्थ का नाम ही दक्षिणा हो गया। प्रारम्भिक काल में ही दक्षिणा रूप में बहुधा दी जाती थी।

ऋग्वेद के (१०।१०७) सूक्त के बाद अथर्ववेद (४।१।१४, ५।७।११, ११।७।९), तैत्तिरीय संहिता (१।७।३।१, ८।१।१), वाजसनेयि-संहिता (४।१९।२३, १९।३०), काठक-संहिता (१।४।५) आदि में पर्याप्त रूप में दक्षिणा-शब्द पर प्रकाश टाला गया है। ब्राह्मण-ग्रन्थों में तो इस दक्षिणा-शब्द को अतिरिक्त ही कर दिया गया। शतपथ ब्राह्मण (४, ३, ४, ७) के अनुसार चार प्रकार की दक्षिणा को प्रगुप्ता दी गयी है—स्वणं, गाय, वख और अश्व।

विमर्श—

यदि “दक्षिणा” को मन्त्रद्रष्टा न मानकर परवर्ती साहित्यकारों के अनुसार दक्षिणा का अर्थ यज्ञादि में दिया गया पुरस्कार मान लिया जाये, तो प्रश्न उठता है, तब इस १०७ सूक्त का द्रष्टा कौन है? सभी सूक्तों का कोई न कोई द्रष्टा है, तो यह सूक्त बिना साक्षात्कार करने वाले के कैसे रह सकता है? मन्त्रद्रष्टा के रूप में इस सूक्त के साथ “दक्षिणा” के नाम का ही उल्लेख है। अतः यह न मानने का कोई आधार नहीं है कि इस १०७ सूक्त में “दक्षिणा” नामक महिला ने ही सर्वप्रथम नारियो को दान हेतु प्रेरित करते हुए कहा होगा—“हे नारियो! प्रभु ने आपको वितनी अमूर्त्य वस्तुएँ दी हैं। मूर्त्य प्रकाश और उष्णता देता है, चन्द्रमा अपनी शीतल किरणों से सभी को आह्लादित करता है और वायु प्रतिक्षण हमारे

जीवन को गतिशील बनाता है। ये पक्षी अपनी मधुर ध्वनि का, फूल अपनी सुगन्ध का, वृक्ष अपने स्वादिष्ट फलों का तथा नदियाँ अपने मधुर-शीतल जल का क्या आपसे दाम या कीमत मागत हैं ? उत्तर स्पष्ट है—नहीं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ही परोपकार की है”।

धनवानों को दान हेतु सम्बोधित करती हुई “दक्षिणा” ने ही कहा होगा—
 “हे प्यारे बन्धुओ ! सम्पूर्ण विश्व का कार्य एक दूसरे की महायत्ना से चल रहा है। सूर्य की सहायता के बिना वसुन्धरा नाना प्रकार के पदार्थों को उत्पन्न नहीं कर सकती। इसी तरह भगवत्कृपा के बिना सूर्य, चन्द्र, अनल, अनिल आदि भी अपना कार्य सम्पादन नहीं कर सकते। इसी को आधार मानकर विचार कीजिए कि क्या यह धन-दौलत स्थायी है ? यदि धन आदि पदार्थ स्थायी नहीं हैं, क्षणभंगुर हैं, तो इनको दान में देकर स्थायी यश-लाभ क्यों न प्राप्त किया जाये ? दान की प्रक्रिया नि स्वार्थ होने में परम पद की प्राप्ति होती है।

इस सूक्त के प्रथम मन्त्र^१ (ऋग्वेद—१०।१०।७।१) पर ध्यान देने से पता चलता है कि “दक्षिणा” ने प्राकृतिक शक्ति सूर्य के उदाहरण से दान दाताओं को कैसे प्रेरणा दी है। दान की विविधता से विविध प्रकार के फलों की उपलब्धि होती है। इस सत्य पर प्रकाश डालते हुए “दक्षिणा” स्वयमेव स्पष्ट करती है प्रस्तुत सूक्त के पंचम मन्त्र में^२, कि वे दानी व्यक्ति का ही राजा मानती हैं।

दान-दाता को उसकी उदारता के फलस्वरूप अनेक प्रकार के लौकिक एवं पारलौकिक लाभ मिलते हैं। समाज में वह सर्वत्र समादर पाता है, अपनी कर्तव्य-परायणता के कारण ही सर्वसाधारण जनसमुदाय में उस ऊँचे आसन पर बैठाया जाता है। इस प्रकार दीन-दुखियों की पुकार सुनने वाला दाना व्यक्ति स्वयमेव दीनबन्धु परमपिता का सान्निध्य प्राप्त कर लेता है। इस सूक्त के छठे मन्त्र^३ में स्पष्ट कहा गया है कि उदारतापूर्वक दान देने वाला ही वस्तुतः ऋषि और ब्रह्मा है। यज्ञ-नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने का अधिकार ऐसे ही लोगों को है, जो दान से अनाथों को सहायता करते हैं। अग्निदेव का आह्वानीय, गार्हपत्य एवं

१ अविर्-मून्महि माघानमेवा विश्व जीव तमसा निर्माचि ।

महि ज्याति पितृभिदत्तमागादुर्ष पन्था दक्षिणाया अर्दति ॥ (ऋ० १०।१०।७।१)

२ दक्षिणावान् प्रथमा हूत एति दक्षिणावान् ग्रामणीरथमति ।

तमेव मन्य नृपति जनाना य प्रथमा दक्षिणामाविवाय ॥ (ऋ० १०।१०।७।५)

३ तमेव ऋषिं तमु ब्रह्माणमब्राह्मयज्ञान्य सामगामुवदशासम् ।

स शुक्रस्य तन्वो वेद तिस्रो य प्रथमो दक्षिणया रराध ॥ (ऋ० १०।१०।७।६)

दक्षिणा-रूपी तीनों स्वरूपों को पहचानने वाले दानी-व्यक्ति को सर्वत्र विजयश्री मिलती है।

मन्त्रद्रष्टा “दक्षिणा” द्वारा साक्षात्कृत इस सूक्त में निर्दिष्ट सन्देश को आज के स्वार्थी, लोभी एवं लालची समाज को बड़ी आवश्यकता है।

(६) रोमशा

मन्त्र दर्शन—

बुद्धि की उपासिका “रोमशा वक्षीवान्” ने ऋग्वेदसहिता के प्रथम मण्डल के १२६वें सूक्त की १ से ७ ऋचाओं का साक्षात्कार किया। ब्रह्मवादिनी इस नारी ने उन सभी बातों का प्रचार और प्रसार किया है, जिनसे स्त्रियों की बुद्धि का विकास होता है। वैदिको-पद्धति के प्रचार करने हेतु अनेक प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है। वेद और वेदांग इस नारी के रोमवत् थे, अर्थात् इसके कण्ठ थे। सम्भवतः इसीलिए इसका नाम ही रोमशा पड़ गया। रोमशा-शब्द पहले विशेषणरूप में ही आया होगा, जिसका प्रयोग बाद में इस मन्त्रद्रष्ट्री नारी के लिए रूढ हो गया।

बृहद्देवता (३।१५६) के अनुसार रोमशा, राजा भावष्य की सहृदिनिणी (पत्नी) थी। इसी रोमशा का उल्लेख ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के १२६वें सूक्त में है। इस सूक्त की ७वीं ऋचा में “रोमशा” नाम का स्पष्ट संकेत है, जिसमें कहा गया है—
“हे पतिदेव ! मुझे समीप में आकर स्पर्श कौजिये। मुझे अल्प-रोमवाली न समझिये। मैं गान्धारी के सदृश रोमवाली हूँ और विविध अवयवों से पूर्ण हूँ। आप मेरे समस्त अंगों का निरीक्षण करें और मेरे गुण अवगुण पर विचार करें। मेरे ये अंग और गुण समस्त गृह-कार्यों के लिये उपयोगी हैं, क्योंकि इनसे किसी भी प्रकार से हानि की सम्भावना नहीं है”।

विमर्श—

इस सूक्त में जितेन्द्रिय, उद्यमो पुंस्व के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गयी है, क्योंकि वह बुद्धि से काम लेते हैं। बुद्धि के माध्यम से हम अनेक प्रकार की सफलताएँ प्राप्त करते हैं। हमारा इस सफलता के पीछे बुद्धि की दृढता का बहुत बड़ा सहयोग होता है। जो मनुष्य बुद्धि को दृढता के साथ अपनाये रहता है, उसके सभी अवगुणों को दूर कर बुद्धि भी उसका सहयोग सच्ची पत्नी के समान करती है। उद्योगी मनुष्य को बुद्धि स्पष्ट रूप से कहता है—“यह मत सोचो कि मेरे पास विचाररूपी धन कम है, क्योंकि मैं सभी तरह की सम्पत्तियों से सम्पन्न हूँ”।

१. उपाय मे परा मृश मा मे दभ्राणि मन्यथा ।

सर्वाहमस्मि रोमशा गन्धारीणामित्राविका ॥ (ऋ० १।१२६।७)

इस सूक्त में रोमशा-रूपी वृद्धि का बड़ा ही सुन्दर विवेचन किया गया है। इस सूक्त के प्रथम मन्त्र से पता चलता है कि सिन्धु नदी के तटवर्ती भू-भाग के स्वामी भावयव्य ने वृद्धिसाधिका रोमशा की प्राप्ति हेतु सहस्र यज्ञों का अनुष्ठान किया था। यश की कामना करने वाले इस राजा से प्रभावित होकर अन्त में रोमशा ने उसे स्वीकार कर लिया। पत्नी की प्राप्ति के पश्चात् स्वयं राजा ने ऋग्वेदीय सूक्त के ६४ मन्त्र में अपनी सहधर्मिणी की प्रशंसा करते हुए कहा है—“मेरी पत्नी (रोमशा) गृहस्वामिनो के रूप में मुझ सैकड़ों प्रकार के भोग्य पदार्थों और ऐश्वर्य देती है। यह मेरी अत्यन्त प्रिय सहधर्मिणी है”।

(७) लोपामुद्रा

मन्त्र दर्शन—

ऋग्वेद प्रथम मण्डल के १७९व सूक्त का साक्षात्कार करने वाली ऋषिका लोपामुद्रा है। इस सूक्त के चतुर्थ मन्त्र में ‘लोपामुद्रा’ के नाम का भी स्पष्ट उल्लेख है। लोपामुद्रा ने इस सूक्त में पति पत्नी के एक आदर्श रूप का चित्रण किया है। गृहस्थाश्रम के कतव्यों के निर्वाह हेतु यौवनावस्था को सर्वोत्तम माना है। जीवन को मयमशील रखते हुए विद्याध्ययन में दम्पति को सदा लगा रहना चाहिए। गृहस्थ-धर्म के निर्वाह में स्त्री और पुरुष के अधिकार को एक सा माना गया है। पितृ ऋण स मुक्ति हेतु पुत्रोत्पत्ति की अनिवायता पर बल दिया गया है*।

जीवन वृत्त—

विदर्भ राजा की इकलौती पुत्री का नाम लोपामुद्रा है जिसका पाणिग्रहण सस्कार महर्षि अगस्त्य से हुआ था। विदर्भराज बहुत दिन तक सन्तति के अभाव में व्याकुल थे। देवाराधन के फलस्वरूप एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका शास्त्र सम्मत नाम लोपामुद्रा रखा गया। सचचरित्र रूपवती लोपामुद्रा अप्सराओं से भी

१ अमदान्स्तोमात्र भर मनीषा सिंघावधि क्षियतो भाव्यम्य ।

यो मे सहस्रममिमोत सवानतूर्तो राजा थव इच्छमान ॥ (ऋ० १।१२६।१)

२ आगधिता परिगधिता या कशीनेव जङ्गह ।

ददाति मल्ल पादुरी याधुना भोज्या सता ॥ (ऋ० १।१२६।६)

३ नदस्य मा रुचत काम आगन्त्रित आजातो अमुत कुतश्चित ।

लोपामुद्रा वृषण नो रिणाति घोरमघोरा घयति श्वसतम ॥ (ऋ० १।१७९।४)

४ अगस्त्य खनमान खनित्र प्रजामपत्य बलमिच्छमान ।

उभो वर्णवृषिभ्य पुपोष सत्या देवव्वाशिषा जगाम ॥ (ऋ० १।१७९।६)

अधिक रूपवाली सिद्ध हुई, जब उसने अपनी कुमारावस्था को पारकर युवावस्था में प्रवेश किया।

अपनी विदुषी पुत्री की प्रतिभा से प्रभावित पिता निरन्तर चिन्तानुर रहते थे कि इसके योग्य वर कहाँ मिलेगा ? राजा अभी इस चिन्ता में पड़े ही थे कि एक दिन ऋषि अगस्त्य ने सन्तान-प्राप्ति हेतु उनसे लोपामुद्रा की याचना की। ऋषि के इस प्रस्ताव से राजा बड़े धर्म-संकट में पड़ गये, क्योंकि प्रस्ताव की विसंगतियाँ स्पष्ट थी। लोपामुद्रा जैसी सुशीला, सदाचारिणी, विदुषी, सुलक्षणा, रूपवती, सर्वगुण-सम्पन्ना कन्या को एक वनवासी के हाथ सौंप देना एक कठिन कार्य था। एक ओर पुत्री के भविष्य की चिन्ता थी, तो दूसरी ओर महर्षि अगस्त्य की तपश्चर्या का भी भय था कि निषेध करने पर कहीं शाप देकर मेरा सर्वस्व ही न छीन लें।

माता-पिता की इस चिन्ता को लोपामुद्रा ने समझ लिया और वे विनम्रभाव से बोली—“पिता जी ! आप मेरी चिन्ता न करें। अपनी रक्षा हेतु मेरा पाणिग्रहण-संस्कार शीघ्र ही महर्षि अगस्त्य के साथ सम्पन्न कीजिये”। अपनी पुत्री के इस उदार विचारसे राजा प्रभावित हुए और उन्होंने वैदिक रीति से लोपामुद्रा को महर्षि के हाथों सौंप दिया। आश्रमवासिनी राजकन्या ने तत्काल राजसी वस्त्राभूषणों के स्थान पर बत्कल पहन लिया और महर्षि का सहर्षामिणी बनकर उनकी सेवा में लग गयी। महर्षि अगस्त्य भी अपने तपोबल को बढ़ाने में लग गये।

तपश्चर्या में लीन इस दम्पति के अनेक वर्ष व्यतीत हुए। एक दिन महर्षि को अकस्मात् वैवाहिक-जीवन के लक्ष्य की याद हो आई। “मन्तान होने के पितरो का बट्याण नहीं होना” यह सोचकर ऋषि ने लोपामुद्रा से पुत्रोत्पत्ति हेतु रतिक्रीडा की याचना की। लोपामुद्रा ने कहा—“पतिदेव ! आपको प्रसन्न करना मेरा पहला धर्म है। पालन करने के कारण “पति”, शरीर का ईश्वर होने के कारण “स्वामी”, अभिलाषाओं की पूर्ति के कारण “कान्त”, प्राणों का स्वामी होने के कारण “प्राणेश्वर”, रति-दान के कारण “रमण”, और प्रेम करने के कारण “प्रिय”—इस तरह आप मेरे लिए सब कुछ हैं”।

“पति-पत्नी का स्थान बराबर का है। इसलिए हे महर्षे ! यदि आप पुत्रोत्पत्ति हेतु रतिक्रीडा के अभिलाषी हैं, तो मुझे अलकारों और आभूषणों से सुसज्जित कीजिये। मैं इन वस्त्रों का धारणकर इस कार्य में प्रवृत्त नहीं होना चाहती; क्योंकि इसका प्रभाव सन्तति पर पड़ता है”। यही कारण है कि कामशास्त्र में पति के पास गमन करने से पूर्व पत्नी के लिए अनेक प्रकार के रूप-विधानों की चर्चा की गयी है। महर्षि के सामने भारी समस्या थी कि वे इन आभूषणों का कहीं से प्रवन्ध करें; क्योंकि कहीं से याचना करने पर तपश्चर्या के भंग होने का भय था। अस्तु, अगस्त्य

मुनि ने अपने तपोबल से इल्लव राजा से लोपामुद्रा की इच्छानुकूल अलकरण प्राप्त किये ।

अगस्त्य ने लोपामुद्रा से सन्तानोत्पत्ति के विषय में पूछा कि “तुम्हें अनेक पुत्रों की अभिलाषा है या किसी एक ही पुत्र की, जो सर्वगुण सम्पन्न हो” । लोपामुद्रा ने तत्काल उत्तर दिया—“भगवन् ! मुझे तो एक गुणी पुत्र की आवश्यकता है । मैं हजार निकम्मे एवं मूर्ख पुत्रों को लेकर क्या करूँगी ?” अगस्त्य की स्वीकृति के पश्चात् मन्त्रद्रष्टा इस नारी ने दृढस्यु नामक पुत्ररत्न को जन्म दिया, जो बाद में बड़े ही विद्वान्, चरित्रवान्, कवि और तत्त्ववेत्ता सिद्ध हुए । ऋषि दम्पति ने एक सुयोग्य पुत्रोत्पत्ति के पश्चात् अपने गृहस्थाश्रम की सफलता स्वीकार करते हुए पुनः तपस्या में जीवन-यापन करना आरम्भ कर दिया ।

विमर्श—

वैदिक-सहिताओं की मन्त्रद्रष्टा नारियों में लोपामुद्रा का स्थान निःसन्देह अपना एक वैशिष्ट्य रखता है । विदभराज के ऐश्वर्य में लालित पालित-पोषित पुत्री अपने माता-पिता को चिन्तामुक्त करने हेतु वनवासी अगस्त्य से विवाह करने में लेशमात्र भी सकौच नहीं करती । लोपामुद्रा का दृढ विश्वास है कि पितृ-परितोष सन्तान का प्रथम कर्तव्य है । विवाह होने पर अपने वल्कलधारी पति के साथ लोपामुद्रा वल्कल पहनती है और सभी प्रकार के राजसी वैभव का परित्याग कर देती है, क्योंकि उसकी दृष्टि में पति से बढ़कर कोई देवता नहीं है ।

सन्तानोत्पत्ति विषयक प्रस्ताव आते ही लोपामुद्रा, महर्षि अगस्त्य को काम-शास्त्र के पवित्र नियमों का स्मरण कराती है । लोपामुद्रा ने ऋषि को बताया कि रति क्रोडा में नारी और नर यदि अपने को वखाभूषणों से सुसज्जित नहीं करते, तो इसका गहरा प्रभाव सन्तान पर पड़ता है । लोपामुद्रा के चरित्र में अनेक प्रकार की शिक्षाएँ मिलती हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है—आत्मसयम ।

हजार पुत्रों की अपेक्षा एक ही राष्ट्रभक्त, समाजसेवी, चरित्रवान्, विद्वान् पुत्र अच्छा है, जो माता-पिता के दोनों कुलों का मस्तिष्क ऊँचा कर देता है । ईश्वराराधना और गृहस्थाश्रम की परम्परा का निर्वाह एक साथ कैसे हो सकता है, काम-वासनाओं और मानसिक दुर्बलताओं को कैसे नियन्त्रित किया जा सकता है, इत्यादि सद्गुणों का यदि कहीं एक साथ दर्शन होता है, तो वह स्थान है—लोपामुद्रा का आश्रम । इस कथा पर विभिन्न विचारकों ने विचार किया है^१ ।

१ बृहद्देवता (४।५७), ओल्डेन्बर्ग-त्सी० गे० (३९, ६८) । कीथ-जर्नल आफ रायल एशियाटिक सोसायटी (१९०९, १९११), विण्टरनिज़-वियना ओरियन्टल जर्नल । (२०।२)

(८) वागाम्भृणी

मन्त्र-दर्शन—

अम्भृणी महर्षि की पुत्री के कारण वैदिक-सहिताओ के मन्त्रो का साक्षात्कार करने वाली इस नारी का नाम वागाम्भृणी पड गया। अपने योगबल से इस नारी-रत्न ने ऋग्वेद के दशम मण्डल के १२५व सूक्त के प्रारम्भिक ८ मन्त्रो का साक्षात्कार किया है। वैदिक वाङ्मय मे इस सूक्त को देवीसूक्त के नाम से भी जाना जाता है। इस सूक्त मे वाक् (वाणी) की प्रशंसा की गयी है। आज सम्पूर्ण भारत मे नवरात्र के दिनों मे जो चण्डी पाठ होता है, उसके मूल मे यही सूक्त कारण है। चण्डी-पाठ के प्रचार एव प्रसार से पूर्व इसी सूक्त की ऋचाओ का प्रचलन था। मावण्डेय-पुराण के चण्डी-माहात्म्य-प्रकरण मे वागाम्भृणी द्वारा दृष्ट इन मन्त्रो पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है।

अद्वैतवाद के प्रचारक श्रीशङ्कराचार्य जो को अपने प्रिय सिद्धान्त के लिए इसी सूक्त से प्रेरणा मिली थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि "वागाम्भृणी" ही अद्वैतवाद की मूल जननी थी, जिसने भगवान् शङ्कराचार्य को सम्बल प्रदान किया और वे पुन सनातनधर्म की आधारशिला रख सके। ब्राह्मण धर्म की पुन-स्थापना के पीछे इसी सूक्त के अद्वैतवाद का बल था, जिसके सम्मुख बौद्धधर्मावलम्बी नहीं टिक सके। इससे यह स्पष्ट होता है कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक श्रीशङ्कराचार्य नहीं थे, अपितु इस सिद्धान्त को प्रवर्तिका उक्त वैदिक मन्त्रो का साक्षात्कार करने वाली वागाम्भृणी स्वयं थी।

विमर्श—

वाग् देवी के रूप मे जानी जाने वाली इस नारी ने जिन मन्त्रो का साक्षात्कार किया, उनमे वाणी के महत्त्व का प्रतिपादन किया गया है। इसी को राज्यो की अधिप्राणी' कहा गया है। प्रस्तुत सूक्त के ५वें मन्त्र मे^२ वागाम्भृणी को इतना शक्तिशाली बताया गया है कि उसकी कृपा से ही मानव बलवान्, मेधावी स्तोता या कवि हा सकता है। सम्पूर्ण विश्व को सही मार्ग का दर्शन कराने वाली वाग्-देवी वस्तुतः महामहिमाशालिनी है।

१ अह राष्ट्री सङ्गमनी वसूना चिक्त्रितुषो प्रथमा यज्ञियानाम् ।

ता मा देवा व्यदधु पुरुवा भूरिस्थात्रा भूर्वाविपयन्तीम् ॥ (ऋ० १०।१२५।३)

२ अहमेव स्वयमिद वदामि जुष्ट देवेभिष्ट मानुषेभि ।

य कामय त तम्य कृणामि त ब्रह्माण तमृषि त सुमेवाम् ॥ (ऋ० १०।१२५।५)

वाक्, वाग् या वाच् इस शब्द का वैदिक वाङ्मय में कल्पनातीत महत्त्व गाया गया है। संहिताओं में वाच् को स्मृष्ट करने का श्रेय इन्द्र को दिया गया है। इस सम्बन्ध में तैत्तिरीय-संहिता (६।४,७३) एवं मैत्रायणी संहिता (४।५,८) द्रष्टव्य हैं। तूणव, वीणा, दुन्दुभी आदि वाद्य यन्त्रों के शब्द के रूप में भी "वाच्" का उल्लेख है। कुरु पचालों की वाच् (वाणी) का भी वणन तैत्तिरीय-संहिता (६,१,४,१) में तथा मैत्रायणी संहिता (३।६,८) एवं काठक-संहिता (२३।४) में उपलब्ध है।

काठकसंहिता (१।४।५) में वाच् के विभिन्न भेदों में "देवी" और "मानुषी" विभेद भी दृष्टिगोचर होता है। 'यश् च वेद वश् च न' शब्द 'देवी' और "मानुषी" के साधारण रूप में मैत्रायणी-संहिता (१।१।१।५) में पाया जाता है।

ऐसा लगता है "अम्भृण" ऋषि की इस पुत्री ने अपने समय में अपनी वाणी के बल से सभी को पराभूत कर दिया था। अपने अद्वैतवादी सिद्धान्तों से द्रव्यवाद में निष्ठा रखने वाली को पराजित करने के वाद इस देवी की समाज में धाक जम गयी और लोगों ने सम्भवतः इसे वाग् (वाणी) का अवतार मान लिया। जो भी हो, "अम्भृण" ऋषि की इस पुत्री की वैदिक-संहिताओं की ऋचाओं का साक्षात्कार करने वाली नारी के रूप में आज जो समादर प्राप्त है, वह सम्मान सम्भवतः किसी पुरुष ऋषि को प्राप्त नहीं है।

(९) विश्ववारा

मन्त्र-दर्शन—

ऋग्वेद संहिता के पंचम मण्डल के द्वितीय अनुवाक क २८वें सूक्त की द्रष्टी "विश्ववारा" है। इस सूक्त में छ ऋचाएँ हैं, जो एक से एक बढ़कर साहित्यिक छटा का प्रदर्शन करती हैं। अग्निदेव की स्तुति में प्रतिपादित इस सूक्त की अनेक विशेषताएँ हैं। इस सूक्त के प्रथम मन्त्र में मन्त्रद्रष्टी "विश्ववारा" का नाम का उल्लेख है। इस मन्त्र में प्रज्वलित अग्निदेव के उस उज्ज्वल तेज का वणन किया गया है जो आकाश तक अपनी ज्वाला फैलाता है। देवार्चन में निमग्ना विदुषी नारी विश्ववारा को विद्वानों का सत्कार करते हुए एवं हविष्य द्वारा यज्ञ करते हुए दिखाया गया है। इस सूक्त के तृतीय मन्त्र में स्त्री पुरुष के दाम्पत्य सम्बन्ध का सुदृढ़ करने की कामना व्यक्त की गयी है, क्योंकि वैदिक-परम्परा में विश्वास करने

१ समिद्धो अग्निर्दिवि शोचिरश्रेष्ठयद्दृष्टुममुर्विया वि भाति ।

एति प्राची विश्ववारा नमोसिदेवा ईलाना हविषा घृताची ॥ (ऋ० ५।२।८।१)

२ अग्ने शर्ष महते नोभगाय तव चुम्नामुत्तमानि सन्तु ।

त्र जास्पत्य सुपममा कृणुष्व शत्रूयतामभि विष्ठा महासि ॥ (ऋ० ५।२।८।३)

वाले स्त्री और पुरुष का हृदय स्वच्छ होता है और उसे सम्पूर्ण ऐश्वर्य अपने बाप उपलब्ध हो जाते हैं। इस सूक्त के चतुर्थ मन्त्र में "वन्दे" क्रिया उत्तम-पुरुष एक-वचन की है, जिसमें कहा गया है—“हे अग्ने ! जब तुम प्रज्वलित होते हो, तो मैं विश्ववारा तुम्हारे उस अलौकिक तेज की स्तुति करता हूँ। इस सूक्त के अन्तिम मन्त्र में अग्निदेव से प्रार्थना की गयी है कि वे स्त्रियों के अखण्ड सौभाग्य के लिए बल्युक्त हो, दूसरों की भलाई में तत्पर हो, हमारे हृदयों में वैमनस्यता के बीज बोने वाले कुकर्मों, दुष्प्रवृत्तियों का सहारा हो।

विमर्श—

जो नारी स्वयं पाप में मुक्त होकर स्त्रियों में वैदिक-धर्म का प्रचार करती हुई दूसरों को पाप से मुक्त करती है, उसे विश्ववारा कहा जाता है। विश्ववारा ने स्वयं यज्ञ किये और दूसरों को भी वैसा करने का उपदेश दिया। ब्रह्मादिनी इस नारी ने इस सूक्त में जो अग्निदेव की प्रार्थना की है, वह दाम्पत्य-सुख के लिये विशेष रूप से है। सुखी दम्पति में मनमुटाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ कुवेष्टाएँ फटकती तक नहीं।

(१०) शश्वती

मन्त्र-दर्शन—

ऋग्वेद के आठवें मण्डल के प्रथम सूक्त की ३४वीं ऋचा की द्रष्टा ब्रह्मादिनी 'शश्वती' हैं। शश्वती वृद्धि का पर्याय है। जो जीवात्मा के साथ शाश्वतरूप में स्थिर रहे, उस वृद्धि को शश्वती कहा जाता है। यह शश्वती ऋषिका अगिरा ऋषि की पुत्री एवं आसङ्ग^१ नामक यदुवंशी राजा की पत्नी मानी गयी है। इसी सूक्त की ३३वीं ऋचा में आसङ्ग को एक महान् दानदाता^२ के रूप में वर्णित किया गया है और इसके साथ ही उसके पिता "प्लयोग" के नाम का भी उल्लेख है। आसङ्ग एवं उसके पिता "प्लयोग" के नामोत्लेख से "शश्वती" के पारिवारिक प्रसंग पर प्रकाश पड़ता है।

१ आ जुहोता दुवस्यताग्नि प्रमत्यध्वरे ।

वृणोष्व हव्यवाहनम् ॥ (ऋ० ५।२।८।६)

२ अन्वस्य स्थुर ददृशे पुरस्तादनस्य ऊरुरवरम्बमाणः ।

घस्त्रतो नार्यमिच्छयाह मुभद्रमयं भोजन विभवि ॥ (ऋ० ८।१।३४)

३ अथ प्लयोगिरति दासदम्यानासङ्गो अग्ने दशभि सहस्रं ।

अधोक्षणी दश महा र्शान्तो नलाइव सरसो निरतिष्ठन् ॥ (ऋ० ८।१।३३)

ऋषिका शश्वती ने स्वदृष्ट इस ऋचा में पति-पत्नी के सम्बन्ध को बुद्धि और आत्मा के दृष्टान्त से समझाया है। अपने पतिदेव "आसङ्ग" को सम्बोधित करती हुई शश्वती कहती है—“हे स्वामिन् ! आप परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आपके पास शोभन भोजन है। यह भोजन स्थिर है, इसका विनाश कभी नहीं हो सकता। इस भोजन के टुकड़े का झुकाव ईश्वराभिमुख है, इसीलिये यह बहुत सा दिखाई देता है”।

विमर्श—

ऋषिका शश्वती पति पत्नी के सुचारु सम्बन्ध की व्याख्याता मानी जाती है। शश्वती ने नारी को बुद्धि का प्रतीक एवं पुरुष को आत्मा का प्रतीक माना है। बुद्धि से ही आत्मा की शोभा होती है। बुद्धि की शुद्धता पर ही आत्मा की शुद्धि और पवित्रता निर्भर है। बुद्धि और आत्मा का पारस्परिक सहयोग जिस प्रकार आवश्यक है, उसी प्रकार पति और पत्नी का मेल मिलाप भी समाज में आवश्यक है। पत्नी की शोभा यदि पति है, तो नि सन्देह पत्नी भी अपने पति का अलंकरण है। पति पत्नी को अभेदभाव से इस सत्तार में रहना चाहिए। जो दम्पति इस प्रकार एक दूसरे के पूरक होकर रहते हैं, उनके सामने अमरावती का सुख भी नगण्य है। पति चाहे जितना भी निर्धन हो, पत्नी को सदा यही भाव रखना चाहिए कि मेरे पति के पास सब कुछ है। इसी गूढ रहस्य का उपदेश शश्वती ने इस ऋचा में नारियों के लिए दिया है।

(११) सूर्या

मन्त्र-दर्शन—

ऋग्वेद महिता के दशम मण्डल के ८५व सूक्त की मन्त्रद्रष्टा ब्रह्मवादिनी "सूर्या" है। यह सूक्त प्रधानरूप से विवाह सम्बन्धी विवेचना करता है। इसमें ४७ ऋचाएँ हैं, जिनके प्रारम्भ में सूर्य की पुत्री "सूर्या" के विवाह का वर्णन है। विवाह चन्द्रमा के साथ हुआ। चन्द्रमा में निजी प्रकाश नहीं होता, क्योंकि वह तो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। चन्द्रमा में दृष्टिगोचर होने वाली प्रभा सूर्य की पुत्री सूर्या की है। इस तथ्य को आलंकारिक भाषा के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।

सूर्य की पुत्री "सूर्या" की प्रभा के बिना जैसे चन्द्रमा मलिन लगता है, ठीक इसी तरह समाज में मनुष्य भी अपनी पत्नी के बिना उदासीन-सा लगता है। अपनी पत्नी के साथ जीवन-यापन करने वाला सदा समाज में आदर पाता है और दूसरों के लिये उपयोगी सिद्ध होता है। दिन के स्वामी सूर्य की तरह पति की अपनी स्वतन्त्र

सत्ता है, तो रात्रि के स्वामी चन्द्रमा का भी अपना महत्त्व है। इस तरह सूर्य और चन्द्र के दृष्टान्त से पति और पत्नी के समानाधिकार की ओर सकेत किया गया है।

इस सूक्त की नवम ऋचा^१ का आलङ्कारिक वर्णन किया गया है। “चन्द्रमा को जब विवाह करने की इच्छा हुई, तो दौनों अश्विनीकुमार भी वर बन गये। दूसरे ओर जब सूर्या को विवाह की इच्छा हुई, तो सूर्य-भगवान् ने स्वेच्छया उसे चन्द्रमा को प्रदान कर दिया”। इसका सीधा-साधा अर्थ है—विवाह के योग्य वर तभी माना जाता है, जब वह सोम की तरह विवाह के लिये व्याकुल हो उठे। इस प्रकार प्रकारान्तर से बाल विवाह का निषेध किया गया है। इस कथन के अनुसार तो कन्या का विवाह भी परिपक्वतावस्था में ही करने का सकेत है।

विवाह के पश्चात् वधू को उपयुक्त सवारी में बैठकर ले जाने का विधान इस सूक्त के २०वें मन्त्र^२ में है। इस मन्त्र में सूर्या को सम्बोधित करते हुए कहा गया है—“हे सूर्ये ! तुम अब किन्तुक एव साल की लकड़ी से बने रथ पर बैठो, जिस पर सुन्दर चन्दोवा तता है। सुन्दर स्वच्छ सुवर्ण के समान उज्ज्वल इस रथ पर बैठकर चन्द्रलोक की ओर गमन करो”।

गृहस्वामिनी बनने के लिये जिन आवश्यक गुणों की आवश्यकता होती है, उन सबका बड़ा ही मार्मिक चित्रण इस सूक्त की ऋचाओं में किया गया है। मलिन वस्त्रों के परित्याग एव स्वच्छ वस्त्रों के धारण को नीरोगता हेतु आवश्यक माना गया है। गृहस्थ पति पत्नी यदि निर्मलता से रहेंगे, तो उन्हें किसी प्रकार की परेशानों नहीं हीतो। इसलिए इस सूक्त में कट्याण चाहने वाली पत्नी के लिये विशपरूप से प्रतिपादन किया गया है कि वह सदा स्वच्छ वस्त्र धारण करे।

पाणिग्रहण करने के वास्तविक उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए इस सूक्त के ३६वें मन्त्र^३ में कहा गया है—“हे कन्ये ! तुझे सौभाग्यवती बनाने के लिये मैं तेरे साथ विवाह करता हूँ, अर्थात् तेरा पाणिग्रहण करता हूँ। इस घर की स्वामिनी बनकर तुम मेरे साथ वृद्धावस्था तक जीवन-यापन करना। सन्तति हेतु भग, अर्पमा और पूषन् देव ने तुमको मुझे प्रदान किया है”।

१ सोमो वधूपुरभवदाश्विनास्तामुभा वरा ।

सूर्या मत्पत्ये शसन्तो मनसा सविताददात् ॥ (ऋ० १०।८५।९)

२ सुर्विभुक् पश्याति विश्वरूप हिरण्यवर्णं युवत सुचक्रम् ।

आ रोह सूर्ये अमृतस्य लोत्र स्योन पत्ये बहत्तु वृणुष्व ॥ (ऋ० १०।८५।२०)

३ गृणामि ते सौभागस्वाय हस्त मया पत्या जरदतिर्यथास ।

भया भयमा सविता पुरिधर्महा स्वादुर्गार्हपत्याय देवा ॥ (ऋ० १०।८५।३६)

इस सूक्त के ४४वें मन्त्र^१ में नारी से वीर प्रसवा आदि गुणों से सुशोभित होने की कामना की गयी है—“हे वधू ! तुम अपने पति के लिये मंगलकारिणी, शुभ दर्शनी एवं घर के पशु आदि को सतर्कता से देखने वाली बनो। सौन्दर्य-युक्त होकर सदा प्रसन्न मन से ईश्वर की उपासिका तथा वीर-पुत्र की जननी बनने का गौरव प्राप्त करो” ।

विमर्श—

इस सूक्त में विवाह-मन्त्र-प्रचारिका ब्रह्मवादिनी “सूर्या” ने सनातन परम्परा के पाणिग्रहण-संस्कार पर अच्छा प्रकाश डाला है। विवाह के उचित समय के प्रति-पादन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पति-पत्नी की प्रौढावस्था होनी चाहिए। पति-पत्नी की सौमनस्यता से घर स्वर्ग बन सकता है, इसलिये दोनों के समान अधिकार का प्रतिपादन किया गया है।

कुछ अन्य मन्त्र-द्रष्ट्री नारियाँ—

कोमल-हृदया वैदिक-सहिताकालीन नारियों में जिस उच्च आदर्श को प्राप्त किया, उसका पता तो उनके तप-त्यागमय जीवन से ही चलता है। ठीक ही कहा गया है कि “परमात्मा-सम्बन्धी ऋषियों की प्राचीनतम भावना पुरुष के रूप में नहीं, नारी के रूप में प्रकट हुई होगी” । “जायेदमस्त मधवन् सेदु योनि.” अर्थात् हे इन्द्र ! खी ही घर है, वही सबकी मूलभूता है। आगे चलकर स्मृतिवारों की घोषणा भी अक्षरशः सत्य है कि “न गृहं हर्गृहिणी गृहमित्यागृहमुच्यते” ।

प्रमुख मन्त्र द्रष्टा नारियों के वर्णन के बाद कुछ अन्य मन्त्र-द्रष्टा नारियों का यहाँ नामोल्लेख किया जा रहा है—

(१२) इन्द्राणी

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के २३वें सूक्त के १२वें मन्त्र में इन्द्र की पत्नी के रूप में इन्द्राणी^२ के नाम का उल्लेख है। ऋग्वेद के दशम मण्डल के १४५वें सूक्त तथा ८६वें सूक्त के मन्त्रों की द्रष्टा इन्द्राणी को माना गया है। इस मण्डल के सूक्त ८६वें के मन्त्र १६-१७^३ में शक्तिशाली मनुष्य के वर्तव्यों का बड़ा सुन्दर निरूपण किया गया

१. अधोरचक्षुरपतिघ्न्येधि शिवा पशुभ्य सुमना- सुवर्चा ।

वीरसूद्वकामा स्योना श नो भव द्विपदे श चतुष्पदे ॥ (ऋ० १०।८५।४४)

२. इहेन्द्राणीमुप ह्वये वरुणानी स्वस्तये ॥ (ऋ० १।२३।१२)

३ न सेशे यस्य रम्बतऽन्तरा सवस्था कपूत् ।

सेदीने यस्य रोमश निवेदुयो विजृम्भते विश्वश्मादिन्द्र उत्तर. ॥ (ऋ० १०।८६।१६)

है। दशम मण्डल के १४५वें सूक्त में सपत्नी से उत्पन्न बलेशी से छुटकारा पाने वाले प्रयत्नों का वर्णन है। प्रथम मन्त्र^१ में ही कहा गया है—“मैं उस बलवती, गुणवती औपधि का अन्वेषण करती हूँ, जिससे सपत्नी (सौत) को बलेश पहुँचता है और पति वध में होता है”।

(१३) इन्द्र-मातरः

ऋग्वेद के दशम मण्डल के सूक्त १५३ के सभी पाँचों मन्त्रों की द्रष्टा इन्द्र-माताओं को माना गया है। इस सूक्त में इन्द्र की उत्पत्ति पर इन्द्र की माताओं की परिचर्या का वर्णन है, जो नवजात शिशु इन्द्र के प्रति की गयी है^२। शेष चार मन्त्रों में इन्द्र के अलौकिक गुणों का वर्णन है, जिसमें मुख्यरूप से वृथासुर के वध की चर्चा है।

(१४) इन्द्रस्तुषा

ऋग्वेद के दशम मण्डल के २८वें सूक्त के प्रथम मन्त्र^३ की द्रष्टा के रूप में इन्द्रस्तुषा (पुत्रवधू) का उल्लेख है। इस मन्त्र में इन्द्र की पुत्रवधू कहती है—“इस यज्ञ में सभी अन्य देवता आ गये हैं, परन्तु मेरे श्वसुर (इन्द्र) अभी तक नहीं आये। यदि आ जाते, तो भुने हुए जौ के साथ सोमपान करते और फिर घर लौटते”।

(१५) रात्रि

ऋग्वेद के दशम मण्डल का १२७वाँ सूक्त “रात्रि” द्वारा साक्षात्कार किया हुआ माना गया है। इस सूक्त में ८ मन्त्र हैं, जिनमें प्रथम और अष्टम मन्त्र में “रात्रि” के नाम का भी उल्लेख है। रात्रि में उत्पन्न होने वाले विघ्नों से त्राण पाने की प्रार्थना इस सूक्त में की गयी है। इस सूक्त के ८वें मन्त्र^४ में रात्रि को आकाश की पुत्री स्वीकार किया गया है।

१ इमा स्वनाभ्योपधि बलवतमाम् ।

यया सपत्नी बाधते यया तविन्दते परम् ॥ (ऋ० १०।१५।१)

२ ईश्वरन्तारपश्युव इन्द्र जातमुपासते । भोजानासः भुवोर्यम् ॥ (ऋ० १०।१५३।१)

३ विश्वो ह्यग्यो अरिराजगाम ममेदह श्वसुरो ना जगाम ।

षधीयाद्धाना उत सोम पपीयास्स्वागित. पुनरस्त जगायात् ॥ (ऋ० १०।२८।१)

४ उप ते ना इबावर वृणोष्व दुहितदिव ।

रात्रि स्तोम न जिभ्युपे ॥ (ऋ० १०।१२७।८)

(१६) गोधा

ऋग्वेद के दशम मण्डल के १३४वें सूक्त की द्रष्टा गोधा ऋषिका है। इस सूक्त में सात मन्त्र हैं, जिनमें इन्द्र की स्तुति की गयी है। प्रथम मन्त्र में ही इन्द्र की महानता द्रष्टव्य है, जिसमें इन्द्र की जननी अदिति की कोख से उनके प्रादुर्भाव का वर्णन है। इस सूक्त के छठे मन्त्र में इन्द्र के "शक्ति" नामक शस्त्र का वर्णन है, जिसकी तुलना हाथी को बश में रखने वाले अकुश से की गयी है। शत्रु को खींचकर नष्ट करने की इन्द्र की प्रक्रिया उस छाग (बकरे) के सदृश है, जो वृक्ष की शाखाओं को अपनी ओर खींचता है।

(१७) यमी

ऋग्वेद के दशम मण्डल के १५४वें सूक्त की ऋषिका यमी है। इसमें प्रेत (मृत-व्यक्ति) को उस पवित्र स्थान पर जाने को कहा गया है, जिसे लोगो ने बड़ी तपश्चर्या से प्राप्त किया है। मगाम भूमि में शीर्षपूर्वक लड़ने वाले लोगो तथा उदारतापूर्वक दान देने वालो का लोक ही श्रेष्ठ है। यहाँ "प्रेत" शब्द मृत व्यक्ति के लिये प्रयुक्त हुआ है, न कि वैदिकोत्तरकाल में प्रयुक्त होने वाले "प्रेतात्मा" के अर्थ में। शतपथब्राह्मण (१०।५,२,१३) में प्रेत का अर्थ मृत व्यक्ति से किया गया है। सूक्त के द्वितीय मन्त्र^१ में मृत व्यक्ति को जहाँ पहुँचने हेतु कहा गया है वह स्थान बड़े तप, त्याग और बलिदान के फलस्वरूप मिलता है।

(१८) यमी वैवस्वती

ऋग्वेद के दशम मण्डल का दशम सूक्त यमी वैवस्वती द्वारा दृष्ट माना गया है। इस सूक्त में १४ ऋचाएँ हैं, जिनमें यमी द्वारा अपने ही सहोदर यम से पाणिग्रहण करने की प्रार्थना की गयी है। यमी के इस पस्ताव को, अनैतिक, सामाजिक परम्परा के विरुद्ध मानते हुए यम ने ठुकरा दिया। इस सूक्त का सवादरूप में वर्णन नि सन्देह बड़ा ही कौतूहल पैदा करने वाला है। यमी ने इस सूक्त की (१,३,६,७,११ और १३वीं) ऋचा के माध्यम से यम को फुमलाने का प्रयत्न किया है, परन्तु यम ने प्रस्तुत सूक्त की ऋचा (२,४,५,१२ तथा १४) में यमी को समझाने का प्रयास किया कि भाई और

१ उभे यदिन्द्र रोदसी आपप्रायोषा इव ।

महान्त त्वा महीना सम्राज चर्षणोनाम् ।

देवी जनिश्र्यजीजनद् भद्रा जनिश्र्यजीजनत् ॥ (ऋ० १०।१३४।१)

२ तपसा ये अनावृष्यास्तपसा ये स्वयंयु ।

तपो ये चक्रिरे महस्ताश्चिदेवापि गच्छतात् ॥ (ऋ० १०।१५४।२)

बहन का सम्बन्ध सर्वोपरि है, उसे इस वासना के पंक से दूषित मत करो। सूक्त के द्वितीय मन्त्र^१ में पाप पुष्य को सदा देखने वाले देवगण की चर्चा की गयी है।

(१९) शची

ऋग्वेद दशम मण्डल के १५९वें सूक्त की ऋषिवा शची पौलोमी मानी गयी है। इस सूक्त की सम्पूर्ण ६ ऋचाओ में शची ने अपने सुखद, सामर्थ्यवान् एवं सपत्नियों के मानमर्दक यश का वर्णन किया है। सूक्त के प्रथम मन्त्र^२ में ही सपत्नियों को पराभूत करने वाले तथा अपने पति इन्द्र का वशवर्ती करने वाले अपने भाग्य की सराहना की गयी है। इस सूक्त से पता चलता है कि उस समय बहुविवाह-पद्धति प्रचलित थी। वैदिक-सहिताकालीन नारो में कितना सामर्थ्य था, इसका पता इस सूक्त की अन्तिम ऋचा से चलता है, जिसमें कहा गया है कि—“मैं शची सपत्नियों को पराजित कर अपने पति इन्द्र के साथ ही साथ सभी वान्धवों को भी अपने अधीनस्थ करने की शक्ति रखती हूँ”।

(२०) थदा

ऋग्वेद के दशम मण्डल के १५१वें सूक्त की ऋषिवा थदा-कामायनी है। इस सूक्त में पाँच ऋचाओ का उल्लेख है, जिनमें थदा के महत्त्व का प्रतिपादन किया गया है। थदा ही उपासकी की आराधना की आधारशिला है। थदा की अनुकूलता^३ को ही सूक्त के चतुर्थ मन्त्र में सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्राप्ति का साधन माना गया है। प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में क्रियमाण कर्मों में थदा^४ के आह्वान की बात की गयी है, जिससे थदा के महत्त्व का पता चलता है।

आज थदा के अभाव का ही फल है कि हम सब पारस्परिक सन्देह के शिकार हो जाते हैं। यदि थदापूर्वक कार्य करने की आदत पढ़ जाये, तो इस धरती

- १ न ते सखा सख्य बष्टयेत्सन्धमा यद्विपुस्त्वा भवाति ।
महसुश्रामो अमुरस्य वीरा दिवो चर्त्तर उरिया परि ह्यन् ॥ (ऋ० १०।१०।१)
- २ उदसी सूर्यो अगादुदय मामरो भग ।
अह तद्विद्वला पतिमम्यसाधि विपासहि ॥ (ऋ० १०।१५९।१)
- ३ थदा देवा यजमाना वायुगोषा उपासते ।
थदा हृदय्य याकृत्या थदया विन्दते वनु ॥ (ऋ० १०।१५१।४)
- ४ थदा प्रातर्हवामह थदा मध्यन्दिन परि ।
थदा सूर्यस्य निघ्नुचि थदे थदापयेह न ॥ (ऋ० १०।१५१।५)

को स्वर्ग बनाने का स्वप्न साकार हो सकता है। मानव और दानव के बीच भेद बताने के लिये थोड़ा एक मानदण्ड का काम करती है।

(२१) सापराज्ञी

ऋग्वेद के दशम मण्डल के १८९व सूक्त की द्रुण नारी सापराज्ञी है। इस सूक्त में महात् तेजस्वी सय की गतिशीलता पर प्रकाश डाला गया है। अपने उदयकाल के साथ ही यह सूर्य सर्वप्रथम अपनी मातृभूत पूवदिशा को नमन करत हुए अपने पितृदेव आकाश की ओर बढ़ते हैं^१। सापराज्ञी ने अपने इस सूक्त के माध्यम से सूर्य को सम्पूर्ण व्योम को व्याप्त करनेवाला एव विश्व को अलंकृत करने वाला माना है।

(२२) सिकता

ऋग्वेद के दशम मण्डल के ८६व सूक्त की ऋषिका सिकता निवावरी मानी गयी है। इस सूक्त में कुल ४८ मन्त्र हैं जिनमें ११ से २० तक के मन्त्र सिकता द्वारा दृष्ट माने गये हैं। अपने द्वारा दृष्ट इन मन्त्रों में सिकता ने बड़े ही सुन्दर ढंग से 'सोम' रस की प्रशंसा की है। विश्व के सम्पूर्ण कार्यों में सोम के प्रभाव को दिखाया गया है। विशेषरूप से इन्द्र के कार्यों में इस 'सोमरस' की विशेष चर्चा की गयी है^२।

(२३) उर्वशी-पुरूरवा

कतिपय वैदिक-संवाद-सूक्त—

ऋग्वेद के दशम मण्डल के ९५व सूक्त में उवशी और राजा पुरूरवा का संवाद बड़ी ही आलङ्कारिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है। इस मन्त्र के दो प्रमुख पान हैं—(१) ऐल्वशी पुरूरवम, मृत्युलोक का वासी है एव (२) उनकी प्रेमिका उर्वशी स्वर्ग की धम्मरा है। दोनों का दाम्पत्य सम्बन्ध चार वर्षों तक सुखरूप में चलता है। दोनों के मयोग से आधु नामक पुत्र की उत्पत्ति होती है। इसके पश्चात् उर्वशी के प्रभाव से निस्तज गन्धर्वों के षडयन्त्र के कारण उवशी और पुरूरवा को अलग होना पड़ता है। पत्नी के वियोग की असहनीय वदना से पुरूरवा विक्षिप्त से हा जाते हैं। इसी विक्षिप्तावस्था में राजा ने एक दिन आत्महत्या का निश्चय कर लिया।

१ आय गो पृश्निरक्रमोदसद मातर पुर । पितर च प्रयत्स्व ॥ (ऋ० १०।१८९।१)

२ मनोविभि पवत पूर्व कनिनृभिपत परिकीशा अन्विदत । (ऋ० १०।८६।२०)

उर्वशी अपने पति की इस दोन-हीन दशा पर चिन्तातुर हो उठी और उसने अपने वैराग्यपूर्ण तर्कों से राजा को आत्महत्या से विरत कर दिया^१। इससे स्पष्ट है कि उम समय नारी का पुरुष पर अकुस था और नारी, नर को तुलना में अधिक विवेकी और जागरूक थी। उर्वशी ने सूक्त के अन्तिम मन्त्र^२ में पुरूरवा को धर्म धारण करने की सलाह दी है; क्योंकि अन्त में उसे इसी प्राणरक्षा के कारण आनन्द की प्राप्ति हो सकती है।

विमर्श—

इस वैदिक सवाद के पीछे एक रहस्य छिपा हुआ है। यहाँ पुरूरवा सूर्य के प्रतीक हैं और उर्वशी उपा की प्रतीक है। सूर्य और उपा का संयोग बहुत ही अल्प-कालीन होता है। लुप्त एवं वियुक्त उपा की खोज में सूर्य दिनभर चक्कर काटता रहता है। उपा-रूपी उर्वशी का कथन है—“हे सूर्यरूपी पुरूरवा ! आज अस्ताचल पर पहुँचकर यह न समझ लो कि कल पुनः प्रातः मुझसे संयोग (भेंट) नहीं होगा”।

उर्वशी-पुरूरवा-सवाद का विस्तृत वर्णन शतपथ-ब्राह्मण (११।५।१) में है। विष्णुपुराण तथा महाभारत आदि में भी इस कथा का उल्लेख है। कालिदास के ‘विक्रमोर्वशीयम्’ नाटक में इसका सर्वोत्तम चित्रण है।

(२४) यम-यमो-संवाद

ऋग्वेद के दशम मण्डल के १०वें सूक्त में इस सवाद का विस्तृत वर्णन है। साहित्यिक-सौन्दर्य की दृष्टि से इस सवाद का बड़ा महत्त्व है। काम वासनाभिभूत यमी अपने सहोदर से अनेतिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए अनेक तर्क देती है। सासारिक प्रलोभनों का जाल धिंछाकर अपने भाई को फँसाना चाहती है। समाज में रथ के दोनों पहियों के समान एक साथ कार्य करने की अभिलाषा व्यक्त करती हुई अपने भाई के आगे आत्मसमर्पण करती है। यमी का कहना है कि वह भाई किस अर्थ का है, जिसके रहते उसकी बहन दुःखी हो और वह बहन किस काम की, जिसके रहते भाई का दुःख दूर न हो।

चरित्रवान् यम अपने उदात्त चरित्र से यमी के असामाजिक विचारों पर पानी फेर देते हैं। यम अपनी बहन से स्पष्ट कहते हैं—“पाणिग्रहण” हमारा अभीष्ट

१ पुरूरवो मा मृषा मा प्र पतो मा त्वा वृकासो अशिवास उ क्षन् ।

न वै स्त्रैणानि सत्यानि सन्ति सालावृकाणा हृदयान्वेता ॥ (ऋ० १०।९५।१५)

२ इति त्वा देवा इम आहुरैल यथेमेतद्भवति मृत्युबन्धु ।

प्रजा ते देवान् हविषा यजाति स्वर्गं उ त्वमपि मादयासे ॥ (ऋ० १०।९५।१८)

नहीं है। प्रजापति ने हो हमें एक माता के उदर से उत्पन्न कर साथी बनाया है। इस सम्बन्ध को सभी देव जानते हैं। अतः विधाता द्वारा स्थापित सम्बन्ध को तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। यमी ! मैं तुम्हारे स्पर्श से भी दूर रहना चाहता हूँ। अतः शीघ्र ही यहाँ से चलो जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है।

विमर्श—

आज के स्वेच्छाचारी युवक और युवतियों के लिये यह सूक्त अत्यन्त शिक्षाप्रद है। व्यक्तिगत जीवन से सामाजिक जीवन का बहुत बड़ा महत्त्व है। जो व्यक्ति सामाजिक रीति-रिवाजों को तिलाञ्जलि देकर पशुवत् आचरण करता है, वह स्वयं ही यमी की तरह सभ्य लोगों की दृष्टि से गिर जाता है।

(२५) सरमा-पणि-संवाद

ऋग्वेद के दशम मण्डल के १०८वें सूक्त की ऋषिका "सरमा" मानी गयी है। इस सूक्त में ग्यारह मन्त्र हैं, जिनमें २, ४, ६, ८, १० और ११वें मन्त्र में सरमा का कथन उद्धृत है। शेष मन्त्रों में पणियों के कथन हैं। सरमा, देवशुनी एक दूती के रूप में पणियों के पास जाती है। पणियों ने आर्य लोगों के गो-धन को चुराकर किसी अज्ञात स्थान पर रख दिया है। इन्द्र की सन्देश-त्राहिका के रूप में सरमा ज्यों ही पहुँचती है, पणि लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं।

इन्द्र के दौत्यकर्म में निपुण "सरमा" ने इस सूक्त के दूसरे मन्त्र^१ में पणियों को बताया कि "मैं इन्द्र की दूती के रूप में तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हारे पास जो गो-धन है, उसे मैं चाहती हूँ"। पणि लोगों ने सरमा को अनेक प्रकार के प्रलोभन दिये, अपने गो-धन का हिस्सा देने का लालच दिया, परन्तु सरमा अपने व्रत पर दृढ़ रही। पणियों ने सरमा को अपनी बहन^२ बनाने का प्रस्ताव भी नवम मन्त्र में रखा, जिसे सरमा ने इस सूक्त के दशम मन्त्र^३ में यह कहते हुए ठुकरा दिया कि—"मैं भाईचारे को नहीं जानती"।

ऋग्वेद के चतुर्थ मण्डल के १६वें सूक्त के ८वें मन्त्र^४ में भी "सरमा" द्वारा इस रहस्य के उद्घाटन का वर्णन है, जिसमें पणियों द्वारा आर्यों की गौओं को चुराने की बात कही गयी है।

१ इन्द्रस्य दूतीरिपिषा सरामि मह इच्छन्ती पणयो निधीन्व ॥ (ऋ० १०।१०८।२)

२ स्वमार स्वा कृणवं मा पुनर्गा अप ते गवा सुभगे भजाम ॥ (ऋ० १०।१०८।९)

३ नाह वेद भ्रातृत्व नो स्वसुत्रमिन्द्रो विदुरङ्गिरसश्च घोरा ॥ (ऋ० १०।१०८।१०)

४ अपो यदाद्रि पुरहू न दंदाविभुवस्तरमा पूव्यते ॥ (ऋ० ४।१६।८)

विमर्श—

“पणि” शब्द अनेक अर्थों मे वैदिक संहिताओ मे आया है। ऋग्वेद मे “पणि” शब्द एक ऐसे व्यक्ति का द्योतक माना गया है, जो सब प्रकार से सम्पन्न होते हुए भी देवताओ के निमित्त दक्षिणादि कुछ भी नहीं देता। अथर्ववेद के मण्डल ५ के ग्यारहवें सूक्त की ७वी ऋचा म तथा वाजसनेयि संहिता (३५।१) म भी उक्त अर्थ को पुष्टि की गयी है। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के ८३व सूक्त के चतुर्थ मन्त्र म पणियो के वध की चर्चा है। “पणि” को यज्ञकर्ताओ का विरोधी एवं ऋग्वेद के (६।५१) सूक्त के १४वें मन्त्र मे उसे भेडिया (वृक) की सजा दी गयी है। ऋग्वेद (८।६६।१०) मे ‘पणि’ को वेकनाट (व्याज खानेवाला) कहा गया है। मृग्यन्वाच् भी पणियो के लिये आया है, जिसका अर्थ है कटु या शत्रु की बोली बोलनेवाला। ऋग्वेद (५।३४) तथा अथर्ववेद (५।११।६) म “पणि” को दास भी कहा गया है।

वैदिक-महिताओ मे आये ‘पणि’ शब्द की तुलना आज के प्रचलित शब्द “स्मलर” म करना अथिब युक्तिसंगत प्रतीत होता है।

वैदिक मन्त्र-द्रष्ट्री नारियो का जो विवरण ऊपर दिया गया है, उसकी पुष्टि महर्षि शौनक द्वारा रचित ‘वृहद्देवता’ के द्वितीय अध्याय म दिये गये श्लोको से होती है।

ऋग्वेद-संहिता मे इस प्रकार वैदिक मन्त्रद्रष्टा नारियो को एक बडी सत्था के रहते हुए भी परवर्ती लोगो ने नारियो को वैदिक शिक्षा से बयो बचित रखने का निर्णय लिया, समझ मे नहीं आता। “स्वर्गकामो यजेत” इत्यादि याग-स्थानीय वाक्यो मे मीमांसको ने स्वयमेव ‘दम्पति’ शब्द का प्रयोग किया है, जिससे यह स्वत सिद्ध होता है कि वैदिक कर्मो मे स्त्री पुरुष दानो का समान अधिकार रहा है। ऋग्वेद-संहिता तथा अथर्वमहिता^१ म एक बार नहीं अनेक बार “दम्पति” शब्द के अर्थ मे गृहस्वामी तथा गृहस्वामिनी अर्थात् पति एव पत्नी दोनो का सम्निवेश किया गया है।

१ घावा गोघा विश्ववारापागेपनिथन्नित ।

ब्रह्मजाया जुहूर्नामागस्त्यस्य च स्वसादिति ॥

इन्द्राणी चेन्द्रयाता च सरमा रोमशोवक्षी ।

छोषामुद्रा च नक्षत्र च यमो नारी च साश्वती ॥

श्रीलक्ष्मी सापरानी वारुध्रदामेया च दक्षिणा ।

रात्री सूर्या च सावित्री ब्रह्मवादिन्य ईरिता ॥

२ ऋग्वेद—५।३।२, ८।३।१५, १०।१०।६, १०।६।८।२, १०।८।५।३२ इत्यादि ।

अथर्ववेद—६।१२।३।३, १२।३।१४, १४।२।९ आदि ।

यह सही है कि ऋग्वेद-संहिता के कुछ स्थलों पर “दम्पति” शब्द का प्रा-
पुरुष के लिए ही आया है, जैसे ऋग्वेद (१।१२७।८, २।२१।२, ५।२२।४, ८।६९।१६,
८।८४।७) में प्रायः द्विवचनान्त इस “दम्पति” शब्द का प्रयोग पति-पत्नी दोनों के
सम्मिलित अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है, जिससे पता चलता है कि वैदिक-संहितायुग
में पुरुष और नारी के समान अधिकार थे। “अग्निहोत्रादि वैदिक कर्म अपत्नीक
पुरुष न करे” इस प्रकार के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। भगवान् व्यास ने अपनी
“व्यास स्मृति” (२।१३) में स्पष्ट कहा है—“पुरुष और नारी का निर्माण आवे-आवे
दो भागों से मिलकर बना है, अब जब तक पुरुष नारी को प्राप्त नहीं करता, तब तक
पुरुष आधा ही रहता है अर्थात् उसे पूर्णाङ्ग कहलाने का अधिकार नहीं है।

आचार्य सायण ने भी अपनी “ऋग्वेद-भाष्य-भूमिका” में इस विषय पर
अतीव सरस तथा सरल पद्धति द्वारा प्रकाश डाला है।

निष्पक्षभाव से विचार करने से पता चलता है कि प्राचीनकाल में स्त्री-समाज
मन्ध्या-वन्दन, अध्ययन, अध्यापन आदि का उची प्रकार अधिकारी था, जैसा कि
पुरुष वर्ग। “वैदिक सभी प्रकार की क्रियाएँ स्त्री-समाज के अधिकारगत थीं”—
इस कथन की पुष्टि यम-स्मृति की एक प्रसिद्ध उक्ति से होती है^१। व्याकरण-महा-
भाष्यकार भगवान् पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य (४।१।१४) में^२ नारी-सम्बन्धी वेद के
अध्ययन-अध्यापन का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। इतना ही नहीं विदुषी नारियों
की कठी, बृहस्पृथो, उपाध्यायी, उपाध्याया, आचार्या आदि पदवी को मान्यता
दने हुए अपनी रचना “महाभाष्य” में उदाहरण रूप में प्रयुक्त किया है।

परवर्ती नारियों पर प्रभाव—

मन्त्र द्रष्टी अपाला, लोपामुद्रा, रोमशा आदि नारियों का ही प्रभाव था कि
परवर्ती साहित्य में मुलभा नामक कन्या ने दर्शन-शास्त्र में, महामुनि कपिल की माता
देवहूति ने माह्यशास्त्र में, गार्गी और मैत्रेयी ने आध्यात्मिक क्षेत्र में, मदालसा ने
ब्रह्मविद्या में एवं विदुला ने अपने पुत्र को राजनीति में शिक्षा देकर ख्याति अर्जित
की। प्राचीनकाल की बात यदि थोड़े समय के लिये विस्मृत भी कर दी जाये, तो

१ पतयोद्धे न चाद्धेन पत्या भूवतिनि श्रुति ।

यावत् विन्दते जाया तावद्धर्षो भवेत् पुमान् ॥

२ पुराकल्पे तु नारीणा मौञ्जीवन्धनमिष्यत् ।

अध्यापन च वेदाना सावित्री वाचन तथा ॥

३ कशस्तिना प्राक्ता भोमाशा काशकृत्स्नी तामघोत काशकृ स्ना ब्राह्मणो-भोमासाध्ययनस्य
वेदाध्ययनादन्तरमुपस्थिते वेदाध्ययनस्यापनयनपूर्वकत्वान् स्त्रीणामुपनयन सिद्धन्ति ।

इधर निवृत्तस्थ भूतकाल की विदुषी महिला "उभय-भारती" के उम वैदुष्य का अपलाप कैसे किया जा सकता है, जिसके कारण आपने श्रीशङ्कराचार्य को आश्चर्य-चकित कर दिया था। मण्डनमिश्र भी जिस बात को नहीं कह सके, उसे उनकी विदुषी धर्मपत्नी "उभयभारती" ने बहकर भगवान् शङ्कराचार्य को भी थोड़े समय के लिये ही सही, मौन रहने को बाध्य कर दिया। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय-वाङ्मय में ऐसे अर्गणित नागी-रत्न हुए हैं, जिन्होंने अपने तेज पूज से देव, समाज, धर्म, सस्कृति, सम्भ्यता और साहित्य को निरन्तर उज्ज्वल एवं चमत्कृत किया है। आज का मक्रीणतावादी मनुष्य चाहे जो भी कहे, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि वैदिक-सहितावाल में नारी को पुरुष के ही समान जीवन के हर क्षेत्र में बराबरी का अधिकार था।

मन्त्र के महत्त्व की समझने वाली नारियाँ

(१) मनोरमा की माता—

अथर्ववेद-सहिता में "वदमाता" की स्तुति करते हुए कहा गया है कि यह वेदमाता द्विजों को पवित्र करनेवाली एवं श्रेष्ठ वर देनेवाली है। वेदमाता से यह भी प्रार्थना की गयी है कि वह स्तुति-गायक को आयु, प्राण, सन्तान, पशु, कीर्ति, धन, ज्ञान, बल आदि प्रदान करे।

वेदमाता कौन है ? इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिये हमारा ध्यान ऋग्वेद के पंचम मण्डल के ६१वें सूक्त में वर्णित राजा "रथवीति" की ओर जाता है। इस राजर्षि की पत्नी ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे व्यक्ति से करने की अभिलाषा व्यक्त की है, जो मन्त्रदर्शन के कारण महर्षि की उपाधि से विभूषित हो। रथवीति की पत्नी रात्रि अपनी पुत्री मनोरमा को वेदमाता के रूप में देखना चाहती है।

कथानक इस प्रकार है—राजा रथवीति ने एक बार एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उस समय के स्यातिप्राप्त ब्रह्मर्षि अर्जुनाना को यज्ञ-कार्य सम्पन्न कराने का भार सौंपा गया। महर्षि ने यज्ञ की समाप्ति पर दक्षिणा के रूप में उनकी पुत्री मनोरमा को अपने सर्वगुणसम्पन्न पुत्र श्यावाश्व के विवाह हेतु माँगा। महर्षि के शाप के भय से राजा ने तो महर्षि अर्जुनाना का प्रस्ताव स्वीकार कर

१ स्तुता माया वरदा वदमाता प्रचीदग्रन्ता पावमानो द्विजानाम् ।

आयु प्राण प्रजा पशु कीर्ति इविण ब्रह्मवर्चसम् ॥

मह्य दत्त्वा ब्रह्मलोकम् ॥ (अथर्व० १९।७।१।१)

२ एष शक्ति रथवीतिमंथवा मोमतीरन् । पर्वतेष्वपथित ॥ (ऋ० ५।६।१।१९)

लिया, परन्तु उनको परनी ने इस प्रस्ताव को मानने से मना कर दिया। निषेध के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि वह अपनी पुत्री का पाणिग्रहण सस्कार अपनी वश-परम्परा के अनुसार किसी मन्त्रद्रष्टा से ही करना चाहती थी। श्यावाश्व में इस योग्यता का अभाव था। अपनी इस आवश्यक योग्यता का भान ऋषिपुत्र को हुआ और उन्होंने ऋग्वेद के पद्म मण्डल के सूक्त सख्या ५२-६१ में महती की स्तुति की और उनकी कृपा से उन्हें ऋषित्व की प्राप्ति हो गयी।

आवश्यक योग्यता प्राप्ति के अनन्तर मनोरमा की माता ने अपने पतिदेव के साथ श्यावाश्व को अपनी पुत्री का हाथ अर्पित करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। इस वृत्तान्त से स्पष्ट होता है कि उस समय संवसाधारण समाज की दृष्टि में भी मन्त्र-द्रष्टाओं का कितना बड़ा महत्त्व था। वैवाहिक काल में पिता की ही नहीं, माता की भी स्वीकृति आवश्यक थी। मनोरमा को मा की भाँति वैदिक संहिताकाल की प्रत्येक नारी अपनी पुत्री को किसी मन्त्रद्रष्टा पुरुष को सौंपकर उसे वेदमाता के रूप में देखने का सत्कल्प रखती थी।

(२) सुकन्या—

वैदिक मन्त्रों के महत्त्व को अपनी पैनी दृष्टि से झाँकने वाली, राजपि शर्याति की पुत्री सुकन्या का त्यागमय जीवन नि सन्देह अनुपम एवं अद्वितीय है। माता पिता के नैराश्य को दूर करते हुए सुकन्या ने अपने सौन्दर्यपूर्ण तारुण्य को अन्ध-वृद्ध महर्षि च्यवन के चरणों में अर्पित कर दिया।

सुकन्या के त्याग को क्या इस प्रकार है—मन्त्रद्रष्टा महर्षि च्यवन का आश्रम पुष्कर-क्षेत्र माना गया है। महर्षि भृगु के वंशज च्यवन की उत्पत्ति का इतिहास बड़ा ही कल्पोत्पादक है। समुद्र के समीपस्थ भृगु-आश्रम, नर्मदा नदी की उस कल कल ध्वनि से गुंजायमान रहता था, जिसमें अपने त्रियतम मागर को आलिंगन करने की आतुरता दृष्टिगोचर होती थी। तपश्चर्या के प्रभाव से सर्वत्र सुख-शान्ति का साम्राज्य था। भृगु की पत्नी 'पुलोमा' का पुमवन-सस्कार होने वाला था, एतदर्थ महर्षि अभिषेकाथ कही गये थे। इसी बीच पुलोमा नामक एक राक्षस आश्रम में आया और उसने आश्रम में बैठी उस कमतीय कल्वेरा तक्षणी का अपहरण कर लिया। राक्षस के मय से गभभाराक्रान्त भृगु की पत्नी का गभस्राव हो गया और इस गभच्युतता के कारण ही 'च्यवन' नाम पड गया। च्यवन की माता ने इस गभस्राव पर इतना अभ्रुपात किया कि उनको अभ्रुवारा के कारण 'वधूसर' नामक एक नदी का प्रादुर्भाव हो गया।

अपने जन्म के साथ ही च्यवन ने अपने तेज से उस दैत्य को भस्मीभूत कर दिया, जो उसकी माता का अपहरण करके लाया था। समय पाकर च्यवन ऋषि

अपने अध्यात्म-चिन्तन मे इतने निमग्न हो गये कि उनके शरीर के चारो ओर वल्मीक के ढेर जम गये । अपनी इस निर्जीवता मे भी सजीवता का सन्देश देनेवाले च्यवन का चक्षुपटल खुला हुआ था ।

इसी समाधिस्थ अवस्था मे ही एक दिन च्यवन के आश्रम मे पश्चिमी आर्यावर्त के सम्राट् शर्याति मृगया हेतु सदल-बल पहुँचे । राजर्षि की एकमात्र पुत्री सुकन्या भी साथ थी । भ्रम और कौतूहल के बशीभूत होकर कुछ अबोध लोगो ने समाधिस्थ ऋषि का तिरस्कार करते हुए उनकी चमकती हुई आँखो मे काटे चुभो दिये । फलतः नेत्रो से रक्तस्राव हुआ और महर्षि क्रोधित हो उठे । राजर्षि ने आश्रम मे जाकर इस अपराध के लिये क्षमा माँगी, परन्तु क्षमा का मूल्य था च्यवन के साथ सुकन्या का पाणिग्रहण मस्कार । महर्षि के इस बठोर दण्ड से राजा और रानी का हृदय विचलित हो उठा, परन्तु वैदिक-मन्त्रो के प्रभाव को समझने वाली उस सती सुकन्या ने तत्काल स्वीकार कर लिया और अपने वृद्ध-अन्व पति की सेवा से आश्रम की पवित्रता को बढ़ाने लगी ।

सुकन्या की इस पवित्र पतिपरायणता को अश्विनोकुमारो ने परखा, जिसमे सुकन्या सफल हुई और उसने उन्हे उत्तर दिया “वह सम्राट् शर्याति की इकलौती पुत्री है और महर्षि च्यवन की पत्नी है । पति की सेवा करना ही उसका एकमात्र धर्म है” । इतना ही नहीं, सुकन्या ने सारे ससार को सुनाते हुए कहा—“दाम्पत्य-सम्बन्ध, स्नेह-प्रेमपाश मे बाँधने वाला एक अच्छेय बन्धन है, जिसे मृत्यु भी नहीं तोड सकती” ।

इस प्रकार सुकन्या ने अपने तारुण्यपूर्ण जीवन के तर्कों से देवद्वय को मौन कर दिया । अश्विनोकुमारो ने भी प्रसन्न होकर महर्षि च्यवन के साथ पुष्करक्षेत्र (सरोवर) मे गोता लगाया और च्यवन के वाद्वंक्ष्यपूर्ण गात्र को काञ्चनमयी काया मे परिणत कर दिया । इस सम्पूर्ण वृत्तान्त के पीछे सुकन्या की वैदिकी निष्ठा ही कारण रही है । उपकार करने वाले अश्विनीकुमारो को सोमपान कराया गया । इन्द्र ने भी सम्पूर्ण देववृन्द के साथ इस दम्पति के प्रभाव को देखा और नतमस्तक हो गये ।

पंचम अध्याय

नारी-दृष्ट मन्त्र एवं व्यवस्थाएँ

संहिताओ का सन्देश—

(संहिता वाङ्मय के साक्ष्य के आधार पर यह दावे से कहा जा सकता है कि उस समय नारी सुरक्षिता नहीं, स्वरक्षिता थी। सु-समाज की सरचयित्री नाग की मौम्यता, सौष्ठव का सौरभ सम्पूर्ण समाज को सुरभित करता था।)

कमनीयता की मूर्ति कन्या को कल्याणकारिणी, पावनता की आगार पतिव्रता नारी को पथ प्रदर्शिका तथा दया, वरणा की अवतार, शुद्धता नैतिकता का आधार, ममतामयी माता को महाशक्ति एवं महाक्रान्ति के रूप में सम्मान दिया जाता था।

समन्वय सस्कृति का जो स्वरूप वैदिक-संहिता-वाङ्मय में दृष्टिगोचर होता है, उसमें समता ममता दोनों हैं। सन्तति के सबर्द्धन में माता-पिता के सहयोग, सहजीवन एवं दानों की पास्परिक निष्ठा को आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी माना है।

नारी समाज द्वारा वैदिक-संहिताओ के साक्षात्कृत उन सूक्त के आधार पर यहाँ तात्कालिक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप का दिग्दर्शन कराया गया है। दिग्दर्शन शब्द का प्रयोग सायक है, क्योंकि वैदिक संहिताओ का सन्देश, सच्चिदानन्द परमपिता परमात्मा का परमपवित्र उपदेश है, जिसके सम्बन्ध में अथर्वसंहिता के एक मन्त्र में कहा गया है—“ह मानव ! ईश्वर के काव्य (वेद) को दला, जो सदा एक रस बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता और न पुराना हा होता है”।

अपोस्वेय संहिता सन्देश की तुलना ऋक्महिता में दिये गये “सवतु” से दना कितना समाचीन प्रजात हाता है, जिसमें कहा गया है कि इसे मित्र जानते हैं कि इन मन्त्र द्रष्टाओ या द्रष्टृया के वचनों में कितनी कल्याणमयी कमनीयता स्थित है^१।

१ अन्ति सन्त न जहात्यति सन न पश्यति ।

दवस्य पश्य काव्य न ममार न ज्ञायति ॥ (अथर्व० १०।८।३२)

२ सवतुमिव तितउना पुन ता यत्र घौरा मनया वाचमक्रत ।

अना सलाय सहयानि जानत मद्रैवा लक्ष्मानिहितावि वाचि ॥ (ऋ० १०।७।१२)

“मैं (घोषा) सब प्रकार से सौभाग्यवती हूँ, मुझे मनोनुकूल वर (पति) मिल गया है” (ऋ० १०।४।९)। ‘हे अश्विनीकुमारो जो नर अपनी नारी (पत्नी) को प्राण रक्षा के लिये नीर (आँसू) बहाते हैं, उन्हें (स्त्रियाँ को) यज्ञादि सुकर्मों में लगाते हैं तथा सन्तानोत्पत्तिपूर्वक पूवजा (मातृ पितृ) के मार्ग का पालन करते हैं, उनको नारियाँ सुखद जीवन व्यतीत करती हैं”।

घोषा ने ऋक्संहिता के दशम मण्डल के २९वें सूक्तके तीसरे मन्त्र में “अमाजुर” शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ है अपने पिता के घर वृद्धावस्था तक निवास करने वाली कन्या। ऋक्संहिता के दशम मण्डल का ४० वाँ सूक्त कन्या की स्वतन्त्र भावनाओं का प्रतीक है जहाँ ११वें मन्त्र में घोषा कहती है—‘जो पति मुझे चाहने वाला हो, उसा बनसाला के घर में जाऊँ’। इतना ही नहीं, १२वें मन्त्र में पति को प्रियतमा होने की अभिलाषा करना १३वें मन्त्र में पति के लिये धन सन्तान की कामना करना एवं पति के घर में पढ़ने वाली सभी बाधाओं को दूर करने का निवेदन संहिताकालीन स्त्री समाज की समृद्धि एवं सौरभ का प्रमाण है।

निष्कर्ष—

ऋक्संहिता दशम मण्डल के सूक्त ३९ एवं ४० के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संहिताकाल में कन्या की शिक्षा दीक्षा पुत्रों के समान ही होती थी। बटे के समान ही लाञ्छित पालित पोषित पुत्री (घोषा) पर पिता महर्षि कुक्षिबान् की तरह उमक चाचा दीपश्रवा का भी स्नेह था। वैदिक वाङ्मय की अधिकारिणी वक्त्री घोषा अपने प्रौढ पाण्डित्य के लिए जहाँ विख्यात थी, वही अपने शरीर के सफेद दाग (कुष्ठ) के कारण पाणिग्रहण के लिये उपेक्षित भी थी। ब्रह्मवादिनी घोषा के द्वारा दृष्ट सूक्त इसके साक्ष्य है कि उस समय कन्याओं को स्वतन्त्रतापूर्वक साधना का अधिकार था जिसके बल पर घोषा ने अश्विनीकुमारो को प्रसन्न करके कचनमयी दह के साथ ही साथ देवतुल्य कान्त (पति) को भी प्राप्त कर लिया।

अपाला—

ऋक्संहिता के अष्टम मण्डल के ९१वें सूक्त की द्रष्ट्री ब्रह्मवादिनी “अपाला है। अपनी तपश्चर्या से अपाला से सुपाला बननेवाली इस कन्या रत्न ने उपयुक्त सूक्त के सात मन्त्रों का साक्षात्कार किया है। इस बात की पुष्टि ७वें मन्त्र से होती है, जिसमें मन्त्र द्रष्ट्री ने अपने नामोच्चारण के साथ इन्द्र की स्तुति करत हुए कृतज्ञता

१ जीव र्दात वि मयन्त अध्वर दीर्घामनु प्रसिति दीविपुनर ।

वाम विनुभ्यो य इद समरिर मय पतिभ्या जनय परिव्रज ॥ (ऋ० १०।४०।१०)

२ प्रियास्त्रियस्म वृषभस्य रतिता गृह गममाश्विना रुदुरमति ॥ (ऋ० १०।४०।११)

व्यवहारी को है—“सोमरसपायो इन्द्र ने प्रसन्न होकर त्वचा दोष (कोढ़) को दूर करके अपाला के शरीर को सूर्य के समान देदाप्यमान कर दिया है” ।

इस त्वचा दोष (कोढ़) निवारण के पीछे तात्कालिक एक बड़ी सामाजिक समस्या का संकेत सन्निहित है, जो सर्वगुणसम्पन्ना माध्वी ‘अपाला’ को झकझोर देता है । अपने पिता महर्षि अत्रि की कुटिया को अपने कल नाद से निनादित करने वाली, अपने वैदुष्य से उस समय की बर्दिक मण्डली में अपना एक विशिष्ट स्थान बना लेनेवाली, यह ऋषि-कन्या अन्ततोगत्वा अपने बाह्य सौन्दर्य के अभाव में अपने पति कुशाश्व के मन में कटुता के बीज बपन कर देती है ।

वेद-वेदाङ्गों का विपुल वैदुष्य भी बाहरी सौन्दर्य के अभाव में निरर्थक है, यह सोचकर अपाला इन्द्र की प्रसन्नता हेतु तपश्चर्या में लग जाती है । तपस्या में तल्लीन अपाला का जीवन उस समय की बाकी शाकी है कि नारी समाज को कितनी स्वतन्त्रता थी, अपने रूप को संवारने की । पति द्वारा पत्नी के त्याग जाने का संकेत द्रष्टव्य है, जहाँ अपाला कहती है—“पति द्वारा परित्यक्ता हम इन्द्र से मिलगी” ।

संहिताकाल में कन्याओं का अपने मातृ-पितृ-शुल के प्रति कितना आदर एवं ध्यान था, इसका मूल्यांकन अपाला द्वारा दृष्ट मन्त्र ५ और ६ से किया जा सकता है, जब वे (अपाला) इन्द्र से वरदान मागते समय कहती हैं—‘हे इन्द्र सर्वप्रथम मेरे पिता (अत्रि) के खल्वाट सिर पर केश हो जायें, मेरे पिता के ऊसर खेत उपजाऊ हों’, अन्त में अपने शरीर के कुष्ठ को दूर करने की याचना करती हैं ।

निष्कर्ष—

अपाला द्वारा दृष्ट अष्टम मण्डल का ९१वाँ सूक्त पवित्र और अनुष्ठुप् छन्द में निर्दिष्ट है । इस सूक्त से स्पष्ट है कि उस समय नारी-जीवन की अपनी पवित्रता थी, जिसके बल से नारी, पुरुष-वर्ग की उपेक्षा का उत्तर देने में अबल नही सबल मानी जाती थी । अपाला ने अपने पिता के मन्तव्य हृदय को जहाँ अपनी अगाध ज्ञान-जलराशि में निमग्न कर शान्त किया, वही उसने अपने पतिद्वय के इस भ्रम को भी दूर कर दिया कि नारी नर के विना नगण्य है ।

१ अपालामिन्द्र त्रिषूत्यकृणो सूपत्वचम् । (ऋ० ८।९।१७)

२ कुवित्पतिद्विषा यतीरिन्द्रण सङ्गमामहं । (ऋ० ८।९।१४)

३ इमानि श्रोणि बिष्यपा तानोद्र वि रोह्य ।

शिरस्त्वहस्योव रामादिद म उपोदरे ॥

असौ च या न उवरादिमा त्व मम ।

अपो ततस्य यच्छिर सर्वा ता रोमशा कृधि ॥ (ऋ० ८।९।१५-६)

कृशाश्व की उदासीनता के भावों को आँकते ही अपाला का हृदय विद्राह कर देता है और वह उस असम्भव, दुःसाध्य कुष्ठ निवारण के लिए तत्पर हो जाती है। पिता ने शक्ति भर प्रयत्न किया था कि अपाला नीरोग हो जाये, परन्तु महर्षि असफल रहे। पति ने भी प्रयत्न किया, किन्तु अमफलता के फलस्वरूप उसने पत्नी-त्याग कर दिया।

घन्य रही अपात्रा, जिसने अपने दिव्य तेज से देवराज इन्द्र को अपनी तपश्चर्या से प्रसन्न कर नारी की स्वतन्त्र भावनाओं के भव्य-भवन में बैठकर अपनी सदिच्छा को साकार कर दिया।

जूह—

मन्त्र-द्रष्टृओं में ऋक्महिता के दशम मण्डल के १०९वें सूक्त का साक्षात्कार करने वाली "जूह" का नाम बड़े आदर से लिया जाना है। नर नारियों में वैदिक प्रचार के कारण ही सम्भवतः "जूह" को इस नाम से पुकारा जाता था। ब्रह्मजाया कहलाने वाली इस नारी के जीवन वृत्त से ज्ञात होता है कि उस समय स्त्री-परित्याग की प्रथा थी। सात मन्त्रों वाले अपने दृष्ट इस सूक्त के पाँचवें मन्त्र में "जूह" अपने नाम का उच्चारण भी करती है, जिसमें अपनी पत्नी का त्याग करनेवाले वृहस्पति के ब्रह्मचर्य-पालन की बात का संकेत है^१।

सूक्त का छठीं एव सातवाँ मन्त्र इसका प्रमाण है कि उस समय नारी का समाज में बड़ा समादर था। नारी अपने पातिव्रत्य के प्रभाव से बड़ों से बड़ी शक्ति को भी अपने अनुकूल करने का अनुत्तनीय साहस अपने में सजोये रखती थी। यहाँ कारण है कि वृहस्पति ने जब अपने प्रमाद से अपनी प्रमदा (जूह) का परित्याग कर दिया तो नारी हृदया 'जूह' जरा भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुई, क्योंकि उसे धर्मपरायण, चरित्रवान् निर्णायक मण्डल का पूरा भरोसा था कि वह अन्त में निर्णय उसके पक्ष में ही देगा। देवों के आदेश से पत्नी त्याग हेतु प्रायश्चित्त करने वाले वृहस्पति ने अन्त में पुनः पत्नी को स्वीकार किया और सुखपूर्वक रहने लगे^२।

पत्नी-त्याग को संहिताकाल में अपराध-कोटि में रखा जाता था। ऐसे लोग जो अपनी विवाहिता स्त्री का परित्याग करते थे, उन्हें (चाहे वह वृहस्पति ही

१ ब्रह्मचारो चरति बविपद्विप स देवाना भवत्येकमङ्गम् । (ऋ० १०।१०९।५)

२ पुनर्वै देवा अददु पुनमनुष्या उत ।

राजान सत्यं वृष्वाना ब्रह्मजाया पुनददु ॥

पुनर्दाय ब्रह्मजाया कृत्वी देर्वानि कृत्विवपम् ।

ऊर्जं पृथिव्या भवन्वायोऽद्यायमुपासत ॥ (ऋ० १०।१०९।६७)

क्यों न हो) प्रायश्चित्त करना पड़ता था। “जूहू” द्वारा दृष्ट सूक्त के प्रथम मन्त्र में वायु, अग्नि, सूर्य, सोम, वरुण आदि देवों ने वृहस्पति से प्रायश्चित्त कराया था। (ऋ० १०।१०९।१)

निष्कर्ष—

“जूहू” द्वारा दृष्ट इम सूक्त के अनुसार महिताकाल की नारी अपने साथ किये गये अन्याय के प्रतिकार हेतु पंच (निर्णायक-मण्डल) के पास जा सकती थी। निर्णायक-मण्डल की निष्पक्षता ही उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी, जिसका पालन वह प्रत्येक स्थिति में करता था। निर्दोष नारी का घर से निकास, उस समय निकृष्ट कार्य माना जाता था, जिसके लिये पत्नी के तिरस्कारकर्ता को प्रायश्चित्त करना पड़ता था।

विधिवत् विवाह में साक्ष्य की समीक्षा की जाती थी। यदि पति-पत्नी में कोई भी साक्ष्य की अवहेलना करता था, तो बन्धन तोड़ने वाला अपराधी घोषित होता था।

सतीत्व की रक्षा पर बल दिया जाता था। जो नारी कठिन परिस्थिति में भी अपने पति के अनुराग में अक्षुण्णता बनाये रखती थी, उसको सहायता देवता भी करते थे।

“तप के प्रभाव से कभी-कभी निम्नस्तर का व्यक्ति भी उच्च स्थान पर बैठ जाता है”, ऋक्-संहिता के इस मन्त्र में “जूहू” का अपने पति (वृहस्पति) के प्रति कितना बड़ा व्यग्र है, जो उस समय की नारी की निर्भोक्ता को पूर्णतया स्पष्ट करता है।

नारी-रक्षा की बात इस सूक्त के पाँचवें मन्त्र से ध्वनित होती है, जहाँ सोम की पत्नी की तरह “जूहू” को भी प्राप्त करने की बात देवताओं द्वारा कही गयी है^१। इसके साथ उस समय नारी को भी पार्थिव सम्पत्ति के बँटवारे का अधिकार था, इसको पुष्टि सूक्त की अन्तिम पक्ति से अभिलक्षित होती है^२।

रोमशा—

ऋक्-संहिता के प्रथम मण्डल के १२६वें सूक्त का साक्षात्कार करने वाली “रोमशा” ने उन सभी पक्षों पर विचार किया है, जिनसे नारी समाज की बुद्धि विकसित होती है। दृष्ट सूक्त की सातवीं ऋचा में रोमशा (रोम-रोम में वेद वेदांग

१ भीमा जाया ब्राह्मणस्योपनेता दुर्वा दवाति परमे व्योमन् । (ऋ० १०।१०९।४)

२ तेन जायामन्वविन्दवृहस्पति सोमेन नोता जुह्व न देवा ॥ (ऋ० १०।१०९।५)

३ ऊर्जं पृथिव्या भवस्वायोऽस्माद्यमुपासते । (ऋ० १०।१०९।७)

वाली) ने उस समय की निर्दोष नारी का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा है—“हे पतिदेव ! आप मुझे समीप से देखें और मेरे गुण-अवगुणो पर विचार करें। मेरे ये अंग और गुण गृह कार्यों के लिये उपयोगी हैं, क्योंकि इनसे किसी प्रकार की हानि सम्भावित नहीं है” ।

महिता-कालीन पत्नी के आदर्श एव त्यागमय जीवन का परिचय देते हुए रोमशा के पति (भावयद्य) स्वयं सूक्त के पष्ठ मन्त्र में कहते हैं—“मेरी पत्नी (रोमशा) महस्वामिनी के रूप में मुझे अनेक प्रकार के भोज्य-पदार्थ एव ऐश्वर्य देने वाली है। यह मेरे प्रति अगाध स्नेह रखने वाली है” ।

निष्कर्ष—

बुद्धि-साधिका पत्नी (रोमशा) को पाने के लिये उस समय पुरुष को कितनी तपश्चर्या करनी पड़ती थी, इसका सकेत सूक्त के आदि से लेकर अन्त तक है। जितेन्द्रिय पुरुष का अनुसरण पत्नी उसी तरह करती है, जिस प्रकार विचारवान् पुरुष का बुद्धि अनुगमन करती है। “मर्वाहमस्मि” शब्द के पीछे कितनी बड़ी शक्ति है कि—“मैं नारी विद्यारूपी धन में कम हूँ, ऐसा कोई सोचने का दुःसाहस न करे, क्योंकि मैं सभी प्रकार की सम्पत्तियों से सम्पन्न हूँ” ।

लोपामुद्रा—

ऋक्संहिता के प्रथम मण्डल के १७२वें सूक्त की द्रष्ट्री लोपामुद्रा ने अपने सूक्त के तृतीय मन्त्र में सहिताकालीन नारी के अधिकारों और कर्तव्यों को पुरुष के समान बताते हुए सम्मिलित रूप में गृहस्थ-धर्म के निर्वाह की ओर सकेत किया है^१। दृष्ट सूक्त के चतुर्थ मन्त्र में लोपामुद्रा के नाम का उल्लेख है ।

लोपामुद्रा द्वारा दृष्ट इस सूक्त के वर्ण्य विषय से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय पति-पत्नी का आदर्शमय जीवन था, क्योंकि पाणिग्रहण-संस्कार की व्यवस्था पूर्ण यौवनावस्था में ही सम्पन्न होती थी। जीवन की समृद्धि नयम एव विद्यार्जन पर निर्भर थी, जिसे दम्पति (पति-पत्नी) आजीवन चलाते थे। इस

१ उपोष मे परा मृश मा मे दध्राणि मन्यथा ।

मर्वाहमस्मि रोमशा गन्धारीणाभिवाविका ॥ (ऋ० १।१२६।७)

२ आगधिता परिगधिता या वाशीकेव जज्ञहे ।

दधाति मञ्जु यादुरो यानूना भोज्या घाता ॥ (ऋ० १।१२६।६)

३ न मृषा ध्यातं यदवन्ति देवा विश्वा इत्स्पृधो अभ्यस्तदाव ।

जयावदथ घातनीधमाजि यस्तम्यञ्चा मिथुनावम्यजाव ॥ (ऋ० १।१७९।३)

कथन की पुष्टि इस सूक्त के द्वितीय मन्त्र से होती है, जिसमें उचित समय पर सन्तानोत्पादन का समर्थन किया गया है^१।

सूक्त के अन्तिम मन्त्र से यह ध्वनित होता है कि उस समय नर-नारी को सन्तति (पुत्र-पुत्री) के जनन के पश्चात् ही पितृ-ऋण से मुक्ति मिलती थी। यही कारण है कि वृद्धावस्था आ जाने पर भी लोपामुद्रा के पतिदेव (अगस्त्य ऋषि) ने सन्तान के लिये इच्छा व्यक्त की^२।

निष्कर्ष—

उस समय वैवाहिक जाति-बन्धन नहीं था। राजकुमारी लोपामुद्रा और महर्षि अगस्त्य का प्रणय बन्धन इसका प्रमाण है।

विश्ववारा—

ऋक्संहिता के पंचम मण्डल के २८वें सूक्त का साक्षात्कार ब्रह्मवादिनी विश्ववारा को हुआ। विश्ववारा उस नारी को उपाधि थी, जो स्वयं पापमुक्त होकर वैदिक-संहिताओं का सन्देश स्वयं सुनती और अन्य लोगों को भी पवित्र करने हेतु सुनाती थी।

इस सूक्त के तृतीय मन्त्र के अनुसार उस समय का दाम्पत्य-सम्बन्ध बड़ा ही सुदृढ़ था, क्योंकि वैदिक-परम्परा में विश्वास करने के कारण उनका (पति पत्नी का) हृदय स्वच्छ रहता था^३।

इस सूक्त के एक मन्त्र में अग्निदेव से प्रार्थना की गयी है कि वे स्त्रियों को अखण्ड सौभाग्य प्रदान करें, वैमनस्यता के बीज-वपन करने वाली दुष्प्रवृत्तियों का सहार हो।

निष्कर्ष—

विश्ववारा द्वारा दृष्ट सूक्त से तात्कालिक नारी की सामाजिक प्रतिष्ठा का अनुमान किया जा सकता है। अग्निदेव की पूजा एवं स्तुति में तत्पर विश्ववारा को विद्वन्मण्डली का स्वागत करने वाली तथा यज्ञ-ऋषी के रूप में दर्शाया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि उस समय नारी समाज संहिताओं से लेकर ज्ञान की किसी भी शाखा का अध्ययन करने और उसका प्रचार प्रसार करने में पूर्ण स्वतन्त्र था। यज्ञ करने और कराने में भी वह पूर्ण अधिकारिणी मानी जाती थी।

१ ते चिदवासुर्नह्यन्तमायु समू नु पत्नीर्वृषभिजगम्बु । (ऋ० १।१७९।२)

२ अगस्त्य खनमान खनिर्न प्रजामपत्य वऽमिच्छमान । (ऋ० १।१७९।६)

३ अग्ने शर्घं महते सौभाग्य तव शुभान्युत्तमानि सन्तु ।

स ज्ञापत्य सुयममा कृणुष्व शश्रुयतामभि विष्ठा महासि ॥ (ऋ० ५।२८।३)

शश्वती—

ऋक्-सहिता के मण्डल ८ के प्रथम सूक्त की द्रष्ट्री शश्वती मानी गयी है। अङ्गिरा ऋषि की पुत्री शश्वती यदुवशो राजा “आसङ्ग” की पत्नी थी। इस सूक्त की ३३वीं ऋचा मे आसङ्ग को एक महान् दान दाता के रूप मे दर्शाया गया है। आसङ्ग तथा उसके पिता “प्लयोग” के नामोल्लेखन से शश्वती की पारिवारिक स्थिति का ज्ञान होता है। ३४वीं ऋचा मे शश्वती अपने पति को परम सौभाग्यशाली मानती हुई स्वयं कहती है—“हे स्वामिन्! आप परम भाग्यशाली एव सभी से बढकर है।”

शश्वती का यह सूक्त दाम्पत्य-जीवन पर अच्छा प्रकाश डालता है, क्योंकि सूक्त-द्रष्ट्री पति-पत्नी के मधुर सम्बन्ध की व्याख्याता मानी गयी है। नारी को बुद्धि एव पुरुष को आत्मा का प्रतीकात्मक रूपक मानना इस बात का द्योतक है कि एक के बिना दूसरे का कार्य चलना कठिन ही नहीं, असम्भव भी है।

बुद्धिस्वी नारी की पवित्रता पर आत्मारूपी पुरुष की शुद्धता निर्भर है। बुद्धि और आत्मा के सहयोग की तरह ही समाज मे पति-पत्नी का मेल मिलाप आवश्यक है। जहाँ सहयोगपूर्वक दम्पति रहते हैं, वही अमरावती है, इत्यादि उदात्त भावनाओं का दिग्दर्शन इस सूक्त मे कराया गया है, जिससे उस समय की नारी की सामाजिक स्थिति का ज्ञान होता है।

सूर्या—

ब्रह्मवादिनी “सूर्या-सावित्री” ऋक्-सहिता के दशम मण्डल के ८५वें सूक्त की द्रष्ट्री है। इस सूक्त मे प्रधानरूप से वैवाहिक चर्चाएँ हैं। ४७ ऋचाओ वाले इस सूक्त मे सूर्य की पुत्री सूर्या के विवाह का विशद वर्णन है, जो उस समय की नारी-सम्बन्धी सामाजिक स्थिति को भलीभाँति स्पष्ट करता है।

कन्या का विवाह परिषदावस्था मे होता था, इसको पुष्टि इस सूक्त की नवम ऋचा से होती है, जिसमे सूर्या का विवाह चन्द्रमा से करने का संकेत है^१। विवाह के समय कन्या के साथ सेवित्रियों को भेजा जाता था, तथा कन्या को सुन्दर परिधानों से अलंकृत किया जाता था, इसकी पुष्टि इस सूक्त की छठी ऋचा करती है, जिसमे बालकारिक-वर्णन के साथ रैन्वी-नामक ऋचाओं को सखी, नारायसी ऋचाओं को सेविका तथा सामगान को परिधान का रूपक दिया गया है।

१. शश्वती नायमिचस्थाह सुमद्रमर्थ भोजन विमपि । (ऋ० ८।१।३४)

२. सूर्या यत्पत्य शसन्ती मनसा सवितावदात् । (ऋ० १०।८५।९)

विवाह में स्वेच्छया कन्या को, दहेज आदि दिया जाता था, इसका संकेत सूक्त की तेरहवी ऋचा करती है, जिसमें मघा नक्षत्र के उदय होने पर विदाई में दी गयी गीतों का वर्णन है^१। कन्या की विदाई समम्मान पलाश और शाल्मली वृक्ष की लकड़ी से बने अलकृत रथ पर बैठाकर की जाती थी, यह ऋक्संहिता (१०।८५।२०) से स्पष्ट है।

सुमनस्यता के लिये आशीर्वादप्राप्त कन्या का गोत्र विवाह के बाद बदल जाता था। पति का गोत्र ही उसका गोत्र हो जाता था, इसका संकेत सूक्त की पच्चीसवी ऋचा में है^२।

नारी अपने घर की शासिका मानी जाती थी, इसका स्पष्ट संकेत इस सूक्त की सत्ताईसवी ऋचा में है, जहाँ उसे वृद्धावस्था तक अपने पति की प्रीतिभाजन बनकर शासन करने को कहा गया है^३।

पर्दा-प्रथा का अस्तित्व नहीं था, इसका संकेत सूक्त की तैंतीसवी ऋचा में है, जहाँ वर स्वयं अपनी पत्नी को देखने का अन्य लोगों से आग्रह करता है^४।

नारी सौभाग्य की प्रतीक मानी जाती थी, पति-पत्नी का समाज में समान अधिकार था। सूक्त की चालीसवी ऋचा में "पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजा" पढ़कर कुछ लोग उस समय एक स्त्री के अनेक पतियों को कल्पना करने लगते हैं, जो पूर्णतया असंगत है, क्योंकि वहा सोम, गन्धर्व एव अग्नि को रक्षकरूप में पति कहा गया है।

"दशास्या पुत्रानाधेहि" (ऋ० १०।८५।४५) का तात्पर्य यह कदापि नहीं था कि संहिताकाल में केवल पुत्रों को ही महत्त्व दिया जाता था और पुत्री तिरस्कार से देखी जाती थी। पितृकुल की प्रधानता तथा पिण्डोदक-क्रिया के अधिकारी पुत्र का नाम यहाँ उपलक्षण-मात्र है। यदि ऐसा न होता तो "सम्राज्ञो इवशुरे भव" (ऋ० १०।८५।४६) की उदात्त भावनाओं का प्रचार-प्रसार तथा विकास वैदिक-संहिता-काल में न होता।

निष्कर्ष—

बाल विवाह नहीं होते थे। विवाह की अवस्था प्रौढावस्था थी। स्वेच्छया दहेज दिया जाता था। पुत्र-पौत्रों से भरे-पूरे घर को स्वर्ग तुल्य समझा जाता था, जहाँ पति-पत्नी सामाजिक जीवन का आनन्द लेते थे।

१. सूर्याया बहुतु प्रागात्मविता यमवामृजम् ।

अषामु हन्यन्ते गावोऽर्जुन्यो पर्युह्यत ॥ (ऋ० १०।८५।१३)

२. प्रथा मुञ्चामि तामुत सुबद्धाममुतस्करम् । (ऋ० १०।८५।२५)

३. इह प्रिय प्रजया त समृच्यतामस्मिन्नुहे गार्हपत्याय जामृहि ।

एना पत्या तन्व स सृजस्वाधा जिन्ना विदमथा वदाय ॥ (ऋ० १०।८५।२७)

४. सुमङ्गलोरिय बधूरिमा समेत पश्यत । (ऋ० १०।८५।३३)

अन्य मन्त्र-द्रष्टियाँ

इन्द्राणी—

ऋक्संहिता दशम मण्डल के ८६वें तथा १४५वें सूक्त की द्रष्टो इन्द्राणी मानी गयी है। दशम मण्डल के ८६वें सूक्त के छठें मन्त्र मे नारी अपने सुखद सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालती हुई स्वयं कहती है—“कोई अन्य नारी मुझसे अधिक सौभाग्यवती एव पुत्रवती नहीं है। भविष्य मे भी मुझसे बढकर पति को सुख देने वाली नारी की स्थिति असम्भव है”^१।

नारी-समाज को यज्ञो मे भाग लेने तथा स्वतन्त्रतापूर्वक उनके सयोजन का अधिकार तथा सत्कार प्राप्त था। इस कथन की पुष्टि इस सूक्त के १०वें मन्त्र से होती है^२।

अखण्ड सौभाग्यवाली नारी का समाज मे बडा आदर था। ऐसी नारी जो धन एव पुत्र से युक्त होती थी, उसे श्रेष्ठ सुस्तुपा (बधू) इस सूक्त के १३वें मन्त्र में कहा गया है।

ऋक्संहिता-दशम मण्डल के १४५वें सूक्त से स्पष्ट होता है कि उस समय बहु-विवाह की प्रथा प्रचलित थी। इस सूक्त की दूसरी ऋचा मे सपत्नी (सीत) को दूर रखने तथा पति को अपने वश मे रखने की बात कही गयी है। इस सूक्त की तीसरी ऋचा मे अपनी सपत्नी के प्रति एक नारी को कितनी घृणा हो सकती है, यह दर्शाया गया है^३। सपत्नी के कारण उस समय नारी की सामाजिक स्थिति अवश्य ही कट्टर रही होगी, इसका अनुमान इन्द्राणी द्वारा दृष्ट सूक्त से लगाया जा सकता है।

शची—

ऋक्संहिता-दशम मण्डल के १५९वें सूक्त का दर्शन करने वाली ऋषिका शची पौलोमी मानी गयी है। इस सूक्त के सभी मन्त्रो मे अपनी सपत्नियों के मान-मर्दन की बात कही गयी है। इस सूक्त मे आया दूसरा मन्त्र “अहं केतुरह मूर्धा-हमुप्रा विवाचनी” उस समय की नारी की सामाजिक गौरवशालिनी अवस्था का ज्ञान कराती है, जिसके सामने प्रतिद्वन्द्विनियाँ (सपत्नियाँ) पराभूत होती हैं। अपने

१ न मत्स्रो सुभमत्तरा न सुयानुतरा भुवन् ।

न मत्प्रतिच्यवीयसी न सव्युत्तमीयसि विश्वस्मादिन्द्र उत्तर ॥ (ऋ० १०।८६।६)

२ सहोत्र स्म पुरा नारी समन वाच गच्छति ।

वेधा ऋतस्य बीरिणीन्द्रपत्नी महीपते विश्वस्मादिन्द्र उत्तर ॥ (ऋ० १०।८६।१०)

३ उत्तराहमुत्तर उत्तरेदुतराम्य ।

अथ सपत्नी या ममाधरा साधराम्य ॥ (ऋ० १०।१४५।३)

पुत्र-पुत्रियों के कार्यों पर गर्व करने वाली नारी उस समय सभी पर शासन करने का गौरवमय घोष करती है^१।

इन्द्र-मातरः—

“इन्द्रमातर” शब्द भी उस समय के बहू-विवाह का सूचक है। इन्द्र की माताओं ने ऋक्संहिता के दशम मण्डल के १५३वें सूक्त का साक्षात्कार किया था, जिसमें पाँच मन्त्र हैं। इस सूक्त के प्रथम मन्त्र से उस समय की शिशुपालन-सम्बन्धी परिचर्या का पता चलता है।

इन्द्रस्नुषा—

ऋक्संहिता के दशम मण्डल का २८वाँ सूक्त इन्द्र की वधू द्वारा दृष्ट माना गया है, जिसमें वह स्वयं कहती है—“सब देवता मेरे यज्ञ में आ गये हैं, परन्तु अभी तक मेरे श्वसुर (ससुर) इन्द्र नहीं आये, यदि आ जाते तो भुने जौ के साथ सोम-पान करते^२।

उपर्युक्त कथन से पुत्र-वधू तथा श्वसुर के प्रिय सम्बन्धों का ज्ञान होता है और इस बात का संकेत भी मिलता है कि उस समय पर्दा की प्रथा नहीं थी, अर्थात् सास ससुर के साथ विना भेद-भाव के बहूएँ भी खाती-पीती थी।

संवाद-सूक्त—

संहिता-वाङ्मय के तीन सूक्त—(१) यम-यमो-संवाद (ऋ० १०।१०), (२) उर्वशी पुरूरवा संवाद (ऋ० १०।१५) तथा (३) सरमा-पणि संवाद (ऋ० १०।१०८), संहिताकालीन नारी की सामाजिक स्थिति पर विस्तृत प्रकाश डालते हैं।

(१) यम यमो सम्बन्धा सूक्त का द्रष्टी यमो है, जो इस संवाद के माध्यम से स्वच्छाचरण करने वाले युवकों के सम्मुख अपने भाई यम के उदात्त चरित्र को रखती है। यमो एक प्रतीक है स्वच्छन्द विचरण करने वाली नारियों का, जो कामवासना के वशोभूत होकर अपने सहोदर सभी सम्भोग-समागम करने में नहीं हिचकती

कितनी उदात्त भावना है सहादर यम की अपनी बहन यमो के प्रति, जब वह कहता है—‘हे यमो ! हम सत्यभाषी हैं, कभी मिथ्या नहीं बोलते। सूर्यलोक के अधिपति आदित्य हमारे पिता तथा उनकी अर्द्धांगिनी योषा हमारी माता है^३।

१ समजैपनिमा अह सपत्नीरभिभूवरो ।

यथाहमस्य वीरस्य विराजानि जनस्य च ॥ (ऋ० १०।१५।६)

२ विश्वो ह्यन्यो अरिराजगाम ममेदह श्वसुरो ना जगाम । (ऋ० १०।२८।१)

३ गन्धर्वो अस्त्वप्या च योषा सा नो नाभि परम जाभि तन्वो । (ऋ० १०।१०।४)

यमी की स्वेच्छाचारिता का उत्तर देते हुए यम अपनी बहन को उत्तर देते हुए कहते हैं—“हे यमी ! देवताओ के दूत सदा चैतन्य रहते हैं, उनके लिए रात-दिन बाधक नहीं हैं। अतः यहाँ से दूर चली जाओ (इसकी मे कल्याण है)।”

इस सूक्त का प्रथम, द्वितीय, पष्ठ, सप्तम, एकादश एव त्रयोदश मन्त्र यमी की उक्तियाँ हैं, जिनमे अपने भाई यम को पथभ्रष्ट करने मे अनेक युक्तियाँ दी गयी हैं। इन्हीं उक्तियों को अभिधेय समझकर कुछ आधुनिक विद्वान् उस समय के भाई-बहन के विवाह-सम्बन्ध का समर्थन करते हैं, जो युक्तियुक्त नहीं है; क्योंकि यम-यमी के सम्बन्ध के आधार पर आज भी हिन्दू-समाज मे कार्तिक शुक्लपक्ष की द्वितीया तिथि “भइया-दूज” के नाम से आदृत है। इस दिन भारतीय बहनें अपने भाइयों को टीका लगाकर उनके अनिष्ट का परिष्कार करती हैं। भ्रातृ-द्वितीया को यम-द्वितीया भी कहा जाता है।

(२) उर्वशी-पुरूरवा-सवाद (सूक्त) उस समय के समृद्ध नारी-समाज की उत्कृष्टता का प्रतीक है। स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी का प्रणय-बन्धन होता है। दोनों के सम्पर्क से “आयु” नामक पुत्र की उत्पत्ति होती है। कुछ दिनों के पश्चात् उर्वशी स्वर्ग चली जाती है, जिसके वियोग मे पुरूरवा व्याकुल हो उठता है। व्याकुलता इस सीमा तक बढ़ जाती है कि राजा पत्नी-वियोग मे आत्महत्या करने लगता है।

अपने पति की इस हीनावस्था को देखकर उर्वशी इस सूक्त की पाँचवी ऋचा मे एक सच्ची भारतीय नारी का पाठ दुहराती हुई अपने पति पुरूरवा से कहती है—“हे पुरूरवा ! मुझे आपके घर मे किसी सपत्नी से प्रतिस्पर्द्धा नहीं थी, मैं तुमसे सब प्रकार से प्रसन्न थी, क्योंकि मैंने जब से तुम्हारे घर मे प्रवेश किया, तुमने मेरी सुख-सुविधाओ का ध्यान रखा था”। इसके अनन्तर पुरूरवा को आत्म-हत्या से विरत करने के लिये वैराग्यपूर्ण पाण्डित्य का परिचय देती हुई कहती है—“हे पुरूरवा ! गिरो मत, मृत्यु की इच्छा का परित्याग करो, क्योंकि स्त्रियो तथा वृको (मेढियो) का हृदय एक-सा होता है, इनकी मित्रता स्थायी नहीं होती (ऋ० १०।१५।१५)।

“न वै स्त्रेणानि सख्यानि” उर्वशी के इस कथन को लेकर कुछ आत्म-प्रसन्नी विद्वान् यह मानने लगे हैं कि उस समय नारी-समाज अविश्वसनीय माना

१ न तिष्ठन्ति न निमिषन्त्येते देवाना स्पर्श इह मे चरन्ति ।

अन्येन मदाह्नो याहि तूय तेन वि बृह रथ्येव चक्रा ॥

२. वि स्म माह्न इनयथा वतसेनोत स्म मेऽग्यत्वं पूणासि ।

पुरूरवोऽज् तै क्तेमाय राजा मे वीर तन्वस्तदासा ॥ (ऋ० १०।१५।१५)

जाता था। वस्तुतः ऐसा सोचने वाले लोग वे हो हैं, जिन्हें साहित्यकारों ने "काष्ठ-कुड्यसन्निभ." कहा है।

(३) सरमा-पणि सवाद सहिताकालीन नारी की निर्भोक्ता की जीती-जागती एक तस्वीर है, जिसे "पणि" लोगों का लालचभरा भरोसा भी धूमिल नहीं कर सका।

दौत्य-कार्य के लिये सर्वाधिक विश्वमनीय "सरमा" इन्द्र की दूती है, जो उस समय के असामाजिक कृपण वैश्यो (पणियो) के पास जाती है, इस बात का पता लगाने के लिये कि इन लोगों ने गो धन को कहीं छिपा रखा है। अपने पास हठात् आयी हुई सरमा को देखकर "पणि" कहते हैं—“आप हमारी बहन है, हम आपको गो-धन का भाग देते हैं, अब लौटकर मन जाओ” (सूक्त को ९वी ऋचा)।

“सरमा” का पणियो को दिया गया उत्तर कितना तार्किक एवं युक्ति-संगत है—“हे पणियो ! मैं भाई-बहन का रिश्ता नहीं जानती। इन्द्र और अगिरस ने मुझे अच्छी तरह से रक्षित करके यहाँ भेजा है। अब यहाँ से कहीं दूसरी जगह आप लोग चले जायें”।

वैदिक-वाङ्मय में “पणि” शब्द निन्दापरक रहा है, क्योंकि ये लोग छुड़-छुड़ से धन-संग्रह करने वाले सखोरों के प्रतीक थे। ऐसे लोगों के बीच जाकर देव-कार्य करना बहुत ही कठिन था, जिसे ना तो सरमा ने बड़ी ही चतुराई के साथ सम्पन्न किया।

सारांश—

सहिताकालीन वैदिक समाज का आधार कुटुम्ब था। विवाह युवावस्था में होता था। बाल-विवाह की दूषित प्रणाली वही प्रचलित न थी। युवक युवतियों को अपना जीवन-संगो चुनने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। विवाह एक पवित्र एवं चिरस्थायी सम्बन्ध माना जाता था।

नारी की सामाजिक स्थिति सहिता काल में जितनी ऊँची थी, उतनी फिर कभी दृष्टिगोचर नहीं हुई। पुरुषों की तरह ऊँची शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नारी समाज को भी था। घोषा, अपाला, जुहू, रामशा, लोषामुद्रा, विश्ववारा, शश्वती आदि २१ सूक्त-द्रष्ट्रियाँ इस बात की प्रमाण हैं कि उस समय ऋषि होने का गौरव नारी समाज को सुलभ था। परिवार में नारियों की प्रतिष्ठा थी। मागलिक (वैवाहिक) कार्यों में वधू को आशीर्वाद दिया जाता था कि वह अपने पति के घर में साम्राज्ञी बनकर पूरे कुटुम्ब को अपने आदर्शमय व्यवहार से अपने वशीभूत

१ नाह वेद भ्रातृत्व नो स्वसूत्रमिन्द्रो विदुरङ्गिरसश्च घोरा.।

गोकामा मे अच्छदयग्यदायमपात इत पणयो वरीय ॥ (ऋ० १०।१०।१०)

करे। घरेलू एव धार्मिक कृत्यों के सम्पादन में नारी नर का दर्जा बराबर का था। पत्नी के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता था।

विवाह के बन्धन कठोर नहीं थे। गुणों के आधार पर विवाह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि वर्णों में होते थे। वर्ण व्यवस्था का तग दापरा उस समय न था, जैसा कि बाद के कालों में दृष्टि-गोचर होता है।

आश्रम-व्यवस्था के चार स्तम्भ (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास) थे। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति देवऋण, ऋषिऋण, पितृऋण के अतिरिक्त मानव सेवाऋण लेकर ही ससार में आता था। ऋषि ऋण से उऋण होने के लिये अध्ययन अध्यापन, पितृ-ऋण से सन्तानोत्पादन, देवऋण से यज्ञ आदि का सम्पादन एव मानव-ऋण से मुक्ति पाने के लिए जन सेवा अनिवार्य कार्य माने जाते थे।

राजनैतिक व्यवस्था

गोपायन माता—

ऋक्संहिता के दशम मण्डल के ६०वे सूक्त की द्रष्ट्री गोपायनी की माता (अगस्त्य-स्वसा) मानी जाती हैं। इस सूक्त की छठी ऋचा में आप तत्कालीन “अममाति” नामक नरेश को सम्बोधित करती हुई कहती हैं—“हे राजन्! महर्षि अगस्त्य के धेयतो (दोहित्रो) के हितार्थ रक्तवर्ण वाले अश्वों को रथ में योजित कर अत्यन्त लोभी, अदानशील व्यक्तियों पर विजय प्राप्त करें”।

मूक्त की ऋचा १ से ५ म तक अच्छे शासक के गुणों से अलंकृत भजेरथ नरेश के वंशज अममाति नरेश की भूरि भूरि प्रशंसा की गयी है। मेधावी-जनो से प्रशसित, शत्रु-नाशक, तेजस्वी इस राजा के मनोरथ रथारूढ होते ही सिद्ध हो जाने की बात कही गयी है, क्योंकि वे बाध की तरह अपने शत्रुरूपी भैंसों का हनन करने में समर्थ थे। इक्ष्वाकु वंशज इस राजा को श्रेष्ठ रक्षक के रूप में वर्णित करते हुए तत्कालीन पंच जनो (जनपदों) का भी संकेत किया गया है, जो उनके शासन के अन्तर्गत आते थे।

संहिताकाल की राजनीति में नारी समाज की सच्ची पैठ थी, इस बात की पुष्टि इस सूक्त में वर्णित उपर्युक्त विवरण से हाती है। कैसे शासक के प्रति जनता आक्रुष्ट होती है, किसके आगे शत्रु अनायास ही गतमस्तक हो जाते हैं, इसका विशद

१ अगस्त्यस्य नद्भ्य सप्तो युनक्षि रोहिता ।

पथीन्यक्रमोरभि विश्वाःराजतरावथ ॥ (ऋ० १०।६०।६)

एव सुन्दर चित्रण यहाँ किया गया है, जो उस समय की जागरूक नारी की राजनीतिक सूझ बूझ का सबल प्रमाण है।

जन शब्द का प्रयोग ग्राम से बड़ी बस्ती के लिये सम्भवतः प्रयुक्त होता था। ऋक्संहिता (१।८९।१०) में 'पञ्च जना' का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ सायण और यास्क ने देव, पितर, गन्धर्व, असुर, राक्षस या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, द्रुद्र तथा निषाद किया है, परन्तु यहाँ "गोपायन" द्वारा दृष्ट इस सूक्त में "जना" शब्द का प्रयोग सम्भवतः "भारत जनम्" (ऋ० ३।५३।१२) के अनुसार व्यापक दृष्टि का परिचायक है, जिसमें अनु, द्रुह्य, तुर्वशु, यदु, भरत (पुरु) वशी जातियाँ आती हैं। ऐसे "जन" का शासक राजा होता था, जिसका उल्लेख "गोपायना" न असमाप्ति राजा के रूप में किया है।

अदिति—

ऋक्संहिता की सर्वाधिक चर्चित अदिति ने (ऋ० ४।१८) सूक्त का साक्षात्कार किया है, जिसमें वृत्रासुर नामक दैत्य को जनविरोधी गतिविधियों का सम्यक् रूप से निरूपण किया गया है। इस सूक्त की पाचवी, छठी एवं सातवी ऋचा विशप द्रष्टव्य है, जिनमें विदुषी अदिति ने इन्द्र को अपने सामर्थ्य से आकाश पृथिवी को व्याप्त करने वाला कहा है। छठी ऋचा में एक विज्ञ व्यक्ति को मन्त्रोचित करते हुए कहा गया है—'हे विज्ञ! ये नदियाँ क्या कहनी हैं इनसे पूछो। क्या ये नदियाँ जल को रोकने वाले वृत्रासुर के हुन्ता इन्द्र का स्तुति गान कर रही हैं?'^१

इस सूक्त में 'कुपवा' नाम्नी राक्षसी, "व्यस" नामक दैत्य का नामोल्लेख उस बाल की अस्थिरता का सूचक है। दुष्ट-प्रवृत्तिमा पर अनुश्रुत लगाने वाले इन्द्र की अनुशासन-पूर्ण राज्य शक्ति का इससे पता चलता है।

देवासुर-संग्राम की सूत्रधात्री अदिति ही है। कश्यप ऋषि की दो पत्नियों में दूसरी पत्नी का नाम 'दिति' था, जिसके गर्भ से दैत्य उत्पन्न हुए और अदिति के गर्भ से देवों का जन्म हुआ। दैत्यों के समाज विरोधी कार्यों का विरोध ही देवासुर-संग्राम का मुख्य कारण था।

इस सूक्त में अदिति का आशय स्पष्ट है कि जनता का उत्पीड़न करने वाली बड़ी से बड़ी शक्ति का भी अन्त में ध्वंस हो जाता है, जैसे विश्वव्यापी प्रभुत्व वाले वृत्रासुर का इन्द्र के हाथों हुआ।

१ एता अपत्यलताभव तीऋतावरोरिव सङ्क्रोशमाना ।

एता विपुच्छ किमिदं भनन्ति कमापो अद्रि परिर्वि ह्यन्ति ॥ (ऋ० ४।१८।६)

नदी शब्द का प्रयोग वैदिक-वाङ्मय की उन तीस नदियों की स्मृति दिलाता है, जिनका नामोल्लेख (ऋक्म० १।४६।२, ७, ८, ९) में किया गया है। सहिताकालीन जनता अपनी इन पवित्र नदियों की विभाजित रेखाओं में निवास करती थी। ऋक्संहिता के दशम मण्डल के पचहत्तरव सूक्त में इन नदियों के त्रिसप्तक की चर्चा है। लगता है उस समय का सम्पूर्ण भारत इन नदियों के सप्तक (मिन्धु सप्तक, सरस्वती सप्तक तथा सरयू सप्तक) में विभाजित था, जिस पर इस देश के मूल-निवासी आर्यों का शासन था।

गोधा—

ऋक्संहिता (१०।१३४) सूक्त की द्रष्ट्री गोधा ऋषिका है, इस सूक्त की छठी ऋचा में कुशल शासक देवराज इन्द्र के शक्ति नामक अन्न की प्रशंसा करती हुई कहती है—“हे इन्द्र ! तुम महान् ऐश्वर्यवाले हो, क्योंकि तुम्हारे पास शक्ति नामक आयुध है जिससे आप शत्रु को खींचकर धराशायी कर देते हैं”।

इस सूक्त के प्रथम मन्त्र में इन्द्र की उत्पत्ति देवों की माता अदिति की कोख से दिखाई गयी है और तृतीय मन्त्र में उन्हें रक्षक होने को कहा गया है।

शक्ति नामक शब्द से उस समय के अन्न-शत्रुओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है, जिनकी राष्ट्र-रक्षा हेतु बड़ी आवश्यकता होती है।

यमी—

ऋक्संहिता के दशम मण्डल के १५४ वें सूक्त की द्रष्ट्री ऋषिका यमी है। इस सूक्त की तृतीय ऋचा में यमी उस समय की मान्यता के अनुसार युद्ध में प्राण देने वाले व्यक्ति को श्रद्धा और सम्मान देती है। इतना ही नहीं प्रतात्मा (मृत व्यक्ति) को उस स्थान पर जाने को कहती है, जहाँ अपनी देह के मोह को छोड़कर सप्राम भूमि में मरने वाले शूरवीर निवास करते हैं^१।

देश, जाति एवं धर्म की रक्षा हेतु प्रोणोत्सर्ग करना सहिताकाल में एक पवित्र कार्य माना जाता था, इस बात की ध्वनि इस सूक्त में मिलती है। अच्छे कार्य के लिये प्राणों का बलिदान उस समय की राजनीतिक विशेषता थी, जिसे यमी ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देखा है।

१ दीर्घं हृदकुशं यथा शक्तिं विभवि मन्तुम ।

पूर्वेण मधव-नदाजो बधा यथा यमो ।

देवी जनि-यजो जनद् भद्रा जनिन्यजो जनत ॥ (ऋ० १०।१३४।६)

२. ये युध्यन्ते प्रधनेषु शूरासो य तनूत्यज ।

य वा सहस्रदक्षिणास्ताश्चिदेवापि पृच्छतात् ॥ (ऋ० १०।१५४।३)

“गोधा” ने राज्यसत्ता को सुचारु रूप देने के लिए शक्ति के साथ “शक्ति” नामक शस्त्रास्त्रों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया है। रक्षक के सम्मान का दिग्दर्शन कराते हुए ‘यमो’ ने जो भाव सग्रामभूमि में मरने वाले वीरों के वारे में व्यक्त किये हैं, वे नि सन्देह अनुपम हैं।

“सरमा” द्वारा किया गया दौत्य-कार्य तत्कालीन नारी के बुद्धि वैभव एवं चातुर्य का परिचय देता है। अपने पक्ष को राजनैतिक दृष्टिकोण से अपने विराधियों के सामने कैसे रखना चाहिए, इसे नारी “सरमा” अच्छी तरह जानती है। भयभीत न होने वाली नारी ही अपने प्रभु का कार्य कर सकती है, यह सरमा के जीवनवृत्त से सिद्ध होता है।

सार्वभौमिकता के लिये शासक के पास जिन अतिवार्ध तत्वों की आवश्यकता होती है, उन सबका संकेत मन्त्र द्रष्टियों ने अपने अपने सूक्तों में किया है। राजा (शासक), जन (जनपद), नदी, पर्वत, शस्त्रास्त्र के साथ जन-सहयोग आदि की चर्चाएँ उपर्युक्त सूक्तों में की गयी हैं, जिनसे नारी को राजनैतिक स्थिति का आभास हो जाता है।

धार्मिक व्यवस्था—

घृ (घृन् धारणे) धातु से निष्पन्न होने वाले धर्म शब्द को व्यापकता की स्रोत वैदिक सहिताएँ ही हैं। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इस जिज्ञासा के समाधान में सहिताओ का साक्ष्य ही परम प्रमाण माना गया है। अभ्युदय और निश्चयस को प्राप्त कराने का साधन सहिताओ में सार्वभौमिकता का अमर संदेश है, जिसके फलस्वरूप आज ये ससार के सम्पूर्ण धार्मिक निद्वान्तों की उपजीव्य मानी जाती हैं।

सहिताकाल में नारी नर की परामर्शदात्री मानी जाती थी, जिसे नर के प्रत्येक धार्मिक-कार्य में एक साथ बैठने, कार्य करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था, क्योंकि वह सहधर्मिणी थी। ऋक्-सहिता (५६१८) में पत्नी को पति का “नेम” अर्थात् आधा अंग कहा गया है। मयुक्त रूप में यज्ञानुष्ठान (ऋ० ५१५३१५), सयुक्त रूप में अग्निहोत्र (ऋ० ५११७३), पूषक् रूप में भी नारी को यज्ञ करने का अधिकार (अथर्वसहिता ११११७-२७), मूक्तद्रष्ट्री विश्ववारा प्रतिदिन यज्ञ करती थी (ऋ० ५१२८१) आदि वैदिक प्रमाणों से पता चलता है कि उम्र समय नारी को नर के समान ही धार्मिक कृत्यों के सम्पादन की पूर्ण सुविधा थी।

पाणिग्रहण एक धार्मिक कृत्य है, जिसमें कन्या “सप्तपदी भव” ऐसा कहने पर पुरुष के सामने अपने धार्मिक कृत्यों के साथ अन्य अधिकारों को माग करती हुई रहती है—“आप यज्ञ, दान, व्यवसाय, अन्य सामाजिक कर्मों में मुझे सहयोगी

समझने और मेरी सम्मति का आदर करने का यदि वचन दें, तो मैं आपकी वामांगी बनने को तत्पर हूँ"। पुरुष—“गुण्णामि ते सौभाग्यवाय” (ऋ० १०।८५।३७) कहता है, जिसका आशय स्पष्ट है कि “हे कन्ये, तुझे सौभाग्यवती बनाने के लिये ही मैं तेरा हाथ ग्रहण करता हूँ। तुम मेरी वृद्धावस्था तक सहयोगिनी रहो”।

वागाम्भृणी—

ऋक्-संहिता दशम मण्डल के १२५वें सूक्त की द्रष्ट्री “वागाम्भृणी” है, जिनमें सगठन करने की अद्भुत शक्ति है। देवी-गुणी से सम्पन्न इस नारी ने राष्ट्र को एक सूत्र में बाँधने को सर्वोत्तम धर्म माना है। सगठन-शक्ति के रूप में अपना परिचय देती हुई वे कहती हैं—“मैं राज्यों की अधिष्ठान्नी एवं धन-प्रदात्री हूँ। मैं ज्ञान से अलंकृत तथा यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले सभी साधनों में सर्वोत्तम हूँ। मैं प्राणिमात्र में निवास करती हूँ। देवताओं ने मुझे महत्त्व देते हुए अनेक स्थानों पर स्थापित किया है”।

नारी की अद्भुत-शक्ति का प्रतिपादन करने के साथ ही सूक्त-द्रष्ट्री का विचार स्पष्ट है कि शरीर में नाड़ी जिस प्रकार गतिमान है, उसी प्रकार समाज में नारी क्रियाशील है। प्राण-धारण, श्रवण, दर्शन, भोजन आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था नारी-धर्म की धुरी के चारों ओर व्यवस्थित है। यही कारण है कि प्रस्तुत सूक्त के चतुर्थ मन्त्र में स्पष्ट कहा गया है—“हे विज्ञ! मैं जो कहती हूँ, वह पूर्ण यथार्थ है, मुझे न मानने वाले क्षीणता को प्राप्त होते हैं”।

नारी नरत्व की नीव है, इसके प्रतिपादन में कहा गया है—“मैं देवता और मनुष्यों के परम-पुरुषार्थ की उपदेशिका हूँ। मेरी कृपा से ही लोग बलवान्, मेधावी, स्तोता और कवि बनते हैं”।

देवताओं की स्तुति करना संहिता-काल में एक आवश्यक धर्म माना जाता था। स्तुति न करने वाला व्यक्ति राजा का कोपभाजन बनता था। इस कथन की पुष्टि सूक्त की छठी ऋचा से होती है, जिसमें—“अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विपे” का प्रतिपादन किया गया है। मनुष्यों के लाभार्थ सग्राम करने वाली, आकाश स्थल-समुद्र में विचरण करने वाली, जिसने अपने सदाचरण से स्वर्ग को स्पर्श किया, उस वागाम्भृणी की उक्ति है कि—“मैं जब सृजन-कार्य करती हूँ, तो मेरी गति वायु के

१ अहं राष्ट्रां सद्गमनी धमूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम् ।

ता मा देवा व्यदधु पुरुवा भूरिस्थात्रा भूयविशयन्तीम् ॥ (ऋ० १०।१२५।३)

२. अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवभिरुत मानुषेभिः ।

य कामये तं समुप कृणोमि तं ब्रह्माणं तमपि तं सुमेवाम् ॥ (ऋ० १०।१२५।५)

समान होती है। मैं अपने महत्वपूर्ण कार्यों से महिमामयी होकर आकाश, पृथिवी की सोमाओ को भी लांघ चुकी हूँ” ।

इस सूक्त का साक्षात्कार करने वाली “वागाम्भृणी” ने सहिता-कालीन नारी की धार्मिक स्थिति का सम्यक्-ज्ञान कराते हुए प्रारम्भ के दो मन्त्रों मे सब कुछ कह दिया है। उस समय नारी स्वतन्त्र-रूप से रुद्रगण, वसुगण, तथा आदित्यगण देवताओ के पूजन अर्चन हेतु अनुष्ठान करती थी। मित्रावरुण, इन्द्र, अग्नि, अश्विनो-द्वय को प्रमन्न करने के लिये सोम (पेय-पदार्थ) का धारण करना नारी के अधीन था। त्वष्टा, पूषन् (पूषा) आदि देवता भी उस समय की नारी के आराधनीय देव माने जाते थे।

श्रद्धा—

“श्रद्धा” ऋक्सहिता दशम मण्डल के १५१वें सूक्त का साक्षात्कार करने वाली ऋषिका है। इस सूक्त मे श्रद्धा के महत्व का सागोपाग वर्णन बिया गया है। श्रद्धा को छोडकर जीवन की सभी धाराएँ दुःखदायिनी होती हैं। श्रद्धा के महत्व का प्रतिपादन करती हुई सूक्तद्रष्ट्री कहती है—“वायु को अपना रक्षक बनाने की अभिलाषा करने वाले देवता तथा मनुष्य श्रद्धा को आराधना करते हैं। उपासकों के निश्चय का कारण श्रद्धा ही है। श्रद्धा का आनुकूल्य ही वैभव प्राप्ति का साधन है। प्रातः, मध्याह्न एव सायंकाल श्रद्धा ही हमारे द्वारा (सन्ध्यावन्दन के रूप मे) आहूत होती है” ।

ऋक्सहिता मे उषा, सूर्या, वाक्, पृथिवी, श्रद्धा आदि अनेक नारियों को देवता की सजा दी गयी है। वैदिक-सहिताकाल मे नारी-समाज को देव-कोटि मे रखा जाता था और धार्मिक दृष्टि मे समाज मे उसका स्थान बड़ा ही आदरणीय था। कन्यावस्था मे ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना अनिवार्य था।

सहिताकाल मे नारी का अन्तस्तल सात्त्विक श्रद्धा विश्वास का वक्षःस्थल माना जाता था। श्रद्धारूपी नदी नारी ने सदा विश्वासरूपी नग नर का पाद-क्षालन किया है। वस्तुतः ज्ञानपूर्वी अपनी अगाध श्रद्धा व्यक्त करने के कारण

१ अहमेव वातश्च प्र वाभ्यारभमाणा भुवनानि विश्वा ।

परो दिवा पर एता पृथि यैतावती महिना स वभूव ॥ (ऋ० १०।१२५।८)

२ श्रद्धा देवा यजमाना वायुगोपा उपासते ।

श्रद्धा हृदय्य याकृत्या श्रद्धया विदन्ते धनु ॥

श्रद्धा प्रातर्हवामहे श्रद्धा मध्यन्दिन परि ।

श्रद्धा सूर्यस्य निम्न्रुचि श्रद्धे श्रद्धापयेह न ॥ (ऋ० १०।१५१।४-५)

ही नारी वैदिककाल में ससम्मान जीवन यापन करती थी। आज का तमोगुणो मानव, नारी को उम श्रद्धामयी मूर्ति का आकलन नहीं कर सकता, जिसको सहिताकाल का सात्त्विक पुरुष श्रद्धा से पूजता था। यही कारण है कि यस्सी, विपथ गामिनी नारी को वैदिक-वाङ्मय में सर्वत्र निन्दा की गयी है।

दक्षिणा—

ऋक्संहिता दशम-मण्डल के १०७वें सूक्त की द्रष्ट्री दक्षिणा (प्राजापत्या) मानी गयी है। इस सूक्त में दान-दाता को प्रशंसा की गयी है। दानशील व्यक्ति उस समय ग्राम का प्रथम नागरिक माना जाता था। उदार व्यक्ति को राजा के समान आदर मिलता था^१।

अच्छी नारी प्राप्त करने के लिये दानदाता होना आवश्यक था। मन्त्र-द्रष्ट्री प्रस्तुत सूक्त के नवम, दशम मन्त्र में कहती है—“दान दाता व्यक्तियों को घृत, दुग्ध देने वाली गौ, सुन्दरी, सुशीला, नवोद्भा परनी की पाति होती है और ऐसे लोग अपने शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त करते हैं। द्रुतगामी अश्व, सुन्दरी नारी, पुष्करणी के समान स्वच्छ तथा देवमन्दिर के सदृश चित्ताह्लादक निवासस्थान भी दान देने वालों को सुलभ होता है^२”।

राष्ट्र को सुख-समृद्धि, विकास के लिये सगठन, पारस्परिक सहयोग, सह अस्तित्व, श्रद्धा, विश्वास आदि गुणों के साथ उदारता, दानशीलता को भी धार्मिक-भावना का एक महत्त्वपूर्ण अंग माना जाता था। इस तथ्य को इस सूक्त में भली-भांति दर्शाया गया है।

विशेषताएँ—

संहिताकालीन धार्मिक भावना की पहली विशेषता है कि उसमें सार्वभौमिकता है, सकीणता नहीं। इस धर्म की दूसरी विशेषता है कि यह परम-पिता परमात्मा को ही अपना परम लक्ष्य मानने की सम्मति देता हुआ कहता है—“त्व हि न पिता वसो, त्व माता शतक्रतो बभूविथ, अथा ते सुम्नमीमहे”। अर्थात् हे सबको दास देने

१ दक्षिणावाग्रप्रथमा हूत एति दक्षिणावान्प्रामणीरप्रमेति ।

तमेव मन्ये नृपति जनाता य प्रथमो दक्षिणामाविवाय ॥ (ऋ० १०।१०७।५)

२ भोजा जिग्यु सुरभि योनिमथे भोजा जिग्युवश्व या सुबासा ।

भोजा जिग्युरन्त पेय सुराया भोजा जिग्युर्ये अहूता प्रयन्ति ॥

भोजायाश्व म मृजन्त्याशु भोजायास्ते कन्या शुम्भमाना ।

भोजस्येद पुष्करिणीव वश्व परिष्कृत देवमानेव चित्रम् ॥ (ऋ० १०।१०७।९-१०)

वाले प्रभु, आप ही हमारे सच्चे पिता तथा कल्याणदात्री माता है, इसलिये हमे शरण दें। अपने सुकर्म तथा दुष्कर्म के फल का भोक्ता अकेला व्यक्ति ही होता है, इसलिये सत्कार्य करना चाहिए, यह तीसरी विशेषता मानो गयी है। चौथी विशेषता यह है कि वैदिक-धर्म नर नारी के सम्पूर्ण जीवन को वर्णाश्रम व्यवस्था द्वारा व्यवस्थित कर देता है, जिसमे शिक्षा, रक्षा, जीविका (व्यवसाय) तथा कला कौशल के निर्वाह के साथ ऐसी सुदृढ़ स्थिति बनती है, जिसका पराभव असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य माना गया है। पाँचवी विशेषता है कि प्रत्येक बात को पहले बुद्धि की कसौटी पर परखकर ही उसमे प्रवृत्त होने की अनुमति यह धर्म देता है। धर्म-अर्थ काम को समभाव से सेवन करने की आज्ञा देने वाली सहिताएँ, मुक्ति को चरम-लक्ष्य घोषित करने वाली ऋचाएँ ही मानवीय ज्ञान की आदि स्रोत हैं—यह स्वीकृति ही इस धर्म की छठी विशेषता है।

उपर्युक्त विशेषताओ का मन्त्रद्रष्टियो ने अपने अपने सूक्तो मे यत्र तत्र प्रतिपादन किया है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि उस समय नारी की धार्मिक स्थिति अच्छी थी, जिसका उत्तरोत्तर ह्रास होता गया और नारी को नर को तुलना में हीन मानने की भावना बलवती हो गयी।

आर्थिक व्यवस्था—

सहिता कालीन नारी की आर्थिक स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप में कुछ कहना कठिन है। एक ओर ऋक्सहिता (१०।८५) में नव वधू को घर की साम्राज्ञी कहकर आदर दिया गया है, तो दूसरी ओर उसे तैत्तिरीय सहिता (६।५।८।२) में "तस्मात् स्त्रियो निरिन्द्रिया अदायादौ" एवं मैत्रायणी सहिता (४।६।४) में "पुमान् दायाद स्त्रो अदायादौ" कहकर नर-नारी के आर्थिक अधिकारो के बीच एक गहरी खाई खोद दी गयी है।

अभ्रातृका कन्याओ को छोड़कर शेष कन्याओ का दायभाग पर कोई अधिकार नहीं था। विवाह के समय भट-रूप में मिलने वाले उपहारो पर नारी के अधिकार की चर्चाएँ हैं। विवाह के समय मिलने वाले इस सम्पत्ति को "पारिणाह्य" कहा जाता था, जिसकी ओर संकेत करत हुए तैत्तिरीय-सहिता (६।२।१।१) में कहा गया है—"पत्नी वै पारिणाह्यस्य ईश," अर्थात् उपहार के रूप में मिलने वाली वस्तुओ पर नारी का पूर्ण अधिकार था। इसका समर्थन काठक-सहिता (२४।८), वपिष्ठल-सहिता (३८।१), मैत्रायणी-सहिता (३।७।९) में भी किया गया है। विधवाँ नारी को धन-प्रदान करने की बात अथर्वसहिता में कही गयी है^१।

१ इयं नारी पतिलोक वृणाना नि पद्यत उप त्व मत्स्य प्रतम् ।

धर्म पुराणमनुपाल्यन्ती तस्यै प्रजा द्रविणं चह वेहि ॥ (अथर्वसहिता-१८।३।१)

इसके अतिरिक्त कुमारी-कन्याएँ, जो वृद्धावस्था तक पिता के घर ही रहकर जीवन यापन करती थी, उनको ओर से पिता की सम्पत्ति में अधिकार-प्राप्ति हेतु ऋक्-संहिता (१०।८५, १३, ३८) तथा अथर्वसंहिता (१।४।१।१३) में प्रार्थना की गयी है। इन्द्र से धन की याचना करने वाला एक व्यक्ति अपने तुलना उस कन्या से करना है, जो वृद्धावस्था तक पितृगृह में रहने पर अपने दायान के लिए पिता से प्रार्थना करती है^१।

वैदिक-संहिताओं में स्त्री-धन की उपर्युक्त चर्चाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नारी का आर्थिक स्थिति स्वतन्त्र रूप में नगण्य थी, परन्तु पिता, पति एवं पुत्र की छत्र-छाया में रहते हुए उसे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक अधिकारों की तरह आर्थिक अधिकारों के उपयोग की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी।

आर्थिक-साधन—

संहिता-काल में नारी नर की सहघर्मिणी सहचरी थी, जो परिवार की समस्त व्यवस्था पर निधन्वण करती हुई आर्थिक सन्तुलन बनाये रखने हेतु पति का सहयोग करती थी। प्राचीन-काल में नारी को साहित्य एवं ललित-कलाओं की ही शिक्षा दी जाती थी, जिसका उद्देश्य धनोपाजन नहीं था, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर धन-अर्जित करने पर प्रतिबन्ध भी नहीं था।

गो-पालन—

ऋक्-संहिता दशम-मण्डल का १०८वाँ सूक्त ऋषिका देवसूनी सरमा द्वारा दृष्ट है। इस सूक्त में मन्त्र-द्रष्ट्री सरमा गो-धन का पता लगाने हेतु गुप्तचर का कार्य करती है। गो-धन वापस न देने के कारण पणियों को गम्भीर फल भोगने की चेतावनी दी है। इन्द्र और महर्षि अगिरस आदि विभूतियों की गो-पालन, सरक्षण, मवर्द्धन में कितनी रुचि है, इनको स्पष्ट ढाँके "सरमा" ने इस सूक्त में दर्शाई है।

अथर्वसंहिता (१०।१०।४) में गो को उत्पादन, आरोग्यता का आधार माना गया है। गो का एक नाम "वशा" भी आया है, जिसके सम्बन्ध में कहा गया है कि वह दूध देती है, भूमि को अपनी खाद से उर्वरा बनाती है, जिससे राष्ट्र परिपुष्ट होता है^२।

गाय राष्ट्र के उत्पादन तथा उसकी अर्थ-व्यवस्था को ठोक करने के साथ हमारे सांस्कृतिक सकेतो की साक्षी भी है। गाय—पाँच ज्ञानेन्द्रियों, पाँच कर्मेन्द्रियों तथा आत्मा (ग्यारह रुद्रों) की माता, २७ वसुदों (नक्षत्रों) की पुत्री, द्वादश आदित्यों (चारह महीनों) की बहन, अमृत की स्रोत है, इसलिये इसे अवश्य माना गया है^३।

१ अमाजुरिब निचो सदा मती ममानादा सदसस्त्वामिधे भगम् । (ऋ० १।१७।७)

२ अथर्व० १०।१०।८ ।

३ ऋ० ८।१०।१।१५ ।

अथर्व-सहिता (४।५।२१) में गौ की सुरक्षा हेतु उपाय दर्शाए गए हैं—गौ का घोर अपहरण न करें, उन पर दस्त प्रहार न हो, हिंसक जन्तुओं से इन्हें बचाया जाय, भयरहित स्थान पर इनका गमनागमन हो, गो भक्षों के हाथ में इन्हें न जाने दिया जाय ।

गो पालन से यज्ञ सम्पादित होते हैं (यजु०३।४९), गो-पालन से दीर्घायुष्य मिलता है (अथर्व० ६।८।७८) । सहिता-कालीन नारी समाज सदा गो धन की सुरक्षा में लगा रहता था क्योंकि अथर्व-सहिता में गौ माता से प्राप्त होने वाले लाभों को विस्तार से दर्शाया गया है—“गौ के दूध, घृणादि सेवन से निबल पुरुष सबल, अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी, निर्धन मानव धनवान्, कुस्प जन्म रूपवान् हो जाता है । जिस घर में गौ रहती है, वहाँ सदा आनन्द रहता है और गो सेवक का समाज में सर्वत्र समादर होता है” ।

वस्त्र-उद्योग—

गृह-कुटीर-उद्योगों का महत्त्व भारतीय वाङ्मय में सर्वत्र प्रतिपादित है । वैदिक सहिताओं में वेमन् (यजु० १९।८३) = खुड्डी, सीस (यजु० १९।८०) = कपड़ा लपेटने हेतु शीश का वजन, तसर (ऋ० १०।१३०) = नाल, ओतु (ऋ० ६।१।२) = बाना, तन्तु-तन्त्र (ऋ० १०।१३।०।२) = ताना आदि आए शब्दों से ज्ञात होता है कि उस समय वस्त्रोद्योग का प्रचलन बहुत था । वस्त्रों को बुनने, रगने तथा उन पर पोटा आदि लगाने का कार्य कौन करता था ? वस्त्रों के कितने प्रकार थे ? वस्त्रों के बुनने का कार्य कहा होता था ? इत्यादि प्रश्नों का समुचित उत्तर सहिताओं में उपलब्ध है, जिससे स्पष्ट होता है कि उस समय वस्त्र-उद्योग एक घरेलू अनिवार्यता के रूप में स्वीकृत था । अथात् नर नारी अपनी अपनी आवश्यकतानुसार स्वयं वस्त्र-निर्माण करते थे और उसे अन्य साधना में सुसज्जित करने का कार्य भी । ‘चर्खे’ की चर्चा घर-घर में था और उससे बने वस्त्रों को धारण करना राष्ट्रीय धर्म माना जाता था ।

नारी-समाज की रुचि वस्त्रोद्योग में अधिक थी, इसकी पुष्टि ‘सरी-चयित्री’ (जुलाहा), ‘रजयित्री’ (रगरेजिन), ‘वास पप्पूली’ (घोबिन) आदि शब्दों से होती है, जिनका उल्लेख क्रमशः “सरी” (ऋ० १०।७।१।९), चयित्री (पञ्चविंश-

१. यूप गावा मद्ययथा कृत्वा चिद्व्यारचित् कुण्डुया सुप्रतीवम ।

म० गृह कुण्डुय भद्रवाचा बृहद्बो वय उच्यत समासु ॥ (अथर्व० ४।२।१।६)

२. अभिव्रियो महतो विश्वकृष्टय आ त्वयमुग्रमव ईमह वयम ।

त स्वाभिना रुद्रिया पपनिणिज विहा न ह्यकृत्व सुदानव ॥ (ऋ० ३।२।६।५)

ब्राह्मण १।८।९), रजयित्रो (यजु० ३०।१२), वास-पप्पूली (वा० यजु० ३० अध्याय) में है। यह ठीक है कि वस्त्रों को तैयार करने में पुरुष वर्ग को भी उतना ही अधिकार था, जितना नारी को^१।

वस्त्र निर्माण करने वाले नर या नारी में किन-किन गुणों की आवश्यकता होनी चाहिए, इसका प्रतिपादन ऋक्संहिता में करते हुए कहा गया है—“वस्त्र बुनने वाले को बुद्धिमान्, कार्यकुशल, भद्र भावना आदि गुणों से सम्पन्न होना चाहिए”^२।

वस्त्रों की विभिन्नता—

संहिता काल में स्त्रियाँ विभिन्न अवसरों पर पहनने वाले अनेक प्रकार के वस्त्रों का निर्माण करती थीं। ऋक्संहिता में यज्ञ के अवसर पर धारण किये जाने वाले वस्त्रों का निर्माण करने वाली दो नारियों का वर्णन किया गया है^३। अथर्व-संहिता (१४।२।५१) में एक नारी का वर्णन किया गया है, जो अपने पतिदेव के लिये सुन्दर कपड़ों का निर्माण करती है। ऋक्संहिता (५।४७।६) में एक माता अपनी सन्तति (पुत्र पुत्री) के लिये वस्त्र-निर्माण करती हुई कितनी उदात्त भावना रखती थी, इसका अनुभव एक सहृदय सामाजिक सहज में कर सकता है। उस समय अपनी सन्तति के लिए वस्त्रों का निर्माण करना नारी का प्रथम कर्तव्य माना जाता था। वैदिक-युग की माताओं की श्रेष्ठता स्वतः सिद्ध है, क्योंकि उनके पवित्र हाथों से बने हुए दशों वस्त्रों में सद्बिचारा की शिक्षा निहित रहती थी। सनानायक चमकदार कपड़े पहनते थे, इस सम्बन्ध में ऋक्संहिता के नवम-मण्डल में उल्लेख है^४।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि उस समय नारी-समाज अपने घर की आर्थिक स्थिति ठीक रखने के लिये गो पालन के अतिरिक्त चर्खों की सहायता से सूत कातता था और खुड्डी (खड्डी) पर वस्त्र-निर्माण करता था।

सांस्कृतिक-व्यवस्था—

ऋक्संहिता के नवम-मण्डल के पाचव सूक्त में अपने अभीष्ट की पूर्ति में सस्कृति के मूलभूत तीन तत्त्वों (देश, भाषा, धर्म) का आह्वान करते हुए कहा गया

१ इमे वयन्ति पितर । (ऋ० १०।१३०।१)

२ वस्त्रेव भद्रा सुकृता वसूषू रय न धीर स्वया अतक्षम । (ऋ० ५।२९।१५)

३ साध्वपासि सनता न उक्षिते उपासानता वय्येव रण्विते ।

तन्तु तत सवयन्तो समीची यज्ञस्य पेश सुदुषे पयस्वती ॥ (ऋ० २।३।६)

४ प्र सेनानो शूरो अग्रे रथाना गव्यन्नेति हपते अस्य सेना ।

भद्रान् कृष्णान्द्र हवात्सलिभ्य आ सोमो वस्त्रा रभसानि दत्त ॥ (ऋ० १।९६।१)

है—“हमारे इस योग मे ये तीनों देवियां आगमन करें” । मातृभाषा, संस्कृति (धर्म) तथा मातृभूमि के रूप मे आयी ये त्रिमूर्तियां, नि सन्देह उस समय की नारी की सांस्कृतिक स्थिति की सुव्यवस्था की ओर सकेत करती है । कल्याणदायिनी इस मूर्तित्रय के सरक्षण तथा सवर्द्धन का सत्य-सकल्प ही वास्तव मे राष्ट्रीय जन-जीवन को ज्योतिर्मय बना सकता है । ऋक्सहिता के प्रथम-मण्डल के तेरहवें सूक्त मे—
इला, सरस्वती, मही को तीन कल्याणकारिणी देवियों की सजा देते हुए इनसे प्रार्थना की गयी है कि वे राष्ट्रीय-सुरक्षा को सकट मे डालने वाले कुशासको पर नियन्त्रण करें^१ ।

बालको की भाँति किलकारी भरते हुए—“माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या.” (अथर्व-सहिता-१२।१।१२), “उपसर्प मातर भूमिम्” (ऋ० १०।१।८।१०), “यते महि स्वराज्ये” (ऋ० ५।६।६) आदि सूक्तियां वैदिक सहिता कालीन सभ्यता एव देश-भक्ति की प्रमाण है । सैकड़ो हाथो से इकट्ठा करने तथा हजारो हाथो से बाँटने की ओर सकेत करते हुए अथर्व-सहिता (३।२।४।५) मे कहा गया है—“शत हस्त समाहर सहस्रहस्त साकिर” ।

देश-भक्ति—

ऋक्सहिता प्रथम-मण्डल के १०९वें सूक्त की द्रष्टी लोपामुद्रा ने अपने वर्ण-विषय मे देश-भक्ति के गुणो से अलंकृत एक ही सन्तति को श्रेष्ठ माना है । अपने पतिदेव (अपस्त्य) के पूछने पर लोपामुद्रा ने स्पष्ट उत्तर दिया—“हजारो पुत्रो की अपेक्षा एक ही देश-भक्त, समाजसेवी, चरित्रवान्, विद्वान् पुत्र अच्छा है । मैं हजार निकम्मे तथा मूर्ख पुत्रो को लेकर क्या कहूंगी ?”

ऋक्सहिता दशम-मण्डल के १०९वें सूक्त की ।ऋक्षाओ का साक्षात्कार करने वाली नारी “जुहू” का राष्ट्र-प्रेम स्पष्ट है, जब वे अपने सूक्त मे कहती हैं—“मानव-जाति के लोग जब कभी भी भौतिकवादी चकाचौंध मे अपने को विस्मृत कर बैठें, तो उन्हें सत्यान्वेषण हेतु बैठकर चिन्तन करना चाहिए” ।

नारी-समाज में अपने देश की रक्षा के भाव बड़े ही प्रबल थे । ऋक्सहिता (५।३।०।९) मे अपने राष्ट्र की रक्षा हेतु नारियों द्वारा आयुध धारण करने का सकत है । इन्द्र नारी सेना की अवला-सेना की सजा देते हैं । ऋक्सहिता (१।१।१।१०,

१ भारती पवमानस्य सरस्वतीना मही ।

इम नो यज्ञमा गमन्तिष्यो देवीः गुपेसस ॥ (ऋ० ९।५।८)

२ इला सरस्वती मही तिसो देवीर्मयोभुव ।

बर्हि सीदन्वलिष- ॥ (ऋ० १।१।३।९)

१।११।८) में विश्वला नामक नारी अपने देशहित पति के साथ युद्धस्थल में जाती है और युद्ध में उसकी एक टांग कट जाती है, जिसे बाद में अश्विनीकुमार ठीक करते हैं। ऋक्संहिता (१०।१०२।२) में मुद्गलानी नामक नारी का वर्णन है, जिसने अपने राष्ट्रहित में अपने शत्रुओं से एक हजार गौएँ जीती थी।

मातृ-भाषा—

अम्भृषी ऋषि की पुत्री ऋक्संहिता दशम मण्डल के १२५वें सूक्त में वाणी (मातृ-भाषा) के महत्त्व का प्रतिपादन करती हुई बहती है—“यह वाणी ही राज्यों की अधिष्ठात्री है, इसी की कृपा से मानव बलवान्, मेधावी या कवि हो सकता है”। यह सत्य है कि मातृभाषा के ज्ञान से ही सही मार्ग देखा जा सकता है।

ऋक्संहिता के पंचम-मण्डल के २८वें सूक्त में “विश्ववारा” ने अग्निदेव से प्रार्थना करते हुए कहा है—“हे अग्निदेव ! खियाँ अखण्ड सौभाग्यवाली हो और दूसरे लोगों की भलाई में तत्पर रहे”। “विश्ववारा” शब्द का अर्थ ही है—“अपनी वाणी से दूसरों को पवित्र करने वाली नारी”।

अथर्वसंहिता (१९।७।१।१) में मातृभाषा-वेदमाता की स्तुति की गयी है कि वे स्तुति गायक को आयु, सन्तान, कीर्ति, धन, ज्ञान प्रदान करे।

“अपाला” द्वारा दृष्ट (ऋ० ८।९।१) सूक्त का भाषा-सौन्दर्य तथा सौष्ठव नि सन्देह संहिता साहित्य की वह सुधा है, जिससे परवर्ती वाङ्मय अपने को अजर-अमर बनाने में सक्षम हो सका है। यह भाषा का ही प्रभाव था कि अन्त में ऋषि “कृशाश्व” ‘अपाला’ को अबला समझने की भूल स्वीकार करते हुए उन्हें पुनः अपनी सहर्षामिणी के रूप में ग्रहण कर हर्ष का अनुभव करते हैं।

“घोषा” ऋक्संहिता के दशम-मण्डल के १९व तथा ४०व सूक्त की द्रष्टी है। “घोषा” का मातृभाषा प्रेम स्पष्ट है, जैसा कि वह कहती है—“मैं राजकन्या ‘घोषा’ सब जगह वेदों के मन्देश को पहुँचाने वाली स्तुतिपाठिका हूँ” (ऋ० १०।४०।५)। “घोषा” के सूक्तों में सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम् वा समन्वय है, जिसे मातृभाषा की अमर देन कहा जा सकता है।

संस्कृति—

ऋक्संहिता के दशम मण्डल के १०९वें सूक्त की द्रष्टी “जूहू” है, जो ब्रह्मजाया के नाम से भी जानी जाती है। आपने अपने द्वारा दृष्ट सूक्त की पाचवी, छठी तथा सातवी ऋचा में तत्कालीन सांस्कृतिक विचारों का सम्यक् निरूपण किया है। सामान्य व्यक्ति को तरह उस समय अपनी विवाहिता नारी (जूहू) का परित्याग करने वाला वृहस्पति भी दण्डित होता है। नैतिकवाद की चकाचौध में फँसने वाले को निन्दनीय

माना जाता था, क्योंकि वह ईश्वरोप आदेशों का उल्लंघन करता था। धर्म-बन्धों को भूलकर कुमार्ग-गमन करने वाले को सन्मार्ग पर लाने का कार्य विद्वन्मण्डली करती थी।

ऋक्संहिता दशम-मण्डल के १५१वे सूक्त की द्रष्टी ऋषिका थद्वा (कामायनी) है। इस सूक्त में थद्वा के महत्त्व का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। इससे तत्कालीन संस्कृति का पता चलता है, जिसका उस समय के समाज में थद्वा के रूप में समादर था। सूक्त की अन्तिम ऋचा में कहा गया है—“हम लोग थद्वा को प्रातः काल पुकारते हैं, मध्याह्न में पुकारते हैं एवं नन्ध्याकाश में भी उसका आवाहन करते हैं, जिमसे हम लोग सदा आम्थावान् बने रहे”^१।

निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि वैदिक संहिता-काल की नारो को तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थितियों का पूर्ण ज्ञान था और नारो-समाज पुरुष वर्ग की तरह ही स्वतन्त्रता-पूर्वक राष्ट्र-निर्माण में योगदान करता था।

१ थद्वा प्राठहं ब्रामहे थद्वा मध्यन्दिन परि ।

थद्वा सूर्यस्य निम्नुचि थद्वा थद्वापयेह न ॥ (ऋ० १०।१५१।५)

षष्ठ अध्याय

नारी-अधिकार एवं शुभ-कामनाएँ

नारी-अधिकार

यज्ञ—

वैदिक-संहिताओं में “यज्ञ” का महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारतीय जन-जीवन यज्ञीय भावनाओं से ओत प्रोत रहा है। यही कारण है कि महिलाओं के उपजोव्य परवर्ती पुराण काठ में “मर्वे यज्ञमय जगत्” (कालिका पुराण—३१।४०) कहकर यज्ञ की व्यापकता को स्वीकार किया गया है। फलतः यज्ञ, पूजन, उपासना के अतिरिक्त कथाश्रवण, तीर्थयात्रा, अध्ययनाध्यापन तथा विवाह आदि नेमित्तिक एवं राज्यप्राप्ति आदि काम्यकर्म भी आगे बढ़कर यज्ञ की श्रेणी में गिने जाने लगे। “यज्ञो वै विष्णु” (शतपथ-ब्राह्मण—१।१।२।१३) से स्पष्ट है कि वैदिक-महिता-कालीन यज्ञ को परिधि धीरे-धीरे इतनी बढ़ गयी कि उसके अन्तर्गत मर्यादापुष्टोत्तम राम और योगिराज कृष्ण के आचरण के साथ ही माय ब्रह्मचर्य, धर्मार्थ बलिदान, समाज-सेवा आदि भी यज्ञ मान लिये गये।

यज्ञ + (भाव) नञ् से निष्पन्न यज्ञ के क्रियाकलापों में वैदिक मन्त्रों का प्रयोग किस विधि से किया जाय, इस विषय पर वैदिक-मन्त्रों का भाष्य माने गये ब्राह्मण-ग्रन्थों में विस्तृत वर्णन उपलब्ध है। महिताओं के विषय का ठाक से समझने के लिये तीन विभाग किये गये हैं, जिनका अपना विशय महत्त्व है।

विधि—

यज्ञ करने की विधि तथा यज्ञवदि-निर्माण के प्रकार का साथ यज्ञ-सम्बन्धी अन्य विषयों का वर्णन इसके अन्तर्गत किया जाता है।

अर्थवाद—

इसमें यज्ञ की महत्ता तथा इससे उत्पन्न होने वाले लाभों को उदाहरणों द्वारा समझाया जाता है। उदाहरणों में आए अनेक प्राचीन राजा-महाराजाओं के वर्णनों से तत्कालीन धार्मिक गतिविधियों का परिज्ञान हो जाता है। उपनिषद्, यज्ञ-सम्बन्धी कर्मकाण्ड तथा दार्शनिक मन्त्रों का वर्णन इसमें किया गया है।

यज्ञ के प्रकार—

श्रौत और स्मार्त के रूप में यज्ञ के दो प्रकार माने जाते हैं। श्रुतियों द्वारा सम्पादित होने वाले यज्ञ “श्रौत यज्ञ” एवं स्मृतियों की विधि से सम्पन्न होने वाले

यज्ञो को "स्मातं यज्ञ" कहा गया है। श्रौत-यज्ञ को (यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म) श्रेष्ठ माना गया है। श्रौत-यज्ञो के विभिन्न नाम इस प्रकार हैं—

(१) स्मार्ताग्नि, (२) श्रौताधान, (३) दशपूर्णमास, (४) चातुर्मास्य, (५) निरुद्ध-पशुबन्ध, (६) आघ्रायणेष्टि, (७) सौत्रामणी, (८) सोमयाग, (९) द्वादशाह-यज्ञ, (१०) गवामपन-सत्र, (११) वाजपेय यज्ञ, (१२) राजसूय-यज्ञ, (१३) अग्निचयन, (१४) अश्वमेध यज्ञ, (१५) पुरुषमेध यज्ञ, (१६) सर्वमेध-यज्ञ, (१७) पितृमेध-यज्ञ, (१८) एकाह यज्ञ (१९) अहीन-यज्ञ, (२०) सत्र।

नारी और यज्ञ—

वैदिक सहिता वाल मे नारी अपने नर के साथ या स्वतन्त्ररूप मे भी यज्ञ करने की पूर्ण अधिकारिणी थी या नही / इस शका एव सन्देह का निराकरण करना परमावश्यक है। इस सम्बन्ध मे अथर्वसहिता मे कहा गया है—“मै शुद्ध, पवित्र यज्ञ को अधिकारिणी इन स्त्रियो को विद्वानो के हाथो मे पृथक् पृथक् रूप मे प्रसन्नता से अर्पित करता हूँ”।

उपर्युक्त मन्त्र मे पठित योषित् (नारी) शब्द के लिये आये “शुद्धा”, “पूता-” तथा “यज्ञियाः” विशेषण इस बात के स्पष्ट प्रमाण है कि उस समय नारी-समाज यज्ञ मे भाग लेने एव अपनी योग्यतानुसार यज्ञ करने तथा दूसरो से यज्ञ कराने का पूर्ण अधिकार रखता था। यदि ऐसा न होता तो “यज्ञिया-” विशेषण के स्थान पर किसी अन्य विशेषण का प्रयोग योषित् शब्द के साथ किया जाता। यज्ञाधिकार से स्पष्ट है कि उस समय का प्रबुद्ध नारी समाज वैदिक सहिताओ के अध्ययन-अध्यापन, मनन, चिन्तन मे भी पूर्ण स्वतन्त्र था। यदि ऐसा न होता, तो सहिता-वाङ्मय के उपजोव्य साहित्य मे ब्रह्मवादिनी, शास्त्रार्थ कुशला नारियो के नामो का उल्लेख न मिलता।

सहिता युग मे नारियो को याज्ञिक-अधिकार प्राप्त थे और उनकी सम्मान-जनक स्थिति थी। सहिता-वाङ्मय के अनेक स्थलो मे पति पत्नी द्वारा सम्पन्न सयुक्त अनुष्ठानो का वर्णन है। ऋक्सहिता पचम-मण्डल मे^१ तथा प्रथम-मण्डल के २७^{वें} सूक्त मे^२ सयुक्त रूप मे यज्ञ करने का उल्लेख है। अथर्वसहिता (११।१।१७-२७)

१ शुद्धा पूता यापिता यज्ञिया इमा ब्रह्मणा हस्तेषु प्रपृथक् सादयामि ।

यस्वाम इदमभिपिञ्चामि वोऽह्मिन्द्रो मरुत्वान्स ददातु तन्मे ॥ (अथर्व० ६।१२२।५)

२ बृहद्वयो बृहते तुभ्यमाने धियाजुरो मिथुनास सचन्त । (ऋ० ५।४३।१५)

३. राजानाना उप सीदन्नभिज्ञ पत्नीवन्तो नमस्य नमस्यन् ।

रिरिववासस्तन्व कृष्वत स्वा सला सस्युर्निमिषि रक्षमाणा ॥ (ऋ० १।७२।५)

मे "योषितो यज्ञिया इमाः" द्वारा स्पष्ट रूप में नारी के यज्ञ-अधिकार की पुष्टि की गयी है। ऋक्संहिता के पाँचवे मण्डल के २८वें सूक्त में विश्ववारा नामक नारी का वर्णन है, जो प्रतिदिन प्रातः स्वयं यज्ञ करती है। ऋक्संहिता के आठवे मण्डल के ९१वें सूक्त में एक कन्या को यज्ञ में देवराज इन्द्र को सोमरस प्रदान करते हुए दर्शाया गया है^१।

यजुर्वेद-संहिता में गृहस्थ पति-पत्नी के दृष्टान्त से यज्ञपति राजा पृथिवी एवं राज्य-लक्ष्मी का सुन्दर वर्णन किया गया है^२। इस दृष्टान्त में स्पष्ट किया गया है कि गृहस्थ धर्म स्वीकार कर लेने पर नर-नारी दोनों का भोग्य सम्पत्ति में समान अधिकार है। पुरुष का यज्ञ के रूप में वर्णन किया गया है और स्त्री के लिये प्रार्थना की गयी है कि अग्निरूपी तुम्हारा पति तुम्हारे किसी भी अधिकार का हनन न करे।

"नमो व पितरौ" (यजु० २।३२) में पितरौ शब्द माता-पिता दोनों के लिये आया है, जिसमें ब्रह्मानन्द एवं ज्ञानरस हेतु उनमें प्रार्थना की गयी है। यह ज्ञानरस और कुछ नहीं यज्ञ-पुरुष ही है, जिसका प्रादुर्भाव नर-नारी के संयोग से ही सम्भव है।

आगे चलकर ऐतरेय-ब्राह्मण (१।२।५) में पति को पत्नी के अभाव में अपूर्ण कहा गया है। शतपथ-ब्राह्मण (५।१।८।१०) में कहा गया है कि पत्नी के बिना दी गयी पति की आहुति देवता स्वीकार नहीं करते। इन विवरणों में स्पष्ट है कि वैदिक संहिता-काल में यज्ञ की पूर्णता के लिये पत्नी की उपस्थिति आवश्यक मानी जाती थी।

ऋक्संहिता के दशम मण्डल के ११४वें सूक्त में नारी को 'चतुष्पदा' कहकर पुकारा गया है^३, जिसका स्पष्ट अर्थ है—यज्ञीय वेदी के निर्माण में कुशल नारी। इससे ज्ञात होता है कि उस समय नारी यज्ञ के सभी अवयवों से सुपरिचित थी और यज्ञ करने एवं कराने का अधिकार उसे जन्म से प्राप्त था। "चतुष्पदा" शब्द का अर्थ कुछ विद्वानों की दृष्टि में धर्म, अर्थ, काम, मोक्षरूपी पुरुषार्थ की साधिका नारी है। यदि

१ समिद्धो अग्निदिवि शाचिरश्रेत्प्रत्यडुपसमुविषा वि भाति ।

एति प्राची विश्ववारा नमोभिर्देवा ईलाना हविषा घृताची ॥ (ऋ० ५।२८।१)

२ कन्या वारवायती सोममपि मृताविदत ।

अस्त भवत्यब्रवीदि द्राय सुनवं त्वा शक्राय सुनवं त्वा ॥ (ऋ० ८।९१।१)

३. जनयश्चै त्वा स योमिदमन्विरिदमन्नीयामयोरिपे त्वा घर्मोऽसि विश्वाबुद्धप्रया उरु प्रथस्वीरु ते यज्ञपति प्रथताम् अग्निष्टे त्वच मा सीद देवस्त्वा सविता श्रवयतु वदिष्टे विनाके ।

(यजु० १।२२)

४ चतुष्पदा युवति सुपता घृतप्रजोका वयुनानि वस्ते ।

तस्मा सुपर्णा वृषणा नि घेतुर्यत्र देवा दधिरे भागधयम् ॥ (ऋ० १०।११।३)

दूमरे अर्थ को ही सहो माना जाये, तो भी इसमे नारी के एक ऐसे वैदुष्य को झलक मिलती है, जिसमे जीवन के प्रमुख तत्व (धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष) तीरते से दृष्टिगोचर होते हैं।

यज्ञ की घृतधाराओ की तुलना श्रेष्ठ-नारियो से करते हुए यजुर्वेद-सहिता मे कहा गया है^१ कि शुभ आचरण वाली नारियो की तरह ये घृतधाराएँ अग्निदेव-रूपी पति की ओर अग्रसर होती है। यही पर राजा-प्रजा के पालनरूपी कार्य को यज्ञ की सजा देते हुए सेनाओ एव राज्य-व्यवस्थाओ की समता उन घृतधाराओ से की गयी है, जो सुकन्याओ की भाँति अपने पति (अग्निदेव) से मिलने के लिये आतुर हैं^२।

पञ्च-महायज्ञ—

वैदिक-सहिताकालीन समाज (नर-नारी) अपने श्रेय और प्रेय के लिये पच महायज्ञो का सम्पादन करना अपना धर्म मानता था।

(१) ब्रह्म-यज्ञ—

स्वराज्य (आत्मराज्य) की प्राप्ति हेतु ब्रह्मयज्ञ (सन्ध्योपासन) अनिवार्य माना जाता था^३।

(२) देव-यज्ञ—

अग्निहोत्र द्वारा देवो को प्रसन्न करने का स्पष्ट उल्लेख है^४।

(३) पितृ-यज्ञ—

उत्तमोत्तम पदार्थो से जीवनकाल मे तथा मरणोपरान्त पिण्डदान आदि वस्तुओ से अपने पितरो को तृप्त करना सन्तति का धर्म माना जाता था^५।

(४) बलि-वैश्वदेव-यज्ञ—

सर्वभूतहित कामना से प्रेरित होकर गौ, इवान, कौए आदि जीवो को दिये जाने वाले भोज्य-पदार्थो को भी यज्ञ माना जाता था^६।

(५) अतिथि-यज्ञ—

परम विद्वान्, धार्मिक, सदाचारी, जनहितकारी, वेदानुरागी, ज्ञानी अतिथि का सत्कार करना आवश्यक माना जाता था, जिससे वह निश्चिन्त होकर विद्या-विस्तार आदि कार्यों को कर सके^७।

१ अभिद्रवन्त समनेव योषा कल्याण्य. समयमानासो अभिनम् ।

घृतस्य धारा समिधो नसन्त ता जुषायाः श्रुति जातवेदा ॥ (यजु० १७।९६)

२ कन्या इव बहुलु भेतवा उ अञ्ज्यञ्जाना अभि चाकशीमि ।

यत्र सोम सृषते यत्र यज्ञो घृतस्य धारा अभि तत्सवन्ते ॥ (यजु० १७।९७)

३ अथर्व० १०।७।३१ ।

४ अथर्व० १९।५।३ ।

५ यजु० २।३४ ।

६ अथर्व० १९।५।७ ।

७ अथर्व० ११।११ ।

उपर्युक्त पञ्च-महायज्ञों को पूर्ण करने की भाँति नारी नर की तरह ही सहिताकाल में यज्ञादि करने में पूर्ण स्वतन्त्र थी। यह हमारे देश, जाति का दुर्भाग्य रहा है कि उत्तरोत्तर नारी के अधिकारों में ह्रास आता गया और आज पूरा समाज इस दोन-हीनावस्था में पहुँच गया है। पहचान करने पर भी विश्वास नहीं होता कि क्या यह देश उन मन्त्र-द्रष्टियों, यज्ञ-कर्त्रियों का जन्मस्थान है, जहाँ कभी तेजस्विता की साक्षात्मूर्ति महर्षि अत्रि की पुत्री "अपाला", वैदिक-मन्त्रों का घोष करने वाली "घोषा", कर्मकाण्ड प्रवर्तिका "जूहू", दानदात्री "दक्षिणा", बुद्धि-उपासिका "रोमशा", ब्रह्मवादिनी 'लोपामुद्रा', अद्वैतवादिनी "वागाम्भृणी" आदि ऋषिकाएँ उत्पन्न हुई थी।

सहिताओं में यज्ञोत्सव

ऋक्संहिता—

यज्ञीय पदार्थ देवताओं को मिलता है (१।१।४), "यज्ञ" प्रभुप्राप्ति का साधन है (१।९।३), "यज्ञ" प्राणिमान का कल्याण करता है एवं देश जाति तथा समाज का संरक्षक है (२।३।१), यज्ञाग्नि हवि देने वाले को यज्ञस्वी, विजयी, वाग्मी बनाती है और सर्वगुणसम्पन्न पुत्र को देती है (५।२।५), यज्ञ करना मुख्य धर्म है (१०।९०।१६), हवन करने से अभिलषित कामनाओं की उपलब्धि होती है (१०।१०।१२)। सदाचार-हीन व्यक्ति को यज्ञ में बैठने का अधिकार नहीं है (७।२।५)।

शुक्ल-यजुर्वेद—

हिंसा-रहित यज्ञ श्रेष्ठ है (२।८), यज्ञ न करने वाले पर दुर्भाग्य आक्रमण करता है (१।२।६२), यज्ञ करने से ऐश्वर्य-प्राप्ति होती है (२।५।८४), प्रकृति रात-दिन यज्ञ करती है (२।१।४१), देवता सदा यज्ञ करते हैं, मनुष्यों (नर नारी) को भी करना चाहिए (२।१।४७), सम्पूर्ण पृथ्वी यज्ञ की वेदी है (२।३।६२), यज्ञ में ऋत्विजों (अध्वर्यु, ब्रह्मा, होता, अग्नीध्र) का पूण स्वराज्य होता है (३।३।८३), हव्यप्रदान से सकामक रोग नष्ट होते हैं (३।३।८७)।

साम संहिता—

यज्ञ द्वारा ही इन्द्र समृद्धशाली होते हैं (पूर्वा० २।१।७), यज्ञ से विविध ऐश्वर्य मिलते हैं (पूर्वा० २।८।५), यज्ञ की स्तुति से मनुष्य पवित्र होते हैं (उत्तरा० ७।१।१), देवराज इन्द्र यज्ञों में आते हैं (उत्तरा० ३।३।२३)।

अथर्व संहिता—

यज्ञ समस्त ब्रह्माण्ड को बाँधने वाला नाभिस्थान है (९।१०।१४), यज्ञहीन पुरुष की श्री नष्ट होती है (१।२।३।७), यज्ञ हमारा कल्याणकारक है (१।१।६।२), देवगण पुरुषार्थी यज्ञकर्ता से प्रेम करते हैं, आलसी से कभी नहीं (२०।१।८।३)।

सर्वसुलभ-अधिकार—

चारो सहिताओ मे आये यज्ञ के उपर्युक्त महत्त्व स स्पष्ट है कि उस समय यज्ञ का प्रचलन घर-घर मे था और जन-जन मे इसे सम्पादित करने की उत्कट अभिलाषा रहती थी। ऋकमहिता दशम मण्डल के ४५व सूक्त मे यज्ञाधिकार की अनुमति सभी को है, इसका मन्त्र "पञ्चजना" शब्द करता है^१, जिसका अर्थ निरुक्तकार ने "चत्वारो वर्णा निपाद पञ्चमा" अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एव निपाद (अतिशूद्र) किया है। इस प्रकार वेद पञ्चजनकर्तृक अग्नियाग की आज्ञा देता है। इस स्थिति मे नारी को यज्ञाधिकार से वञ्चित रखने का प्रश्न ही नहीं उठना, जहाँ यज्ञ करने का सभी को अधिकार प्राप्त रहा हो।

मानव जीवन में ज्ञान, बर्भं, उपासना तीनों का महत्त्व है और वैदिक-सहिताओ के मन्त्रों का अर्थ आधिभौतिक, आधिदैविक (आधियज्ञ या याज्ञिक) तथा आध्यात्मिक दृष्टि से किया गया है। यह सही है कि वैदिक-कर्मकाण्ड वा विस्तृत वर्णन यजुर्वेद सहिता मे ही है। अतः यजुमहिता से सम्बन्ध रखने वाले ऋत्विज् "अध्वर्यु" को निरुक्तकार ने यज्ञ का नेता मानते हुए कहा है—“यज्ञस्य मात्रा विमिमीत एक । अध्वर्युः । अध्वर्युरध्वर्युः । अध्वर युनक्ति । अध्वरस्य नेता” (निरुक्त १।८)। अतः यज्ञ के सम्बन्ध मे विशेष जानने हेतु यजुसहिता का मनन, चिन्तन आवश्यक है, जिसम नर-नारी दोनों को सम्बोधित करत हुए यज्ञरूपी सर्गति को सदा बनाये रखने को कहा गया है^२।

संन्यास और नारी—

सहिता-नाल म नारी को स्वेच्छया संन्यास आश्रम म प्रवेश करने का भी पूर्ण अधिकार था। ऋक्सहिता दशम मण्डल म “अरण्यानी” शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है—मन्यासाश्रम को प्राप्त या उसकी जिज्ञासा करने वाली सुशिक्षिता नारी^३।

प्रशासन—

सहिता-कालीन समाज प्रशासन की दृष्टि से पाँच भागो मे विभाजित था—
(१) कुल (गृह), (२) ग्राम, (३) विश् (जिला आदि), (४) जन (जनपद), (५) राष्ट्र

१ विश्वस्य वेतुर्भुवनस्य मभं आ रादसो अपृणाज्जायमान ।

वोष्ट् चिदद्रिमभित्त्वरामचना यदग्निमयजन्त पञ्च ॥ (ऋ० १०।४५।६)

२ भवत न समनसो सचउसावरपनी ।

मा यज्ञ हि सिष्ट मा यज्ञपति जातवेदसो शिवो भक्तमथ न ॥ (यजु० १२।६०)

३ वृषारवाय वदते यदुपावति चिच्चिक ।

आघाटिभिरिव घावयन्नरण्यानिर्महोयते ॥ (ऋ० १०।१४।२)

(प्रदेश) । इन इकाइयों के स्वामियों को क्रमशः गृहपति, ग्रामणी, विशापति, जनपति एवं राजा कहा जाता था ।

वैदिक-सहिता-काल में शासक और शासित में सम्बन्ध था । 'विशिराजा प्रतिष्ठित' (यजु० २०।९) के अनुसार शासक की स्थिति प्रजा पर निर्भर थी, जिसका सुफल था कि राजा कभी भी प्रजा का उत्पीड़न नहीं करता था । प्रजा को अपने अङ्गों की तरह मानने वाले राजा की स्पष्ट घोषणा होती थी— 'विशो मे अङ्गानि सर्वत'—अर्थात् प्रजा मेरे अङ्गों के समान है । दूसरी ओर प्रजा भी "वय राष्ट्रं जागृयाम् पुरोहिता" (यजु सहिता) के अनुसार अपने राष्ट्र तथा राजा की रक्षा हेतु सदा उद्यत रहती थी ।

स्वराज्य-भावना—

अथर्वसहिता में कहा गया है कि "सगठित रूप में पुस्तार्थ करने वाला जन-समुदाय ही स्वराज्य-प्राप्ति का अधिकारी है । स्वराज्य प्राप्ति के लिये इससे बढ़कर कोई अन्य उपाय नहीं है" ।

ऋक्सहिता के प्रथम मण्डल का ८०वाँ सूक्त 'स्वराज्य सूक्त' के ही नाम से प्रसिद्ध है । इस सूक्त में शत्रु का दमन कर स्वराज्य का भक्त बनने का आदेश सभी को दिया गया है^१ । स्वराज्य नामक इस सूक्त में १६ मन्त्र हैं, जिनमें अनेक प्रकार की शक्तियों का संग्रह करत हुए विविध प्रकार की बाधाओं को दूर करते हुए राष्ट्रभक्त बने रहने का आदेश वर्णित है ।

यजु सहिता (३५।९) में दशभक्त के लिये दशो दिशाएँ, जल, नदिया, अन्तरिक्ष सुखकारी हो, ऐसी प्रार्थना की गयी है । ऋक्सहिता (१।२६।१५) में एक ओर जहाँ राक्षसों, घूर्तों, कृपणों, पीडा पहुँचाने वालों एवं हिंसका से बचाने के लिये देवताओं से कहा गया है, वहीं दूसरी ओर ऋक्सहिता प्रथम मण्डल के ९०वें सूक्त में मित्र, वरुण, अयमा, इन्द्र, वृहस्पति और विष्णु से रक्षा करने की प्रार्थना की गयी है^२ ।

ऋक्सहिता का सगठन सूक्त (१०।१९।१), अथर्वसहिता का सगठनात्मक सूक्त (१।१५) तथा अथर्वसहिता का एकता-सूक्त (३।३०) निःसन्देह तत्कालीन

१ यदज प्रथमं सबभूव स ह तन स्वराज्यमियाय ।

यत्मान्नायत् परमस्ति भूतम् ॥ (अथर्व० १०।७।३१)

२ इत्या हि सोम इन्द्रो ब्रह्मा चकार वधनम् ।

शर्विष्ठ वच्चि नोजना पृथिव्या नि राशो अहिमचन्ननु स्वराज्यम् ॥ (ऋ० १।८०।१)

३ श नो मित्र श वरुण श ना भवत्वर्थमा ।

श न इन्द्रा वृहस्पति श नो विष्णुरुक्म ॥ (ऋ० १।९०।९)

सुशासन की सूचना देता है, जिसमे लोग एक कुटुम्ब की भांति रहकर स्वराज्य के सबर्द्धन और परिवर्द्धन मे लगे रहते थे ।

नारी और प्रशासन—

स्वराज्य को स्थायित्व प्रदान करने हेतु राजा (शासक) की सहायता हेतु दो जन-संगठनों का निर्देश ऋक्सहिता (समिति-१।९।८, सभा-८।४।९) मे मिलता है, जिसमे प्रथम का नाम समिति तथा दूसरे का नाम "सभा" कहा गया है । "समिति" मे सम्मिलित होना राजा के लिये अनिवार्य था^१ । समिति मे सामान्य जन भाग लेते थे और राजा का निर्वाचन करते थे, किन्तु 'सभा' मे केवल ज्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध ही भाग लेते थे ।

विधान-निर्मात्री—

अथर्वसहिता मे "सभा" और 'समिति' को प्रजापति की पुत्रियों की सजा दी गयी है^२ । अथर्वसहिता (७।१२।२) मे "सभा" को "नरिष्ठा" कहकर भी पुकारा गया है, जिसका निर्णय ही विवादास्पद विषयो मे सायणाचार्य के अनुसार अन्तिम माना जाता था^३ । खोलिंग वाची "समिति" और "सभा" शब्दो का चाहे जो भी रूपक हो, इतना तो स्पष्ट है कि विधवा को आद्याशक्ति की तरह राष्ट्रीय प्राशासनिक कार्यों मे भी नारी का महत्वपूर्ण स्थान सहिता-युग मे था ।

सामाजिक जीवन मे प्रवेश करते समय बधू के प्रति ऋक्सहिता दशम-मण्डल के ८५वे सूक्त मे प्रयुक्त "साम्राज्ञी" शब्द सार्थक है । प्रशासन की सबसे छोटी इकाई "गृह" माना गया है, जिसे समाजशास्त्र के विद्वान् नागरिक की प्रथम पाठशाला कहकर पुकारते हैं । यह सही है, जो अपने घर की छोटी-मोटी समस्याओ के समाधान मे सफल हो जाता है, उसे राष्ट्रीय एव अन्ताराष्ट्रीय समस्याओ को सुलझाने मे भी सफलता मिलने लगती है । सम्भवत प्रजापति की समिति और सभा नामक पुत्रियों ने अपने समय मे गृह और विदेश-विभाग का इतना सुन्दर सचालन किया हो, जिसके फलस्वरूप आने वाले युग-पुरुषो ने राजनीतिक (प्राशासनिक) इन दो संगठनों का नाम ही इन नारियों के नाम पर निर्धारित कर दिया हो ।

न्यायकर्त्री के रूप मे—

यजु सहिता के दशम अध्याय के प्रथम चार मन्त्रो मे राज्याभिषेक, पाँचवे मन्त्र मे सिंहासनारोहण तथा राजा की तेजस्विता का वर्णन है । छठवौंसवे और सत्ताइसवें

१ राजा न सत्यं समितोरियान. । (ऋ० ९।९।८)

२ सभा च मा समितिश्चावता प्रजापतेर्दुहितरी सविधाने । (अथर्व० ७।१२।२)

३. नरिष्ठा अहिंसिता परैरनभिभाभ्या । बहव सभूय यद्येक वाक्य वदेयु । तद्धि न परैरति-
लक्ष्मम् । अत अनभिश्छन्नवाक्यत्वाद् नरिष्ठेति नाम ।, (सामण-भाष्य अर्द्ध० ७।१२।२)

मन्त्रों की देवता "राजपत्नी" (आसन्दी) है। इन मन्त्रों के मनन से प्रतीत होता है कि उस समय राजाओं की पत्नियाँ दूसरों को न्याय एवं राजनीति की शिक्षा देती थी और चक्रवर्ती राजा की तरह ही स्त्री-समाज की समस्याओं पर अपना निर्णय प्रदान करती थी^१।

ऋक्संहिता में भी नारी द्वारा किये गये न्याय से राज-प्रबन्ध की सुस्थिरता का प्रतिपादन किया गया है^२।

यजु संहिता के द्वादश अध्याय के ६५वें मन्त्र में सत्याचरण वाली नारी निऋति (दमनकारिणी) से प्रार्थना की गयी है कि वह न्यायाधीश बनकर उचित निर्णय द्वारा दण्डनीय व्यक्ति को दण्ड देकर निरपराधियों को बन्धन से मुक्त कराये। बन्धन-मुक्त कराने वाली ऐसी सुव्यवस्थाशालिनी नारी को अभिनन्दनीय एवं वन्दनीय कहा गया है। यजु संहिता में नारी को "घोरा" कहकर उसमें न्याय द्वारा दुष्टदलन के सामर्थ्य की पुष्टि की गयी है^३।

योद्धा के रूप में—

वैदिक संहिताओं के वर्ण-विषयों से स्पष्ट है कि उस समय नारी नर की तरह ही विविध विद्याओं की विद्याओं से परिचित थी। एक ओर नारी ब्रह्मवादिनी बनकर आध्यात्मिक चेतना से देश-जाति का हितसाधन करती थी, तो दूसरी ओर सद्योबाह के रूप में गृहस्थी-सञ्चालन में अपने पति का पूरा सहयोग। पर्दाप्राय के अभाव के कारण युद्ध की स्थिति में नारी अपने पति के साथ समरागण में जाती थी, आवश्यकता पड़ने पर रथ-सञ्चालन से लेकर युद्ध-सञ्चालन तक सभी कार्य करती थी।

ऋक्संहिता के अनुसार देवराज "नमुचि" ने "बभ्रु" ऋषि की गौओं का अपहरण कर लिया। ऋषि के आह्वान पर देवराज इन्द्र जब "नमुचि" से युद्ध करने के लिए आये, तो उन्होंने युद्धस्थल पर एक बहुत बड़ी सेना को देखा, जिसमें

१ स्योना सि सुपदा सि क्षत्रस्य योनिरसि ।

स्योनामासीद् सुपदामासीद् क्षत्रस्य योनिमामोद् ॥

तिपसाद् घृतत्रतो वरुणः पस्त्यास्वा साम्राज्याय मुक्तु ॥ (यजु० १०।२६-२७)

२ अत्राह ते हरिवस्ता उ देवीरयोनिरिन्द्र स्तवन्त स्वसारः ।

यत्नोमनु प्र मुषो बद्बधाना दीर्घामनु प्रसिति स्पन्दयध्वै ॥ (ऋ० ४।२२।७)

३ मस्त्यास्ते घोरासन् जुहोम्येषा बन्धानामथ सजनाय ।

जनो भूमिरिति प्रमन्वते निऋति त्वाह परिवेदविरवतः ॥ (यजु० १२।६४)

अधिकांश नारियाँ थीं। युद्धेच्छु दो नारियों को इन्द्र ने बन्दी बना लिया और स्वयं दैत्य से युद्ध करने को चल दिये^१।

ऋक्संहिता के दशम-मण्डल के १०२वें सूक्त में स्पष्ट संकेत है कि महर्षि मुद्गल के गोधन का अपहरण होने पर उनकी पत्नी मुद्गलानी ने रथारोहण किया^२। रथारोहण के अनन्तर युद्ध-घोषणा के साथ ही-साथ सम्पूर्ण सेना मुद्गलानी के पीछे चल पड़ी^३। यह मुद्गलानी के साहस का ही फल था कि अन्त में ऋषि का खोया हुआ गोधन वापस मिल गया।

ऋक्संहिता के प्रथम-मण्डल का ३२वाँ सूक्त इसका साक्ष्य है कि युद्ध के मैदान में स्त्रियाँ भी जाती थीं। इन्द्र के वज्र प्रहार से वृत्रासुर के शरीर को क्षत-विक्षत देखकर उसकी माता "दनु", जो अपने बेटे के साथ युद्धस्थल में गयी थी, व्याकुल होकर वृत्रासुर के शरीर पर लेट जाती है, जिससे उसके प्राणों की रक्षा हो सके।

विश्वला नामक नारो अपने पति के साथ युद्धस्थल में गयी थी। उसने अपने पति के रथ का संचालन किया था और युद्ध में लड़ते समय उसकी टांग टूट गयी थी, जिसको बाद में देव-वैद्य अश्विनी-कुमारों ने ठीक कर दिया।

दौत्य-कर्म-रुत्रो—

विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका आदि में सहभागी होती हुई संहिता-कालीन परामर्शदात्री नारो दौत्य कर्म में भी निपुण थी। इसकी पुष्टि इन्द्र की सन्देश-वाहिका "सरमा" के कार्य-कलापो से होती है, जब वह ऋक्संहिता के दशम-मण्डल के १०८वें सूक्त के अनुसार धन के लालची पणियों को त्रास देती हुई अपने प्रभु-इन्द्र के बल और ऐश्वर्य का बड़ी ही कुशलता के साथ वर्णन करती है। सरमा-पणि-सवाद निःसन्देह तत्कालीन नारियों की प्रखर-बुद्धि का परिचायक है।

देखा जाये तो ऋक्संहिता के दशम-मण्डल का ९५वाँ सूक्त (उर्वशी-पुरूरवा-सवाद) भी दौत्यकर्म की ओर एक संकेत है, जिसमें "उर्वशी" अपने पति राजा "पुरूरवा" को चेतावनी देती है कि यदि तुम इसी प्रकार नारो सौन्दर्य के पीछे दौड़ते रहोगे, तो तुम्हारा राज-पाट शीघ्र ही चौपट हो जायगा। इसी सन्दर्भ में "उर्वशी" ने "स्त्रैणानि सख्यानि न वै सन्ति" का प्रयोग किया है।

१. स्त्रियो हि दास आयुधानि चक्रे किं मा करन्नबला अस्य सेना ।

अन्तर्हर्षहृद्यदुभे अस्य घेने अयोप प्रैद्युघये दस्युमिन्द्र ॥ (ऋ० ५।३०।९)

२. रथोरभ्रमुद्गलानी गविष्टो भरे (ऋ० १०।१०२।२) ।

३. ककदैव वृषगो युक्त आसीदवावचीत्सारपरिस्य केशी ।

दुषेर्पुक्तस्य द्रवत् सहानस ऋच्छन्ति ष्मा निष्यदो मुद्गलानीम् ॥ (ऋ० १०।१०२।६)

“एता सालावृकाणा हृदयानि” अर्थात् इन गुप्तचरी करने वाली नारियों का हृदय भेडिये के हृदय के समान छली होता है। भेडिये की उपमा से अच्छे शासक को यह चेतावनी दी गयी है कि वह मतकता स अपने राज्य का संचालन करे। नारी के नामोल्लेखन का तात्पर्य यहाँ स्पष्ट है कि उस समय दौत्यकर्म में नारी को विशेष रूप से लगाया जाता था।

अन्य-अधिकार

ज्योतिर्विद्—

देश-जाति के अभ्युत्थान हेतु किये जाने वाले कार्यों में सु अवसर हेतु लग्नादि का ज्ञान आवश्यक होता है। सम्भवत इसीलिये सद्गृहस्थ नारी के लिये संहिताकाल में ज्योतिष शास्त्र की अनिवार्यता की ओर सकेत करते हुए यजु संहिता में उसका महत्त्व कहा गया है^१। इससे स्पष्ट है कि उस समय प्राशासनिक कार्यों में कालविद् नारी का महत्त्वपूर्ण स्थान था।

भूगर्भविद्—

वेद विद्या की ज्ञाता नारी की उम समय भूगर्भ शास्त्र में भी रुचि थी और उससे आशा की जाती थी कि वह अपने विशय ज्ञान से खनिज पदार्थों का पता लगाकर राष्ट्र की समृद्धि में योगदान करे। यही कारण है कि ऋक्संहिता (६।६।१३ तथा ७।३।१२) के सूक्तों में नारी को भूगर्भ-शास्त्र की वेत्ता होने की सलाह दी गयी है^२।

प्रशिक्षिका—

यजु संहिता के उन्तीसवें अध्याय के ५०वें मन्त्र में नारी के लिये ‘अश्वाजनी’ शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है—घोड़ों की प्रशिक्षण देने वाली महिला। आर्यजन अपने विरोधियों से लड़ते समय अश्वा का प्रयोग विशेषरूप से करते थे, इसकी पुष्टि भी ‘अश्वाजनी’ शब्द से होती है।

निष्कर्ष—

उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट है कि संहिताकालीन नारी यज्ञ, प्रशासन, न्याय, युद्ध, दौत्य आदि सभी कार्यों को सुसम्पादित करने में सक्षम अधिकारिणी थी। इसके

१ यमाय यम्सूमयवम्यो वतोऽऽ सवत्सराय पर्यायिणी परिवत्सरायाविजातामिदावत्सराया-
तोत्वरोमिद्वत्सरायातिष्कद्वरी वत्सराविजजरा सवत्सराय पलिकनीभृनुम्भ्यो जिनसन्ध
साध्यैभ्यश्चममन् ॥ (यजु० ३०।१५)

२ (क) सरस्वति देवनिदो नि बहय प्रजा विश्वस्य वृम्यस्य मायिन ।

उत सिदिम्भोऽवनीरविन्दो विपमेभ्या असवो वाजिनोवति ॥

(ख) ससेदुव्य सुदानव उत दुक्ष यथा नर । चकृपा सत्परायसे ॥

अतिरिक्त ज्ञान के विविध स्रोतों में भी उसकी पैठ थी, जिसके कारण वह राष्ट्र के श्रेय और प्रेम में अपने नर की सहयोगिनी बनकर उसके कंधे से कंधा मिलाकर भाग लेती थी। यही कारण है कि सहिताकालीन पुण्य नारी को “कुलया” (अथर्व० १।१४।३) कुल का पालन करने वाली, “ध्रुवा” (यजु० १२।५३) दृढसकल्प वाली, “पुरन्ध्र” (यजु० १४।२) समाज की नेत्री, “प्रतरणी” (अथर्व० १४।२।२६) जीवन की पतवार, “शिवा” (अथर्व० १९।४०।२) कल्याण कारिणी, “सुमङ्गली” (अथर्व० १४।२।२६) मङ्गलकारिणी आदि विशेषणों से सम्बोधित कर उसकी श्रेष्ठता, ज्येष्ठता को स्वीकार करता था।

नारी के प्रति शुभकामनाएँ—

भारत-भूमि के नौ खण्डों में एक खण्ड “कुमारिका-खण्ड” भी है, जिसमें मोक्षदायिनी मानी जाने वाली सप्त-नगरियों में “काञ्ची” नगरी स्थित है तथा सप्त-महानदियों में गिनी जाने वाली “कावेरी” नदी प्रवाहित होती है। इस स्थान की अधिष्ठात्री भगवती काम-कोटि हैं, जिनकी प्रशस्ति में किसी भक्त-कवि ने “पुण्या कापि पुरन्ध्रो” तथा “नारिकुलैकशिक्षामणी” आदि भावों से अपनी श्रद्धा सम्पूर्ण नारी-समाज के प्रति व्यक्त की है।

भारतीय मान्यता है कि सृष्टि के आरम्भ में जगन्नियन्ता ने अपने को दो भागों में विभक्त कर नर-नारी के स्वरूप का सृजन किया। प्रभु का वाम-भाग नारी एवं दक्षिण-भाग नर माना गया। एक भाग श्रद्धा एवं दूसरा भाग विश्वास है। इनमें से किस भाग को छोटा और किस भाग को बड़ा कहा जाय, यह एक जटिल प्रश्न है, जिसका समुचित उत्तर देना यदि असम्भव नहीं, तो कठिन अवश्य है।

ऋक्संहिता के दशम-मण्डल का ८५वाँ सूक्त “सोमसूर्या सूक्त” के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें गृहस्थोचित शिक्षा और वैवाहिक कर्तव्यों का विशद वर्णन है। इस सूक्त में विवाह के पश्चात् पति-पत्नी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका मन सदा एकता में बँधा रहे।

साम्राज्यो बनो—

अथर्वसंहिता में नव-वधु को गृह पर शासन करने का आशीर्वाद दिया गया है, जिससे तत्कालीन नारी के प्रति समाज की उदात्त भावनाओं का पता चलता है।

१. समञ्जन्तु विश्वे देवा समापो हृदयानि नो।

स मातरिश्वा स धाता समु देष्ट्रो दधातु नो ॥ (ऋ० १०।८५।४७)।

२. यथा सिन्धुर्नदीना साम्राज्य सुपुत्रे वृषा।

एवा त्व साम्राज्येधि पत्युरस्त परेत्य च ॥ (अथर्व० १४।१।४३)

ऋक्संहिता दशम-मण्डल के ८५वें सूक्त में वर अपनी नवप्रणीता से अविरोध पूर्वक अधिकारयुक्त प्रीति से अपने माता पिता, भाई बहन एवं घर के अन्य परिजनो पर शासन करने की बात करता है^१। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय नारी को किस रूप में देखा जाता था और कितना बड़ा विश्वास था नारी पर। यहाँ एक ऐसे समाज की कल्पना की गयी है, जहाँ नारी का स्थान अत्यन्त गौरवपूर्ण था और वह घर की महारानी मानी जाती थी। फलतः उसी का प्रभाव है कि आज भी समाज में लोग घर की वधू को “बहुरानी” कहकर सम्बोधित करते हैं। इस सम्मानजनक उपाधि की रक्षा हेतु “गृहिणी” को आचार संहिता का पालन करना पड़ता था और उसकी दृष्टि में घर का प्रत्येक सदस्य अपनी योग्यता के अनुसार आदर का भाजन था। इसकी पुष्टि काठक संहिता (३१।१) में, ऋक्संहिता (३।५३।४) में “जायेदस्त मध्वन्सेदु- योनि” अर्थात् “पत्नी ही घर है और विश्राम-स्थल है” कहकर की गयी है।

सम् राज (सम्राट्) शब्द का प्रयोग ऋक्संहिता (३।५५।७, ३।५६।५, ४।२१।१, ६।२७।८, ९।१९।३२) में तथा वाजमनेषि-संहिता (५।३२, १३।३५, २०।५) में उपलब्ध है। सम्राट् को उपाधि वाजपय-यज्ञ सम्पन्न करने वाले भूपालो को ही मिलती थी। राजाधिराज के अर्थ में सम्राट् शब्द का प्रयोग संहिताओं में प्रायः अनुपलब्ध है। सम् + राजो (सम्राज्ञो) शब्द भी राजनैतिक परिस्थिति के कारण उस समय राजा की महारानी के अर्थ में नहीं, अपितु सद्गृहस्थ की पत्नी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जो अपने व्यवहार से सम्पूर्ण परिवार को माला के मनको की तरह समोये रहती थी।

पुत्रवती भव—

वैदिक-संहिताओं के वर्णविषय से ज्ञात होता है कि उस समय सन्तति हेतु ही नर-नारी एक दूसरे को स्नेह-बन्धन में बाँधते थे। सन्तति का होना पितृ ऋण की मुक्ति माना जाता था। इसलिये वैवाहिक मंगलमयी बेला में आशीर्वादात्मक शुभकामनाएँ देते हुए कहा जाता था—‘पूर्ण आयु (सौ वष) का उपभोग करते हुए तुम दोनों (पति पत्नी) पुत्र और पौत्रों के बीच खेलते हुए आनन्दपूर्वक गार्हस्थ्य जीवन-यापन करो एवं घर को आदर्शमय बनाओ’^२।

१ सम्राज्ञो इवशुरे भव सम्राज्ञो इवश्रवा भव।

ननान्दरि सम्राज्ञो भव सम्राज्ञो अधि देवपु ॥ (ऋ० १०।८५।४६)

२ इहैव स्त मा वि योष्ट विश्वमायुर्व्यंक्षुतम् ।

क्रीलन्तो पुत्रैर्नप्तृभिर्मोदमानो स्वे गृहे ॥ (ऋ० १०।८५।४२)

अथर्वसंहिता में एक मद्गृह्य के घर की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, इसका बड़ा ही मनोहारी वर्णन मिलता है—“उपजाऊ भूमि पर सुलभता से प्राप्त जल से युक्त निर्वाह योग्य एक छोटी सी शाला (घर) हो, जो जीवन की आवश्यक सामग्री से सुसज्जित रहे। शाला को घर की अधिष्ठात्री के रूप में सम्बोधित करते हुए कहा गया है कि आपके निश्चयवर्ती लोगों को कभी वृष्ट न हो।”

ऋक्संहिता में नारी के लिये पुत्रवती होने के लिये अनेक बार प्रार्थना की गयी है। ब्रह्मा में सन्तति देने की प्रार्थना (ऋ० १०।८५।८३) एव नारी से वीर-प्रसू होने के लिये (ऋ० १०।८५।४४) कहा गया है। भगवान् इन्द्र से प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि वे इस बधू को दश पुत्रों की माँ बनने का आशीर्वाद दे^१।

वीरपुत्रों को जन्म देने वाली माँ “बहुसूवरी” (अथर्व० ७।४६।२) की उपाधि से अलंकृत की जाती थी। सुजाता, सुनता, सुपेवा, सुपदा, सुलाभिका, सुभद्रिका आदि अनेक वैदिक-प्रयोग नारी के वैशिष्ट्य का बताने के लिये यत्र तत्र दृष्टिगोचर होने हैं, जिनसे तत्कालीन नागी के एश्वयपूर्ण प्रभाव का पता चलता है।

सन्तति को जन्म देने के कारण ही नारी “जनित्री” कहलाती थी^२। पुत्रों को जन्म देने वाली माता का समाज में बड़ा आदर था^३। इसलिये समाज में पुत्रवती होने की शुभ कामना करने वाली को लोग बड़ी श्रद्धा में देखते थे। राजा के घर में भी उसी नारी को “महिषी” कहाने का गौरव प्राप्त होता था,^४ जो पुत्रों को जन्म देकर समाज, जाति को सजा करती थी।

पुत्र भी सदा माता के अनुकूल चलता था, क्योंकि उसकी दृष्टि में माँ से बढ़कर न कोई पवित्र था और न ही कोई महान्। स्नेह और दया की प्रतिमूर्ति माँ अपनी सन्तति का अपने स्तनों से निःसृत पय का धाराआस पुष्ट करती थी^५ और अपने गुणा का सन्तति में सन्निवेश करती थी, जिसे वह जननी कहलाने के अधिकार से वही वचित न हो जाये।

१ ऊजस्वती पयस्वती पृथिव्या निमिता मिता ।

विश्वान् विभ्रता शाला मा हिमो प्रतिगृह्णत ॥ (अथर्व० १।३।१६)

२ इमा त्वमिद्र मोदव सुपुत्रा सुभगा वृणु ।

दशास्या पुत्राना घेहि पतिमेवादश कृषि ॥ (अथर्व १०।८५।४५)

३ अथर्व० ६।११०।३ ।

४ एमाम पुत्र जनय त एमाननु जायताम् ।

भवासि पुत्राणा माता जाताना जनयाश्च यान् ॥ (अथर्व० ३।२३।३)

५ सुवामा पुत्रा महिषी मरति । (अथर्व० २।३६।३)

६ माता पुत्र यथा सिचाम्येन भूम ऊर्गुहि । (अथर्व० १८।३।५०)

सौभाग्यवती भव—

वैदिक संहिताओं से हमारे देश में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता है। ऋक् संहिता का (१०।८५) सूक्त इसका साक्षी है कि उस समय विवाह-प्रथा का पूर्ण विकास हो चुका था। माता-पिता आदि संरक्षक अपनी पुत्री के लिये गुणवान्, शीलवान् तथा रूपवान् वर का अश्वेपण करते थे। ब्राह्म, दैव, आर्य विवाहों को आज भी वैदिक काल की तरह उत्तम माना जाता है, क्योंकि शास्त्रीय-विधि से सम्पन्न होने वाले ये विवाह वर और कन्या दोनों की अभिवृद्धि और सौभाग्य को बढ़ाते हैं।

वैवाहिक सम्बन्ध नर नारी दोनों में परिवर्तन लाता है, परन्तु यह परिवर्तन उस समय नारी के जीवन को अधिक प्रभावित करता था। नारी विवाह के बाद अपने पितृ गोत्र एवं जाति को छोड़कर अपने पति के गोत्र एवं जाति में अपने को आज भी ढालती है। यह बात दूसरी है कि संहिताकालीन नारी पूरी गृहस्थी की केन्द्र बिन्दु मानी जाती थी गृहिणी ही घर थी, उसके बिना घर की कल्पना करना ही व्यर्थ समझा जाता था। गृहस्थी का सम्पूर्ण कार्य कलाप, अग्नि में ईंधन डाल कर उसे प्रज्वलित करना, गो दोहन, दही-बिलोडन भोजन पकाना, वस्त्र धोना आदि सभी कार्यों की उस समय नारी सचालिका मम्पादिका एवं अधीक्षिका मानी जाती थी। यही कारण है उस समय का पुरुष अपना पत्नी का पाणि ग्रहण करते समय अपने को सौभाग्यशाली मानता था^१।

ऋक् संहिता तथा अथर्वसंहिता में सौभाग्यवती पत्नी की प्राप्ति हेतु अग्निदेव से प्रार्थना की गयी है^२। विवाह-मण्डप में वर वधू के बैठने पर गुरुजनों से वधू के सौभाग्य के लिये प्रार्थना की जाती थी। संहिता कालीन वह प्राचीन प्रथा आज भी किसी न किसी रूप में जोविन है और वर चुटकी से सिन्दूर लेकर वधू को माँग में छोड़ता है और उपस्थित लोगों से प्रार्थना करता हुआ कहता है—'यह वधू मगलरूपा है इसको माङ्गलिक भावना से देखें तथा इसके लिये सौभाग्य का आशीर्वाद देकर ही अपने-अपने घर पधारें^३।'

१ गुग्गामि ते सौभाग्याय हस्त मया पत्या चरदण्डिययास ।

भगो अयमा सविता पुरन्विर्महा त्वादुर्गाहिंपत्याय देवा ॥ (ऋ० १०।८५।३६)

२ न पतिम्या जाया दा अने प्रजया सह । (अथर्व० १४।२।१)

३. मुमुङ्गलीरिय वधूरिमा समत पश्यत ।

सौभाग्यनरये दत्त्वायायास्त वि परतन ॥ (ऋ० १०।८५।३३)

कतिपय अन्य माङ्गलिक-शब्द

भवन-द्वार—

गृहस्थरूपी भवन में प्रवेश करने के लिये नारी को द्वार की सजा देते हुए ऋक्-सहिता में कहा गया है—“उत्तम गतिवालो तुम जीवनरूपी यज्ञ-द्वार की रक्षिका हो, तुम अपने विविध कार्यों से हमारे गृहस्थाश्रमरूपी यज्ञ को सम्पुष्ट करो”^१ ऋक्-सहिता के द्वितीय-मण्डल के एक मन्त्र में^२ विविध विशेषता वाले नारी द्वार की चर्चा की गयी है, जो शास्त्र-चर्चा करने की क्षमता भी रखता है।

ब्रह्मचर्याश्रम के पालन के अनन्तर गुह्यकुल में समावर्तन-सस्कार सम्पन्न कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाले ब्रह्मचारी को जितेन्द्रियता से वेदाभ्यास करने वाला कन्यारूपी यही द्वार “ब्रह्मचर्येण कन्या युवान विन्दते पतिम्” (अथर्व० ११।४।१५) कहकर जयमाल पहनाता था। प्रशसनीय श्रेष्ठ गुणों से अलंकृत भार्या की अभिलाषा करने वाले वर को “परिप्रीता” अच्छी प्रीतिवाली, “भद्रा” कल्याण करने वाली, “सुपेशा” सुन्दर रूपवाली विदुषी प्राप्त होती थी।

भवन-द्वाररूपी “दारा” को सम्मान देते हुए वर अपनी मांगलिक मनोकामना को व्यक्त करते हुए कहता था—“प्रजाये त्वा नयामसि” (अथर्व० ५।५।२५) अर्थात् सन्तानोत्पत्ति के लिये हम आपको स्वीकार करते हैं।

गृहस्थ-यज्ञ-शाला के द्वार की सजा से बढ़कर नारी के लिये अन्य शुभकामना तथा सम्मान और क्या हो सकता है ?

पुण्यगन्धा—

ऋक्सहिता में नारी के लिये “पुण्यगन्धा” विशेषण स्वयं में एक ऐतिहासिक दस्तावेज लिये हुए है^३। यह नारी हो है, जो पुण्य को आगन, वाहन तथा विस्तर में सुखद शयन कराती है। भगवान् ने ससार की शान्ति का पाठ पढ़ाने की कला नारी को सौंप रखी है। यही पुण्यगन्धा-नारी समय-समय पर आद्याशक्ति के रूप में अवतरित होकर जीवलोक में प्राण-बहन करती है और उसका लालन-पालन पोषण करती है। माता, स्त्री, कन्या, बहन के रूप में नारी का आदर्श सदा पवित्र और

१. देवीर्द्वारो वि श्रयध्व सुप्रायणा न ऊतये ।

प्रप्र यज्ञ पूर्णीतन ॥ (ऋ० ५।५।५)

२. वि श्रयन्तामुविद्या दूयमाना द्वारो देवो. सुप्रायणा नमोमि ।

व्यचस्वतीवि प्रयन्तामजुर्षा वर्णं पुनाना यशस सुवीरम् ॥ (ऋ० २।३।५)

३. प्रोष्ठेयया वल्लेशया नारीर्यास्तत्वशीवरी ।

स्त्रियो या. पुण्यग-यास्ता. सर्वा. स्वापयामसि ॥ (ऋ० ७।५।५।८)

गन्धवान् रहा है। सहिताकाल से ही नारी में मातृत्व-भावना भरी हुई है। यही कारण है कि भारतवर्ष में स्त्रीत्व माता का बोधक बन गया है, क्योंकि मातृत्व में जिस महानता, स्वार्थशून्यता, कष्ट सहिष्णुता एवं क्षमाशीलता के हमें दर्शन होते हैं, उसकी अन्यत्र कल्पना भी नहीं की जा सकती।

“पुण्यगन्धा” नारी अपने आदर्शमय जीवन से घर को स्वर्ग बनाने की क्षमता रखती है, अपने सादे रहन-महन से समाज को सुख-सुविधा का पाठ पढा सकती है। सम्भवतः इन्हीं विशेषताओं के कारण ही हमारे मन्त्रद्रष्टा ऋषि-महर्षियों ने नारी को पुण्यगन्धा कहा है।

नारी के प्रति समाज की यह बहुत बड़ी उदात्त, मगलमयी शुभकामना है, जब वह नारी के सामने पुण्यगन्धा कहकर नतमस्तक होता है।

शिवा—

यजु सहिता के प्रथम अध्याय में मातृभूमि को “सूक्ष्मा” उत्तमा, ‘शिवा’ कल्याणकारिणी, “स्योना” सुखदायिनी, ‘सुपदा’ सुखपूर्वक बसने योग्य, “ऊर्जस्वती” श्रेष्ठ रस से सम्पन्न, “पयस्वती” पुष्टिकारक दूध, घृत आदि पदार्थों से युक्त कहा गया है^१। जननी और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी महत्त्वशालिनी बताने वाले भाषों की दृष्टि में उपर्युक्त सभी विशेषण मातृरूपा नारी के लिये भोग्यात् होते हैं।

सहिताकालीन पुरुष नारी को गृहऋक्षी, ज्ञानदात्री सरस्वती एवं शिव-कारिणी शिवा के रूप में देखता रहा है। ऋक्महिता में नारी की पवित्रता पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है—“सर्वप्रथम चन्द्र-देवता ने नारी को शुचिता प्रदान करने हेतु अपनाया, गन्धर्व ने उसकी वाणी में माधुर्य संचार करने का उद्देश्य उसे आश्रय दिया तथा अग्निदेव ने उसके अग अग में पवित्रता भरकर उस पति के रूप में पुरुष के हाथ में अर्पित कर दिया^२। इस तरह देवताओं से परिवर्द्धित नारा सदा शिवा रही है। दुर्भाग्यवश हमारे कुछ तथाकथित विद्वान् इस मन्त्र से तत्कालीन बहुविवाह प्रथा एवं नियोग-प्रथा की बात करते हैं, जो पूणतया निराधार एवं अनगल है, क्योंकि सोम, गन्धर्व और अग्नि में पतित्व की भावना केवल नारी के क्रमिक

१ सूक्ष्मा चासि शिवा चासि स्योना चासि सुपदा चास्युजस्वता चासि पयस्वती च ।

(यजु० १।२७)

२ सोम प्रथमो विविद गन्धर्वो विविद उत्तर ।

तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजा ॥

सोमो ददद्गन्धर्वाम् गन्धर्वो दददभयम् ।

रयि च पुत्राश्चादादग्निमहामयो इमाम् ॥ (ऋ० १०।८५।४०-४१)

समाज स्तर को पगडो के समान आदर देता था^१। उस समय उपदेश केवल नारी के लिये ही नहीं, अपितु पुरुष के लिये भी कुछ आदर्श निर्धारित थे, जिनका पालन उसके लिये अनिवार्य था। सत्कार-योग्य नारी गुणवान् पुरुष को सदा आदर देती थी, उसे देवतुल्य पूज्य मानती थी। दानशील होना पुरुष के पौष्य का सूचक था। ऋक्सहिता में^२ दानशील व्यक्ति को ही ग्रामणी (ग्राम-प्रधान) बनाया जाता था, इसका स्पष्ट उल्लेख है। दानदाता पुरुष ही सुन्दर लक्षणों वाली नारी को प्राप्त करता था^३ और आदर्श दानशील व्यक्ति का समाज में बड़ा आदर था। युद्ध में ऐसे व्यक्ति की रक्षा स्वयं देवता करते थे तथा उसकी शत्रुओं पर विजय सुनिश्चित होती थी।

दो नारी रखने वाले पुरुष को हेय दृष्टि से देखा जाता था। ऐसे आदर्शहीन पुरुष को तुलना रथ के घुरों के बीच शब्द करने वाले पशु के साथ करते हुए ऋक्सहिता में कहा गया है^४।

गार्हस्थ्य-जीवन की पृष्ठभूमि—

वैदिक-विवाह के समय प्रयुक्त कतिपय मन्त्र दाम्पत्य-जीवन के कर्तव्यों की ओर संकेत करते हैं, जिनका उच्चारण करता हुआ वर विष्टर (आसन), अर्घ्य आदि ग्रहण करता है। इन मन्त्रों में तत्कालीन सामाजिक-भावना और संस्कृति के सम्यक् दर्शन होते हैं।

पारस्कर-गृह्यसूत्र के अनुसार गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने को उत्सुक वर अर्घ्य (पूजनीय) है। समादरणीय छ. व्यक्तियों की गणना में कहा गया है— 'पटर्घ्या भवन्त्याचार्यं-ऋत्विग्वैवाह्यो-राजा-प्रिय-स्नातका' अर्थात् गुरु, यज्ञ कराने वाला, वर, राजा, प्रिय और ब्रह्मचारी स्नातक पूजनीय हैं। इसी कथन का समर्थन आगे चलकर याज्ञवल्क्य स्मृति में भी करते हुए कहा गया है—

“प्रतिसदत्सर त्वर्घ्या. स्नातकाचार्यंपार्थिवा ।

प्रियो विवाहश्च तथा यज्ञ यत् ऋत्विजं पुनः” ॥

१. अदित्ये रास्नासीन्द्राण्या उष्णीय ।

पूपासि घर्माय दीध्व ॥ (यजु० ३८।३)

२. दक्षिणावान्प्रथमो हूत एति दक्षिणावान्ग्रामणीरग्रमेति ।

तमेव मध्ये नृपति जनाना य प्रथमो दक्षिणामाविवाय ॥ (ऋ० १०।१०७।५)

३. भोजा जिग्मु सुरभि यानिमग्रे भोजा जिग्मुर्बध्व या सुवासा ।

भोजा जिग्मु-त पेथ सुगया भोजा जिग्मुर्ये अहूता प्रयन्ति ॥ (ऋ० १०।१०७।९)

४. उभे घुरी बह्निरापिन्दभानोऽन्तर्वेनेव चरित द्विजानि ।

वनस्पति वन आस्यापयध्व नि पू दधिध्वमखनन्त उत्सम् ॥ (ऋ० १०।१०१।११)

विष्टर-रहस्य—

कन्या का पिता “विष्टर प्रतिगृह्यताम्” कहकर वर को सादर विष्टर (आसन) देता है। वर विष्टर को दोनों हाथों से लेकर अथर्वसंहिता में पठित “वष्मोऽस्मि” इत्यादि मन्त्र पढ़कर उसको अपने पैरों के नीचे दबा देता है। इसमें विष्टर के अभिमानी देवता का व्यवहार प्रस्तुत है। इस मन्त्र में वर अपनी श्रेष्ठता एवं ज्येष्ठता सिद्ध करता हुआ गृहस्थ धर्म में आने वाली बाधाओं पर साहस से विजय प्राप्त करने का संकेत करता है। वर का आशय स्पष्ट है कि जो भी व्यक्ति मेरे सत्कार्यों में बाधक बनकर मेरी उन्नति में अवरोध पैदा करेगा, मैं उसको विष्टर की तरह ही अपने नीचे दबाकर अपने गार्हस्थ्य-जीवन को समुन्नत करूँगा।

विष्टर सम्बन्धी इस मन्त्र का ऋषि अथर्वण है, छन्द अनुष्टुप तथा देवता विष्टर है। इस मन्त्र के द्वारा दाम्पत्य-जीवन में प्रवेश करने से पूर्व दाम्पत्य-भाव के प्राप्ति की भूमिका का निर्देश है। यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा के आधार पर इस मन्त्र का अर्थ गृहीत है, जिसमें—‘शान्तो दान्तो उपरतस्तिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मन्ये-वात्मान पश्यति सर्वमात्मान पश्यति’ का भावार्थ छिपा हुआ है। इसमें वशीकारात्मक “शम” के बाद प्रयुक्त “दम” के आधार पर दम्पति से बाह्य-इन्द्रियों को वश में रखने का अर्थ विवक्षित है। इस प्रकार दम्पति से यह आशा की जाती है कि वह पितृ ऋण से मुक्ति हेतु काम्य सन्तति का उत्पादन अवश्य करे, परन्तु आर्यभावना के सर्वथा विपरीत ऐन्द्रिय सुखों के इन्द्रजाल में न फँसे।

इस मन्त्र के माध्यम से सभी प्राणियों में आत्म भावना जागृत करने के साथ ही साथ दाम्पत्य-जीवन में अन्तर्निहित जन कल्याण की ओर ध्यान दिलाया गया है। हीन-इन्द्रियोन्मुख प्रवृत्तिशाल व्यक्तियों को विष्टर के तुल्य मानकर उन पर सूय के समान चतुर्दिक् अपनी प्रकाश दीप्ति को स्थापित करने को कहा गया है। इस मन्त्र में जीवन निर्वाह हेतु एक पद्धति का निर्देश किया गया है, जिस पर चलकर मानव अपने दाम्पत्य जीवन को अजर-अमर बना सकता है।

पाद्य-रहस्य—

विष्टर पर बैठ जान के बाद कन्या का पिता वर को “पाद्य प्रतिगृह्यताम्” कहकर पाद्य (जल) देता है, जिस लेकर वर यजु.संहिता में पठित^१ ‘विराजो दोहोऽसि’

१ वष्मोऽस्मि समानानामुद्यतामिव सूय ।

इम तमभितिष्ठामि यो मा कश्चाभिदासति ॥ (अथर्वसंहिता)

२ विराजो दोहोऽसि विराजो दोहमशीय ।

मयि पादायै विराजो दोह ॥ (यजु महिता)

मन्त्र से अपने पेर घोता है। इस मन्त्र के ऋषि प्रजापति हैं, आप् देवता हैं और चरण-प्रक्षालन में इसका विनियोग होता है।

गाहस्थ्य-जीवन हेतु कितनी समीचीन भद्र-भावना इस मन्त्र में परिध्यात है। इस मन्त्र में जल को सम्बोधित करते हुए कहा गया है—“हे जल ! तুম सभी प्राणियों के प्राणधारक के रूप में विराजमान हो ! आपकी कृपा से मस्योत्पादन होता है, जो प्राणिमात्र के जीवन का मुख्य साधन है। हिरण्यगर्भरूप ! मैं आपको स्वीकार करता हूँ।”

सम्पूर्ण चराचर ब्रह्माण्ड का अभिमानो पुत्र ही हिरण्यगर्भ है, उसकी पूरक-कामना इसमें मन्त्रिहित है। गर्भरूप में हिरण्यगर्भ की अवस्थिति वर्णित है—“आत्मा वै जायत पुत्र”, यही भावना विवाह के बाद पुत्रोत्पत्ति के रूप में प्रतिकलित होती है। इन्द्रिय लोलुपता, स्वार्थपरता से विमुखता ही गृहस्थ-दम्पति की वास्तविक सम्पत्ति है, जिसे सन्तति के रूप में मानव प्राप्त करता है।

राष्ट्र-धर्म के सञ्चार से ही राष्ट्र-समृद्धि सम्भव है। इस भावना को “पाप” ग्रहण के रूप में दिखाया गया है। जल ही हिरण्यगर्भ को पूर्ण करने का साधन है, विशिष्ट दीप्ति है, वास्तविक सम्पत्ति है, क्योंकि “सृष्टिर्मेवाप्र इदमामृत, तत्र सवत्सरमुपित्वा हिरण्यगर्भं समवर्तत” में कहा गया है कि सृष्टि के आदि में केवल जल ही जल था और यही सृष्टि-निर्माता की आदि रचना थी।

उपर्युक्त मन्त्र में अभीष्ट का निर्देश करने के बाद उस अभीष्ट की पूर्ति हेतु “आप स्थ युष्माभि” मन्त्र में प्रार्थना की गयी है कि ‘हे जल ! आपके द्वारा ही सभी अभीष्ट कामनाओं की उपलब्धि हाती है’।

ध्यान देने योग्य यहाँ यह है कि इस प्रार्थना में जल के अनेक पर्यायों के रहते हुए भी “आप्” शब्द का ही प्रयोग क्यों हुआ है ? आशय स्पष्ट है कि “आप्” शब्द विशिष्ट अखण्डता या व्याप्ति का वाधक है। व्याप्ति अर्थात् व्यापक अर्थ का बोध कराने वाली “आप्” धातु से क्विप् प्रत्यय करने पर बहुवचनान्त “आप.” शब्द निष्पन्न होता है। यहाँ प्रकृत-मन्त्र में भी “आप्नवानि” क्रिया का बहुवचनान्त प्रयोग हुआ है। यहाँ इस बहुवचनान्त “आप” शब्द के ग्रहण करने का तात्पर्य है कि भारतीय संस्कृति संस्कार तथा सभ्यता में व्यष्टि या खण्डात्मक भावना की तुलना में समष्टि या अखण्डात्मक गृहस्थ-भावना का श्रेयस्कर मानती है। भारतीय-

१ आपो ह यद्वृहती विश्वमापग्भन्द्धाना जनयन्तोरगितम् ।

ततो देवाना समवर्ततानुरेक कम्भे देवाय हविषा विधेम ॥ (यजु० २७।२५)

२ आप स्थ युष्माभि सर्वान् कामानवाप्नवानीति ॥ (यजु संहिता) ।

संहिता-परिवार की आस्था जनहित पर आधारित है, व्यक्तिविशेष पर नहीं, कदापि नहीं, इसके साथ यह भी ध्वनित होता है ।

संहिताकालीन दाम्पत्य-जीवन अनात्मवाद का नहीं, आत्मवाद का, भोगवाद का नहीं, योगवाद का, स्वार्थवाद का नहीं, परमार्थवाद का, नास्तिकवाद का नहीं, आस्तिकवाद का, राष्ट्रवाद का नहीं, अन्ताराष्ट्रवाद का डिण्डिम घोष करता रहा है, जिसकी प्रतिध्वनि आज भी "सर्वे भवन्तु सुखिनः" के रूप में या रामचरित-मानस के मर्मज्ञ गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में "सीय राम मय सब जग जानी" के निनाद में प्रतिध्वनित हो रही है ।

यजु.संहिता (३।४१) में "गृहा मा विभोत" अर्थात् गार्हस्थ्य जीवन के पवित्र दायित्व और कर्तव्यों की निर्भीकता से निष्ठापूर्वक करने की आज्ञा दी गयी है । इसके साथ ऋक्संहिता (१०।४३।६) में "मनुर्भव जनया दैव्य जनम्" अर्थात् मनन-शील बनकर दैवी-सन्तान उत्पन्न करने को कहा गया है, जो गार्हस्थ्य-जीवन के नियमों का पालन करने में सक्षम हो एव अत्रादि से अतिथियों का स्वागत-सत्कार करने में तत्पर रहे । कहा भी है—जो अन्न-धन-सम्पन्न व्यक्ति अन्नाभिलाषी निर्धन व्यक्तियों के सम्मुख आने पर मन को कठोर कर लेता है और स्वयं आनन्दपूर्वक भोजन करता है, उसे सन्मित्र नहीं मिलते । इसके विपरीत जो व्यक्ति अन्नाभिलाषी याचक को सानन्द अन्न देता है, वह स्वादु भोजन करता है । इतना ही नहीं ऐसे दाता के पास पर्याप्त अन्न धन की सम्पत्ति रहती है और उसे कठिन समय में सच्चे मित्र भी सुख रहते हैं । इन मन्त्रों के आधार पर यह सुव्यक्त है कि गृहिणों को चाहिए कि वह अन्न आदि से घर को परिपूर्ण रखे, जिससे उत्तम सत्कार में किसी प्रकार की बाधा न हो । अतः वैदिक-नारियों के संहिताकालीन उदात्त विचार समाज के उन्नायक थे, जा आज भी अनुकरणीय हैं ।

बैवाहिक जीवन ही गृहस्थ जीवन है, जिसमें नारी के आगमन से ही मनुष्य के लिए ब्रह्मचर्य के बाद के अनक क्रिया-कलाप सम्मुख आते हैं, और इसका निर्वाह यद्यपि दम्पति करते हैं, किन्तु "न गृहं गृहमित्याहु गृहिणो गृहमुच्यते" इस परम्परा-प्राप्त वचन के अनुसार गृह से तात्पर्य गृहाधिष्ठात्री देवी से हाता है । गार्हस्थ्य जीवन के पूर्वोक्त प्रदर्शित सभी आचरण गृह के व्याज से गृहिणों में निक्षिप्त हैं । प्रेम, दया,

१ य आध्याय चक्रमानाय पित्वोऽन्नवान्सषष्टितायोपजग्मुपे ।

स्मिन् मन कृणुते सेवते पुरोतो चित्स मडितार न विन्दते ॥

स इद्भोजो यो गृहव ददात्यन्नकामाय चरते कृशाय ।

अयमस्मै भवति यामहूता उतापरोपु कृणुत सखायम् ॥ (ऋ० १०।११।७।२-३)

सहानुभूति के व्यवहार से ही गार्हस्थ्य जीवन की पूर्णता होती है, अतः इस दृष्टि से ऋग्वेद आदि को अनेक संहिताओं में दम्पति को सम्बोधित कर उपदेश दिया जाता है। जैसे—

दम्पति एक मन होकर उत्तम कार्यों के सम्पादन के लिए साथ-साथ गतिशील हो, अर्थात् क्रियाओं का सम्पादन करें। नित्य परमेश्वर की प्रार्थना करें। दम्पति इस सुखदायक गृह में सतत जागरूक हर्षातिरेक, प्रेममय, आनन्दपूर्ण जीवन व्यतीत करें। शोभन पुत्रों और सुचारु गृहस्थ वाले होकर चिरकाल तक प्रवासमय उपाकाल की किरणों का साक्षात्कार करें।

इस मन्त्र के द्वारा दम्पति को एक-मन होकर उत्तम कर्मा में सलग्न होकर जीवन व्यतीत करने की शिक्षा दी गयी है। परस्पर प्रेम और आनन्दमय जीवन व्यतीत करने में एकमात्र यही साधन है। वेमनस्य की स्थिति में न तो गार्हस्थ्य जीवन के कर्तव्या वा पाठन सम्भव है और न आनन्दमय उपा की किरणों के साथ जागकर प्रकाशपूर्ण जीवन घापन की ही सम्भावना है। अपना जीवन प्रेमपूर्ण न रहे, तो आगे की क्रियाएँ सर्वथा निष्कृत होने निश्चित ही हैं।

ऋग्वेद एवम् अथर्ववेद के मन्त्रों में कुटुम्बियों के साथ नारी के व्यवहार की शिक्षा-दीक्षा के आधार पर यह स्पष्ट हो रहा है कि अपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए और राष्ट्र की उन्नति की दृष्टि के लिए कैसा आदर्श दाम्पत्य-जीवन वैदिक ऋषियों वा काम्य है। महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुन्तल में महर्षि ऋष्व के द्वारा प्रस्तुत शिक्षा में इसको छाया स्पष्ट अभिव्यक्त है।

माता पिता, नौकर, पशु सभी सुखपूर्वक शयन करें, आत्मीय-जन पिता, पुत्र, पौत्र, पितामह, माता, बन्धुजन उनके साथ आदरपूर्ण व्यवहार करें।

ब्राह्मणों का प्रिय करें, क्षत्रियों का प्रिय करें, वंशों का प्रिय करें, शूद्रों का प्रिय करें, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वंशों और शूद्रों के प्रति रुचि हो और ऐसी रुचिवालों

१ (क) या दम्पती समनसा सुनुत आ च घावत ।

देवासो नित्ययाधिरा ॥ (ऋग्वेद—८।३।५)

(ख) स्योनाद्योनैरधि बुध्यमानो हृषामुदो महया मोदमानो ।

सुसु सुपुत्रो सुगृहो तराथो जीवावुपपो विभातो ॥ (अथर्वं १।४।२।४३)

२ (क) सस्तु माता सस्तु पिता सस्तु स्वा सस्तु विश्वति ।

ससतु सर्वे जातयः सस्त्वयमभितो जन ॥ (ऋ० ७।५।५)

(ख) आत्मानं पितरं पुत्रं पौत्रं पितामहम् ।

जाया जनिषो मातरं मे प्रियास्तानुं हृषे ॥ (अथर्वं ९।५।३०)

के प्रति भी मेरी रुचि हो। इस प्रकार सभी वर्णों के प्रति सौमनस्य की कामना एव सार्वभौम प्रेम सम्पूर्ण विश्व के प्रति कल्याण की भावना का उन्नायक है। एव सन्मित्र के लिए ऐसी रुचिवालो का ही चयन किया है।

सभी मनुष्यों का जलस्थान एक हो, सभी अन्तो को समान रूप से वांछित व्यवहार में लाओ। एक कौटुम्बिक बन्धन में आवद्ध किया जा रहा है, अतः मिलकर कर्म करो। जैसे रथ चक्र पत्ति को एक नाभि (नेमि) में सम्बद्ध रहते हैं और समान रूप में कर्म करते हैं, वैसे हो तुम्हारे हृदयों को समान करे और तुम्हारे मन विद्वेष-रहित हो। गौ जैसे सद्य जात बच्चे के साथ प्रेम करती है, वैसे ही तुम एक दूसरे की प्रीति से सम्पन्न रहो। सौ वर्षों तक समान ऐश्वर्य की प्राप्ति मन, वाणी और क्रिया से समान पक्षपाती जोव को ही सुलभ होती है। इस मन्त्र में सौ वर्षों तक सुखी जीवन व्यतीत करने का एकमात्र साधन समत्व के व्यवहार को माना है, वह भी द्वेषरहित। मानव को गृहस्थ सम्पत्ति विचार और व्यवहार या रहन-सहन का साम्य ही है। यह समत्व-व्यवहार मानव से ही नहीं, वरन् सभी पशु-पक्षियों के साथ करने का उपदेश इन वैदिक-मन्त्रों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है^२।

परिशीलन—

वैदिक-सहिताकालीन नारो, नर की भाँति ही अपने गृहस्थ जीवन में यज्ञादि अधिकारों से सुसज्जित एव अलकृत थो। बाल्यावस्था में अपने पितृगृह में कमनीय झोडाएँ करती हुई कन्या को प्रौढ पाण्डित्य प्राप्त करने का जन्मसिद्ध अधिकार था। विवाह के समय वर अपने बन्धु बान्धवों को सम्बोधित करते हुए नारी के जिस “सुमगली” स्वरूप का साक्षात्कार करने का उनसे आग्रह करता था, वह एक दिन को तपश्चर्या का परिणाम नहीं होता था, क्योंकि उसके पीछे कन्या के माता-पिता की

- १ (क) प्रिय मा कृणु देवेषु प्रिय राजसु मा कृणु ।
प्रिय सर्वस्य परपत उत शूद्र उताप्ये ॥ (अथर्व० १९।६२।१)
- (ख) ह्य ना धेहि न्नाह्यणेषु ह्य राजसु नस्कृवि ।
ह्य विश्वेषु शूद्रेषु मयि धेहि रुचा ह्यम् ॥ (यजु० १८।४८)
- २ (क) समानी प्रपा सह वीन्नभाग समाने योक्त्रे सह वा युनजिम ।
सम्यञ्चाग्नि सपयतरा नाभिमिवाभित ॥ (अथर्व० ३।३०।६)
महृदय सामनस्यमन्त्रिद्रप कृणामि व ।
अन्यो अन्यमभि ह्यंत वत्स जातमिवाह्यवा ॥ (अथर्व० ३।३०।१)
- (ख) ये समाना समनसो जीवा जीवेषु मामका ।
सेवा धीर्मायि कल्पतामस्मिन्नोके शत समा ॥ (यजु० १९।४६)

उस साधना का सम्बल छुपा रहता था, जिसके कारण उनकी बेटी के सौभाग्यवर्धन की प्रार्थनाएँ की जाती थी। सौभाग्यवती पुत्रवती नारियों द्वारा बघू को सिन्दूर लगाने की जो प्रथा हमारे समाज मे आज भी प्रचलित है, नि.सन्देश उसके पीछे हमारी सहिताओ का सरल, सरस सदुपदेश ही कारण है।

शारीरिक एव आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से पुरुषवर्ग के आगे नारी-समाज का आत्मसमर्पण—विवाह सस्कार मे “सप्तपदी भव” कहते ही नारी अपने पितृ-गोत्र, जाति को छोड़कर अपने पति की सर्वात्मना हो जाती है—“स्वगोत्राद् भ्रश्यते नारी विवाहात् सप्तमे पदे”। वस्तुतः नारी और नर का वैवाहिक-सस्कार दो आत्माओ का ऐसा सगम है, जो कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। आपस्तम्ब मे “जायापत्योर्न विभागोऽस्ति” अर्थात् विवाह के बाद पति-पत्नी बने नर और नारी मे कोई भेद नहीं रहता, कहा गया है।

वीरवती, पुत्रवती, सौभाग्यवती बनी सहिताकालीन नारी अपने पति के कन्धे से कन्धा एव कदम से कदम मिलाकर अपनी गृहस्थी को स्वर्ग बनाने के लिये अर्हानिश्च तत्पर रहती थी। दूसरी ओर पुरुष भी अपनी पत्नी को सहचरी, सहधर्मिणी मानकर उसका सम्मान बढ़ाते हुए जीवन ज्योति को सदा प्रज्वलित रखने मे अपना पुरुषत्व मानता था।

काश ! आज का समाज भी वैदिक सहिताओ का सन्देश सुनता और जीवन को सुखद बनाने के लिये नर नारी को समाज की उन्नति मे सहभागो मानता। “दहेज” जैसी दानवी दानवृत्ति से विरत होकर अपनी बेटी, बेटे और बहूरानी मे समदर्शी बनने का प्रयास करता।

सप्तम अध्याय

सहिताओं में नारी के कर्तव्य

वेद के सम्बन्ध में सामान्यतः यह धारणा है कि वेदों में नारी के लिये कुछ सकृचित एव सीमित विचारधाराएँ एव कर्तव्यों की सङ्कीर्ण मर्यादा रेखाएँ हैं, जो नारी के सर्वाङ्गीण विकास एव साम्प्रतिक युग के अनुसार प्रतिकूल एव असङ्गत सिद्ध होती हैं। वस्तुतः वेदों के विषय में ये विचार भ्रान्तिमूलक हैं। वैदिक सहिताओं तथा अन्य वैदिक-साहित्य में नारियों के महनीय कर्तव्यों का विपुल निर्देश प्राप्त होता है। प्रस्तुत अध्याय के अन्तर्गत वैदिक-सहिताओं में नारियों के कर्तव्य तथा उनसे सम्पृक्त अधिकार का भी विवेचन करने का प्रयास किया गया है।

सम्पूर्ण नारी-समाज का वर्गीकरण मूलतः तीन रूपों में किया जाता है। सर्वप्रथम माता के रूप में, द्वितीय भगिनी, पुत्री या कन्या के रूप में तथा तृतीय पत्नी के रूप में। वैदिक साहित्य में नारी के कर्तव्यों का अन्वेषण भी इन्हीं तीन रूपों के अनुसार किया जा सकता है। इन तीन रूपों के वर्णन-प्रसङ्ग में वैदिक-सहिताओं में नारियों के विभिन्न विशेषण उपलब्ध होते हैं, जिनके द्वारा हम नारी समाज के कर्तव्यों का वदानुशासन प्राप्त करते हैं।

(१) माता एव उसके कर्तव्य—

वैदिक सहिताओं में "माता" पद जन्मदात्री माता के अतिरिक्त मुख्यतः पाँच महनीय नारीतत्त्वों के लिये दृष्टिगोचर होता है। ये हैं—(१) पृथ्वी^१, (२) गौ^२, (३) अदिति^३, (४) उषा^४ तथा (५) रात्रि^५। इन नारीतत्त्वों से सम्बन्धित मन्त्रों के पर्यालोचन से माता के विशिष्ट कर्तव्यों का निर्देश सहिताओं में प्राप्त होता है। यहाँ यह अवश्य है कि निघण्टु में पठित पृथिवीवाचक नाम गौवाचक नामों में भी परिगणित है।

१. 'माता भूमि' (अथर्व० १२।१।१२), 'माता पृथिवी' (ऋ० १।१६।४।३३)

२. माता रुद्राणाम् (ऋ० ८।१०।१।१५)

३. अदितिर्माता (ऋ० १।८९।१०)

४. माता देवानाम् (ऋ० १।११३।१९)

५. ह्वयामि रात्रिं जगतो निवशनीम् (ऋ० १।३५।१)

के द्वारा यह भी निर्देश किया गया है कि इन कर्तव्यों से युक्त नारी सभी मानवों को उपदेश देने की अधिकारिणी है^१।

ऐतरेय ब्राह्मण में, या गौ सा सिनीवाली, कहा गया है^२। अर्थात् गौ-माता सिनीवाली अन्नपूर्णा होती है। नारी-माता भी सभी परिवारजनों का भोजनादि से पोषण करने के कारण सिनीवाली है। सभी नारियों को अपने इस कर्तव्य में सावधान रहने का निर्देश शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट कर दिया गया है—योपा वै सिनीवाली^३, अर्थात् स्त्री ही अन्नपूर्णा है।

उपर्युक्त यजुर्वेद के मन्त्र में सरस्वती-शब्द नारी एवं गौ दोनों के प्रति प्रयुक्त हुआ है। स्वामी दयानन्द ने सरस्वती का अर्थ “प्रशसित विज्ञानवाली” किया है। गौ-माता का वाचक मानने पर सरः का अर्थ दुग्ध होगा। अतः सरस्वती का अर्थ दुग्धवाली हुआ। यह अर्थ भी वात्सल्य से पूरित शिशुओं का पोषण करने वाली नारी-माता के प्रति उपयुक्त है। नारियों को इस कर्तव्य के प्रति भी सावधान रहना चाहिए। इसी कारण शतपथ-ब्राह्मण में “सरस्वती हि गौ” कहा गया है^४, साथ ही “योपा वै सरस्वती^५” अर्थात् नारी को भी सरस्वती बतलाया गया है। यजुर्वेद^६ में पठित “महीना पयोऽसि” का भी तात्पर्य गौ-पक्ष में अमृततुल्य गौ-दुग्ध स्पष्ट है। इस प्रकार गौ के मातृत्व द्वारा वैदिक-संहिताओं में नारी के मातृत्व कर्तव्यों का निर्देश दिया गया है।

अदिति का मातृत्व—

सामान्यतया अदिति शब्द की व्युत्पत्ति ‘दो अखण्डने’ धातु से की जाती है, न दिति—अदिति^७। अर्थात् जिसका खण्डन-विभाजन न किया जा सके, वह अदिति है। वेदों में अदिति-शब्द का पुष्कल प्रयोग प्राप्त होता है, जिनमें वही अदिति-शब्द अखण्डनीय, अविनाशी परमात्मा का वाचक है तथा बहुत्र पृथ्वी, वाणी, गौ तथा अखण्डनीय ज्ञानशक्ति-युक्ता नारी का वाचक है। ऋषि दयानन्द ने अदिति-शब्द का अर्थ करते हुए ऋग्वेद भाष्य^८ में स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार उत्पन्न हुए बालक के लिए माता सुखप्रद होती है, उसी प्रकार अदिति भी हमारे प्रति सबदा सुखकारिणी है। ऋग्वेद में अन्य स्थानों पर अदिति को विदुषी माता^९ तथा पूर्ण सुख

१ सुइत ब्रूतात् (मा० म० ८।४३)। २ ऐ० ब्रा० ३।४८। ३ य० ब्रा० ६।५।१।१०।

४ तदेव—१।४।१।७।

५ तदेव—२।५।१।१।

६ मा० स० ४।३।

७ ऋ० (१।४।३।२) यथा लोकाय अदितिः।

८ ऋ० २।२९।३।

देनेवाली' कहा गया है। अतः अदिति के मातृत्व द्वारा माता का विदुषी तथा पुत्रों के प्रति सुखकारिणी होने का कर्त्तव्य वेदों में उपदिष्ट किया गया है।

यजुर्वेद-संहिता में अदिति माता को अखण्ड विद्या का अध्यापन करनेवाली विदुषी^१ तथा अखण्ड ऐश्वर्य वाले आकाश के समान दत्तेभरहिता^२ महिला कहा गया है। यजुर्वेद-संहिता के ही एक मन्त्र में राजपत्नी के गुणों का वर्णन करते हुए, राजकुल की स्त्रियाँ पृथ्वी एवं आकाशादि के समान धैर्यशालिनी हों, यह कहकर उन्हें अदिति-शब्द से सम्बोधित किया गया है^३। इस प्रकार यजुर्वेद-संहिता से भी अदिति के समान उत्कृष्ट मातृत्व के लिए प्रत्येक नारी-माता के लिये पुत्रों को अध्यापन कराने, क्षोभरहिता होने तथा धैर्यशालिनी रहने के कर्त्तव्यों का निर्देश प्राप्त होता है।

अदिति-सम्बन्धी वद के इन मनोहारी वर्णनों को देखकर किसी ऐसी दिव्या अदिति माता का चित्र मस्तिष्क में उभर आता है, जो विद्या-विज्ञान से पूरित होने के कारण अखण्डनीय शक्तिमती, समस्त ऐश्वर्य सम्पन्न सुखदात्री तथा वाक्पटुता के कारण सर्वत्र समादृता हो। अदिति को नारी ही नहीं, माँ का गौरवपूर्ण पद वेद में दिया गया है। निश्चय ही ऐसी अखण्डनीय अद्वितीय शक्ति के वर्णन द्वारा माता के ही स्वरूप का चित्रण किया गया है।

मध्ययुग में नारी की अवमानना प्रारम्भ हो गयी। नारी को वद-शास्त्रों के अध्ययन से वंचित कर दिया गया तथा घोर पर्दा-प्रथा से प्रतिबन्धित कर उसे अदिति बन्धनमुक्ता से बन्धनयुक्ता बना दिया गया। विद्या से शून्य होने के कारण नारी अन्धविश्वासों से आवृत अपने गौरवमय अदितिरूपी मातृत्व के कर्त्तव्य को भूल बैठी। ऐसी अवस्था में नारी के महिमानय-स्वरूप का पुनर्दिग्दर्शन महर्षि दयानन्द ने वेदों के आधार पर किया।

योग्य सन्तति उत्पन्न करने वाली विदुषी माता का ऋषी विश्व का प्रत्येक व्यक्ति होता है। निर्माण का यह कार्य वह सुन्दरता से कर सके, शिशुहृदयों में सुसंस्कार का बीजारोपण कर सके, एतदर्थं विधाता ने माता को सुकोमलता एवं स्वाभाविक भावुकता प्रदान की है। योग्य माताओं की गौरव कथा से इतिहास परिपूर्ण है। आज की शिक्षित माताएँ भी वैदिक आदर्शों को 'अदिति-माता' के स्वरूप से भिन्न हैं। वैदिक अदिति माता सयम एवं नैतिक आदर्शों की प्रतिमूर्ति है। बहुत

१ ऋ० (५।४२।२) दयानन्द भाष्य।

२ मा० स० (११।७१) दयानन्द-भाष्य।

३. मा० स० (१३।१८) दयानन्द भाष्य।

४. मा० स० (११।१८) दयानन्द भाष्य।

से अस्वस्थ निबल रोगी सन्तानों की माँ “अदिति माता” नहीं कही जा सकती। समय एव आदर्शों का पालन करते हुए दिग्दिगन्त का मुख उज्ज्वल करने वाली, एक भी सन्तति की निर्मात्री नारी ही “अदिति-माता” है।

नारी-मुक्ति आन्दोलन से प्रभावित साम्प्रतिक शिक्षित नारियों के हृदय में पुरुषों के प्रति प्रतिद्वन्द्विता एव घृणा का प्रादुर्भाव हो रहा है। यह प्रवृत्ति समाज के लिये घातक है। महिला-वर्ग द्वारा “अदिति” के अदितित्व की प्राप्ति हेतु वैदिक आदर्शों को अपनाकर इस प्रकार की खण्डन-प्रवृत्तियों को दूर करना होगा।

उषा का मातृत्व—

“वस्” दीप्तौ धातु से निष्पन्न होने वाली “उषा” का वणन ऋक् संहिता के लगभग २० सूक्तों में पाया जाता है। दीप्ति-सम्पन्न उषा का सूर्य के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध व्यक्त किया गया है। सूर्य के मार्ग को माँ के समान प्रशस्त करने के कारण उषा को सूर्य की माता के रूप में वर्णित किया गया है। नित नवीना होकर भी प्राचीना कहलाने वाली “उषा” माँ ही अपने आगमन के साथ मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सम्पूर्ण जीवों को कार्यरत कर देती है। विना भेद-भाव के मातृरूपा उषा सभी लोगों का मार्ग प्रशस्त और उनके वायों में बने बाधक अन्धकार का विनाश करती है। यह केवल “उषा” ही है, जिसमें नारी के विविध रूपों की झाँकी मिलती है। एक ओर सूर्य का मार्ग प्रशस्त करने के कारण उषा को उसकी माँ कहा गया है, तो दूसरी ओर सूर्य का अनुसरण करने के कारण उषा को सूर्य की पत्नी के रूप में वर्णित किया गया है, एव “दुहित-दिव-” कहकर सूर्य के साथ उसके भाई-बहन के स्वरूप का चित्रण है।

शाश्वत नियमों तथा देवों के आदेशों का पालन करने वाली “उषा” प्रातःकाल देवताओं और उपासकों को जगाती है तथा उन्हें होम-कर्म हेतु प्रेरित करती है। अपने कर्तव्य-मार्ग पर सदा आरूढ “उषा” अपनी दैनिकचर्या पूरी करने के बाद सान्ध्य-वेला में अपनी छोटी बहन “रात्रि” को बुलाकर अपना उत्तरदायित्व सौंप देती है। इस प्रकार हमारी उषा-माँ रात्रि-रूपी माँ से (मौसी) अहर्निश हमारी चौकसी करती है। यही कारण है कि इन दोनों बहनों को वैदिक-संहिताओं में “उपासानक्ता” एव “नक्तोपासा” की सजा से भी पुकारा जाता है।

“प्रचेता” (उत्कृष्ट ज्ञानवाली), “सूनरी” (सुन्दरी), “मघोनी” (दानशीला), “सुभगा” (सौभाग्यशाली) आदि विशेषणों से अलंकृत समय पर उपस्थित होकर

१ सह वामेन न उषो व्युच्छा दुहितदिव ।

सह धूमनेन बृहता विभावरि राया देवि दास्वतो ॥ (ऋ० १।४८।१)

प्रकृति के नियमों का पालन करने वाली "उषा" पहले थी, आज भी है। इसके आने पर लोग वैसे ही तैयार हो जाते हैं, जैसे समुद्र में यात्रा करने वाले सत्पर हो जाते हैं। "उषा" का मातृ-वर्णन बन्धकार को दूर करने एवं प्रकाश फैलाने के रूप में (ऋ० ५।८०।५-६), प्राणियों को कार्य में लगाने के अर्थ में (ऋ० ४।५।१।५) एवं ऋत का पालन करने के रूप में (ऋ० १।९।२।१२, १।१२।३।९, १।१२।४।२, ७।७६।५) में उपलब्ध है। ऋक्संहिता में माता द्वारा उबटन कर स्वच्छ की गयी कन्या के समान उषा के स्वरूप का वर्णन किया गया है।

रात्रि का मातृत्व—

"रात्रि" शब्द का प्रयोग विश्राम देने वाली रात के सम्बन्ध में (ऋ० १।३।५।१, १।९।४।७, १।११।३।१) हुआ है। थान्त बालक को मा की गोद में जो सान्त्वना भरा विश्राम मिलता है, उसको अन्यत्र कल्पना करना ही दुष्कर है। ठीक इसी प्रकार दिन के व्यस्त कार्यक्रमों से थान्त एवं वलान्त मानव-मात्र को ही नहीं, जीवमात्र को जो सुखद सन्तोष "रात्रि" में मिलता है, उसकी अन्यत्र कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही कारण है कि वैदिक-संहिताकालीन नर विश्राम हेतु रात्रि-माँ का आह्वान करता है। ऋक्संहिता में रात्रि को सूर्य की पुत्री के रूप में वर्णित किया गया है। यही पर रात्रि और उषा को दो बहनों के रूप में चित्रित करते हुए कहा गया है कि "ये दोनों परस्पर बची हुई हैं, आकाश में क्रमपूर्वक गमन करती हैं और एक दूसरे के वर्ण को मिटा देती हैं। दोनों बहनों का मार्ग एक है, एक मन वाली ये दोनों बहनें विभिन्न वण की होतीं हुए भी अपने क्तव्य-मार्ग में एक दूसरे से कभी नहीं टकराती।"

निष्कर्ष—

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि पृथिवी, गौ, अदिति, उषा एवं रात्रि किस प्रकार मातृरूप में नारी के कर्तव्यों का पालन करती हुई सृष्टि के संचालन में सहयोग करती हैं। पृथिवीरूपी जन्मभूमि और जन्म देने वाली माता को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बताने

१ उवासोपा उच्छाच्च नु देवो जीरा रथानाम् ।

ये अस्या आचरणेषु दग्निरे समुद्रे न श्रवस्यव ॥ (ऋ० १।४।८।३)

२ सुमकाशा मातृमृष्टेव योवाविस्तन्व कृणुपे दृशे वम् ॥ (ऋ० १।१२।३।११)

३ ह्वयामि रात्रिं जगतो निवेशनी । (ऋ० १।३।५।१)

४ यथा प्रमृता सवितु । (ऋ० १।१३।१)

५ समानो अथा स्वसोरनन्तरस्तमन्वाग्या चरतो देवशिष्टे ।

न मेयेते न तस्यतु सुमेके नक्तोषासा समनसा विरूपे ॥ (ऋ० १।११।३।३)

के पीछे वैदिक-सहिताओ का सन्देश ही मूल कारण है। घास-फूस खाकर भी अपने मधुर दूध से पोषण करने वाली गौ-माता को रूद्रो की भी माता कहा गया है। देवो की माता अदिति एव अहर्निश हमारी सुख-सुविधाओ को जुटाने वाली उषा एव रात्रि-माँ के उपकारो का प्रतिकार करने की क्षमता मानव आज तक न जुटा सका है और न भविष्य में भी उसमें जुटा सकने का सामर्थ्य सम्भव है।

कन्या एवं उसके कर्त्तव्य—

कन्या या पुत्री नारी-जीवन की आधारशिला है। समाज के विकास में इसका वही महत्व है, जो किसी सुन्दर, सुदृढ भवन के निर्माण में नींव का होता है। समाज-रूपी भवन में कमनीयता, पवित्रता एव दृढता लाने के लिये आवश्यक है कन्या, पुत्री या दुहिता कहलाने वाली नारी के उस स्वरूप को सम्पक् रूप में सवारा जाये, जो अपने जन्मजात गुणो और सस्कारो के कारण कन्या “कमनीया भवति” इस सम्मान को प्राप्त करती है। लगता है कन्या के इसी कमनीय ‘क-वार’ पर ही रीझकर हमारे पूर्वजो ने देश की सीमाओ को काश्मोर से कन्याकुमारी और कच्छ से कटक तक बाधते हुए उसकी सांस्कृतिक राजधानी काशी स्वीकार की होगी।

वैदिक-सहिताओ में पुत्री के रूप में कन्या का समादर था और समाज उसको देवी के रूप में पूजता था। लोग पूजा-देवता से प्रार्थना करते थे कि उनके घर में कमनीय कन्या का जन्म हो। ऋक्सहिता^१ में ऐसी दो बहनों का वर्णन है, जो अपनी माता की गोद में लेटी हुई हैं। ये बहनें और कोई नहीं चावा (घी)—पृथिवी हैं, जिन्हें माता-पिता का आभूषण माना गया है। ऋक्सहिता के एक स्थल में कहा गया^२ है कि ‘पिता को जो आनन्द पुत्र से मिलता है, वही आनन्द मा को अपनी पुत्री से मिलता है’। पुत्रहीन पुरुष भी पुत्री के गर्भ से उत्पन्न बालक पर निर्भर करता है। पुत्री सम्मान की अधिकारिणी थी। चावा पृथिवीरूपी पुत्रियो से सग्राम में रक्षा करते तथा मंगल करने की प्रार्थना की गयी है^३।

सहिताकाल में कन्याओ के मुख्य कर्त्तव्यो में वेदाध्ययन के साथ गाय दुहने (दुहिता) तथा गो-रक्षण का कार्य था। विवाह से पूर्व कन्याएँ माता-पिता की सहायता करती हुई अनेक घरेलू कार्यों का सम्पादन करती थी। गो-दोहन, गो-रक्षण के अतिरिक्त कृषि की देख भाल करना, जलाशयो से जल भरना, रुई धुना, सूत

१ सङ्गच्छमाने युवती समन्ते स्वसारा जासो पित्रोश्चस्ये ।

अमिजिघ्रन्ती भुवनस्य नामि चावा रक्षत पृथिवी नो अम्वात् ॥ (ऋ० १।१८५।५)

२ ऋ० ३।३१।१-२ ।

३ चिवे नो चावा पृथिवी अनेहसा ॥ (ऋ० ६।७५।१०)

कातना, वस्त्र धुनना तथा उन पर कसीदा आदि काटना ऐसे कार्य थे, जिनको करने से उनके माता पिता को सुख मिलता था और समाज आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होता था। इस सम्बन्ध में वैदिक संहिताओं में अनेक मन्त्र मिलते हैं^१, जिनमें कन्याओं के कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख है।

कन्या का पाणिग्रहण संस्कार माता-पिता या इनके अभाव में बड़ा भाई सम्पन्न कराता था, परन्तु संहिताओं में ऐसे विवरण भी मिलते हैं जहाँ कन्या को अपना जीवन साथी चुनने छूट दी गयी है^२।

नेत्रहीन या कुष्ठ रोगादि से आक्रान्त शरीर वाली कन्याओं के सामने अपने चिर साथी को चुनने की भारी समस्या रहती थी। ऋक्संहिता (१०।१७।११) में एक नेत्रहीन कन्या के आश्रयदाता के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया है कि इसको वरण कौन करेगा? इस प्रकार ऋक्संहिता (८।९१) सूक्त की द्रष्टी तर्जस्विता की प्रतिमूर्ति "अपाला" के सामने भी अपने शरीर की कुष्ठता के कारण वैवाहिक जीवन का प्रश्न था, जिसे आपने अपनी अमोघ तपश्चर्या से हल कर दिया। इन्द्र से वरदान मांगते हुए "अपाला" ने कहा—'मेरे पिता के मिर पर केश (बाल) उग जायें, मेरे पिता के खेत लहलहा उठें और मेरे शरीर से त्वग्दोष (कोढ़) दूर हो जायें'।

महर्षि च्यवन और राजकुमारी सुकन्या का उल्लेख (ऋ० १।११६।१०, ११७।१३, ११८।६ तथा १०।३९।४ में) हुआ है। सुकन्या ने अपने महनीय चरित्र से यहाँ एक आदर्श उपस्थित किया है, जिसमें एक सुकन्या के सभी कर्तव्यों का सन्निवेश परिलक्षित है। पतिव्रता में कितनी दृढता होती है, इसका दर्शन सुकन्या के उन वाक्यों से होता है, जिनका प्रयोग उसने उसकी परीक्षा लेने वाले अश्विनीकुमारों के प्रति करते हुए कहा है, जिनका भाव है—च्यवन मेरे आराध्य देव हैं, इनकी सेवा मेरे जीवन का चरम लक्ष्य है। आर्य महिलाओं को बाहरी चाकचिकण कभी प्रभावित नहीं करता, क्योंकि वे हृदय के भावपक्ष को पहचानती हैं। उसे तो वह बन्धन प्रिय है, जिसमें उसने स्वयं को समझ बूझ कर बाधा है।

कन्याओं को अपने कर्तव्यों का बोध कराने के उद्देश्य से उन्हें "सुसकाशा" तथा 'मातृमृष्टा' (ऋ० १।१२३।११) कहा गया है, जिसका अर्थ सुस्पष्ट है—अपने गुणों के कारण अच्छी लगने वाली और मातृशिक्षा से पवित्र बालिका। अथर्वसंहिता (१।१४।३) में कन्या के लिये 'कुलपा' शब्द का प्रयोग हुआ है, जो यह संकेत करता है कि उस पर दोनों (पितृ एवं पति) कुलों की रक्षा का बोझ रहता है।

१ ऋ० २।३।६, २।३।८।४।

२ कियती योषा मर्यतो बधूयो परिप्रीता पन्वसा वायण।

भद्रा बधूर्भवति यत्पुपेशा स्वयं सा मित्रं वनुत जने चित् ॥ (ऋ० १०।२७।१२)

पत्नी एवं उसके कर्तव्य—

वैदिक संहिताओं में पति की सेवा के लिए नारी के लिए वही भी कोई कर्तव्य सूची नहीं बनाई गयी है, क्योंकि उस समय नर-नारी का समागम दो समान शक्तियों का सम्मेलन माना जाता था। पुरुष सम (पॉजिटिव) शक्ति का प्रतीक था, तो नारी विषम (निगेटिव) शक्ति मानी जाती थी। एक के बिना दूसरा अमहाय एव निष्क्रिय माना जाता था। अन्तःकरण की प्रवृत्तियों के अनुसार वृद्धि का अंश सम (पॉजिटिव) एव मन का अंश विषम (निगेटिव) मानते हुए शरीर को भी दो भागों में विभाजित करते हुए दाहिना भाग पुरुष का और वाम-भाग नारी का माना गया है। सूर्य-शक्ति और चन्द्र-शक्ति के प्रतीक नर-नारी सृष्टि के उत्पादन, संचालन आदि में समान अधिकार रखते थे। साहस, उद्यम आदि साहसिक कार्यों में यदि पुरुष की श्रेष्ठता थी तो धैर्य, सहनशीलता, त्याग एव समर्पण भाव में नारी अद्वितीय मानी जाती थी। वृहदारण्यक में कहा भी गया है कि—“सृष्टि के आदि में आत्मा एकाकी होने के कारण रमण करने में असमर्थ था। इसलिए उसने अपने को स्त्री-पुरुष के रूप में विभाजित किया। सकल्प के अनुसार परमात्मा अपने अर्द्धभाग में पुरुष एव शेष अर्द्धभाग में स्त्री बनकर “अर्द्धनारीश्वर” (शिव) हो गये”। इस प्रकार सच्चिदानन्द प्रभु अपने सत्भाव से स्थित रहते हुए द्विध भाव से द्रष्टा बनकर अपने आनन्दभाव से सृष्टिप्रपञ्च करने लगे। पति-पत्नी के रूप में स्थापित यह सम्बन्ध स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण इन तीनों शरीरों के साथ आत्मा का माना गया है, जिसके फलस्वरूप नारी अपनी भोगस्पृहा को अन्य सभी स्थानों से हटाकर सर्वात्मना अपने पति में ही केन्द्रीभूत करती थी।

गृहपत्नी के रूप में नारी अपना सार्वजनिक जीवन आरम्भ करती थी। अपने सेवाभाव के कारण ही नारी उस समय घर कहलाती थी^१। गृहस्थाश्रम में प्रवेश के समय नर-नारी को शुभ वाशीर्वाचनों के माध्यम से कर्तव्य-पथ पर आलूट रहकर घर को वादशी बनाने को कहा जाता था^२। नारी को अपने पतिदेव के लिए भगल-कारिणी बनने का उपदेश दिया गया है^३; जिससे स्पष्ट होता है कि उस समय कुछ नारियाँ ऐसी भी अवश्य रहें होंगी, जो अपने पति का अनिष्ट करती होंगी; क्योंकि विधेयात्मक नियम अभाव का सूचक होता है।

१ जायेदस्त मयकत्सेदु योनिस्तदिरवा युक्ता हरयो वहन्तु । (ऋ० ३।५३।४)

२ इहैव स्त मा वि योष्ट विश्वमायुर्व्यश्नुतम् । (ऋ० १०।८५।४२)

३ अपोरचक्षुरपतिष्येवि शिवा । (ऋ० १०।८५।४४)

एक गृहस्थ के घर की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, इसका बड़ा ही सुस्पष्ट वर्णन करते हुए कहा गया है—“पानी की सुलभतायुक्त उपजाऊ भूमि पर निर्वाहयोग्य एक छोटी-सी शाला (घर) हो, वह आवश्यक जीवन-यापन सामग्री से पूर्ण हो।” इसके साथ ही साथ इसी मन्त्र में शाला को सम्बोधित करते हुए कहा गया है—“हे शाले ! (घर की अधिष्ठातृ नारी) तू अपने शरणागत को किसी प्रकार का कष्ट न देना” । “तृणो से आच्छादित तोरण-वन्दनवारो से अलङ्कृत शाले ! तुम अपने निवासियों को रात्रि में शान्ति प्रदान करने वाली हो, तथा लकड़ी के खम्भो पर हस्तिनी के समान अल्प-भूमि पर अवस्थित हो” । अथर्व संहिता (१।३।२१) में शाला (घर) की तुलना गर्भ के साथ करते हुए कहा गया है कि—‘हम विन्मृत भूमि वाले घर में जठराग्नि और गर्भ के समान निवास करते हैं’ ।

उपर्युक्त विवरणों से संहितावालीन गार्हस्थ्य जीवन की सादगी एवं मुचाह व्यवस्था की चर्चा की गयी है, जिसका सम्पूर्ण श्रेय गृह-पत्नी को जाता है । इससे यह भी स्पष्ट है कि जो नारी अपने घर की सुन्दर व्यवस्था करने में अमफल होती थी, उसको समाज में आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता था ।

श्रेष्ठ पति की प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा की जैसी अभिव्यक्ति नारी-रत्न-शिरोमणि घोषा-काक्षीवती द्वारा दृष्ट सूक्त में मिलती है, उसका यदि अग्न्यन अभाव कहा जाये, तो अत्युक्ति नहीं होगी । ‘घोषा’ ने अश्विनीकुमारों से प्रार्थना करते हुए कहा है—“आप मुझे ऐसे सुख का उपदेश करें, जिससे मैं बलवान् एवं चाहने वाले पति के घर को प्राप्त करूँ” । अपने पति की प्रियतमा बनने की ‘घोषा’ की भावना कितनी उत्कट है कि वह अपने पति को धन-सन्तान से युक्त करने के साथ ही साथ उसके

१ ऊर्जस्वती पयस्वती पृथिव्या निमिता मिता ।

विश्वान्न त्रिध्रती शाले मा हिमी प्रतिगृह्यते ॥

तूर्णरादृता पलदान वसाना रात्रीव शाला जगती निवशती ।

मिता पृथिव्या तिष्ठसि हस्तिनीव पद्धती ॥ (अथर्व० १।३।१६-१७)

२. न तस्य त्रिद्वं तदु पु प्र वोचत युवा ह मधुवया क्षति योनिपु ।

प्रियोत्तियस्य वृषभस्य रत्निनी गृह गममाश्विना तदुवसति ॥

आ वामगन्तुमतिर्वाजिनीवसू न्यश्विना हस्तु कामा अयसत ।

अभूतं गोषा मिथुना शुभस्पती प्रिया अर्यण्णो दुर्या अशोमहि ॥

सा मन्दसाना मनुषो दुरोण आ धत्त रयि सहवीर वचस्यवे ।

कृत दीर्घं सुप्रपाण शुभस्वती स्थाणु पपेष्ठापप दुर्मति हतम् ॥

(ऋ० १।४।०।१-१३)

जीवन मे पढ़ने वाले विघ्नो की समाप्ति की भी प्रार्थना करती है। पति के प्रति पत्नी को बहुत श्रद्धा का स्मरण कराते हुए महाराज पुरुरवा अपनी देवपत्नी उर्वशी से कहता है—“आपसी स्नेह-बन्धन मे बंधे पति-पत्नी के स्नेह-तन्तु तोड़ने की इच्छा भला किसे होगी, जहाँ तेजोरूप सन्तति प्रदीप्त हो उठी हो” ।

सहिताकालीन पतिव्रता सुकन्या के पिता शर्यात पश्चिमी आर्यावर्त के सम्राट् थे। एक बार वे मृगया खेलने गये और उनके साथ सुकन्या भी थी। सयोगवश ये लोग च्यवन ऋषि के आश्रम के पास पहुँच गये और कुछ लोगो ने अज्ञानवश ऋषि का अपमान कर दिया। वहाँ क्रुद्ध ऋषि को शान्त करने के लिए राजा को अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह करना पड़ा। अपने वृद्ध पति की अभ्यर्थना एव परिचर्या को जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानने वाली राजकुमारी सुकन्या का चरित्र निःसन्देह भारतीय नारी के उस उज्ज्वल पक्ष को उपस्थापित करता है, जिसके लिए आर्य-जाति सदा गौरव का अनुभव करती है। सुकन्या का अपने पति के प्रति जो पवित्र विचार था, उसी की झाँकी हमें शतपथ-ब्राह्मण (१२।८।२।६) मे देखने को मिलती है, जहाँ—“पति को सच्चाई और पत्नी को विश्वास, पति को मन एव पत्नी को वाणी मानते हुए स्पष्ट कहा गया है—“जहाँ पति है, वही पत्नी है” । इसी शतपथ-ब्राह्मण (४।१।५।९) मे अपने वृद्ध पति को आलोचना अश्विनोकुमारो के मुख से सुनकर पतिव्रता सुकन्या स्पष्ट उत्तर देती है—“मैं किसी भी दशा मे अपने पति का परित्याग नहीं करूँगी, जिसे एक बार मेरे पूज्य माता-पिता ने मुझे अर्पित किया है” ।

सुकन्या के उपर्युक्त इस निर्मल चरित्र का मूल आधार ऋक्-सहिता (१।११६।१०, १।११७।१३, १।११८।६ तथा १०।३९।४) के ये स्थल हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि सहिताकालीन नारी बड़ी से बड़ी कठिनाई मे पड़कर भी अपने पति की सेवा मे किसी प्रकार की भी न्यूनता नहीं आने देती थी।

वस्त्र-निर्माण—

सहिताकालीन नारियाँ अपने पतिओ के लिये स्वयं वस्त्र बुनती थीं। इन वस्त्रो के निर्माण के पोछे भारतीय नारियो का देशप्रेम छिपा हुआ है। ऋक्-सहिता (३।२६।५) मे आया “वर्षनिर्णिज्” शब्द यह स्पष्ट करता है कि उस समय मातृ-भूमि के प्रति स्नेह करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने वस्त्रो का निर्माण स्वयं करता था। “वर्ष”शब्द देशबोधक है, तो “निर्णिज्” शब्द पहनने वाले वस्त्रो का परिचायक है। माताएँ अपनी सन्तति (पुत्र-पुत्री) के आयुष्मन्-वर्धन हेतु कपड़े बुनती थीं—“वस्त्रा

१ को दम्पती समनसा वि षुषोदय यदग्नि स्वसुरेपु दीदयत् । (ऋ० १०।९५।१२)

२ ये अन्ता यावती- विचो य ओतवो मे च तन्वव ।

षासो यत्पत्नीभिस्त वप्न स्योनमुप स्पृशात् ॥ (अथर्व० १४।२।५१)

पुत्राय मातरो वयन्ति" (ऋ० ५।४७।६) और बच्चो के लिए सुविचारो का उपदेश भी प्रदान करती थी ।

ऋक्-संहिता (२।३८।४) में रात्रि की तुलना वस्त्र बुनने वाली नारी से की गयी है, जिसकी व्याख्या करते हुए आचार्य सायण ने कहा है—“वयन्ती वस्त्र वयन्ती नारीव” इस उपमा से भी स्पष्ट है कि उस समय वस्त्रो का निर्माण नारी का एक पुनीत कर्तव्य था । उषा और रात्रि दोनो की समानता कपडे बुनने वाली नारी से करते हुए ऋक् संहिता (२।३।६) में कहा गया है—“ये (उषा-रात्रि) दोनो परस्पर अनुकूल होकर पट बुनने वाली नारी के समान चलती है । विवाहपद्धति के अनुसार विवाह के समय नारी को वस्त्र देते समय अथर्वसंहिता की एक ऋचा पढी जाती है^१, जिसका आशय स्पष्ट है कि नारी को कातना-बुनना, सीना-पिरोना, किनारे में झालर आदि लगाने का कार्य करना चाहिए ।

वैदिक-संहिताकाल में अपने पति की सेवा करने वाली नारी कभी भी अपना वस्त्र अपने पति को नहीं पहनने या ओढने देती थी, क्योंकि ऐसा करने में अनिष्ट की सम्भावना होती थी^२ ।

उपर्युक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि संहिताकालीन नर-नारी का सम्बन्ध बड़ा ही पवित्र था । पुरुष यदि गृह-स्वामी था, तो नारी गृह-स्वामिनी, पुरुष यदि अन्नदाता था, तो नारी साक्षात् अन्नपूर्णा थी । भाजन बनाना, सीना-पिरोना, बच्चा का लालन-पालन, घर की दख-रेख के साथ अपने पति की पूर्ण मनोयोग से सेवा करना नारी का मुख्य धर्म था । यह सच है कि नक पत्नो, सहचरा के रूप में उचित परामर्श देकर घर को स्वर्ग बनाने की अपने में अद्भुत क्षमता एवं सामर्थ्य रखता हं ।

सन्तति-पालन—

नारी को नर की तुलना में श्रेष्ठ मानते हुए मैत्रायणी-संहिता में कहा गया है—“स्त्रिय-पुसोर्जतिरिच्यन्ते” (४।७।५) अर्थात् कुलीन नारियाँ पुरुषो से बढ़कर है । काठक-संहिता (३०।१) में भी उपर्युक्त कथन का समर्थन किया गया है । ऋक्-संहिता (१।७९।१) में अग्निदेव की तुलना अपने कर्तव्य में तत्पर एक यशस्विनी नारी के साथ की गयी है । वैदिक-संहिताओ में नर की तुलना में नारो के सौभाग्य का अधिक वर्णन हुआ है, जिसकी पुष्टि यम यमीसवाद-सूक्त (ऋ० १०।१०।१०), षण्णिसरमा-

१ या अद्वन्तघ्नवमन् याश्च तल्लिर या देवोरन्ता अभितोददन्त ।

तास्त्वा जरसे स व्ययन्त्वायुधमतीद परि घस्त्व वास ॥ (अथर्व० १४।१।४५)

२ बश्लीला तनूभवंति रुशती पापयामुया ।

पतिपद्व्यो वासस- स्वमेहमभ्युपुते ॥ (अथर्व० १४।१।२७)

सवाद सूक्त (ऋ० १०।१०।८।५), सूर्या विवाह सूक्त (ऋ० १०।८।५।३६) एवं अथर्व-संहिता (१४।१।५०) में आये वर्णना से होती है।

नारी की कामना करने वाला संहिताकालीन पुरुष, सन्तान-उत्पादिका पत्नी की प्राप्ति हेतु स्थान स्थान पर प्रार्थना करता हुआ दृष्टिगोचर होता है। अथर्वसंहिता—“स न पतिभ्यो जाया दा अग्ने प्रजया सह” (१४।२।१), अर्थात् “ह अग्निदेव ! हमें सन्तानवती पत्नी दो”। “प्रजा जनय पत्ये अस्मै” (अथर्व० १४।२।३१-३२), इस मन्त्र में तो पुरुष स्वयं नारी से प्रार्थना करता है कि वह सन्तानोत्पत्ति कर सूर्या के समान सदा उसके साथ रहे।

कठिन-कार्य—

नर इस बात की अच्छी तरह समझता है कि वैवाहिक संस्कार सम्पन्न कर लेना या सन्तानोत्पत्ति करना कोई कठिन कार्य नहीं है। उसकी दृष्टि में यदि कोई कठिन कार्य है, तो वह है सन्तान हेतु गर्भधारण, प्रजनन एवं उसके लालन, पालन तथा पोषण का कार्य। नारी के इस गुह्यतर कार्य की ओर ऋक्संहिता (१०।१।८४) का सूक्त प्रकाश डालता है, जिसमें प्रजापति से प्रार्थना की गयी है कि वह नारी का गर्भधारण की शक्ति दें, सरस्वती गर्भ की रक्षा करें, अश्विनो कुमार गर्भस्थ शिशु का पालन करें, जिससे वह दशवें मास में सकुशल, मातृगर्भ से बाहर आ सक।

पुत्रोत्पत्ति की कामना करने वाले पति पत्नी को आशीर्वाद देता हुआ होता (पुरोहित) कहता है कि “मैंने हृदय चक्षु से देखा है, तुम्हारी सन्तानोत्पत्ति की कामना फलवती हो”।

समाज का अभ्युदय तथा राष्ट्र की स्वाधीनता नारी की जागृति पर उसी प्रकार अवलम्बित है, जिस प्रकार सन्तति का जनन, पालन-पोषण एवं संवर्द्धन। कतव्यपालन में सदा व्यस्त रहने वाली संहिताकालीन नारियाँ प्रातः उठकर शोचादि से निवृत्त हाकर चूने पीसती, कुएँ से जल भरती, रसवद्धक भोजन बनाती और पति-पुत्रादि कुटुम्बियों का खिलाने के बाद चरपा आदि कातती थी। इसके अतिरिक्त गो सेवा, अतिथि सत्कार आदि ऐसे कार्य थे, जिन्हें करती हुई नारियाँ दाम्पत्य जीवन का आनन्द उठाती थी। इसका सकल ऋक्संहिता (१।९।२।३, १।१९।१।१४, २।३।२, ५।४।७।६, २।३।२।४) के स्थान पर मिलता है, जिनमें व्यस्त नारियाँ क जल भरन, बुनाई, सिलाई आदि कर्तव्यों की चर्चाएँ हैं। अथर्ववेदसंहिता (१४।२।५१) में तो

१ अथर्व वेद मन्त्रा बाध्याना स्थाया तनु ऋत्व्ये नाषमानाम् ।

उप मामुच्छा पुत्रतिर्बभूया प्र जायन्व प्रजया पुत्रकामे ॥ (ऋ० १०।१।८।३।२)

विवाह के तत्काल बाद ही वधू द्वारा बुने हुए वस्त्र को वर द्वारा पहनने की बात भी की गयी है ।

माता के साथ विरोध कर पुत्र-पुत्री कभी सुखी नहीं रह सकते । माता की छाता से चिपककर प्राणदायिनी मातृस्तन्यधारा का पान करने से ही सन्तान अमरता प्राप्त कर सकती है । दुर्भाग्यवश सहिताओ के सन्देश की उपेक्षा करने वाला बाज का समाज रोगग्रस्त होकर जीवन-यापन करता है, क्योंकि उसने प्रकृति माता से नैसर्गिक सम्बन्ध तोड़कर कृत्रिम जीवन को प्रश्रय दे दिया है ।

पत्नी-संस्कार—

गर्भ की स्थिति में नारी को निराहार रहकर "पुसवन-संस्कार" करना पड़ता था, जिसका उद्देश्य था पुत्रोत्पत्ति की कामना । यह संस्कार गर्भ में शिशु के स्पन्दन के पूर्व सम्पन्न होता था । अथर्वसंहिता (५।२५) में गर्भाधान एवं पुसवन-संस्कार का स्पष्ट उल्लेख है । इसके अतिरिक्त ऋक्संहिता (१०।१८।१-३) में देवताओं से गर्भ प्रदान हेतु प्रार्थना की गयी है और ऋक्संहिता (१०।१८३) सूक्त में भी गर्भाधान का संकेत मिलता है । तैत्तिरीय-संहिता (२।५।१।१-५) में पति-पत्नी-समागम के कतिपय नियम दर्शाए हैं, जिनका पालन करने से नारी को ब्रह्महत्या का दोष नहीं लगता । रजस्वला की स्थिति में समागम का पूर्ण निषेध किया गया है । इसके अनन्तर दुष्टात्माओं से सन्तति की सुरक्षा हेतु "सीमन्तोन्नयन-संस्कार" किया जाता था, जिसमें पति अपनी पत्नी के केशों को कधी आदि से सँवारता था । यद्यपि इस संस्कार का स्पष्ट संकेत वैदिक संहिताओं में नहीं है, परन्तु गृह्यसूत्रों में इसका विस्तृत विवेचन उपलब्ध है । सन्तानोत्पत्ति का समय ज्यो-ज्यो निश्चय होता है, परिवार के लोग चिन्तातुर होकर देवी-देवताओं की प्रार्थना करने लगते हैं कि गर्भस्थ जीव शीघ्र निर्गत हो । इसका संकेत ऋक्संहिता (५।७।७-९) में मिलता है । इस प्रार्थना के काय को "सोष्यन्ती-कर्म" कहा जाता था । अथर्वसंहिता का (१।११) सूक्त इसी "सोष्यन्ती-कर्म" का द्योतक है ।

गर्भ से शिशु के निगत होने के बाद 'जातकर्म संस्कार' होता था, जिसका संकेत ऋक्संहिता (९।९६।१७, ९।१०९।१२) में शिशु के स्नान के रूप में मिलता है । "प्राशन संस्कार" के पश्चात् "स्तन-प्रदान" का कार्य सम्पन्न होता था, जिसका संकेत ऋक्संहिता (१।१६।४९) में है ।

कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय षोडश-संस्कारों में से प्रारम्भ के तीन (गर्भाधान, पुसवन, सीमन्तोन्नयन) संस्कार शिशु के जन्म के पूर्व किये

जाते थे और छः (जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, कर्णवेध) सस्कार शिशु की धात्यावस्था से सम्बन्धित थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि इन नौ सस्कारों को सम्पन्न कराने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व माता-पिता का था। वेदारम्भ से पूर्व उपनयन-सस्कार भी माता-पिता की स्वीकृति के बाद आचार्य सम्पन्न कराते थे। समावर्तन-सस्कार के अनन्तर विवाह-संस्कार भी बहुधा माता-पिता की स्वीकृति पर ही निर्भर रहता था। यदि देखा जाये, तो माता के रूप में नारी अपनी सन्तति का भरण-पोषण करने में आजीवन व्यस्त रहती है। यह नियम संहिताकाल से लेकर आज तक चलता आ रहा है और हमारा विश्वास है कि जब तक सूर्य-चन्द्र, भूमि और आकाश रहेगे, तब तक यह मातृ-स्नेह-स्रोत भी अपनी सन्तति के संरक्षण हेतु अजस्र गति से सदा चलता रहेगा।

सद्गृहस्य—

ऋक्संहिता में 'गार्हस्थ्य-जीवन हेतु खाद्य एवं पेय पदार्थों के निर्माण को व्यवस्था देते हुए कहा गया है—“जहाँ स्थूल पत्थर खाद्यपदार्थ-निर्माण हेतु चलता है, जहाँ सिल-बट्टा की गति अबाध रूप में विद्यमान है, जहाँ गृह-नारियाँ अतिशय-सत्कार हेतु मधानी को रस्ती में बांधकर दही मन्थन करती हैं और जहाँ निरन्तर ओखली में बजता हुआ मूसल अपनी विजय-दुन्दुभी वजाता है, वहाँ देवराज इन्द्र का आगमन होता है”। एक प्रसंग में स्त्री की कामना करने वाले पुरुष की तरह इन्द्र का आह्वान करने की बात ऋक्संहिता (४।२०।५) में कही गयी है।

अथर्वसंहिता (४।३।१७) में स्पष्ट कहा गया है कि गृहस्य नारी द्वारा निर्मित ये भोज्य-सामग्री केवल अपने लिये ही नहीं; अपितु पुनर्जन्म के सुफल की इच्छा से इनका निर्माण अन्य लोगों की भलाई हेतु किया जाता था। संहिताकालीन नारियाँ

१ यत्र प्रादा पुयुवृद्धं ऋषीं भवति सोतवे ।

उलूखलमुतानामवेद्विन्द्र जल्गुल ॥

यत्र द्वाविं जघनाधिपबण्या कृता ।

उलूखलमुतानामवेद्विन्द्र जल्गुलः ॥

यत्र नार्यपच्यवमुपच्यव च शिक्षते ।

उलूखलमुतानामवेद्विन्द्र जल्गुल ॥

यत्र मन्था विबद्धन्ते रश्मीन्धर्मितवा इव ।

उलूखलमुतानामवेद्विन्द्र जल्गुल ॥

यन्विद्धि त्व गृहेगृह उलूखलक युज्यसे ।

इह धुमत्तम वद जयतामिव दुन्दुभिः ॥ (ऋ० १।२।१-५) .

अपने घर आये हुए अभ्यागतो का पूर्ण सत्कार करती थी। इस विषय में कहा गया है—हे नारियो ! तुम दूध और घी के घडों से एवं अन्नदानादि से अभ्यागतो को पूर्ण-तृप्त करो^१ ।

यजुःसंहिता में भी नारियो द्वारा सुव्यवस्थित गृहस्थ-जीवन का वर्णन किया गया है, जहाँ देव, ऋषि, पितर और अतिथियो की सेवा के लिये समीचीन पदार्थों की व्यवस्था रहती थी। अपने पितरो से प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि यहाँ घृत, दूध, रसयुक्त अन्न और पके हुए फलों की रसघार प्रवाहित है, कृपया इससे तृप्त हो^२ ।

इतना ही नहीं, क्षुधापीडित सामान्य जनो के अतिरिक्त इष्ट मित्र, बन्धु-बान्धव आदि का विना भेदभाव के अन्न, जल हेतु आह्वान किया जाता था। सभी लोगो की सेवा करना उस समय जीवन का परम लक्ष्य माना जाता था। राष्ट्रधर्म के अभाव में परलोक की अभिलाषा को तुच्छ माना जाता था। राष्ट्रहित में बाधक परिग्रह एवं सग्रह की भावनाओ से दूर रहकर नर-नारी कर्तव्य-पथ पर आरूढ रहते थे। एक गृहस्थ नर-नारी का आह्वान होता था—“हे सुहृद्भाव वाले ! आप हमारे घर में प्रेमपूर्वक आने की कृपा करें, यह घर स्वास्थ्य-वर्धक, बलशाली दुग्धादि पदार्थों से सुसम्पन्न है। अपरिमित वैभवयुक्त यह घर मित्रो के आमोद प्रमोद के साथ प्यास को दूर करने वाला है, इसलिए इस घर में निर्भीक एवं निःसंकोच होकर आगमन कीजिए^३ ।

१ पूर्णं नारि प्र भर कुम्भमेत घृतस्य धाराममृतेन सम्भृताम् ।

इमा पातुनमृतेन समद्ग्वोष्टापातमभि रक्षात्येनाम् ॥ (अथर्व० ३।१।२।८)

२ ऊर्जं बहन्तीरमृत् घृत पय कोलाल परिक्षुत्तम ।

स्वधास्य तर्पयत मे पितृन् ॥ (यजु० २।२४)

३ ऊर्जं विभ्रद् वसुवनि सुमवा अधोरण चक्षुषा मित्रियेण ।

गृहानैमि सुमना वन्दमानो रमध्व मा बिभीत मत ॥

इम गृहा मयोभुव ऊर्जस्वन्त पयस्वन्त ।

पूर्णा वामेन तिष्ठन्तस्ते नो जानन्त्वायत ॥

पेषामच्यति प्रवसन् येषु सीमनसो बहु ।

गृहानुप ह्वयामह ते नो जानस्त्वायत ॥

उपहृता भूरिधना सखाय स्वादुसमुद ।

अक्षुष्या अतृष्या स्त गृहा मास्मद् बिभीतत ॥ (अथर्व० ७।६०।१-४)

विधवा और उनके कर्तव्य—

“सधवा” नारी के जीवनवृत्त का विस्तृत वर्णन किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि सहिताकाल में उसका समाज में सर्वोच्च स्थान था (ऋ० १०।१८।७)। “लाजा-होम” में सर्वप्रथम वधू अपने को नारी मानती है और अथर्वसहिता (१४।१।३८) के अनुसार सौभाग्यवती कहलाती है। नारी के सौभाग्य के सूचक दो तत्त्व होते हैं—पति का दीर्घ जीवन और नीरोग जीवन (ऋ० १०।८६।१)। इसी प्रकार सधवा नारी के जीवन के दो ही प्रधान उद्देश्य हैं—एक में तो वह चाहती है कि उसका पति लम्बो आयु वाला हो—“आयुष्यमानस्तु मे पतिः”। और दूसरे में अपने कुटुम्ब की वृद्धि हेतु वह सदा कामना करती है—“एधन्ता ज्ञातयो मम”। इस प्रकार सधवा नारी की पतिपरायणता तथा विचारशीलता सुतरा सिद्ध होती है (ऋ० १।२८।३, १०।८५।४७)। पातिव्रत्य का पालन न करने वाली नारी का समाज में आदर नहीं था और उसको हेय दृष्टि से देखा जाता था (शतपथ-ब्राह्मण-२।५।२।२०)।

विधवा—

“विगत धवः पतिर्यस्या, सा = विधवा” अर्थात् पति-वियुक्ता नारी। सहिताकाल में पति-रहिता नारी के सामने अपने जीवन को आगे चलाने के लिए दो ही प्रमुख रास्ते थे—प्रथम तो वह अपने पति के स्वर्गस्थ हो जाने पर पुनर्विवाह (अथर्व० ९।५।२७-२८) करे या फिर अथर्वसहिता (१।८।३।१) के अनुसार पति के साथ सह-मरण को स्वीकार करे, जिसके सम्बन्ध में सकेत है—“हे मनुष्य ! पतियोक की इच्छा करती हुई यह विधवा नारी तुम्हारे समीप आने की इच्छावाली है”।

यद्यपि ऋक्-सहिता में पुनर्विवाह एवं सहमरण के सकेत बड़ी दृष्टिगोचर नहीं होते, तथापि ऋक्सहिता (१०।१८।७) से विधवाओ का आभास मिलता है, जिसमें “नारारविधवा.” कहा गया है। ऋक्-सहिता में विधवा-शब्द का तीन बार प्रयोग हुआ है (४।१८।१२, १०।४०।२ एवं ८)। उस समय सतीप्रथा का प्रचलन नहीं था; किन्तु ऋक्सहिता (१०।१८।८) की ऋचा में कहा गया है—“हे नारी ! उठो, जिसके पास आप बैठकर समय-यापन कर रही हैं, वह अब निर्जिव है। अब तुम इसके साथ विवाहित होकर जीवन यापन करो”। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उस समय किसी न किसी रूप में विधवा-विवाह की स्वीकृति रही होगी। इसके विपरीत वैधव्य-जीवन की कठिनाइयों तथा असुविधाओं की ओर कुछ सकेत अवश्य मिलते हैं, जिनमें कांपती हुई पृथ्वी के साथ विधवा का साम्य है।

१ प्रीवामग्नेषु वियुरव रेजते भूमिर्गामेषु यद्द युज्जते शुभे ।

ते क्रौल्यो घुनयो भ्राजदृष्टयः स्वयमसहित्व पनयन्त घूतमः ॥ (ऋ० १।८७।३)

अथर्व-संहिता (१२।५।४८, १८।३।१) में मृतक के लिये बाल बिसराये हुए अस्त-व्यस्त जीवन वाली नारियो द्वारा दोनो हाथो से छातो पीटकर रोने का वर्णन है। अथर्व-संहिता के १८व काण्ड का तृतीय-सूक्त अन्त्येष्टि-संस्कार पर विस्तृत प्रकाश डालता है, जिसमे विधवा स्त्री अपने पति के साथ चिता पर लेटती है और बाद मे सम्बन्धी जनो द्वारा चिता से हटा ली जाती है, सम्भवत पुनर्विवाह हेतु। इस सूक्त के चतुर्थ-मन्त्र मे “अय ते गोपतिस्तु जुपस्य” अर्थात् “हे नारी ! यह गोपति तुम्हारा है, इससे प्रेम करो”। इससे प्रतीत होता है कि उस समय गोपतियो मे पुनर्विवाह का प्रचलन था। इसकी पुष्टि तीसरे मन्त्र से भी होती है, जिसमे—“अपश्य युवति नीयमाना जीवा मृतेभ्य परिणीयमानाम्” अर्थात् “मैंने मृतक व्यक्ति के पास से विवाह हेतु वधू को अन्यत्र ले जाते हुए देखा है”। यह विवाह प्राय पति के छोटे भाई (देवर) से ही होता था, क्योंकि विधवा नारी अपने मृतक पति के घर से सम्बन्ध-विच्छेद करना अच्छा नहीं मानती थी।

ऋक् संहिता की एक अन्य ऋचा (२०।४०।२) मे अश्विनीकुमारो के आह्वान की तुलना विधवा नारी द्वारा देवर को बुलाने के माथ करने का संकेत है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उस समय पुनर्विवाह का प्रचलन रहा होगा।

निष्कर्षरूप मे कहा जा सकता है कि संहिताकालीन विधवा नारी का जीवन एक वैराग्यवती सन्यासिनी-सा था, जिसमे वह सदा अपने पति की निराकार मूर्ति की उपासना करती हुई जीवन यापन करती थी। समयशीला, तपस्विनी विधवा अपने मृत पति की आत्मा के साथ अपनी आत्मा को मिलाकर अनन्त आनन्द का अनुभव करती थी। आर्य-जाति की नारी को यह विशेषता है कि वह परलोकगत अपने पति के हृदय के साथ सूक्ष्म जगत् मे सम्बन्ध करके उन्ही के चरणो मे तल्लो न होकर दिवा निशि आनन्द का अनुभव करती हुई अपनी योनि स मुक्ति-शाम मे आस्था रखती है। संहिताकालीन समाज को आस्था थी कि जिस प्रकार जीवन्मुक्त महापुरुष शरीर-त्याग के समय परब्रह्म मे लीन हा जाता है, ठीक उसा तरह सती विधवा भी अन्त मे अपने पति के स्वरूप मे लवलोन होकर उसके साथ अपना अभेद-सम्बन्ध स्थापित करती है। दुर्भाग्यवश वैदिक-संहिताकालीन विधवा नारी के समान विधवा नारी की भी उत्तरोत्तर स्थिति दयनीय होती गयी और आगे चलकर उसे वैधानिक रूप से प्राप्त पति की ममति आदि अधिकारो स भी वंचित कर दिया गया।

ब्रह्मवादिनी के कर्तव्य—

वैदिक-संहिताओ मे नारी के विवाहित तथा अविवाहित दोनो रूपो का नितान्त गौरवपूर्ण इतिहास मिलता है। विवाह के पश्चात् जिनका अध्ययन अवरुद्ध

हो जाता था, वे सद्योद्वाहा कहलाती थीं और दूसरी ओर अपने पिता या माई के घर अविवाहित रहकर जिनका अध्ययन-अध्यापन आजीवन चलता था, वे ब्रह्मवादिनी के नाम से जानी जाती थीं। आजीवन कौमार्यव्रत धारण करने वाली इन नारियों का समाज में बड़ा आदर था, क्योंकि जन-कल्याण हेतु इनके विविध कार्य चलते रहते थे। ऐसी ज्ञानी नारियों को समाज में पुरुषवर्ग के समान ही प्रचार-प्रसार का पूर्ण अधिकार था।

ऋक्संहिता (७।४०।७) में ब्रह्मवादिनी, अध्ययन-अध्यापन तथा समाज को उपदेश देने वाली नारियों के गुणों का वर्णन करते हुए कहा गया है—“हे पूषन् ! सरस्वती और देव-नारियाँ हमें जो धन देती हैं, उसमें आप बाधक न बनें, कल्याण-दाता देवगण हमारी रक्षा करें और जल-वृष्टि दें”। इस मन्त्र में सरस्वती एवं अन्य देवियों द्वारा दिये गये धन में बाधक न बनने की बात कही गयी है। यह कौन सा धन था, जिसकी रक्षा एवं प्राप्ति के लिये व्यग्रता व्यक्त की गयी है। हमारी दृष्टि से यह वही धन है, जिसका उपदेश स्थान-स्थान पर इन ऋषिकाओं ने किया है, जो संहिताओं के सूक्तों का साक्षात्कार करने के कारण कवयित्रियों भी मानी गयी हैं।

घोषा—

महर्षि कक्षीवान् की पुत्री है और शरीर में श्वेत दाग (कोढ़) होने के कारण विवाह के अयोग्य ठहराई जाती है। अन्त में अपनी तपश्चर्या से अश्विनीकुमारों को प्रसन्न करती हुई दिव्य-काया पा जाती है। इस ब्रह्मवादिनी नारी ने स्वयं ब्रह्मचारिणी के रूप में ब्रह्मचर्य का उपदेश तथा कन्या के समस्त कर्तव्यों का जो उल्लेख ऋक्संहिता के दशम-मण्डल के ३९वें एवं ४०वें सूक्तों में किया है, वह निःसन्देह भारतीय-संस्कृति की अमर-निधि है। उदाहरणार्थ ऋक्संहिता (१०।४०।१०) को ही देखें, जिसमें “घोषा” ने अश्विनीकुमारों को सम्बोधित करते हुए कहा है—“हे अश्विनीकुमारों ! जो लोग अपनी पत्नी की रक्षा हेतु चिन्तित रहते हैं और उन्हें यज्ञादि कर्तव्यों में लगाते हैं, उनकी स्त्रियाँ सुख से रहती हैं”। “घोषा” की स्पष्ट घोषणा है, इसी सूक्त की पाँचवी ऋचा में कि “मैं राजकुमारी “घोषा” सब ओर घूमती हुई गुणानुवाद एवं चिन्तन करती हूँ”।

“घोषा” का यह कथन कितना हृदयग्राही है, जब वह ऋक्संहिता (१०।३९।६) में प्रार्थना करती हुई कहती है—“हे अश्विनीकुमारों ! मैं तुम दोनों को बुलाती हूँ, सुनो। पिता जैसे अपनी सन्तति को उपदेश देता है, वैसे ही आप मुझे शिक्षा दें। मेरा कोई ययार्थ बन्धु नहीं है। मेरा कुटुम्ब भी नहीं है और न मेरे पास बुद्धि-बल ही है, आप मेरी रक्षा करें”।

“घोषा” द्वारा प्रतिपादित ऋक्संहिता के दशम-मण्डल के ३२वें सूक्त के मन्त्र ६, ७ और १४ से स्पष्ट है कि उस समय नारी अपने उपदेशात्मक कार्य के लिये स्वतन्त्र थी, स्त्रियाँ रथ-निर्माण में भी दक्ष थीं एवं कन्याओं को वस्त्राभूषणों से अलंकृत कर पति के घर भेजा जाता था। इसके अतिरिक्त ऋक्संहिता (१०।४०।१०) में स्पष्ट संकेत है कि उस समय नारी को यज्ञादि-अधिकार के साथ सामाजिक समादर भी सुलभ था, जिसका डिण्डिमघोष “घोषा” ने किया है।

रोमशा—

ब्रह्मवादिनी रोमशा (लोमशा) द्वारा दृष्ट ऋक्संहिता (१।१२६।६-७) सूक्त में नारी के गौरव की चर्चा का उपदेश देते हुए कहा गया है—‘नारी को अल्प गुणों वाली न समझो। यह गान्धारो के समान रोम एवं अश्वयो से पूण है’। आगे कहा गया है—‘हे प्रियतम ! आन मेरे समस्त अंगों का अश्लोकन कर, इनमें आनको कही भी कोई अभाव दृष्टिगोचर नहीं होगा’।

“रोमशा” को बृहस्पति को पुत्री एवं “भावभ-प्र” को धमवतनी माना गया है। कहा जाता है कि इनके पूरे शरीर में रोमावली थी, इसी कारण इनके विवाह-कार्य में बाधा थी। नारी-समाज में बुद्धि विकास का उपदेश देना इनका मुख्य विषय था। रोमशा-शब्द को सार्थकता के विषय में कहा गया है—इस नारी के प्रत्येक रोम में शास्त्रीय ज्ञान था, इसलिए इस नारी को ‘रोमशा’ कहा गया है।

सूर्या—

ब्रह्मवादिनी “सूर्या” ने अपने दृष्ट ऋक्संहिता (१०।८५) सूक्त में विवाह-सम्बन्धी जितना सुंदर विवेचन किया है, सम्भवत उसका दूसरा उदाहरण यदि अन्यत्र असम्भव नहीं, तो दुर्लभ अवश्य कहा जा सकता है। इस सूक्त में आध्यात्मिक, आधि-दैविक एवं आधिभौतिक तीनों सत्त्वों का सम्मिश्रण है। “सूर्या” के उपदेश का सारांश है—‘हे बहू ! पति के घर ऐसी वस्तुओं का संग्रह करो, जो तुमको भी प्रिय हो। मैंने कपड़ों को साफ़ करो। गर्दे कपड़े पहनने में और नित्य स्नान न करने से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। यदि तुम रागी हो जाओगी, तो सम्पर्क के कारण तुम्हारे पति के शरीर में भी विविध रोग फैल जायेंगे। अतः पति के हित को ध्यान में रखने हुए नारी का स्वच्छ एवं पवित्र रहना चाहिए, क्योंकि पति अपने सौभाग्य-बन्धन हेतु नारी का पाणिग्रहण करता है’। इस प्रकार सूर्या ने अपने उपदेश से गृहस्थ नारियों को सदुपदेश दिया है।

विश्ववारा—

ब्रह्मवादिनी विश्ववारा द्वारा दृष्ट ऋक्संहिता (५।२८) सूक्त का सारांश है कि स्त्रियों को सावधान-चित्त से अतिथि-सत्कार करना चाहिए। अग्निहोत्री अपने पति के यज्ञकुण्ड की पूरी देखभाल करना चाहिए—यही नारी का पुनीत कर्तव्य है। अग्निदेव की प्रार्थना करते हुए इस सूक्त की तीसरी ऋचा में कहा गया है—“हे अग्नि ! महासौभाग्य की प्राप्ति हेतु आप बलवान् बनें, आपके द्वारा प्राप्त धन परोपकार में लगे, स्त्रियों का दाम्पत्य-सम्बन्ध सुदृढ़ हो एवं दुष्कर्म, लोभादि पर आपका आक्रमण हो”।

अन्य ब्रह्मवादिनियाँ—

दीर्घतमा ऋषि की पत्नी, महर्षि काशीवान् तथा दीर्घश्रवा की माता एवं प्रसिद्ध ब्रह्मवादिनी घोषा की पौत्री का नाम “उशिज्ज” था, जिसने ऋक्संहिता के प्रथम-मण्डल के ११६ से १२१ मन्त्रों का सकलन किया था। इस ऋषिका की सास का नाम “ममता” कहा गया है। ऋक्संहिता के अष्टम-मण्डल के प्रथम सूक्त की ३४वीं ऋचा की द्रष्ट्री “शश्वर्ता” ब्रह्मवादिनी थी। अङ्गिरा ऋषि की पुत्री शश्वती के पति थे महाराज “आसग”। इस ऋचा में अतीव श्रेष्ठ उपदेव है। ब्रह्मवादिनी “वाक्” अभृण ऋषि की पुत्री थी, जिन्होंने ऋक्संहिता के दशम-मण्डल के १२५वें सूक्त का साक्षात्कार किया था। इस सूक्त में अद्वैतवाद के सिद्धान्तों का प्रतिपादन है, जिनके आधार पर भगवान् शङ्कराचार्य ने अपने अद्वैतवाद का प्रचार-प्रसार किया। इस सूक्त में नारी के पौरुष का बड़ा ही सजीव वर्णन है। यहाँ नारी को ही आद्या शक्ति मानकर कहा गया है—“मैं जिस पुरुष की रक्षा करना चाहती हूँ, उसे और लोगों की अपेक्षा अधिक बलशाली बनाकर उसमें उत्तम मेधाशक्ति भर देती हूँ”।

यह वैदिक-संहिताकालीन सुख-सुविधाओं का ही सुफल था कि उस समय श्रद्धा-कामायनी (ऋ० १०।१५१), ब्रह्मजाया “जुहू” (ऋ० १०।१०९), शची पीलोमी (ऋ० १०।१५९) आदि अनेक ऋषिकाएँ उत्पन्न हुईं, जिन्होंने सामाजिक सुव्यवस्था हेतु अपने उपदेशों से नारी को कर्तव्य-बोध कराते हुए भारत को भा रत बनाये रखने में अपना अमूल्य योगदान दिया।

दासी (उपपत्नी)—

संहिताओं में “दासी” (अनार्या लडकी) शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अथर्व-संहिता (१२।३।१३ एवं १२।४।९) में दृष्टिगोचर होता है। “दासी” शब्द का प्रयोग तैत्तिरीय-

सहिता मे "गवा सत्र" के अवसर पर सिर पर पानी का कुम्भ रखकर अग्नि के चारों ओर प्रदक्षिणा करने वाली नारियों के लिए हुआ है^१ ।

ऋक्संहिता (५।३।४६, ६।२।१०, ६।३।३३, ६।६।०६, १०।३।८३, १०।८।३।१ आदि) मे "दास" शब्द का प्रयोग अनेक वार दस्यु या दानव अर्थ मे आया है । इन दासों के पास उस समय अतुल चल-अचल सम्पत्ति थी, किन्तु समाज मे उनका आदर न था । आर्यों के साथ युद्ध मे जब ये दास मरते थे, तो उनकी पत्नियों को बन्दी बनाकर विजेता लोग अपने घरेलू कार्यों मे लगा लेते थे । कभी-कभी ये दासियाँ घर की उपपत्नी बनने का गौरव भी प्राप्त कर लेती थी (ऐ० ब्रा० २।९) । ऋक्संहिता मे इन्द्र से एक सौ भेडे, एक सौ गधे और एक सौ दास प्रदान करने की बात कही गयी है^२ । ऋक्संहिता (७।६।३) मे पणि और दास शब्द का प्रयोग एक साथ करते हुए कहा गया है—“यज्ञ-विमुख, कटुवृत्ता, दुर्बुद्धि वाले इन पणियों को अग्निदेव दूर रखे और इनका पत्न करे” । इन पणियों की विस्तृत गतिविधियों का परिचय ऋक्संहिता (१०।१०८) के “पणि-सरमा” सवाद-सूक्त मे मिलता है । ऋक्संहिता (४।२।८।४) मे “विशोदासी”, (ऋ० ४।३।२।१०) “पुरोदासो”, (ऋ० ५।३।०।५) “दास-पत्नी” आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है, परन्तु इन शब्दों का प्रयोग यहाँ घर मे काम करने वाली नारियों के अर्थ मे नही है, क्योंकि इनका प्रयोग विशेषण के रूप मे यहाँ हुआ है । इससे स्पष्ट है कि ऋक्संहिता के समय तक दास या दासी-प्रथा प्रचलित नही थी ।

सहितोत्तर-काल मे दास-दासियों को निजी सम्पत्ति मानकर दिये जाने के भी प्रमाण मिलते हैं । उदाहरणार्थ ऐतरेय-ब्राह्मण (८।४।४४) मे—“दशनागसहस्राणि दशदासीसहस्राणि ददामि” कहा गया है । दासियों का वर्तव्य था कि वे अपने स्वामियों की आज्ञा का बेरोक-टोक पालन करें ।

साधारणी (गणिका)—

ऋक्संहिता (१।१६।७।४) मे आकाश मे कभी चमकती, कभी कड़कती और कभी छिपती हुई विद्युत् की तुलना मनुष्यों की गुस्तरूप मे रहन वाली उपपत्नी से की गयी है । यहाँ “साधारणी” शब्द का प्रयोग किया गया है, जो सम्भवतः

१ कुम्भान्विनिधाय दास्या मार्जशीम परि ।

नृत्यन्ति पदो निघ्नन्तारिद मयु गायन्त्य ॥ (तै० स० ७।५।१०।१)

२ शत मे गर्दमाना शतमूर्णव्रितीनाम् ।

शत दामा अति स्रज ॥ (ऋ० ८।५।६।३)

उस समय की नगर-ब्रधुवो (वेश्याओं) का परिचायक है। “नर्तकी” (ऋ० १।२२।४) और “गर्ताहगिव सनये” (ऋ० १।१२।७) आदि शब्दों का प्रयोग भी किया गया है, जिनसे उस समय की सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र नारियों का बोध होता है, जो अपने निजी स्वार्थ हेतु पर-पुरुष का ससर्ग करती थीं। अथर्वसंहिता के चौदहवें तथा बीसवें काण्ड में अनेक बार नग्नी, महानग्नी, पुश्वली (व्यभिचारिणी) आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिससे उस समय की गणिका-वृत्ति का अनुमान लगाया जा सकता है।

“अतीतवरो” शब्द का प्रयोग मनचली महिला के लिये वाजसनेयि-संहिता (३०।१५) में और “रामा” शब्द का प्रयोग तैत्तिरीय-संहिता (५।६।८।३) में हुआ है।

नारी-समाज की भूरि भूरि प्रशंसा करने वाली वैदिक-संहिताओं में यत्र-तत्र नारी की निन्दा परक उक्तियाँ भी मिलती हैं। यथा—ऋक्संहिता (१०।९५।१५), जिसमें नारियों के हृदय को तुलना भेड़िये के हृदय के साथ की गयी है और मैत्रायणी-संहिता (१।१०।११) में नारियों को असत्यवादिनी कहा गया है। लगता है कि ये कथन सभी नारियों के लिये नहीं थे; अपितु उपर्युक्त साधारणों आदि नारियों के लिए ही प्रयुक्त होते थे, जो स्वतन्त्र-वृद्धि से अपना जीवन-यापन करती थीं।

नारी-कृत्या-परिहार—

वैदिक-संहिताओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उस समय कुछ अभिचारों (जादू-टोनों) का भी प्रचलन था। इन अभिचारों के दो प्रकार थे—एक तो मगल-कारक थे, जिनके द्वारा व्यक्ति अपने स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि की पूर्ति करता था, दूसरे प्रकार के वे अभिचार थे, जिनमें अपने प्रतिद्वन्द्वियों का उच्चाटन, मारण या वशीकरण किया जाता था। दोनों प्रकार के अभिचारों के मन्त्र संहिताओं में मिलते हैं। विशेषकर इस प्रकार के मन्त्रों का संग्रह “अथर्वविज्ञानस” के नाम से जाना जाता है।

नारी के कर्तव्य-परिपालन के प्रसंग में यहाँ कृत्या-परिहार की चर्चा करना नितान्त आवश्यक है। कृत्या क्या है? जीव को क्यों पकड़ती है? यह एक भिन्न विषय है, जिसका विचार एक स्वतन्त्र विषय हो सकता है। यहाँ तो नारी के विषय में चर्चा है, जहाँ ऋत्विज् ऋक्संहिता (१०।८५।२४) में विवाह के समय कहता है—“मैं वधू को वरुण के पाश-बन्धन से मुक्त करता हूँ और सत्य कर्मों वाले पतिगृह में प्रतिष्ठित करता हूँ”। “पितृकुल से पूयक् करता हूँ” (ऋ० १०।८५।२५) वाक्य और इसके अनन्तर (ऋ० १०।८५।२७) “पति के साथ अपने शरीर का सम्पर्क करो” वाक्य निश्चित ही विचारणीय हैं।

पति के घर में पहुँचने के बाद और पति से ससर्ग करने से पूर्व कृत्या-अभिचार किया जाता था। इस अभिचार-देवता का रंग नील-लोहित कहा गया है। जब तक इसका परिहार नहीं होता था, तब तक कन्या के सम्बन्धियों की सुख-समृद्धि अवरुद्ध रहती थी। कृत्या के हटने के बाद ही पति अपनी पत्नी से सम्पर्क करता था। कृत्या-अभिचार की पूर्ति के लिए आवश्यक था कि कन्या अपने पितृकुल से जिन वस्त्रों को पहनकर आयी है, उनका परित्याग करे। ऐसी धारणा थी कि यदि कन्या अपने पितृकुल वाले इन वस्त्रों में पति के पास जायेगी, तो कृत्या का दोष पति को भी लग जायगा। इस प्रायश्चित्त के समय नारी के हाथ से ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भी दिलाई जाती थी।

निष्कर्ष—

“कृत्या” के इस क्रिया-कलाप का निष्कर्ष हमारी दृष्टि में यह है कि नारी अपने पति के घर आकर सर्वतो-भावेन उसकी हो जाये। सविता की आज्ञा से वरुण-देव जीव-मात्र को अपने पाशों में बाँधते हैं। इस नियम के अनुसार वरुण ने कन्या को उसके पितृकुल में बाँधा था और अब विवाह के समय स्वयं ही मुक्त कर दिया है। इस मुक्ति के बाद अब कन्या पितृकुल की जाति, वंश, गोत्र को छोड़कर वर के गोत्रादि की हो जाती है। पितृकुल से पहनकर आये वस्त्रों के परित्याग का अर्थ स्पष्ट है कि वधू वनी इस कन्या को अब अपने पितृकुल की चिन्ता नहीं, अपितु पतिकुल की चिन्ता करनी है। यहाँ आकर भी यदि वधू अपने पितृकुल के कल्याण की चिन्ता करती हुई वर-पक्ष की अवहेलना करती थी, तो उसे कृत्या दोष लगा रहता था।

लगता है कि कृत्या-परिहार की इस परम्परा से पतिव्रता नारियों को उपदेश दिया जाता था कि वे अपने पति के घर की साञ्जाजी हैं और अपने सद्ब्यवहार से उन्हें इस घर को स्वर्ग बनाना है, जो उन्हें सौया गया है।

परिशीलन—

वैदिक-संहिताएँ आर्यभावना को बहन करती हैं। ये विदग्ध मन की मननोत्तर भाव-भाषा से सुसम्बद्ध रूप में अवस्थित हैं। वैदिक-संहिताओं का प्राक्तन इतिहास एवं इसका प्रणेता अलक्ष्य है और परवर्ती इतिहास भी अज्ञात है, किन्तु यह वही साहित्य है, जिसके सुनिश्चित सिद्धान्तों का प्रभाव आज भी विश्व के जन-जन एवं कण-कण पर परिव्याप्त एवं जीवन्त है। आर्यभावना के इतिहास के अनुधावन में पुरातत्त्व एक शृङ्खलाबद्ध सुसम्बद्ध इतिहास को प्रस्तुत करता है। अतः यह गङ्गोत्री के हिमवाह के समान न केवल कन्याकुमारी से कश्मीर तक के सांस्कृतिक एवं

सामाजिक तत्त्वा का बोधक है, वरन् ध्रुवपद के रूप मे विश्व की सस्कृति का धारक एव पोषक है। हम लोगो के पूर्ववर्ती मनीषियो ने मुख्यत दो दृष्टियाँ सबप्रथम सम्मुख रखी हैं—(१) वेद स्वतः प्रमाण, (२) वेदोत्तर सामाजिक भावनाओ के आलोक में इसके तात्पर्य का उद्भावन, किन्तु इन दोनों तथ्यों की सिद्धि के लिए वेद मे ही अवगाहन करना अनिवार्य है। दीर्घयुगवाहित आदिमानव के अस्पष्ट मनन के प्रतिविम्ब के रूप मे वेद की ऋचाओ का अवलोकन तथ्य से कही दूर किसी अज्ञानान्धकार के गत मे निमज्जन को और आलोक-सम्पात करेगा। अतः युग युग से आती हुई सुनियन्त्रित भावना और साधना के परिप्रेक्ष्य मे ही अवलोकन से विश्व-मानव के चित्त के प्रकय कतिपय अनतिवर्णनीय सङ्केत की अवधारणा का सामर्थ्यलाभ कर सकते हैं। प्राण धर्म के साथ संकेतित वस्तु ही तो सनातन है। अध्यात्म प्रगति के क्षेत्र मे इसकी उपयोगिता अरविन्द के अनुसन्धान के धाद भी आज अवशिष्ट है; किन्तु, सामाजिक परिप्रेक्ष्य मे इसकी साङ्केतिक दृष्टि का ऊहापोहात्मक अनुसन्धान इस अध्याय की मुख्य पृष्ठभूमि है।

पाश्चात्य दीक्षा से अनुप्राणित व्यक्तियों का यह कथन भी पुनः पुनः सुनने को मिलता है कि सामाजिक जीवन के लिये अपेक्षित ज्ञान को सामग्रियाँ, अर्थात् व्यवहार मे आने वाली बातें वेद मे नहीं हैं। अतः अन्य ग्रन्थो की शिक्षा के बिना मनुष्य सामाजिक स्तर ही नहीं बना सकता, किन्तु अध्ययनकाल मे पाश्चात्यो के आरोप एव उन्ही के चरमे स उपलब्ध भारतीय मनीषियो की दृष्टिया को आक्षेपरूप मे मानकर वैदिक ऋचाओ के अनुशीलन से आपात रमणीय ये आक्षेप सर्वथा निरस्त हू गये। जीवन के आगमन को भूमिका के साथ वैदिक मन्त्रो का अधुष्ण प्रवाह मरणोपरान्त भी चलता ही रहता है। यह सत्य है कि आर्कस्मिक रीति-कलापो के महत्त्व, जा समय समय पर स्थान-विशेष या जाति-विशेष को उपलब्धि हैं, वे वेद मे नहीं है, बल्कि वे आपन्तुक हैं, अविगीत शिष्टाचार हैं। इसका प्रधान कारण गोत्र और गुरुपरम्परा का अतिशय महत्त्व होने के कारण उस काल मे एक उद्देश्य मे लगे हुए व्यक्तियों के साथ कौटुम्ब व्यवहार होता था और यह धर्मशास्त्र के युग के विकासक्रम मे सुस्पष्ट है—“ये धान्धवा दान्धवाश्च येऽन्यजन्मनि दान्धवा.” के आधार पर यहा का क्रियाएँ चलती थी, जिनका अवशेष आज भी तर्पण के मन्त्रो मे अवशिष्ट है। पञ्च महायज्ञो मे जितना महत्त्व देव-यज्ञ का था, उससे अन्यून महत्त्वशाली अतिथि-यज्ञ नहीं था। होटल मे आवास की बाध्यता उस युग मे नहीं थी। मृत्यु को भी अतिथि की ब्रह्माग्नि से दाघ हाने की चिन्ता अपरिहार्य थी और वह अतिथि की सेवा मे सन्नद्ध होता था। फलतः यह कहा जा सकता है कि वैदिक-भावनाएँ खण्ड या भेद पर आवृत्त न थी, वरन् अखण्ड, अभेद और एकात्मवाद

पर प्रतिष्ठित थी। अन' आज को खण्ड की मृत्यु के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक नियमों का अभाव वेद में स्वाभाविक ही है। ब्राह्मभेद के आधार पर स्थित सामाजिक व्यवस्था व्यष्टिगत चिन्तन की भूमि है, जो आर्य-भावना के विपरीत है।

वेदों के समस्त शब्दों के अर्थ का अपरिज्ञान ही मानवोपयोगी आवश्यक ज्ञान-वृत्ति के अभाव का समूचक है। स्वाध्याय समाप्त है, शिक्षा के बिना कल्पित ज्ञान कितने दिनों तक उसकी धरो को समृद्ध रख सकता है। आरापित, कठिण रीति-रिवाजों की उपेक्षा कर मन्त्रों की पुनः पुनः आवृत्ति से गृहस्थ जीवन का मूलाधार अवश्य ही मिलेगा। प्राथमिक जीवन में वैदिक-अध्ययन के बाद गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट होने से वेद की मूल-भित्ति पर जीवनधारा प्रवाहित थी और आज जीवन अध्ययनरत अज्ञान की मूल-भित्ति पर अवस्थित है, अतः इस अज्ञान का मूलाधार वेद में कैसे सुलभ हो सकता है।

लोकमान्य तिलक के "धोरायन" ग्रन्थ के अन्वय में यह सुविदित है कि वेद किन्हीं नियमों के बाद नहीं बने, प्रत्युत उनसे आवश्यक नियम सुलभ हुए और जीवन को नियन्त्रित किया गया। यज्ञोपवीत को ही ल, जिसका जीवन से ही नहीं, सभी आश्रमों के अग्रज एवं ज्ञानप्राप्ति के मूल रूप में निर्देश है। "अष्टवर्ष ब्राह्मण-मुपनीत तमध्यापयौत च"। यज्ञोपवीत विद्यारम्भ के लिए व्रत का धारण है। इस व्रत का मूल वेद के सहिताभाग में ही उपलब्ध है। जीवन में एक ऐसा ऋतु-नियम था, जो उसके सत्य का अभिधान करता था। एक माला और मेखला के रूप में ब्रह्मचर्य-व्रत का यह ऋतु था, जो उसे सत्य-ज्ञान की ओर अग्रसर करता था। गले, कन्धे और कटि से इसका सम्बन्ध स्वाभाविक भी है, यद्यपि पारसी इसे कटि से ही सम्बद्ध रखते थे। गोत्रों की वृद्धि के साथ इसका विकास विस्तार अस्वाभाविक नहीं है। लडका यज्ञोपवीत के साथ पढ़ने जाने लगे और बहन दादो आदि का लोभ देकर उसे घर में रहने को बाध्य करें और आप इसका मूलाधार वेद की सहिताओं में खोज, तो यह एक विडम्बना होगी।

भारतीय साहित्य नारी-जीवन के कर्तव्य की गाथा है। बर हो या परवर्ती साहित्य, सर्वत्र अधिष्ठात्री देवी के रूप में इनकी परिब्याप्ति है। देवत्व अखण्डशक्ति की परिब्याप्ति एवं दीप्ति की आभा है। देवत्व का सुसम्बद्ध रूप अदिति के जननीत्व की सूचना है। "अदितिर्धरिदितिरन्तरिक्ष" (ऋ० १।८९।१०) मन्त्र में 'दा-अखण्डने' अखण्डनार्थक दो-धातु से दिति और अखण्ड सत्य के रूप में अदिति निष्पन्न है और उसी अखण्ड सत्य के रूप में देवोप्यमान प्रतीक आदित्य है। आगे महाभारत के वर्णन में लिखा गया है कि—“गान्धारी को धर्मशीलता, कुन्ती को धीरता और विदुर की प्रज्ञा ही द्वैपायन का महाभारत है”—

विस्तारः कुरुवशस्य गान्धार्याः धर्मशीलताम् ।

क्षतुः प्रज्ञा धृति कुन्त्याः सम्यग्द्वैपायनोऽब्रवीत् ॥

रामायण, जिसे आचार्यों ने करुण-रसप्रधान माना है, उसके विश्लेषण के प्रसङ्ग में भी कहा गया है—

“कृत्स्न रामायण प्रोक्तं सीतायाश्चरितं महत्” ।

इन विश्लेषणों के आधार पर यह स्पष्ट है कि भारतीय-संस्कृति ने नारियों के कर्तव्यों को अतिशय कठोर कर दिया है। आचार्य श्रीहर्ष ने दमयन्ती के मुख से कहलवाया है—“परेण पुसा हि ममापि सकथा कलावलाचारसहासनासहा” । इस प्रकार विश्व के कण-कण के साथ वज्र से कठोर एवं पुष्प से भी सुकुमार आचरण की बाध्यता नारी-जीवन का वैशिष्ट्य है। इनके महनीय त्यागमय जीवन से भारतीय गौरव-गाथा देदीप्यमान है। संस्कृति, मूर्त-विग्रह और भारतीय-संस्कृति की प्रतिष्ठाति बक्षुण्ण रूप से इनके जीवन में लक्षित है। इनकी दूरदर्शिता, हृदय के अन्त स्तल की गम्भीर मूक-वेदना का प्रकाशन कतिपय शब्दों में सम्भव नहीं है। लोक-चेतना से समर हेतु अपने पति और पुत्र को विदाई देते हुए ममता की अधिष्ठात्री देवी को थोड़ा भी सङ्कोच नहीं होता। कभी-कभी “सर्वोपकारकरणाय सदाद्र-चिन्ता” के रूप में कल्याण से ये इतनी अभिभूत हो जाती है कि अपनी सन्तति का बलिवेदी पर समर्पण करते हुए भी आनन्दातिरेक का अनुभव करती है। भारतीय वैदिक-नारियों के चरित्रों का दिग्दर्शन करने के लिए कवि की बाध्यता उनकी वाणी को सफलता के लिए ही है—

वागज्यवैफल्यमसह्यशल्यम् ।

गुण्यधिके वस्तुनि मौनिता चेत् ॥ (नै० ८।३२)

नारी की ज्ञान दीप्ति एवं विश्व के उद्बोधन की भूमिका के दिग्दर्शन “वाक्” (ऋ० १०।१२५) सूक्त के कतिपय मन्त्रों में होते हैं, जिनका भावार्थ है—“जीव पुन-पुन-जन्म-मृत्यु के घात-प्रतिघात से, रोग-शोक के अनुपात की मर्मभेदी पीड़ा से, चञ्चलता के घोर आवर्तन से मथित-दलित-छिन्न-मर्म होकर, हताशा के साथ उष्ण, दीर्घ नि-श्वास का परित्याग कर रहे है, परन्तु मैंने तुम्हारे लिए अपना विशाल वक्ष-स्थल अनावृत कर दिया है और अनन्त भुजाओं का प्रसारण कर तुम्हारे पीछे दौड़ रही हूँ। तुम मेरी सन्तति हो, मैंने तुझे कभी भी अपनी गोद से दूर नहीं किया है। यहाँ दुःख और सन्ताप कहाँ? जिसे देखकर तुझे भीति और आघाङ्का है, वह मेरा ही स्तन्य है, सत्य उद्भासित है, ज्योति से दिङ्मण्डल उद्भासित है, मधुमय व्योम मातृमुख से मुखरित है और अन्तरिक्ष प्रणव-नाद से परिपूरित है, मातृगोद

को अमृत सञ्जीवनी-धारा में अवगाहन करो और अभेद की अनुभूति के साथ जीवन के आनन्द की उपलब्धि करो” ।

आत्मा-परमात्मा की अभेदात्मक शक्ति का स्वरूप ही तो नर-नारी का स्नेह-बन्धन है, जिसे उपर्युक्त सूक्त में “वाक्” देवी ने स्पष्ट किया है । केवल आत्मज्ञान से यदि कार्य चल जाता, तो माया की सृष्टि की आवश्यकता ही नहीं होती । ठीक इसी प्रकार नर के कर्तव्यों के बिना नारी और नारी के कर्तव्यों के परिपालन के बिना स्रष्टा की सृष्टि का चलना असम्भव है । सच तो यह है कि जिस प्रकार आत्मा और माया को अभेद-भूमि में विश्वहित की भावना निहित है, उसी प्रकार नर-नारी की एकात्मकता पर ही गृहस्थ-जीवन आश्रित है । यदि इसे कोई स्वीकार नहीं करता, तो अन्त में यही कहना पड़ेगा—“नैव स्थाणोरपराधो यदेतमन्धो न पश्यति” ।



अष्टम अध्याय

नारी का सम्बन्धगत समादर

नारी और परिवार—

सृष्टि के विकास में परिवार, समाज को एक ऐसा इकाई है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी प्रारम्भिक आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। सामाजिक प्राणी होने के कारण व्यक्ति अकेला रहना पसन्द नहीं करता। अपनी इस स्वाभाविक प्रवृत्ति की पूर्ति या अभिव्यक्ति हेतु वह सर्वप्रथम विपरीत-लिंगी (नारी) के साथ रहने की इच्छा व्यक्त करता है (ऋ० १०।८५।२५), जहाँ उसे सुख-साधनिका सन्तति की सम्प्राप्ति सम्भाव्य लगती है। इसी परिप्रेक्ष्य में नारी को मंगलमय आशोर्वाद मिलता है कि “वह (नारी) पतिगृह में पुत्र-प्रसवा होकर सुखी जीवन के साथ पति में अगाध स्नेह रखती हुई वृद्धावस्था तक अपने घर की सचालिका बनी रहे” (ऋ० १०।८५।२७)। यही से नारी का पारिवारिक जीवन आरम्भ होता है। यह सच है कि व्यक्ति परिवार की सदस्यता के बाद ही समाज की सदस्यता से परिचित होता है।

परिवार की सदस्यता के कारण पति-पत्नी के रूप में परिणत नर-नारी के संयोग का उद्देश्य केवल सन्तानोत्पत्ति ही नहीं; अपितु उसके भरण-पोषण का गुह्यतर उत्तरदायित्व भी माना गया है। किसी परिवार में पति-पत्नी और बच्चों के अतिरिक्त दादा-दादी, भाई-भावज एव भतीजे आदि भी होते हैं, जैसा कि ऋक्संहिता (१०।८५।४२, ४६) में उल्लेख किया गया है। परिवार के सभी सदस्यों का घनिष्ठ सम्बन्ध मानव-जीवन से होता है, इसलिये उनका आपसी मेल-जोल आवश्यक माना गया है। संहितावालीन पति-पत्नी एक दूसरे के पूरकरूप में कार्य करते थे, फलतः परिवार और समाज का सर्वांगीण विकास घटित होता था (ऋ० १०।८५।४३, ४४, ४७)।

ऋक्संहिता में ब्रह्म और जीव के आपसी सम्बन्धों को व्यक्त करने वाली ऋचा वस्तुतः पति-पत्नी के सम्बन्धों की परिचायिका है, जिसमें कहा गया है कि “ये दोनों एक डाल पर बैठने वाले पक्षी हैं, दोनों में मित्रता है और एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं”^१। वस्तुतः परिवार की इकाई में पति-पत्नी दो होकर भी एक हैं और एक होकर भी दो हैं, जिन्हें पुरुष और प्रकृति के परिवर्तित नाम नर-नारी से पुकारा जा सकता है।

१ डा सुवर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिपस्वजाते । (ऋ० १।१६४।२०)

यह नारी ही है, जो अपने विनय, सन्तोष, धीरता, गम्भीरता, सहनशीलता, श्रमशीलता, मितव्ययिता आदि सहज गुणों से परिवार की पवित्रता को अक्षुण्ण रखने तथा सभी को एक सूत्र में बाँधे रखने की अपूर्व शक्ति रखती है। नारी को धर्म, अर्थ, काम, मोक्षरूपी पुरुषार्थ-चतुष्टय की साधिका कहा जा सकता है, क्योंकि यह परिवार की प्रत्येक समस्या का समाधान अपने हृदय में संजोये हुए अन्न म पति के साथ परमपद प्राप्त करती है।

समीक्षण—

कन्यादान के पूर्व कन्या का पिता जब “परस्पर समीक्षाम्” कहता है, तो उस समय की वरोक्तियाँ भी नारी के प्रति नर के अगाध समादर की प्रमाण हैं, जिनमें कहा गया है—“हे वधू! तुम इस घर में कल्याणकारिणी होकर सबका मंगल करो। घर में रहने वाले सभी लोग और जानवर तुम्हारे सव्यवहार से प्रसन्न और सुखी हो। प्रसन्नचित्त, प्रभावयुक्त तुम सदा देवताओं की उपासिका एवं वीर-प्रसवा बनो”।

समञ्जन—

संहिताकाल में कन्यादान से पूर्व “समीक्षण” की तरह ही कन्या का पिता भावी पति-पत्नी का विवाह-मण्डप में “समञ्जन” भी करवाता था। सम्भवतः समञ्जन की यह प्रक्रिया उस समय के समाज में प्रचलित भाज की उदयन आदि लगाने की तरह की कोई विधि रही होगी, जिसको पूर्ण करते हुए वर कहता था—“जल, वायु आदि देवगण हमें एक रखें और सभी लोग हमें पारस्परिक प्रीतिवाला बनाये”^१। इस समञ्जन की प्रथा का चाहे और जो भी उद्देश्य रहा हो, इतना तो स्पष्ट है कि इस विधि में उस समय के भावी दम्पति का स्नेह और साहचर्य अभिव्यक्त होता है।

वर की वैवाहिक प्रतिज्ञाएँ—

वर-कन्या का चयन, समञ्जन, समीक्षण आदि समस्त कार्य कन्यादान के पूर्व घटित होने वाले कार्य हैं, जिनमें नर-नारी को यह सुअवसर उपलब्ध रहता है कि वे एक दूसरे को प्रेम-पाश में बाँधने से पूर्व अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि आर्पण-विवाह का कार्य जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं। यही कारण है कि विवाह में पति अपनी

१ ऋ० १०।८।५।४३-४५ ।

२ समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नो ।

म मातरिषवा स षाता समु देष्टो द्वातु नो ॥ (ऋ० १०।८।५।४७)

पत्नी का हाथ पकड़कर कहता है—“हे वरानने ! मैं तुम्हारे और अपने सौभाग्यवर्धन के लिये तुम्हारा हाथ पकड़ना हूँ। वृद्धावस्था तक तुम मेरा साथ देना, यही मेरी प्रार्थना है। भग, अर्यमा, सविता, पुरन्धि आदि देवताओं ने गृहस्थ धर्म की सुरक्षा तथा उसके सुचारु मचालन हेतु तुम्हें मुझे दिया है”। इसी भाव को आगे चलकर पारस्कर-गृह्यसूत्र (१।६।३) में दूसरे शब्दों में वर्णित करते हुए कहा गया है—“हे वधू ! जैसे मैं तुम्हें ग्रहण करता हूँ, वैसे हो तुम भी मुझे ग्रहण करती हो। मैं साम हूँ, तो तुम ऋक्महिता हो, यदि तुम पृथिवी हो, तो मैं सूर्य के समान हूँ। आओ, हम दोनों प्रमत्तता पूर्वक एक दूसरे के प्रति रूचि, समान विचार रखते हुए सौ वर्ष तक जीयें”।

पति-द्वारा आदर—

अथर्वसहिता में पति द्वारा पत्नी के समादर में कहे गये कतिपय मन्त्र—“हे प्रिये ! ऐश्वर्यरूप तुम्हारा हाथ को मैं ग्रहण करता हूँ। आज से तुम मेरी धर्मपत्नी हो और मैं तुम्हारा पति हूँ। हम दोनों मिलकर घर के सभा कार्यों का सम्पादन करें, जिसमें हमारे मव काय सिद्ध हो सकें और हमारे यहाँ उत्तम सन्तान, ऐश्वर्य, सुख आदि की वृद्धि होती रहे”। “हे अनघे ! सम्पूर्ण जगत् का पालन करने वाले परमात्मा ने तुमको मुझे अर्पित किया है। अब तुम मेरे साथ सौ वर्ष तक सुखी जीवन व्यतीत करो”। “हे शुभानने ! त्वष्टा ने इस कल्याणकारी वस्त्र को घृहस्पति की आज्ञा से निर्मित किया है। यह त्वष्टा (विजली) जिस तरह सर्वत्र व्याप्त होकर सुशोभित है, वैसे ही तुम मेरे द्वारा अलंकृत होकर सर्वत्र सुख प्राप्त करो”। वर की उत्कट अभिलाषा है कि अश्विनोकुमार, इन्द्र-अग्नि, मित्र-वरुण, आकाश-पृथिवी आदि देवता नारा का सन्निधि आदि से सदा ममूद्ध करें (अथर्व० १४।१।५४)। इसी प्रकार अथर्वमहिता के १४वें काण्ड के प्रथम अनुवाक के ५७वें मन्त्र में वर अपनी पत्नी से कहता है—“हे कल्याणि ! जैसे मैं कुरु का वृद्धि हेतु तुम्हारे प्रेम में निमग्न हूँ, वैसे तुम भी मेरे प्रति अनुरागवती बनो”।

१ गृणामि त सोमप्राय हस्त मया पत्या अरदष्टिर्ध्यास ।

भगो अर्यमा सविता पुरन्धिर्मह्य त्वाद्गुर्हिं वस्त्राय देवा ॥ (ऋ० १०।८५।३६)

२ भगस्ते हस्तमग्रहान् सविता हस्तमग्रहान् ।

पत्या त्वमसि धर्मणाह गृहर्पतिस्तत्र ॥

ममेयमस्तु पोष्या मञ्जु त्वादाद् वृहस्पति ।

मया पत्या प्रजावति स अधि शरदः शतम् ॥

त्वष्टा वासा ष्यदवाञ्छुने क वृहस्पति प्रशिषा कवीनाम् ।

तेनेमा नारी सविता भगश्च सूर्यामित्र परि षसा प्रजया ॥ (अथर्व० १४।१।५१-५३)

नारी का साम्राज्यत्व—

सहिताकालीन नारी के गौरव को च्योतित करते हुए कहा गया है—जिस प्रकार शक्तिशाली सागर, नदियों पर शासन करता है, वैसे ही तुम अपने पति के घर पहुँचकर महारानी बनो। इस घर में तुम सास-श्वसुर, देवर, ननद में साम्राज्ञी बनकर रहो”^१।

वैदिक-सहिताओं में पति को घर का सम्राट् और पत्नी को साम्राज्ञी कहा गया है। सहिताओं में जहाँ-जहाँ पत्नी का वर्णन आया है, प्रायः उसे साम्राज्ञी, महिषी आदि सम्मान-जनक शब्दों से पुकारा गया है। नारी-समाज के प्रति इस प्रकार के सम्मानप्रद तथा पूज्य भावों की उपलब्धि आर्य ग्रन्थों को छोड़कर अन्यत्र यदि असम्भव नहीं, तो दुर्लभ अवश्य कही जा सकती है। पति-पत्नी के पारस्परिक प्रेम को व्यक्त करते हुए कहा गया है—“ये पति पत्नी आपस में चकवा-चक्रवी की तरह प्रेम करते हुए पूर्ण आयु को प्राप्त करें”^२।

ऋक्संहिता (१०।८५।३३) में अपनी नव-वधू पर गर्व करता हुआ वर मण्डप में ही अपने सम्बन्धियों से कहता है—“आप लोग इस मंगलमयी वधू को अच्छी तरह देखें और अपना आशीर्वाद देकर ही अपने-अपने घर वापस जायें”। इसके पश्चात् वैवाहिक-कार्य सम्पन्न कर वर-वधू जब अपने घर जाते हैं, तो वहा वर अपनी नव-वधू का स्वागत और समादर करता हुआ कहता है—“हे धरानने! चक्रवर्ती सम्राट् की पत्नी की तरह तुम इस घर में माता पिता और भाई-बहनों पर अविरोध-पूर्वक प्रीति से उनके हृदयों को अपने सद्व्यवहार से जीतती हुई शासन करो”^३।

ऋक्संहिता में एक जुआरी अपनी पत्नी के सम्बन्ध में पश्चात्ताप करता हुआ कहता है—“मेरी यह सुन्दर सुशीला स्त्री मूससे कभी भी किसी बात पर आज तक रुष्ट नहीं हुई। इसने सदा मेरी और मेरे सम्बन्धियों की सेवा की

- १ यथा सिन्धुर्नदीना साम्राज्य सुषुवे वृषा ।
एषा त्व साम्राज्येधि पत्युरस्त परेत्य ॥
साम्राज्येधि स्वशुरेषु साम्राज्युत देवुषु ।
ननान्तुः साम्राज्यधि साम्राज्युत स्वध्वा ॥ (अथर्व० १४।१।४३-४४)
- २ इहेमाविन्द्र स नुद चक्रवाकेव दम्पती ।
प्रजयैनी स्वस्तकी विश्वमायुष्यदनुताम् ॥ (अथर्व० १४।२।६४)
- ३ साम्राज्ञी स्वशुरे भव साम्राज्ञी स्वध्वा भव ।
ननान्दरि साम्राज्ञी भव साम्राज्ञी अधि दवुषु ॥ (ऋ० १०।८५।४६)

है, किन्तु इन पागो ने अब मुझमें अत्यन्त अनुराग रखने वाली भार्या से भी विरक्त कर दिया है”^१। जुआरी इस बात पर दुःखी है कि उसके इस आचरण के कारण उसे अपनी सास एवं पत्नी के स्नेह से वंचित होना पड़ा है। जुआरी को इस बात की गहरी चिन्ता है कि उसके इस व्यवहार से उसकी धर्मपत्नी का चरित्र भी उज्ज्वल नहीं रह पाता; क्योंकि अन्य विजेता जुआरी आकर उसको पत्नी से हँसी-मजाक करने लगते हैं^२।

जुआरी अपनी स्त्री की इस दुर्दशा पर उस समय विशेष रूप से सन्तप्त होता है, जब वह और लोगो को स्त्रियों को अच्छा खाता-पीता एव पहनता हुआ देखता है^३। भार्या को प्रसन्न रखने के लिए जुआरी को जुआ छोड़कर कृपि करने को कहा गया है (ऋ० १०।३४।१३)।

परिवार में सब सुखी रहें—

गृहस्थाश्रम को स्वर्गाश्रम बनाने की भावना से ही वैदिक-संहिता में कहा गया है—“पुत्र, माता-पिता के अनुकूल हो, पत्नी अपने पति के साथ मधुर और शान्ति-दायक वचन बोले, घर में पिता-पुत्र एव माता का सन्तति के साथ सघर्ष न हो, भार्या और भर्ता में सौमनस्य हो। भाई-भाई और बहन-बहन आपस में कभी भी द्वेष न करें, अपितु एकमत और एकद्वत वाले होकर शुभ वाणो बोलते हुए सुख के भागी बनें”^४।

परिवार को सुखी रखने के लिए सौहाय्यो से कमाने और हजार हाथों से बाँटने को कहा गया है—“शतहस्त समाहार सहस्रहस्त सक्तिर” (अथर्व० ३।२।४५)। ईश्वर द्वारा प्रदत्त वस्तु का उपभोग करने और दूसरे के धन के प्रति निःस्पृह रहने से समाज सुव्यवस्थित रहता है (यजु० ४०।१)। केवल अपने स्वार्थ में रहने वाले व्यक्ति को ऋक्-संहिता (१०।११।७।६) में “केवलाधो भवति केवलादी” कहा गया है। अन्न-याचना करने वाले को भोजन कराने से दीर्घ-पुण्य की प्राप्ति होती है (ऋ० १०।११।७।५)।

१ न मा मियेय न जिहोऽ एषा सिवा मस्त्रिम्य उऽ मह्यमासीत् ।

अन्नस्याहमेकरस्य हृत्तारनुव्रनामय जायामरोधम् ॥ (ऋ० १०।३४।२)

२ अन्ये जाया परि मृगन्त्यस्य यस्यामृगद्वेदने वाग्मस्य । (ऋ० १०।३४।४)

३ स्त्रिय दृष्ट्या विवध ततापान्येषा जाया मुकृत च योनिम् । (ऋ० १०।३४।११)

४ अनुव्रत विसु पुत्रो माना भवतु यमनाः ।

जाया पत्ये मधुमती वाच वदतु शान्तिवाम् ॥

मा भ्राता भ्रातर द्विजन्मा स्वशारमुत् स्रसा ।

सम्पन्न सन्नता भूत्वा वाच वदत भद्रया ॥ (अथर्व० ३।३।०।२-३)

सात मर्यादाएँ—

सहिताकाल में समाज की इस प्रथम इकाई (परिवार) को ठीक रखने के लिए वैवाहिक सप्तपदी की तरह सात मर्यादाओं को घोषणा भी की गयी है, जिनका पालन जनहित की दृष्टि से नर-नारी के लिये सदा आवश्यक रहा है^१। हमारी दृष्टि से इन सात मर्यादाओं में “अहिंसा” का प्रथम स्थान है, जिसका वर्णन यजु-सहिता (१२।३२) में किया गया है और इस मर्यादा की पुष्टि में “भासाहार” का निषेध अथर्वसहिता (२।२४।१) में दृष्टिगोचर होता है। “सत्य” को ग्रहण करना एव असत्य का परित्याग करना दूसरी मर्यादा मानी गयी है (यजु० १।५)। “अस्नेय” को तीसरी मर्यादा मानते हुए चोरी करना पाप माना गया है (अथर्व० १४।१।५७)। “शौच” को चतुर्थ मर्यादा की मजा देते हुए कहा गया है—“जो लोग अन्दर-बाहर से पवित्र रहते हैं, वे दोषजीवी, नीरोग होकर सभी प्रकार के साधनों से सम्पन्न रहते हैं” (ऋ० १०।१।८।२)। “ब्रह्मचर्य” को पाचवी मर्यादा मानते हुए इसके परिपालन में अद्भुत शक्ति का परिचय दिया गया है (अथर्व० ११।५।१९)। “स्वाध्याय” को छठी मर्यादा मानते हुए वेदाध्ययन एव उसके अनुकूल आचरण करने को कहा गया है (ऋ० ९।६७।३१)। “ईश्वर-स्मरण” को सातवी मर्यादा मानते हुए सर्वनोभावेन ईश्वर के आगे आत्म-समर्पण की बात कही गयी है (ऋ० १।५७।४)।

उपर्युक्त सात मर्यादाओं के अतिरिक्त परिवार को पवित्रता, सुख और समृद्धि के लिये सहिताओं में “मद्यपान” का पूर्ण निषेध वर्णित है^२। “जुआ निषेध” हेतु तो ऋक्सहिता (१०।३८) के पूरे सूक्त में जुआरी के घर की हृदयविदारक दशा का वर्णन किया गया है, जिससे अन्य परिवार के लोगों की शिक्षा मिलती है कि वे इस अधम एव निकृष्ट खेल से अपने को पृथक् रखें।

नारी-अमादर का परिणाम—

ब्रह्मचर्य-व्रत द्वारा ही श्रेष्ठ जाति (म्त्रो) की प्राप्ति सम्भव है, इसका प्रतिपादन अथर्वसहिता में किया गया है^३। ऐसे दम्पति (नर-नारी) की अभिवृद्धि हेतु परिजनो द्वारा प्रार्थना की जाती थी कि “यह वर-वधू दूय तथा अन्य राष्ट्र के

१ सात मर्यादाः ववदस्तदशुस्तानामेफामिदम्यहुरो गान् ।

आयोर्हं स्कम्भ उमस्य नीले पदा विनयं धरुण्यु तस्थो ॥ (ऋ० १०।५।६)

२ हृत्यु पीतामो पुष्यन्त दुर्मदामो न सुरायाम ।

ऊवर्नं नग्ना जरन्त ॥ (ऋ० ८।२।१२)

३ ब्रह्मचारी चरति वविषद् विष स देवाना भवत्यक्रमङ्गम् ।

तम जायामन्वचिन्दद् बृहस्पतिः सामेन नीता जुह्व न इवा ॥ (अथर्व० ५।१७।५)

अपरिमित साधनों के साथ आगे बढ़ें^१। त्वष्टा ने जाया को उत्पन्न किया और यह जाया ही पुन पुष्टपोत्पत्ति का कारण बनती है, इसका समर्थन अथर्वसंहिता में दृष्टिगोचर होता है^२।

पत्नी की अवहेलना तथा सन्ततिनिरोध से राष्ट्र की अनुलोभ्य और अपूरणीय क्षति होती है। इसका विस्तृत वर्णन अथर्वसंहिता (५।१७।११-१७) में किया गया है^३। इतना ही नहीं जाया रहित (अविवाहित) व्यक्तियों से भी राष्ट्र की क्षति होती है, इसका वर्णन भी किया गया है^४।

विश्व के इतिहास में वैदिक-संहिताओं को छोड़कर सम्भवतः दूसरा ग्रन्थ नहीं होगा, जिसमें नारी के सम्मान को इतना बड़ा महत्त्व दिया गया हो। जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता, वहाँ विपत्तियाँ अपना साम्राज्य स्थापित कर लेती हैं और अन्त में नारी (जाया) का अपमान जगत् के विनाश का कारण बन जाता है^५।

तेजस्विनी पत्नी की कामना—

111642

ब्रह्माण्ड के दो चक्रों की तरह नर-नारी जगत्-जीवन के दो साधन हैं। इन दोनों की समता को विकास और विपमता को विनाश कहा जा सकता है। यही कारण है कि सूर्या के समान तेजस्विनी नारी की कामना की गयी है^६। तेजस्विनी नारी के द्वारा भौतिक पदार्थों की कौन कहे, स्वर्ग की प्राप्ति भी सम्भव है। इसी

१ तेन भूतेन हविषाऽथमा प्यायता पुनः ।

जाया याग्रमा आवाक्षुस्ता रसेनाभि वषताम् ॥ (अथर्व० ६।७।८।१)

२ त्वष्टा जायामजदयत् त्वष्टाऽस्यै स्वा पतिम् ।

त्वष्टा सहस्रमायूष्य वीचमायु कृणोतु वाम् ॥ (अथर्व० ६।७।८।२)

३ पुनर्दाय ब्रह्मजाया कृत्वा देवैर्निकिल्बिपम् ।

ऊर्जं पृथिव्या भवत्वोरुमायमुपासते ॥

नास्य जाया शतवाहो कल्याणी तल्पमा शय ।

यस्मिन् राष्ट्रे निरुष्यत ब्रह्मजायाचित्या ॥ (अथर्व० ५।१७।११-१२)

४ नास्य धेनु कल्याणी नामडवान्तसहते घुस्म ।

विजानिर्यत्र ब्राह्मणो रात्रि वसति पापया ॥ (अथर्व० ५।१७।१८)

५ य गर्भा अवपद्यन्त जगद् यच्चापलुप्यते ।

वीरा ये तूहन्ते मियो ब्रह्मजाया हिमस्ति तान् ॥ (अथर्व० ५।१७।७)

६ यदयात शुभस्पती वरेय सूर्यामुप ।

विश्व देवा अनु तद् वामजानान पुत्रः पितरमवृणीत वृषा ॥ (अथर्व० १४।१।१५)

बात की पुष्टि अथर्वसंहिता में की गयी है^१। वस्त्रों के प्रयोग का वर्णन प्रायः तेजस्विनी नारियो के लिये ही किया गया है। अथर्वसंहिता में नारो को सम्बोधित करते हुए कहा गया है—“हे आयुष्मतो ! तुम इय वस्त्र को धारण करो”^२।

वैदिक संहिताकालीन समाज मुख्यतः नोत्री, वासम्, अधिवास एव उष्णोष्, इन चार वस्त्रों को ही धारण करता था। “नोत्री” का अथर्वसंहिता (८।२।१६, १४।२।५०) तथा तैत्तिरीय-संहिता (६।१।१३) में वर्णन है। “वासम्” का वर्णन ऋक्महिता (१।१२।४३) में प्राप्त है। “अधिवास” वस्त्र का वर्णन ऋक्महिता (१।१४०।९, १।१६२।१६, १०।५।४) में मिलता है। “उष्णोष्” का वर्णन केवल अथर्वमहिता (१।५।२।५) में मिलता है। इसके अतिरिक्त वधू के वस्त्रों का वर्णन ऋक्संहिता (१०।८।५।१४ तथा १०।८।५।२) में मिलता है। उषा के वर्णन-प्रसंग में अधिकांश तुलनाएँ कन्याओं या बन्धुओं के साथ की गयी हैं, जिनसे स्पष्ट है कि उस समय नारी का समाज में स्थान “उषा” को तरह नित नवान बना हुआ था।

गृहपत्नी की विविध तुलनाएँ—

यजुर्वेदसंहिता (१।६) में एक प्रश्न करते हुए मानव से पूछा गया है कि “हे पुरुष ! तुमको कार्यों में कौन लगाता है ?” इससे पूर्व यजु संहिता (१।३) में भी जिज्ञासा की गयी है कि “हे पुरुष ! तुमने ईश्वर को किंग परम पावनो शक्ति से गौ के रस के सदृश पुष्टिप्रद रस प्राप्त किया है ?” इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा गया है—“यह, उष यज्ञ-पुरुष (परमात्मा) की परमेश्वरों-शक्ति है, जिसका प्रकाश वेदों में है, जो सम्पूर्ण जगत् की रचना करता है और निखिल जीवमान की कार्यों में लगाता है”^३। इस प्रकार परम पुरुष को आद्याशक्ति नारो की विश्वकर्मा और विश्वधात्री उपाधियों से विभूषित किया गया है।

गृहपत्नी के दृष्टान्त से राष्ट्र का वर्णन करते हुए कहा गया है—“हे पुरुष ! तुम न डरो और न उद्विग्न हो, क्योंकि मैंने (परमात्मा ने) तुम्हारे हित के लिए द्विन अर्थात् स्त्री-पुरुष(पति-पत्नी) को निमुक्त किया है”^४। इस मन्त्र में शासक (राजा)

१ आशानाना सोमनस प्रजा सोभाग्य रयिम् ।

पत्न्युरनुव्रता भूवा न नह्यध्वामृताय कम् ॥ (अथर्व० १।४।१४२)

२ या अकृन्तन्नवयन् पाञ्च तस्मिन् या देवीरुता अमितोदन्त ।

तास्त्वा जरस स व्यस-वायुष्मतोऽ परि धस्व वास ॥ (अथर्व० १।४।१४५)

३ सा विश्वायु सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया ॥ (यजु० १।४)

४ मा भेर्मा नशिक्या अतमर्ष्यतोऽतमेत्यजमानस्य प्रजा भूयत् ।

त्रिताय त्वा द्विताय त्वैकताय त्वा ॥ (यजु० १।२३)

को कहा गया है कि तुम भय-रहित होकर राष्ट्रमय यज्ञ का सञ्चालन करो; क्योंकि राष्ट्र के प्रतिपालक, पोषक पति-पत्नी तुम्हारे साथ हैं ।

पृथिवी के साथ मातारूप में नारी की तुलना करते हुए उसे अन्नदात्री, ज्ञानदात्री, सुखदात्री कहा गया है^१, जिसकी पुष्टि आगे चलकर मनुस्मृति में "माता मूर्ति पृथिव्या" कहकर की गयी है । इस प्रकार इस मन्त्र में नारी को शिक्षा और उत्तम स्वास्थ्य की आधारशिला माना गया है । माता-पिता के ऋण से मानव आजीवन उरुण नहीं हो सकता, इसलिये उत्तम पदार्थों से माता-पिता तथा वृद्धजनों के तर्पण की बात कही गयी है^२ ।

वेद-वाणी एवं विद्युत् के सदृश पत्नी का वर्णन करते हुए पुरुष, पत्नी के सम्बन्ध में कहता है—“धारण, पोषण में समर्थ, कार्यकुशल, दूरदर्शनी पत्नी के माध्यम से मैं सम्पूर्ण कार्यों का सम्पादन करूँ । मैं उसके तथा वह मेरे जीवन को कभी भी हानि न पहुँचाये और मैं उसके सम्यक् दर्शन से वीर पुत्र को प्राप्त करूँ”^३ ।

पुत्रोत्पत्ति के प्रसंग में नारी की तुलना विद्युत् से करते हुए तथा “उर्वशी” को विद्युत् एवं “पुरूरवा” को मेघ मानते हुए अग्नि के दृष्टान्त से राजा और प्रजा की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है^४ ।

नारी की तुलना सेना से करते हुए कहा गया है—“हे भायें ! तुम गृहस्थ-सम्बन्धी समस्त कार्यों की सञ्चालिका हो, मैं तेरा पति हूँ और राजा के राज्य में सेनापति । मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने शत्रु को सेनारूपी “स्त्री” पर अधिकार करते हुए आक्रामकों का वध करूँ”^५ ।

पत्नी और पृथिवी द्वारा अपने योग्य पालक पति के धारण का वर्णन यजु-सहिता (८।४१-४२) में किया गया है । विद्याप रूप से यजुसहिता के अष्टम अध्याय का ४३वाँ मन्त्र तो बड़ा ही हृदयग्राही है, जिसमें गौ, स्त्री और पृथ्वी पर समानरूप से घटने वाले विदोषणों का वर्णन किया गया है^६ । यजुसहिता (११।३२) में विदुषो नारी के दृष्टान्त से प्रजा को उसके पालक के सम्बन्ध में उपदेश दिया गया है ।

१. पृथिवी मातोप मा पृथिवी माता ह्ययाम् ॥ (यजु० २।१०)

२. स्वघास्य तर्पयत मे पितृन् ॥ (यजु० २।३४)

३. समस्ये दव्या विया स दक्षिणयोश्चक्षसा ।

मा म आयु प्रमोषीमोऽहं तव वीर विद्रेय तव वैत्रि सदृशि ॥ (यजु० ४।२३)

४. अग्निनित्रमसि वृषणो स्य उर्वश्यस्यायुरसि पुरूरवा असि । (यजु० ५।२)

५. आददे नार्यसीदमह रक्षसा ग्रीवा अपि कुन्तामि ॥ (यजु० ५।२२)

६. इडे रन्ते हव्ये काम्ये चन्द ज्योतेऽदिते सरस्वति महि विश्रुति ।

एता ते अघ्ये नामानि देवेभ्यो मा सुकृत वृतात् ॥ (यजु० ८।४३)

पवित्र यज्ञ की घृत-पाराओ से उत्तम नारिया तथा क राओ को तुलना को गई है, यह तुलना नि सन्देह अद्वितीय है ।

“यज्ञ” भारतीय समाज में भगवान् के रूप में माना जाता है और उसको बढ़ाने वाली घृत पाराएँ पवित्रता की प्रतीक । गार्हस्थ्य-कार्य भी एक प्रकार का यज्ञ है, जिसे पति अपने सत्प्रयासों से पूर्ण करने की चेष्टा करता है । इस प्रयासरूपी अग्नि की लपटें जब कभी भी मन्द पड़ने लगती हैं, तो पत्नी उसे अपने सहयोग से प्रदीप्त करती है । सप्तपदों की अन्तिम प्रतिज्ञा का वडा ही महत्त्व है, जिसमें पति पत्नी को सखा कहकर सम्बोधित करता है । सखा के इस भाव का परिस्फुरण वाल्मीकि-रामायण (४।१।५२) में उस समय भगवान् राघवेन्द्र के मुख से होता है, जब वे सीता के अपहरण के बाद कहते हैं—“सीता के सभी भाव सचमुच मुझमें समाहित थे और मेरे भाव सीता में” । पत्नी के प्रति विलाप करते हुए महाराज “अज” का कथन कितना हृदयग्राही है—“इन्दुमता मेरे घर को शाभा, मन्त्रगा के समय मन्त्रों, भाजनादि के समय सखी, ललित-कलाओं के ग्रहण के समय शिष्या थी” (रघुवध ८।६७) । इस सम्बन्ध में उत्तर रामचरित (१।३९) का ‘अद्वैत सुषुप्तु त्वयोरनुगत मर्वास्ववस्थासु यत्’ इत्यादि कथन एवं “मालती-माधव” (३।१८) में ‘स्त्रीणा भर्ता, धर्मदाराश्च पुमानित्यन्यान्य वत्सयोर्जातिमस्तु’, कितना प्रभाव-शाली है कि “नारी व लिये पति और पति के लिये नारी का सम्बन्ध अच्छेद्य होता है ।” सचमुच रथ और उसके पहिया एवं वीणा तथा उसके तारा क सहयाग की तरह ही पति-पत्नी का सहयोग होता है, जिसके कारण यह जावनरूपी यज्ञ पूरा होता है ।

पुत्र द्वारा समाहर—

सहिताओ में आदश-पुत्र के सम्बन्ध में विचार करते हुए कहा गया है—
 “पुत्रा मात्रा भवतु समता” (अथर्व ३।३०।२), अर्थात् वह सन्नति (पुत्र-पुत्रा) श्रेष्ठ है, जिसके विचार अपनी जनता के विचारा के अनुकूल हान हैं । पुत्र की दृष्टि में भी माना जा म्यान मदा सर्वोपरि रहा है, क्योंकि पुत्र या पुत्री की विवादास्पद स्थिति में माँ का हृदय ही सर्वप्रथम चात्कार कर उठता है—“मा भ्राता भ्रातर द्विधन्मा

१ अमित्र २३ समतव याया क्वाप्य मममाताया अग्निम् ।

घृतस्य घारा ममिवा नक्षत्र ता जुष या हृष्यति जातवेदा ॥

कन्या इव बहनुमेतत्र उ अज्ययञ्जाना अमिवाह्यामि ।

यत्र साम सूपत यत्र दक्षा घृतस्य घारा अग्नि उत्तरवन्त ॥ (यजु० १७।१६-१७)

स्वसारमुत् स्वसा" (अथर्व० ३।३।३) अर्थात् भाई-भाई में और बहन बहन में द्वेष नहीं होना चाहिए। उस प्रदेश को पवित्रतम माना गया है, जहाँ ब्रह्म क्षत्र (ज्ञानो-वीर) तेज मिलकर राष्ट्रोन्नति हेतु कार्य करते हैं।

मातृमान् पुत्र—

वैदिक पञ्च-महायज्ञो (ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवैश्वदेव-यज्ञ, अतिथियज्ञ) में पितृ-यज्ञ को स्थान देने के पीछे भी हमारे पूर्वजों का उद्देश्य स्पष्ट है कि वे ही पुत्र आदर के भाजन हैं, जो उत्तमोत्तम पदार्थों से अपने माता-पिता या अन्य पितरों का समादर करते हैं (यजु० २।३४)। पितरों और देवों में एकरूपता दिखाने की दृष्टि से भी यह कहा गया है^१। माता के प्रति आदर एवं सम्मान व्यक्त करते हुए मातृभक्त पुत्र का यह कथन कितना हृदयग्राही है, जब वह कहता है—“उत्तम उपदेश देने वाली, उत्तम गुणों वाली, उत्तम शिक्षा देने वाली मा ! आपके बिना हमारी स्थिति नगण्य है, आप हमारा मार्ग प्रशस्त करें”^२। एक रोगी पुत्र के हृदय में भी अपनी माता को देखने की कितनी उत्कट अभिलाषा होती है, इसका जीवन्त प्रमाण संहिता में देखने को मिलता है^३।

एक मातृमान् पुत्र जब पृथिवी को माता कहकर सम्बोधित करता हुआ कहता है—“माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्या” (अथर्व० १२।१।१२), तो उसके हृदय में एक ही भाव और सम्बन्ध रहता है, जिसका दर्शन हम माता और बालक के सम्बन्धों में पाते हैं। विभिन्न मधुरिमाओं से भरा हुआ पृथिवी का अक्षय भण्डार जीव के लिये उसी तरह उन्मुक्त रहता है, जिस प्रकार माता का विशाल हृदय अपने बेटे के लिये। माता के इस हृदय को न पहचानने वाले के लिये तो पृथिवी माता एक मिट्टी का ढेर मात्र है, जिस तरह जननी का शरीर अस्थिमात्र। मातृस्वरूप का मन्त्र साक्षात्कार तो उस मातृमान् पुत्र को ही होता है, जो श्रद्धा भाव से उमकी उपासना करता है^४।

१ देवा पितरं पितरो देवा । यो अस्मि सो अस्मि । (अथर्व० १।१२३।३)

२ अम्बितमे ऋदोतमे देविनमे मरुत्सवि ।

अग्रशन्ताडव ममि प्रजम्बिमम्ब नम्बृवि ॥ (ऋ० २।४।१।१९)

३ कस्य नून कतमस्यामुताना मनामहे चान दत्रस्य नाम ।

को नो मन्ना अदितये पुनर्दानितर च दुमेव मानर च ॥ (ऋ० १।२।११)

४ यर्णवेनि मन्त्रियमग्र धामोत्तं वा मासाभिग्म्वधरन् मनीषिण ।

दम्पा हृदय परमे व्योम-स्येनादुरममृतं पुषियथा ॥ (अथर्व० १०।१।८)

अपने कल्याण को भावना हेतु प्रार्थना करता हुआ पुत्र सर्वप्रथम माता-पिता के हित-साधन की बात कहना है^१। माता के प्रति महिनाकालीन मन्त्रति का कितना उच्च विचार था, इसका अनुमान परमात्मा का पवित्र वाणी को मातारूप में सम्मान देने वाले इम कथन से होता है, जिसमें कहा गया है—“स्तुना मया वरदा वेदमाता” अर्थात् अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिये मैंने वेद-रूपी माता की अर्चना की है।

वस्तुतः माँ का यही उदारभाव ही परबर्ती वाङ्मय में सन्तति के लिये इस रूप में अवतरित हुआ हागा—“कुसुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति”। इसी भावना का फल है कि पुत्र और माता के घनिष्ठ सम्बन्ध के रूप में हमारे सम्मुख शतपथ-ब्राह्मण मातृमान् पुत्रो को एक दीर्घ सूची प्रस्तुत करता है—(१) प्राशनीपुत्र, (२) कामकियोपुत्र, (३) भानुकोपुत्र, (४) शाण्डिली-पुत्र, (५) जायन्तो-पुत्र, (६) आश्वी-पुत्र, (७) गौतमी-पुत्र, (८) आश्वीपुत्र, (९) पाराशरो-पुत्र, (१०) कौत्सी पुत्र, (११) भारद्वाजो-पुत्र, (१२) कर्गो पुत्र, (१३) गार्गी-पुत्र इत्यादि।

पिता द्वारा आदर—

पिता अपनी पुत्री को याग्यन्तम वर के हाथों में देना अपना धर्म मानता था। हविष्यमान् वर के हाथों में उसे अपना हविष्यमयी कन्या देने पर गौरव हाना था। हविष्यमान् वायु अपनी ग्रहण शक्ति में जिम प्रकार रसवात् जलो का अपने में सम्भृत् कर लेता है, उसी प्रकार प्रत्येक गृहपति को भी अपना पत्नी का अपने में मिला लेने का उपदेश दिया जाता था। स्वयंवर कन्या का “सूयो” एवं वरग याग्य वर को “सूर्य” कहा गया है। इम कथन की पुष्टि ऋक्संहिता के दशम-मण्डल के ८१वें सूक्त से होनी है। यजु महिता (२।२३) में यज्ञ के प्रसंग में राजा को प्रजा की रक्षा का उपदेश देते समय ‘आप्’ (जल) के लिये “वमनोवरा” शब्द का प्रयोग हुआ है। “वसति” अर्थात् राष्ट्र के मध्य वसो प्रजाभा को प्रतिनिधि। यहा “वमनोवरा” का तात्पर्य उस कन्या से है, जिसे स्वयंवर-प्रथा द्वारा प्राप्त किया जाता है, क्योंकि वसना (वामवृत्ति) की अभिरापा वाले नवयुवक का वह वरण करती है।

कन्या के प्रति समादर-भाव व्यक्त करने हुए पिता कहता है—“हे कन्ये ! मैं तुम्हारा पिता तुझे विपत्तिरहित घर वाले पुरुष को अर्पित करता हूँ। यहाँ तुम इन्द्र, अग्नि, आचार्य, ज्ञानवान् पुरुष, मित्रजनो तथा समस्त विद्वानो के लिए अन्नादि से सस्कार करने वाली बनो”^२।

१ स्वस्ति मात्र उत वित्रे ना अस्तु स्वस्ति गाम्या जग्ने पुरेभ्य ॥ (अथर्व० १।११।४)

२ अग्नेर्बोऽश्वगृहस्य सवसि नादयामोन्द्राम्याभौगधेयो स्य मित्रादहणयाभौगधेयो स्य विरत्रेया देवाना भागधेयो स्य । (यजु० ६।२४)

पिता की हार्दिक इच्छा होती थी कि उसको पुत्री सूर्य के ममान तेजस्वी पुष्य के समीप रहे, जिससे राष्ट्र की अजेय शक्ति का उत्तरोत्तर विकास हो सके। इसी भावना के वशीभूत होकर वह अपनी कन्या से कहता है—“हे कन्ये! मैं तुम्हे प्रेम, ज्ञान से सम्पन्न तेजस्वी पुष्य के हाथों में देता हूँ”^१। यजु संहिता (१७।१६-१७) में यज्ञकुण्ड में दो जाने वाली पवित्र धृत-धाराओं के साथ कन्याओं को तुलना के पीछे लिखा बाधाय यही है कि नारी-समाज अपने घर को सदा पवित्र बनाये रखे। यही कारण है कि नारी अपने पति से प्रार्थना करती है—“हे पतिदेव! सर्प के ममान कुटिल मार्ग, अकारण क्रोध, अभिमान, प्राणनाशक अवगुणों को छोड़कर आप सदा सत्याचरण करें, जिसमें गृहस्थाश्रम, स्वर्गाश्रम बना रहे”^२।

सामाजिक-समादर—

ऋक्-संहिता में क्षेत्रपति के प्रसंग में सीता को देवी मानकर कहा गया है—“हे सौभाग्यवती सीते! आपकी हम स्तुति एवं प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आपके कारण हमें सुख-समृद्धिभूचक सौभाग्य को प्राप्ति हाती है”^३। यहाँ “सीता” शब्द भले ही हल् के अग्रभाग (फाली) के लिए प्रयुक्त हुआ हो, परन्तु इसका उद्देश्य प्रवृत्ति-प्रेमी हमारे ऋषियों की दृष्टि में नारी सम्मान ही है। इसकी पुष्टि में उपा देवा का उदाहरण दिया जा सकता है, जिसका वणन ऋक्-संहिता में लगभग ३०० सौ बार स्तुति-रूप में प्रस्तुत किया है। निर्य-नवोना, योवनसम्पन्ना, शुभ्रवमना, मरय-भाषिणी आदि विशेषणों से सम्बोधित कर उमके कन्या, भगिनी, पत्नी, मानु आदि अनेक रूपों के प्रति आदर व्यक्त किया गया है।

“उपा” की तरह सूर्य की पुत्री “सूर्या” है, जिसे ऋक्-संहिता (१०।८५) सूक्त में वैवाहिक विषयों को विस्तृत चर्चा में समाज में अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। “वाक्” देवी को तो धनदात्री, ज्ञानप्रदायिनी, उपदष्टा के साथ आकाशजननी माना गया है। इसी प्रकार इडा (इला), सरस्वती, भारती, होला, सिनीवाला, श्रद्धा

१ हृदे त्वा मनमे त्वा दिवे त्वा सूर्याय स्वा ।

ऊर्ध्वमिममध्वर दिवि देवेषु हावा यच्छ ॥ (यजु० ६।२५)

२ माहिर्भूर्मा पृदाकुनमस्त आनातानर्वा प्रेहि ।

धृतस्य कुन्या उव ऋतस्य पथ्या अनु ॥ (यजु० ६।१२)

३. अर्वाची सुमने भव सीते वन्दामहे त्वा ।

यथा न सुभगामसि यथा न मुक्लासि ॥

इन्द्र सीता नि गृह्णातु ता पूषानु पच्छतु ।

सा न पनस्वतो ब्रह्मामुत्तरामुत्तरा समाम ॥ (ऋ० ४।५।७।६-७)

आदि अनेक संहिताकालीन देवियाँ हैं, जिनको उनको विशेषताओं के कारण समाज ने नारी के रूप में सदा आदर दिया है।

वैदिक-समाज ने ऋषि की वाणी में पति-पत्नी-को आदर देते हुए चक्रवाक-दम्पति की तरह जीने का आदेश दिया है (अथर्व० १४।२।६४), और समान प्रीति वाले होकर घर में पुत्र-पौत्रों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने का निर्देश दिया है (ऋ० १०।८।५।४२)। संहिताकाल में माता-पिता का समान रूप में आदर होता था। माता के सम्मान की तरह पिता के सम्मान में भी संहिताओं में अनेक उल्लेख हैं।

ऋक्संहिता— (१) स न. पितेव सूनवेऽग्ने सुपायनो भव—(१।१।९)

(२) त्वमाने प्रमतिस्त्व पितासि—(१।३।१।१०)

(३) मा हवन्ते पितर न जन्तव—(१०।४।८।१)

(४) अग्नि मन्ये पितरमग्निम्—(१०।७।३)

यजुसंहिता— (१) यो न. पिता जनिता—(१।७।२७)

(२) गर्भो देवाना पिता—(३।७।१४)

(३) पुननं. पितरो मनो ददातु—(३।५।५)

(४) स नो बन्धुर्जनिता स विधाता—(३।२।१०)

सामसंहिता— (१) त्व हि नः पिता वसो त्व माता—(४।२।१।३।२)

(२) उत वात पितासि न उत भ्रातोत न. सखा—(९।२।१।१)

(३) अर्चन्तु पुत्रका उत पुरमिद—(४।२।३।३)

अथर्वसंहिता— (१) प्राण प्रजा. अनु वस्ते पिता पुत्रमिव प्रियम्—(१।१।४।१०)

(२) स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो अन्तु—(१।३।१।४)

(३) द्यौष्ट्वा पिता पृथिवी माता—(२।२।८।४)

(४) अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु समनाः—(३।३।०।२)

परिशीलन—

सामाजिक जीवन-रूपों में रथ को सुचारुरूप देने में नर-नारी-रूपों दोनों पहियों का एक-सा सहयोग अपेक्षित रहा है। यह सही है, नर जहाँ स्वभावतः कुछ कठोर होता है, वहीं नारी अपने जन्मजात सस्कारों के कारण कोमल। यही कारण है कि एक ओर पुरुष जहाँ अपने स्वभावानुकूल कृषि, शासन, सैन्य-संचालन आदि कठिन कार्यों की ओर प्रवृत्त होता है, वहीं नारी सुगमता से शिक्षापालन, गृहमचालन की ओर झुकती है। जब यह कहा जाता है कि नर और नारी पुरुष एवं प्रकृति की तरह हैं, तो इसका आशय होता है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पुरुष स्रष्टा है,

तो नारी प्रेमिका के रूप में अपनी दया, कौमल्य, शान्ति तथा समर्पण भावना से उसकी सृष्टि की पोषिका है।

समानता के इस चर्चित प्रसंग में एक जिज्ञासा का उठना स्वाभाविक है कि अगर नर नारी का दर्जा एक-सा रहा है, तो नारी को अदिति, तौ, पृथिवी से लेकर मातृ-भाषा के रूप में संहिताओं ने इतना महत्त्व और आदर क्यों दिया है? विद्या की अधिष्ठातृ देवी सरस्वती, बल का अधिष्ठातृ देवी दुर्गा और धन की अधिष्ठातृ देवी लक्ष्मी को सम्मान देकर पुरुष-वर्ग का इन अधिकारों से वंचित क्यों रखा गया है? पत्नीरूप में राष्ट्र की परामर्शदात्री और माता के रूप में राष्ट्र की परम हितपिणी मानने में वे कौन से कारण हैं, जिनके लिए आज भी "राम" के नाम से पूर्व सोता और "कृष्ण" के नाम से पूर्व राधा का स्मरण किया जाता है?

उपर्युक्त जिज्ञासा और शकाओं के समाधान हेतु योगिराज भगवान् कृष्णचन्द्र के इस गोतोक्त कथन की ओर ध्यान देना होगा, जिसमें अपने को "वेदाना सामवेदोऽस्मि" कहा है। यद्यपि "सामवेद" का आकार शेष वैदिक-संहिताओं की तुलना में सबसे लघु है, क्योंकि इसमें कुल १८७५ मन्त्र हैं, जिनमें ६९ का छाडकर अधिकांश ऋक्संहिता और १७ मन्त्र यजुसंहिता और अथर्व-संहिता के हैं। इतना होते हुए भी इसकी प्रतिष्ठा सर्वोपरि है, क्योंकि इसमें वैदिक-ऋषियों का आध्यात्मिक भावनाओं के साथ साधक को भक्ति-रसगुण उस काव्यधारा में डुबकी लगाने का सुअक्षर मिलता है, जिसका अन्यत्र अभाव है।

नारी के सर्वाधिक समादर के पीछे भी यही भक्तिभाव मुख्य कारण है, जिसके चलते नारी अपने मृतक पति के साथ भी अपने प्राणों की आहुति देने में गौरव का अनुभव करती रही है। वेद का पवित्र ऋचाओं का तरह नारी भी स्वाध्यायशाला, धार्मिक पुष्प का पवित्र करती और उमक शरीर का निराग रखती हुई अन्त में उसे मुक्ति धाम तक पहुँचाती है (साम० उ० ५।२।८)। "वदो की ऋचाओं की तरह पवित्र ये नारियाँ भी हमारा सदा मंगल कर और राष्ट्र समुन्नति के पथ पर अग्रसर हों"। यही मंगलमयी भावना हमारे पूर्वजों के हृदय में नारी के समादर में सन्निहित रही है।



उपसंहार

नर-नारी की समानता—

वैदिक संहिताकालीन नारी की स्थिति पर प्रकाश डालने का अभी तक प्रयास किया गया है। उपर्युक्त आठ अध्यायों में वर्णित विषयों तथा आख्यानो से संहितायुगीन स्त्री-समाज के समुत्कर्ष का सहज में अनुमान लगाया जा सकता है। यह तथ्य है कि कन्या की तुलना में पुत्रप्राप्ति के लिये तत्कालीन समाज अधिक लान्छित रहता था, परन्तु पुत्रों को तिरस्कार या उपेक्षाभाव से देखा जाता था, इसका एक भी प्रमाण वैदिक-संहिताओं में दृष्टिगोचर नहीं होता। यही कारण है कि उस समय के नारी-समाज ने जीवन के अन्य क्षेत्रों की भाँति आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अपना बर्चस्व बनाये रखा है।

सर्वाधिक महत्त्व की बात तो यह है कि उस समय प्रकृति-माँ की गोद में स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन-यापन करती हुई कन्या अपने जीवन-साथी को चुनने में पूर्ण स्वतन्त्र थी। इस स्वतन्त्रता में यदि कहीं कोई अकुश था, तो वह था इन्द्रिय-दमन (ब्रह्मचर्य), जिसका पालन करती हुई बालिका बलवान्, ऐश्वर्यवान् भर्ता को पाकर सुशील सन्तान उत्पन्न करती थी। अनुपम प्रीति वाले इस दम्पति की दृढ धारणा थी कि सयमित जीवन से मृत्यु के आघात को भी निष्फल किया जा सकता है (अथर्व० ११।५।१८-१९)। इस युग में पर्दा-प्रथा का न कहीं नाम था और न ही प्रचलन। यही कारण है कि नर-नारी समान रूप से सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक आदि सम्मेलनों में भाग लेते थे। नारी के बिना नर को "श्रौत-याग" न करने के पीछे भी नारी-सम्मान की भावना ही अन्तर्निहित है। "पत्नी ही घर है, यह इस घर की साम्राज्ञी है और इसे इस घर के सभी प्राणियों पर शासन करने का पूरा अधिकार प्राप्त है" (अथर्व० १४।१४)। नारी-समाज के प्रति इस प्रकार का समादर सम्भवतः संहिता-वाङ्मय को छोड़कर विश्व के किसी भी अन्य साहित्य में उपलब्ध नहीं है।

माता, पुत्री, पत्नी के रूप में नारी का इतना बड़ा सम्मान था कि उसने अपने पृथक् अधिकारों के बारे में सम्भवतः कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पिता, पति, पुत्रादि अभिभावकों की मंगलमयी कामना वाली नारी ने अपने आदर्शमय अलौकिक जीवन से जिवर भी दृष्टिपात किया, वह दिशा तत्काल आलोकित होकर जगमगा उठी और वेद-विद्या (सरस्वती) बोल उठी—“विद्वान् नर-नारी का पुनीत कर्तव्य है कि वे मिलकर यज्ञादि उत्तम कर्मों का प्रचार-प्रसार करें। पुत्र, माता-पिता के

अनुकूल हो, पत्नी अपने पति के प्रति मधुर वचनों का प्रयोग करे, जिससे देश की उन्नति हेतु उनका गृहस्थाश्रम, स्वर्गाश्रम में परिणत हो जाये" (अथर्व० ३।२०।२-३) ।
वेदाध्ययन-अधिकार—

वेद माता (सरस्वती) के मन्दिर में प्रवेश पाने का सहिताकाल में सभी को समान अधिकार था । विद्या अभ्यास में विघ्नभूत कतिपय ऐसे लोगों को हमारे तत्कालीन शिक्षा शास्त्रियों ने अवश्य ज्ञान के इस भण्डार से वंचित रखने का निर्देश दिया था, जो ईर्ष्या, असूया, उद्वेगता, उच्छृङ्खलता आदि अवगुणों से ग्रसित रहते थे । ऐसे लोगों के अतिरिक्त शेष सभी लोग विना जाति एवं लिंगभेद के माँ सरस्वती के सहिता-सरोवर में मज्जन करने में स्वतन्त्र थे । इस कथन की पुष्टि निरुक्तकार ने (२।१।४) की है, जिसको दूसरे शब्दों में भगवान् मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति (२।१।४) में कहा है कि "एक बार वेदमाता, वेददेवता के पास जाकर बोली—“मैं तेरी निधि हूँ, तुम मेरा पालन करो, असूया करने वाले को मुझे मत देना, इसी में मेरी शक्तिमता है ।"

उपनयन के साथ ही यज्ञ एवं वेदाध्ययन की स्वीकृति देने वाले ऋक्संहिता (१०।१०९।४) के अनुयायियों के मन में 'स्त्रीशूद्रो नाधीयतामिति श्रुति' का भावना कब बयो आयी, यह एक भिन्न विषय है । फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि यह विचार अशुभ भारतीय है, क्योंकि इसकी समति यजुःसंहिता (२६।२) के साथ मेल नहीं खाती, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा पश्चिम अतिशूद्र (चाण्डाल) को भी वेद पढ़ने और मुनने की अनुमति दी गयी है । कवय, ऐलूप आदि अनेक मन्त्र द्रष्टा ऋषियों के नाम के साथ जहाँ अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, जुहू, रोमशा, शश्वती, मपरांशो आदि महिला मन्त्र द्रष्टियों के साक्षात्कृत मन्त्रों का साक्ष्य वर्तमान है, वहाँ वेदाध्ययन से नारी-समाज को रोकने की बात को जड़ता ही कहा जा सकता है ।

राष्ट्र की क्षति—

'सहिता', "ऋचा", "श्रुति" ये स्त्रीलिंगवाची शब्द हैं । माँ सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी भी नारी के रूप में ही सम्बोधित की जाती हैं, फिर समझ में नहीं आता कि नारी को पूजा में नारी को निषेध करने का यह अश्लाघनीय अधिकार किसने और क्यों किसी को दिया है ? नहीं तो पवित्रता की आगार जिस नारी को तैत्तिरीय-संहिता (६।१।३) में—“मेखलया यजमान दीक्षयति योत्रेण पत्नीम्” से दीक्षा का सम-अधिकार दिया गया हो और जहाँ से कात्यायन-श्रौतसूत्र (२।७।४) में “आज्यमृदास्य पत्नी मवेक्षयति” से देखने मात्र का गुरतर भार सीपा गया हो, वहाँ उसे वेदज्ञान से दूर रखने का दूसरा उद्देश्य और हो भी क्या सकता है ?

प्रसन्नता की बात—

प्रसन्नता का विषय है कि स्वतन्त्रताप्राप्ति के अनन्तर हमारे नेतृवर्ग ने अपनी केन्द्रीय एव प्रदेशीय शासन व्यवस्थाओ मे नारी-समाज की दयनीय स्थिति की ओर ध्यान देकर अनेक प्रशसनीय प्रयास किये हैं, जिनसे नारी समाज का सम्मान बढ़ा है।

यह कहा जा चुका है कि सहिताकाल मे बाल-विवाह, दहेज-प्रथा एवं सती-प्रथा का अभाव था। अन्तर्जातीय विवाह एव पुनर्विवाह (विधवा-विवाह) का प्रचलन था। एकपत्नी-व्रत (एक विवाह) को पवित्र माना जाता था और नारी-शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान था। वैदिक-सहिताओ के अनुसार सृष्टि-विकास मे पुरुष बीजरूप है, तो नारी क्षेत्ररूप मानी गयी है। नारी के लिये प्रयुक्त ह्यो, श्री जैसे सम्मानजनक शब्द इसके परिचायक हैं कि प्राचीन युग मे पवित्रता, पातिव्रत्य, वात्सल्य भाव, सेवापरायणता तथा अगाध श्रद्धा आदि गुणो के कारण नारो का समाज में बड़ा समादर था।

नारी को वैदिक-सहिताकालीन गौरव मिलने मे ही राष्ट्र, जाति और समाज का हित है, क्योंकि यह नारी ही है, जो परामर्श के समय नर को एक सुयोग्य मन्त्री की तरह मन्त्रणा देने मे सक्षम है। बस अन्त मे हम नारो शिरोमणि माता सरस्वती से ऋक्सहिता के प्रथम-मण्डल के तृतीय सूक्त की बारहवी ऋचा के माध्यम से प्रार्थना करते हैं कि—“हे ज्ञानदायिनी माता सरस्वति ! सहृदय हृदय होकर आप हमे अपने ज्ञान-सागर की तरल तरङ्गो से तरङ्गित करें, जिससे हम एक बार फिर भारत-माता की सन्तान की खाली झोली को “नारो सदा पुष्य-राशि है” को भावना से भरकर भारत को भारत बनाने के सत्सकल्प को साकार रूप दे सकने मे समर्थ हो सकें”^१।

“पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्णत् पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

॥ इति शम् ॥



१ महो अर्ण. सरस्वती प्र चेउयति नेतुना ।

धियो विद्वा वि राजति ॥ (ऋ० १३।१२)

संहिता-स्तवन

विद्याना विदुर्धैविचार्यं कथित वेदो हि मूल पर
वेदोऽसौ च विभूषितो बहुविधैर्भागैर्न पञ्चाधिकैः ।
तत्राप्युत्तमतान्विता खलु भूता मन्त्रं शुभा संहिता
लोकेऽस्मिन् सतत जयन्ति विदुषा वैदुष्यविद्योतिता ॥ १ ॥

दिन यथा नैव दिना दिनेश दिन दिनेश्च विना सरोजम् ।
श्रम्य समाप्नोति तथैव धर्मो नद विनोभो खलु संहिताञ्च ॥ २ ॥
शक्तिं विना चेन्न शिवस्वरूप स्फुरत्यभीक्ष्ण निखिले हि वेदे ।
नारी विना नैव नरस्य काचित् स्थितिस्तु तर्ह्यत्र मनुष्यलोके ॥ ३ ॥

ब्रह्माण्डभाण्डमध्यस्था विषया वदमध्यगा ।
यथा भान्ति रुधैवद नारीणामपि वर्धनम् ॥ ४ ॥
मन्त्रद्रष्टृषु स्त्रियस्तत्र प्रख्याता ऋषयो यथा ।
लोषामुद्रा तयाऽपाला घोषा बह्व्यस्तथैव च ॥ ५ ॥
या नार्यो ह्युपब्रजिता खलु महावैदुष्यभागुविता-
स्तासा साधुममादर नरकुलं शश्वत समाराध्यते ।
नासीत् स्त्री मनुजोपभोगरचनामात्र तु काल तदा
गम्य वै गृहिणीपद प्रतिगृह प्रीत तयैवादृतम् ॥ ६ ॥

नारी निरीक्ष्य सुषमातरसामपीहा काम न चुम्बति नरस्य तदा स्म काले ।
तस्या जितेन्दुवदन न च वस्त्रजालं सञ्छायते स्म नयनान्धकरै सुमार्गे ॥ ७ ॥

पूजाशक्तिस्वरूपिण्या स्त्रिय सर्वैर्विधीयते ।
राष्ट्रयोतिश्च सेवासीत वैदिके संहितायुगे ॥ ८ ॥

सहायक-ग्रन्थ-सूची

क्रमांक	ग्रन्थ-नाम	लेखक/सम्पादक/प्रकाशक
१.	अथर्ववेद	स० प० श्रीराम शर्मा आचार्य, संस्कृति संस्थान हवाजा कुतुब बरेली, (उ० प्र०) १९६१ ।
२.	अथर्ववेद-संहिता	स० गोपाल प्रसाद कौशिक, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी—१ ।
३.	अथर्ववेद	स० दामोदरपाद सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, मूरत, १९५८ ।
४	अथर्ववेद सायणभाष्य	म० राज्ञुर पाण्डुरंग पण्डित, बम्बई, १८९८ ।
५	ऋग्वेद	स० प० श्रीराम शर्मा आचार्य, संस्कृति संस्थान, हवाजा कुतुब, बरेली, १९६९ ।
६	ऋक्संहिता (स्कन्द-माघव- भाष्यसहित)	स० साम्बसिव शास्त्री, त्रिवेन्द्रम संस्कृत सीरीज, १९२९ ।
७	ऋग्वेद	स० विश्वन्धु विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध-संस्थान, हासियारपुर १९६५ ।
८	ऋग्वेद (सायणभाष्य)	वैदिक सशोधन मण्डल, पूना, १९४१ ।
९	ऋग्वेद-व्याख्या	माघवकृत, स० कुन्हन राज, सी०, अठ्ठार पुस्त- कालय, १९३९ ।
१०	कल्याण-नारी अंक	गीताप्रेस गारखपुर, १९४८ ।
११	काठक-संहिता	स० दामोदरपाद सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, १९४३ ।
१२	वाण्व-संहिता	स० दामोदरपाद सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, १९४० ।
१३.	वाण्व-संहिता (भाष्यप्रग्रह)	सारस्वती सुपमा, संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, सवत् २०११ ।
१४	तैत्तिरीय-संहिता	स० दामोदरपाद सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, सवत् २०१३ ।
१५	निरुक्त	स० भगवद्दत्त, अमृतसर, सवत् २०२१ ।
१६	निरुक्तालोचन	स० सत्यव्रत सामन्थमी, द्वितीय संस्करण, कलकत्ता, १९०७ ।
१७	प्राचीन भारतीय साहित्य में नारी	डॉ० गजानन्द शर्मा, रचना प्रकाशन, इलाहाबाद, १९७१ ।

१८. प्राचीन भारतीय शिक्षण-
पद्धति डॉ० अनन्त सदाशिव अस्तेकर, मनोहर प्रकाशन,
वाराणसी, १९८० ।
१९. बौद्ध और जैन आगमों में
नारीजीवन डॉ० कोमलचन्द्र जैन, सोहनलाल जैन, धर्मप्रचारक
समिति, अमृतसर, १९६७ ।
२०. भैयायणो-संहिता दामोदरपाद सातवलेकर, पारडो, १९४२ ।
२१. यजुर्वेद दामोदरपाद सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल,
पारडो, १९५७ ।
२२. यजुर्वेद म० श्रीराम शर्मा आचार्य, सस्कृति संस्थान, स्वराजा
कुतुब, बरेली, १९६९ ।
२३. वाजसनेयि संहिता सं० ए० वेबर, चौखम्बा सीरीज, वाराणसी,
१९०१ ।
२४. वेदकालीन समाज डॉ० शिवदत्त ज्ञानो, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी,
१९६७ ।
२५. वैदिक-कोष डॉ० सूर्यकांत, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, १९६३ ।
२६. वैदिक-कोष हसराम, लाहौर, १९२६ ।
२७. वैदिक वाङ्मय का इतिहास भगवद्दत्त १/२८ प्रणव प्रकाशन, पंजाबी बाग, दिल्ली,
१९७६ ।
२८. वैदिक साहित्य और सस्कृति आचार्य बलदेव उपाध्याय, धारदा मन्दिर, वाराणसी,
१९६७ ।
२९. वैदिक सस्कृति के तत्त्व डॉ० मंगलदेव शास्त्री, समाजविज्ञान परिषद्, वाराणसी ।
३०. शुक्लयजुर्वेदीय-काण्वसंहिता माधवशास्त्री, चौखम्बा सस्कृत सीरीज, १९१५ ।
३१. सामवेद दामोदरपाद सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, १९३९ ।
३२. सामवेद सं० ए० श्रीराम शर्मा आचार्य, सस्कृति संस्थान,
स्वराजा कुतुब, बरेली, १९६९ ।
३३. हिन्दू-धर्मकोष डॉ० राजदली पाण्डेय, उत्तर-प्रदेश हिंदी संस्थान,
सबन २०२७ ।
३४. हिन्दू परिवारमोसा प्रो० हरिदत्त वेदालङ्कार ।
३५. हिन्दू विवाह-मोसा डॉ० प्रीतिप्रभा गोयल, रूपायन संस्थान, १९७६ ।
३६. हिन्दू-संस्कार डॉ० राजदली पाण्डेय, चौखम्बा विद्याभवन,
वाराणसी, १९६६ ।
३७. हिन्दू विवाह का सक्षिप्त
इतिहास प्रो० हरिदत्त वेदालङ्कार ।
३८. हिन्दू सम्पत्ता राधाकुमुद मुखर्जी, राजकमल प्र०, दिल्ली, १९७१ ।
३९. ऋग्वेद पर एक ऐतिहासिक
दृष्टि ए० विश्वेश्वरनाथ रेड, मोतीलाल बनारसीदास,
१९६७ ।

- ४० अथर्ववेद में सांस्कृतिक-उत्सव डॉ० रामछत्र मिश्र, आनन्द प्रकाशन, इलाहाबाद, १९६८ ।
४१. वेदकालीन जनतन्त्रस्थानानि रामानुज ताताचार्य, केन्द्रीय विद्यापीठ, तिरुवर्ति, १९७० ई० ।
- ४२ भारत में विवाह और कामकाजी महिलाएँ प्रमिला कपूर, राजकमल-प्रकाशन, दिल्ली, १९७६ ।

अंग्रेजी-गुस्तके

- १ पोजिशन आफ वीमेन इन इण्डिया महारानी बडोदा और एस० एम० मित्रा, लाङ्गमेन्त ग्रोन एण्ड कम्पनी, १९११ ।
२. इण्डियन वीमेन थ्रू दि एजेज वो० थामस, बम्बई, एशिया १९६४ ।
- ३ वीमेन इन दि बर्दिक एज शकुन्तलाराव शास्त्री, भारतीय विद्याभवन, बम्बई, १९५२ ।
- ४ वीमेन इन एन्शियेन्ट इण्डिया मेरी ई० आर० माटिन, चौखम्बा पब्लिकेशन, वाराणसी, १९६४ ।
- ५ वीमेन इन दि बर्दिक एज के० एम० मुन्तो, भारतीय विद्याभवन, बम्बई, १९५१ ।
- ६ वीमेन इन ऋग्वेद डॉ० भगवत शरण उपाध्याय, नन्दकिशोर ब्रदर्स, वाराणसी, १९४१ ।
- ७ दि स्टैच्यू आफ वीमेन इन एन्शियेन्ट इण्डिया इन्द्रा, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, १९५५ ।
- ८ पोजिशन आफ वीमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन ए० एस० अल्लेक्कर, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, १९६२ ।